पंचदश माला, खंड 2, अंक 2

शुक्रवार, 3 जुलाई, 2009
12 आषाढ़, 1931 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद

## (हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(पन्द्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

पी.एल.एस.–48/2/2/2009 ( एन० )
230

© 2009 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और अनुपम आर्ट्स प्रिन्टर, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

## सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
अपर निदेशक

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक

राकेश कुमार
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

© 2009 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

## इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

## लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

## लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

# विषय-सूची

*[पंचदश माला, खंड 2, दूसरा सत्र, 2009/1931 (शक)]*

**अंक 2, शुक्रवार, 3 जुलाई, 2009/12 आषाढ़, 1931 (शक)**


| विषय | | | कॉलम |
|---|---|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | | | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 24 | | | 2–39 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | | | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 25 से 40 | | | 39–227 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 174 से 312 | | | 227–647 |
| **सभा पटल पर रखे गए पत्र** | | | 647–664 |
| **सभा का कार्य** | | | 664–666 |
| **समितियों के लिए निर्वाचन** | | | 667–673 |
| (एक) | प्राक्कलन समिति | | 667 |
| (दो) | लोक लेखा समिति | | 667–668 |
| (तीन) | सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति | | 668–669 |
| (चार) | अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति | | 669–670 |
| (पांच) | राजघाट समाधि समिति | | 670–671 |
| (छह) | केन्द्रीय भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार सलाहकार समिति | | 671–672 |
| (सात) | नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत गठित केन्द्रीय समन्वय समिति | | 672 |
| (आठ) | राजभाषा समिति | | 672–673 |
| **बजट (रेल), 2009-2010** | | | 673–713 |
| **कार्य मंत्रणा समिति** | | | |
| पहला प्रतिवेदन | | | 713 |
| **नियम 193 के अधीन चर्चा** | | | 713–733 |
| देश में स्वाइन फ्लू के तेजी से फैलने के कारण उत्पन्न स्थिति | | | 713 |
| | श्री सन्दीप दीक्षित | | 713–723 |
| | श्रीमती मेनका गांधी | | 723–729 |
| | श्री शैलेन्द्र कुमार | | 729–732 |
| | डॉ. रामचन्द्र डोम | | 732–733 |
| **गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक–पुर:स्थापित** | | | 734 |
| (एक) | पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2009 (धारा 11 आदि का संशोधन) | | |
| | श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना | | 734 |


*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

| विषय | | कॉलम |
|---|---|---|
| (दो) | अल्पविकसित और पिछड़े क्षेत्र तथा अंचल (त्वरित विकास के लिए विशेष उपबंध) विधेयक, 2009 | |
| | श्री वैजयंत पांडा | 734–735 |
| (तीन) | नक्सलवादी आतंकवाद से प्रभावित व्यक्ति (राहत और पुनर्वास) विधेयक, 2009 | |
| | श्री वैजयंत पांडा | 735 |
| (चार) | तटीय क्षेत्रों में चक्रवात, महाचक्रवात अथवा सुनामी से प्रभावित नागरिक (प्रतिकर, पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2009 | |
| | श्री वैजयंत पांडा | 735–736 |
| (पांच) | अयाचित टेलीफोन कालों का निवारण और एकांतता का संरक्षण विधेयक, 2009 | |
| | श्री वैजयंत पांडा | 736 |
| (छह) | संविधान (संशोधन), विधेयक 2009 (आठवीं अनुसूची का संशोधन) | |
| | श्री अर्जुन राम मेघवाल | 737 |
| **राष्ट्रीय हिमालयी राज्य विकास बोर्ड का गठन करने के बारे में संकल्प** | | 737 |
| | श्री वीरेन्द्र कश्यप | 737–748 |
| | श्री सतपाल महाराज | 748–751 |
| | श्री अनुराग सिंह ठाकुर | 751–753 |
| | श्री विजय बहुगुणा | 753–756 |
| | डॉ. राजन सुशान्त | 756–760 |
| | श्री अधीर चौधरी | 760–764 |
| | श्री रमेन डेका | 764–765 |
| | श्री के.सी. सिंह 'बाबा' | 765–768 |
| | श्री जोसेफ टोप्पो | 768–770 |
| | श्री प्रदीप टम्टा | 770–774 |
| | श्री तथागत सत्पथी | 774–776 |
| | श्री ओम प्रकाश यादव | 776–777 |
| | श्री प्रेम दास राय | 777–779 |
| | श्री थांगसो बाइते | 779–780 |
| | डॉ. थोकचोम मैन्या | 780–782 |
| **अनुबंध-I** | | |
| | तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका | 785 |
| | अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका | 786–790 |
| **अनुबंध-II** | | |
| | तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका | 791–792 |
| | अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका | 791–792 |

# लोक सभा के पदाधिकारी

**अध्यक्ष**

श्रीमती मीरा कुमार

**उपाध्यक्ष**

श्री कड़िया मुंडा

**सभापति तालिका**

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
श्री बेनी प्रसाद वर्मा
डॉ. गिरिजा व्यास

**महासचिव**

श्री पी.डी.टी. आचारी

## लोक सभा

**शुक्रवार, 3 जुलाई, 2009/12 आषाढ़, 1931 (शक)**

*लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।*

**[अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं* **]**

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदयाः** प्रश्न सं. 21, डॉ. विनय कुमार पाण्डेय।

*...(व्यवधान)*

**श्री लालू प्रसाद** (सारण)**:** महोदया, बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर बनी लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी है। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदयाः** कृपया प्रश्न काल होने दीजिए। इसे शाम को ले लेंगे।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदयाः** डॉ. विनय कुमार पाण्डेय।

**डॉ. विनय कुमार पाण्डेय** (श्रावस्ती)**:** महोदया, यह तो अतिक्रमण है। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदयाः** यह सब रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**डॉ. विनय कुमार पाण्डेयः** महोदया, यह तो सीनियर लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। हम जैसे प्रथम बार चुनकर आये लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदयाः** आप अपना क्वेश्चन नं. बोलिए।

*...(व्यवधान)*

**डॉ. विनय कुमार पाण्डेयः** महोदया, आज जब नारी सशक्तिकरण की बात की जा रही है। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदयाः** आप अपना क्वेश्चन नं. बोलिए।

*...(व्यवधान)*

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*[हिन्दी]*

### घरेलू नौकरानियों का यौन उत्पीड़न

***21. डॉ. विनय कुमार पाण्डेयः** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ समय से देश में घरेलू नौकरानियों के यौन उत्पीड़न के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं से निपटने के लिए ऐसे मामलों को प्रस्तावित विधान के दायरे में शामिल करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ)ः** (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

***विवरण***

(क) हाल ही में घरेलू नौकरानियों के यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रिपोर्टें आईं हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) ऐसी शिकायतों से निपटने के लिए प्रस्तावित विधेयक के अंतर्गत जिला एवं ब्लॉक स्तरों पर स्थानीय शिकायत समितियों के गठन की परिकल्पना की गई है।

**डॉ. विनय कुमार पाण्डेयः** महोदया, आज नारी सशक्तिकरण की बात कही जा रही है। लोकतंत्र के इस सर्वोच्च सदन में महिला विधेयक लाने की बात कही जा रही है। *...(व्यवधान)* आज लोकतंत्र के इस सर्वोच्च सदन की पीठ पर एक नारी शक्ति आसीन है। यूपीए चेयरपर्सन के रूप में नारी शक्ति मौजूद है। ऐसे समय में महिला उत्पीड़न की जो बातें प्रकाश में आ रही हैं, मैं उन्हें आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा।

**अध्यक्ष महोदया:** आप अपना प्रश्न संक्षेप में पूछिए।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** इनके अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदया:** आप संक्षेप में पूछिए।

**डॉ. विनय कुमार पाण्डेय:** महोदया, आज प्राइवेट आर्गनाइजेशंस और एजेंसियों द्वारा महिलाओं का मानसिक शोषण किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि प्राइवेट आर्गनाइजेशंस और प्राइवेट एजेंसियों में महिलाओं का मानसिक उत्पीड़न और शोषण करके उनका कैरियर खराब किया जा रहा है। *...(व्यवधान)* अभी पिछले दिनों में ही ऐसी घटनाएं प्रकाश में आयी हैं। पिछले सदन में भी यह बात उठी थी। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** आप संक्षेप में बोलिये।

**डॉ. विनय कुमार पाण्डेय:** महोदया, मानसिक उत्पीड़न का पंजाब का एक प्रकरण है जो हमारे संज्ञान में आया है। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** आप संक्षेप में बोलिए। *...(व्यवधान)*

**डॉ. विनय कुमार पाण्डेय:** उस प्रकरण पर सरकार क्या कर रही है और क्या इस विधेयक को लाकर सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने का प्रयास करेगी? क्या सरकार उस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए उत्पीड़न और शोषण को रोकने का प्रयास करेगी? मैं आपके माध्यम से अनुमति चाहूंगा, क्योंकि कुछ पत्र हमारे पास मौजूद हैं, जो मानसिक उत्पीड़न और शोषण के प्रतीक हैं। अगर आप अनुमति दें तो मैं आपके माध्यम से उन्हें सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा। महिला आयोग, यूपीए चेयरपर्सन तथा सरकार के संज्ञान में ऐसे मामले लाकर शोषण को रोकने के प्रयास किये जाएं।

**अध्यक्ष महोदया:** आप संक्षेप में बोलिए। इतना लंबा प्रश्न मत पूछिए। आप बैठ जाइए।

**डॉ. विनय कुमार पाण्डेय:** क्या सरकार मानसिक उत्पीड़न और शोषण को रोकने का प्रयास करेगी? क्या सरकार ऐसा विधेयक लाकर उसे रोकने का प्रयास करेगी? आदिवासी और पिछड़े इलाकों से *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदया:** इतना लंबा प्रश्न नहीं करते हैं। आप बैठ जाइए।

**श्रीमती कृष्णा तीरथ:** अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है, वह पंजाब से रिलेटेड है। वह पूछना चाहते हैं कि महिलाओं का जो मानसिक उत्पीड़न, शोषण हो रहा है, उसको रोका जाएगा या नहीं, मैंने इसके संदर्भ में बहुत डिटेल में टेबल पर कागज रखे हैं। इसके बाद ऐसी शिकायतें आती हैं। आर्गनाइज्ड और अनआर्गनाइज्ड सैक्टर में ऐसा हुआ है। आर्गनाइज्ड सैक्टर में तो आलरेडी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एक कमेटी है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्नकाल के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्रीमती कृष्णा तीरथ:** सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हरेक आफिस में एक कमेटी तैयार है जो इस तरह के केसेज देखती है। माननीय सदस्य ने जो बात आपके माध्यम से पूछी है, मैं कहना चाहती हूं कि हम जल्दी ही एक विधेयक लाना चाह रहे हैं। उसके कुछ विषयों पर दूसरे मंत्रालय और विभाग से *...(व्यवधान)* लॉ मिनिस्ट्री से अभी बातचीत चल रही है। जैसे ही वह होगा, हम दूसरा विधेयक लाकर इन तमाम आर्गनाइज्ड और अनआर्गनाइज्ड सैक्टर में जो कमेटी बनाएंगे, उसमें इस तरह के केसेज को देखा जाएगा और उसका पूरा निपटारा किया जाएगा।

**अध्यक्ष महोदया:** आप दूसरा सप्लीमैंट्री पूछिये।

**डॉ. विनय कुमार पाण्डेय:** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पिछड़े, आदिवासी और जनजाति बहुल इलाकों से प्राइवेट एजेंसियों द्वारा नारियों को घरेलू नौकरानी के रूप में कुछ शातिर दिमाग के लोग ला रहे हैं, उन्होंने इसको एक धंधा बना लिया है। उन नौकरानियों का शोषण होता है। क्या इसे रोकने के लिए भी इस विधेयक में उचित प्रावधान होंगे, या उन पिछड़े इलाकों से लोगों को लाकर प्राइवेट आर्गनाइजेशंस द्वारा नौकरियों में रखा जा रहा है, उनके रजिस्ट्रेशन की कोई व्यवस्था होगी? क्या इस विधेयक में इसका कोई प्रावधान होगा?

**श्रीमती कृष्णा तीरथ:** अध्यक्ष महोदया, जैसे मैंने पहले बताया, यह विधेयक लाया जा रहा है। यह अनआर्गनाइज्ड और आर्गनाइज्ड

दोनों सैक्टर्स में काम करेगा। जो उन्होंने कहा कि घरेलू नौकरानियों को रखा जाएगा, उनका भी इसमें प्रावधान रखा जाएगा।

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न संख्या 22, श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी।

*[अनुवाद]*

**मुद्रास्फीति**

+

***22. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:**
**श्री अनंत कुमार हेगड़े:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जून 2009 में मुद्रास्फीति की दर ऋणात्मक हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में मुद्रास्फीति का थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) से मापा जाता है न कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या पिछले कुछ महीनों में थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट आने के बावजूद चीनी, चाय, दालें, अनाज आदि के फुटकर मूल्य में भारी वृद्धि हुई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन महीनों के दौरान मूल्यों में अन्तर के क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी):** (क) से (छ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*विवरण*

(क) और (ख) थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) द्वारा मापित वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति 6 जून और 13 जून, 2009 को समाप्त सप्ताहों में 1.6 प्रतिशत और 1.1 प्रतिशत ऋणात्मक थी जबकि जून, 2008 के तदनुरूप सप्ताहों में यह क्रमश: 11.7 प्रतिशत और 11.8 प्रतिशत थी।

(ग) और (घ) मुद्रास्फीति का आकलन करने के लिए भारत में थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) दोनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन डब्ल्यूपीआई जो साप्ताहिक आधार पर जारी किया जाता है, थोक बाजार में व्यापारित मदों के अर्थव्यवस्था व्यापी कवरेज, कम समय अंतराल और एकल सकल सीपीआई के अभाव के कारण मुख्य मुद्रास्फीति का पैमाना है। सीपीआई के चार रूप नामश: औद्योगिक कामगारों के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू, शहरी श्रमिकेतर कर्मचारियों के लिए सीपीआई-यूएनएमई, कृषि श्रमिकों के लिए सीपीआई-एएल और ग्रामीण श्रमिकों के लिए सीपीआई-आरएल समूह-विशिष्ट हैं और ये विभिन्न संदर्भ जनसंख्या समूहों द्वारा अर्जित, प्रयुक्त या उपभोग के लिए अदा की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों के स्तर में होने वाले परिवर्तनों को मापता है। सीपीआई माह-वार आधार पर जारी किये जाते हैं जिसमें प्रत्येक सूचकांक के संघटन और मद-वार भारांशों में काफी भिन्नता रहती है।

(ङ) और (च) उपभोक्ता मामले विभाग 14 आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्यों को मॉनीटर करता है। अभी हाल के समय में दिल्ली में इन वस्तुओं के खुदरा मूल्य और 2009-10 में इनमें से कुछ वस्तुओं की डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति नीचे सारणियों में दर्शायी गयी है:

*सारणी 1: दिल्ली में वास्तविक खुदरा-मूल्य*

| क्र.सं. | वस्तु | वर्तमान मूल्य 26.6.2009 | वास्तविक खुदरा मूल्य (रु./किग्रा.) | | | | एक वर्ष में मूल्य में हुआ परिवर्तन (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | एक माह पूर्व 26.5.2009 | तीन माह पूर्व 26.3.2009 | छह माह पूर्व 26.12.2008 | एक वर्ष पूर्व 26.6.2008 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | चावल | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 5.26 |
| 2. | गेहूं | 13 | 14 | 13.5 | 13 | 13 | 0.00 |
| 3. | आटा | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | चना | 34 | 34 | 33 | 35 | 35 | −2.86 |
| 5. | तूर/अरहर | 66 | 61 | 52 | 50 | 42 | 57.14 |
| 6. | चीनी | 27 | 27 | 24 | 21 | 17 | 58.82 |
| 7. | दूध (रु./प्रति लीटर) | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 5.00 |
| 8. | मूंगफली का तेल | 106 | 109 | 101 | 111 | 123 | −13.82 |
| 9. | सरसों का तेल | 66 | 70 | 63 | 77 | 83 | −20.84 |
| 10. | वनस्पति घी | 55 | 56 | 51 | 56 | 74 | −25.68 |
| 11. | चाय (खुली) | 144 | 146 | 138 | 143 | 121.5 | 18.52 |
| 12. | नमक (आयोडीनयुक्त) | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 20.00 |
| 13. | आलू | 16 | 11 | 9 | 8 | 9.5 | 68.42 |
| 14. | प्याज | 14 | 11 | 16 | 20 | 10 | 40.00 |

*सारणी 2: डब्ल्यूपीआई संदर्भ में वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति*

| | डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति: समग्र बनाम आवश्यक वस्तुएं (%) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वस्तुएं | समग्र | चावल | गेहूं | मोटे अनाज | दालें | आलू | प्याज | खाद्य तेल | चाय | चीनी |
| भारांश | 100.0 | 2.45 | 1.38 | 0.57 | 0.6 | 0.26 | 0.09 | 2.76 | 0.16 | 3.62 |
| 4 अप्रैल-09 | 0.83 | 14.42 | 4.54 | 11.47 | 9.20 | 9.20 | 40.50 | −8.46 | 18.21 | 24.18 |
| 11 अप्रैल-09 | 0.96 | 13.62 | 4.18 | 13.96 | 12.75 | 13.01 | 35.42 | −6.37 | 16.98 | 25.45 |
| 18 अप्रैल-09 | 1.62 | 14.99 | 6.86 | 15.24 | 15.97 | 17.92 | 30.59 | −5.51 | 16.79 | 29.30 |
| 25 अप्रैल-09 अ. | 0.70 | 13.36 | 6.31 | 13.35 | 14.32 | 14.61 | 36.33 | −3.55 | 9.57 | 25.43 |
| 2 मई-09 अ. | 0.48 | 13.72 | 6.51 | 15.01 | 14.82 | 19.04 | 43.37 | −2.83 | 15.65 | 28.14 |
| 9 मई-09 अ. | 0.61 | 14.58 | 6.56 | 16.36 | 14.87 | 25.81 | 41.77 | −1.70 | 30.18 | 29.89 |
| 16 मई-09 अ. | 0.61 | 14.52 | 7.46 | 16.73 | 14.38 | 21.89 | 68.23 | −3.48 | 42.57 | 29.97 |
| 23 मई-09 अ. | 0.48 | 14.66 | 7.57 | 18.27 | 15.35 | 20.26 | 60.01 | −5.21 | 48.44 | 31.00 |
| 30 मई-09 अ. | 0.13 | 15.62 | 6.89 | 17.17 | 15.09 | 35.46 | 54.83 | −7.24 | 47.42 | 31.27 |
| 6 जून-09 | −1.61 | 16.11 | 6.94 | 19.34 | 16.77 | 44.77 | 28.31 | −7.62 | 46.08 | 32.91 |
| 13 जून-09 अ. | −1.14 | 15.92 | 6.80 | 17.64 | 17.06 | 45.77 | 29.83 | −9.72 | 42.34 | 33.33 |

अ: अनंतिम

(छ) डब्ल्यूपीआई प्राथमिक वस्तुओं (भारांश=22.2%), ईंधन, विद्युत और प्रकाश (भारांश=14.23%) तथा विनिर्मित उत्पादों (भारांश=63.75%) के तीन वस्तु समूहों में मौजूद 435 वस्तुओं का भारित औसत होता है। समग्र मुद्रास्फीति में तेजी से हुई कमी ईंधन समूह में हुई भारी गिरावट और विनिर्मित उत्पादों के समूह में हुई अपेक्षाकृत कम गिरावट, जो वर्ष 2008 की तदनुरूप अवधि में उच्च सांख्यिकीय आधार से उपजी थी, के कारण हुई थी।

सरकार मूल्य स्थिति को नियमित रूप से मॉनीटर करती है और मूल्य स्थिरता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए किये गये उपायों में ये शामिल हैं: खाद्यान्नों के निर्यात और वायदा-व्यापार पर चयनात्मक प्रतिबंध, चुनिंदा खाद्य मदों पर शून्य आयात शुल्क, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत खाद्य वस्तुओं की लाइसेंसिंग, स्टाक सीमाओं और आवाजाही पर लगी रोक को हटाना, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दालों और चीनी का आयात करने की अनुमति देना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये आयातित दालों और खाद्य तेलों का वितरण और गैर-लेवी चीनी का अधिक कोटा जारी करना। खाद्यान्नों की ऊंची कीमतों की एक बड़ी वजह हाल के वर्षों में घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों में भारी वृद्धि कर रही है।

**श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:** माननीय अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद।

महोदया, माननीय मंत्री ने आंकड़ों के साथ बहुत विस्तृत उत्तर दिया है। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि उन्होंने अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए सभी उपाय किये जिसमें खाद्यान्नों इत्यादि में निर्यात और वायदा व्यापार पर चयनात्मक प्रतिबंध शामिल हैं।

मुझे लगता है कि सरकार को स्फीति की गणना की प्रणाली को तत्काल बदलने की आवश्यकता है। मंत्रालय जानता है कि मुद्रास्फीति की गणना की विद्यमान प्रणाली में कमियां हैं। सरकार को विकसित देश की अर्थव्यवस्थाओं की प्रणालियों को अपनाना चाहिए। जब हम पश्चिम की कई चीजों को अपना रहे हैं तो उनके द्वारा अपनाई गई प्रणाली को क्यों न अपनाएं? भारत में मुद्रा स्फीति-दर के आकलन के लिए थोक मूल्य सूचकांक प्रणाली को अपनाया जा रहा है, जबकि अधिकांश विकसित देश मुद्रा स्फीति-दर के आकलन के लिए अपने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अपनाते हैं। महोदया, क्या मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जान सकती हूं कि क्या मंत्रालय स्फीति के आकलन के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अपनाएगा? यह मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न है।

**श्री प्रणब मुखर्जी:** महोदया, यह सही है कि ज्यादातर देशों ने मानक सूचकांक के रूप में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को स्वीकार किया है, और उन्होंने एक एकीकृत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अपनाया है। उनके विकास के स्तर ने उनके लिए एकल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को सुकर बनाया है। भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश की जनसंख्या एक मिलियन से अधिक नहीं है। अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्ययन के अनुसार, न केवल भारत बल्कि 24 अन्य देश भी मुद्रास्फीति के आकलन के लिए थोक मूल्य सूचकांक को अपना रहे हैं। यह कहना ठीक नहीं है कि हमारे यहां उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नहीं है बल्कि हमारे यहां उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हैं क्योंकि हमारे यहां लोग विभिन्न क्षेत्रों-शहरी और ग्रामीण-में रहते हैं। हमारे यहां चार तरह के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हैं। एक औद्योगिक कामगारों के लिए हैं। दूसरा कृषि मजदूरों के लिए है। तीसरा उन लोगों के लिए है, जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं-अर्थात् शहरी गैर-कामगार कर्मचारियों के लिए है, जिनमें मुख्यत: सरकारी कर्मचारी और वाणिज्यिक कर्मचारी शामिल हैं। चौथा सूचकांक कृषि मजदूरों के अलावा ग्रामीण मजदूरों के लिए है। प्रत्येक विशिष्ट समूह की उपभोग पद्धति भिन्न है। पश्चिम और विकसित देशों से भिन्न, उपभोग पद्धति समान नहीं है। अत:, हमारे यहां दोनों प्रकार के सूचकांक हैं। हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माह के अंत में और थोक मूल्य सूचकांक सप्ताह के अंत में जारी करते हैं।

थोक मूल्य सूचकांक को स्वीकार करने का औचित्य यह है कि इसमें बहुत सारी वस्तुओं को शामिल किया जाता है। इसमें 400 से अधिक वस्तुएं शामिल हैं जिन्हें थोक बाजार में दर्शाया जा रहा है। लेकिन सुधारों के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन यह देखे कि क्या हम कम-से-कम दो उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों को एक साथ ले सकते हैं। अत:, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन को यह जांच करने का आदेश दिया गया है कि इन ग्रामीण सूचकांक और शहरी सूचकांक को एक साथ लाया जा सकता है। वे इस पर कार्य कर रहे हैं। उन्हें अंतिम निर्णय लेने में समय लग सकता है क्योंकि उन्हें लोगों की संख्या और उपभोग पद्धति की किस्में समझने में समय लगेगा।

**श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:** थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अंतर है। लोगों को हैरानी है कि स्फीति के आंकड़े शून्य हैं जबकि वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। यहां तक कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार पैनल के अध्यक्ष डा. सुरेश तेन्दुलकर ने भी कहा था कि मुद्रास्फीति के आंकड़ों की गणना के मानक उपाय के रूप में थोक मूल्य सूचकांक संतोषजनक नहीं है।

अत:, क्या सरकार मुद्रास्फीति के आंकड़ों की गणना हेतु ग्रामीण और शहरी जनता के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य

सूचकांक की शुरुआत करेगी और थोक मूल्य सूचकांक को समाप्त करेगी?

**श्री प्रणब मुखर्जी:** महोदया, मैंने उनके प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दे दिया है कि केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन इन दोनों सूचकांकों (एक शहरी क्षेत्रों और दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) के विलयन के मामले पर विचार कर रहा है और एक तंत्र विकसित कर रहा है। किन्तु इसमें कुछ समय लगेगा।

यह सही है जैसाकि उन्होंने अपने पहले अनुपूरक प्रश्न में कहा कि थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच अन्तर है। दुर्भाग्यवश वित्तीय वर्ष 2008-09 अनिश्चिततापूर्ण रहा है। जहां तक मूल्यवृद्धि का संबंध है। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि वित्तीय वर्ष 2008-09 की पहली छमाही में सभा में काफी शोर-शराबा हुआ था और अनेक चर्चाएं हुई थीं। थोक मूल्य सूचकांक, शीर्ष मूल्य वृद्धि ('हेडलाइन प्राइस इनफ्लेशन') में बढ़ोत्तरी हुई क्योंकि पूरी दुनिया के लिए यह समय खराब था। इस दौरान खाद्य संकट और वस्तुओं का अभाव था। तत्पश्चात् अगस्त में कच्चे तेल की कीमतें (ऊर्जा मूल्य) 147 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। तत्पश्चात् सितम्बर, 2008 से दूसरी छमाही में परिस्थितियों में तेजी से परिवर्तन हुआ। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। कच्चे तेल की कीमत, जो वर्ष के मध्य में 147 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, उसमें तेजी से गिरावट आई। मेरे सहयोगी माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने भी कल कहा था कि जब जनवरी में कच्चे तेल की कीमत 40 डॉलर प्रति बैरल तक आ गई थी, तो हमने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें कम कर दी थी। मिट्टी के तेल के बारे में मूल्य बढ़ोत्तरी का प्रश्न ही नहीं था, अत: उसमें कोई कटौती नहीं की गई थी। उसका मूल्य यथावत् ही रहा। लेकिन पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में कटौती की गई थी।

इस वर्ष मैं स्वीकार करता हूं। सामान्यत: यह निश्चित समयावधि में होता है लेकिन थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में काफी उतार-चढ़ाव रहा। इनका दो माह अथवा तीन माह की समयावधि में विलय होता है और तत्पश्चात् वे एक समान हो जाते हैं। कभी-कभी यह अवधि कम भी होती है।

लेकिन दुर्भाग्यवश, इस वर्ष अनेक कारणों से ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी कमी आ रही है।

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत कुमार हेगड़े:** अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो ब्यौरा दिया है, यह थोड़ा गुमराह करने वाला दिखाई देता है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ऊषा थोरट जी ने कुछ दिन पहले कोलकाता में कहा है कि हम लोग अपने देश में जो स्माल सेविंग्स करते हैं, उसका इंटरस्ट आठ प्रतिशत देते हैं, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दस प्रतिशत से ज्यादा जा रहा है। यह डिफरेंस क्यों हैं? हम क्या करना चाहते हैं, क्या हमने स्माल सेविंग्स करने वाले लोगों की स्थिति का अध्ययन किया है? हम एफडीआई के बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर नेशनल डोमेस्टिक स्माल सेविंग्स के बारे में ध्यान नहीं देंगे तो इसका क्या परिणाम होगा? *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत कुमार हेगड़े:** अध्यक्ष महोदया, मैंने प्रश्न ही पूछा है। हम वित्त मंत्री जी से अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं कि हमारे प्रश्न का क्या उत्तर है।

*[अनुवाद]*

**श्री प्रणब मुखर्जी:** मैं कोई अन्य आंकड़े देकर सभा को गुमराह नहीं कर रहा हूं। माननीय सदस्य का प्रश्न बिलकुल अलग है। यहां प्रश्न मुद्रास्फीति का है। यदि माननीय सदस्य उत्तर पढ़ते हैं, तो देखेंगे कि वहां दो सूचकांक हैं। जैसाकि मैंने पहले उल्लेख किया कि भारत में पांच सूचकांक हैं। मैं सभा का बहुमूल्य समय बचाने के लिए उन्हें दोहराना नहीं चाहता। चार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हैं और एक थोक मूल्य सूचकांक है। यह प्रश्न उससे संबंधित है। लघु बचतों को बढ़ावा देने तथा अन्य प्रश्नों से संबधित सभी मामलों का उत्तर मैं अभी, अर्थात् वार्षिक बजट प्रस्तुत करने की पूर्व संध्या पर नहीं दे सकता। माननीय सदस्य इस प्रश्न को किसी अन्य अवसर पर उचित रीति से तैयार करके पूछ सकते हैं। उनका यह प्रश्न मुख्य प्रश्न की विषयवस्तु से बिल्कुल अलग है।

**श्री प्रबोध पांडा:** अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय से उसका कारण जानना चाहता हूं। प्रश्न में भी यह भाग (ग) और (घ) में है, नामत: ''क्या भारत में मुद्रास्फीति का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से नहीं अपितु थोक मूल्य सूचकांक द्वारा किया जाता है; (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण बताइए''; अत: मैं मुद्रास्फीति निर्धारण के लिए थोक मूल्य सूचकांक की बजाय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर विचार किये जाने का कारण जानना चाहता था। इसका क्या कारण था? अब तक इस प्रक्रिया को क्यों अपनाया जा रहा है?

**श्री प्रणब मुखर्जी:** महोदया, मैंने अपने वक्तव्य में यह पहले ही बता दिया है। मैंने सभी मुद्दों को स्पष्ट करते हुए व्यापक वक्तव्य दिया है। यदि माननीय सदस्य उत्तर को ध्यानपूर्वक देखें, तो विवरण के दूसरे पैरा 'ग' और 'घ' में उन्हें इसका उत्तर मिल जाएगा। जैसाकि मैंने बताया, ''उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को सूचकांक के संयोजन तथा सूचकांक मद-वार मूल्य के साथ मासिक आधार पर जारी किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक सूचकांक में विविध मदें जैसे ग्रामीण कामगारों हेतु सीपीआई, औद्योगिक कामगारों हेतु सीपीआई, कृषि श्रमिकों हेतु सीपीआई, मशीनों पर काम करने वाले गहरी कर्मचारियों हेतु सीपीआई-यूएनएमई होती हैं। इन सूचकांकों की मदें अलग-अलग होती हैं। अत: सीपीआई भी भिन्न होगी। मैने पहले ही उत्तर दे दिया है कि हम एक सूचकांक पर ही क्यों विचार नहीं कर रहे हैं।

**श्री सुदीप बंदोपाध्याय:** महोदया, मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न यह है। महंगाई धीरे-धीरे आसमान को छू रही हैं। अत: हमें नहीं पता यह महंगाई कहां जाकर रूकेगी। सामान्यत: पूरे देश में जमाखोरी और काला-बाजारी करने वाले, महंगाई बढ़ने का एक मुख्य कारण होते है। संप्रग सरकार ने शुरुआती चरण में सभी राज्य सरकारों को एक परिपत्र जारी किया था कि जमाखोरी को प्रतिबंधित करने संबंधी अभियान प्राथमिकता से शुरू किये जाने हैं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या जमाखोरी प्रतिबंधित करने संबंधी अभियान देश के सभी राज्यों में शुरू किये गये हैं।

महोदया, मेरे प्रश्न का भाग ख यह है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल, जहां पार्टी नेताओं और कालाबाजारी तथा जमाखोरी करने वालों के बीच सांठ-गांठ है, वहां सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई है *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** कृपया केवल एक प्रश्न पूछिए। आपने एक प्रश्न पूछ लिया है।

*...(व्यवधान)*

**श्री सुदीप बंदोपाध्याय:** महोदया, 'क' और 'ख' भाग में एक ही प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** कृपया केवल एक प्रश्न पूछिए।

**श्री सुदीप बंदोपाध्याय:** महोदया, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या देश के सभी राज्यों ने जमाखोरी को प्रतिबंधित करने संबंधी अभियान चलाने हेतु जारी परिपत्र को लागू कर दिया है और क्या पश्चिम बंगाल राज्य में राजनीतिज्ञों और जमाखोरी तथा कालाबाजारी करने वालों के बीच कोई सांठ-गांठ है और क्या इन्होंने जमाखोरी को प्रतिबंधित करने संबंधी अभियान को किसी भी स्तर अथवा किसी भी पैमाने पर शुरू करने संबंधी प्रक्रिया अथवा कार्यवाही की अनुमति नहीं दी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय के पास ऐसी कोई जानकारी है कि विशेषकर पश्चिम बंगाल में जमाखोरी को प्रतिबंधित करने संबंधी कोई अभियान शुरू किया गया है *...(व्यवधान)*

**श्री प्रबोध पांडा:** महोदया, यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। यह जमाखोरी को रोकने के लिए है। मुख्य प्रश्न मुद्रास्फीति से संबंधित है *...(व्यवधान)*

**श्री प्रणब मुखर्जी:** अध्यक्ष महोदया, मुद्रास्फीति के कई कारण हैं *...(व्यवधान)* मुझे प्रश्न का उत्तर देने दीजिए *...(व्यवधान)*

**श्री सुदीप बंदोपाध्याय:** यह निर्णय आपको नहीं करना *...(व्यवधान)*

**श्री प्रणब मुखर्जी:** मुझे उत्तर देने दीजिए *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** माननीय मंत्री उत्तर दे रहे हैं। कृपया बैठ जाइए। माननीय मंत्री उत्तर दे रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

**श्री प्रणब मुखर्जी:** महोदया, मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा। मेरा मानना है कि मुद्रास्फीति के कई कारण है। निस्संदेह इसका मूल आर्थिक कारण मांग और आपूर्ति के बीच असन्तुलन है। यह असन्तुलन कैसे आता है। इसके कई कारण हैं। इसका एक कारण यह है कि आवश्यक खाद्यान्न मदों के खरीद मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि होने के कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बढ़ोत्तरी हुई है।

यदि आप वर्ष 2003-04 में गेहूं और धान के खरीद मूल्य की तुलना वर्ष 2008-09 से करेंगे तो आपको इसका पता चल जाएगा। पिछले चार वर्षों में गेहूं का मूल्य 350 रु. प्रति क्विंटल बढ़ा है और यहां तक धान का संबंध है इसमें 300 रु. प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। इसका प्रभाव वस्तुओं की उपलब्धता पर पड़ेगा। इसके अलावा कभी कभी इनकी कमी भी हो जाती है। इसके लिए सरकार के पास हमेशा से एक तंत्र रहा है। यह तंत्र कम आपूर्ति की स्थिति में आयात के माध्यम से आपूर्ति बढ़ाकर मांग की है आपूर्ति के बीच सन्तुलन बनाना है।

जमाखोरी रोकने संबंधी कार्यवाही के बारे में माननीय सदस्य के प्रश्न के संगत भाग के संबंध में यह सत्य है। स्थिति यह थी कि एक समय में केन्द्र ने यह शक्ति राज्यों से ले ली थी। तीन साल पहले हमने यह शक्ति वापिस राज्य को लेने के लिए कहा और यह व्यक्ति वापस राज्यों को दी गई तथा राज्यों से जमाखोरी रोकने संबंधी कार्यवाही करने के लिए कहा गया। परंतु अध्यक्ष

महोदया, मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि यह प्रभावी नहीं हुआ है। अधिकांश राज्यों ने अभी तक जमाखोरी रोकने संबंधी कार्यवाही शुरू नहीं की है।

**श्री मनीष तिवारी:** अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यह चिंता बार-बार व्यक्त की गई है कि थोक मूल्य सूचकांक जो मुद्रास्फीति का मानदण्ड माना जाता है कभी-कभी मुद्रास्फीति की सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता। क्या माननीय मंत्री का यह मानना है कि अब हमें थोक मूल्य सूचकांक को तैयार करने की प्रक्रिया पर पुन: विचार करना चाहिए ताकि वह देश में मुद्रास्फीति की वास्तविक तस्वीर दिखा सके।

**श्री प्रणब मुखर्जी:** महोदया, मैं प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं। अत: इसकी पुन: समीक्षा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हमें इसकी समीक्षा करने का निर्णय पहले ही ले चुके हैं। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन को यह कार्य सौंपा गया है। यह निर्णय 2001 में लिया गया था। परंतु यह आसान कार्य नहीं है तथा इसमें शामिल विभिन्न समूहों के उपभोग के अलग-अलग तरीकों में देखते हुए इस पर रातों-रात निर्णय करना बहुत मुश्किल हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री मुलायम सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदया, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। अभी माननीय नेता सदन ने कहा कि किसान के गेहूं और धान की कीमत ज्यादा बढ़ गई है। मैं आपके माध्यम से उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि उनकी सरकार की रिपोर्ट है कि एक क्विंटल गेहूं पैदा करने में 900 रुपए खर्च होते हैं। आपकी सरकार की रिपोर्ट है, सरकार द्वारा गठित कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट है कि एक हजार रुपया खर्च होता है तो एक क्विंटल धान पैदा होता है। इसके अनुसार क्या आप बताएंगे कि किसान को कितना घाटा हो रहा है? आप कह रहे हैं कि किसान के धान और गेहूं की कीमत बढ़ गई, जबकि कीमत घटी है। आपके कृषि मूल्य आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि लागत खर्चे पर 50 फीसदी ज्यादा मूल्य किसान को मिलना चाहिए। क्या उसके अनुसार आप 1375 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं की कीमत किसान को देंगे और क्या 1500 रुपये प्रति क्विंटल धान की देंगे, क्योंकि आप द्वारा गठित कृषि मूल्य आयोग ने रिपोर्ट दी है, जो आपके पास है कि किसान को घाटा हो रहा है, किसान बर्बाद हो रहा है? आज माननीय नेता सदन ने जवाब दिया है कि किसान की गेहूं और धान की कीमत बढ़ गई है, जबकि वह बढ़ी नहीं है। क्या नेता सदन में यह बताने की कृपा करेंगे कि जो कृषि मूल्य आयोग ने कहा है कि 50 फीसदी लागत खर्चे से ज्यादा देंगे, क्या उसके अनुसार 1375 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं और 1500 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत किसान को देंगे?

*[अनुवाद]*

**श्री प्रणब मुखर्जी:** महोदया, यह प्रश्न मुख्यत: कृषि मंत्रालय से संबंधित है। यह निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है।

*[हिन्दी]*

**श्री मुलायम सिंह यादव:** मैंने गेहूं और धान की कीमत की बात की है। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** आप कृपया बैठ जाइए।

*[अनुवाद]*

**श्री प्रणब मुखर्जी:** यह प्रश्न प्रासंगिक है परन्तु मैं यह प्रश्न मेरे सहकर्मी कृषि मंत्री की ओर बढ़ाता हूं। मैं माननीय सदस्य, जो एक महत्वपूर्ण नेता और जिन्हें प्रशासन को अच्छा अनुभव है को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि प्रत्येक वर्ष कृषि संबंधी वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण करने से पहले हम कृषि मूल्य आयोग और अन्य संबंधित निकायों के द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करते हैं। मैं सभा को आंकड़े बताकर बोझिल नहीं करना चाहूंगा परंतु उन सभी पर विचार करते हुए और जिस प्रकार के रूझान उभरकर सामने आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए अधिकांशत: ऐसा होता है कि हम उनकी सिफारिशों से आगे निकलकर इसमें वृद्धि करते हैं ताकि किसानों के दिनों की सुरक्षा की जा सके। जब हमने यह किया तो गत वर्ष अनाज का उत्पादन 30 मिलियन टन से अधिक हुआ *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** आप कृपया बैठ जाइए। श्री अनंत कुमार।

**श्री अनंत कुमार:** महोदया, माननीय वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार विभिन्न उपायों के माध्यम से मूल्य स्थिति की निगरानी करती है। उन्होंने क्या है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रित करने संबंधी उपायों में खाद्य वस्तुओं के निर्यात और वायदा कारोबार पर चुनिंदा पाबंदियां कुछ खाद्य पदार्थों पर शून्य आयात शुल्क आदि उपाय शामिल हैं। महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से स्पष्टतया यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या कल ही पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में जो वृद्धि की गई है उसका मुद्रास्फीति विशेषकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर क्रमिक प्रभाव पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार माननीय सभा को यह आश्वासन देगी कि वह स्थिति की गंभीरता और सम्पूर्ण देश के किसानों तथा आम आदमी समक्ष आने वाली कठिनाइयों पर ध्यान देगी तथा पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में की गई वृद्धि को वापस लेगी।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या वे कीमतें घटा रहे हैं या नहीं। कृपया उन्हें कहने दें, क्योंकि वह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वृद्धि के प्रमुख कारणों में से एक है।

**अध्यक्ष महोदया:** यह प्रश्न पेट्रोलियम मंत्री के लिए है।

*...(व्यवधान)*

**श्री प्रणब मुखर्जी:** महोदया, यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

**अध्यक्ष महोदया:** हां।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** हम अगला प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न सं. 23- श्री गणेश सिंह।

*...(व्यवधान)*

**श्री अनंत कुमार:** महोदया, यह सभा के नेता भी हैं *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** उन्होंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। श्री गणेश सिंह।

*...(व्यवधान)*

**श्री प्रणब मुखर्जी:** महोदया, जो प्रश्न मुझे संबोधित किये गये हैं उनका उत्तर मैं वित्त मंत्री की हैसियत से दे रहा हूं। जब कुछ अवसरों पर सभा के नेता की हैसियत से प्रश्न का उत्तर देना होगा तो मैं दे दूंगा। लेकिन यह अवसर नहीं है *...(व्यवधान)*

**श्री अनंत कुमार:** महोदया, यह प्रश्न नहीं है *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** नहीं। प्रश्न संख्या 23-श्री गणेश सिंह।

*[हिन्दी]*

**विदेशी पर्यटकों का आगमन**

*23. **श्री गणेश सिंह:**
**श्रीमती सुप्रिया सुले:**

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में कितने विदेशी पर्यटक आए तथा उनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन में कमी आयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने तथा संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

***विवरण***

(क) से (ग) वर्ष 2006, 2007 और 2008 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) और पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय (एफईई) निम्नानुसार था:

| वर्ष | विदेशी पर्यटक आगमन (मिलियन में) | विदेशी मुद्रा आय (यूएस $ मिलियन) |
|---|---|---|
| 2006 | 4.45 | 8634 |
| 2007 | 5.08 | 10729** |
| 2008 | 5.37* | 11747# |

*अनंतिम अनुमान
**संशोधित अनुमान
#अग्रिम अनुमान

जनवरी-मई, 2009 के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन में, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10.6% की कमी देखी गई। तथापि, मई, 2009 के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन की वृद्धि दर में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में केवल 1.9% की कमी आई है। विदेशी पर्यटक आगमन में यह कमी वैश्विक आर्थिक मंदी और आतंकी हमले सहित अनेक कारणों की वजह से हो सकती है।

(घ) भारत की ओर विदेशी पर्यटकों को और अधिक आकर्षित करने तथा पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं:

* भारत में यात्रा को प्रोत्साहक बनाने के लिए एयरलाइनों, होटलों, यात्रा प्रचालकों, राज्य सरकारों सहित सभी स्टेकहोल्डरों के साथ समन्वय से ''विजिट इंडिया 2009'' योजना की घोषणा की गई है।

* बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना के अंतर्गत विदेश में संवर्धनात्मक गतिविधियां चलाने के लिए अनुमोदित सेवा प्रदाताओं को प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता में वृद्धि की गई है। योजना के अंतर्गत पूर्व दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिवर्ष 2 की बजाए अब 3 व्यवसाय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। विदेशी मुद्रा आय की शर्तों में, योजना के अंतर्गत पात्रता की सीमा भी 10.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20.00 करोड़ रुपये कर दी गई है।

* बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन एवं प्रदर्शनी (एमआईसीई) पर्यटन को बढ़ावा देने के विचार से एमडीए योजना के स्कोप में वृद्धि की गई है, ताकि इसमें इंडिया कन्वेंशन प्रोमोशन ब्यूरो (आईसीपीबी) के सक्रिय सदस्यों को शामिल किया जा सके। आईसीपीबी के ''सक्रिय सदस्यों'' को इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जाएगी जो अंतर्राष्ट्रीय समागमों/सम्मेलनों के लिए बोली के बाद भारतीय संघ/सोसाईटियों द्वारा की जाएगी, बशर्ते कि वे बोली जीतें अथवा बोलीकर्ताओं में द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करे।

* वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंत तक बड़े अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मेलों एवं प्रदर्शनियों में स्थापित भारतीय दीर्घाओं के लिए पर्यटन मंत्रालय तथा विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों द्वारा भागीदारी शुल्क में 25 प्रतिशत का अधिक इमदाद प्रदान किया जा रहा है।

* सभी राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने संबंधित राज्यों में होटलों तथा पर्यटक स्थलों में सुरक्षा उपायों में वृद्धि करें।

* देश में सुरक्षा/संरक्षा की स्थिति के संबंध में यथार्थ वास्तविकता को प्रदर्शित करने के लिए मुंबई तथा देश के अन्य क्षेत्रों में व्यवसाय एवं मीडिया प्रतिनिधियों के लिए परिचायक दौरों का विशेष रूप से आयोजन किया गया है। इस पहल के परिणामस्वरूप दिसम्बर, 2008 और जनवरी, 2009 के महीनों में यूएसए, यू.के., आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रिया, नीदरलैंड, अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, जापान, मलेशिया और सिंगापुर से व्यवसाय और मीडिया प्रतिनिधियों ने भारत का दौरा किया।

* स्वीकृत अंतिम उपभोक्ताओं के लिए विदेशी मुद्रा और/अथवा रुपए पूंजी व्यय के लिए यूएस डॉलर 100 मिलियन प्रति वर्ष तक एक्सटर्नल कॉमर्शियल बॉरोविंग्स (ईसीबी) प्राप्त करने हेतु होटल क्षेत्र में व्यावसायियों को मंजूरी दी गई है।

हाल ही में उठाये गये उपरोक्त विशेष कदमों के अलावा देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये अन्य कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

* अन्य मंत्रालयों/विभागों एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के सहयोग से पर्यटक स्थलों में पर्यटन अवसंरचना का विकास;

* विशेष रूप से बजट होटल सहित होटलों की अवसंरचना वृद्धि पर फोकस करना;

* पर्यटक आकर्षण वाले प्रमुख स्थलों में मार्गस्थ अवसंरचना में सुधार एवं हवाई क्षमता में वृद्धि के माध्यम से सम्पर्क में वृद्धि करना;

* ''इन्क्रेडिबल इंडिया'' अभियान के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया द्वारा उपभोक्ताओं तक सीधी पहुंच; और

* उभर रहे बाजारों, विशेष रूप से चीन, उत्तर पूर्व एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया पर अधिक ध्यान देना।

*[हिन्दी]*

**श्री गणेश सिंह:** माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में इस बात को स्वीकार किया है कि वर्ष 2008 की तुलना में, जनवरी से लेकर अब तक जो विदेशी पर्यटक हमारे देश में आए, उनकी संख्या काफी कम हुई है। किसी भी देश में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुविधाओं की जरूरत होती है, जैसे सुरक्षा। पिछले दिनों विदेशी पर्यटकों की जो संख्या कम हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण सुरक्षा का था, दूसरा एयर कनेक्टिविटी है, तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग ठीक न होना, वह भी एक बड़ा कारण था, चौथा उनके ठहरने की ठीक ढंग से व्यवस्था का न होना था।

**अध्यक्ष महोदया:** कृपया आप प्रश्न पूछिए।

**श्री गणेश सिंह:** अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम इस तरह के सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि उन प्रयासों की गति काफी धीमी है। उदाहरण के तौर पर मैं मध्य प्रदेश के उन पर्यटन स्थलों का नाम बता रहा हूं— खजुराहो, ओरछा, मांडू, सांची, चित्रकूट, मैहर, भोपाल, उज्जैन, भेड़ाघाट, बांधवगढ़, कान्हा, बौद्धकालीन स्थल भरौत, देउरकुठा, रीवा, गिद्धकोट, रामनगर, आदि ऐसे कई स्थान हैं, जहां विदेशी पर्यटकों का आना-जाना लगातार हो रहा है, लेकिन वहां न ठीक से एयर कनेक्टिविटी है, न ठीक सड़कें हैं, इस वजह से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे खजुराहो और सतना को पूरे देश की हवाई सेवाओं से जोड़ने का काम करायेगी?

**कुमारी सैलजा:** आपने जो बात एयर कनेक्टिविटी की कही है, क्योंकि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से यह संबंधित विषय है, उनसे हम समय-समय पर इस बारे में बात-चीत करते रहते हैं। केवल सतना की बात नहीं, पूरे देश भर में बहुत से डेस्टिनेशंस ऐसे हैं, जहां हमें एयर कनेक्टिविटी भी चाहिएं और सड़कें भी अच्छी चाहिएं। एयर कनेक्टिविटी के लिए हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहूंगी कि राज्य सरकार भी इसमें थोड़ा योगदान दे और सड़कें अच्छी बनाने के लिए वे भी थोड़ा प्रयास करें और हम भी यहां से उनकी जरूर मदद करेंगे। वे हमारे पास प्रपोजल भेजें कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन को आगे वे और ज्यादा आकर्षक बनाना चाहते हैं। हम उनकी जरूर मदद करेंगे।

**श्री गणेश सिंह:** महोदया, राज्य सरकारों के सहयोग से जिस गति से नये पर्यटन स्थलों के विकास का काम हो रहा है, मैं मानता हूं कि वह बहुत धीमा है। कई ऐसे प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थल हैं, जिनका विकास करने के लिए पूर्व में भी मैंने इस सदन में सुझाव दिया था। खास तौर पर मैं मध्य प्रदेश के उस सर्कल का नाम बताना चाहता हूं—ओरछा से लेकर खजुराहो और वाराणसी से के बीच बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं, जहां राज्य सरकार के सहयोग से उनको विकसित किया जा सकता था, लेकिन उधर भी ध्यान नहीं दिया गया। आज रेल बजट आएगा। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** कृपया आप प्रश्न पूछिए।

**श्री गणेश सिंह:** आज रेल बजट आएगा। खजुराहो में रेल लाइन है, क्या दिल्ली से सीधा खजुराहो और सतना को जोड़ने के लिए कोई शताब्दी एक्सप्रेस चलाने के लिए सिफारिश की जाएगी?

**कुमारी सैलजा:** मेरे ख्याल से हम सब रेलवे बजट का इंतजार करें, थोड़ी देर बाद देखें कि उसमें से क्या निकलता है।

*[अनुवाद]*

**श्रीमती सुप्रिया सुले:** महोदया, मेरा एक प्रश्न है। विस्तृत उत्तर देते हुए, आपने कहा है कि आप सभी राज्यों से बात करेंगी। क्या हमारे पास सभी राज्यों के साथ जिला-वार ध्यान देने की योजना और विस्तृत नक्शा है कि केन्द्र सरकार की सहायता से प्रत्येक जिला पर्यटन को कैसे बढ़ावा दे सकता है?

इसके अलावा, मेरे राज्य महाराष्ट्र में कई मामले पुरातत्व विभाग के पास लंबित हैं। क्या इस पर शीघ्र कार्यवाही भी हो सकती है ताकि हम इसका प्रयोग समुद्र तटों, पर्यटक स्थलों, रोमांचक स्थलों अर्थात् सभी स्थलों और समुद्र तटों के आस-पास रहने वाले स्थानीय लोगों की आजीविका के लिए कर सकें?

**कुमारी सैलजा:** महोदया, जहां तक पर्यटन स्थलों की बात है, महाराष्ट्र तेजी से उभर रहा है। दसवीं योजना में, हमने 800 करोड़ रुपये की 52 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। ग्यारहवीं योजना में, हमने पहले ही महाराष्ट्र राज्य के लिए 500 करोड़ से अधिक की आठ परियोजनाओं की स्वीकृति की है। इनमें दो मुख्य परिक्षेत्र- एक विदर्भ तथा दूसरा औरंगाबाद में है। तथापि, यदि राज्य से कोई अन्य परियोजना भेजी जाती है तो मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करती हूं कि हम अपनी योजना के अंतर्गत इन पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे। यदि यह माननीय सदस्य के स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र से है तो हम निश्चित रूप से अपनी योजना के अंतर्गत इस पर विचार करेंगे।

**श्री अधीर चौधरी:** महोदया, जहां तक देश में रोजगार की बात है, हम जानते हैं कि पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावना है। हमारे सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 6 प्रतिशत तथा रोजगार में नौ प्रतिशत है। उत्तर से, यह पता चला है कि वर्ष 2006 में विदेशी पर्यटकों की संख्या 45.5 मिलियन से वर्ष 2008 में 53.7 मिलियन हो गई है। निस्संदेह इसमें थोड़ी वृद्धि हुई है।

हमारे देश में वर्ष 2010 में होने वाले राष्ट्रमण्डल खेलों को ध्यान में रखकर, वर्ष 2010 में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या का लक्ष्य लगभग 10 मिलियन रखा गया है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदया से जान सकता हूं कि क्या सरकार आने वाले विदेशी पर्यटकों की लक्षित संख्या में संशोधन करने जा रही है, ताकि हम अनुमान लगा सकें कि क्या लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता मिलेगी या नहीं?

**कुमारी सैलजा:** हां, निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि राष्ट्रमण्डल खेलों के दौरान और अधिक संख्या में विदेशी पर्यटक आएंगे। इस वर्ष के पहले कुछ महीनों में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में थोड़ी कमी आई थी, परंतु हम उस कमी को रोकने में कामयाब रहे हैं और आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। मुझे विश्वास है कि इसकी संख्या विशेषकर नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्रमण्डल खेलों के दौरन और अधिक बढ़ेगी। हम आशा करते हैं कि राष्ट्रमण्डल खेलों को देखने कम से कम एक लाख पर्यटक आएंगे।

**श्री अधीर चौधरी:** लक्ष्य क्या है और इसमें संशोधन किया गया था अथवा नहीं?

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते:** अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि विदेशी पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण 26/11 को मुम्बई में आतंकी

हमला होना है। यह सवाल पर्यटन मंत्रालय से है। मैं यहां आतंकी हमले के बारे में सवाल नहीं करूंगा, लेकिन मंत्री जी से एक बात जानना चाहूंगा कि उसके बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या आपके मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा के बारे में कोई उपाय किए हैं? यदि किए हैं तो वे क्या हैं?

**कुमारी सैलजा:** मैडम, मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में काफी लम्बा जवाब दिया है। गृह मंत्रालय से हमारी बातचीत हुई है। मुझसे पहले जो मंत्री जी थे, उनकी भी बातचीत हुई थी। हमारा मंत्रालय लगातार गृह मंत्रालय के साथ इस बात पर डिस्कशन करता है। मुम्बई में ब्लास्ट हुआ, केवल उससे फर्क नहीं पड़ा, इकोनामिक स्लो-डाउन भी था जिसके कारण फारेन टूरिस्ट्स एराइवल में फर्क पड़ा था। हमें दोनों चीजों को देखते हुए अपने देश में टूरिज्म को बढ़ावा देना है। गृह मंत्रालय से बातचीत हुई है। उसके अलावा विदेशों से और टूरिस्ट्स यहां आएं, उसके लिए भी हम जो अनेक कार्य कर रहे हैं, मूल प्रश्न के उत्तर में मैंने दिखाए हैं। हम चाहेंगे कि हमारे देश में और भी फारेन टूरिस्ट्स आएं।

*[अनुवाद]*

**श्री पी. करुणाकरन:** महोदया, माननीय मंत्री महोदया द्वारा दिये गये उत्तर में यह कहा गया है कि वैश्विक मंदी का प्रभाव अन्य क्षेत्रों की तरह पर्यटन के क्षेत्र पर भी देखा गया है और सरकार ने कई उपाय किये हैं जिसका उल्लेख वक्तव्य में किया गया है। जहां तक पर्यटन की बात है मेरे विचार में अवसंरचना का विकास पर्यटन को बढ़ावा देने का बेहतर तरीका है। केरल पर्यटन राज्य है। साथ ही साथ, जहां तक अवसंरचना के विकास तथा किरायों की बाह है, पर्यटक अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। जैसाकि पहले कहा गया है, यह इस मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। मैं भी समझता हूं कि *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

**श्री पी. करुणाकरन:** इसके साथ, इस अवसंरचना के विकास के महत्व को ध्यान में रखकर क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या वे अन्य मंत्रालयों, समन्वय स्थापित करने की पहल करेंगी विशेषकर उन राज्यों के संबंध में जहां पर्यटन के विकास की संभावना है।

**कुमारी सैलजा:** हमने पहले भी ऐसा किया है और भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे।

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदया:** श्री लालू प्रसाद यादव।

**श्री लालू प्रसाद:** अध्यक्ष महोदया, हम यादव नहीं प्रसाद हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने अभी ईमानदारी से स्वीकार किया है कि विदेशी पर्यटक विगत दिनों बहुत कम आ रहे हैं। क्या आपके विभाग ने यह पता लगाया है कि गुजरात दंगों के बाद अमेरिकी शासन ने अपने नागरिकों को भारत आने से मना कर दिया था और स्पेशली कहा था कि गुजरात मत जाओ। उस बंदिश को अपलिफ्ट किया या नहीं, क्या आपने इसे पता करने की कोशिश की है?

**कुमारी सैलजा:** मैडम, जब हमारे देश में कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं तब दूसरे देशों से समय-समय पर ऐसी एडवाइजरी जारी की जाती है। विदेश मंत्रालय और टूरिस्ट आफिसेज के माध्यम से हम इसे उन देशों के साथ टेकअप करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि यह कम हो जाये, ताकि वहां से लोग ज्यादा आएं लेकिन यह आनगोइंग प्रौसेस है। बहुत देशों ने अपनी एडवाइजरी को रिवाइज किया है और यह चलता रहता है। दूसरे देशों में भी दंगे होते हैं या कुछ इंसीडेंट्स होते हैं। यह एक आनगोइंग प्रौसेस है। हमारी निरन्तर कोशिश होती है कि हम उन एडवाइजरीज के खिलाफ आवाज उठायें। *...(व्यवधान)*

**श्री लालू प्रसाद:** अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी का जवाब संतोषजनक नहीं है। आप पता लगाइये कि क्या उस बंदिश को अपलिफ्ट किया गया या नहीं? *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न संख्या 24, श्री निशिकांत दुबे।

*[अनुवाद]*

## राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

*24. **श्री निशिकांत दुबे:**
**श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत राज्यवार अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना बाकी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गयी और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या सरकार को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो स्वीकृत प्रस्तावों तथा सरकार की स्वीकृति के लिए इस समय लंबित प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में गांवों के विद्युतीकरण में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

**विद्युत मंत्री ( श्री सुशीलकुमार शिंदे ):** (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*विवरण*

(क) गांवों के विद्युतीकरण के राज्यवार ब्यौरे अनुबंध-1 में दिए गए हैं।

(ख) निधियों का कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया गया है। तथापि, संवितरित निधियों के राज्यवार ब्यौरे अनुबंध-2 में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) अनुबंध-3 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 10वीं योजना तथा 11वीं योजना के चरण-1 के दौरान कुल 562 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। अन्य शेष परियोजनाएं केवल 11वीं योजना के चरण-2 के अंतर्गत की जा सकती हैं। 11वीं योजना के चरण-2 की शुरुआत का भारत सरकार द्वारा अभी निर्णय किया जाना है।

(ङ) आरजीजीवीवाई के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्न कदम उठाए गए हैं:

(1) आरजीजीवीवाई की प्रगति की समीक्षा करने तथा अंतरविभागीय मुद्दों को हल करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है।

(2) राज्यों को ग्राम विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति की मॉनीटरिंग करने के लिए जिला समितियां गठित करने हेतु सलाह दी गई है।

(3) भारत सरकार तथा आरजीजीवीवाई के लिए नोडल एजेंसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) भी स्टेकहोल्डरों संबंधित राज्य सरकारों, राज्य विद्युत यूटिलिटीज तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ सहमत कार्यक्रम के अनुससार योजना के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु लगातार समीक्षा बैठकें करता है।

(4) परियोजनाओं के शीघ्र तथा प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, उनका निष्पादन टर्न-की आधार पर शुरू किया गया है। 11वीं योजना की परियोजनाओं के लिए परियोजना कार्यान्वयन कार्यक्रम को 18 माह तक सीमित करने के लिए प्रस्ताव किया गया है।

(5) ग्राम विद्युतीकरण कार्यों के गुणात्मक निष्पादन को सुनिश्चित करने हेतु आरजीजीवीवाई के अंतर्गत त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र लागू किया गया है।

(6) बीपीएल कनैक्शन की अनुदान राशि 1500/- रुपये से बढ़ाकर 2200/- रुपये कर दी गई है।

(7) लागत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ग्राम विद्युतीकरण हेतु लागत मानदंड नीचे दिए गए अनुसार संशोधित कर बढ़ा दिए गए हैं:

| गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण | लागत (लाख रुपये में) |
|---|---|
| क. सामान्य भू-भाग में | 13 |
| ख. पहाड़ी आदिवासी रेगिस्तानी क्षेत्रों में | 18 |

*अनुबंध I*

*राज्यवार गांवों की संख्या जहां आरजीजीवीवाई के अंतर्गत ग्राम विद्युतीकरण कार्य पूरे हो चुके हैं*

| क्र.सं. | राज्य | कुल गैर-विद्युतीकृत गांव | पूरे किये गये कार्य | विद्युतीकरण हेतु अभी शेष गांवों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 0 | 0 | 0 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 2129 | 37 | 2092 |
| 3. | असम | 8525 | 823 | 7702 |
| 4. | बिहार | 23211 | 16937 | 6274 |
| 5. | झारखण्ड | 19737 | 7043 | 12694 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 6. | गोवा | 0 | 0 | 0 |
| 7. | गुजरात | 0 | 0 | 0 |
| 8. | हरियाणा | 0 | 0 | 0 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 93 | 0 | 93 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 283 | 48 | 235 |
| 11. | कर्नाटक | 132 | 58 | 74 |
| 12. | केरल | 0 | 0 | 0 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 806 | 84 | 722 |
| 14. | छत्तीसगढ़ | 1132 | 50 | 1082 |
| 15. | महाराष्ट्र | 6 | 0 | 6 |
| 16. | मणिपुर | 495 | 93 | 402 |
| 17. | मेघालय | 1943 | 105 | 1838 |
| 18. | मिजोरम | 137 | 0 | 137 |
| 19. | नागालैंड | 105 | 0 | 105 |
| 20. | उड़ीसा | 17895 | 1793 | 16102 |
| 21. | पंजाब | 0 | 0 | 0 |
| 22. | राजस्थान | 4488 | 1923 | 2565 |
| 23. | सिक्किम | 25 | 0 | 25 |
| 24. | तमिलनाडु | 0 | 0 | 0 |
| 25. | त्रिपुरा | 160 | 0 | 160 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 30802 | 27673 | 3129 |
| 27. | उत्तराखंड | 1469 | 1431 | 38 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 4573 | 3892 | 681 |
| 29. | दिल्ली | 0 | 0 | 0 |
| | कुल योग | 118146* | 61990 | 56156 |

*यह डीपीआर के अनुसार कवरेज पर आधारित है। यह आंकड़े कार्यक्षेत्र स्थिति के आधार पर निष्पादन के दौरान परिवर्तित हो सकते हैं। तदनुसार अभी तक विद्युतीकृत किये जाने वाले शेष गांव (कॉलम नं. 5) भी परिवर्तित हो सकते हैं।

## *अनुबंध II*

*आरजीजीवीवाई के अंतर्गत राज्य-वार तथा वर्ष-वार वितरित राशि*

(करोड़ रुपये में)

(16.6.2009 के अनुसार)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | 2006-07 के दौरान | 2007-08 के दौरान | 2008-09 के दौरान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 94.35 | 265.44 | 76.08 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 179.83 | 95.22 |
| 3. | असम | 39.21 | 64.99 | 514.15 |
| 4. | बिहार | 470.14 | 747.02 | 700.44 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 36.19 | 50.91 | 113.89 |
| 6. | गुजरात | 13.36 | 17.93 | 52.66 |
| 7. | हरियाणा | 12.32 | 24.64 | 37.44 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 7.48 | 0.00 | 80.00 |
| 9. | झारखंड | 285.24 | 589.96 | 1001.71 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 19.59 | 29.82 | 182.80 |
| 11. | कर्नाटक | 87.36 | 324.91 | 68.46 |
| 12. | केरल | 5.14 | 0.00 | 0.83 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 104.68 | 157.26 | 199.44 |
| 14. | महाराष्ट्र | 10.02 | 16.60 | 140.61 |
| 15. | मणिपुर | 13.53 | 5.03 | 39.62 |
| 16. | मेघालय | 0.00 | 19.94 | 12.24 |
| 17. | मिजोरम | 0.00 | 0.00 | 78.76 |
| 18. | नागालैंड | 4.23 | 5.57 | 59.84 |
| 19. | उड़ीसा | 62.41 | 177.17 | 998.91 |
| 20. | पंजाब | 0.00 | 0.00 | 57.37 |
| 21. | राजस्थान | 87.19 | 180.56 | 277.21 |
| 22. | सिक्किम | 0.00 | 0.00 | 43.97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 23. | तमिलनाडु | 0.00 | 0.00 | 24.45 |
| 24. | त्रिपुरा | 0.00 | 100.77 | 17.72 |
| 25. | उत्तर प्रदेश | 1543.82 | 563.84 | 86.84 |
| 26. | उत्तराखण्ड | 278.29 | 133.05 | 78.62 |
| 27. | पश्चिम बंगाल | 204.71 | 81.12 | 629.00 |

***अनुबंध III***

*आरजीजीवीवाई के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | 10वीं योजना के दौरान | 11वीं योजना के दौरान स्वीकृत | कुल स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 17 | 9 | 26 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 2 | 14 | 16 |
| 3. | असम | 3 | 20 | 23 |
| 4. | बिहार | 26 | 17 | 43 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 3 | 11 | 14 |
| 6. | गुजरात | 3 | 22 | 25 |
| 7. | हरियाणा | 4 | 14 | 18 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 1 | 11 | 12 |
| 9. | झारखण्ड | 3 | 11 | 14 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 13 | 9 | 22 |
| 11. | कर्नाटक | 17 | 7 | 24 |
| 12. | केरल | 1 | 0 | 1 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 8 | 24 | 32 |
| 14. | महाराष्ट्र | 4 | 30 | 34 |
| 15. | मणिपुर | 2 | 2 | 4 |
| 16. | मेघालय | 2 | 5 | 7 |
| 17. | मिजोरम | 2 | 6 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 18. | नागालैंड | 2 | 9 | 11 |
| 19. | उड़ीसा | 4 | 27 | 31 |
| 20. | पंजाब | 0 | 17 | 17 |
| 21. | राजस्थान | 25 | 16 | 41 |
| 22. | सिक्किम | 2 | 2 | 4 |
| 23. | तमिलनाडु | 0 | 26 | 26 |
| 24. | त्रिपुरा | 1 | 3 | 4 |
| 25. | उत्तर प्रदेश | 64 | 0 | 64 |
| 26. | उत्तराखण्ड | 13 | 0 | 13 |
| 27. | पश्चिम बंगाल | 13 | 15 | 28 |
| | योग | 235 | 327 | 562 |

*[हिन्दी]*

**श्री निशिकांत दुबे:** अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने मूल प्रश्न के जवाब में कहा है कि ग्रामीण विद्युतीकरण का काम जोरों से चल रहा है। मैं गोड्डा क्षेत्र से आता हूं जो झारखण्ड में है। वहां दलित और आदिवासियों की पापुलेशन सबसे ज्यादा है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी वहां बिजली नहीं आयी है। आज वे खुश हैं कि वहां बिजली आने वाली है। लेकिन मुझे आज ही कलैक्टर गोड्डा और कलैक्टर देवघर का एक पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि गोड्डा में 1577 गांवों में इलैक्ट्रीफिकेशन होना है, लेकिन मात्र 172 गांवों का ही इलैक्ट्रीफिकेशन हुआ है। यह टारगेट 31 दिसम्बर 2009 तक पूरा होना था। इसके साथ-साथ कलैक्टर देवघर ने मुझे कहा है कि उनके यहां 2346 गांवों का इलैक्ट्रीफिकेशन होना है, जिसमें अभी तक मात्र 1016 गांवों का ही इलैक्ट्रीफिकेशन हुआ है। उनका टारगेट मार्च 2009 तक पूरा होना था। मैंने मंत्री जी को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें कहा था कि आरएसी का प्रौजेक्ट एनटीपीसी इम्प्लीमैंट कर रही है जिसका टारगेट नहीं है। इस संबंध में आपका जवाब भी ठीक नहीं था। अगर आप कहें *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** आप प्रश्न पूछिये।

**श्री निशिकांत दुबे:** मेरा प्रश्न यह है कि मार्च 2009 और दिसम्बर 2009 का टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह टारगेट कब तक पूरा होगा?

**श्री सुशीलकुमार शिंदे:** महोदया, झारखण्ड में यह बात सही है कि वहां काम में थोड़ी ढिलाई है क्योंकि वहां दो-तीन प्राब्लम्स हैं। एक तो वहां पर फारेस्ट्स हैं जिसकी वजह से वहां पर जगह नहीं मिलती है। हमने वहां के मुख्यमंत्री और उनके आफिसर्स से बात की है। दसवीं योजना में जो 13 जिले रह गए हैं, उनको अगस्त, 2009 तक पूरा करने के आश्वासन हमें दिया गया है और ग्यारहवीं योजना के हैं, वे मार्च, 2010 तक पूरा करेंगे, ऐसा हमें आश्वासन दिया गया है। अभी तक हमने 2023.54 करोड़ रुपए की राशि झारखण्ड को दी है। वे उसका अच्छी तरह से इंतजाम करें, इसके लिए हमने एक कमेटी बनाने के लिए कहा है। झारखण्ड ही नहीं, पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी है कि वे अपने यहां एक जिला स्तर की कमेटी बनाएं जिसमें एमपीज, एमएलएज एवं जिला परिषद के अध्यक्ष सदस्य हों। इस प्रकार की सूचना हमने सभी को दी है, लेकिन अभी तक इस प्रकार की कमेटीज नहीं बनी हैं। यह मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कमेटी के बारे में आप भी थोड़ा सा ध्यान दें। मैं झारखण्ड पर पूरा ध्यान दूंगा। झारखण्ड एक ऐसा प्रान्त है, जहां हम विशेष रूप से पैसे दे रहे हैं। इतना ही नहीं, एक बात यह भी है कि हम 33 के.वी. पर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण करते हैं, लेकिन वह एक डिफिक्लट टेरेन है, वहां पर मिलिटेंसी भी है, इसकी वजह से 132 के.वी. का प्रपोजल हमारे पास डिस्कशन के लिए आया था कि केवल 33 के.वी. से काम नहीं होगा, इसके लिए भी जो पैसा चाहिए था, उसके लिए हमने आरईसी से 1,000 करोड़ रुपए की राशि का लोन उनको दे दिया है।

**श्री निशिकांत दुबे:** अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि इस समय वहां पर कोई मुख्यमंत्री नहीं है, राज्यपाल हैं। वहां पर राष्ट्रपति शासन है, इसलिए वहां कोई एमएलए भी नहीं है और वहां पर पंचायत का चुनाव नहीं हुआ है, इसलिए वहां पर कोई जिला परिषद अध्यक्ष एवं मुखिया भी नहीं है। मेरे अलावा वहां कोई नहीं है और सरकार आप चला रहे हैं।

**श्री सुशीलकुमार शिंदे:** महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह सर्कुलर हमने 23 मई, 2008 को भेजा था, उस समय वहां पर राज्य सरकार अस्तित्व में थी।

**श्री निशिकांत दुबे:** वहां अभी क्या स्थिति है? आपने वर्ष 2010 का टारगेट रखा है।

अध्यक्ष महोदया, बीपीएल के बारे में इन्होंने कहा है कि इसे 1500 से बढ़ाकर 2200 कर दिया है। पहले तो बीपीएल का जो सर्वे हुआ है, उसकी एजेंसी क्या है? आज मेरी कलेक्टर से बात हुई, उसने कहा कि वह सर्वे इतना फेक है कि मुझे खुद ही उसके बारे में जानकारी नहीं है। दोनों जिलों के कलेक्टर्स मुझे यह बता रहे हैं। दूसरे, बीपीएल के लिए आप जो कनेक्शन दे रहे हैं, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि बीपीएल के लोग हमेशा बीपीएल ही नहीं रहेंगे, उनके बच्चे पढ़ेंगे-लिखेंगे, वे अमीर भी बनेंगे। लेकिन आज एक बल्ब के अलावा वे दूसरा बल्ब नहीं जला सकते हैं। यदि वे फ्रिज चलाएंगे तो फ्रिज खत्म हो जाएगा। आपने स्कूल में कनेक्शन देने की बात कही है, आपने कहा है कि आंगनवाड़ी में कनेक्शन देंगे, लेकिन वहां स्थिति यह है कि अगर एक कनेक्शन से दूसरा कनेक्शन होता है तो ट्रांसफार्मर जल जाता है। बीपीएल के मामले में भी मेरा यह कहना है कि जैसे देवघर जिले में एक लाख लोग बीपीएल हैं, गोड्डा जिले में दो लाख बीपीएल हैं, जबकि आप कनेक्शन्स केवल 20,000 या 22,000 लोगों को दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

**श्री निशिकांत दुबे:** अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न यह है कि यदि वहां पर बिजली का तार जा रहा है तो आपको कोई लांगटर्म व्यवस्था करनी चाहिए। बीपीएल के लोग एक ही कनेक्शन लें, उसके लिए ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी आप बढ़ाएं, जिससे वह इरीगेशन के परपज में भी काम करे, फ्रिज चलाने का काम हो, जब उनके बच्चे आगे बढ़ जाएं तो वे एसी चला सकें। मैं इसके बारे में मंत्री जी से जवाब चाहता हूं।

**श्री सुशीलकुमार शिंदे:** महोदया, मैंने सम्मानित सदस्य को बताया है कि हमारा उद्देश्य है कि जहां आज बिजली नहीं है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में वहां एक बल्ब तो जले। लेकिन वहां यह डिफिकल्टी है कि 33 के.वी. का ट्रांसफार्मर है, उसके बदले वहां 132 के.वी. के लिए हमने पैसे दिए हैं ताकि वहां ट्रांसफार्मर जल न जाए। इसके लिए हमने उनको स्पेशल सहयोग दिया है।

बीपीएल की लिस्ट के बारे में आपने जो कहा है, मैं बताना चाहूंगा कि हर पांच साल में बीपीएल की लिस्ट बदलती है, उसके बारे में हम अवश्य ही राज्य सरकार को लिखेंगे।

*[अनुवाद]*

**श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:** अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का प्रस्ताव राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार जनसंख्या मानदण्ड या लागत मानदण्ड पूरा न करने के कारण हटाए गए गांवों को शामिल करने का है।

**श्री सुशीलकुमार शिंदे:** विभिन्न राज्यों से कुछ प्रस्ताव आते हैं और वे विचाराधीन हैं।

*[हिन्दी]*

**चौधरी लाल सिंह:** मैडम स्पीकर साहिबा, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने जो स्कीम बनाई, तो जब उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो उस राज्य के लोकल इंजीनीयर्स ने उसे एनएचपीसी को दे दिया। एनएचपीसी ने उसे आगे एल. एंड टी. को सबलेट कर दिया और फिर वह चौथी जगह चली गई। इस कारण लागत बहुत बढ़ गई, जिसकी वजह से जहां दस पोल लगने थे, वहां एक ही लगा। मैंने अपने क्षेत्र में देखा है कि वहां जो ट्रांसफारमर्स लगाए गए हैं, एक साल हो गया, अभी तक कनेक्शन नहीं दिया गया, जबकि इतना पैसा खर्च हो चुका है। जहां नहीं लगे और जो रह गए, वह तो रह गए, लेकिन जहां लगे, वहां कनेक्शन नहीं मिला। इसलिए जब योजना बनानी थी, उस वक्त ही क्यों नहीं इन लोगों को इसका जिम्मा सौंपा गया और इतना खर्च क्यों किया गया?

**श्री सुशीलकुमार शिंदे:** अध्यक्ष महोदया, जब राज्यों से डीपीआर आती है, तब यह कंडीशन लगाई जाती है कि छ: से आठ घंटे तक वह राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के तहत बिजली देंगे। इस प्रकार का उनकी तरफ से जब लिखित आश्वासन दिया जाता है, तब ही यह योजना मंजूर की जाती है। इस तरह की योजना आपके यहां भी मंजूर की गई है, लेकिन मुझे पता नहीं कि क्यों नहीं वहां बिजली मिल रही है। आपने जो कहा है, मैं इसकी जरूर जांच कराऊंगा।

**श्री शरद यादवः** मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जनता का इतना पैसा इस स्कीम के तहत दिया गया है, आपकी नई सरकार बनी है, यह बहुत कठिन काम है। मेरी आपसे विनती है कि आप जल्दी से जल्दी राज्यों के बिजली मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाएं और इस पर चर्चा करें। हालत बहुत खराब है। मैं भी कई जगहों का दौरा करके आया हूं और मैंने देखा है कि आपकी यह योजना जमीन तक नहीं पहुंची है, जबकि इतना पैसा इसमें लगा हुआ है। इसलिए आप कुछ हलचल तो करें, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं किया गया है। आप तत्काल राज्यों के बिजली मंत्रियों की आठ-दस दिन में बैठक बुलाएं और इस पर ध्यान दें। इस पर मंत्री जी का क्या कहना है?

**श्री सुशीलकुमार शिंदेः** अध्यक्ष महोदया जी, मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैंने पिछले हफ्ते ही देश के सभी राज्यों के बिजली मंत्रियों की बैठक बुलाई थी और उन्हें सूचना दी है तथा काम जारी रखने को कहा है। इतना ही नहीं, केपेसिटी एडिशन में जो कमियां आ रही थीं, उनके बारे में भी बैलेंस आफ प्लांट के आर्डर दे दिए हैं। जुलाई के आखिर तक हमने हर राज्य को बैलेंस आफ प्लांट की सूचना देने के सख्ती से आर्डर दे दिए हैं। हम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत परियोजना के कार्यक्रम को बहुत सख्ती से देख रहे हैं और उसकी मानिटरिंग कर रहे हैं। हमें इस योजना के तहत अभी 28,000 करोड़ रुपए की राशि मिली है। आप सही कह रहे हैं कि बहुत पैसा मिला है। मैं यह भी विनती करना चाहता हूं कि जहां-जहां भी लोकल कमेटीज हैं, वे भी थोड़ा इस पर ध्यान दें, उससे हमें भी फीडबैक मिलेगा और हम भी कार्रवाई करेंगे।

**श्री शरद यादवः** आप खुद जाकर हालात देखें।

**श्री रेवती रमन सिंहः** मैडम स्पीकर जी, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन जैसा शरद यादव जी ने कहा कि इसके इम्प्लीमेंटेशन का आप सर्वे तो करा लें। आप देखेंगे कि इतना घटिया काम हुआ है कि एक आंधी आने पर ही खम्भे और तार गिर गए। लेकिन कागजों में लिख दिया जाता है कि विद्युतीकरण हो गया, जबकि वास्तव में नहीं हुआ। जैसा शरद यादव जी ने कहा है कि एक बार आप सर्वे करा लें और देख लें कि क्या काम हुआ है। मैंने पहले भी कहा था और आपने सदन में आश्वासन भी दिया था कि तमाम मजरे और पूरबे जो 100 की आबादी के हैं, उनमें हम विद्युतीकरण कराएंगे। आपको इस काम के लिए योजना आयोग से 28,000 करोड़ रुपए भी मिले हैं, जैसा कि आपने भी अभी बताया है। मंत्री जी इन दोनों बातों को स्पष्ट करने की कृपा करेंगे।

**श्री सुशीलकुमार शिंदेः** मजरे की बात आपने पिछली लोक सभा में की थी। उसके बारे में यह है कि जहां 100 से अधिक लोगों की संख्या होगी, वहां की सभी बस्तियां और मजरे हमने इस स्कीम में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के बारे में आपने कहा है तो हमने वहां खम्बे लगाए हैं, गिराए नहीं हैं। हम सरकार को बार-बार कह रहे हैं कि आप इस काम में जोर लगाइये, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। अभी-अभी हमने कहा कि जो मानिटरिंग कमेटी मैम्बर आफ पार्लियामेंट और एमएलए की ...*(व्यवधान)*

**श्री शैलेन्द्र कुमारः** कहीं कोई कमेटी नहीं है। ...*(व्यवधान)*

**श्री सुशीलकुमार शिंदेः** यह तो उन सरकारों का काम है कि वे कमेटी स्थापित करें, मेरा काम निर्देश देना है। हमने 23.5.2008 को सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा है, मेरे पास चिट्ठी है। राज्य सरकारें अगर नहीं करती हैं तो उन सरकारों को पकड़ना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

**श्री उमाशंकर सिंहः** जब रुपया केन्द्र का है तो केन्द्र से डायरेक्शन जानी चाहिए।

**श्रीमती सुषमा स्वराजः** अध्यक्ष महोदया, यह प्रश्न राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के बारे में है। इस प्रश्न के भाग (ग) में प्रश्नकर्ता ने आपसे दो जानकारियां चाही थीं। एक तो वे योजनाएं जो इस योजना के तहत स्वीकृत हो चुकी हैं और दूसरा वे प्रस्ताव जो आपके पास लम्बित पड़े हैं। आपने उन स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा तो दिया, लेकिन लम्बित प्रस्तावों के बारे में आपका लिखित उत्तर पूरी तरह से मौन है। इन लम्बित प्रस्तावों के बारे में हमारी जानने की जिज्ञासा थी। महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश के अनेक प्रस्ताव आपके यहां लम्बित हैं और जिसमें मेरे संसदीय क्षेत्र जिला रायसेन का प्रस्ताव भी शामिल है। वह 116 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है जिसमें ज्यादातर वे आदिवासी गांव हैं जो दुर्गम क्षेत्रों में बसे हैं और जिनमें एक भी बिजली का खम्बा नहीं है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आप अपनी 11वीं योजना का दूसरा चरण कब प्रारम्भ कर रहे हैं और क्या आप उसमें इस रायसेन के प्रस्ताव को, जो सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आपकी मेज पर, आपके हस्ताक्षर की इंतजार कर रहा है, शामिल करेंगे।

**श्री सुशीलकुमार शिंदेः** अध्यक्ष महोदया जी, कुल 44 प्रोजैक्ट्स हैं जो 43 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हैं और वे 11वें प्लान के फेज (2) के फेज (1) में है। जो गांव जिले के लिये गये हैं जिनकी मेरे पास लिस्ट भी है, जिसमें केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, मणिपुर, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ है। ऐसे 44 प्रोजैक्ट्स हैं जिनमें कोस्ट बहुत ज्यादा है और हम इनके लिए बार-बार बैठके कर रहे हैं। 11वें प्लान के लिए जो फेज (1) में है, उसमें 28000 करोड़ रुपये की राशि मिल चुकी है और जो रह गये हैं उनके बारे में भी हम काम को आगे बढ़ाने का जरूर प्रयास

करेंगे। हमारी सरकार ने इसके लिए देश को आश्वासन दिया है और ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत 2012 तक एक यूनिट बिजली सब को मिल जाएगी, यह हमारा प्रोमिस है। हम जल्दी से जल्दी इस काम को करेंगे। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का काम हम 2010 तक पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।

*[अनुवाद]*

**डॉ. रत्ना डे:** महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या विभिन्न राज्यों में विभिन्न गांवों के विद्युतीकरण के कार्य के लिए कोई केन्द्रीय निगरानी समिति है। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या राज्यों से हर वर्ष उन गांवों के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हो रहा है जिनका विद्युतीकरण हो चुका है।

**श्री सुशीलकुमार शिंदे:** तीन विभिन्न समितियां हैं: एक राज्य स्तरीय है जो निगरानी करती है; दूसरी समिति आरईसी है या निगम स्तरीय है और तीसरी समिति वह है जो हम नियुक्त करते हैं जिसके पास अनेक गैर-सरकारी संगठन है, वे भी यह कार्य करती है और हमें रिपोर्ट भेजती है। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष गांव या जिले के बारे में कोई जानकारी चाहें तो मैं उन्हें जानकारी दूंगा।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

*[हिन्दी]*

### वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं

***25. डॉ. राजन सुशान्त:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धों, विधवाओं और नि:शक्त व्यक्तियों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित वर्तमान पेंशन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं का ढांचा क्या है;

(ख) लाभार्थियों की पहचान करने तथा इन योजनाओं के अंतर्गत पेंशन भुगतान में अनियमितताओं को रोकने हेतु तंत्र क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार लाभार्थियों को दी जा रही पेंशन राशि को बढ़ाने तथा 60 वर्ष से अधिक आयु वाले किसानों को भी योजना का लाभ देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी):** (क) वृद्धों, विधवाओं एवं अपंगों को पेंशन देने के लिए कोई केन्द्र प्रायोजित योजना नहीं है। तथापि, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस), जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के घटक हैं, के अंतर्गत उन्हें केन्द्रीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1995 में केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को बाद में वर्ष 2002-03 में राज्य योजना में अंतरित कर दिया गया और इसे अब राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। आईजीएनओएपीएस उन व्यक्तियों के लिए है जो 65 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के हैं। आईजीएनडब्ल्यूपीएस उन विधवाओं के लिए है जिनकी आयु 40-64 वर्ष की है और आईजीएनडीपीएस उन गंभीर अथवा विविध अपंगताओं वाले व्यक्तियों के लिए है जिनकी आयु 18-64 वर्ष की है। सभी तीनों पेंशन योजनाएं गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों के व्यक्तियों के लिए हैं। सभी पेंशन योजनाओं में प्रति लाभार्थी प्रति माह 200 रुपए केन्द्रीय सहायता दी जाती है और राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे समान राशि का अंशदान करें। ये पेंशन योजनाएं ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू हैं।

(ख) राज्यों से कहा गया है कि वे बीपीएल सूची, 2002 से ग्रामीण क्षेत्रों में और संगत सूचियों से शहरी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों का निर्धारण करें। पेंशन योजनाओं के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को सामूहिक रूप से कवर करने की संकल्पना की गई है। पेंशन के भुगतान में अनियमितताओं को रोकने के लिए राज्यों से कहा गया है कि वे आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत पेंशन का भुगतान, जहां संभव हो, बैंक/डाकघर खातों के माध्यम से करें और आईजीएनडब्ल्यूपीएस और आईजीएनडीपीएस के मामले में बैंक/डाकघर खाता के माध्यम से पेंशन के वितरण को अनिवार्य बनाया गया है। साथ ही पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के प्रयोजनार्थ एनएसएपी-एमआईएस के लिए साफ्टवेयर बनाया गया है और राज्यों से कहा गया है कि लाभार्थियों के आंकड़े सर्वसुलभ बनाएं।

(ग) जी, नहीं। केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने का अथवा 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

### जल विद्युत उत्पादन

***26. श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत उत्पादन में अपर संभावनाओं के बावजूद जल विद्युत क्षेत्र में विद्युत उत्पादन की हिस्सेदारी घट रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जल विद्युत उत्पादन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये और कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया;

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में जल विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ङ) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित किये जाने का प्रस्ताव है तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने की संभावना है?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे):** (क) और (ख) देश की कुल उत्पादन क्षमता में हाइड्रो क्षमता का हिस्सा जो छठी योजना के अंत में 34% था, वह नौवीं योजना के अंत तक कम होकर 25% रह गया है। दसवीं योजना के अंत में हाइड्रो क्षमता का हिस्सा 26% था तथा यदि ग्यारहवीं योजना के दौरान लक्षित क्षमता अभिवृद्धि प्राप्त हो जाती है तो ग्यारहवीं योजना के अंत तक यह हिस्सा लगभग 23% हो जाने की परिकल्पना है।

भूगर्भीय अनिश्चितताएं, संविदा प्रबंधन, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास संबंधी मामले, भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याएं, अंतर-राज्यीय मामले, दीर्घकालीन निर्माणावधि, कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याएं एवं लागत तथा साथ ही साथ सुरक्षा एवं संरचना विकास कुल उत्पादन क्षमता में हाइड्रो क्षमता का हिस्सा कम होने के मुख्य कारण हैं।

(ग) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता वाले जल विद्युत केन्द्रों के संबंध में राज्यवार तथा यूटिलिटीवार जल विद्युत उत्पादन के लक्ष्य तथा उपलब्धि संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) योजना आयोग ने ग्यारहवीं योजना के दौरान 15,627 मेगावाट हाइड्रो क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। तथापि, तैयारी तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने लक्ष्य को संशोधित करके 15,507 मेगावाट कर दिया है।

(ङ) देश में जल विद्युत के त्वरित विकास के लिए 2003 में 50,000 मेगावाट हाइड्रो की पहल की गई थी तथा कुल 48,000 मेगावाट की 162 परियोजनाओं की प्रारंभिक संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की गई थी। इनमें से 37,000 मेगावाट की क्षमता की 77 परियोजनाएं निष्पादन के लिए चुनी गई थी। योजना आयोग द्वारा इसमें से 15,627 मेगावाट जल विद्युत क्षमता का लक्ष्य ग्यारहवीं योजना के लिए निर्धारित किया गया है। ग्यारहवीं योजना में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कुल 1,31,105 करोड़ रुपये की अपेक्षित निधि प्रदान की गई थी। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है/की जा रही है:

(1) आर्थिक संभाव्यता पर आधारित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने में शीघ्रता;

(2) प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए मंजूरियों के कार्य को सुचारू बनाना;

(3) अनुमोदन प्रक्रियाओं का सरलीकरण;

(4) शीघ्र वित्तीय परिसमाप्तियों को सुगम बनाना;

(5) नदी के सतत जल प्रवाह पर लघु क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाओं, जिनकी निर्माणावधि पांच वर्षों से कम है, को उच्च प्राथमिकता;

(6) बेसिन-वार इष्टतम अध्ययन।

***विवरण***

*10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान देश में 3 मेगावाट से अधिक के हाइड्रो पावर स्टेशनों के राज्य-वार उत्पादन के साथ-साथ लक्ष्य*

| क्षेत्र/राज्य | 10वीं योजना (2002-07) | | |
|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य से अधिक उपलब्धियों का प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **उत्तरी क्षेत्र** | | | |
| **केन्द्रीय क्षेत्र** | | | |
| बीबीएमबी | 50952 | 52201.52 | 102.5 |
| एनएचपीसी | 51526 | 53446.20 | 103.7 |
| एसजेवीएनएल | 21963 | 16285.00 | 74.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| टीएचडीसी | 2215 | 890.47 | 40.2 |
| **कुल केन्द्रीय** | 126656 | 122823.19 | 97.0 |
| हरियाणा | 1332 | 1304.39 | 97.9 |
| हिमाचल प्रदेश | 14284 | 13013.67 | 91.1 |
| जम्मू व कश्मीर | 4047 | 3703.37 | 91.5 |
| राजस्थान | 4077 | 3511.07 | 86.1 |
| पंजाब | 19098 | 20669.30 | 108.2 |
| उत्तर प्रदेश | 8498 | 7435.31 | 87.5 |
| उत्तराखण्ड | 17688 | 17625.80 | 99.6 |
| **कुल उत्तरी क्षेत्र** | 195680 | 190086.10 | 97.1 |
| **पश्चिमी क्षेत्र** | | | |
| **केन्द्रीय क्षेत्र** | | | |
| एनएचडीसी | 5698 | 6719.42 | 117.9 |
| गुजरात | 9412 | 10155.57 | 107.9 |
| मध्य प्रदेश | 12811 | 12507.28 | 97.6 |
| छत्तीसगढ़ | 1940 | 1683.14 | 86.8 |
| महाराष्ट्र | 25896 | 30936.60 | 119.5 |
| **कुल पश्चिमी क्षेत्र** | 55757 | 62002.01 | 111.2 |
| **दक्षिणी क्षेत्र** | | | |
| आंध्र प्रदेश | 35442 | 30831.29 | 87.0 |
| कर्नाटक | 52853 | 50305.22 | 95.2 |
| केरल | 29883 | 30092.35 | 100.7 |
| तमिलनाडु | 19027 | 21579.88 | 113.4 |
| **कुल दक्षिणी क्षेत्र** | 137205 | 132808.74 | 96.8 |
| **केन्द्रीय क्षेत्र** | | | |
| डीवीसी | 1600 | 1391.59 | 87.0 |
| एनएचपीसी | 1698 | 1622.81 | 95.6 |
| **कुल केन्द्रीय** | 3298 | 3014.40 | 91.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| बिहार | 424 | 303.44 | 71.6 |
| झारखण्ड | 1073 | 628.98 | 58.6 |
| उड़ीसा | 26851 | 28183.13 | 105.0 |
| पश्चिम बंगाल | 2310 | 2390.25 | 103.5 |
| सिक्किम | 232 | 200.80 | 86.6 |
| अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 37 | 23.30 | – |
| **कुल पूर्वी** | 34225 | 34744.30 | 101.5 |
| **पूर्वोत्तर क्षेत्र** | | | |
| **केन्द्रीय क्षेत्र** | | | |
| नीपको | 13480 | 11415.63 | 84.7 |
| एनएचपीसी | 2396 | 2747.64 | 114.7 |
| **कुल केन्द्रीय** | 15876 | 14163.27 | 89.2 |
| असम | 0 | 0.00 | |
| मेघालय | 2964 | 2617.20 | 88.3 |
| त्रिपुरा | 300 | 301.58 | 100.5 |
| अरुणाचल प्रदेश | 90 | 31.00 | 34.4 |
| नागालैंड | 247 | 2.00 | 0.0 |
| **कुल पूर्वोत्तर क्षेत्र** | 19477 | 17115.1 | 87.9 |
| कुल अखिल भारत | 442344 | 436756.2 | 98.7 |

*लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित किये जाते हैं।

*[हिन्दी]*

**जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन**

***27. श्री जय प्रकाश अग्रवाल:**
**श्री प्रेमचन्द गुड्डू:**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत पहले ही शामिल किए जा चुके तथा अभी शामिल किए जाने हेतु बाकी नगरों/शहरों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक विकसित किए गए शहरों की राज्यवार संख्या और उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत ऐसी कोई योजनाएं/परियोजनाएं हैं जिन्हें पहले स्वीकृत किया गया है और अभी पूरा किया जाना बाकी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजनावार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आवंटित एवं उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(च) अगले पांच वर्षों के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन हेतु निर्धारित धनराशि और योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत शहरी अवस्थापना और सेवाओं के एकीकृत विकास के लिए 65 शहरों को शामिल किया गया है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। अन्य सभी शहरों और कस्बों को जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत एक बहु प्रयोजनीय स्कीम, शहरी अवस्थापना विकास स्कीम के अंतर्गत शामिल किया जाना है।

(ख) जेएनएनयूआरएम एक 7 वर्षीय मिशन कार्यक्रम है, जो 3.12.2005 को आरंभ हुआ था। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) घटक के अंतर्गत अभी तक पणजी (गोवा), तिरूपति (आंध्र प्रदेश), जमशेदपुर (झारखंड) तथा पोखकर (गुजरात) को छोड़कर सभी मिशन शहरों के लिए शहरी अवस्थापना और सेवाओं के सुधार के लिए परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

(ग) और (घ) मिशन के दिनांक 3.12.2005 को आरंभ होने से लेकर अब तक स्वीकृत 463 परियोजनाओं में से 431 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। परियोजना-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गए हैं।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिबद्ध तथा जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) की राज्यवार राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(च) वर्ष 2005-06 से 2011-12 तक की 7 वर्ष की मिशन अवधि के लिए दिनांक 3.12.2005 को जेएनएनयूआरएम आरंभ किया गया है। योजना आयोग, द्वारा जेएनएनयूआरएम के यूआईजी घटक के अंतर्गत 2005-06 से 2011-12 तक की 7 वर्षीय अवधि के लिए राज्य-वार आबंटित राशि संलग्न विवरण-IV में दी गई है। वर्ष 2008-09 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) में शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) के अंतर्गत सभी मिलियन प्लस शहरों तथा राज्य राजधानियों के लिए 100 करोड़ रु. तथा अन्य शहरों के लिए 50.00 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि आबंटित की गई थी।

***विवरण I***

*जेएनएनयूआरएम में शामिल शहरों की सूची*

| क्र.सं. | शहर/शहरी समूह | राज्य का नाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **क.** | **मेगा शहर/शहरी समूह** | |
| 1. | दिल्ली | दिल्ली |
| 2. | ग्रेटर मुम्बई | महाराष्ट्र |
| 3. | अहमदाबाद | गुजरात |
| 4. | बंगलौर | कर्नाटक |
| 5. | चेन्नई | तमिलनाडु |
| 6. | कोलकाता | पश्चिम बंगाल |
| 7. | हैदराबाद | आंध्र प्रदेश |
| **ख.** | **मिलियन प्लस शहर/शहरी समूह** | |
| 1. | पटना | बिहार |
| 2. | फरीदाबाद | हरियाणा |
| 3. | भोपाल | मध्य प्रदेश |
| 4. | लुधियाना | पंजाब |
| 5. | जयपुर | राजस्थान |
| 6. | लखनऊ | उत्तर प्रदेश |
| 7. | मदुरै | तमिलनाडु |
| 8. | नासिक | महाराष्ट्र |
| 9. | पुणे | महाराष्ट्र |
| 10. | कोचीन | केरल |
| 11. | वाराणसी | उत्तर प्रदेश |
| 12. | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| 13. | अमृतसर | पंजाब |
| 14. | विशाखापट्टनम | आंध्र प्रदेश |
| 15. | वड़ोदरा | गुजरात |
| 16. | सूरत | गुजरात |
| 17. | कानपुर | उत्तर प्रदेश |
| 18. | नागपुर | महाराष्ट्र |
| 19. | कोयम्बटूर | तमिलनाडु |
| 20. | मेरठ | उत्तर प्रदेश |
| 21. | जबलपुर | मध्य प्रदेश |
| 22. | जमशेदपुर | झारखण्ड |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 23. | आसनसोल | पश्चिम बंगाल |
| 24. | इलाहाबाद | उत्तर प्रदेश |
| 25. | विजयवाड़ा | आंध्र प्रदेश |
| 26. | राजकोट | गुजरात |
| 27. | धनबाद | झारखण्ड |
| 28. | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| **ग.** | **एक मिलियन से कम आबादी वाले अभिज्ञात शहर/ शहरी समूह** | |
| 1. | गुवाहाटी | असम |
| 2. | इटानगर | अरुणाचल प्रदेश |
| 3. | जम्मू | जम्मू और कश्मीर |
| 4. | रायपुर | छत्तीसगढ़ |
| 5. | पणजी | गोवा |
| 6. | शिमला | हिमाचल प्रदेश |
| 7. | रांची | झारखण्ड |
| 8. | तिरूवनंतपुरम | केरल |
| 9. | इम्फाल | मणिपुर |
| 10. | शिलांग | मेघालय |
| 11. | आईजोल | मिजोरम |
| 12. | कोहिमा | नागालैंड |
| 13. | भुवनेश्वर | उड़ीसा |
| 14. | गंगटोक | सिक्किम |
| 15. | अगरतला | त्रिपुरा |
| 16. | देहरादून | उत्तराखण्ड |
| 17. | बोध गया | बिहार |
| 18. | उज्जैन | मध्य प्रदेश |
| 19. | पुरी | उड़ीसा |
| 20. | अजमेर-पुष्कर | राजस्थान |
| 21. | नैनीताल | उत्तराखण्ड |
| 22. | मैसूर | कर्नाटक |
| 23. | पुडुचेरी | पुडुचेरी |
| 24. | चंडीगढ़ | पंजाब और हरियाणा |
| 25. | श्रीनगर | जम्मू और कश्मीर |
| 26. | मथुरा | उत्तर प्रदेश |
| 27. | हरिद्वार | उत्तराखण्ड |
| 28. | नांदेड़ | महाराष्ट्र |
| 29. | पोरबंदर | गुजरात |
| 30. | तिरुपति | आंध्र प्रदेश |

***विवरण II***

| क्र.सं. | राज्य | शहर | परियोजना का नाम | अनुमोदित लागत (लाख रु.) | अनुमत्य अतिरिक्त केन्द्रीय अंश (लाख रु.) | जारी अतिरिक्त केन्द्रीय अंश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | महाराष्ट्र | नांदेड़ | उत्तरी किनारा क्षेत्र-3 का नदी मुहाना विकास | 4313.08 | 3450.46 | 3450.48 |
| 2. | तमिलनाडु | चेन्नई | चेन्नई में इवीआर पेरियार सलाई के साथ विरासत आहातों का निर्माण | 610.00 | 213.50 | 53.37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | महाराष्ट्र | ग्रेटर मुम्बई | बरसाती पानी निकास | 5540.26 | 1939.09 | 484.7 |
| 4. | मेघालय | शिलांग | शिलांग हेतु ड्रेनेज मास्टर प्लान (फेज-1) | 2446.00 | 2201.40 | 550.35 |
| 5. | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | वर्षा जल निकासी का रिमाडलिंग-मुर्की नाला सेकन्ड्री ड्रेनस | 4231.00 | 1480.85 | 740.00 |
| 6. | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | वर्षा जल निकासी का रिमाडलिंग-मुर्की नाला पी-11, पी-12 | 3299.00 | 1154.65 | 288.00 |
| 7. | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | वर्षा जल निकासी का रिमाडलिंग-कुकठपल्ली (बेगमपेट) नाला पी-7 | 3136.00 | 1097.60 | 548.00 |
| 8. | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | बलकापुर चैनल | 3579.00 | 1252.65 | 313.00 |
| 9. | आंध्र प्रदेश | विजयवाड़ा | आनसर्वड क्षेत्रों में भूमिगत जल निकासी सुविधाएं प्रदान करना | 5656.00 | 2828.00 | 2121.00 |
| 10. | आंध्र प्रदेश | विजयवाड़ा | सर्किल-1, 2, 3 और बीएमसी के एमजी रोड में अनकवर्ड क्षेत्रों में वर्षा जल निकासी प्रणाली | 4912.00 | 2456.00 | 1228.00 |
| 11. | गुजरात | अहमदाबाद | एएमसी क्षेत्र के पश्चिमी जोन हेतु बरसाती पानी निकास प्रणाली | 5914.00 | 2069.90 | 1034.94 |
| 12. | गुजरात | अहमदाबाद | एएमसी क्षेत्र के दक्षिण एवं केंद्रीय जोन हेतु बरसाती पानी निकास | 12088.00 | 4230.80 | 2115.40 |
| 13. | गुजरात | अहमदाबाद | एएमसी क्षेत्र अहमदाबाद के उत्तर एवं पूर्व जोन हेतु बरसाती पानी निकास | 12283.00 | 4299.05 | 3224.28 |
| 14. | गुजरात | अहमदाबाद | जल निकाय विकास एवं बाढ़ सहायता परियोजना हेतु केशमेंट विकास एवं ड्रेनेज | 10475.43 | 3666.40 | 916.60 |
| 15. | गुजरात | राजकोट | भूमिगत निकास-फेज-2 एवं फेज-3 (भाग-1) (सीवरेज निपटान नेटवर्क एवं एसटीपी) | 7542.00 | 3771.00 | 2828.10 |
| 16. | गुजरात | सूरत | बरसाती पानी निकास वेसू क्षेत्र | 4995.00 | 2497.50 | 1248.76 |
| 17. | गुजरात | सूरत | एसएमसी क्षेत्र हेतु सूरत शहर के बरसाती पानी निकास प्रणाली | 13382.54 | 6691.27 | 3345.62 |
| 18. | गुजरात | सूरत | नये जोन हेतु बरसाती पानी निपटान प्रणाली | 3426.82 | 1713.41 | 856.70 |
| 19. | गुजरात | वड़ोदरा | वडोदरा सिटी का बरसाती पानी निकास | 14594.56 | 7297.28 | 3548.64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | हरियाणा | फरीदाबाद | ओल्ड फरीदाबाद जोन में अवस्थापना विकास कार्य | 3064.70 | 1532.35 | 766.18 |
| 21. | कर्नाटक | बंगलौर | केथामरनहल्ली और अरकावती माइनरभेली-1 और कठरीगुप्पा माइनरभेली-3 (3 डीपीआर सहित) ब्रुसभावती घाटी में बंगलौर शहर में प्राथमिक और द्वितीय वर्षा जल निकासी को ठीक करना | 22826.00 | 7989.10 | 5991.81 |
| 22. | कर्नाटक | बंगलौर | बंगलौर सिटी चाला घट्टा वेली में प्राथमिक और द्वितीय वर्षा जल निकासी को ठीक करना | 11857.00 | 4149.95 | 2074.96 |
| 23. | कर्नाटक | बंगलौर | बंगलौर सिटी कोरमंगलभेली में प्राथमिक और द्वितीय वर्षा जल निकासी को ठीक करना | 1149.00 | 3902.15 | 1951.06 |
| 24. | कर्नाटक | बंगलौर | बंगलौर सिटी हेब्बर भेली में प्राथमिक और द्वितीय वर्षा जल निकासी को ठीक करना | 18474.00 | 6465.90 | 3232.94 |
| 25. | कर्नाटक | बंगलौर | ब्यातरायनपुरा के लिए भूमिगत निकास कार्य | 12517.00 | 4380.95 | 1095.23 |
| 26. | कर्नाटक | बंगलौर | आरआर नगर सीएमसी हेतु भूमिगत निकास प्रणाली तथा सड़क सुधार | 4153.80 | 1453.83 | 363.46 |
| 27. | केरल | कोचीन | कोच्ची के सेन्ट्रल एरिया की सतह जल निकासी प्रणाली का उन्नयन | 978.00 | 489.00 | 122.25 |
| 28. | मध्य प्रदेश | भोपाल | नाला का चैनलीकरण (वर्षा जल निकासी) नाला का चैनलीकरण (वर्षा जल निकासी) | 3057.00 | 1528.50 | 382.13 |
| 29. | महाराष्ट्र | ग्रेटर मुम्बई | थाणे के लिए एकीकृत नाला विकास फेज-II | 11659.00 | 4080.65 | 2040.32 |
| 30. | महाराष्ट्र | ग्रेटर मुम्बई | थाणे के लिए एकीकृत नाला विकास फेज-I | 9239.00 | 3233.65 | 1616.82 |
| 31. | महाराष्ट्र | ग्रेटर मुम्बई | थाणे नगर निगम के कल्सवा तथा मुम्बरा क्षेत्र हेतु एकीकृत नाला विकास फेज-III | 5789.27 | 2026.24 | 506.56 |
| 32. | महाराष्ट्र | नासिक | नासिक नगर निगम हेतु बरसाती पानी निकासी | 31031.00 | 15515.50 | 3878.75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | महाराष्ट्र | पुणे | सीवरेज शौधन प्लांट और पम्पिंग स्टेशन की वृद्धि और अध्यतन | 8613.00 | 4306.50 | 3229.86 |
| 34. | महाराष्ट्र | पुणे | नालों का निर्माण और विकास | 9996.00 | 4998.00 | 2499.00 |
| 35. | महाराष्ट्र | पुणे | पुणे में सीवरेज एवं जल निकास का नवीकरण एवं प्रंबधन (वेरीस को बढ़ावा, झीलों का पुनरुद्धार, बायो रीमेडिएसन तथा नाला एवं नदियों का भू-विन्यास) | 9778.00 | 4889.00 | 3666.75 |
| 36. | तमिलनाडु | मदुरै | बरसाती पानी नाली एवं प्राकृतिक ड्रेनस की डीसिल्टिंग (बरसाती पानी नाली का सुधार एवं निर्माण) | 25181.00 | 12590.50 | 3147.63 |
| 37. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | खरदा, पानी हाटी, नार्थ दमदम, दमदम एवं साउथ दमदम के भीतर जल निकास की रुकावट को हटाने के लिए अंतर म्यूनिसिपल स्कीम | 4530.14 | 1585.55 | 1188.87 |
| 38. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | हावड़ा में जल निकास का सुधार | 9338.03 | 3268.31 | 817.08 |
| 39. | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | एनसीएच क्षेत्र के जोन-I एवं II में बरसाती पानी निकास का सुधार | 12410.00 | 4344.00 | 1086.00 |
| 40. | आंध्र प्रदेश | विजयवाड़ा | विजयवाड़ा में मंगलगीरी में बरसाती पानी नाली मुहैया कराना | 3016.00 | 1506.00 | 377.00 |
| 41. | उत्तर प्रदेश | वाराणसी | वाराणसी हेतु बरसाती पानी निकास कार्य | 19162.00 | 9581.00 | 2395.25 |
| 42. | उत्तर प्रदेश | मथुरा | मथुरा कस्बे हेतु बरसाती पानी निकास | 8720.00 | 6976.00 | 1395.00 |
| 43. | कर्नाटक | मैसूर | मैसूर में बरसाती पानी निकास प्रणाली की रीमाडलिंग | 38460.00 | 8000.00 | 2000.00 |
| 44. | तमिलनाडु | चेन्नई | चेन्नई में उत्तरी बैसिंग में बरसाती पानी ड्रेन का सुधार | 35986.39 | 12595.23 | 1260.00 |
| 45. | तमिलनाडु | चेन्नई | चेन्नई के सेंट्रल बैसिन में छोटे व बड़े निकास का सुधार | 34500.00 | 12075.00 | 3018.75 |
| 46. | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | लखनऊ हेतु बरसाती पानी निकास | 31521.00 | 16261.00 | 3252.20 |
| 47. | आंध्र प्रदेश | विशाखापट्टनम | ग्रेटर विशाखापट्टनम (गंगुलहेडा एवं यरिगाडा ब्रांच कैनल) के जोन-8 हेतु बरसाती पानी नाली का सुधार | 7227.00 | 3613.50 | 903.37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48. | कर्नाटक | बंगलौर | बोमाना हल्ली सिटी नगर पालिका में भूमिगत निकास सुविधा मुहैया कराना तथा सड़क सुधार | 23175.00 | 8111.25 | 2025.81 |
| 49. | केरल | तिरुवनंतपुरम | तिरुवनंतपुरम के जोन-II में बरसाती पानी निकास का सुधार | 4039.00 | 3231.20 | 807.80 |
| 50. | महाराष्ट्र | पुणे | पीसीएमसी-बरसाती पानी नाली (फेज-I) | 11630.24 | 5815.12 | 1453.78 |
| 51. | तमिलनाडु | चेन्नई | चेन्नई पूर्वी बेसिन में बरसाती पानी नाली का सुधार | 44407.00 | 15542.45 | 3885.91 |
| 52. | तमिलनाडु | चेन्नई | चेन्नई दक्षिणी बेसिन में बरसाती पानी नाली का सुधार | 29897.57 | 10464.15 | 5232.08 |
| 53. | महाराष्ट्र | पुणे | पुणे सिटी फेज-I हेतु बरसाती पानी निकास परियोजना | 39967.18 | 10000.00 | 2500.00 |
| 54. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | हुगली चिनसूरा नगर निगम क्षेत्र में बरसाती पानी निकास स्कीम | 3881.96 | 1358.68 | 339.67 |
| 55. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | बांसबेरिया नगर निगम हेतु बरसाती पानी निकास | 2979.36 | 1042.78 | 280.7 |
| 56. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | कोलकाता यूए-, चंदन नगर नगर निगम क्षेत्र में बरसाती पानी निकास स्कीम | 6189.45 | 2166.30 | 541.47 |
| 57. | राजस्थान | अजमेर-पुष्कर | बरसाती पानी नाली | 6108.00 | 4886.00 | 1221.5 |
| 58. | उड़ीसा | भुवनेश्वर | भुनेश्वर हेतु बरसाती पानी निकास | 6833.00 | 5466.40 | 1366.6 |
| 59. | महाराष्ट्र | नांदेड़ | बरसाती पानी निपटान एवं प्रबंधन परियोजना (उत्तरी क्षेत्र नांदेड़) | 4573.08 | 3658.47 | 914.62 |
| 60. | उड़ीसा | पुरी | पुरी टाऊन हेतु बरसाती पानी निकास प्रणाली | 7182.00 | 4500.00 | |
| 61. | आंध्र प्रदेश | विजयवाड़ा | विजयवाड़ा हेतु बस द्रुत परिवहन प्रणाली-(i) एमजी रोड, (ii) न्यूजीविडू रोड, (iii) एलूरू रोड, (iv) रूट नं. 5, (v) एसएन पुरम रोड, (vi) लूप रोड | 15264.00 | 7632.00 | 1908.00 |
| 62. | आंध्र प्रदेश | विशाखापट्टनम | विशाखापट्टनम (i) सुरंग सहित सिहचलम ट्रांजिट कोरिडोर (ii) पेंडुरधि ट्रांजिट कोरिडोर हेतु बस द्रुत परिवहन प्रणाली | 45293.00 | 22646.50 | 5661.63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63. | गुजरात | अहमदाबाद | बस द्रुत परिवहन प्रणाली-12 किमी. लम्बी स्ट्रेच (प्रथम फेज का स्ट्रेच-I) बीआरटी रेलवे का निर्माण तथा शेष स्ट्रेचेज का विस्तृत अध्ययन एवं इंजिनियरिंग कराना | 8760.00 | 3066.00 | 1533.00 |
| 64. | गुजरात | अहमदाबाद | बस द्रुत परिवहन प्रणाली (46 किमी. स्ट्रेच) | 40572.00 | 14200.20 | 7100.10 |
| 65. | गुजरात | अहमदाबाद | बीआरटीएस फेज-II | 48613.00 | 17065.00 | 4271.00 |
| 66. | गुजरात | राजकोट | बस द्रुत परिवहन प्रणाली फेज-I (ब्ल्यू कोरिडोर पार्ट-I का विकास) | 11000.00 | 5500.00 | 1375.00 |
| 67. | गुजरात | सूरत | सूरत हेतु बीआरटीएस का विकास | 46902.00 | 23451.00 | 5862.75 |
| 68. | मध्य प्रदेश | भोपाल | बस द्रुत परिवहन प्रणाली (21.715 किमी. लम्बी) हेतु पायलट कोरिडोर (नई बाजार से विश्वविद्यालय) | 23776.00 | 11888.00 | 2972.00 |
| 69. | मध्य प्रदेश | इंदौर | बस द्रुत परिवहन प्रणाली-पायलट परियोजना | 9845.00 | 4922.50 | 2461.24 |
| 70. | महाराष्ट्र | पुणे | पुणे सिटी हेतु बीआरटी पायलट परियोजना (कटराज स्वरगेट हाडाप्सर रूट 13.6 किमी.) | 10313.50 | 5156.75 | 3867.56 |
| 71. | महाराष्ट्र | पुणे | बस द्रुत परिवहन प्रणाली (युवा राष्ट्रमंडल खेल 2008 हेतु अवस्थापना विकास) | 43422.00 | 21711.00 | 16283.56 |
| 72. | महाराष्ट्र | पुणे | पुणे सिटी हेतु (फेज-I) बस द्रुत परिवहन | 47662.20 | 23831.10 | 17871.43 |
| 73. | महाराष्ट्र | पुणे | मुंबई-पुणे हाइवे (18.5 किमी.) औध रावेत रोड (14.5 किमी.) हेतु बीआरटीएस कोरिडोर | 31214.00 | 15607.00 | 11705.25 |
| 74. | महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (विक्रांतवाडी से दिघी-ओक्ट्राई नाका से 13.9 किमी.) हेतु बीआरटी कोरिडोर के रूप में न्यू अलिंदी रोड का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण | 3703.00 | 1851.50 | 462.88 |
| 75. | राजस्थान | जयपुर | सिकर रोड होते हुए सी जोन बाइपास क्रासिंग से पानीपेक तक बीआरटीएस परियोजना प्रस्ताव (पैकेज आईबी) | 7519.00 | 3759.50 | 2819.64 |
| 76. | राजस्थान | जयपुर | पैकेज टूर के तहत बस द्रुत परिवहन प्रणाली | 14000.00 | 7200.00 | 1800.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77. | महाराष्ट्र | पुणे | बीआरटीएस कोरिडोर-कालेवाडी-केएसबी चौक से देहू अलंदी रोड (ट्रक रूट 7)-पीसीएमसी | 21920.00 | 8768.00 | 2192.00 |
| 78. | महाराष्ट्र | पुणे | बीआरटीएस कोरिडोर-नासिक फाटा से वाकड (ट्रंक रूट सं. 9)-पीसीएमसी | 20682.00 | 8272.80 | 2068.20 |
| 79. | राजस्थान | जयपुर | जयपुर हेतु बीआरटीएस पैकेज-IIIए तथा IIIबी | 26035.94 | 13017.97 | 3254.49 |
| 80. | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | कम्प्यूटर अमेनिटी सेन्टर (सीएसी) | 16213.00 | 5674.55 | 1418.64 |
| 81. | कर्नाटक | बंगलौर | केंगरी में यातायात एवं परिवहन प्रबंधन केन्द्र का विकास केंगेरी बंगलौर में प्रस्तावित | 2112.66 | 739.43 | 184.86 |
| 82. | कर्नाटक | बंगलौर | बैनर धट्टा में यातायात एवं परिवहन प्रबंधन केन्द्र का विकास बैनर धट्टा में प्रस्तावित बस टर्मिनल अनुरक्षण डिपो एवं यात्री सुविधा केन्द्र) | 392.60 | 137.41 | 34.35 |
| 83. | कर्नाटक | बंगलौर | शांति नगर वाल्यूम-I, वाल्यूम-II, वाल्यूम-IIIए 1234 वोल्यूम-III बी 12 में टीटीएमसी के निर्माण हेतु प्रस्ताव | 8467.96 | 2963.79 | 740.95 |
| 84. | कर्नाटक | बंगलौर | कोरमंगला वोल I, वोल्यूम-II, वोल-III 123 में टीटीएमसी के निर्माण हेतु प्रस्ताव | 5058.06 | 1770.32 | 442.58 |
| 85. | कर्नाटक | बंगलौर | बानासंकरी वोल्यूम-I, II, II, 12 में टीटीएमसी के निर्माण का प्रस्ताव | 2223.51 | 778.23 | 194.56 |
| 86. | कर्नाटक | बंगलौर | आईटीपीएल व्हाइटफील्ड वोल्यूम-I, II में टीटीएमसी के निर्माण हेतु प्रस्ताव विस्तृत रूपरेखा | 2655.63 | 929.47 | 231.86 |
| 87. | कर्नाटक | बंगलौर | विजयनगर वोल-I, वोल-II में टीटीएमसी का निर्माण | 3812.42 | 1334.35 | 333.58 |
| 88. | कर्नाटक | बंगलौर | डोमलूर, बंगलौर में यातायात एवं परिवहन प्रबंधन केन्द्र का विकास | 1555.00 | 544.25 | 136.06 |
| 89. | कर्नाटक | बंगलौर | विश्वनाथपुर, बंगलौर में यातायात एवं परिवहन प्रबंधन केन्द्र का विकास | 6131.93 | 2146.17 | 536.54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90. | कर्नाटक | मैसूर | मैसूर में परिवहन अवस्थापना सुविधाओं का विकास | 8525.74 | 6820.59 | 3410.29 |
| 91. | महाराष्ट्र | ग्रेटर मुंबई | थाणे रेल प्रणाली क्षेत्र यातायात सुधार स्कीम (एसएटीआईएस) | 2325.00 | 813.75 | 610.21 |
| 92. | अरुणाचल प्रदेश | इटानगर | रोड एवं पार्किंग लाट/स्थान सहित शहरी परिवहन हेतु अवस्थापना का सुधार एवं सृजन | 9128.50 | 8215.65 | 2053.91 |
| 93. | मध्य प्रदेश | इंदौर | इंदौर में 20 विभिन्न स्थानों पर बहुमंजिले पार्किंग का निर्माण | 5600.00 | 2800.00 | 700.00 |
| 94. | राजस्थान | जयपुर | पन्ना मीना बोरी एवं इसके अम्बर जयपुर का संरक्षण एवं विस्तार | 431.00 | 215.50 | 107.76 |
| 95. | महाराष्ट्र | नासिक | गोदावरी नदी मुहाना विकास, धाटा सुधार एवं सौंदर्यीकरण | 5805.00 | 2902.50 | 725.63 |
| 96. | गुजरात | वड़ोदरा | सयाजी सरोवर परतापपुरा प्रणाली, वड़ोदरा की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण | 2869.72 | 1434.34 | 403.25 |
| 97. | मणिपुर | इंफाल | नांबुल नदी मुहाना एवं नागानाला का सुधार | 2564.82 | 2308.34 | 577.09 |
| 98. | आंध्र प्रदेश | विजयवाड़ा | विजयवाड़ा सिटी में मिल्क, प्रोजेक्ट एवं रामावारापट्टू में एनएच 9 एवं एनएच 5 जोड़ने वाले आईआरआर का निर्माण | 7424.00 | 3712.00 | 928.00 |
| 99. | गुजरात | अहमदाबाद | स्टेशन कालूपुर एवं नरोदा के मध्य हितनगर एमजी रेलवे लाइन अहमदाबाद पर ओंकार क्रासिंग पर एलसी सं. 5ए के स्थान पर चार लेन आरओबी का निर्माण | 1851.00 | 647.85 | 323.92 |
| 100. | गुजरात | अहमदाबाद | मणिनगर एवं वल्वा रेलवे स्टेशन के बीच बीजी रेलवे लाइन के ऊपर दक्षिणी सोसाइटी के नजदीक रेलवे ओवर ब्रिज सं. 132 रिंग रोड का निर्माण | 2144.00 | 750.40 | 749.20 |
| 101. | गुजरात | अहमदाबाद | स्टेशन वत्वा एवं मणिनगर के बीच अंबिका ट्यूब क्रासिंग पर अहमदाबाद-मुंबई बीजी रेलवे लाइन पर सं. 306 के स्थान पर चार लेन आरओबी का निर्माण | 1500.00 | 525.00 | 524.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102. | गुजरात | अहमदाबाद | अहमदाबाद में सोला (एईसी) जंक्शन पर छः लेन के फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण | 1857.00 | 649.95 | 648.98 |
| 103. | गुजरात | राजकोट | गोंडाला रोड मवदी रोड सहित बीजी रेलवे लाइन पर लेवल क्रासिंग के स्थान पर आरओबी का निर्माण | 2480.74 | 1240.37 | 310.09 |
| 104. | गुजरात | सूरत | दबोली को जहांगीरपुरी से जोड़ने के लिए तापी नदी के ऊपर पुल | 6500.00 | 3250.00 | 2437.50 |
| 105. | गुजरात | सूरत | कपोधरा फायर स्टेशन पर फ्लाईओवर का निर्माण | 932.00 | 466.00 | 233.00 |
| 106. | गुजरात | सूरत | गोथान में सूरत सिटी के प्रस्तावित बाहरी रिंग रोड पर आरओबी का निर्माण | 1427.12 | 713.56 | 178.39 |
| 107. | गुजरात | सूरत | सचिन में सूरत सिटी के प्रस्तावित बाहरी रिंग रोड पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण | 2077.12 | 1038.56 | 259.64 |
| 108. | गुजरात | वड़ोदरा | वड़ोदरा सिटी में 24.0 एम रोड पर डी-केबिन नवायार्ड के नजदीक स्टेशन विश्वामित्री एवं मकरपुरा के बीच रेलवे कि.मी. 399/41 नी अहमदाबाद-मुंबई जी जी लाइन पर लेन का आरओबी का निर्माण | 1396.00 | 698.00 | 349.00 |
| 109. | गुजरात | वड़ोदरा | वड़ोदरा में दिनेश मिल के नजदीक स्टेशन वड़ोदरा एवं मकरपुरा के बीच रेलवे किमी. 395/10 पर अहमदाबाद-मुंबई बीजी लाइन पर 2 लेन के आरओबी का निर्माण | 1968.00 | 984.00 | 492.00 |
| 110. | हिमाचल प्रदेश | शिमला | आकलैण्ड हाउस स्कूल के नजदीक मौजूद सुरभ वाइडेनिंग एवं लोवरिंग का निर्माण अप्रोच ब्रिज के निर्माण सहित | 1009.06 | 807.25 | 201.81 |
| 111. | कर्नाटक | बंगलौर | एम जी रोड क्षेत्र के चारो तरफ की सड़कों के साइज वाक का उन्नयन एवं अस्फालिटंग कार्य | 4361.16 | 1526.41 | 1144.80 |
| 112. | कर्नाटक | बंगलौर | कोरमंगला एरिया के आसपास साइड वाक का उन्नयन एवं सड़कों का असफाल्टिंग कार्य | 5044.90 | 1765.72 | 1324.29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113. | कर्नाटक | बंगलौर | जयनगर, बंगलौर में यातायात एवं परिवहन प्रबंधन केन्द्र का विकास (जयनगर में प्रस्तावित यात्री सुविधा केन्द्र) | 889.58 | 311.35 | 155.68 |
| 114. | कर्नाटक | बंगलौर | टैगोर सर्किल में अंडरपास का निर्माण | 1755.90 | 614.57 | 153.64 |
| 115. | कर्नाटक | बंगलौर | गली अंजानेया जंक्शन पर ब्रिज का निर्माण | 3193.24 | 1117.63 | 279.40 |
| 116. | कर्नाटक | बंगलौर | मगाडी रोड एवं कोर्ड रोड जंक्शन में अंडरपास का निर्माण | 2782.49 | 973.87 | 486.92 |
| 117. | कर्नाटक | बंगलौर | यशवंतपुर जंक्शन पर ग्रेड अंडरपास का निर्माण | 2157.91 | 755.27 | 566.46 |
| 118. | कर्नाटक | बंगलौर | नागावरा रोड जंक्शन पर अंडरपास का निर्माण | 2162.88 | 757.01 | 1892.5 |
| 119. | कर्नाटक | बंगलौर | इलूरू जंक्शन पर ओआरआर के साथ फ्लाइओवर का निर्माण | 1874.28 | 656.00 | 164.00 |
| 120. | कर्नाटक | बंगलौर | आगरा जंक्शन पर ओआरआर के साथ फ्लाइओवर का निर्माण | 3809.93 | 1333.48 | 333.37 |
| 121. | कर्नाटक | बंगलौर | रिंग रोड हेन्नूर बंसवाडी रोड जंक्शन पर अंडरपास का निर्माण | 2543.79 | 890.33 | 222.58 |
| 122. | कर्नाटक | बंगलौर | रिंग रोड कदेरिनहल्ली जंक्शन पर अंडरपास का निर्माण | 2486.90 | 870.41 | 435.20 |
| 123. | कर्नाटक | बंगलौर | रिंग रोड–सीएनआर राव जंक्शन पर अंडरपास का निर्माण | 2260.62 | 791.21 | 197.80 |
| 124. | कर्नाटक | बंगलौर | रिंग रोड पुन्तेनहल्ली जंक्शन पर अंडरपास का निर्माण | 2284.84 | 799.94 | 399.96 |
| 125. | कर्नाटक | मैसूर | मैसूर में बाहरी रिंग रोड का उन्नयन | 21902.47 | 17521.97 | 4380.49 |
| 126. | मध्य प्रदेश | इंदौर | इंदौर में 8 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण | 4083.35 | 2041.68 | 1531.26 |
| 127. | मध्य प्रदेश | इंदौर | व्हाइट चर्च से बाइपास रोड तक लिंग रोड का निर्माण | 1966.34 | 983.17 | 245.79 |
| 128. | मध्य प्रदेश | इंदौर | मास्टर प्लान लिंक रोड एमआर-9, इंदौर का विकास | 3974.64 | 1987.32 | 496.83 |
| 129. | महाराष्ट्र | ग्रेटर मुंबई | प्रिंस आफ वेल्स म्यूजियम से एपीएलआर–एमयूआईजी तक ईस्टर्न फ्रीवे | 33638.80 | 11773.58 | 2943.40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130. | महाराष्ट्र | ग्रेटर मुंबई | शहर रोड पर एलिवेटिड सड़क-एमयूआईपी | 15513.34 | 5429.67 | 1357.42 |
| 131. | महाराष्ट्र | नागपुर | रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) | 8628.00 | 4314.00 | 3236.50 |
| 132. | महाराष्ट्र | नागपुर | आनंद टाकीज के निकट रोड अंडर ब्रिज का निर्माण | 1828.65 | 914.33 | 228.58 |
| 133. | महाराष्ट्र | नागपुर | मसकासठ में रोड ओवर ब्रिज का निर्माण | 253.00 | 126.50 | 31.63 |
| 134. | महाराष्ट्र | नागपुर | इटवारी में रोड ओवर ब्रिज का निर्माण | 900.80 | 450.40 | 112.60 |
| 135. | महाराष्ट्र | नागपुर | अमला नागपुर सैशन में 1041/3-5 किमी. के बीच लेवल-क्रासिंग के रिप्लेसमेंट में मंगलवाड़ी में रोड ओवर ब्रिज का निर्माण | 849.14 | 424.57 | 106.41 |
| 136. | महाराष्ट्र | नांदेड़ | नांदेड़ (पैकेज-) में सिटी सड़कों का सुधार | 6108.55 | 4886.84 | 1221.71 |
| 137. | महाराष्ट्र | नांदेड़ | नांदेड़ पैकेज-II, III और IIIबी सड़कों में मूवमेंट नेटवर्क का सुधार | 21497.33 | 17197.86 | 12898.41 |
| 138. | महाराष्ट्र | नांदेड़ | नांदेड़ पैकेज-III बी स्ट्रक्चर में मूवमेंट का सुधार सड़कों में मूवमेंट नेटवर्क का सुधार | 5815.49 | 4652.39 | 4652.40 |
| 139. | महाराष्ट्र | पुणे | नगर रोड में पेडस्ट्रेन सबवे (सं. 3) और वाहन अंडरपास (सं. 1) का निर्माण | 661.00 | 330.50 | 82.63 |
| 140. | महाराष्ट्र | पुणे | संगमवाड़ी ब्रिज तक अप्रोच रोड | 782.00 | 391.00 | 293.25 |
| 141. | नागालैंड | कोहिमा | सड़क और परिवहन | 2525.60 | 2273.04 | 568.26 |
| 142. | पंजाब | अमृतसर | जीटी रोड से गोल्डन टेम्पल तक रो लेन एलिवेटिड सड़क का निर्माण और मकबूलपुरा चौक से भंडारी पुल तक जीटी रोड पर 4 लेन एलिवेटिड सड़क का निर्माण | 14949.00 | 7474.50 | 7474.14 |
| 143. | तमिलनाडु | चेन्नई | चेन्नई में आरओबी और आरयूबी का निर्माण (सं. 6) चेन्नई पेरम्बदूर में फ्लाईओवर का निर्माण | 4440.80 | 1554.28 | 777.14 |
| 144. | तमिलनाडु | चेन्नई | ईएम बाईपास और काजीनजरूल इस्लाम सरानी के बीच फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण | 3287.50 | 1150.63 | 287.66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145. | तमिलनाडु | चेन्नई | ईएम बाईपास और काजीनजरुल इस्लाम सरानी के बीच फ्लाई ओवर का निर्माण | 548.30 | 191.91 | 95.94 |
| 146. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | अलेंडूर रोड, चेन्नई में हाई लेबल ब्रिज, अदयर रिवर का निर्माण | 3802.00 | 1330.70 | 665.34 |
| 147. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | बेक बेगन कनेक्टिंग एजेसी बोस रोड फ्लाई ओवरों में लेफ्ट टर्निंग नार्थ बाउंट आफ-रेम्प का निर्माण | 1806.15 | 632.15 | 158.04 |
| 148. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | इनलप जंक्शन में इंटरचार्ज का निर्माण | 3756.25 | 1314.68 | 328.67 |
| 149. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | पदमपुरकुर से कमलगाजी तक ईएम-वाई-पास कनेक्टर का निर्माण | 5309.67 | 1858.45 | 464.61 |
| 150. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | हावड़ा से सीआर एवेन्यू क्रासिंग तक विवेकानंद रोड फ्लाई ओवर | 15360.00 | 5376.00 | 1344.00 |
| 151. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | जैसोर रोड पर नागेर बाजार जंक्शन पर फ्लाई ओवर का निर्माण | 4809.00 | 1683.15 | 420.15 |
| 152. | उत्तराखण्ड | देहरादून | हरिद्वार शहर हेतु जंक्शन का सुधार | 2005.00 | 1604.00 | 320.80 |
| 153. | आंध्र प्रदेश | विजयवाड़ा | विजयवाड़ा में सीवरेज के कारण डैमेज्ड रोड का रिस्टोरेशन रेलवे स्टेशन प्रतापनगर जम्बूसर (एनजी) सेक्शन के बीच मौजूदा लेवल क्रासिंग सं. 2 के बदले आरओबी का निर्माण | 3625.02 | 1812.51 | 453.12 |
| 154. | गुजरात | वड़ोदरा | लालबाग वड़ोदरा के पास 1/15 से 2/1 किमी. | 4570.00 | 2285.00 | 571.25 |
| 155. | उत्तराखण्ड | देहरादून | देहरादून हेतु इंटरसैक्शन सं. 30 का निर्माण | 2943.00 | 2354.40 | 588.60 |
| 156. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | पार्क सर्कस से पारमा द्वीप तक फ्लाई ओवर का निर्माण | 29166.14 | 10208.15 | 2552.04 |
| 157. | गुजरात | वड़ोदरा | कलाली में 40 मी. चौड़े रिंग रोड पर स्टेशन विश्वामित्री और जम्बूसर के बीच रेलवे क्रासिंग सं. 2 के बदले रेलवे किमी. 2/3-4 में वड़ोदरा-जम्बूसर एनजी रेलवे लाईन पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण | 4435.10 | 2217.55 | |
| 158. | केरल | कोचीन | कोच्चि में सड़क सुधार और ब्रिज निर्माण | 10964.00 | 5482.00 | 950.50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159. | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | साउथ आफ ओल्ड सिटी क्षेत्र में सीवरेज प्रणाली को पुन:स्थापित करना और सुदृढ़ करना (जोन-1 में कैचमेंट एस 1 से एस 6, एस 12, एस-14) | 14881.00 | 5208.35 | 1302.08 |
| 160. | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | साउथ आफ ओल्ड सिटी क्षेत्र में सीवरेज प्रणाली को पुन:स्थापित करना और सुदृढ़ करना (जोन-2 में कैचमेंट एस 7 से एस 11, एस 13, एस-15) | 25125.00 | 8793.75 | 2198.44 |
| 161. | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | सिरीलिंगमपल्ली नगरपालिका में सीवरेज मास्टर प्लान का कार्यान्वयन | 20038.00 | 7013.30 | 490.93 |
| 162. | आंध्र प्रदेश | विजयवाड़ा | विजयवाड़ा के कृष्णलंका क्षेत्र में सीवरेज प्रणाली मुहैया करवाना | 743.00 | 371.50 | 185.74 |
| 163. | आंध्र प्रदेश | विजयवाड़ा | सिंहनगर (यूएएसबीआर) (से. 8) में सीवरेज शोधन संयंत्र मुहैया करवाना | 949.00 | 474.50 | 118.63 |
| 164. | आंध्र प्रदेश | विजयवाड़ा | हाउसिंग बोर्ड कोलानी गुंडाला, देवीनगर केदाररेसवरपेट इत्यादि सहित वीएमसी के अनसर्वड क्षेत्रों में सीवरेज सुविधा मुहैया कराना | 1985.00 | 992.50 | 494.26 |
| 165. | आंध्र प्रदेश | विशाखापट्टनम | विशाखापट्टनम के ओल्ड सिटी क्षेत्र में सीवरेज प्रणाली मुहैया करवाना | 3708.00 | 1854.00 | 1390.50 |
| 166. | आंध्र प्रदेश | विशाखापट्टनम | विशाखापट्टनम शहर के सेंट्रल भाग में सीवरेज प्रणाली मुहैया करवाना | 24444.00 | 12222.00 | 6111.00 |
| 167. | गुजरात | अहमदाबाद | पिराना में मौजूदा सीवरेज शोधन संयंत्र का नवीकरण | 6922.00 | 2422.70 | 2422.72 |
| 168. | गुजरात | अहमदाबाद | वसना में सीवरेज शोधन संयंत्र का नवीकरण | 1135.00 | 397.25 | 198.62 |
| 169. | गुजरात | अहमदाबाद | ईस्ट एयूडीए क्षेत्र हेतु बिन्जोल क्षेत्र के पास टर्मिनल सीवरेज | 3681.26 | 1288.44 | 322.11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170. | गुजरात | अहमदाबाद | पंपिंग स्टेशन, पंपिंग मेन एंड सीवरेज शोधन संयंत्र वसना के पास वेस्ट एयूडीए एरिया टर्मिनल पंपिंग स्टेशन, पंपिंग मेन और सीवरेज शोधन संयंत्र | 10692.01 | 3742.20 | 935.55 |
| 171. | गुजरात | अहमदाबाद | वेस्ट एयूडीए का सीवरेज नेटवर्क | 23541.00 | 8239.00 | 823.00 |
| 172. | गुजरात | अहमदाबाद | ईस्ट एयूडीए क्षेत्र का सीवरेज नेटवर्क | 7765.00 | 2718.00 | 271.00 |
| 173. | गुजरात | सूरत | वीसू क्षेत्र हेतु सीवरेज डिस्पोजल नेटवर्क और एसटीपी | 3437.00 | 1718.50 | 859.26 |
| 174. | गुजरात | सूरत | पल-पालनपुर क्षेत्र हेतु सीवरेज डिस्पोजल नेटवर्क और एसटीपी | 2128.00 | 1064.00 | 798.00 |
| 175. | गुजरात | सूरत | न्यू ईस्ट जोन क्षेत्र हेतु सीवरेज और सीवेट शोधन प्रणाली | 11065.73 | 5532.86 | 1383.21 |
| 176. | गुजरात | सूरत | सूरत नगर निगम के मौजूदा पंपिंग स्टेशन और एसटीपी का आटोमेशन/एससीडीए | 3063.43 | 1537.71 | 382.93 |
| 177. | गुजरात | सूरत | एसएमसी के न्यू नार्दन ड्रेनेज जोन हेतु सीवरेज प्रणाली | 18404.35 | 9202.18 | 2300.52 |
| 178. | गुजरात | वड़ोदरा | वड़ोदरा शहर हेतु सीवरेज प्रणाली | 10514.93 | 5257.47 | 2628.74 |
| 179. | हरियाणा | फरीदाबाद | फरीदाबाद में सीवरेज प्रणाली और सीवरेज शोधन कार्य की रिवैम्पिंग | 10383.00 | 5191.50 | 3893.64 |
| 180. | जम्मू और कश्मीर | जम्मू | ग्रेटर जम्मू के डिवीजन ए हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम | 12923.00 | 11630.70 | 2907.68 |
| 181. | जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर | ग्रेटर श्रीनगर के जोन 3 (से. 1) हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम | 13292.00 | 11962.80 | 2290.70 |
| 182. | कर्नाटक | बैंगलोर | मौजूदा सीवरेज प्रणाली का एनवायरमेंटल एक्शन प्लान रिप्लेशमेंट रिहैबिलिटेशन | 17675.00 | 6186.25 | 1546.56 |
| 183. | कर्नाटक | बैंगलोर | येलहनका में अंडरग्राउंड ड्रेनेज वर्क | 1500.63 | 525.22 | 131.30 |
| 184. | कर्नाटक | बैंगलोर | केनगिरी में अंडरग्राउंड ड्रेनेज वर्क | 1876.36 | 656.73 | 164.18 |
| 185. | केरल | कोचीन | कोच्चि के 6 डिवीजनों और वार्डों (सं. 43, 49, 50, 51, 54 और 56) सहित केन्द्रीय जोन हेतु सीवरेज स्कीम | 7841.00 | 3920.50 | 935.13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186. | केरल | तिरुवनंतपुरम | तिरुवनंतपुरम नगर निगम हेतु सीवरेज स्कीम का सुधार | 21541.00 | 17232.80 | 4308.20 |
| 187. | मध्य प्रदेश | भोपाल | इंदौर सीवरेज प्रयोगशाला | 30717.00 | 15358.50 | 7679.24 |
| 188. | मध्य प्रदेश | जबलपुर | सीवरेज और सीवेज शोधन परियोजना फेज-I | 7801.00 | 3900.50 | 975.00 |
| 189. | मध्य प्रदेश | जबलपुर | सीवरेज और सीवेज शोधन परियोजना फेज-II | 7081.00 | 3540.50 | 885.00 |
| 190. | महाराष्ट्र | ग्रेटर मुम्बई | मुम्बई सीवेज डिस्पोजल प्रोजेक्ट स्टेज 2 प्रायोरिटी वर्क | 36447.00 | 12756.45 | 3189.11 |
| 191. | महाराष्ट्र | ग्रेटर मुम्बई | थाणे हेतु अंडरग्राउंड सीवरेज स्कीम फेज-I | 14956.79 | 5234.88 | 1308.72 |
| 192. | महाराष्ट्र | ग्रेटर मुम्बई | डिसेंट्रलाइज प्रणाली पर आधारित मीरा-भयंदर-अंडरग्राउंड सीवरेज परियोजना | 33142.27 | 11599.80 | 2899.95 |
| 193. | महाराष्ट्र | ग्रेटर मुम्बई | थाणे हेतु सीवरेज प्रणाली परियोजना फेज-II | 14009.00 | 4903.15 | 1225.79 |
| 194. | महाराष्ट्र | ग्रेटर मुम्बई | थाणे हेतु सीवरेज प्रणाली परियोजना फेज-III | 4181.00 | 1463.35 | 365.84 |
| 195. | महाराष्ट्र | ग्रेटर मुम्बई | केडीएमसी के भाग हेतु अंडरग्राउंड सीवरेज | 16963.35 | 5937.17 | 1484.29 |
| 196. | महाराष्ट्र | नांदेड़ | नार्थ नांदेड़, जोन-1 में सीवरेज प्रणाली | 4025.00 | 3220.00 | 1610.00 |
| 197. | महाराष्ट्र | नांदेड़ | नार्थ नांदेड़, जोन-2 में सीवरेज प्रणाली | 4889.00 | 3911.20 | 977.75 |
| 198. | महाराष्ट्र | नांदेड़ | नार्थ नांदेड़, जोन-3 में सीवरेज प्रणाली | 3931.00 | 3144.80 | 786.25 |
| 199. | महाराष्ट्र | नांदेड़ | अंडरग्राउंड सीवरेज और सीवेज शोधन (नांदेड़-साउथ) | 4093.00 | 3274.40 | 2455.80 |
| 200. | महाराष्ट्र | नासिक | नासिक शहर फेज-I हेतु अंडरग्राउंड सीवरेज परियोजना | 14846.00 | 7423.00 | 3711.50 |
| 201. | महाराष्ट्र | पुणे | पिंपरी चिंचवाड हेतु सीवरेज प्रस्ताव | 11938.88 | 5969.44 | 4477.08 |
| 202. | महाराष्ट्र | पुणे | पीसीएमसी हेतु सीवरेज प्रणाली (फेज-II) | 12070.45 | 6035.23 | 1508.80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203. | उड़ीसा | भुवनेश्वर | एकीकृत सीवरेज परियोजना | 49891.35 | 39913.08 | 9978.27 |
| 204. | पुडुचेरी | पुडुचेरी | पुडुचेरी शहरी क्षेत्रों हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम | 20340.00 | 16272.00 | 4068.00 |
| 205. | पंजाब | अमृतसर | वाल्ड सिटी क्षेत्र फेज-2 हेतु मौजूदा सीवरेज प्रणाली का पुनर्स्थापन | 3690.00 | 1845.00 | 461.25 |
| 206. | पंजाब | लुधियाना | सीवरेज और सीवेज शोधन संयंत्र मुहैया करवाना | 24139.00 | 12069.50 | 3017.37 |
| 207. | राजस्थान | एजेएमइआर-पुष्कर | सीवरेज परियोजना | 11208.00 | 5200.00 | 1300.00 |
| 208. | राजस्थान | जयपुर | जयपुर हेतु सीवरेज प्रणाली फेज-1 | 7495.97 | 3747.99 | 2811.00 |
| 209. | राजस्थान | जयपुर | जयपुर सीवरेज परियोजना फेज-2 | 11066.00 | 5543.00 | 4107.25 |
| 210. | सिक्किम | गंगटोक | गंगटोक में सीवरों का पुनर्स्थापन | 2392.01 | 2152.81 | 1076.40 |
| 211. | तमिलनाडु | चेन्नई | पेरुनगुड़ी में अतिरिक्त सीवरेज शोधन संयंत्र 54 एमएलडी का निर्माण | 3147.98 | 1101.79 | 275.45 |
| 212. | तमिलनाडु | चेन्नई | पुजहूथीवक्वम (उल्लागरम) हेतु सीवरेज सुविधाएं | 2808.06 | 982.80 | 99.75 |
| 213. | तमिलनाडु | चेन्नई | अवेडी नगरपालिका हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया कराना | 15805.41 | 5531.89 | 276.59 |
| 214. | तमिलानडु | चेन्नई | अम्बट्टूर नगरपालिका हेतु सीवरेज सुविधाएं मुहैया करवाना फेज-3 | 13091.00 | 4581.85 | 1145.46 |
| 215. | तमिलनाडु | कोयंबटूर | व्यापक अंडरग्राउंड सीवरेज स्कीम | 37712.88 | 18856.44 | 4714.11 |
| 216. | तमिलनाडु | मदुरै | फेज-3 क्षेत्र हेतु अंडरग्राउंड सीवरेज स्कीम और मौजूदा सीवरेज प्रणाली का नवीकरण | 22934.00 | 11467.00 | 2866.75 |
| 217. | उत्तर प्रदेश | आगरा | ब्रांच हेतु यमुना एक्शन प्लान फेज-2 और आगरा में नार्दन जोन और वेस्टर्न जोन में लेटरल सीवर लाइन | 2162.00 | 1081.00 | 540.50 |
| 218. | उत्तर प्रदेश | कानपुर | कानपुर शहर हेतु सीवरेज कार्य (इनरकोर एरिया) | 19088.22 | 9544.11 | 2386.03 |
| 219. | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | लखनऊ शहर के लिए सीवरेज कार्य-सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1 खण्ड-1-2 | 23623.00 | 11811.50 | 5905.74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220. | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | लखनऊ शहर के लिए सीवरेज कार्य-सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-3 भाग-1 | 26216.00 | 13108.00 | 3277.00 |
| 221. | उत्तर प्रदेश | कानपुर | कानपुर शहर हेतु सीवरेज शोधन | 10100.45 | 5050.22 | 1262.55 |
| 222. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | कोलकाता फेज-1 में सीवर प्रणाली का उन्नयन | 9712.00 | 3399.20 | 849.80 |
| 223. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | कोलकाता हेतु मैन एंटी ब्रिक सीवर प्रणाली (भाग का उन्नयन) | 40291.00 | 14101.85 | 3525.46 |
| 224. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | साल्ट लेक में नाबा डिगांटा इंडस्ट्रियल टाउनशिप अथारिटी के तहत से.-5 (भाग 2 सीवरेज प्रणाली) में जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली का विकास और प्रबंधन | 3407.15 | 1192.50 | 298.13 |
| 225. | कर्नाटक | बैंगलोर | अर्स्टव्हाइल दर्शरहल्ली शहर नगरपालिका परिसर ड्रेनेज जोन 7-8 हेतु अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम और रोड रीस्टोरेशन | 13657.00 | 4780.00 | 1195.00 |
| 226. | कर्नाटक | बैंगलोर | के आर पुरम सिटी नगरपरिषद ड्रेनेज जोन-3 हेतु अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम और रोड रीस्टोरेशन | 8789.00 | 3077.00 | 769.00 |
| 227. | कर्नाटक | बैंगलोर | महादेव पुरा सिटी नगरपरिषद ड्रेनेज जोन-3 हेतु अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम और रोड रीस्टोरेशन | 11018.00 | 3856.00 | 964.00 |
| 228. | तमिलनाडु | चेन्नई | चेन्नई मदुरा वोयल नगरपालिका हेतु सीवेज सुविधा मुहैया करवाना | 5745.50 | 2011.00 | 503.00 |
| 229. | उत्तर प्रदेश | वाराणसी | वाराणसी ट्रांस वरुणा क्षेत्र हेतु सीवरेज कार्य | 30912.00 | 15456.00 | 3091.00 |
| 230. | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | लखनऊ शहर-सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-3 भाग-2 हेतु सीवरेज कार्य | 21443.00 | 10722.00 | 2681.00 |
| 231. | महाराष्ट्र | ग्रेटर मुम्बई | कुलगांव-बदलापुर-अंडरग्राउंड सीवरेज स्कीम | 15146.18 | 5301.16 | 1325.29 |
| 232. | दिल्ली | दिल्ली | निलोठी और पप्पनकलां में 20 एमजीडी एसटीपी स्थापित करना | 24544.00 | 8590.00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233. | तमिलनाडु | चेन्नई | पुरुर पंचायत-पुरुर टाउन हेतु सीवरेज सुविधाएं मुहैया करवाना | 3829.00 | 1340.15 | 335.03 |
| 234. | तमिलनाडु | चेन्नई | नेशापक्कन 54 एमएलडी सीवरेज शोधन संयंत्र | 5457.00 | 1910.00 | 473.00 |
| 235. | तमिलनाडु | चेन्नई | तमबरम नगरपालिका हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया करवाना | 16096.59 | 5633.80 | 1408.45 |
| 236. | तमिलनाडु | चेन्नई | पेरुनगुड़ी टाउन पंचायत हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया करवाना | 2019.24 | 706.73 | 176.68 |
| 237. | तमिलनाडु | चेन्नई | थिरुमझिसाय टाउन पंचायत व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया करवाना | 2047.32 | 716.56 | 179.14 |
| 238. | महाराष्ट्र | ग्रेटर मुम्बई | नवीं मुंबई-नवीं मुंबई हेतु अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम | 35366.52 | 12378.28 | 3094.57 |
| 239. | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | हैदराबाद यूए में राजेन्द्र नगरपालिका में सीवरेज मास्टर प्लान का कार्यान्वयन | 33507.00 | 10000.00 | 2500.00 |
| 240. | तमिलनाडु | चेन्नई | पेरुनगलथूर टाउन पंचायत हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया करवाना | 4761.00 | 1666.00 | 415.00 |
| 241. | तमिलनाडु | चेन्नई | पल्लीकरानी टाउन पंचायत हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया करवाना | 5861.00 | 2051.00 | 512.00 |
| 242. | तमिलनाडु | चेन्नई | परिकनकरनी टाउन पंचायत हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया करवाना | 2129.00 | 745.00 | 186.00 |
| 243. | तमिलनाडु | चेन्नई | चिटापक्कम टाउन पंचायत हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया करवाना | 2759.00 | 966.00 | 241.00 |
| 244. | तमिलनाडु | चेन्नई | सेबक्कम टाउन पंचायत हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया करवाना | 6182.00 | 2164.00 | 541.00 |
| 245. | तमिलनाडु | चेन्नई | मडमबक्कम टाउन पंचायत हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया करवाना | 5445.00 | 1906.00 | 477.00 |
| 246. | गुजरात | वड़ोदरा | वड़ोदरा शहर हेतु सीवरेज प्रणाली फेज-2 | 6055.74 | 3027.87 | 756.96 |
| 247. | केरल | तिरुवनंतपुरम | तिरुवनंतपुरम के दक्षिणी क्षेत्र में सीवरेज प्रणाली एफ एंड जी ब्लाक का विस्तार और सीवरेज प्रणाली का पुनर्स्थापन, सीवर सफाई मशीन खरीदना, अट्टूकल क्षेत्र हेतु सीवरेज प्रणाली, सरकारी मेडिकल कालेज तिरुवनंतपुरम हेतु एसटीवी | 12115.00 | 9692.00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 248. | आंध्र प्रदेश | विजयवाड़ा | विजयवाड़ा शहर के उत्तर भाग हेतु सीवरेज सुविधाएं मुहैया करवाना | 17815.00 | 8908.00 | 2227 |
| 249. | उत्तर प्रदेश | इलाहाबाद | इलाहाबाद शहर (जोन डी) फेज-1 की सीवरेज प्रणाली | 35598.00 | 17799.00 | 4449.75 |
| 250. | उत्तर प्रदेश | कानपुर | कानपुर शहर के डिस्ट्रिक्ट-4 में सीवरेज कार्य | 20736.00 | 10000.00 | 2500 |
| 251. | उत्तराखण्ड | नैनीताल | नैनीताल सीवरेज का रिआर्गेनाइजेशन और एक्सपेंशन | 1960.00 | 1570.00 | 392.5 |
| 252. | बिहार | बोधगया | बोधगया नगर पंचायत हेतु सीवरेज स्कीम | 9594.34 | 7675.47 | 1918.87 |
| 253. | उत्तराखण्ड | देहरादून | देहरादून सीवरेज स्कीम | 5465.00 | 4372.00 | 1092.75 |
| 254. | अरुणाचल प्रदेश | इटानगर | कैपिटल काम्पलेक्स हेतु वैज्ञानिक विधि से नगर ठोस कचरा प्रबंधन स्थापित करना | 1194.38 | 1074.94 | 537.48 |
| 255. | असम | गुवाहाटी | गुवाहाटी हेतु ठोस कचरा प्रबंधन | 3516.71 | 3165.04 | 791.26 |
| 256. | बिहार | पटना | पटना शहर हेतु ठोस कचरा प्रबंधन | 3695.40 | 1847.70 | 461.93 |
| 257. | गुजरात | राजकोट | ठोस कचरा प्रबंधन (फेज-1) को सुदृढ़ करना | 867.00 | 433.50 | 325.14 |
| 258. | गुजरात | सूरत | सूरत में ठोस कचरा प्रबंधन का उन्नयन | 5249.72 | 2624.86 | 656.22 |
| 259. | गुजरात | वड़ोदरा | बड़ोदरा हेतु ठोस कचरा प्रबंधन | 3098.54 | 1549.27 | 774.64 |
| 260. | हरियाणा | फरीदाबाद | फरीदाबाद हेतु ठोस कचरा प्रबंधन | 7650.00 | 3827.00 | 956.75 |
| 261. | हिमाचल प्रदेश | शिमला | शिमला हेतु ठोस कचरा प्रबंधन | 1604.00 | 1283.20 | 320.80 |
| 262. | केरल | कोचीन | कोच्चि हेतु ठोस कचरा प्रबंधन | 8812.00 | 4406.00 | 2202.50 |
| 263. | केरल | तिरुवनंतपुरम | तिरुवनंतपुरम में ठोस कचरा प्रबंधन | 2456.00 | 1964.80 | 491.20 |
| 264. | मध्य प्रदेश | इंदौर | इंदौर हेतु ठोस कचरा प्रबंधन | 4324.66 | 2162.33 | 1081.16 |
| 265. | महाराष्ट्र | ग्रेटर मुंबई | ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना, ग्रेटर मुंबई | 17879.00 | 6257.65 | 1564.41 |
| 266. | महाराष्ट्र | नासिक | नासिक हेतु ठोस कचरा प्रबंधन | 5999.23 | 2999.62 | 2249.73 |
| 267. | महाराष्ट्र | पुणे | ठोस कचरा प्रबंधन पिम्परी-चिंचवाड़ | 7044.81 | 3522.40 | 880.60 |
| 268. | मणिपुर | इम्फाल | इंफाल हेतु ठोस कचरा प्रबंधन | 2580.71 | 2322.64 | 580.66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 269. | राजस्थान | जयपुर | जयपुर हेतु ठोस कचरा प्रबंधन | 1319.74 | 659.87 | 494.91 |
| 270. | तमिलनाडु | चेन्नई | चेन्नई हेतु ठोस कचरा प्रबंधन | 25532.00 | 8936.20 | 2234.05 |
| 271. | तमिलनाडु | चेन्नई | अलंदपुर, पल्लवपुरम और तम्बरम नगरपालिका हेतु ठोस कचरा प्रबंधन | 4421.25 | 1547.44 | 386.85 |
| 272. | तमिलनाडु | कोयंबटूर | कोयम्बटूर हेतु ठोस कचरा प्रबंधन | 9651.00 | 4825.50 | 1930.19 |
| 273. | उत्तर प्रदेश | आगरा | आगरा में नगर ठोस कचरा प्रबंधन | 3083.99 | 1542.00 | 385.50 |
| 274. | उत्तर प्रदेश | इलाहाबाद | इलाहाबाद हेतु नगर ठोस कचरा प्रबंधन | 3041.49 | 1520.74 | 380.18 |
| 275. | उत्तर प्रदेश | कानपुर | कानपुर में नगर ठोस कचरा प्रबंधन | 5623.79 | 2811.90 | 702.98 |
| 276. | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | लखनऊ में नगर ठोस कचरा प्रबंधन | 4292.37 | 2146.19 | 536.55 |
| 277. | उत्तर प्रदेश | मथुरा | मथुरा में नगर ठोस कचरा प्रबंधन | 991.60 | 793.28 | 198.32 |
| 278. | उत्तर प्रदेश | मेरठ | नगर ठोस कचरा प्रबंधन | 2259.40 | 1129.70 | 564.86 |
| 279. | उत्तर प्रदेश | वाराणसी | वाराणसी का ठोस कचरा प्रबंधन | 4867.73 | 2433.87 | 608.47 |
| 280. | उत्तराखंड | देहरादून | देहरादून में एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन | 2460.00 | 1968.00 | 492.00 |
| 281. | पश्चिम बंगाल | आसनसोल | आसनसोल शहरी क्षेत्र में नगरीय ठोस कचरा प्रबंधन | 4357.27 | 2178.64 | 1089.32 |
| 282. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | नगरीय कस्बों का नगरीय ठोस कचरा प्रबंधन | 5658.53 | 1980.49 | 990.24 |
| 283. | आंध्र प्रदेश | विजयवाड़ा | ठोस कचरा प्रबंधन सुधार स्कीम | 5805.00 | 2902.00 | 725.00 |
| 284. | कर्नाटक | मैसूर | एकीकृत नगरीय ठोस कचरा स्ट्रेटेजी | 2998.00 | 2398.00 | 599.50 |
| 285. | बिहार | पटना | पटना यूए कस्बों-फुलवारी शरीफ, खमूल और दानापुर में एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन | 1155.81 | 577.91 | 144.48 |
| 286. | गुजरात | अहमदाबाद | अहमदाबाद में ठोस कचरा प्रबंधन | 11885.84 | 4160.04 | 0.00 |
| 287. | पुडुचेरी | पुडुचेरी | एकीकृत कचरा प्रबंधन परियोजना | 4966.00 | 3972.80 | 993.20 |
| 288. | उत्तराखण्ड | हरीद्वार | हरिद्वार में एकीकृत कचरा प्रबंधन | 1671.53 | 1337.22 | 334.30 |
| 289. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | कोलकाता हेतु 13 नगरपालिकाओं कस्बों का कचरा प्रबंधन | 11196.52 | 3918.78 | 979.70 |
| 290. | पंजाब | अमृतसर | अमृतसर हेतु एकीकृत कचरा प्रबंधन | 7249.00 | 3624.50 | 906.12 |
| 291. | झारखंड | रांची | कचरा प्रबंधन | 5139.43 | 4111.54 | 1027.89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 292. | झारखंड | धनबाद | कचरा प्रबंधन | 5585.90 | 2792.95 | 698.24 |
| 293. | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | चारमीनार प्रेडिसटाइजेशन प्रोजेक्ट परियोजना के अंतर्गत बाहरी रिंग रोड और आंतरिक रिंग रोड की सड़क चौड़ी करना | 3510.00 | 1228.50 | 614.26 |
| 294. | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | मूसी अभियान मूसी पुर्नद्धार परियोजना | 4426.51 | 1549.28 | 774.64 |
| 295. | उड़ीसा | भुवनेश्वर | भुवनेश्वर शहर में बिन्दुसागर के हेरिटेज टैंक का संरक्षण | 601.31 | 481.05 | 120.26 |
| 296. | राजस्थान | अजमेर-पुष्कर | दरगाह क्षेत्र का शहरी नवीकरण, अजमेर | 3841.80 | 3073.44 | 768.26 |
| 297. | राजस्थान | जयपुर | चौकड़ी सरहद का शहरी नवीकरण, वाल्ड सिटी, जयपुर | 1159.66 | 579.83 | 434.88 |
| 298. | राजस्थान | जयपुर | वाल्ड सिटी जयपुर फेज-1 का पुर्नरुद्धार | 2896.00 | 1148.00 | 362.00 |
| 299. | दिल्ली | दिल्ली | कनाट पैलेस नई दिल्ली-शहरी नवीकरण का पुर्नविकास और हैरिटेज संरक्षण | 25378.00 | 8882.30 | 2220.58 |
| 300. | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | मूसी के उत्तर में अतिरिक्त संग्रहण सुविधाओं में ग्रीड कार्य का सुधार | 2981.00 | 1043.35 | 521.66 |
| 301. | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | मूसी के दक्षिण में अतिरिक्त संग्रहण सुविधाओं में ग्रीड कार्य का सुधार | 3355.00 | 1174.25 | 587.12 |
| 302. | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | एचएमडब्ल्यूएसएसबी के पूरे सिस्टम में सभी जलाशयों और काफी मात्रा में पाइपलाइन आपूर्ति हेतु बहाव का स्तर और क्लोरिन की मात्रा और डाटा अधिग्रहण प्रणाली (एससीएडीए) मुहैया कराना | 990.00 | 346.50 | 259.86 |
| 303. | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | पुराने नगर निगम हैदराबाद में 10 जोनों के लिए नेटवर्क वितरण सहित मौजूदा फीडर सिस्टम को मरम्मत करके नया बनाना | 23222.00 | 8127.70 | 2031.92 |
| 304. | आंध्र प्रदेश | विजयवाड़ा | असुविधायुक्त क्षेत्रों में जलापूर्ति सुविधा मुहैया कराना | 3548.00 | 1774.00 | 1332.00 |
| 305. | आंध्र प्रदेश | विजयवाड़ा | विजयवाड़ा नगर निगम में जल आपूर्ति उपयोगिता में वृद्धि करना | 7231.00 | 3615.50 | 1807.76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306. | आंध्र प्रदेश | विशाखापट्टनम | जल आपूर्ति में वृद्धि हेतु टीएसआर से येनडाडा और कोममाडी जक्शन को जल आपूर्ति पाईपलाईन मुहैया कराना | 2340.00 | 1170.00 | 877.50 |
| 307. | आंध्र प्रदेश | विशाखापट्टनम | थाटी संग्रहिका से शहरी सेवा संग्रहिका और पंपिंग यूनिट में वर्तमान थाटीपुरी पाईपलाईन के परिवर्तन के लिए डीपीआर | 6228.00 | 3114.00 | 2336.00 |
| 308. | आंध्र प्रदेश | विशाखापट्टनम | गजूवाका क्षेत्र को जलापूर्ति बढ़ाना | 3976.00 | 1988.00 | 994.00 |
| 309. | आंध्र प्रदेश | विशाखापट्टनम | जीवीएमसी फेज-2 क्षेत्र को जल आपूर्ति वितरण मुहैया कराना | 4600.00 | 2300.00 | 1150.00 |
| 310. | आंध्र प्रदेश | विशाखापट्टनम | बाहरी क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति बढ़ाना | 24074.00 | 12037.00 | 2407.40 |
| 311. | अरुणाचल प्रदेश | इटानगर | इटानगर के लिए जलापूर्ति बढ़ाना | 7725.52 | 6952.79 | 3476.40 |
| 312. | असम | गुवाहाटी | गुवाहाटी महानगर विकास क्षेत्र में दक्षिण गुवाहाटी पश्चिम जल आपूर्ति स्कीम हेतु प्रस्ताव | 28094.00 | 25284.60 | 6321.15 |
| 313. | चंडीगढ़ (यूटी) | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ में हरित क्षेत्रों की सिंचाई हेतु तृतीय स्तर के सीवेज शोधन द्वारा संचयन करके पेयजल का संरक्षण करना | 3672.60 | 2938.08 | 1139.72 |
| 314. | चंडीगढ़ (यूटी) | चंडीगढ़ | 24×7 जलापूर्ति के लिए रिमोट कम्प्यूटरीकृत निगरानी सिस्टम के साथ और स्वचालन हेतु जलापूर्ति अवस्थापना का उन्नयन | 2026.00 | 1620.80 | 810.40 |
| 315. | छत्तीसगढ़ | रायपुर | आरएमसी के बढ़े हुए क्षेत्र से जल आपूर्ति स्कीम में वृद्धि | 30364.00 | 24291.20 | 12145.60 |
| 316. | गुजरात | अहमदाबाद | नर्मदा मेन नगर से कोटापुर डब्ल्यूटीपी तक पाईपलाईन, कोटरपुर के पास साबरमती नदी में 330 एमएलडी इंटेक वेल, रसाका में जलाशोधन संयंत्र | 5383.25 | 1884.14 | 1413.03 |
| 317. | गुजरात | राजकोट | राजकोट के लिए जल आपूर्ति परियोजना | 8562.00 | 4281.00 | 3210.00 |
| 318. | गुजरात | सूरत | सूरत शहरी विकास प्राधिकरण की वेसू शहरी बस्ती के लिए जल आपूर्ति परियोजना | 1919.00 | 959.50 | 959.50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319. | गुजरात | सूरत | एसएनसी के सारथाना और रैंडल जल कार्य को बढ़ाना | 14068.65 | 7034.33 | 5275.74 |
| 320. | गुजरात | सूरत | सूरत नगर निगम के नए उत्तरी जोन क्षेत्र हेतु जलापूर्ति व्यवस्था | 16743.43 | 8371.71 | 2092.94 |
| 321. | गुजरात | वड़ोदरा | जलापूर्ति स्रोत को बढ़ाना | 4105.00 | 2052.50 | 2052.52 |
| 322. | जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर | ग्रेटर श्रीनगर के तंगनार जोन-5 की जलआपूर्ति में वृद्धि करना | 14837.00 | 13353.30 | 3338.33 |
| 323. | झारखण्ड | रांची | रांची के लिए जलापूर्ति परियोजना | 28839.15 | 23071.32 | 5767.83 |
| 324. | कर्नाटक | बैंगलोर | बंगलौर जल ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए बल्क फलो मीटरिंग प्रणाली | 1531.00 | 535.85 | 133.96 |
| 325. | कर्नाटक | बैंगलोर | जल आपूर्ति बढ़ाने हेतु वृषभवाती घाटी में तृतीय स्तर पर शोधित गंदे पानी का एकीकृत जल प्रबंधन और पुनः उपयोग | 47133.00 | 16496.55 | 0.00 |
| 326. | कर्नाटक | मैसूर | मैसूर शहर के लिए जलापूर्ति वितरण की रिमाडलिंग | 19454.00 | 15563.20 | 7780.88 |
| 327. | कर्नाटक | मैसूर | मैसूर के लिए जलापूर्ति परियोजना | 10881.99 | 8705.59 | 2176.50 |
| 328. | केरल | कोचीन | कोची पार्ट-1 को जलापूर्ति व्यवस्था | 20117.00 | 10058.50 | 2514.65 |
| 329. | केरल | तिरुवनंतपुरम | जलापूर्ति में सुधार करना | 8716.00 | 6972.80 | 1743.20 |
| 330. | मध्य प्रदेश | भोपाल | गैस प्रभावित क्षेत्रों में जलापूर्ति | 1418.31 | 709.00 | 531.87 |
| 331. | मध्य प्रदेश | भोपाल | भोपाल के लिए नर्मदा जलापूर्ति परियोजना | 30604.16 | 15302.08 | 7651.04 |
| 332. | मध्य प्रदेश | इंदौर | यशवंत सागर जलापूर्ति व्यवस्था वृद्धि स्कीम | 2375.00 | 1187.50 | 890.87 |
| 333. | मध्य प्रदेश | उज्जैन | जलापूर्ति स्कीम का पुनर्गठन | 6686.44 | 5349.15 | 1337.28 |
| 334. | महाराष्ट्र | ग्रेटर मुंबई | मुंबई-4 के लिए मध्यवैतरणा जलापूर्ति परियोजना | 132950.00 | 46532.50 | 23266.00 |
| 335. | महाराष्ट्र | ग्रेटर मुंबई | थाणे की अतिरिक्त 110 एमएलडी जलापूर्ति स्कीम के लिए डीपीआर | 7118.00 | 2491.30 | 1868.37 |
| 336. | महाराष्ट्र | ग्रेटर मुंबई | मालावार हिल जलाशय से क्रास मैदान (3.6 कि.मी.) तक भूमिगत सुरंग खोदना | 9398.79 | 3289.58 | 822.39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 337. | महाराष्ट्र | ग्रेटर मुंबई | मारूसी से रूपारेल कालेज (12 किमी.) तक भूमिगत सुरंग खोदना | 29486.76 | 10320.37 | 2580.09 |
| 338. | महाराष्ट्र | नागपुर | नागपुर शहर में जलापूर्ति वितरण नेटवर्क को बढ़ाना और उन्नयन करना | 3793.00 | 1896.50 | 1422.37 |
| 339. | महाराष्ट्र | नागपुर | जल आपूर्ति हेतु ऊर्जा एनर्जी आडिट परियोजना | 2503.62 | 1251.81 | 938.85 |
| 340. | महाराष्ट्र | नागपुर | जल क्षेत्र- (रिसाव को पता करना) | 329.77 | 164.89 | 123.66 |
| 341. | महाराष्ट्र | नागपुर | जल आडिट परियोजना | 2500.00 | 1250.00 | 625.00 |
| 342. | महाराष्ट्र | नागपुर | पेंच जलाशय से केनाल के बदले में मोर्टार के रास्ते की एमएस पाईपलाईन द्वारा पानी उठाकर महादुल्ला तक ले जाना | 14463.70 | 7231.85 | 3015.92 |
| 343. | महाराष्ट्र | नागपुर | जलापूर्ति पेच-4 भाग-II | 6196.00 | 3098.00 | 774.50 |
| 344. | महाराष्ट्र | नागपुर | जलापूर्ति पेच-4 भाग-III | 8059.27 | 4029.64 | 1007.38 |
| 345. | महाराष्ट्र | नागपुर | जलापूर्ति पेच-4 भाग-IV | 10460.68 | 5230.34 | 1307.58 |
| 346. | महाराष्ट्र | नागपुर | कान्हावृद्धि स्कीम | 8217.00 | 4108.50 | 1027.12 |
| 347. | महाराष्ट्र | नागपुर | खराब जल का रिसाइकिल और पुनर्उपयोग | 13011.00 | 6505.50 | 1626.38 |
| 348. | महाराष्ट्र | नांदेड़ | उत्तर नांदेड़ में जलापूर्ति का सुधार | 9087.00 | 7269.60 | 5452.30 |
| 349. | महाराष्ट्र | नांदेड़ | नांदेड़ दक्षिण के लिए जलापूर्ति | 4945.00 | 3956.00 | 2967.00 |
| 350. | महाराष्ट्र | नासिक | जल आपूर्ति परियोजना का चालू कार्य | 5052.00 | 2526.00 | 1894.50 |
| 351. | महाराष्ट्र | पुणे | पिंपरी चिंचवाड़ के लिए जल आपूर्ति प्रस्ताव (सं. 4) | 35862.00 | 17931.00 | 8965.50 |
| 352. | मेघालय | शिलांग | शिलांग के लिए जल आपूर्ति बढ़ाने हेतु ग्रेटर शिलांग जल आपूर्ति परियोजना फेज-3 | 19349.72 | 17414.75 | 4353.69 |
| 353. | मिजोरम | ऐजवाल | ग्रेटर ऐजवाल जलापूर्ति स्कीम फेज-2 का पंपिंग मशीनरी और उपस्कर और ट्रांसमिशन सिस्टम का नवीकरण | 1681.80 | 1513.62 | 378.41 |
| 354. | उड़ीसा | पुरी | पुरी टाउन के लिए 24×7 जलापूर्ति | 16690.00 | 13352.00 | 3338.00 |
| 355. | पंजाब | अमृतसर | अमृतसर के लिए जलापूर्ति सीवरेज और सीवेज शोधन | 17934.00 | 8967.00 | 2241.75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 356. | राजस्थान | एजेएमइआर-पुष्कर | अजमेर शहर के लिए जलापूर्ति | 18873.00 | 15098.40 | 14097.80 |
| 357. | राजस्थान | एजेएमइआर-पुष्कर | अजमेर पुष्कर के लिए जलापूर्ति | 16642.00 | 13313.00 | 3328.25 |
| 358. | तमिलनाडु | चेन्नई | चेन्नई में जलापूर्ति प्रणाली में सुधार | 32200.00 | 11270.00 | 2817.50 |
| 359. | तमिलनाडु | चेन्नई | चेन्नई में आईटी कारीडोर के साथ जल आपूर्ति एवं सीवरेज प्रणाली अवस्थापना (7 पैकेज) | 4177.00 | 1461.95 | 730.98 |
| 360. | तमिलनाडु | चेन्नई | तंबरम नगरपालिका में जल आपूर्ति का सुधार | 3261.60 | 1141.56 | 570.78 |
| 361. | तमिलनाडु | चेन्नई | पोरुर कस्बा पंचायत के लिए जलापूर्ति सुधार करना | 1235.79 | 432.53 | 216.26 |
| 362. | तमिलनाडु | चेन्नई | मदुरावैल की जलापूर्ति में सुधार करना | 2330.00 | 815.50 | 203.88 |
| 363. | तमिलनाडु | चेन्नई | पूंडी जलाशय के निकट 90 क्यूसेक वाले केनाल के ऊपर गंदे पानी के शोधन संयंत्र हेतु संप-सह-पंप का निर्माण | 911.00 | 318.85 | 159.42 |
| 364. | तमिलनाडु | चेन्नई | अवादी नगरपालिका हेतु व्यापक जलआपूर्ति स्कीम | 10384.00 | 3634.40 | 908.60 |
| 365. | तमिलनाडु | चेन्नई | नेरकुद्रम गांव पंचायत में जलापूर्ति में सुधार करना | 1917.00 | 670.95 | 67.09 |
| 366. | तमिलनाडु | चेन्नई | उलाग्राम पुजुथीवक्कम नगरपालिका को व्यापक जलापूर्ति स्कीम मुहैया कराना | 2424.00 | 848.40 | 212.10 |
| 367. | तमिलनाडु | कोयंबटूर | जलापूर्ति स्कीम सुधार करना | 11374.30 | 5687.15 | 1421.79 |
| 368. | तमिलनाडु | मदुरै | थीरुप्पराकुंद्रम नगरपालिका और हार्वेपट्टी कस्बा पंचायत को संयुक्त जलापूर्ति स्कीम हेतु थीरुप्पराकुंद्रम नगरपालिका डीपीआर | 969.57 | 484.79 | 96.96 |
| 369. | तमिलनाडु | मदुरै | अनायूर नगरपालिका को जलापूर्ति स्कीम पर अनायूर नगरपालिका डीपीआर | 788.00 | 394.00 | 98.50 |
| 370. | तमिलनाडु | मदुरै | मदुरै हेतु बैगई नदी पर चेकबांध का निर्माण | 477.00 | 238.50 | 59.63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 371. | त्रिपुरा | अगरतला | अगरतला जल आपूर्ति परियोजना नार्थ जोन | 7826.00 | 7043.40 | 1760.85 |
| 372. | उत्तर प्रदेश | आगरा | आगरा जलापूर्ति | 8270.50 | 4135.25 | 1033.81 |
| 373. | उत्तर प्रदेश | इलाहाबाद | इलाहाबाद शहर के लिए जलापूर्ति घटक | 8969.00 | 4484.50 | 2242.26 |
| 374. | उत्तर प्रदेश | कानपुर | कानपुर शहर के लिए इंदर ओल्ड क्षेत्र के लिए जलापूर्ति कार्य करना | 27094.89 | 13547.44 | 3386.86 |
| 375. | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | लखनऊ के लिए जलापूर्ति (फेज-1 भाग-1 खंड 1 से 5) | 38861.00 | 19430.50 | 9715.26 |
| 376. | उत्तर प्रदेश | मेरठ | मेरठ के लिए जलापूर्ति | 27301.00 | 13650.00 | 3412.63 |
| 377. | उत्तर प्रदेश | वाराणसी | वाराणसी के लिए जलापूर्ति घटक को प्राथमिकता | 11102.00 | 5551.00 | 2775.50 |
| 378. | उत्तराखण्ड | देहरादून | जलापूर्ति स्कीम फेज-1 | 7002.70 | 5602.16 | 1400.54 |
| 379. | उत्तराखण्ड | हरीद्वार | जलापूर्ति पुर्नगठन स्कीम | 4784.43 | 3827.54 | 956.77 |
| 380. | उत्तराखण्ड | नैनीताल | जलापूर्ति स्कीम को बढ़ाना और नवीकरण | 547.00 | 437.60 | 109.40 |
| 381. | पश्चिम बंगाल | आसनसोल | आसनसोल शहरी क्षेत्र बंगाल के अंतर्गत रानीगंज में 42 एमएलडी जलापूर्ति परियोजना | 3627.00 | 1813.50 | 906.76 |
| 382. | पश्चिम बंगाल | आसनसोल | आसनसोल शहरी क्षेत्र बंगाल के अंतर्गत जमूरिया में 22.7 एमएलडी जलापूर्ति परियोजना | 1453.00 | 726.50 | 544.89 |
| 383. | पश्चिम बंगाल | आसनसोल | आसनसोल नगर निगम के लिए जलापूर्ति स्कीम | 8982.96 | 4491.48 | 1122.87 |
| 384. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | धापा 30 एमडीजी फेज-1 में जल शोधन संयंत्र | 9875.00 | 3456.25 | 864.06 |
| 385. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | गांधी मैदान अकरा में भूमिगत जलाशय सह-बूस्टर पंपिंग स्टेशन | 1066.00 | 373.10 | 186.56 |
| 386. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | बंसबेरिया में 15 एमजीडी जल शोधन संयंत्र | 4492.00 | 1572.20 | 786.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 387. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | उलूबेरिया में 10 एमडीजी जल शोधन संयंत्र | 4558.00 | 1595.30 | 1196.49 |
| 388. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | बरुईपुर नगरपालिका के लिए जलआपूर्ति स्कीम | 951.86 | 333.15 | 249.87 |
| 389. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | हावड़ा नगर निगम के बढ़े हुए क्षेत्र के लिए जलापूर्ति स्कीम | 9068.91 | 3174.12 | 1587.06 |
| 390. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | शार्कलेख में क्षेत्र-5 नाभा डिजीयंता इंडस्ट्रीयल टाउनशिप अथारिटी में जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था का विकास और प्रबंधन | 2606.62 | 912.32 | 684.24 |
| 391. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | बैरकपुर और नार्थ बैरकपुर नगरपालिका क्षेत्र | 12950.88 | 4532.81 | 2266.40 |
| 392. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | चंद्र नगर नगरपालिका निगम के लिए 24×7 जल आपूर्ति स्कीम | 2521.87 | 882.67 | 441.34 |
| 393. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | नैहाती, हालीसर, कंचरापाडा, गयेश्पुर के नगर कस्बे और कल्याणी के असुविधायुक्त क्षेत्र हेतु सतही जल आपूर्ति स्कीम | 14194.25 | 4967.98 | 2484.00 |
| 394. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | तल्ला पलाटा को समर्पित ट्रांसमिशन मैन | 30492.48 | 10672.37 | 2668.09 |
| 395. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | गरऊलिया नगरपालिका हेतु 24×7 व्यापक जलापूर्ति स्कीम | 4719.26 | 1651.74 | 412.94 |
| 396. | महाराष्ट्र | ग्रेटर मुम्बई | कल्याण डाम्बिवली नगर निगम हेतु 150 एमएलडी जलापूर्ति | 10681.49 | 3738.52 | 934.63 |
| 397. | उत्तर प्रदेश | वाराणसी | सिस्वरुणा क्षेत्र का जलापूर्ति भाग-2 | 8610.00 | 4305.00 | 1076.25 |
| 398. | महाराष्ट्र | ग्रेटर मुम्बई | नवी मुंबई नगर निगम हेतु जलापूर्ति व्यवस्था को बढ़ाना | 23052.03 | 8068.21 | 2017.05 |
| 399. | झारखण्ड | धनबाद | धनबाद की जलापूर्ति में सुधार | 36585.00 | 18292.65 | 4573.16 |
| 400. | तमिलनाडु | चेन्नई | थिरुवोट्टियूर नगरपालिका को व्यापक जलापूर्ति स्कीम मुहैया कराना | 8511.70 | 2979.00 | 745.00 |
| 401. | महाराष्ट्र | ग्रेटर मुम्बई | उल्हासनगर-जलापूर्ति वितरण प्रणाली | 12765.23 | 4467.83 | 1116.96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402. | उत्तर प्रदेश | इलाहाबाद | इलाहाबाद शहर (भाग-2) का जलापूर्ति घटक | 16234.00 | 8117.00 | 1623.00 |
| 403. | तमिलनाडु | चेन्नई | अलानदूर को व्यापक जलापूर्ति स्कीम-अलानदूर | 6439.00 | 2254.00 | 564.00 |
| 404. | बिहार | पटना | फुलवारी शरीफ जलापूर्ति स्कीम | 2470.26 | 1235.13 | 308.78 |
| 405. | बिहार | पटना | खागुल जलापूर्ति स्कीम | 1315.43 | 657.72 | 154.43 |
| 406. | बिहार | बोधगया | बोधगया जलापूर्ति परियोजना | 3355.72 | 2684.57 | 671.14 |
| 407. | हरियाणा | फरीदाबाद | फरीदाबाद कस्बा, हरियाणा के लिए जलापूर्ति बढ़ाना | 49349.00 | 24674.50 | 6168.61 |
| 408. | मध्य प्रदेश | भोपाल | भोपाल का जलापूर्ति वितरण नेटवर्क | 41545.64 | 20772.82 | 5193.20 |
| 409. | महाराष्ट्र | पुणे | पीसीएमसी-जलापूर्ति फेज-2 | 14008.81 | 7004.41 | 1751.10 |
| 410. | तमिलनाडु | चेन्नई | एम्बेट्टूर नगरपालिका के पूरे क्षेत्र में व्यापक जलापूर्ति मुहैया कराना | 26708.00 | 9347.00 | 2336.95 |
| 411. | आंध्र प्रदेश | विशाखापट्टनम | ग्रेटर विशाखापट्टनम, नगर निगम के केन्द्रीय क्षेत्र में पूर्वोत्तर जोन में व्यापक जलापूर्ति को बेहतर बनाना | 19018.00 | 9509.00 | 2377.25 |
| 412. | आंध्र प्रदेश | विशाखापट्टनम | ग्रेटर विशाखापट्टनम के पुराने शहर में प्रस्तावित व्यापक जलापूर्ति | 4793.48 | 2396.74 | 599.18 |
| 413. | उत्तर प्रदेश | कानपुर | कानपुर के बाकी क्षेत्रों हेतु जलापूर्ति भाग-2 | 37778.92 | 18889.46 | 4722.37 |
| 414. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | दमदम, उत्तरी दमदम और दक्षिण दमदम नगरपालिकाओं के लिए नगरपालिका पर सतही जलापूर्ति स्कीम | 31272.08 | 10945.23 | 2736.31 |
| 415. | गुजरात | सूरत | दक्षिण पूर्व जोन क्षेत्र हेतु जलापूर्ति वितरण | 20109.67 | 10055.00 | 2514.00 |
| 416. | तमिलनाडु | कोयंबटूर | कोयम्बटूर शहरी समूह में 16 कस्बा पंचायतों को जलापूर्ति सुधार स्कीम | 5882.36 | 2941.18 | 735.30 |
| 417. | महाराष्ट्र | ग्रेटर मुंबई | कल्याण डोम्बिवली नगर निगम की मौजूदा जलापूर्ति स्कीम को बढ़ाना | 25363.48 | 8876.51 | 2219.13 |
| 418. | बिहार | पटना | दानापुर जलापूर्ति परियोजना | 6896.45 | 3448.23 | 862.06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 419. | छत्तीसगढ़ | रायपुर | नया रायपुर हेतु जलापूर्ति परियोजना | 15623.00 | 10000.00 | |
| 420. | गुजरात | वड़ोदरा | जलापूर्ति (कैनाल आधारित) वड़ोदरा (गुजरात) फेज-2 हेतु स्रोतों को बढ़ाना | 3839.00 | 1919.00 | 480.00 |
| 421. | जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर | ग्रेटर श्रीनगर के जोन-4 हेतु जलापूर्ति को बढ़ाना | 12100.00 | 10000.00 | 2500.00 |
| 422. | महाराष्ट्र | नागपुर | 46 कलस्टरों में एनआईटी क्षेत्र (फेज-2) तृतीय स्तर वितरण नेटवर्क हेतु जलापूर्ति | 29639.55 | 14819.78 | 3704.25 |
| 423. | महाराष्ट्र | नागपुर | सार्वजनिक निजी भागीदारी के ढांचे के अंतर्गत हेतु नागपुर हेतु 24×7 जलापूर्ति परियोजना का कार्यान्वयन करने के लिए पुनर्वास योजना | 38786.00 | 19393.00 | 4848.25 |
| 424. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | भद्रेश्वर नगरपालिका क्षेत्र, कोलकाता यूए हेतु जलापूर्ति स्कीम | 7462.89 | 2612.01 | 653.00 |
| 425. | मध्य प्रदेश | जबलपुर | रांझी, फगुआ में मौजूदा पंपिंग स्टेशन का पुनर्वास और भोंगादार डब्ल्यूओपी में नए पंपिंग स्टेशन का निर्माण | 1406.00 | 703.00 | 175.75 |
| 426. | तमिलनाडु | मदुरै | मदुरै शहरी समूह वृद्धि की संयुक्त जलापूर्ति स्कीम | 20141.00 | 10070.50 | |
| 427. | बिहार | पटना | पटना शहर की जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार और वृद्धि | 42698.00 | 21349.00 | 5337.25 |
| 428. | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | लखनऊ (फेज-1, भाग-2) हेतु जलापूर्ति | 14656.60 | 7328.25 | 1832.06 |
| 429. | हिमाचल प्रदेश | शिमला | शिमला शहर के लिए जलापूर्ति वितरण व्यवस्था का पुनर्वास | 7236.00 | 5788.80 | 1447.20 |
| 430. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | बजबज नगरपालिका, कोलकाता यूए हेतु 24×7 जलापूर्ति स्कीम | 8164.12 | 2857.44 | 714.36 |
| 431. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 30 एमजीडी थापा जल शोधन संयंत्र के कमांड जोन के भीतर व्यापक वितरण नेटवर्क | 21555.27 | 7544.34 | |

*विवरण III*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | वचनबद्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (लाख रु. में) | | | जारी धनराशि (लाख रु.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 47070.23 | 91532.30 | 44993.75 | 4710.83 | 48916.54 | 21398.95 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 8027.73 | 0.00 | 8215.65 | 0.00 | 2006.94 | 2053.91 |
| 3. | असम | 3165.04 | 25284.60 | 0.00 | 0.00 | 791.26 | 6321.15 |
| 4. | बिहार | 1847.70 | 0.00 | 37628.03 | 0.00 | 461.93 | 1955.62 |
| 5. | चंडीगढ़ | 4558.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1544.92 | 405.20 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 24291.20 | 0.00 | 10000.00 | 4800.00 | 1272.80 | 0.00 |
| 7. | दिल्ली | 0.00 | 0.00 | 17472.30 | 0.00 | 0.00 | 2220.58 |
| 8. | गोवा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | गुजरात | 83284.81 | 71070.63 | 54381.69 | 15576.20 | 24563.54 | 47035.34 |
| 10. | हरियाणा | 5191.50 | 5359.35 | 24674.50 | 1297.88 | 1339.84 | 9147.46 |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | 2090.45 | 0.00 | 5788.80 | 522.61 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | जम्मू और कश्मीर | 23593.50 | 13353.30 | 10000.00 | 2359.35 | 6877.36 | 2500.00 |
| 13. | झारखण्ड | 0.00 | 0.00 | 48268.46 | 0.00 | 0.00 | 6682.46 |
| 14. | कर्नाटक | 49875.36 | 76849.95 | 30222.25 | 10167.19 | 18955.86 | 12992.94 |
| 15. | केरल | 43079.60 | 1964.80 | 18405.20 | 4405.00 | 6319.93 | 3350.50 |
| 16. | मध्य प्रदेश | 47503.17 | 23129.06 | 24275.82 | 11107.42 | 7914.35 | 15931.43 |
| 17. | महाराष्ट्र | 279033.96 | 75275.77 | 141678.39 | 41358.21 | 56827.52 | 88349.54 |
| 18. | मणिपुर | 0.00 | 2322.64 | 2308.34 | 0.00 | 580.66 | 0.00 |
| 19. | मेघालय | 0.00 | 0.00 | 19616.15 | 0.00 | 0.00 | 4904.04 |
| 20. | मिजोरम | 0.00 | 1513.62 | 0.00 | 0.00 | 378.41 | 0.00 |
| 21. | नागालैंड | 0.00 | 2273.04 | 0.00 | 0.00 | 179.00 | 389.26 |
| 22. | उड़ीसा | 40394.13 | 0.00 | 18818.40 | 120.26 | 9978.37 | 3338.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | पंजाब | 8967.00 | 21389.00 | 3624.50 | 2241.75 | 4145.29 | 4939.22 |
| 24. | पुडुचेरी | 0.00 | 16272.00 | 3972.80 | 0.00 | 4068.00 | 993.20 |
| 25. | राजस्थान | 25629.09 | 27561.44 | 24551.97 | 4146.93 | 10654.03 | 20280.78 |
| 26. | सिक्किम | 0.00 | 2152.81 | 0.00 | 0.00 | 538.20 | 538.20 |
| 27. | तमिलनाडु | 52142.55 | 60731.11 | 101845.69 | 12913.28 | 16093.02 | 28446.11 |
| 28. | त्रिपुरा | 0.00 | 0.00 | 7043.40 | 0.00 | 0.00 | 1760.85 |
| 29. | उत्तर प्रदेश | 8423.06 | 87189.91 | 143592.93 | 1860.47 | 21365.55 | 43078.75 |
| 30. | उत्तराखण्ड | 0.00 | 9867.30 | 13205.62 | 0.00 | 1523.85 | 2678.56 |
| 31. | पश्चिम बंगाल | 44246.16 | 18275.18 | 55685.13 | 8708.45 | 5687.25 | 22857.17 |
| | कुल | 802415.12 | 633367.81 | 870269.77 | 126295.83 | 252994.42 | 354549.22 |

***विवरण IV***

*जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) घटक के अंतर्गत वर्ष 2005-12 हेतु राज्यों/संघ राज्यों को योजना आयोग द्वारा धनराशि का सांकेतिक आवंटन*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | 7 वर्षों (2005-2012) हेतु आवंटन (करोड़ रु.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1718.45 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 7.40 |
| 3. | असम | 173.20 |
| 4. | बिहार | 442.41 |
| 5. | चंडीगढ़ | 170.87 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 148.03 |
| 7. | दिल्ली | 2723.18 |
| 8. | गोवा | 20.94 |
| 9. | गुजरात | 2078.81 |
| 10. | हरियाणा | 223.32 |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | 30.66 |
| 12. | जम्मू और कश्मीर | 338.36 |
| 13. | झारखण्ड | 641.20 |
| 14. | कर्नाटक | 1374.59 |
| 15. | केरल | 474.76 |
| 16. | मध्य प्रदेश | 978.50 |
| 17. | महाराष्ट्र | 5055.55 |
| 18. | मणिपुर | 52.87 |
| 19. | मेघालय | 56.68 |
| 20. | मिजोरम | 48.22 |
| 21. | नागालैंड | 16.28 |
| 22. | उड़ीसा | 172.35 |
| 23. | पंजाब | 507.75 |
| 24. | पुडुचेरी | 106.80 |
| 25. | राजस्थान | 598.69 |
| 26. | सिक्किम | 6.13 |
| 27. | तमिलनाडु | 1950.66 |

| 1 | 2 | 4 |
|---|---|---|
| 28. | त्रिपुरा | 40.18 |
| 29. | उत्तर प्रदेश | 2119.41 |
| 30. | उत्तराखण्ड | 205.34 |
| 31. | पश्चिम बंगाल | 3018.40 |
| | कुल | 25499.99 |

*[अनुवाद]*

**ताप विद्युत संयंत्र**

**28. श्री अर्जुन चरण सेठी:**
**श्री प्रहलाद जोशी:**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में ताप विद्युत संयंत्रों का उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आगामी वर्षों में देश में ऐसे कई विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कई विद्यमान ताप विद्युत संयंत्र कोयले की भारी कमी का सामना कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करने तथा ऐसे आयातित कोयले पर छूट देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्री ( श्री सुशीलकुमार शिंदे ):** (क) ताप विद्युत संयंत्रों का राज्यवार ब्यौरा और उनकी उत्पादन क्षमता संलग्न विवरण 1क और 1ख में दी गई है।

(ख) और (ग) 59,693 मेगावाट की ताप विद्युत क्षमता, 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग द्वारा निर्धारित 78,700 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्य का भाग है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजनाओं की तैयारियों के आधार पर किए गए नवीनतम आकलन के अनुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 80,610 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि व्यवहार्य है जिसमें 61,723 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं। थर्मल भाग में से 30 जून, 2009 तक 11,424 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि चालू की जा चुकी है शेष 50,299 मेगावाट क्षमता निर्माणाधीन है। 11वीं योजना अवधि के दौरान की गई क्षमता अभिवृद्धि का राज्यवार एवं क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(घ) से (च) 28 जून, 2009 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा की गई मानीटरिंग के अनुसार 78 पावर स्टेशनों में से 32 में कोयले के स्टाक की स्थिति नाजुक थी इनमें 7 दिनों से कम का स्टाक था तथा इनमें से 12 पावर स्टेशनों की स्थिति बहुत नाजुक थी जिनमें 4 दिन से कम का स्टाक बचा था। 28 जून, 2009 के अनुसार देश के ताप विद्युत केन्द्रों में कोयले का कुल स्टाक 11 मिलियन टन था जबकि नियामक जरूरत 22 मिलियन टन है। वर्ष 2009-10 के दौरान पावर यूटिलिटीज के ताप विद्युत केन्द्रों की कोयला की जरूरत और कमी के अंतर को पूरा करने तथा वर्ष के दौरान घरेलू स्रोतों से प्रत्याशित उपलब्धता को देखते हुए सरकार वर्ष के दौरान 28.7 मि. टन कोयले के आयात पर विचार कर रही है। 31 मई, 2009 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2009-10 के लिए यूटिलिटी वार कोयले की आयात का लक्ष्य तथा आयातित कोयले की मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण-3 में दिया गया है। आयातित कोयले पर छूट के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

***विवरण Iक***

*दिनांक 31.3.2009 तक तापीय विद्युत संयत्रों की सूची (संस्थाएं) स्टीम (कोयला, लिग्नाइट एवं मल्टी फ्यूल सहित)*

| क्र.सं. | क्षेत्र/राज्य | क्षेत्र | स्वामित्व | परियोजना का नाम | प्राइम मुवर | ईंधन | यूनिट की सं. | कुल क्षमता (मे.वा.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | दिल्ली | राज्य | आईपीजीसीएल | इन्द्रप्रस्थ यूनिट-2 | स्टीम | कोयला | 1 | 62.50 |
| | दिल्ली | राज्य | आईपीजीसीएल | इन्द्रप्रस्थ यूनिट-3 | स्टीम | कोयला | 1 | 62.50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | दिल्ली | राज्य | आईपीजीसीएल | इन्द्रप्रस्थ यूनिट-4 | स्टीम | कोयला | 1 | 62.50 |
| | दिल्ली | राज्य | आईपीजीसीएल | इन्द्रप्रस्थ यूनिट-5 | स्टीम | कोयला | 1 | 60.00 |
| 2. | दिल्ली | राज्य | आईपीजीसीएल | राजघाट पावर प्रोजेक्ट दिल्ली | स्टीम | कोयला | 1 | 67.50 |
| | दिल्ली | राज्य | आईपीजीसीएल | राजघाट पावर प्रोजेक्ट दिल्ली | स्टीम | कोयला | 1 | 67.50 |
| 3. | हरियाणा | राज्य | एचजीपी कॉर्पोरेशन | फरीदाबाद थर्मल पावर प्रोजेक्ट | स्टीम | कोयला | 1 | 60.00 |
| | हरियाणा | राज्य | एचजीपी कॉर्पोरेशन | फरीदाबाद थर्मल पावर प्रोजेक्ट | स्टीम | कोयला | 1 | 60.00 |
| 4. | हरियाणा | राज्य | एचजीपी कॉर्पोरेशन | यमुनानगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट | स्टीम | कोयला | 1 | 300.00 |
| | हरियाणा | राज्य | एचजीपी कॉर्पोरेशन | यमुनानगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट | स्टीम | कोयला | 1 | 300.00 |
| 5. | हरियाणा | राज्य | एचजीपी कॉर्पोरेशन | पानीपत थर्मल पावर स्टेशन-I | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| | हरियाणा | राज्य | एचजीपी कॉर्पोरेशन | पानीपत थर्मल पावर स्टेशन-I | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| | हरियाणा | राज्य | एचजीपी कॉर्पोरेशन | पानीपत थर्मल पावर स्टेशन-I | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| | हरियाणा | राज्य | एचजीपी कॉर्पोरेशन | पानीपत थर्मल पावर स्टेशन-I | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| 6. | हरियाणा | राज्य | एचजीपी कॉर्पोरेशन | पानीपत थर्मल पावर स्टेशन-II | स्टीम | कोयला | 1 | 250.00 |
| | हरियाणा | राज्य | एचजीपी कॉर्पोरेशन | पानीपत थर्मल पावर स्टेशन-II | स्टीम | कोयला | 1 | 250.00 |
| | हरियाणा | राज्य | एचजीपी कॉर्पोरेशन | पानीपत थर्मल पावर स्टेशन-II | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | हरियाणा | राज्य | एचजीपी कॉर्पोरेशन | पानीपत थर्मल पावर स्टेशन-II | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| 7. | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 100.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 100.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 100.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| 8. | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | नेशनल कैपीटल रीजन पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | नेशनल कैपीटल रीजन पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | नेशनल कैपीटल रीजन पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | नेशनल कैपीटल रीजन पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| 9. | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | रिहन्द थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | रिहन्द थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | रिहन्द थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | रिहन्द थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| 10. | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 200.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 200.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 200.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 200.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 200.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| 11. | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | टांडा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | टांडा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | टांडा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | टांडा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| 12. | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| 13. | पंजाब | राज्य | पीएसईबी | गुरु नानक देव थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| | पंजाब | राज्य | पीएसईबी | गुरु नानक देव थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| | पंजाब | राज्य | पीएसईबी | गुरु नानक देव थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| | पंजाब | राज्य | पीएसईबी | गुरु नानक देव थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| 14. | पंजाब | राज्य | पीएसईबी | गुरु हरगोबिन्द थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | पंजाब | राज्य | पीएसईबी | गुरु हरगोबिन्द थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | पंजाब | राज्य | पीएसईबी | गुरु हरगोबिन्द थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 250.00 |
| | पंजाब | राज्य | पीएसईबी | गुरु हरगोबिन्द थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 250.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | पंजाब | राज्य | पीएसईबी | राइस स्ट्रा (झलखेरी) | स्टीम | मल्टी फ्यूल | 1 | 10.00 |
| | पंजाब | राज्य | पीएसईबी | रोपार थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | पंजाब | राज्य | पीएसईबी | रोपार थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | पंजाब | राज्य | पीएसईबी | रोपार थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | पंजाब | राज्य | पीएसईबी | रोपार थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | पंजाब | राज्य | पीएसईबी | रोपार थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| 16. | पंजाब | राज्य | पीएसईबी | रोपार थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| 17. | राजस्थान | राज्य | आरआरवीयूएनएल | कोटा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| | राजस्थान | राज्य | आरआरवीयूएनएल | कोटा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| | राजस्थान | राज्य | आरआरवीयूएनएल | कोटा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | राजस्थान | राज्य | आरआरवीयूएनएल | कोटा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | राजस्थान | राज्य | आरआरवीयूएनएल | कोटा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | राजस्थान | राज्य | आरआरवीयूएनएल | कोटा थर्मल पावर स्टेशन स्टेज IV यूनिट VI | स्टीम | कोयला | 1 | 195.00 |
| 18. | राजस्थान | राज्य | आरआरवीयूएनएल | गिराल टी. पावर स्टेशन (लिग्नाइट) | स्टीम | लिग्नाइट | 1 | 125.00 |
| 19. | राजस्थान | राज्य | आरआरवीयूएनएल | सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 250.00 |
| | राजस्थान | राज्य | आरआरवीयूएनएल | सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 250.00 |
| | राजस्थान | राज्य | आरआरवीयूएनएल | सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 250.00 |
| | राजस्थान | राज्य | आरआरवीयूएनएल | सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 250.00 |
| | राजस्थान | राज्य | आरआरवीयूएनएल | सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-3 | स्टीम | कोयला | 1 | 250.00 |
| 20. | उत्तर प्रदेश | राज्य | यूपीआरवीयूएनएल | अनपारा थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-I | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | उत्तर प्रदेश | राज्य | यूपीआरवीयूएनएल | अनपारा थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-I | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | उत्तर प्रदेश | राज्य | यूपीआरवीयूएनएल | अनपारा थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-I | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | उत्तर प्रदेश | राज्य | यूपीआरवीयूएनएल | अनपारा थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-II | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| | उत्तर प्रदेश | राज्य | यूपीआरवीयूएनएल | अनपारा थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-II | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | राज्य | यूपीआरवीयूएनएल | हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 60.00 |
| | उत्तर प्रदेश | राज्य | यूपीआरवीयूएनएल | हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 60.00 |
| | उत्तर प्रदेश | राज्य | यूपीआरवीयूएनएल | हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | उत्तर प्रदेश | राज्य | यूपीआरवीयूएनएल | ओबरा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 50.00 |
| | उत्तर प्रदेश | राज्य | यूपीआरवीयूएनएल | ओबरा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 50.00 |
| | उत्तर प्रदेश | राज्य | यूपीआरवीयूएनएल | ओबरा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 100.00 |
| | उत्तर प्रदेश | राज्य | यूपीआरवीयूएनएल | ओबरा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 100.00 |
| | उत्तर प्रदेश | राज्य | यूपीआरवीयूएनएल | ओबरा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 100.00 |
| | उत्तर प्रदेश | राज्य | यूपीआरवीयूएनएल | ओबरा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 200.00 |
| | उत्तर प्रदेश | राज्य | यूपीआरवीयूएनएल | ओबरा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 200.00 |
| | उत्तर प्रदेश | राज्य | यूपीआरवीयूएनएल | ओबरा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 200.00 |
| | उत्तर प्रदेश | राज्य | यूपीआरवीयूएनएल | ओबरा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 200.00 |
| | उत्तर प्रदेश | राज्य | यूपीआरवीयूएनएल | ओबरा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 200.00 |
| 23. | उत्तर प्रदेश | राज्य | यूपीआरवीयूएनएल | पनकी थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| | उत्तर प्रदेश | राज्य | यूपीआरवीयूएनएल | पनकी थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | राज्य | यूपीआरवीयूएनएल | परीचा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| | उत्तर प्रदेश | राज्य | यूपीआरवीयूएनएल | परीचा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| | उत्तर प्रदेश | राज्य | यूपीआरवीयूएनएल | परीचा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | उत्तर प्रदेश | राज्य | यूपीआरवीयूएनएल | परीचा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| 25. | छत्तीसगढ़ | राज्य | सीएसईबी | कोरबा थर्मल पावर स्टेशन (पूर्व) | स्टीम | कोयला | 1 | 50.00 |
| | छत्तीसगढ़ | राज्य | सीएसईबी | कोरबा थर्मल पावर स्टेशन (पूर्व) | स्टीम | कोयला | 1 | 50.00 |
| | छत्तीसगढ़ | राज्य | सीएसईबी | कोरबा थर्मल पावर स्टेशन (पूर्व) | स्टीम | कोयला | 1 | 50.00 |
| | छत्तीसगढ़ | राज्य | सीएसईबी | कोरबा थर्मल पावर स्टेशन (पूर्व) | स्टीम | कोयला | 1 | 50.00 |
| | छत्तीसगढ़ | राज्य | सीएसईबी | कोरबा थर्मल पावर स्टेशन (पूर्व) | स्टीम | कोयला | 1 | 120.00 |
| | छत्तीसगढ़ | राज्य | सीएसईबी | कोरबा थर्मल पावर स्टेशन (पूर्व) | स्टीम | कोयला | 1 | 120.00 |
| | छत्तीसगढ़ | राज्य | सीएसईबी | कोरबा थर्मल पावर स्टेशन (पूर्व) | स्टीम | कोयला | 1 | 250.00 |
| | छत्तीसगढ़ | राज्य | सीएसईबी | कोरबा थर्मल पावर स्टेशन (पूर्व) | स्टीम | कोयला | 1 | 250.00 |
| 26. | छत्तीसगढ़ | राज्य | सीएसईबी | कोरबा थर्मल पावर स्टेशन (पश्चिम) | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | छत्तीसगढ़ | राज्य | सीएसईबी | कोरबा थर्मल पावर स्टेशन (पश्चिम) | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | छत्तीसगढ़ | राज्य | सीएसईबी | कोरबा थर्मल पावर स्टेशन (पश्चिम) | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | छत्तीसगढ़ | राज्य | सीएसईबी | कोरबा थर्मल पावर स्टेशन (पश्चिम) | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| 27. | छत्तीसगढ़ | राज्य | सीएसईबी | भिलाई थर्मल पावर स्टेशन (पश्चिम) | स्टीम | कोयला | 1 | 140.00 |
| 28. | छत्तीसगढ़ | निजी | मै. ओ.पी. जिंदल | रायगढ़ थर्मल पावर स्टेशन सं. 1 | स्टीम | कोयला | 1 | 250.00 |
| | छत्तीसगढ़ | निजी | मै. ओ.पी. जिंदल | रायगढ़ थर्मल पावर स्टेशन सं. 3 | स्टीम | कोयला | 1 | 250.00 |
| | छत्तीसगढ़ | निजी | मै. ओ.पी. जिंदल | रायगढ़ थर्मल पावर स्टेशन सं. 2 | स्टीम | कोयला | 1 | 250.00 |
| | छत्तीसगढ़ | निजी | मै. ओ.पी. जिंदल | रायगढ़ थर्मल पावर स्टेशन सं. 4 | स्टीम | कोयला | 1 | 250.00 |
| 29. | गुजरात | निजी | टोरेंट पॉवर जनरेशन लिमिटेड | साबरमती थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 30.00 |
| | गुजरात | निजी | टोरेंट पॉवर जनरेशन लिमिटेड | साबरमती थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 30.00 |
| | गुजरात | निजी | टोरेंट पॉवर जनरेशन लिमिटेड | साबरमती थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| | गुजरात | निजी | टोरेंट पॉवर जनरेशन लिमिटेड | साबरमती थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| | गुजरात | निजी | टोरेंट पॉवर जनरेशन लिमिटेड | साबरमती थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| 30. | गुजरात | राज्य | जीएसईसीएल | धुबरन थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | तरल ईंधन | 1 | 110.00 |
| | गुजरात | राज्य | जीएसईसीएल | धुबरन थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | तरल ईंधन | 1 | 110.00 |
| 31. | गुजरात | राज्य | जीएसईसीएल | गांधीनगर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 120.00 |
| | गुजरात | राज्य | जीएसईसीएल | गांधीनगर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 120.00 |
| | गुजरात | राज्य | जीएसईसीएल | गांधीनगर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | गुजरात | राज्य | जीएसईसीएल | गांधीनगर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| 32. | गुजरात | राज्य | जीएसईसीएल | कच्च लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | लिग्नाइट | 1 | 70.00 |
| | गुजरात | राज्य | जीएसईसीएल | कच्च लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | लिग्नाइट | 1 | 70.00 |
| | गुजरात | राज्य | जीएसईसीएल | कच्च लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | लिग्नाइट | 1 | 75.00 |
| 33. | गुजरात | राज्य | जीएसईसीएल | सिक्का थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 120.00 |
| | गुजरात | राज्य | जीएसईसीएल | सिक्का थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 120.00 |
| 34. | गुजरात | राज्य | जीएसईसीएल | उकाई थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 120.00 |
| | गुजरात | राज्य | जीएसईसीएल | उकाई थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 120.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | गुजरात | राज्य | जीएसईसीएल | उकाई थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 200.00 |
| | गुजरात | राज्य | जीएसईसीएल | उकाई थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 200.00 |
| | गुजरात | राज्य | जीएसईसीएल | उकाई थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| 35. | गुजरात | राज्य | जीएसईसीएल | वानकबोरी थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | गुजरात | राज्य | जीएसईसीएल | वानकबोरी थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | गुजरात | राज्य | जीएसईसीएल | वानकबोरी थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | गुजरात | राज्य | जीएसईसीएल | वानकबोरी थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | गुजरात | राज्य | जीएसईसीएल | वानकबोरी थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | गुजरात | राज्य | जीएसईसीएल | वानकबोरी थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| 36. | गुजरात | निजी | जीआईपीसीएल (निजी) | सूरत लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | लिग्नाइट | 1 | 125.00 |
| | गुजरात | निजी | जीआईपीसीएल (निजी) | सूरत लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | लिग्नाइट | 1 | 125.00 |
| 37. | गुजरात | राज्य | जीएसईजीसीएल | गांधी नगर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| 38. | गुजरात | राज्य | जीएसईजीसीएल | वानकबोरी थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| 39. | गुजरात | राज्य | जीएमडी कार्पोरेशन | एक्रीमोटा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | लिग्नाइट | 1 | 125.00 |
| | गुजरात | राज्य | जीएमडी कार्पोरेशन | एक्रीमोटा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | लिग्नाइट | 1 | 125.00 |
| 40. | मध्य प्रदेश | राज्य | एमपीपीजीसीएल | एक्रीमोटा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 120.00 |
| | मध्य प्रदेश | राज्य | एमपीपीजीसीएल | एक्रीमोटा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 120.00 |
| | मध्य प्रदेश | राज्य | एमपीपीजीसीएल | एक्रीमोटा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| 41. | मध्य प्रदेश | राज्य | एमपीपीजीसीएल | बीरसिंहपुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | मध्य प्रदेश | राज्य | एमपीपीजीसीएल | बीरसिंहपुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | मध्य प्रदेश | राज्य | एमपीपीजीसीएल | बीरसिंहपुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| 42. | मध्य प्रदेश | राज्य | एमपीपीजीसीएल | संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन एक्स. | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | मध्य प्रदेश | राज्य | एमपीपीजीसीएल | संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन एक्स. | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| 43. | मध्य प्रदेश | राज्य | एमपीपीजीसीएल | सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन एक्स. | स्टीम | कोयला | 1 | 200.00 |
| | मध्य प्रदेश | राज्य | एमपीपीजीसीएल | सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन एक्स. | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | मध्य प्रदेश | राज्य | एमपीपीजीसीएल | सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन एक्स. | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मध्य प्रदेश | राज्य | एमपीपीजीसीएल | सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन एक्स. | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | मध्य प्रदेश | राज्य | एमपीपीजीसीएल (राजस्थान के साथ जेटी) | सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 62.50 |
| | मध्य प्रदेश | राज्य | एमपीपीजीसीएल (राजस्थान के साथ जेटी) | सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 62.50 |
| | मध्य प्रदेश | राज्य | एमपीपीजीसीएल (राजस्थान के साथ जेटी) | सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 62.50 |
| | मध्य प्रदेश | राज्य | एमपीपीजीसीएल (राजस्थान के साथ जेटी) | सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 62.50 |
| | मध्य प्रदेश | राज्य | एमपीपीजीसीएल (राजस्थान के साथ जेटी) | सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 62.50 |
| 44. | महाराष्ट्र | निजी | बीएसईएस प्रा. | दहानू थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 250.00 |
| | महाराष्ट्र | निजी | बीएसईएस प्रा. | दहानू थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 250.00 |
| 45. | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | भुसावल थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 55.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | भुसावल थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | भुसावल थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| 46. | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| 47. | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | खापरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | खापरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | खापरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | खापरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| 48. | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | कोराडी थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 105.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | कोराडी थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 105.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | कोराडी थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 105.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | कोराडी थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 105.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | कोराडी थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 200.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | कोराडी थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | कोराडी थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| 49. | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | नासिक थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 125.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | नासिक थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 125.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | नासिक थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | नासिक थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | नासिक थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| 50. | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | पारस थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 55.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | पारस थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 250.00 |
| 51. | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | पारली थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 20.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | पारली थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 20.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | पारली थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | पारली थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | पारली थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | न्यू पारली थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 250.00 |
| 52. | महाराष्ट्र | निजी | टाटा | ट्रांबे थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | तरल ईंधन (मल्टी फ्यूल) | 1 | 150.00 |
| | महाराष्ट्र | निजी | टाटा | ट्रांबे थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | तरल ईंधन (मल्टी फ्यूल) | 1 | 250.00 |
| | महाराष्ट्र | निजी | टाटा | ट्रांबे थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | तरल ईंधन (मल्टी फ्यूल) | 1 | 500.00 |
| | महाराष्ट्र | निजी | टाटा | ट्रांबे थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| 53. | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | कोरबा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 200.00 |
| | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | कोरबा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 200.00 |
| | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | कोरबा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 200.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | कोरबा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | कोरबा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | कोरबा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| 54. | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | भिलाई थर्मल पावर स्टेशन (पश्चिम) | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| 55. | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | सिपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | सिपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| 56. | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| 57. | आंध्र प्रदेश | राज्य | एपीजेनको | कोथागुडम थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 250.00 |
| | आंध्र प्रदेश | राज्य | एपीजेनको | कोथागुडम थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 250.00 |
| | आंध्र प्रदेश | राज्य | एपीजेनको | कोथागुडम थर्मल पावर स्टेशन ए | स्टीम | कोयला | 1 | 60.00 |
| | आंध्र प्रदेश | राज्य | एपीजेनको | कोथागुडम थर्मल पावर स्टेशन ए | स्टीम | कोयला | 1 | 60.00 |
| | आंध्र प्रदेश | राज्य | एपीजेनको | कोथागुडम थर्मल पावर स्टेशन ए | स्टीम | कोयला | 1 | 60.00 |
| | आंध्र प्रदेश | राज्य | एपीजेनको | कोथागुडम थर्मल पावर स्टेशन ए | स्टीम | कोयला | 1 | 60.00 |
| | आंध्र प्रदेश | राज्य | एपीजेनको | कोथागुडम थर्मल पावर स्टेशन बी | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| | आंध्र प्रदेश | राज्य | एपीजेनको | कोथागुडम थर्मल पावर स्टेशन बी | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| | आंध्र प्रदेश | राज्य | एपीजेनको | कोथागुडम थर्मल पावर स्टेशन सी | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| | आंध्र प्रदेश | राज्य | एपीजेनको | कोथागुडम थर्मल पावर स्टेशन सी | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| 58. | आंध्र प्रदेश | राज्य | एपीजेनको | रामागुडम थर्मल पावर स्टेशन बी | स्टीम | कोयला | 1 | 62.50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59. | आंध्र प्रदेश | राज्य | एपीजेनको | रायल सीमा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | आंध्र प्रदेश | राज्य | एपीजेनको | रायल सीमा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | आंध्र प्रदेश | राज्य | एपीजेनको | रायल सीमा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | आंध्र प्रदेश | राज्य | एपीजेनको | रायल सीमा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| 60. | आंध्र प्रदेश | राज्य | एपीजेनको | डॉ. एन. टाटा राव टीपीसएस | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | आंध्र प्रदेश | राज्य | एपीजेनको | डॉ. एन. टाटा राव टीपीसएस | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | आंध्र प्रदेश | राज्य | एपीजेनको | डॉ. एन. टाटा राव टीपीसएस | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | आंध्र प्रदेश | राज्य | एपीजेनको | डॉ. एन. टाटा राव टीपीसएस | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | आंध्र प्रदेश | राज्य | एपीजेनको | डॉ. एन. टाटा राव टीपीसएस | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | आंध्र प्रदेश | राज्य | एपीजेनको | डॉ. एन. टाटा राव टीपीसएस | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| 61. | कर्नाटक | निजी | जिंदल (प्रा. कं.) | तोरांगलु थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | तरल ईंधन (कोरेक्स) | 1 | 130.00 |
| | कर्नाटक | निजी | जिंदल (प्रा. कं.) | तोरांगलु थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | तरल ईंधन (कोरेक्स) | 1 | 130.00 |
| 62. | कर्नाटक | राज्य | केपीसीएल | रायचूर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | कर्नाटक | राज्य | केपीसीएल | रायचूर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | कर्नाटक | राज्य | केपीसीएल | रायचूर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | कर्नाटक | राज्य | केपीसीएल | रायचूर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | कर्नाटक | राज्य | केपीसीएल | रायचूर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | कर्नाटक | राज्य | केपीसीएल | रायचूर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | कर्नाटक | राज्य | केपीसीएल | रायचूर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| 63. | कर्नाटक | राज्य | केपीसीएल | बेल्लारी थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| 64. | दक्षिणी क्षेत्र | केन्द्रीय | नेवेली लिग्नाइट | नेवेली थर्मल पावर स्टेशन (एक्स.) | स्टीम | लिग्नाइट | 1 | 210.00 |
| | दक्षिणी क्षेत्र | केन्द्रीय | नेवेली लिग्नाइट | नेवेली थर्मल पावर स्टेशन (प्रथम) | स्टीम | लिग्नाइट | 1 | 210.00 |
| | दक्षिणी क्षेत्र | केन्द्रीय | नेवेली लिग्नाइट | नेवेली थर्मल पावर स्टेशन I | स्टीम | लिग्नाइट | 1 | 50.00 |
| | दक्षिणी क्षेत्र | केन्द्रीय | नेवेली लिग्नाइट | नेवेली थर्मल पावर स्टेशन I | स्टीम | लिग्नाइट | 1 | 50.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | दक्षिणी क्षेत्र | केन्द्रीय | नेवेली लिग्नाइट | नेवेली थर्मल पावर स्टेशन I | स्टीम | लिग्नाइट | 1 | 50.00 |
| | दक्षिणी क्षेत्र | केन्द्रीय | नेवेली लिग्नाइट | नेवेली थर्मल पावर स्टेशन I | स्टीम | लिग्नाइट | 1 | 50.00 |
| | दक्षिणी क्षेत्र | केन्द्रीय | नेवेली लिग्नाइट | नेवेली थर्मल पावर स्टेशन I | स्टीम | लिग्नाइट | 1 | 50.00 |
| | दक्षिणी क्षेत्र | केन्द्रीय | नेवेली लिग्नाइट | नेवेली थर्मल पावर स्टेशन I | स्टीम | लिग्नाइट | 1 | 50.00 |
| | दक्षिणी क्षेत्र | केन्द्रीय | नेवेली लिग्नाइट | नेवेली थर्मल पावर स्टेशन I | स्टीम | लिग्नाइट | 1 | 100.00 |
| | दक्षिणी क्षेत्र | केन्द्रीय | नेवेली लिग्नाइट | नेवेली थर्मल पावर स्टेशन I | स्टीम | लिग्नाइट | 1 | 100.00 |
| | दक्षिणी क्षेत्र | केन्द्रीय | नेवेली लिग्नाइट | नेवेली थर्मल पावर स्टेशन I | स्टीम | लिग्नाइट | 1 | 100.00 |
| | दक्षिणी क्षेत्र | केन्द्रीय | नेवेली लिग्नाइट | नेवेली थर्मल पावर स्टेशन II | स्टीम | लिग्नाइट | 1 | 210.00 |
| | दक्षिणी क्षेत्र | केन्द्रीय | नेवेली लिग्नाइट | नेवेली थर्मल पावर स्टेशन II | स्टीम | लिग्नाइट | 1 | 210.00 |
| | दक्षिणी क्षेत्र | केन्द्रीय | नेवेली लिग्नाइट | नेवेली थर्मल पावर स्टेशन II | स्टीम | लिग्नाइट | 1 | 210.00 |
| | दक्षिणी क्षेत्र | केन्द्रीय | नेवेली लिग्नाइट | नेवेली थर्मल पावर स्टेशन II | स्टीम | लिग्नाइट | 1 | 210.00 |
| | दक्षिणी क्षेत्र | केन्द्रीय | नेवेली लिग्नाइट | नेवेली थर्मल पावर स्टेशन II | स्टीम | लिग्नाइट | 1 | 210.00 |
| | दक्षिणी क्षेत्र | केन्द्रीय | नेवेली लिग्नाइट | नेवेली थर्मल पावर स्टेशन II | स्टीम | लिग्नाइट | 1 | 210.00 |
| | दक्षिणी क्षेत्र | केन्द्रीय | नेवेली लिग्नाइट | नेवेली थर्मल पावर स्टेशन II | स्टीम | लिग्नाइट | 1 | 210.00 |
| 65. | दक्षिणी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | रामागुंडम थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 200.00 |
| | दक्षिणी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | रामागुंडम थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 200.00 |
| | दक्षिणी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | रामागुंडम थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 200.00 |
| | दक्षिणी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | रामागुंडम थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | दक्षिणी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | रामागुंडम थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| | दक्षिणी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | रामागुंडम थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| | दक्षिणी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | रामागुंडम थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| 66. | दक्षिणी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | सिम्हाद्री थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| | दक्षिणी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | सिम्हाद्री थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| 67. | तमिलनाडु | निजी | सेंट सीएमएस इलेक्ट्रिक कं. | नेवेली थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | लिग्नाइट | 1 | 250.00 |
| 68. | तमिलनाडु | राज्य | टीएनईबी | इन्नोर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 60.00 |
| | तमिलनाडु | राज्य | टीएनईबी | इन्नोर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 60.00 |
| | तमिलनाडु | राज्य | टीएनईबी | इन्नोर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| | तमिलनाडु | राज्य | टीएनईबी | इन्नोर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| | तमिलनाडु | राज्य | टीएनईबी | इन्नोर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| 69. | तमिलनाडु | राज्य | टीएनईबी | मेटूर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | तमिलनाडु | राज्य | टीएनईबी | मेटूर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | तमिलनाडु | राज्य | टीएनईबी | मेटूर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | तमिलनाडु | राज्य | टीएनईबी | मेटूर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| 70. | तमिलनाडु | राज्य | टीएनईबी | नार्थ चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | तमिलनाडु | राज्य | टीएनईबी | नार्थ चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | तमिलनाडु | राज्य | टीएनईबी | नार्थ चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| 71. | तमिलनाडु | राज्य | टीएनईबी | तुतीकोरीन थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | तमिलनाडु | राज्य | टीएनईबी | तुतीकोरीन थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | तमिलनाडु | राज्य | टीएनईबी | तुतीकोरीन थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | तमिलनाडु | राज्य | टीएनईबी | तुतीकोरीन थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | तमिलनाडु | राज्य | टीएनईबी | तुतीकोरीन थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| 72. | बिहार | राज्य | बीएसईबी | बरौनी थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 50.00 |
| | बिहार | राज्य | बीएसईबी | बरौनी थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 50.00 |
| | बिहार | राज्य | बीएसईबी | बरौनी थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| | बिहार | राज्य | बीएसईबी | बरौनी थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73. | बिहार | राज्य | बीएसईबी (केबीयूएनएल) | मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| | बिहार | राज्य | बीएसईबी (केबीयूएनएल) | मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| 74. | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | डीवीसी | बोकारो थर्मल पावर स्टेशन बी | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | डीवीसी | बोकारो थर्मल पावर स्टेशन बी | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | डीवीसी | बोकारो थर्मल पावर स्टेशन बी | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| 75. | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | डीवीसी | चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 120.00 |
| | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | डीवीसी | चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 120.00 |
| | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | डीवीसी | चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 120.00 |
| | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | डीवीसी | चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 140.00 |
| | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | डीवीसी | चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 140.00 |
| | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | डीवीसी | चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 140.00 |
| 76. | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | डीवीसी | दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 140.00 |
| | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | डीवीसी | दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| 77. | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | डीवीसी | मेजिआ थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | डीवीसी | मेजिआ थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | डीवीसी | मेजिआ थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | डीवीसी | मेजिआ थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | डीवीसी | मेजिआ थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 250.00 |
| | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | डीवीसी | मेजिआ थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 250.00 |
| 78. | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | फरक्का थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 200.00 |
| | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | फरक्का थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 200.00 |
| | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | फरक्का थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 200.00 |
| | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | फरक्का थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | फरक्का थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| 79. | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | कहलगांव थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | कहलगांव थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | कहलगांव थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | कहलगांव थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | कहलगांव थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | कहलगांव थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| 80. | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | तलचर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | तलचर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | तलचर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | तलचर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | तलचर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | तलचर थर्मल पावर स्टेशन-II, यूनिट-3 | स्टीम | कोयला | 1 | 500.00 |
| 81. | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | तलचर थर्मल पावर स्टेशन ओल्ड | स्टीम | कोयला | 1 | 62.50 |
| | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | तलचर थर्मल पावर स्टेशन ओल्ड | स्टीम | कोयला | 1 | 62.50 |
| | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | तलचर थर्मल पावर स्टेशन ओल्ड | स्टीम | कोयला | 1 | 62.50 |
| | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | तलचर थर्मल पावर स्टेशन ओल्ड | स्टीम | कोयला | 1 | 62.50 |
| | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | तलचर थर्मल पावर स्टेशन ओल्ड | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | तलचर थर्मल पावर स्टेशन ओल्ड | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| 82. | झारखण्ड | निजी | टाटा निजी | जोजोबेरा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 120.00 |
| | झारखण्ड | निजी | टाटा निजी | जोजोबेरा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 120.00 |
| | झारखण्ड | निजी | टाटा निजी | जोजोबेरा थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 120.00 |
| 83. | झारखण्ड | राज्य | झा.रा.वि.बो. | पतरातु थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 50.00 |
| | झारखण्ड | राज्य | झा.रा.वि.बो. | पतरातु थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 50.00 |
| | झारखण्ड | राज्य | झा.रा.वि.बो. | पतरातु थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 50.00 |
| | झारखण्ड | राज्य | झा.रा.वि.बो. | पतरातु थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 50.00 |
| | झारखण्ड | राज्य | झा.रा.वि.बो. | पतरातु थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 100.00 |
| | झारखण्ड | राज्य | झा.रा.वि.बो. | पतरातु थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 100.00 |
| | झारखण्ड | राज्य | झा.रा.वि.बो. | पतरातु थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| | झारखण्ड | राज्य | झा.रा.वि.बो. | पतरातु थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| | झारखण्ड | राज्य | झा.रा.वि.बो. | पतरातु थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | झारखण्ड | राज्य | झा.रा.वि.बो. | पतरातु थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| 84. | झारखण्ड | राज्य | तेनुघाट बि. नि.लि. | तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | झारखण्ड | राज्य | तेनुघाट बि. नि.लि. | तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| 85. | उड़ीसा | राज्य | ओपीजीसीएल | आई.बी. वैली थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | उड़ीसा | राज्य | ओपीजीसीएल | आई.बी. वैली थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| 86. | पश्चिम बंगाल | निजी | सीईएससी निजी | बज-बज थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 250.00 |
| | पश्चिम बंगाल | निजी | सीईएससी निजी | बज-बज थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 250.00 |
| 87. | पश्चिम बंगाल | निजी | सीईएससी निजी | नई कोसीपुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 30.00 |
| | पश्चिम बंगाल | निजी | सीईएससी निजी | नई कोसीपुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 30.00 |
| | पश्चिम बंगाल | निजी | सीईएससी निजी | नई कोसीपुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 50.00 |
| | पश्चिम बंगाल | निजी | सीईएससी निजी | नई कोसीपुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 50.00 |
| 88. | पश्चिम बंगाल | निजी | सीईएससी निजी | सादर्न रिपलेसमेंट टीपीएस | स्टीम | कोयला | 1 | 67.50 |
| | पश्चिम बंगाल | निजी | सीईएससी निजी | सादर्न रिपलेसमेंट टीपीएस | स्टीम | कोयला | 1 | 67.50 |
| 89. | पश्चिम बंगाल | निजी | सीईएससी निजी | टीटागढ़ थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 60.00 |
| | पश्चिम बंगाल | निजी | सीईएससी निजी | टीटागढ़ थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 60.00 |
| | पश्चिम बंगाल | निजी | सीईएससी निजी | टीटागढ़ थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 60.00 |
| | पश्चिम बंगाल | निजी | सीईएससी निजी | टीटागढ़ थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 60.00 |
| 90. | पश्चिम बंगाल | राज्य | डीपीएल | डीपीएल थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 30.00 |
| | पश्चिम बंगाल | राज्य | डीपीएल | डीपीएल थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 30.00 |
| | पश्चिम बंगाल | राज्य | डीपीएल | डीपीएल थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 75.00 |
| | पश्चिम बंगाल | राज्य | डीपीएल | डीपीएल थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 75.00 |
| | पश्चिम बंगाल | राज्य | डीपीएल | डीपीएल थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 75.00 |
| | पश्चिम बंगाल | राज्य | डीपीएल | डीपीएल थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 110.00 |
| | पश्चिम बंगाल | राज्य | डीपीएल | डीपीएल थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 300.00 |
| 91. | पश्चिम बंगाल | निजी | दिसेरगढ़ निजी | चीनाकुरी थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 10.00 |
| | पश्चिम बंगाल | निजी | दिसेरगढ़ निजी | चीनाकुरी थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 10.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92. | पश्चिम बंगाल | निजी | दिसेरगढ़ निजी | दिसेरगढ़ थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 3.00 |
| | पश्चिम बंगाल | निजी | दिसेरगढ़ निजी | दिसेरगढ़ थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 5.00 |
| | पश्चिम बंगाल | निजी | दिसेरगढ़ निजी | दिसेरगढ़ थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 5.00 |
| | पश्चिम बंगाल | निजी | दिसेरगढ़ निजी | दिसेरगढ़ थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 5.00 |
| 93. | पश्चिम बंगाल | निजी | दिसेरगढ़ निजी | सिबपुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 1.50 |
| | पश्चिम बंगाल | निजी | दिसेरगढ़ निजी | सिबपुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 1.88 |
| | पश्चिम बंगाल | निजी | दिसेरगढ़ निजी | सिबपुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 2.00 |
| | पश्चिम बंगाल | निजी | दिसेरगढ़ निजी | सिबपुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 3.00 |
| 94. | पश्चिम बंगाल | राज्य | डब्ल्यूबीपीडी | बकरेश्वर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | पश्चिम बंगाल | राज्य | डब्ल्यूबीपीडी | बकरेश्वर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | पश्चिम बंगाल | राज्य | डब्ल्यूबीपीडी | बकरेश्वर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | पश्चिम बंगाल | राज्य | डब्ल्यूबीपीडी | बकरेश्वर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| 95. | पश्चिम बंगाल | राज्य | डब्ल्यूबीपीडी | बंडेल थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 60.00 |
| | पश्चिम बंगाल | राज्य | डब्ल्यूबीपीडी | बंडेल थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 60.00 |
| | पश्चिम बंगाल | राज्य | डब्ल्यूबीपीडी | बंडेल थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 60.00 |
| | पश्चिम बंगाल | राज्य | डब्ल्यूबीपीडी | बंडेल थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 60.00 |
| | पश्चिम बंगाल | राज्य | डब्ल्यूबीपीडी | बंडेल थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| 96. | पश्चिम बंगाल | राज्य | डब्ल्यूबीपीडी | कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | पश्चिम बंगाल | राज्य | डब्ल्यूबीपीडी | कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | पश्चिम बंगाल | राज्य | डब्ल्यूबीपीडी | कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | पश्चिम बंगाल | राज्य | डब्ल्यूबीपीडी | कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | पश्चिम बंगाल | राज्य | डब्ल्यूबीपीडी | कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| | पश्चिम बंगाल | राज्य | डब्ल्यूबीपीडी | कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 210.00 |
| 97. | पश्चिम बंगाल | राज्य | डब्ल्यूबीपीडी | संतालडीह थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 120.00 |
| | पश्चिम बंगाल | राज्य | डब्ल्यूबीपीडी | संतालडीह थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 120.00 |
| | पश्चिम बंगाल | राज्य | डब्ल्यूबीपीडी | संतालडीह थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 120.00 |
| | पश्चिम बंगाल | राज्य | डब्ल्यूबीपीडी | संतालडीह थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 250.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98. | पश्चिम बंगाल | राज्य | डब्ल्यूबीपीडी | सागरदीघी थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 300.00 |
| | पश्चिम बंगाल | राज्य | डब्ल्यूबीपीडी | सागरदीघी थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | कोयला | 1 | 300.00 |
| 99. | असम | राज्य | एएसईबी | चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | तेल | 1 | 30.00 |
| | असम | राज्य | एएसईबी | चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन | स्टीम | तेल | 1 | 30.00 |
| | | | | | | | | 77648.88 |

टिप्पणी: उपरोक्त के अलावा 150 डीजल स्टेशन हैं जिनकी क्षमता 1199.75 मेगावाट है।

## *विवरण II ख*

*31.3.2009 की स्थितिनुसार थर्मल पावर स्टेशन की सूची (यूटिलिटी)*

| क्र.सं. | क्षेत्र/राज्य | सेक्टर | स्वामित्व | परियोजना | प्राइम मूवर | यूनिट की संख्या | कुल क्षमता (मे.वा.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | दिल्ली | राज्य | पीआर पीसीएल | प्रगति पावर प्रोजेक्ट | जीटी-गैस | 1 | 30.00 |
| | दिल्ली | राज्य | पीआर पीसीएल | प्रगति पावर प्रोजेक्ट | जीटी-गैस | 1 | 30.00 |
| | दिल्ली | राज्य | पीआर पीसीएल | प्रगति पावर प्रोजेक्ट | जीटी-गैस | 1 | 30.00 |
| | दिल्ली | राज्य | पीआर पीसीएल | प्रगति पावर प्रोजेक्ट | जीटी-गैस | 1 | 30.00 |
| | दिल्ली | राज्य | पीआर पीसीएल | प्रगति पावर प्रोजेक्ट | जीटी-गैस | 1 | 30.00 |
| | दिल्ली | राज्य | पीआर पीसीएल | प्रगति पावर प्रोजेक्ट | जीटी-गैस | 1 | 30.00 |
| | दिल्ली | राज्य | पीआर पीसीएल | प्रगति पावर प्रोजेक्ट | जीटी-गैस | 1 | 30.00 |
| | दिल्ली | राज्य | पीआर पीसीएल | प्रगति पावर प्रोजेक्ट | जीटी-गैस | 1 | 30.00 |
| | दिल्ली | राज्य | पीआर पीसीएल | प्रगति पावर प्रोजेक्ट | जीटी-गैस | 1 | 30.00 |
| 2. | दिल्ली | राज्य | पीआर पीसीएल | प्रगति पावर प्रोजेक्ट | जीटी-गैस | 1 | 104.60 |
| | दिल्ली | राज्य | पीआर पीसीएल | प्रगति पावर प्रोजेक्ट | जीटी-गैस | 1 | 104.60 |
| | दिल्ली | राज्य | पीआर पीसीएल | प्रगति पावर प्रोजेक्ट | जीटी-गैस | 1 | 121.20 |
| 3. | जम्मू और कश्मीर | राज्य | जे एण्ड के पीडीसी | पोम्पोर गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 25.00 |
| | जम्मू और कश्मीर | राज्य | जे एण्ड के पीडीसी | पोम्पोर गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 25.00 |
| | जम्मू और कश्मीर | राज्य | जे एण्ड के पीडीसी | पोम्पोर गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 25.00 |
| | जम्मू और कश्मीर | राज्य | जे एण्ड के पीडीसी | पोम्पोर गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 25.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | जम्मू और कश्मीर | राज्य | जे एण्ड के पीडीसी | पोम्पोर गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 25.00 |
| | जम्मू और कश्मीर | राज्य | जे एण्ड के पीडीसी | पोम्पोर गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 25.00 |
| | जम्मू और कश्मीर | राज्य | जे एण्ड के पीडीसी | पोम्पोर गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 25.00 |
| 4. | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | अंता गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 88.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | अंता गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 88.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | अंता गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 88.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | अंता गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 149.00 |
| 5. | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | औरेया गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 102.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | औरेया गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 102.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | औरेया गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 112.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | औरेया गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 112.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | औरेया गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 112.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | औरेया गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 112.00 |
| 6. | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | दादरी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 131.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | दादरी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 131.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | दादरी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 131.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | दादरी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 131.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | दादरी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 146.50 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | दादरी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 146.50 |
| 7. | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | फरीदाबाद सीसीजीटी | जीटी-गैस | 1 | 143.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | फरीदाबाद सीसीजीटी | जीटी-गैस | 1 | 143.00 |
| | उत्तरी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | फरीदाबाद सीसीजीटी | जीटी-गैस | 1 | 144.00 |
| 8. | राजस्थान | राज्य | आरआरवीयूएनएल | धौलपुर गैस सीसीजीटी | जीटी-गैस | 1 | 110.00 |
| | राजस्थान | राज्य | आरआरवीयूएनएल | धौलपुर गैस सीसीजीटी | जीटी-गैस | 1 | 110.00 |
| | राजस्थान | राज्य | आरआरवीयूएनएल | धौलपुर गैस सीसीजीटी | जीटी-गैस | 1 | 110.00 |
| 9. | राजस्थान | राज्य | आरआरवीयूएनएल | रामगढ़ गैस पावर स्टेशन स्टेज-II | जीटी-गैस | 1 | 37.50 |
| | राजस्थान | राज्य | आरआरवीयूएनएल | रामगढ़ गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 3.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राजस्थान | राज्य | आरआरवीयूएनएल | रामगढ़ गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 35.50 |
| | राजस्थान | राज्य | आरआरवीयूएनएल | रामगढ़ गैस पावर स्टेशन स्टेज-II | जीटी-गैस | 1 | 37.80 |
| 10. | गोवा | निजी | रिलायंस सालगाओकर | सालगावकर गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 48.00 |
| 11. | गुजरात | निजी | टोरेंट पॉवर जनरेशन लिमिटेड | वतवा गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 33.00 |
| | गुजरात | निजी | टोरेंट पॉवर जनरेशन लिमिटेड | वतवा गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 33.00 |
| | गुजरात | निजी | टोरेंट पॉवर जनरेशन लिमिटेड | वतवा गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 34.00 |
| 12. | गुजरात | निजी | टोरेंट पॉवर जनरेशन लिमिटेड | सूजेन सीसीपीपी | जीटी-गैस | 1 | 382.50 |
| 13. | गुजरात | निजी | एस्सार निजी | एस्सार गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 110.00 |
| | गुजरात | निजी | एस्सार निजी | एस्सार गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 110.00 |
| | गुजरात | निजी | एस्सार निजी | एस्सार गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 110.00 |
| | गुजरात | निजी | एस्सार निजी | एस्सार गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 185.00 |
| 14. | गुजरात | राज्य | जीएसईजीसीएल | हजीरा गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 52.00 |
| | गुजरात | राज्य | जीएसईजीसीएल | हजीरा गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 52.00 |
| | गुजरात | राज्य | जीएसईजीसीएल | हजीरा गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 52.10 |
| 15. | गुजरात | निजी | जीआईपीसीएल (निजी) | बड़ौदा गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 106.00 |
| | गुजरात | निजी | जीआईपीसीएल (निजी) | बड़ौदा गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 54.00 |
| 16. | गुजरात | राज्य | जीएसईसीएल | धुवरान गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 38.77 |
| | गुजरात | राज्य | जीएसईसीएल | धुवरान गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 67.85 |
| | गुजरात | राज्य | जीएसईसीएल | धुवरान गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 72.00 |
| | गुजरात | राज्य | जीएसईसीएल | धुवरान गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 40.00 |
| 17. | गुजरात | राज्य | जीएसईसीएल | उत्तरान गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 33.00 |
| | गुजरात | राज्य | जीएसईसीएल | उत्तरान गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 33.00 |
| | गुजरात | राज्य | जीएसईसीएल | उत्तरान गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 33.00 |
| | गुजरात | राज्य | जीएसईसीएल | उत्तरान गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 45.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | गुजरात | निजी | गुजरात पेगुथान | पेगुथान गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 135.00 |
| | गुजरात | निजी | गुजरात पेगुथान | पेगुथान गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 135.00 |
| | गुजरात | निजी | गुजरात पेगुथान | पेगुथान गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 135.00 |
| | गुजरात | निजी | गुजरात पेगुथान | पेगुथान गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 250.00 |
| 19. | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | उरान गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 60.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | उरान गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 60.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | उरान गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 60.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | उरान गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 60.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | उरान गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 108.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | उरान गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 108.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | उरान गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 108.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | उरान गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 108.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | उरान गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 120.00 |
| | महाराष्ट्र | राज्य | महाजेनको | उरान गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 120.00 |
| 20. | महाराष्ट्र | निजी | टाटा | ट्रांबे गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 60.00 |
| | महाराष्ट्र | निजी | टाटा | ट्रांबे गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 120.00 |
| 21. | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | गन्धार गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 131.00 |
| | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | गन्धार गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 131.00 |
| | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | गन्धार गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 131.00 |
| | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | गन्धार गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 255.00 |
| 22. | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | कवास गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 106.00 |
| | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | कवास गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 106.00 |
| | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | कवास गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 106.00 |
| | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | कवास गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 106.00 |
| | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | कवास गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 110.00 |
| | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | कवास गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 110.00 |
| 23. | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी एवं ओएनजीसी | रत्नागिरी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 240.00 |
| | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी एवं ओएनजीसी | रत्नागिरी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 240.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी एवं ओएनजीसी | रत्नागिरी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 260.00 |
| | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी एवं ओएनजीसी | रत्नागिरी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 240.00 |
| | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी एवं ओएनजीसी | रत्नागिरी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 240.00 |
| | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी एवं ओएनजीसी | रत्नागिरी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 260.00 |
| | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी एवं ओएनजीसी | रत्नागिरी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 240.00 |
| | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी एवं ओएनजीसी | रत्नागिरी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 240.00 |
| | पश्चिमी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी एवं ओएनजीसी | रत्नागिरी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 260.00 |
| 24. | आंध्र प्रदेश | निजी | बीएसईएस | पेडापुरम गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 142.00 |
| | आंध्र प्रदेश | निजी | बीएसईएस | पेडापुरम गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 78.00 |
| 25. | आंध्र प्रदेश | निजी | जीवीके इंड | जेग्गुपाडु गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 52.80 |
| | आंध्र प्रदेश | निजी | जीवीके इंड | जेग्गुपाडु गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 52.80 |
| | आंध्र प्रदेश | निजी | जीवीके इंड | जेग्गुपाडु गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 52.80 |
| | आंध्र प्रदेश | निजी | जीवीके इंड | जेग्गुपाडु गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 77.00 |
| | आंध्र प्रदेश | निजी | जीवीके इंड | जेग्गुपाडु गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 140.00 |
| | आंध्र प्रदेश | निजी | जीवीके इंड | जेग्गुपाडु गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 80.00 |
| 26. | आंध्र प्रदेश | निजी | लैंको | कोंडापल्ली गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 112.00 |
| | आंध्र प्रदेश | निजी | लैंको | कोंडापल्ली गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 112.00 |
| | आंध्र प्रदेश | निजी | लैंको | कोंडापल्ली गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 126.00 |
| 27. | आंध्र प्रदेश | निजी | वेमागिरी, सीसीपीपी कॉर्पोरेशन | वेमागिरी, सीसीपीपी | जीटी-गैस | 1 | 233.00 |
| | आंध्र प्रदेश | निजी | वेमागिरी, सीसीपीपी कॉर्पोरेशन | वेमागिरी, सीसीपीपी | जीटी-गैस | 1 | 137.00 |
| 28. | आंध्र प्रदेश | निजी | एसपीजीएल (स्पेक्ट्रम) | गोदावरी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 47.00 |
| | आंध्र प्रदेश | निजी | एसपीजीएल (स्पेक्ट्रम) | गोदावरी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 47.00 |
| | आंध्र प्रदेश | निजी | एसपीजीएल (स्पेक्ट्रम) | गोदावरी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 47.00 |
| | आंध्र प्रदेश | निजी | एसपीजीएल (स्पेक्ट्रम) | गोदावरी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 67.00 |
| 29. | कर्नाटक | निजी | तनीर बावी पावर, निजी कं. | तनीर बावी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 42.50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कर्नाटक | निजी | तनीर बावी पावर, निजी कं. | तनीर बावी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 42.50 |
| | कर्नाटक | निजी | तनीर बावी पावर, निजी कं. | तनीर बावी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 42.50 |
| | कर्नाटक | निजी | तनीर बावी पावर, निजी कं. | तनीर बावी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 42.50 |
| | कर्नाटक | निजी | तनीर बावी पावर, निजी कं. | तनीर बावी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 50.00 |
| 30. | केरल | निजी | बीएसईएस निजी कं. | कोचीन गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 39.00 |
| | केरल | निजी | बीएसईएस निजी कं. | कोचीन गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 45.00 |
| | केरल | निजी | बीएसईएस निजी कं. | कोचीन गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 45.00 |
| | केरल | निजी | बीएसईएस निजी कं. | कोचीन गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 45.00 |
| 31. | पुडुचेरी | राज्य | पीपीसीएल (गैस) | करैकाल गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 9.60 |
| | पुडुचेरी | राज्य | पीपीसीएल (गैस) | करैकाल गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 22.90 |
| 32. | दक्षिणी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | कायमकुलम गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 115.30 |
| | दक्षिणी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | कायमकुलम गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 115.30 |
| | दक्षिणी क्षेत्र | केन्द्रीय | एनटीपीसी | कायमकुलम गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 119.40 |
| 33. | तमिलनाडु | राज्य | कुटलम सीसीपीपी | कुटलम गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 37.00 |
| | तमिलनाडु | राज्य | कुटलम सीसीपीपी | कुटलम गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 63.00 |
| 34. | तमिलनाडु | निजी | पीपीएन पावर कं. लि. | पीलेपेरूमलनलुर गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 225.00 |
| | तमिलनाडु | निजी | पीपीएन पावर कं. लि. | पीलेपेरूमलनलुर गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 105.50 |
| 35. | तमिलनाडु | निजी | अबन पावर कं. लि. | करूपुर सीसीजीटी | जीटी-गैस | 1 | 70.00 |
| | तमिलनाडु | निजी | अबन पावर कं. लि. | करूपुर सीसीजीटी (वेस्ट हीट स्टीम) | जीटी-गैस | 1 | 49.80 |
| 36. | तमिलनाडु | निजी | पेन्ना इलेक्ट्रीक लि. | वेलंथारवी जीपीएस | जीटी-गैस | 1 | 38.00 |
| | तमिलनाडु | निजी | पेन्ना इलेक्ट्रीक लि. | वेलंथारवी जीपीएस | जीटी-गैस | 1 | 14.80 |
| 37. | तमिलनाडु | राज्य | टीएनईबी | बेसीन ब्रिज गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 30.00 |
| | तमिलनाडु | राज्य | टीएनईबी | बेसीन ब्रिज गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 30.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | तमिलनाडु | राज्य | टीएनईबी | बेसीन ब्रिज गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 30.00 |
| | तमिलनाडु | राज्य | टीएनईबी | बेसीन ब्रिज गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 30.00 |
| 38. | तमिलनाडु | राज्य | टीएनईबी | कोवीकलप्पल गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 38.00 |
| | तमिलनाडु | राज्य | टीएनईबी | कोवीकलप्पल गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 69.00 |
| 39. | तमिलनाडु | राज्य | टीएनईबी | नरीमनम गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 5.00 |
| | तमिलनाडु | राज्य | टीएनईबी | नरीमनम गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 5.00 |
| 40. | तमिलनाडु | राज्य | टीएनईबी | वलुथुर गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 34.00 |
| | तमिलनाडु | राज्य | टीएनईबी | वलुथुर गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 32.40 |
| | तमिलनाडु | राज्य | टीएनईबी | वलुथुर गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 60.00 |
| | तमिलनाडु | राज्य | टीएनईबी | वलुथुर गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 59.80 |
| 41. | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | डीवीसी | मैथन गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 30.00 |
| | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | डीवीसी | मैथन गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 30.00 |
| | पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | डीवीसी | मैथन गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 30.00 |
| 42. | पश्चिम बंगाल | राज्य | डब्ल्यूबीएसईबी | हल्दिया गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 20.00 |
| | पश्चिम बंगाल | राज्य | डब्ल्यूबीएसईबी | हल्दिया गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 20.00 |
| 43. | पश्चिम बंगाल | राज्य | डब्ल्यूबीएसईबी | कसबा गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 20.00 |
| | पश्चिम बंगाल | राज्य | डब्ल्यूबीएसईबी | कसबा गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 20.00 |
| 44. | पश्चिम बंगाल | राज्य | डब्ल्यूबीएसईबी | सीलीगुड़ी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 20.00 |
| 45. | असम | राज्य | एएसईबी | लकवा गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 15.00 |
| | असम | राज्य | एएसईबी | लकवा गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 15.00 |
| | असम | राज्य | एएसईबी | लकवा गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 15.00 |
| | असम | राज्य | एएसईबी | लकवा गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 15.00 |
| | असम | राज्य | एएसईबी | लकवा गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 20.00 |
| | असम | राज्य | एएसईबी | लकवा गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 20.00 |
| | असम | राज्य | एएसईबी | लकवा गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 20.00 |
| 46. | असम | राज्य | एएसईबी | नामरूप गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 11.00 |
| | असम | राज्य | एएसईबी | नामरूप गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 20.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | असम | राज्य | एएसईबी | नामरूप गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 21.00 |
| | असम | राज्य | एएसईबी | नामरूप गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 21.00 |
| | असम | राज्य | एएसईबी | नामरूप गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 22.00 |
| 47. | असम | राज्य | एएसईबी | नामरूप थर्मल पावर स्टेशन (एमएफ) | जीटी-गैस | 1 | 24.00 |
| 48. | असम | निजी | डीएलएफ पावर कं. | अदमाटीला गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 3.00 |
| | असम | निजी | डीएलएफ पावर कं. | अदमाटीला गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 3.00 |
| | असम | निजी | डीएलएफ पावर कं. | अदमाटीला गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 3.00 |
| 49. | असम | निजी | डीएलएफ पावर कं. | बांसखंडी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 3.50 |
| | असम | निजी | डीएलएफ पावर कं. | बांसखंडी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 3.50 |
| | असम | निजी | डीएलएफ पावर कं. | बांसखंडी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 3.50 |
| | असम | निजी | डीएलएफ पावर कं. | बांसखंडी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 5.00 |
| 50. | उत्तर पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | नीपको | अगरतला गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 21.00 |
| | उत्तर पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | नीपको | अगरतला गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 21.00 |
| | उत्तर पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | नीपको | अगरतला गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 21.00 |
| | उत्तर पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | नीपको | अगरतला गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 21.00 |
| 51. | उत्तर पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | नीपको | कथलगुड़ी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 30.00 |
| | उत्तर पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | नीपको | कथलगुड़ी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 30.00 |
| | उत्तर पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | नीपको | कथलगुड़ी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 30.00 |
| | उत्तर पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | नीपको | कथलगुड़ी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 33.50 |
| | उत्तर पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | नीपको | कथलगुड़ी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 33.50 |
| | उत्तर पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | नीपको | कथलगुड़ी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 33.50 |
| | उत्तर पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | नीपको | कथलगुड़ी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 33.50 |
| | उत्तर पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | नीपको | कथलगुड़ी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 33.50 |
| | उत्तर पूर्वी क्षेत्र | केन्द्रीय | नीपको | कथलगुड़ी गैस पावर स्टेशन | जीटी-गैस | 1 | 33.50 |
| 52. | त्रिपुरा | राज्य | सरकारी विभाग | बारामुरा गैस पावर स्टेशन एक्स. | जीटी-गैस | 1 | 21.00 |
| | त्रिपुरा | राज्य | सरकारी विभाग | बारामुरा गैस पावर स्टेशन एक्स. | जीटी-गैस | 1 | 5.00 |
| | त्रिपुरा | राज्य | सरकारी विभाग | बारामुरा गैस पावर स्टेशन एक्स. | जीटी-गैस | 1 | 5.00 |
| | त्रिपुरा | राज्य | सरकारी विभाग | बारामुरा गैस पावर स्टेशन एक्स. | जीटी-गैस | 1 | 6.50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. | त्रिपुरा | राज्य | सरकारी विभाग | रोखीआ गैस पावर स्टेशन फेज II | जीटी-गैस | 1 | 8.00 |
| | त्रिपुरा | राज्य | सरकारी विभाग | रोखीआ गैस पावर स्टेशन फेज II | जीटी-गैस | 1 | 8.00 |
| | त्रिपुरा | राज्य | सरकारी विभाग | रोखीआ गैस पावर स्टेशन फेज II | जीटी-गैस | 1 | 8.00 |
| | त्रिपुरा | राज्य | सरकारी विभाग | रोखीआ गैस पावर स्टेशन फेज II | जीटी-गैस | 1 | 8.00 |
| | त्रिपुरा | राज्य | सरकारी विभाग | रोखीआ गैस पावर स्टेशन फेज II | जीटी-गैस | 1 | 8.00 |
| | त्रिपुरा | राज्य | सरकारी विभाग | रोखीआ गैस पावर स्टेशन फेज II | जीटी-गैस | 1 | 8.00 |
| | त्रिपुरा | राज्य | सरकारी विभाग | रोखीआ गैस पावर स्टेशन-II, यूनिट-VII | जीटी-गैस | 1 | 21.00 |
| | त्रिपुरा | राज्य | सरकारी विभाग | रोखीआ गैस पावर स्टेशन-II, यूनिट-VIII | जीटी-गैस | 1 | 21.00 |

## *विवरण II*

*11वीं योजनावधि में लाभ हेतु मॉनीटर की जा रहीं चालू थर्मल परियोजनाओं की सूची*

| क्र.सं. | संयंत्र का नाम | एजेंसी | क्षेत्र | श्रेणी | अंतिमक्षमता (मे.वा.) | ईंधन के प्रकार | 11वीं योजना में मिलने वाले लाभ (मे.वा.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **आंध्र प्रदेश** | | | | | | |
| 1. | सिमहादरी-एक्सटेशन-3, 4 | एनटीपीसी | सी | निर्माणाधीन | 1000 | कोयला | 1000 |
| 2. | रॉयल सीमा यू 4 | एपीजीईएनसीओ | एस | चालू | 210 | कोयला | 210 |
| 3. | काकातिया टीपीपी | एपीजीईएनसीओ | एस | निर्माणाधीन | 500 | कोयला | 500 |
| 4. | विजयवाड़ा टीपीपी एसटी-4, यू1 | एपीजीईएनसीओ | एस | निर्माणाधीन | 500 | कोयला | 500 |
| 5. | रॉयल सीमाएसटी-3, यू4 | एपीजीईएनसीओ | एस | निर्माणाधीन | 210 | कोयला | 210 |
| 6. | कोथागुडेम एसटी-6 | एपीजीईएनसीओ | एस | निर्माणाधीन | 500 | कोयला | 500 |
| 7. | कोनासीमा जीटी | कोनासीमा गैस पॉवर | पी | निर्माणादीन | 280 | गैस/एलएनजी | 280 |
| 8. | कोनासीमा एसटी | कोनासीमा गैस पॉवर | पी | निर्माणाधीन | 165 | गैस/एलएनजी | 165 |
| 9. | गोतमी | जीवीके गौतमी पॉवर | पी | चालू | 464 | गैस/एलएनजी | 464 |
| 10. | कोन्डापल्ली सीसीपीपी पीएच-2 | लेंको कोंडापल्ली पॉवर | पी | निर्माणाधीन | 366 | गैस/एलएनजी | 366 |
| | कुल (एपी) | | | | | | 4195 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **असम** | | | | | | |
| 1. | बोंगईगांवा टीपीपी | एनटीपीसी | सी | निर्माणाधीन | 750 | कोयला | 750 |
| 2. | लकवा डब्ल्यूएच | एएसजीईएनसीओ | एस | निर्माणाधीन | 37.2 | गैस/एलएनजी | 37.2 |
| | कुल (असम) | | | | | | 787 |
| | **बिहार** | | | | | | |
| 1. | कहलगांव 2 यू6 | एनटीपीसी | सी | चालू | 500 | कोयला | 500 |
| 1. | कहलगांव 2 यू7 | एनटीपीसी | सी | निर्माणाधीन | 500 | कोयला | 500 |
| 2. | बरह-1, यू-1, 2 | एनटीपीसी | सी | निर्माणाधीन | 1980 | कयला | 1320 |
| 3. | नवीनगर जेवी | एनटीपीसी | सी | निर्माणाधीन | 1000 | कोयला | 750 |
| | कुल (बिहार) | | | | | | 3070 |
| | **छत्तीसगढ़** | | | | | | |
| 1. | सिपाट-2 यू4 | एनटीपीसी | सी | चालू | 500 | कोयला | 500 |
| 1. | सिपाट-2 यू5 | एनटीपीसी | सी | चालू | 500 | कोयला | 500 |
| 2. | सिपाट-1 | एनटीपीसी | सी | निर्माणाधीन | 1980 | कोयला | 1980 |
| 3. | भिलाई जेवी यू1 | एनटीपीसी | सी | चालू | 250 | कोयला | 250 |
| 3. | भिलाई जेवी यू2 | एनटीपीसी | सी | निर्माणाधीन | 250 | कोयला | 250 |
| 4. | कोरबा 3 यू-7 | एनटीपीसी | सी | निर्माणाधीन | 500 | कोयला | 500 |
| 5. | कोरबा पूर्व एक्सटेंशन यू2 | सीएसईबी | एस | चालू | 250 | कोयला | 250 |
| 6. | कोरबा पूर्व एक्सटेंशन पीएच-3 | सीएसईबी | एस | निर्माणाधीन | 500 | कोयला | 500 |
| 7. | मारवाह टीपीपी यू1 | सीएसईबी | एस | निर्माणाधीन | 1000 | कोयला | 500 |
| 8. | रायगढ़ टीपीपी पीएच पीएच-1, यू 1, 2 पीएच-2, यू 3, 4 | जिंदल पॉवर | पी | चालू | 1000 | कोयला | 1000 |
| 9. | लेन्को अमरकंटक यू1 | लेन्को | पी | चालू | 300 | कोयला | 300 |
| 9. | लेन्को अमरकंटक यू2 | लेन्को | पी | निर्माणाधीन | 300 | कोयला | 300 |
| | कुल (छत्तीसगढ़) | | | | | | 6830 |
| | **दिल्ली** | | | | | | |
| 1. | प्रगति-3 (बवाना) | पीपीसीएल | एस | निर्माणाधीन | 1500 | गैस/एलएनजी | 1500 |
| 2. | रिठाला सीसीपीपी | एनडीपीएल | पी | निर्माणाधीन | 108 | गैस/एलएनजी | 108 |
| | कुल (दिल्ली) | | | | | | 1608 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **गुजरात** | | | | | | |
| 1. | सिक्का एक्सटेंशन | जीएसईसीएल | एस | निर्माणाधीन | 500 | कोयला | 500 |
| 2. | धुवरान एसटी | जीएसईसीएल | एस | निर्माणाधीन | 219 | गैस/एलएनजी | 40 |
| 3. | अट्रान सीसीपीपी | जीएसईसीएल | एस | निर्माणाधीन | 374 | गैस/एलएनजी | 374 |
| 4. | जीएसईजी हजीरा एक्सटेंशन | जीएसईसीएल | एस | निर्माणाधीन | 351 | गैस/एलएनजी | 351 |
| 5. | पिपावाव जेवी सीसीजीटी | जीएसईसीएल | एस | निर्माणाधीन | 702 | गैस/एलएनजी | 702 |
| 6. | उकाई एक्सटेंशन यू6 | जीएसईसीएल | एस | निर्माणाधीन | 490 | कोयला | 490 |
| 7. | कच्छ लिग्नाइट टीपीएस | जीएसईसीएल | एस | निर्माणाधीन | 75 | लिग्नाइट | 75 |
| 8. | सूरत लिग्नाइट एक्सटेंशन यू 3,4 | जीएसईसीएल | एस | निर्माणाधीन | 250 | लिग्नाइट | 250 |
| 9. | अदानी पॉवर प्रा.लि.-मुन्डरा | अदानी पॉवर | पी | निर्माणाधीन | 1320 | कोयला | 1320 |
| 10. | अदानी पॉवर प्रा.लि.-मुन्डरा | अदानी पॉवर | पी | निर्माणाधीन | 1320 | कोयला | 1320 |
| 11. | अल्ट्रा मेगा मुन्डरा यू1, 2 | टाटा पॉवर | पी | निर्माणाधीन | 4000 | कोयला | 1600 |
| 12. | सुगेन टोरेंट ब्लॉक 1, 2 व 3 | टोरेंट | पी | चालू | 1147.5 | गैस/एलएनजी | 1147.5 |
| | कुल गुजरात | | | | | | 8170 |
| | **हरियाणा** | | | | | | |
| 1. | इंदिरा गांधी टीपीपी (झज्जर) जेवी | एनटीपीसी | सी | निर्माणाधीन | 1500 | कोयला | 1500 |
| 2. | यमुनानगर यू-1 व 2 | एचपीजीसीएल | एस | चालू | 600 | कोयला | 600 |
| 3. | राजीव गांधी टीपीएस (हिसार) | एचपीजीसीएल | एस | निर्माणाधीन | 1200 | कोयला | 1200 |
| | कुल (हरियाणा) | | | | | | 3300 |
| | **झारखंड** | | | | | | |
| 1. | चन्द्रपुरा यू 7 व 8 | डीवीसी | सी | निर्माणाधीन | 500 | कोयला | 500 |
| 2. | मैथन आरबीसी जेवी | डीवीसी | सी | निर्माणाधीन | 1050 | कोयला | 1050 |
| 3. | बोकारो विस्तार | डीवीसी | सी | निर्माणाधीन | 500 | कोयला | 500 |
| 4. | कोडरमा यू-1 व 2 | डीवीसी | सी | निर्माणाधीन | 1000 | कोयला | 1000 |
| | कुल (झारखंड) | | | | | | 3050 |
| | **कर्नाटक** | | | | | | |
| 1. | बेल्लारी टीपीपी यूनिट-1 | केपीसीएल | एस | चालू | 500 | कोयला | 500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बेल्लारी टीपीपी यू-2 | केपीसीएल | एस | निर्माणाधीन | 500 | कोयला | 500 |
| 2. | रायचूर यू-8 | केपीसीएल | एस | निर्माणाधीन | 250 | कोयला | 250 |
| 3. | उड़प्पी टीपीपी (लेनको नागार्जुन) | लेन्को | पी | निर्माणाधीन | 1015 | कोयला | 1015 |
| 4. | तोरांगल्लू यू-1 | जेएसडब्ल्यू ऊर्जा | पी | चालू | 300 | कोयला | 300 |
| 4. | तोरांगल्लू यू-2 | जेएसडब्ल्यू ऊर्जा | पी | निर्माणाधीन | 300 | कोयला | 300 |
| | कुल (कर्नाटक) | | | | | | 2865 |
| | **महाराष्ट्र** | | | | | | |
| 1. | रत्नागिरि (डाभोल) जेवी | एनटीपीसी | सी | चालू | 740 | गैस/एलएनजी | 740 |
| 2. | न्यू पारली विस्तार यू-2 | एमएसपीजीसीएल | एस | निर्माणाधीन | 250 | कोयला | 250 |
| 3. | पारस विस्तार यू-1 | एमएसपीजीसीएल | एस | चालू | 250 | कोयला | 250 |
| 3. | पारस यू-2 | एमएसपीजीसीएल | एस | निर्माणाधीन | 250 | कोयला | 250 |
| 4. | खापरखेड़ा विस्तार | एमएसपीजीसीएल | एस | निर्माणाधीन | 500 | कोयला | 500 |
| 5. | भुसावल टीपीपी | एमएसपीजीसीएल | एस | निर्माणाधीन | 1000 | कोयला | 1000 |
| 6. | जेएसडब्ल्यू रत्नागिरि | जेएसडब्ल्यू ऊर्जा | पी | निर्माणाधीन | 1200 | कोयला | 1200 |
| 7. | ट्रांबे टीपीएस | टाटा पॉवर | पी | चालू | 250 | कोयला | 250 |
| | कुल (महाराष्ट्र) | | | | | | 4440 |
| | **मध्य प्रदेश** | | | | | | |
| 1. | शासन यूएमपीपी यू-1, 2 | रिलायंस पॉवर | पी | निर्माणाधीन | 3960 | कोयला | 1320 |
| 2. | अमरकंटक यू-5 | एमपीजीईएनसीओ | एस | चालू | 210 | कोयला | 210 |
| 3. | सतपुड़ा विस्तार 1, 2 | एमपीपीजीसीएल | एस | निर्माणाधीन | 500 | कोयला | 500 |
| 4. | बरसिंगसर विस्तार | एमपीपीजीसीएल | एस | चालू | 500 | कोयला | 500 |
| | कुल (म.प्र.) | | | | | | 2530 |
| | **उड़ीसा** | | | | | | |
| 1. | स्टारलाइट टीपीपी यू-1, 2 | स्टारलाइट एनर्जी | पी | निर्माणाधीन | 2400 | कोयला | 1200 |
| | कुल (उड़ीसा) | | | | | कोयला | 1200 |
| | **पंजाब** | | | | | | |
| 1. | जीएचटीपीपी-2 यूनिट 3, 4 | पीएसईबी | एस | चालू | 500 | कोयला | 500 |
| 2. | गोइंदवाल साहिब यू-1, 2 | जीवीके | पी | निर्माणाधीन | 540 | कोयला | 540 |
| | कुल (पंजाब) | | | | | | 1040 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **राजस्थान** | | | | | | |
| 1. | बरसिंगसर लिग्नाइट | एनएलसी | सी | निर्माणाधीन | 250 | लिग्नाइट | 250 |
| 2. | धौलपुर जीटी-2+एसटी | आरआरवीयूएनएल | एस | चालू | 330 | गैस/एलएनजी | 220 |
| 3. | चबरा टीपीएस यू-1, 2 | आरआरवीयूएनएल | एस | निर्माणाधीन | 500 | कोयला | 500 |
| 4. | चबरा-2 टीपीएस यू-1, 2 | आरआरवीयूएनएल | एस | निर्माणाधीन | 500 | कोयला | 500 |
| 5. | कोटा टीपीपी यू-7 | आरआरवीयूएनएल | एस | निर्माणाधीन | 195 | कोयला | 195 |
| 6. | सूरतगढ़ विस्तार यू-6 | आरआरवीयूएनएल | एस | निर्माणाधीन | 250 | कोयला | 250 |
| 7. | गिराल यू-2 | आरआरवीयूएनएल | एस | निर्माणाधीन | 125 | कोयला | 125 |
| 8. | जलीपा लिग्नाइट | राज वेस्ट पॉवर | पी | निर्माणाधीन | 1080 | लिग्नाइट | 1080 |
| | कुल (राजस्थान) | | | | | | 3120 |
| | **तमिलनाडु** | | | | | | |
| 1. | वल्लूर (एन्नौर) जेवी | एनटीपीसी | सी | निर्माणाधीन | 1000 | कोयला | 10000 |
| 2. | नैवेली-2 लिग्नाइट | एनएलसी | सी | निर्माणाधीन | 500 | लिग्नाइट | 500 |
| 3. | वलुथूर विस्तार | टीएनईबी | एस | चालू | 92 | गैस/एलएनजी | 92.2 |
| 4. | मेत्तूर बांध यू-1 | टीएनईबी | एस | निर्माणाधीन | 600 | कोयला | 600 |
| 5. | नॉर्थ चेन्नई विस्तार यू-1, 2 | टीएनईबी | एस | निर्माणाधीन | 1200 | कोयला | 1200 |
| | कुल (तमिलनाडु) | | | | | | 3392 |
| | **त्रिपुरा** | | | | | | |
| 1. | त्रिपुरा गैस आईएलएफएस जेवी | ओएनजीसी | सी | निर्माणाधीन | 726 | गैस/एलएनजी | 726 |
| | कुल (त्रिपुरा) | | | | | | 726 |
| | **उत्तर प्रदेश** | | | | | | |
| 1. | दादरी विस्तार यू-5, 6 | एनटीपीसी | सी | निर्माणाधीन | 980 | कोयला | 980 |
| 2. | परीचा विस्तार यूनिट-5, 6 | यूपीआरवीयूएनएल | एस | निर्माणाधीन | 500 | कोयला | 500 |
| 3. | हरदुआगंज विस्तार यू-8, 9 | यूपीआरवीयूएनएल | एस | निर्माणाधीन | 500 | कोयला | 500 |
| 4. | अनपरा डी | यूपीआरवीयूएनएल | एस | निर्माणाधीन | 1000 | कोयला | 1000 |
| 5. | रोजा चरण-1 | रिलायंस पॉवर | पी | निर्माणाधीन | 600 | कोयला | 600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | रोजा चरण-2 | रिलायंस पॉवर | पी | निर्माणाधीन | 600 | कोयला | 600 |
| 7. | अनपरा सी | लेन्को | पी | निर्माणाधीन | 1200 | कोयला | 1200 |
| | कुल (उ.प्र.) | | | | | | 5380 |
| | **पश्चिम बंगाल** | | | | | | |
| 1. | फरक्का स्टेज-2 यू-6 | एनटीपीसी | सी | निर्माणाधीन | 500 | कोयला | 500 |
| 2. | मेजिया यू-6 | डीवीसी | सी | चालू | 250 | कोयला | 250 |
| 3. | मेजिया फेज-2 | डीवीसी | सी | निर्माणाधीन | 1000 | कोयला | 1000 |
| 4. | दुर्गापुर स्टील | डीवीसी | सी | निर्माणाधीन | 1000 | कोयला | 1000 |
| 5. | रघुनाथपुर फेज-2 | डीवीसी | सी | निर्माणाधीन | 1200 | कोयला | 1200 |
| 6. | बज-बज विस्तार | सीईएससी | पी | निर्माणाधीन | 250 | कोयला | 250 |
| 7. | सागरडिघी यू-1, 2 | डब्ल्यूबीपीडीसीएल | एस | चालू | 600 | कोयला | 600 |
| 8. | संथालडीह यू-5 | डब्ल्यूबीपीडीसीएल | एस | चालू | 250 | कोयला | 250 |
| 9. | बक्रेश्वर यू-4 | डब्ल्यूबीपीडीसीएल | एस | चालू | 210 | कोयला | 210 |
| 10. | बक्रेश्वर यू-5 | डब्ल्यूबीपीडीसीएल | एस | चालू | 210 | कोयला | 210 |
| 11. | दुर्गापुर विस्तार यू-7 | डीपीएल | एस | चालू | 300 | कोयला | 300 |
| 12. | संथालडीह विस्तार यू-6 | डब्ल्यूबीपीडीसीएल | एस | निर्माणाधीन | 250 | कोयला | 250 |
| | कुल (प. बंगाल) | | | | | | 6020 |
| | कुल (थर्मल) | | | | | | 61723 |

सी-केन्द्रीय क्षेत्र, एस-राज्य क्षेत्र, पी-निजी क्षेत्र

## *विवरण III*

*2009-10 के दौरान विद्युत यूटिलिटी से कोयले का निर्यात*

| क्र.सं. | पावर यूटिलिटी | वार्षिक लक्ष्य मिलियन टन | वास्तविक आयात मिलियन टन |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | हरियाणा पीजीसीएल | 0.60 | 0.196 |
| 2. | पंजाब एसइबी | 0.60 | |
| 3. | राजस्थान वीयूएनएल | 0.80 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. | उत्तर प्रदेश पीजीसीएल | 0.40 | 0.096 |
| 5. | टोरेंट एईसी | 0.60 | |
| 6. | गुजरात एसईसीएल | 0.50 | 0.126 |
| 7. | महाराष्ट्र | 1.48 | 0.279 |
| 8. | रिलायंस एनर्जी | 2.20 | 0.671 |
| 9. | आंध्र प्रदेश | 0.50 | 0.178 |
| 10. | तमिलनाडु | 0.80 | |
| 11. | कर्नाटक | 1.80 | 0.550 |
| 12. | उड़ीसा | 0.80 | 0.195 |
| 13. | डीवीसी | 0.02 | |
| 14. | कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी | 0.80 | |
| 15. | पश्चिम बंगाल | 0.50 | 0.077 |
| 16. | एनटीपीसी | 0.80 | 0.131 |
| 17. | टाटा पावर | 12.50 | 3.248 |
| | कुल | 3.00 | 0.498 |
| | कुल (स्टेशन+पोर्ट) | 28.700 | 6.245 |

*31.5.2009 तक थर्मल पावर स्टेशन और पोर्ट से प्राप्ति।

## रैपिड ट्रांजिट सिस्टम

***29. श्री वैजयंत पांडा:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत देश में आधुनिक बस प्रणाली विशेषकर रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लागू करके सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में राज्यवार परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

**शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) जी हां।

(ख) देश में जन परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए 61 मिशन शहरों के संबंध में शहरी परिवहन के लिए भारत सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत कुल 15,260 बसें स्वीकृत की गई है। राज्य-वार और शहर-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत 9 मिशन शहरों के लिए बस द्रुतगामी परिवहन प्रणाली परियोजनाएं (बीआरटीएस) स्वीकृत की जाती हैं। स्वीकृत बीआरटीएस परियोजना के ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ग) सभी परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। शहरी परिवहन के लिए बसें दिसम्बर, 2009 तक सुपुर्द कर दिये जाने का लक्ष्य है।

## विवरण I

*शहरी परिवहन के लिए अनुमोदित बसों का राज्य-वार/शहर-वार ब्यौरा*

| क्र.सं. | राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | शहर का नाम | अनुमोदित बसों की कुल संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | 1000 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | तिरुपति | 50 |
| 3. | आंध्र प्रदेश | विजयवाड़ा | 240 |
| 4. | आंध्र प्रदेश | विशाखापट्टनम | 250 |
| 5. | अरुणाचल प्रदेश | इटानगर | 25 |
| 6. | असम | गुवाहाटी | 200 |
| 7. | बिहार | बोधगया | 25 |
| 8. | बिहार | पटना | 100 |
| 9. | छत्तीसगढ़ | रायपुर | 100 |
| 10. | दिल्ली | दिल्ली | 1600 |
| 11. | गोवा | पणजी | 50 |
| 12. | गुजरात | अहमदाबाद | 730 |
| 13. | हरियाणा | फरीदाबाद | 150 |
| 14. | हिमाचल प्रदेश | शिमला | 75 |
| 15. | जम्मू और कश्मीर | जम्मू | 75 |
| 16. | जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर | 75 |
| 17. | झारखंड | धनबाद | 100 |
| 18. | झारखंड | जमशेदपुर | 50 |
| 19. | झारखंड | रांची | 100 |
| 20. | कर्नाटक | बंगलौर | 1000 |
| 21. | कर्नाटक | मैसूर | 150 |
| 22. | केरल | कोची | 200 |
| 23. | केरल | त्रिवेन्द्रम | 150 |
| 24. | मध्य प्रदेश | भोपाल | 225 |
| 25. | मध्य प्रदेश | इन्दौर | 175 |
| 26. | मध्य प्रदेश | जबलपुर | 75 |
| 27. | मध्य प्रदेश | उज्जैन | 50 |
| 28. | महाराष्ट्र | ग्रेटर मुंबई | 1450 |
| 29. | महाराष्ट्र | नागपुर | 300 |
| 30. | महाराष्ट्र | नांदेड़ | 30 |
| 31. | महाराष्ट्र | पुणे | 650 |
| 32. | महाराष्ट्र | नासिक | 100 |
| 33. | मणिपुर | इम्फाल | 25 |
| 34. | मेघालय | शिलांग | 120 |
| 35. | मिजोरम | एजवाल | 25 |
| 36. | नागालैण्ड | कोहिमा | 25 |
| 37. | उड़ीसा | भुवनेश्वर | 100 |
| 38. | उड़ीसा | पुरी | 25 |
| 39. | पुडुचेरी | पुडुचेरी | 50 |
| 40. | पंजाब | अमृतसर | 150 |
| 41. | पंजाब | लुधियाना | 200 |
| 42. | राजस्थान | अजमेर | 35 |
| 43. | राजस्थान | जयपुर | 400 |
| 44. | सिक्किम | गंगटोक | 25 |
| 45. | तमिलनाडु | चेन्नई | 1000 |
| 46. | तमिलनाडु | कोयम्बटूर | 300 |
| 47. | तमिलनाडु | मदुरै | 300 |
| 48. | त्रिपुरा | अगरतला | 75 |
| 49. | उत्तर प्रदेश | आगरा | 200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 50. | उत्तर प्रदेश | इलाहाबाद | 150 |
| 51. | उत्तर प्रदेश | कानपुर | 304 |
| 52. | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 300 |
| 53. | उत्तर प्रदेश | मथुरा | 60 |
| 54. | उत्तर प्रदेश | मेरठ | 150 |
| 55. | उत्तर प्रदेश | वाराणसी | 146 |
| 56. | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 100 |
| 57. | उत्तराखंड | देहरादून | 60 |
| 58. | उत्तराखंड | नैनीताल | 60 |
| 59. | उत्तराखंड | हरिद्वार | 25 |
| 60. | पश्चिम बंगाल | आसनसोल | 100 |
| 61. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 1200 |
| | कुल | | 15260 |

***विवरण II***

*जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत स्वीकृत बस द्रुतगामी परिवहन प्रणाली (बीआरटीएस) परियोजनाएं*

| शहर | कुल दूरी |
|---|---|
| पुणे-पिंपरी-चिंचवाड़ | 143.99 कि.मी. |
| इन्दौर | 11.45 कि.मी. |
| भोपाल | 21.71 कि.मी. |
| अहमदाबाद | 88.50 कि.मी. |
| राजकोट | 29.00 कि.मी. |
| सूरत | 29.90 कि.मी. |
| जयपुर | 39.45 कि.मी. |
| विजयवाड़ा | 15.50 कि.मी. |
| विजाग | 42.80 कि.मी. |

*[हिन्दी]*

**मलिन बस्तियां**

***30. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:**
**श्री अधलराव पाटील शिवाजी:**

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अगले पांच वर्षों में देश को मलिन बस्तियों से मुक्त कराने की कोई महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने तेजी से बढ़ रही मलिन बस्तियों के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समय आवासीय इकाइयों की कितनी कमी है, इसके लिए कितने निवेश की आवश्यकता है तथा प्रस्तावित योजना के अंतर्गत इन मकानों के निर्माण में कितना समय लगने की संभावना है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) जी, हां। सरकार का स्लम निवासियों तथा शहरी निर्धनों के लिए राजीव आवास योजना नामक एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। इस योजना के अंतर्गत उन राज्यों को सहायता दी जाएगी जो स्लम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करना चाहते हैं। सरकार का प्रयास राजीव आवास योजना के माध्यम से एक स्लम मुक्त भारत का निर्माण करना है।

(ख) और (ग) जी, हां। देश में स्लमों के विभिन्न पक्षों से संबंधित विख्यात अनुसंधानकर्ताओं तथा प्रैक्टिशनरों द्वारा लिखित ''भारत शहरी निर्धनता रिपोर्ट 2009'' सरकार ने प्रकाशित की है। इस अध्ययन से पता चला है कि देश में स्लमों की वृद्धि विभिन्न कारणों से हुई है जैसे निरंतर शहरी विकास, शहरी भूमि बाजार में विद्यमान सट्टेबाजी, शहरी निर्धनों के लिए भूमि तथा आवास की अपर्याप्त औपचारिक सप्लाई, राज्य द्वारा किफायती औपचारिक आवास की में धीरे-धीरे कमी करना, निम्न आय क्षेत्रों में अवस्थापना तथा बुनियादी सुविधाओं के अपर्याप्त निवेश तथा भारतीय शहरों में दुर्बल शहरी शासन।

(घ) आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा मकानों की कमी का अनुमान लगाने हेतु गठित तकनीकी दल ने अनुमान

लगाया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि के प्रारंभ में कुल 24.71 मिलियन मकानों की कमी थी। अनुमान है कि सस्ते मकान तथा संबंधित बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के लिए 600000 करोड़ रु. की धनराशि अपेक्षित होगी। प्रस्तावित योजना में नगरों/कस्बों को 'स्लम मुक्त' बनाने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अपने समयबद्ध प्लान तैयार करने पर विचार किया गया है।

**सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट**

*31. **श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस गिरावट के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

**वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी):** (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी किए गए 2008-09 में संशोधित अनुमानों के अनुसार, उत्पादन लागत पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2007-08 के 9 प्रतिशत से कम होकर 2008-09 में 6.7 प्रतिशत पर आ गई। संबंधित ब्यौरा इस प्रकार है:

*सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि (1999-2000 के स्थिर मूल्यों पर उत्पादन लागत)*

(प्रतिशत)

| | | 2007-08 (त्वरित अनुमान) | 2008-09 (सं.अ.) |
|---|---|---|---|
| 1. | **कृषि, वानिकी एवं मत्स्य** | 4.9 | 1.6 |
| 2. | **उद्योग** | 8.1 | 3.9 |
| | क. खनन एवं उत्खनन | 3.3 | 3.6 |
| | ख. विनिर्माण | 8.2 | 2.4 |
| | ग. बिजली, गैस एवं जलापूर्ति | 5.3 | 3.4 |
| | घ. निर्माण | 10.1 | 7.2 |
| 3. | **सेवाएं** | 10.9 | 9.7 |
| | क. व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार | 12.4 | 9.0 |
| | ख. वित्त, बीमा, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाएं | 11.7 | 7.8 |
| | ग. सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं | 6.8 | 13.1 |
| 4. | **उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद** | 9.0 | 6.7 |

(ग) वर्ष 2008-09 में सकल घरेलू उत्पाद में हुई अपेक्षाकृत कम वृद्धि, जो खनन और उत्खनन, सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाओं को छोड़कर, बाकी सभी क्षेत्रों में व्याप्त थी, की वजह कम मांग की स्थितियां, वैश्विक आर्थिक संकट की गंभीरता और समयावधि को लेकर बनी अनिश्चितता, जोखिम से बचने की प्रवृत्ति, ऋण सुविधाएं देने में सावधानी बरतना और प्राकृतिक कारणों से कृषि उत्पादन प्रभावित होना कही जा सकती है।

(घ) उभरते वैश्विक आर्थिक संकट को देखते हुए, सरकार ने आर्थिक प्रोत्साहन पैकेजों की व्यवस्था की थी। दिसंबर 2008 से फरवरी 2009 तक किए गए इन उपायों में, अन्य उपायों के साथ-साथ, ये भी शामिल हैं- विस्तारवादी आयोजना-व्यय, अप्रत्यक्ष करों में कटौती, वस्त्र, आवास-निर्माण, अवसंरचना, ऑटोमोबाइल, अति-लघु और लघु क्षेत्र तथा निर्यातों के लिए सेक्टर विशिष्ट उपाय और अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए कर-मुक्त बांड जुटाने हेतु आईआईएफसीएल जैसी विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं को प्राधिकार देना। इन वित्तीय उपायों की सहायता भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए मौद्रिक उपायों ने की है जो पर्याप्त चल-निधि और ऋण प्रदान करने की व्यवस्था करने, नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत रेपो दर में क्रमिक कटौती, बैंकों के लिए आरक्षित नकदी और सांविधिक नकदी अनुपातों में कटौती, विदेशी मुद्रा की नकदी की स्थिति में सुधार करने से संबंधित थे। साथ ही साथ ये उपाय वैश्विक वित्तीय संकट के वित्तीय प्रभावों पर काबू पाने और निर्यातों, आवास-निर्माण, अति-लघु एवं लघु उद्यमों तथा अवसंरचना के लिए सेक्टर-विशिष्ट ऋण संबंधी उपायों से भी जुड़े थे।

**वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋणों का संवितरण**

*32. **श्री राजीव रंजन सिंह** *उर्फ* **ललन सिंह:**
**श्री जगदीश शर्मा:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण संवितरण के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान संवितरण के लक्ष्यों में अंतर के क्या कारण हैं; और

(घ) इसका ऋण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ा है?

**वित्त मंत्री ( श्री प्रणब मुखर्जी ):** (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा समग्र ऋण संवितरण के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि के अपने आंकलन के आधार पर, वर्ष के दौरान ऋण-वृद्धि हेतु केवल सांकेतिक पूर्वानुमान ही देता है। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में, सरकार द्वारा सहमत ''वार्षिक लक्ष्य संबंधी आशय वितरण'' में ऋण-वृद्धि हेतु विशिष्ट लक्ष्य दिए जाते हैं। पिछले 3 वर्षों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अग्रिमों के समग्र लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमान तथा वाणिज्यिक बैंकों एवं सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वर्ष-दर-वर्ष ऋण वृद्धि निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है:

| | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 |
|---|---|---|---|
| भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमान | 20% | 24%-25% | 24% |
| सभी वाणिज्यिक बैंक (*) (सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित) | 28.1% | 22.3% | 17.3% |
| सरकारी क्षेत्र के बैंक | 29.3% | 24.9% | 25.6% |

*वर्ष के सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार आंकड़े

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने निधीयन के स्रोतों तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों की समग्र ऋण आवश्यकताओं के अपने मूल्यांकन के आधार पर, पिछले तीन वर्षों में ऋण-वृद्धि की विभिन्न दरों का अनुमान लगाया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया ऋणों में लगभग 92% की वृद्धि हुई है। 31 मार्च, 2006 को बकाया ऋण 14,43,920 करोड़ रुपए के थे, जो 27 मार्च, 2009 को बढ़कर 27,70,012 करोड़ रुपए के हो गए।

**प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कार्य की धीमी गति**

*33. **योगी आदित्यनाथ:**
**श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कार्य की धीमी गति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित अवधि के भीतर पूरी नहीं की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

**ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री ( डॉ. सी.पी. जोशी ):** (क) जी, हां।

(ख) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित समयावधि में पूरी न की गई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों को परियोजनाओं के निष्पादन की गति बढ़ाने की सलाह दी गई। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद करने के लिए मंत्रालय की ओर से निम्न उपाय किए गए हैं:-

* राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे अपनी निष्पादन क्षमता बढ़ाएं।
* केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम - सीपीडब्ल्यूडी, इरकॉन, एनबीसीसी, एनपीसीसी, एनएचपीसी तथा एचएससीएल - को बिहार, झारखंड तथा त्रिपुरा जैसे कम निष्पादन क्षमता वाले राज्यों में तैनात किया गया है।
* पात्र ठेकेदारों की संख्या को बढ़ाने के लिए बोली दस्तावेज के प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया गया है। राज्यों को 10 करोड़ रु. से अधिक का पैकेज शुरू करने की छूट तथा बड़े और छोटे ठेकेदारों के साथ मिलकर काम करने की अनुमति दी गई है।
* कार्यों की निविदा तथा आवंटन में विलंब होने से भी परियोजनाओं के निष्पादन में अधिक समय लगता है। इस विलंब को दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत परियोजनाओं की ई-टेंडरिंग करने के लिए संसाधन लेने की सलाह दी गई है जिससे न केवल निविदा प्रक्रिया में तेजी आएगी बल्कि बोली प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी।
* परियोजनाओं का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने की दृष्टि से सितंबर, 2006 में निष्पादन प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है जिसके तहत, निर्धारित समय-सीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने वाले ठेकेदारों को भविष्य में दिए जाने वाले ठेकों के लिए अर्हता की जांच करते समय उच्च प्राथमिकता दी जाती है।
* राज्य सरकारों को कार्यान्वयन समय-सारणी की सूक्ष्म निगरानी करने तथा जहां आवश्यक हो परिनिर्धारित नुकसानी लगाने की सलाह दी गई है।
* प्रगति की समुचित निगरानी करने के लिए नियमित समीक्षा तथा निगरानी बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

***विवरण***

*प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्धारित तारीख के भीतर पूरे नहीं किए गए कार्यों की संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा*

| क्र.सं. | राज्य | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पूरे नहीं किए गए कार्य | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 436 | 303 | 267 | 1006 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 64 | 43 | 73 | 180 |
| 3. | असम | 430 | 0 | 139 | 569 |
| 4. | बिहार | 160 | 392 | 1218 | 1770 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 945 | 0 | 1769 | 2714 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | गुजरात | 122 | 209 | 349 | 680 |
| 8. | हरियाणा | 22 | 38 | 66 | 126 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 0 | 859 | 165 | 1024 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 0 | 107 | 141 | 248 |
| 11. | झारखण्ड | 0 | 102 | 341 | 443 |
| 12. | कर्नाटक | 177 | 198 | 259 | 634 |
| 13. | केरल | 91 | 77 | 322 | 490 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 919 | 1613 | 2295 | 4827 |
| 15. | महाराष्ट्र | 0 | 1331 | 355 | 1686 |
| 16. | मणिपुर | 0 | 59 | 0 | 59 |
| 17. | मेघालय | 30 | 26 | 0 | 56 |
| 18. | मिजोरम | 0 | 34 | 29 | 63 |
| 19. | नागालैंड | 0 | 23 | 29 | 52 |
| 20. | उड़ीसा | 1007 | 797 | 1561 | 3365 |
| 21. | पंजाब | 28 | 57 | 0 | 85 |
| 22. | राजस्थान | 698 | 1348 | 332 | 2378 |
| 23. | सिक्किम | 29 | 67 | 38 | 134 |
| 24. | तमिलनाडु | 0 | 358 | 0 | 358 |
| 25. | त्रिपुरा | 36 | 266 | 330 | 632 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 1410 | 2826 | 0 | 4236 |
| 27. | उत्तराखण्ड | 79 | 102 | 79 | 260 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 281 | 229 | 414 | 924 |
| | कुल योग | 6964 | 11464 | 10571 | 28999 |

*[अनुवाद]*

**पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां सौंपना**

***34. डॉ. थोकचोम मैन्या:** क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां सौंप दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सभी राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं की त्रि-स्तरीय प्रणाली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी):** (क) और (ख) सभी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, जहां संविधान के भाग-IX का प्रावधान लागू होता है, के पास अपने-अपने पंचायती राज विधान हैं जो विभिन्न स्तरों पर पंचायतों को अधिकारों एवं प्रकार्यों का अंतरण का प्रावधान करते हैं। तथापि राज्यों में वास्तविक अंतरण का परिमाण अलग-अलग है। ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध एवं विधानों के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सौंपे गये प्रकार्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) संघ सरकार पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में निर्धारित किये गये तरीके से प्रकार्यों के अंतरण एवं निधियों व कर्मियों के हस्तांतरण के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को समझाती रही है। इसके अतिरिक्त, पंचायत सशक्तिकरण एवं जवाबदेही प्रोत्साहन स्कीम पंचायतों के शक्तिकरण एवं जवाबदेही को बढ़ाने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने पर अभिप्रेत है।

(घ) और (ङ) 20 लाख से कम आबादी के मानदण्ड के आधार पर 7 राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं हैं, इनको छोड़कर पूरे देश में जहां संविधान का भाग-IX लागू होता है, त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की प्रणाली है। ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

***विवरण I***

*विधानों के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सौंपे गए विषयों/प्रकार्यों (जैसाकि संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है) की संख्या*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए विषयों/प्रकार्यों का अंतरण |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | जिला परिषद् 1; मंडल परिषद् 23; ग्राम पंचायत 21 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | जिला परिषद् 25; अंचल समिति 28; ग्राम पंचायत 28 |
| 3. | असम | जिला परिषद् 25; आंचलिक पंचायत 27; ग्राम पंचायत 28 |
| 4. | बिहार | जिला परिषद् 25; पंचायत समिति 26; ग्राम पंचायत 25 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 29 |
| 6. | गोवा | जिला पंचायत 7; ग्राम पंचायत 18 |
| 7. | गुजरात | 15 |
| 8. | हरियाणा | जिला परिषद् को मात्र परामर्शदात्री, निरीक्षण एवं समन्वय अधिकार, पंचायत समिति के लिए 27 तथा ग्राम पंचायत के लिए 25 विषय |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | जिला परिषद् 17; पंचायत समिति 16; ग्राम पंचायत 11 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 10. | जम्मू और कश्मीर | पंचायत अधिनियम अपनाये जाने के उपरांत जम्मू और कश्मीर में पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं |
| 11. | झारखण्ड | जिला पंचायत 27; मध्यवर्ती पंचायत 27; ग्राम पंचायत 27 |
| 12. | कर्नाटक | जिला पंचायत 26; तालुक पंचायत 27; ग्राम पंचायत 25 |
| 13. | केरल | जिला पंचायत 21; ब्लाक पंचायत 18; ग्राम पंचायत 26 |
| 14. | मध्य प्रदेश | जिला परिषद् 7; जनपद पंचायत 17; ग्राम पंचायत 8 |
| 15. | महाराष्ट्र | 28 |
| 16. | मणिपुर | 29 |
| 17. | उड़ीसा | जिला परिषद् 16; पंचायत समिति 5; ग्राम पंचायत 21 |
| 18. | पंजाब | जिला परिषद् 27; पंचायत समिति 27; ग्राम पंचायत 26 |
| 19. | राजस्थान | जिला परिषद् 22; पंचायत समिति 25; ग्राम पंचायत 26 |
| 20. | सिक्किम | जिला पंचायत 15; ग्राम पंचायत 18 |
| 21. | तमिलनाडु | जिला पंचायत 2; पंचायत यूनियन 11; ग्राम पंचायत 12 |
| 22. | त्रिपुरा | 29 |
| 23. | उत्तर प्रदेश | जिला परिषद् 29; पंचायत समिति 29; ग्राम पंचायत 29 |
| 24. | उत्तराखंड | जिला पंचायत 29; पंचायत समिति 29; ग्राम पंचायत 29 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | जिला परिषद् 18; पंचायत समिति 29; ग्राम पंचायत 28 |
| 26. | अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | 29 विषयों को कार्य रूप में परिणत कर दिया गया है एवं विभिन्न स्तरों को अंतरित किया जा चुका है। |
| 27. | चंडीगढ़ | पंचायती राज संस्थाओं को कोई कार्य अंतरित नहीं किया गया है |
| 28. | दादरा और नगर हवेली | 20 पूरी तरह से अंतरित किया गया है, 7 आंशिक रूप से अंतरित किया गया है एवं एक के मामले में पंचायतों को केवल परामर्शदात्री की भूमिका है। |
| 29. | दमन और दीव | सभी 29 विषय, परंतु मूलत: जिला पंचायतों को |
| 30. | लक्षद्वीप | 21 विषयों से संबंधित प्रकार्य |
| 31. | पुडुचेरी | 1973 अधिनियम में ग्राम एवं कम्यून पंचायतों के कार्य, अधिकार एवं सम्पत्ति के ब्यौरे हैं, बताया गया है कि 20 विषयों का अंतरण कर दिया गया है। |

***विवरण II***

*राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र जहां संविधान का भाग-IX लागू होता है, में पंचायती राज संस्थाओं के स्तर*

| क्र.सं. | राज्य | ग्राम पंचायत | मध्यवर्ती पंचायत | जिला पंचायत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 21807 | 1097 | 22 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1646 | 136 | 14 |
| 3. | असम | 2196 | 189 | 20 |
| 4. | बिहार | 8463 | 531 | 38 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 9820 | 146 | 16 |
| 6. | गोवा* | 189 | | 2 |
| 7. | गुजरात | 13693 | 224 | 25 |
| 8. | हरियाणा | 6187 | 119 | 19 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 3243 | 75 | 12 |
| 10. | झारखंड** | 4562 | 211 | 22 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर*** | | | |
| 12. | कर्नाटक | 5628 | 176 | 29 |
| 13. | केरल | 999 | 152 | 14 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 23051 | 313 | 48 |
| 15. | महाराष्ट्र | 27893 | 351 | 33 |
| 16. | मणिपुर* | 165 | | 4 |
| 17. | उड़ीसा | 6234 | 314 | 30 |
| 18. | पंजाब | 12447 | 141 | 20 |
| 19. | राजस्थान | 9188 | 237 | 32 |
| 20. | सिक्किम* | 166 | | 4 |
| 21. | तमिलनाडु | 12618 | 385 | 28 |
| 22. | त्रिपुरा | 513 | 23 | 4 |
| 23. | उत्तर प्रदेश | 52000 | 820 | 70 |
| 24. | उत्तराखंड | 7227 | 95 | 13 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 3354 | 341 | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | **संघ राज्य क्षेत्र** | | | |
| 26. | अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | 67 | 7 | 1 |
| 27. | चंडीगढ़ | 17 | 1 | 1 |
| 28. | दादर एवं नगर हवेली* | 11 | | 1 |
| 29. | दमन एवं दीव* | 114 | | 1 |
| 30. | लक्षद्वीप* | 10 | | 1 |
| 31. | पुडुचेरी* | 98 | 10 | 1 |
| | योग | 233606 | 6094 | 543 |

*द्वि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली।

**गत पंचायत के कार्यकाल से झारखंड पंचायत चुनाव नहीं कराए गए हैं।

***पंचायत अधिनियम के अपनाये जाने के उपरांत जम्मू और कश्मीर में पंचायत चुनाव नहीं कराए गए हैं।

**बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां**

***35. श्री तथागत सत्पथी:**
**श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हाल में क्रिसिल द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां अगले दो वर्षों में तिगुनी होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) स्थिति पर निगरानी रखने तथा गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को उचित सीमा में रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

**वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी):** (क) और (ख) 31 मार्च, 2007, 2008 और 2009 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) के बैंक-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान एनपीए की समग्र राशि में वृद्धि के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, चक्रीय कारोबार के समेकित प्रभाव, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब और पूरे बैंकिंग उद्योग में ऋणों में वृद्धि को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तथापि, मार्च 2008 और मार्च 2009 के बीच इन बैंकों के सकल अग्रिम अनुपात की तुलना में सकल एनपीए और निवल अग्रिम अनुपात की तुलना में निवल एनपीए क्रमश: 2.3% से घटकर 2.08% और 1.08 से घटकर 0.99% रह गया है।

(ग) ''जोखिम के संबंध में राय'' शीर्षक के तहत भारतीय बैंकिंग उद्योग के एनपीए के संबंध में अपने हाल के अध्ययन में, सीआरआईएसआईएल (क्रिसिल) ने कहा है कि वर्ष 2002-03 तथा 2007-08 के बीच ऋण में तीव्र वृद्धि की अवधि के बाद अर्थव्यवस्था में आई मंदी और ऋण पोर्टफोलियो की स्थिरता की वजह से मध्यावधि में भारतीय बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आने की आशा है। क्रिसिल ने अनुमान लगाया है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली का कुल एनपीए मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार 2.3% से बढ़कर मार्च 2011 में लगभग 5% हो जाएगा। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि इसके बावजूद आस्ति गुणवत्ता नियंत्रणीय स्तर के अंदर रहेगी।

(घ) क्रिसिल के अध्ययन में एनपीए के अधिक होने का अनुमान इसलिए लगाया गया है क्योंकि:

(i) इसने विद्यमान एनपीए के किसी कोटि उन्नयन को हिसाब में नहीं लिया है;

(ii) इसने वापसी-अदायगी में एक दिन के भी विलम्ब को चूक के रूप में माना है जबकि भारतीय रिजर्व बैंक की

परिभाषा में यह अपेक्षा की गई है कि किसी खाते को 90 दिन की चूक के बाद ही एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा;

(iii) इसने वर्ष 2003-04 और 2007-08 के बीच 25% से अधिक की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2009-10 और 2010-11 के बीच, 15 से 18% की कम औसत ऋण वृद्धि का अनुमान लगाया है।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने वित्तीय क्षेत्र की स्थिति में सुधार करने, अनुपयोज्य आस्तियों में कमी करने, बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार करने तथा वसूली का अच्छा वातावरण सृजित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न उपाय किये हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुपयोज्य आस्तियों के लिए प्रावधान करना और उनके वर्गीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित करना, ऋणों को अनुपयोज्य आस्ति की श्रेणी में जाने से रोकने के लिए मार्गनिर्देश, कंपनी ऋण पुनर्गठन एवं अन्य पुनर्गठन योजनाएं, एकबारगी निपटान योजनाएं, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 और बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों (डीआरटी) की वसूली अधिनियम, 1993 का अधिनियमन आदि शामिल हैं।

***विवरण***

*सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों संबंधी आंकड़े*

(राशि करोड़ रुपये में)

| बैंक का नाम | सकल एनपीए | | | सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए (%) | | | निवल एनपीए | | | निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मार्च 2007 | मार्च 2008 | मार्च 2009 | मार्च 2007 | मार्च 2008 | मार्च 2009 | मार्च 2007 | मार्च 2008 | मार्च 2009 | मार्च 2007 | मार्च 2008 | मार्च 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| इलाहाबाद बैंक | 1094 | 1009 | 1077 | 2.61 | 2.01 | 1.83 | 470 | 418 | 437 | 1.14 | 0.84 | 0.75 |
| आंध्रा बैंक | 397 | 372 | 368 | 1.41 | 1.08 | 0.83 | 54 | 54 | 80 | 0.19 | 0.16 | 0.18 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 1972 | 1858 | 1664 | 2.89 | 2.18 | 1.51 | 999 | 1009 | 970 | 1.48 | 1.19 | 0.89 |
| बैंक ऑफ इंडिया | 1931 | 1783 | 2190 | 2.78 | 1.95 | 1.90 | 603 | 557 | 834 | 0.89 | 0.62 | 0.73 |
| बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 820 | 766 | 798 | 3.50 | 2.57 | 2.29 | 277 | 254 | 272 | 1.21 | 0.87 | 0.79 |
| केनरा बैंक | 1487 | 1391 | 2139 | 1.51 | 1.31 | 1.58 | 1026 | 898 | 1350 | 1.05 | 0.85 | 1.00 |
| सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 2572 | 2350 | 2317 | 4.95 | 3.24 | 2.69 | 878 | 1060 | 1063 | 1.75 | 1.49 | 1.25 |
| कार्पोरेशन बैंक | 625 | 584 | 559 | 2.05 | 1.47 | 1.14 | 152 | 106 | 144 | 0.51 | 0.27 | 0.30 |
| देना बैंक | 744 | 573 | 621 | 4.08 | 2.47 | 2.14 | 365 | 215 | 313 | 2.04 | 0.94 | 1.09 |
| आईडीबीआई बैंक लि. | 1381 | 1377 | 1436 | 2.20 | 1.67 | 1.38 | 887 | 925 | 949 | 1.42 | 1.13 | 0.92 |
| इंडियन बैंक | 532 | 473 | 426 | 1.89 | 1.24 | 0.87 | 100 | 96 | 81 | 0.36 | 0.25 | 0.17 |
| इंडियन ओवरसीज बैंक | 1045 | 916 | 1810 | 2.32 | 1.60 | 2.64 | 244 | 339 | 946 | 0.55 | 0.60 | 1.40 |
| ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स | 1454 | 1280 | 1058 | 3.20 | 2.31 | 1.53 | 198 | 518 | 494 | 0.45 | 0.95 | 0.72 |
| पंजाब एंड सिंध बैंक | 291 | 136 | 161 | 2.43 | 0.74 | 0.65 | 77 | 67 | 78 | 0.66 | 0.37 | 0.32 |
| पंजाब नेशनल बैंक | 3391 | 3319 | 2405 | 3.45 | 2.74 | 1.54 | 801 | 754 | 83 | 0.84 | 0.64 | 0.05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सिंडिकेट बैंक | 1553 | 1760 | 1592 | 3.29 | 2.97 | 2.15 | 391 | 621 | 631 | 0.85 | 1.07 | 0.86 |
| यूको बैंक | 1504 | 1652 | 1540 | 3.47 | 3.23 | 2.40 | 1006 | 1092 | 813 | 2.35 | 2.16 | 1.28 |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 1873 | 1657 | 1923 | 2.94 | 2.18 | 1.96 | 601 | 126 | 193 | 0.96 | 0.17 | 0.20 |
| यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया | 817 | 761 | 1020 | 3.61 | 2.70 | 2.85 | 333 | 306 | 525 | 1.50 | 1.11 | 1.49 |
| विजया बैंक | 564 | 512 | 699 | 2.29 | 1.60 | 1.95 | 144 | 182 | 292 | 0.59 | 0.57 | 0.82 |
| स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर | 463 | 437 | 490 | 2.23 | 1.73 | 1.63 | 223 | 209 | 253 | 1.09 | 0.83 | 0.85 |
| स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद | 351 | 312 | 486 | 1.24 | 0.87 | 1.11 | 59 | 160 | 227 | 0.21 | 0.45 | 0.52 |
| भारतीय स्टेट बैंक | 9871 | 12576 | 15105 | 3.25 | 3.44 | 3.26 | 5217 | 7252 | 8850 | 1.74 | 2.01 | 1.94 |
| स्टेट बैंक ऑफ इंदौर | 294 | 265 | 301 | 1.90 | 1.45 | 1.39 | 159 | 134 | 193 | 1.04 | 0.73 | 0.89 |
| स्टेट बैंक ऑफ मैसूर | 384 | 359 | 368 | 2.29 | 1.69 | 1.42 | 66 | 81 | 114 | 0.40 | 0.38 | 0.44 |
| स्टेट बैंक ऑफ पटियाला | 524 | 521 | 574 | 1.80 | 1.42 | 1.31 | 217 | 197 | 247 | 0.75 | 0.54 | 0.57 |
| स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र | 128 | 179 |  | 1.15 | 1.45 |  | 78 | 111 |  | 0.70 | 0.91 |  |
| स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर | 540 | 571 | 549 | 2.16 | 2.01 | 1.67 | 268 | 268 | 188 | 1.08 | 0.95 | 0.58 |
| सरकारी क्षेत्र के बैंक | 38602 | 39749 | 43676 | 2.81 | 2.34 | 2.08 | 15892 | 18009 | 20620 | 1.18 | 1.08 | 0.99 |

स्रोत: बैंकों द्वारा प्रस्तुत की गई स्थलेतर विवरणियां। मार्च 2009 के आंकड़े अलेखापरीक्षित और अनंतिम है।

## विद्युत की मांग

***36. डा. के.एस. राव:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में घरेलू, औद्योगिक तथा अवसंरचना क्षेत्रों में विद्युत की बढ़ती मांग का कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में नई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए धनराशि की कमी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे):** (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा किये गये 17वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रेणीवार विद्युत खपत का पूर्वानुमान संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) से (ङ) 11वीं योजना के लिए योजना आयोग के विद्युत कार्यदल की रिपोर्ट तथा के.वि.प्रा. द्वारा दि. 10 फरवरी, 2009 की अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में दी गई सूचना के आधार पर, ''विद्युत क्षेत्र के वित्तीय मुद्दों'' पर मंत्रियों के समूह की उप-समिति ने उत्पादन, पारेषण, संवितरण, आर एण्ड एम तथा अन्य के लिए 10,59,515 करोड़ रुपये की कुल निधियों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है। 70:30 के ऋण इक्विटी अनुपात का अनुमान लगाते हुए 6,93,326 करोड़ रु. के ऋण तथा 3,66,189 करोड़ रु. की इक्विटी आवश्यकता का आकलन किया गया है। निधि आवश्यकता तथा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का आकलन करने के बाद, उप-समिति ने कुल 4,21,642 करोड़ रु. की धनराशि अंतर का अनुमान लगाया है। ग्यारहवीं योजना की निधि आवश्यकता, निधि उपलब्धता तथा धनराशि अंतर के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

***विवरण I***

*विद्युत ऊर्जा खपत के श्रेणीवार पूर्वानुमान का अखिल भारतीय संक्षिप्त विवरण*
*(पब्लिक यूटिलिटीज)*

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

| उपभोक्ता श्रेणियां | पूर्वानुमान | | |
|---|---|---|---|
| | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 |
| घरेलू | 119,688 | 134,962 | 152,653 |
| वाणिज्यिक और विविध | 38,452 | 42,596 | 47,305 |
| पब्लिक लाइटिंग | 5,440 | 5,984 | 6,674 |
| सार्वजनिक जल कार्य | 11,934 | 13,093 | 14,393 |
| सिंचाई | 104,219 | 1,126,256 | 121,658 |
| एलटी उद्योग | 39,893 | 44,200 | 49,086 |
| एचटी उद्योग | 125,449 | 136,712 | 148,876 |
| रेलवे ट्रैक्शन | 11,717 | 12,455 | 13,381 |
| गैर औद्योगिक | 7,717 | 8,270 | 8,865 |
| कुल उपभोग | 464,510 | 510,899 | 562,889 |

***विवरण II***

*11वीं योजना के लिए निधि आवश्यकता, निधि उपलब्धता तथा धनराशि अंतर*

**(क) निधि आवश्यकता:** (करोड़ रु.)

| | राज्य | केन्द्रीय | निजी | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| सामान्य | 140793 | 214655 | 236286 | 591,734 |
| पारेषण | 65000 | 75000 | – | 140,000 |
| वितरण | 309577 | – | – | 309,577 |
| आर एंड एम | 15875 | – | – | 15,875 |
| अन्य | – | 2329 | – | 2,329 |
| कुल | 531245 | 291984 | 236286 | 1,059,515 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| **(ख) निधि उपलब्धता:** | | | | (करोड़ रु.) |
| सामान्य | 97208 | 202408 | 131562 | 431,178 |
| पारेषण | 41151 | 49604 | – | 90,755 |
| वितरण | 107494 | – | – | 107,494 |
| आर एंड एम | 6118 | – | – | 6,118 |
| अन्य | – | 2,329 | – | 2,329 |
| कुल | 251970 | 254341 | 131562 | 637,873 |
| **(ग) धनराशि अंतर:** | | | | (करोड़ रु.) |
| सामान्य | 43585 | 12247 | 104724 | 160,557 |
| पारेषण | 23849 | 25396 | – | 49,245 |
| वितरण | 202083 | – | – | 202,083 |
| आर एंड एम | 9757 | – | – | 9,757 |
| अन्य | – | – | – | – |
| कुल | 279275 | 37643 | 104724 | 421,642 |

**ग्रामीण विकास योजनाओं के साथ एन.आर.ई.जी.एस. का एकीकरण**

*37. **श्री पी. लिंगम:**
**श्री अशोक कुमार रावत:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) को कुछ अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के साथ एकीकृत कर तथा इस योजना के अंतर्गत अनुमत कार्यों की संख्या में वृद्धि कर इसका विस्तार करने तथा इसे सुदृढ़ बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई एकीकरण-दिशानिर्देश जारी किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ङ) इस योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन तंत्र में सुधार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

**ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी):** (क) से (ङ) जी, हां। मामले सरकार के विचाराधीन हैं।

*[हिन्दी]*

**पेयजल की आपूर्ति**

*38. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
**श्री अधीर चौधरी:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे गांवों की राज्यवार संख्या कितनी है जहां पर गुणवत्ता वाले पेयजल का अभाव है;

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई और कितनी उपयोग में लाई गई तथा इसमें कितनी उपलब्धि प्राप्त हुई; और

(घ) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में पेयजल शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

**ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी):** (क) 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार पेयजल समस्या से जूझ रही ग्रामीण बसावटों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारत निर्माण जिसके घटकों में से एक घटक ग्रामीण पेयजल भी है तथा जिसे ग्रामीण अवसंरचना निर्माण के लिए 2005-06 से 2008-09 तक चार वर्षों में कार्यान्वित किए जाने के लिए एक योजना के रूप में तैयार किया गया है के अंतर्गत भारत सरकार ने 55,067 कवर न की गई बसावटों तथा 3.31 लाख पुरानी स्थिति में लौट चुकी बसावटों तथा 2.17 लाख गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इन तीनों वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में इन लक्ष्यों को वार्षिक लक्ष्यों में विभाजित कर दिया गया है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इन तीन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग की राज्य-वार वास्तविक उपलब्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II(क), II(ख), II(ग) में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान निधियों के आवंटन, रिलीज तथा सूचित व्यय का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्ध में तेजी लाने में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

* भारत निर्माण अवधि के दौरान बजटीय सहायता को बढ़ाया गया। केंद्रीय आवंटन वर्ष 2004-05 के 2900 करोड़ रु. से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 4050 करोड़ रु., वर्ष 2006-07 में 5200 करोड़ रु., वर्ष 2007-08 में 6500 करोड़ रु. तथा वर्ष 2008-09 में 7300 करोड़ रु. हो गया है।
* सतही जल, भूजल तथा वर्षा जल के सम्मिलित उपयोग को बढ़ावा दिया गया है।
* बढ़ी हुई केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराकर स्थायित्व को बढ़ावा दिया गया है।
* जल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए एनआरईजीए तथा अन्य मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रमों जैसे मौजूदा सरकारी कार्यक्रमों के तालमेल को बढ़ावा दिया गया है।
* पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक तौर पर कमजोर राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर के लिए, राज्यों के लिए निधि अंशदान पैटर्न को उदार बनाते हुए मौजूदा 50:50 (केन्द्र : राज्य) से बदलकर 90:10 (केंद्र : राज्य) कर दिया गया है ताकि पेयजल योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए उनके पास पर्याप्त निधियां हों।

***विवरण I***

*1.4.2005 की स्थिति के अनुसार पेयजल की समस्या का सामना करने वाली बसावटों की स्थिति*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | कवर न की गई | निचली श्रेणी में लौट आई | गुणवत्ता प्रभावित | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 0 | 29,744 | 4,050 | 33,794 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 668 | 2,752 | 0 | 3,420 |
| 3. | असम | 7,375 | 10,636 | 8,119 | 26,130 |
| 4. | बिहार | 0 | 47,597 | 776 | 48,373 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | छत्तीसगढ़ | 0 | 19,007 | 5,021 | 24,028 |
| 6. | गोवा | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 7. | गुजरात | 36 | 4,389 | 8,717 | 13,142 |
| 8. | हरियाणा | 0 | 2,506 | 361 | 2,867 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 6,891 | 9,308 | 0 | 16,199 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 3,211 | 3,138 | 49 | 6,398 |
| 11. | झारखण्ड | 0 | 17,225 | 168 | 17,393 |
| 12. | कर्नाटक | 5,618 | 809 | 21,008 | 27,435 |
| 13. | केरल | 7,573 | 421 | 867 | 8,861 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 0 | 37,269 | 5,381 | 42,650 |
| 15. | महाराष्ट्र | 17,738 | 11,579 | 3,787 | 33,104 |
| 16. | मणिपुर | 0 | 80 | 37 | 117 |
| 17. | मेघालय | 251 | 4,341 | 160 | 4,752 |
| 18. | मिजोरम | 112 | 271 | 26 | 409 |
| 19. | नागालैंड | 731 | 202 | 157 | 1,090 |
| 20. | उड़ीसा | 0 | 14,900 | 32,254 | 47,154 |
| 21. | पंजाब | 1,931 | 5,247 | 2,093 | 9,271 |
| 22. | राजस्थान | 2,300 | 33,680 | 41,072 | 77,052 |
| 23. | सिक्किम | 74 | 783 | 0 | 857 |
| 24. | तमिलनाडु | 0 | 44,080 | 5,574 | 49,654 |
| 25. | त्रिपुरा | 0 | 651 | 7,031 | 7,682 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 0 | 19,886 | 5,062 | 24,948 |
| 27. | उत्तराखण्ड | 272 | 7,567 | 0 | 7,839 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 0 | 3,536 | 65,156 | 68,692 |
| 29. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 102 | 0 | 26 | 128 |
| 30. | दादरा व नगर हवेली | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 31. | दमन व दीव | | | | |
| 32. | दिल्ली | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33. | लक्षद्वीप | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 34. | पुडुचेरी | 108 | 0 | 16 | 124 |
| 35. | चण्डीगढ़ | | | | |
| | कुल | 55,067 | 3,31,604 | 2,16,968 | 6,03,639 |

परिभाषा:

कवर न की गई बसावटें: वर्ष 1999 के अंतिम सर्वेक्षण में किए गए निर्धारण के अनुसार वे बसावटें जिन्हें कवर किया जाना था।

निचली श्रेणी में लौट आई बसावटें: ऐसी बसावटें जिन्हें कवर किया गया था लेकिन स्रोतों के सूख जाने, भू-जल का स्तर गिर जाने, प्रणालियों के पुराने हो जाने, खराब परिचालन तथा रख-रखाव के कारण स्रोतों का अपनी निर्धारित क्षमता से कम काम करने, आबादी बढ़ने के परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम होने के कारण जहां पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं था। ये आंकड़े परिवर्तनशील आंकड़े हैं तथा प्रति वर्ष बदलते रहते हैं।

गुणवत्ता प्रभावित बसावटें: वर्ष 2000 में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर फ्लोराइड, आर्सेनिक, लवणता, लौह, नाइट्रेट तथा विविध गुणवत्ता समस्या वाली बसावटें।

## *विवरण II (क)*

*कवर न की गई बसावटें—विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान लक्ष्य तथा उपलब्धियां*

(बसावटों की संख्या)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2006-07 | | 2007-08 | | 2008-09 | | 2009-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 240 | 174 | 103 | 104 | 65 | 65 | | |
| 3. | असम | 2603 | 2491 | 2344 | 2183 | 273 | 273 | | |
| 4. | बिहार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6. | गोवा | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | | |
| 7. | गुजरात | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8. | हरियाणा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 3000 | 2673 | 1941 | 1407 | 861 | 0 | | |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 998 | 409 | 1008 | 622 | 1785 | 1785 | | |
| 11. | झारखंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12. | कर्नाटक | 2694 | 890 | 800 | 2151 | 453 | 453 | | |
| 13. | केरल | 804 | 853 | 2400 | 906 | 4112 | 5398 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | मध्य प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15. | महाराष्ट्र | 6137 | 4010 | 7103 | 3196 | 8632 | 8632 | | |
| 16. | मणिपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17. | मेघालय | 65 | 88 | 69 | 31 | 15 | 14 | | |
| 18. | मिजोरम | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | | |
| 19. | नागालैंड | 127 | 55 | 300 | 40 | 530 | 61 | | |
| 20. | उड़ीसा | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21. | पंजाब | 682 | 297 | 8 | 87 | 306 | 197 | 145 | 43 |
| 22. | राजस्थान | 527 | 365 | 677 | 643 | 869 | 440 | 429 | 32 |
| 23. | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24. | तमिलनाडु | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25. | त्रिपुरा | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27. | उत्तराखण्ड | 111 | 54 | 118 | 30 | 145 | 91 | 35 | |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 45 | 31 | 0 | – | 0 | | 8 | |
| 30 | दादरा व नगर हवेली | 16 | 9 | 8 | 21 | | | | |
| 31. | लक्षद्वीप | 3 | 0 | 7 | – | 10 | | 10 | |
| 32. | पुडुचेरी | 36 | 40 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | |
| | कुल | 18120 | 12440 | 16886 | 11457 | 18059 | 17412 | 637 | 75 |

***विवरण II (ख)***

*निचली श्रेणी में लौट आई बसावटें - विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान लक्ष्य तथा उपलब्धियां*

(बसावटों की संख्या)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2006-07 | | 2007-08 | | 2008-09 | | 2009-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि# | लक्ष्य* | उपलब्धि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 3457 | 4703 | 8992 | 6832 | 15889 | 14743 | | |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 71 | 1376 | 356 | 2325 | 443 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | असम | 0 | 0 | 5318 | 1764 | 8872 | 7065 | | |
| 4. | बिहार | 3000 | 15430 | 16695 | 5948 | 24597 | 19705 | | |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 4400 | 8230 | 2989 | 3852 | 0 | 7147 | | |
| 6. | गोवा | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | | |
| 7. | गुजरात | 1579 | 1599 | 1269 | 2133 | 73 | 1730 | | |
| 8. | हरियाणा | 675 | 671 | 714 | 893 | 577 | 931 | | 130 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 0 | 1021 | 3103 | 3103 | 5184 | 5529 | | 243 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 0 | 140 | 1024 | 125 | 2805 | 65 | | |
| 11. | झारखंड | 3402 | 1902 | 5058 | 6548 | 6724 | 6504 | | |
| 12. | कर्नाटक | 0 | 1564 | 0 | 2895 | 0 | 3449 | | |
| 13. | केरल | 0 | 557 | 0 | | 0 | 2968 | | |
| 14. | मध्य प्रदेश | 5600 | 13258 | 9004 | 10035 | 3718 | 4961 | | |
| 15. | महाराष्ट्र | 1286 | 1973 | 3600 | 3708 | 5119 | 7878 | | |
| 16. | मणिपुर | 103 | 178 | 0 | 144 | 0 | 115 | | |
| 17. | मेघालय | 605 | 995 | 1338 | 1151 | 1867 | 1089 | | |
| 18. | मिजोरम | 108 | 134 | 85 | 159 | 0 | 46 | | |
| 19. | नागालैंड | 97 | 64 | 68 | 29 | 109 | 48 | | |
| 20. | उड़ीसा | 2500 | 8111 | 1216 | 7733 | 0 | 12805 | | |
| 21. | पंजाब | 0 | 498 | 1611 | 396 | 3938 | 889 | | |
| 22. | राजस्थान | 1326 | 6625 | 9230 | 3340 | 10888 | 4105 | | |
| 23. | सिक्किम | 138 | 138 | 246 | 299 | 300 | 27 | | |
| 24. | तमिलनाडु | 2722 | 6803 | 12149 | 9689 | 19955 | 8998 | | 87 |
| 25. | त्रिपुरा | 200 | 366 | 149 | 0 | 81 | 255 | | |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 6102 | 10025 | 1978 | 615 | 0 | 26 | | |
| 27. | उत्तराखण्ड | 0 | 1842 | 2376 | 2087 | 3197 | 1241 | | |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 2700 | 2660 | 412 | 1806 | 0 | 869 | | |
| 29. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | दादरा व नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 31. | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 32. | पुडुचेरी | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | | | |
| | कुल | 40000 | 89580 | 40000 | 75651 | 116218 | 113632 | 0 | 460 |

*लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं।

#29.6.2009 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार।

## *विवरण II (ग)*

*गुणवत्ता प्रभावित बसावटें - विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान लक्ष्य तथा उपलब्धियां*

(बसावटों की संख्या)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2006-07 | | 2007-08 | | 2008-09 | | 2006-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि# | उन बसावटों की संख्या जिनकी गुणवत्ता समस्या का समाधान परियोजनाओं के माध्यम से किया गया |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 500 | 495 | 918 | 688 | 697 | 904 | 5696 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 88 | 0 | 105 | 4 | 0 | 397 | 986 |
| 3. | असम | 375 | 0 | 5018 | 1113 | 0 | 513 | 28181 |
| 4. | बिहार | 2116 | 0 | 4268 | 223 | 0 | 6080 | 18583 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 400 | 0 | 725 | 0 | 4397 | 1031 | 5021 |
| 6. | गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | गुजरात | 750 | 762 | 1870 | 1731 | 2926 | 644 | 8717 |
| 8. | हरियाणा | 50 | 97 | 109 | 24 | 33 | 34 | 356 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 10 | 0 | 26 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| 11. | झारखंड | 400 | 80 | 421 | 0 | 0 | 46 | 997 |
| 12. | कर्नाटक | 2639 | 232 | 5572 | 372 | 12385 | 1684 | 15303 |
| 13. | केरल | 261 | 95 | 145 | 0 | 458 | 570 | 979 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 1363 | 86 | 1103 | 0 | 1283 | 341 | 5381 |
| 15. | महाराष्ट्र | 250 | 169 | 4183 | 2708 | 0 | 618 | 11212 |
| 16. | मणिपुर | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 17. | मेघालय | 30 | 35 | 14 | 23 | 0 | 13 | 174 |
| 18. | मिजोरम | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 19. | नागालैंड | 50 | 4 | 13 | 0 | 0 | 23 | 196 |
| 20. | उड़ीसा | 1726 | 314 | 4361 | 3852 | 20474 | 702 | 32254 |
| 21. | पंजाब | 200 | 80 | 816 | 105 | 660 | 473 | 2097 |
| 22. | राजस्थान | 1000 | 1000 | 12117 | 1370 | 22990 | 2889 | 40832 |
| 23. | सिक्किम | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 24. | तमिलनाडु | 350 | 353 | 389 | 143 | 3060 | 99 | 5451 |
| 25. | त्रिपुरा | 246 | 204 | 440 | 179 | 4157 | 300 | 6687 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 922 | 922 | 1609 | 1364 | 0 | 184 | 5564 |
| 27. | उत्तराखण्ड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 1200 | 379 | 4349 | 4862 | 57204 | 162 | 64570 |
| 29. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 30. | दादरा व नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | पुडुचेरी | 28 | 23 | 21 | 32 | 0 | 0 | 88 |
| | कुल | 15000 | 5330 | 48613 | 18757 | 130799 | 17707 | 259628 |

*वर्ष 2009-10 के लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। अभी तक किसी उपलब्धि की जानकारी नहीं दी गई है।

#29.6.2009 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार।

## *विवरण III*

*विगत तीन वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान आबंटन, रिलीज तथा उपयोग*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2006-07 | | | 2007-08 | | | 2008-09 | | | 2009-10 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आबंटन | रिलीज | उपयोग | आबंटन | रिलीज | उपयोग | आबंटन | रिलीज | उपयोग # | आबंटन* | रिलीज ^ | उपयोग # |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 20084.08 | 27221.88 | 27649.64 | 29530.00 | 30524.00 | 38840.72 | 39453.00 | 39505.49 | 39805.30 | | 13492.73 | |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 10299.00 | 13663.78 | 10333.20 | 11241.00 | 11241.00 | 12130.67 | 14612.00 | 16246.35 | 6341.48 | | 5475.00 | |
| 3. | असम | 17369.00 | 11372.37 | 18104.16 | 18959.00 | 18959.00 | 11726.22 | 24644.00 | 18756.80 | 26539.80 | | 9173.67 | |
| 4. | बिहार | 18571.00 | 13006.65 | 13681.84 | 27937.00 | 16968.50 | 16580.54 | 42538.00 | 45238.00 | 16474.16 | | 14624.67 | |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 6549.00 | 6549.00 | 7237.00 | 9595.00 | 9595.00 | 10415.54 | 13042.00 | 12525.50 | 10537.33 | | 4484.00 | |
| 6. | गोवा | 253.00 | 127.00 | 147.88 | 331.00 | 165.50 | 230.99 | 398.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 7. | गुजरात | 13161.56 | 14033.08 | 12166.76 | 20589.00 | 20589.00 | 21911.79 | 31444.00 | 36944.00 | 14526.00 | | 10927.49 | |
| 8. | हरियाणा | 6045.63 | 6372.63 | 6341.02 | 9341.00 | 9341.00 | 10953.87 | 11729.00 | 11729.00 | 11729.00 | | 4068.08 | 273.74 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 9706.86 | 15620.86 | 15632.68 | 11746.00 | 13042.00 | 13245.19 | 14151.00 | 14151.00 | 13863.47 | | 4903.71 | |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 26324.79 | 23314.67 | 27092.31 | 32992.00 | 32992.00 | 36140.83 | 39786.00 | 39649.00 | 23885.99 | | 11261.00 | |
| 11. | झारखंड | 7261.00 | 3631.00 | 4115.15 | 11388.00 | 8445.51 | 11751.10 | 16067.00 | 8033.00 | 8033.00 | | 0.00 | |
| 12. | कर्नाटक | 19502.40 | 24336.00 | 24590.65 | 27851.00 | 28316.24 | 28656.79 | 47719.00 | 47784.57 | 46081.33 | | 16040.33 | |
| 13. | केरल | 6216.00 | 6216.00 | 7471.95 | 8293.00 | 8425.08 | 8346.25 | 10333.00 | 10697.00 | 9713.90 | | 3552.33 | 140.77 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 18797.00 | 19733.40 | 16798.24 | 25162.00 | 25162.00 | 26755.60 | 37047.00 | 38047.00 | 27856.08 | | 12736.67 | |
| 15. | महाराष्ट्र | 36152.00 | 36152.00 | 34870.89 | 40440.00 | 40440.00 | 37838.33 | 57257.00 | 64824.49 | 60396.20 | | 19685.00 | |
| 16. | मणिपुर | 3379.00 | 1689.50 | 3234.95 | 3859.00 | 4559.00 | 3470.73 | 5016.00 | 4522.91 | 3725.67 | | 1873.67 | |
| 17. | मेघालय | 4073.00 | 5104.59 | 4569.51 | 4446.00 | 5529.00 | 5661.16 | 5779.00 | 6338.00 | 7451.25 | | 2141.33 | |
| 18. | मिजोरम | 2920.00 | 4271.39 | 4381.79 | 3188.00 | 3888.00 | 3015.73 | 4144.00 | 5419.26 | 4615.86 | | 1533.00 | |
| 19. | नागालैंड | 2998.00 | 2998.00 | 2857.52 | 3272.00 | 3974.57 | 2738.62 | 4253.00 | 4253.00 | 3919.29 | | 1581.67 | |
| 20. | उड़ीसा | 10332.00 | 9722.58 | 9954.61 | 16885.00 | 17194.55 | 23360.27 | 29868.00 | 29868.00 | 16813.05 | | 10268.67 | |
| 21. | पंजाब | 4098.00 | 4098.00 | 4111.48 | 5291.00 | 5179.91 | 4027.59 | 8656.00 | 8656.00 | 6672.80 | | 2976.00 | 368.29 |
| 22. | राजस्थान | 41489.68 | 31466.30 | 51477.91 | 60672.00 | 60672.00 | 61966.80 | 97013.00 | 97182.66 | 97182.66 | | 33273.18 | 2509.19 |
| 23. | सिक्किम | 1229.00 | 1630.77 | 1596.40 | 1342.00 | 2013.00 | 1536.20 | 1745.00 | 3245.00 | 851.00 | | 657.00 | |
| 24. | तमिलनाडु | 12057.00 | 12496.22 | 16111.32 | 19090.00 | 19090.00 | 19090.00 | 24182.00 | 28782.00 | 14546.85 | | 8313.67 | 1495.43 |
| 25. | त्रिपुरा | 3613.00 | 4577.89 | 3681.54 | 3943.00 | 5443.00 | 5430.45 | 5125.00 | 4100.80 | 5484.44 | | 1898.00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | उत्तर प्रदेश | 27990.00 | 28389.40 | 33073.82 | 40151.00 | 40151.00 | 42113.56 | 53974.00 | 61577.55 | 46119.70 | | 18556.33 | |
| 27. | उत्तराखण्ड | 7523.00 | 8329.36 | 5916.69 | 8930.00 | 8930.00 | 11414.46 | 10758.00 | 8586.83 | 5486.68 | | 3698.67 | |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 15806.00 | 17118.40 | 14454.73 | 19137.00 | 19137.00 | 23054.59 | 38939.00 | 38939.00 | 37162.25 | | 14387.33 | |
| 29. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 30. | दादरा व नगर हवेली* | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 31. | दमन व दीव | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 32. | दिल्ली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 33. | लक्षद्वीप | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 34. | पुडुचेरी | 38.72 | 0.00 | 0.00 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | | 0.00 | |
| 35. | चण्डीगढ़ | 5.46 | | | | | | | | | | | |
| | कुल | 353900.00 | 353242.72 | 381655.64 | 475701.00 | 469966.86 | 492876.77 | 689672.00 | 705602.21 | 565819.66 | 0.00 | 231583.20 | 4787.42 |

*बजट 2009-10 पास होने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

^29.6.2009 तक रिलीज।

#29.6.2009 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार।

**वैश्विक आर्थिक मंदी**

***39. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:**
**श्री कोडिकुन्नील सुरेश:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पर वैश्विक आर्थिक मंदी का प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश को कितनी हानि हुई है; और

(ग) आर्थिक मंदी पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का विचार है?

**वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी):** (क) से (ग) जी, हां। वैश्विक आर्थिक संकट ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर आरंभ में पोर्टफोलियो पूंजी-प्रवाहों के परिवर्तन के रूप में प्रभाव डाला जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति-मांग असंतुलन पैदा होने से स्टाक बाजार और विनिमय दरों पर जबर्दस्त दबाव पड़ा। वैश्विक मंदी की स्थितियों के कारण निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और अक्तूबर, 2008 से इनमें ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई है। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 2007-08 की 9.0 प्रतिशत वृद्धि दर के मुकाबले धीमी होकर 2008-09 के दौरान 6.7 प्रतिशत रह गई है।

लेकिन अधिकतर देशों की तुलना में वैश्विक आर्थिक मंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है। एक अक्षत वित्तीय तंत्र, बड़ा घरेलू बाजार तथा वित्तीय एवं मौद्रिक प्रोत्साहन पैकेज वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रतिकूल प्रभाव के विरुद्ध भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा दिखाई गई समुत्थानशीलता के प्रमुख कारण रहे हैं।

*[अनुवाद]*

**ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय की सुविधा**

***40. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:**
**श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कितने ग्रामीण घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई नया व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में राज्यों से राज्यवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए, स्वीकृत किये गये तथा उन्हें कितनी धनराशि आवंटित की गई?

**ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी):** (क) देश में ऐसी ग्रामीण बसावटों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है जहां शौचालय सुविधा का अभाव है।

(ख) और (ग) जी, हां। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार में शौचालय सुविधा मुहैया कराने के लिए 1999 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान शुरू किया गया था। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:

(1) सूचना, शिक्षा और संचार क्रियाकलाप

(2) बीपीएल परिवारों के लिए शौचालयों के निर्माण हेतु प्रति शौचालय भारत सरकार से 1500 रु. तथा राज्य सरकार से 700 रु. का वित्तीय प्रोत्साहन

(3) विद्यालयों और आंगनवाड़ियों में शौचालयों की व्यवस्था

(4) सामुदायिक शौचालयों, ग्रामीण स्वच्छता बाजारों आदि की व्यवस्था

(5) ग्रामीण ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सहायता

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों, विद्यालयों, आंगनवाड़ियों और समुदाय में स्वच्छता सुविधाएं पाने और इसके उपयोग की मांग सृजित करने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार के अंतर्गत जागरूकता सृजन अभियान शुरू किया गया है। इसमें जन शिक्षा अभियान, लोक मीडिया, नुक्कड़ नाटक का उपयोग, दीवार पर लिखाई, होर्डिंग जैसी आउटडोर मीडिया, व्यक्तियों के परस्पर संपर्क के लिए स्थानीय गैर सरकारी संगठनों से काम लेना, प्रेरकों को तैनात करना आदि शामिल है। प्रत्येक जिले की परियोजना लागत का 15% आईईसी क्रियाकलापों के लिए निर्धारित किया गया है।

(घ) प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, टीएससी के शुरू होने से लेकर अब तक देश के 593 ग्रामीण जिलों के लिए टीएससी परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है (जिसे 4-5 वर्ष की अवधि में पूरा किया जाना है)। चूंकि टीएससी एक मांग आधारित कार्यक्रम है, अत: जिलों द्वारा निधियों के उपयोग के आधार पर पात्रता मानदंड के अनुसार निधियां रिलीज की जाती हैं। 31.3.2009 की स्थिति के अनुसार राज्यों के पास उपलब्ध राज्य-वार निधि और चालू वर्ष के दौरान रिलीज की गई निधियों की स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

***विवरण I***

| क्र.सं. | राज्य | ग्रामीण परिवारों की कुल संख्या | 30.6.09 की स्थिति के अनुसार शौचालय विहीन ग्रामीण परिवारों की संख्या | शौचालय विहीन ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 12451474 | 4089579 | 32.84 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 211732 | 111772 | 52.79 |
| 3. | असम | 5894841 | 2928123 | 49.67 |
| 4. | बिहार | 12932905 | 9386498 | 72.58 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 3539420 | 2166216 | 61.20 |
| 6. | गोवा | 113186 | 11570 | 10.22 |
| 7. | गुजरात | 5386100 | 1031862 | 19.16 |
| 8. | हरियाणा | 2488610 | 135534 | 5.45 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 1150688 | 170746 | 14.84 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 1786158 | 1026839 | 57.49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 11. | झारखंड | 3979287 | 2748866 | 69.08 |
| 12. | कर्नाटक | 6719320 | 3506022 | 52.18 |
| 13. | केरल | 5093763 | 1492 | 0.03 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 8652440 | 4021303 | 46.48 |
| 15. | महाराष्ट्र | 11815219 | 4582543 | 38.79 |
| 16. | मणिपुर | 492916 | 252269 | 51.18 |
| 17. | मेघालय | 401335 | 213982 | 53.32 |
| 18. | मिजोरम | 139825 | 6144 | 4.39 |
| 19. | नागालैंड | 369894 | 160949 | 43.51 |
| 20. | उड़ीसा | 7579920 | 4910756 | 64.79 |
| 21. | पंजाब | 2291492 | 676957 | 29.54 |
| 22. | राजस्थान | 8029718 | 4789842 | 59.65 |
| 23. | सिक्किम | 141452 | 0 | 0.00 |
| 24. | तमिलनाडु | 9432802 | 2738041 | 29.03 |
| 25. | त्रिपुरा | 979647 | 37392 | 3.82 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 24452726 | 10457269 | 42.77 |
| 27. | उत्तराखंड | 1264297 | 531562 | 42.04 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 12139370 | 2782264 | 22.92 |
| 29. | अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | 49653 | 28635 | 57.67 |
| 30. | चंडीगढ़ | 21302 | 6704 | 31.47 |
| 31. | दादरा एवं नगर हवेली | 8159 | 2443 | 29.94 |
| 32. | दमन एवं दीव | 22091 | 15017 | 67.98 |
| 33. | दिल्ली | 169528 | 62920 | 37.11 |
| 34. | लक्षद्वीप | 5351 | 367 | 6.86 |
| 35. | पुडुचेरी | 33467 | 16017 | 47.86 |
| | योग | 15,02,40,088 | 6,36,08,495 | 42.34 |

## *विवरण II*

*2009-10 के दौरान (30.6.2009 की स्थिति के अनुसार) राज्य-वार रिलीज की स्थिति*

(लाख रु.)

| क्र.सं. | राज्य | 31.3.09 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध शेष राशि | 2009-10 के दौरान रिलीज | कुल उपलब्ध निधि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2721.42 | 0.00 | 2721.42 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1414.02 | 0.00 | 1414.02 |
| 3. | असम | 9420.12 | 726.18 | 10146.30 |
| 4. | बिहार | 9226.68 | 0.00 | 9226.68 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 2513.01 | 0.00 | 2513.01 |
| 6. | दादरा व नगर हवेली | 1.48 | 0.00 | 1.48 |
| 7. | गोवा | 22.39 | 0.00 | 22.39 |
| 8. | गुजरात | 3461.26 | 0.00 | 3461.26 |
| 9. | हरियाणा | 1890.26 | 0.00 | 1890.26 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 1121.93 | 0.00 | 1121.93 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 1995.35 | 0.00 | 1995.35 |
| 12. | झारखंड | 3432.99 | 0.00 | 3432.99 |
| 13. | कर्नाटक | 3436.60 | 1857.01 | 5293.61 |
| 14. | केरल | 953.74 | 975.45 | 1929.19 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 8437.47 | 0.00 | 8437.47 |
| 16. | महाराष्ट्र | 3373.13 | 0.00 | 3373.13 |
| 17. | मणिपुर | 450.35 | 0.00 | 450.35 |
| 18. | मेघालय | 667.25 | 0.00 | 667.25 |
| 19. | मिजोरम | 477.63 | 0.00 | 477.63 |
| 20. | नागालैंड | 21.18 | 1059.27 | 1080.45 |
| 21. | उड़ीसा | 11016.74 | 0.00 | 11016.74 |
| 22. | पुडुचेरी | 23.87 | 0.00 | 23.87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 23. | पंजाब | 1004.05 | 0.00 | 1004.05 |
| 24. | राजस्थान | 3892.68 | 4352.64 | 8245.32 |
| 25. | सिक्किम | 246.31 | 0.00 | 246.31 |
| 26. | तमिलनाडु | 1963.63 | 0.00 | 1963.63 |
| 27. | त्रिपुरा | 396.70 | 0.00 | 396.70 |
| 28. | उत्तर प्रदेश | 26630.19 | 0.00 | 26630.19 |
| 29. | उत्तराखंड | 941.79 | 0.00 | 941.79 |
| 30. | पश्चिम बंगाल | 10005.59 | 0.00 | 10005.59 |
| | योग | 1111,59.83 | 89,70.55 | 1201,30.38 |

**केन्द्रीय कर राजस्व**

**174. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय कर राजस्वों की प्राप्तियों की राज्यों के साथ हिस्सेदारी के संबंध में क्या फार्मूला/मानदण्ड अपनाया गया है;

(ख) केन्द्रीय कर राजस्वों में अधिक हिस्सेदारी की मांग करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्तीय रूप से अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को कोई प्राथमिकता दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमो नारायन मीणा ):** (क) से (घ) केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी से संबंधित मानकों की सिफारिश वित्त आयोगों के द्वारा की जाती है। अपनी समीक्षावधि (2005-10) के दौरान बारहवें वित्त आयोग ने कुल बांटे जाने योग्य करों के निवल आय में से 30.5 प्रतिशत राज्यों की हिस्सेदारी की सिफारिश की थी जिसे सरकार ने स्वीकार किया था तथा राज्यों के बीच करों तथा प्रशुल्कों के हिस्से के वितरण में नीचे लिखे मानकों तथा अधिमानों को अपनाया था:-

| क्र.सं. | मानक | सापेक्ष भार (प्रतिशत) |
|---|---|---|
| 1. | जनसंख्या | 25.0 |
| 2. | आय-अंतर | 50.0 |
| 3. | क्षेत्र | 10.0 |
| 4. | कर प्रयास | 7.5 |
| 5. | राजकोषीय अनुशासन | 7.5 |

तेरहवें वित्त आयोग को दिये गये अपने प्रतिवेदन में राज्यों ने मांग की है कि केन्द्रीय करों में राज्यों की सकल हिस्सेदारी को कम से कम 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए, केन्द्रीय प्रभारों तथा उपकरों को विभाज्य-पूल में शामिल किया जाए और पूर्वोत्तर तथा विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में बांटे जाने के लिए एक अतिरिक्त अंतरण पर विचार किया जाए।

*[हिन्दी]*

**महिलाओं और बच्चों हेतु गैर-सरकारी संगठन**

**175. श्री अंजनकुमार एम. यादव:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश सहित देश में महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में लगे गैर-सरकारी संगठनों के योजना-वार/राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक एन.जी.ओ. को जारी धनराशि तथा उनके द्वारा उपयोग की गयी धनराशि का योजना-वार, राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को अनुदानों के संवितरण में किसी अनियमितता का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है अथवा किये जाने की संभावना है?

**महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ):** (क) और (ख) गैर-सरकारी संगठनों, जिन्हें महिलाओं एवं बच्चों हेतु विभिन्न कल्याण स्कीमों के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के दौरान राशि निर्मुक्त की गई थी, का स्कीम-वार/राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (आंध्र प्रदेश सहित) मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों में उपलब्ध है, जो मंत्रालय की वैबसाइट www.wcd.nic.in के साथ-साथ लोक सभा पुस्तकालय में भी उपलब्ध हैं। वर्ष 2008-09 का विवरण वर्ष 2008-09 की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है, जो मुद्रणाधीन है। वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियां जल्दी ही लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएंगी। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु राशि निर्मुक्ति की प्रक्रिया जारी है। जहां तक संगठनों द्वारा राशि के उपयोग की बात है, संगठनों को आगे की राशि उनके द्वारा पिछली निर्मुक्ति के लेखा परीक्षित खातों एवं उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुत करने के बाद ही निर्मुक्त की जाती है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

## विद्युत की कमी

**176. श्री एल. राजगोपाल:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अधिक खपत अवधि के दौरान विद्युत की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आगामी दो वर्षों में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जा रही है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी):** (क) और (ख) समूचे देश में बिजली की कमी है। वर्तमान वर्ष (अप्रैल-मई, 2009) के दौरान देश में बिजली तथा अधिक मांग अवधि में यह कमी क्रमश: 13,609 मि.यू. (10%) तथा 13,603 मेगावाट (12.3%) स्तर की थी। इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) आगामी दो वर्षों में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ने की संभावना है जोकि विद्युत आपूर्ति का स्थिति, उपभोक्ता के उपयोग करने की विधि तथा प्रणाली में नई उत्पादन क्षमताओं पर निर्भर है। इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में शामिल है, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से 78,700 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि, नये तथा नवीकरण ऊर्जा स्रोतों से 14,000 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि तथा इसके अतिरिक्त 12000 मेगावाट कैप्टिव उत्पादन से ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।

***विवरण***

(आंकड़े मि.यू. निवल में)

| राज्य/प्रणाली/क्षेत्र | विद्युत आपूर्ति की स्थिति अप्रैल से मई, 2009 | | | | व्यस्ततमकालीन मांग और पूर्ति अप्रैल से मई, 2009 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आवश्यकता (मि.यू.) | उपलब्धता (मि.यू.) | अधिशेष/कमी (-) (मि.यू.) | (%) | अधिकतम मांग (मेगावाट) | अधिकतम उपलब्धि (मेगावाट) | अधिशेष/कमी (%) (मेगावाट) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| चंडीगढ़ | 265 | 265 | 0 | 0.0 | 287 | 287 | 0 | 0.0 |
| दिल्ली | 4,265 | 4,223 | -42 | -1.0 | 4,139 | 4,107 | -32 | -0.8 |
| हरियाणा | 4,883 | 4,698 | -185 | -3.8 | 5,177 | 4,600 | -577 | -11.1 |
| हिमाचल प्रदेश | 1,071 | 1,064 | -7 | -0.7 | 940 | 900 | -40 | -4.3 |
| जम्मू और कश्मीर | 2,138 | 1,596 | -542 | -25.4 | 2,000 | 1,388 | -612 | -30.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पंजाब | 6,734 | 6,220 | −514 | −7.6 | 6,657 | 6,256 | −401 | −6.0 |
| राजस्थान | 6,724 | 6,502 | −222 | −3.3 | 5,971 | 5,390 | −581 | −9.7 |
| उत्तर प्रदेश | 12,544 | 9,778 | −2,766 | −22.1 | 10,856 | 8,563 | −2,293 | −21.1 |
| उत्तराखंड | 1,398 | 1,335 | −63 | −4.5 | 1,274 | 1,214 | −60 | −4.7 |
| **उत्तरी क्षेत्र** | 40,022 | 35,681 | −4,341 | −10.8 | 32,223 | 28,075 | −4,148 | −12.9 |
| छत्तीसगढ़ | 2,357 | 2,296 | −61 | −2.6 | 2,819 | 2,703 | −116 | −4.1 |
| गुजरात | 11,499 | 11,277 | −222 | −1.9 | 8,975 | 8,481 | −494 | −5.5 |
| मध्य प्रदेश | 6,720 | 5,514 | −1,206 | −17.9 | 6,522 | 5,250 | −1,272 | −19.5 |
| महाराष्ट्र | 22,050 | 17,736 | −4,314 | −19.6 | 18,645 | 14,292 | −4,353 | −23.3 |
| दमन और दीव | 317 | 280 | −37 | −11.7 | 280 | 255 | −25 | −8.9 |
| दादरा और नगर हवेली | 637 | 557 | −80 | −12.6 | 485 | 441 | −44 | −9.1 |
| गोवा | 547 | 538 | −9 | −1.6 | 455 | 400 | −55 | −12.1 |
| **पश्चिमी क्षेत्र** | 44,127 | 38,198 | −5,929 | −13.4 | 35,315 | 30,031 | −5,284 | −15.0 |
| आंध्र प्रदेश | 12,844 | 11,649 | −1,195 | −9.3 | 11,325 | 9,934 | −1,391 | −12.3 |
| कर्नाटक | 7,870 | 7,415 | −455 | −5.8 | 7,196 | 6,352 | −844 | −11.7 |
| केरल | 3,049 | 2,912 | −137 | −4.5 | 3,045 | 2,837 | −208 | −6.8 |
| तमिलनाडु | 12,205 | 11,487 | −718 | −5.9 | 10,145 | 9,675 | −470 | −4.6 |
| पुडुचेरी | 360 | 345 | −15 | −4.2 | 305 | 266 | −39 | −12.8 |
| लक्षद्वीप | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| **दक्षिणी क्षेत्र** | 36,328 | 33,808 | −2,520 | −6.9 | 29,216 | 26,369 | −2,847 | −9.7 |
| बिहार | 1,822 | 1,540 | −282 | −15.5 | 2,249 | 1,411 | −838 | −37.3 |
| डीवीसी | 2,397 | 2,349 | −48 | −2.0 | 1,816 | 1,804 | −12 | −0.7 |
| झारखंड | 931 | 875 | −56 | −6.0 | 1,088 | 947 | −141 | −13.0 |
| उड़ीसा | 3,548 | 3,508 | −40 | −1.1 | 3,029 | 3,015 | −14 | −0.5 |
| पश्चिम बंगाल | 5,754 | 5,581 | −173 | −3.0 | 5,270 | 5,197 | −73 | −1.4 |
| सिक्किम | 84 | 66 | −18 | −21.4 | 84 | 84 | 0 | 0.0 |
| अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 40 | 30 | −10 | −25 | 40 | 32 | −8 | −20.0 |
| **पूर्वी क्षेत्र** | 14,536 | 13,919 | −617 | −4.2 | 12,913 | 11,610 | −1,303 | −10.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अरुणाचल प्रदेश | 53 | 39 | −14 | −26.4 | 87 | 66 | −21 | −24.1 |
| असम | 806 | 735 | −71 | −8.8 | 819 | 803 | −16 | −2.0 |
| मणिपुर | 74 | 52 | −22 | −29.7 | 99 | 79 | −20 | −20.2 |
| मेघालय | 216 | 172 | −44 | −20.4 | 260 | 214 | −46 | −17.7 |
| मिजोरम | 57 | 43 | −14 | −24.6 | 66 | 64 | −2 | −3.0 |
| नागालैंड | 99 | 79 | −20 | −20.2 | 91 | 71 | −20 | −22.0 |
| त्रिपुरा | 145 | 128 | −17 | −11.7 | 175 | 172 | −3 | −1.7 |
| **पूर्वोत्तर क्षेत्र** | 1,450 | 1,248 | −202 | −13.9 | 1,569 | 1,342 | −227 | −14.5 |
| अखिल भारत | 136,463 | 122,854 | −13,609 | −10.0 | 110,958 | 97,355 | −13,603 | −12.3 |

**सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास की कमी**

**177. श्री ई.जी. सुगावनमः** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पूरे देश में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आवास की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी टाइप-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस कमी से निपटने के लिए सरकारी-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के अंतर्गत मकानों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय):** (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त पैरा (ग) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

**पी.एम.जी.एस.आई. के अंतर्गत सड़कों की गुणवत्ता**

**178. श्री जी.एम. सिद्देश्वरः** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत बन रही सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कौन सा तंत्र हैं;

(ख) क्या सरकार को इस योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण में मानदण्डों के उल्लंघन तथा घटिया सामग्री के इस्तेमाल के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन):** (क) कार्यों में उच्चस्तरीय गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र की व्यवस्था है। गुणवत्ता नियंत्रण के पहले दो स्तरों की देखरेख राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत राज्य गुणवत्ता समन्वयकों द्वारा की जाती है। गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र का पहला स्तर कार्यान्वयन एजेंसी के स्तर पर अंतर्निहित गुणवत्ता नियंत्रण है। फील्ड प्रयोगशालाएं ठेकेदारों द्वारा स्थापित की जाती हैं तथा सामग्री और कार्य कौशल की गुणवत्ता संबधी अनिवार्य परीक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन एककों के पर्यवेक्षण में कराये जाते हैं। गुणवत्ता नियंत्रण नियम-पुस्तिकाएं निर्धारित की गई हैं और कार्यक्रम कार्यान्वयन एककों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता नियंत्रण पंजी में जांच अभिलेख रखे जाते हैं। दूसरे स्तर में स्वतंत्र राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्त्ताओं के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा गुणवत्ता की

निगरानी करने की व्यवस्था है। राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किये जाते हैं कि पहले स्तर पर ही गुणवत्ता मुद्दों पर उचित ढंग से ध्यान दिया जा रहा है। इस व्यवस्था के तीसरे स्तर में स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्त्ताओं द्वारा यादृच्छिक निरीक्षणों के माध्यम से कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी की जाती है।

(ख) और (ग) अप्रैल, 2009 तक पीएमजीएसवाई इत्यादि के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए घटिया माल के प्रयोग, मानदण्डों के उल्लंघन के विषय में 408 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। 234 शिकायतों को जांच के लिए तथा कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को भेजा गया है। 174 शिकायतों के संबंध में, स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता जांच करने के लिए तैनात किये गये हैं। राज्य-वार ब्यौरे विवरण में दिये गये हैं।

(घ) राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्त्ताओं की टिप्पणियां निरीक्षण के पश्चात आवश्यक कार्रवाई करने के लिए तत्काल कार्यक्रम कार्यान्वयन एककों को सौंप दी जाती हैं। की गई कार्रवाई रिपोर्ट तैयार की जाती है और राज्य गुणवत्ता समन्वयक के जरिये एनआरआरडीए (राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी) को भेज दी जाती है। यदि कार्य में दोषों को दूर कर दिया जाता है और बाद के निरीक्षण में स्वतंत्र गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं द्वारा दोष दूर करने के कार्य की जांच कर ली जाती है तो कार्य की असंतोषजनक श्रेणी को सुधार कर संतोषजनक श्रेणी में रखा जाता है। की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियमित तौर पर निगरानी की जाती है तथा विभिन्न बैठकों इत्यादि के दौरान राज्यों को की गई कार्रवाई की स्थिति से अवगत कराया जाता है। यदि गुणवत्ता निगरानीकर्ता द्वारा पाई गई कमियां सुधार योग्य न हो तो राज्य सरकार द्वारा संबंधित अधिकारियों तथा ठेकेदारों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

***विवरण***

| क्र.सं. | राज्य | प्राप्त शिकायतें | जांच तथा कार्रवाई के लिए राज्यों को भेजी गई शिकायतें | जांच के लिए तैनात राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अरुणाचल प्रदेश | 5 | 2 | 3 |
| 2. | असम | 11 | 7 | 4 |
| 3. | बिहार | 117 | 16 | 101 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 44 | 28 | 16 |
| 5. | हरियाणा | 2 | 2 | 0 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 2 | 1 | 1 |
| 7. | झारखंड | 8 | 5 | 3 |
| 8. | कर्नाटक | 9 | 7 | 2 |
| 9. | केरल | 5 | 3 | 2 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 57 | 39 | 18 |
| 11. | महाराष्ट्र | 29 | 24 | 5 |
| 12. | मणिपुर | 6 | 5 | 1 |
| 13. | मेघालय | 1 | 1 | |
| 14. | मिजोरम | 1 | | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 15. | नागालैंड | 1 | 1 | |
| 16. | उड़ीसा | 11 | 10 | 1 |
| 17. | पंजाब | 8 | 7 | 1 |
| 18. | राजस्थान | 22 | 21 | 1 |
| 19. | सिक्किम | 2 | 1 | 1 |
| 20. | तमिलनाडु | 3 | 3 | 0 |
| 21. | त्रिपुरा | 2 | 2 | 0 |
| 22. | उत्तर प्रदेश | 49 | 38 | 11 |
| 23. | उत्तराखंड | 3 | 2 | 1 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 10 | 9 | 1 |
| | योग | 408 | 234 | 174 |

**बिजली की चोरी**

**179. डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की चोरी की बढ़ती घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में बिजली की चोरी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी):** (क) से (ग) जी हां, सरकार को देश में बिजली की चोरी के बारे में जानकारी है। अखिल भारतीय एटी एण्ड सी हानियां 2007-08 के दौरान 30.56% हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विद्युत अधिनियम 2003 में बिजली की चोरी को संज्ञेय अपराध बनाने के लिए कानूनी ढांचे की व्यवस्था की गई है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत, जो कोई बेइमानी से लाइनों, केबलों या सर्विस की तारों से छेड़छाड़ करता है, मीटरों आदि से छेड़छाड़, क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट करता है, उसे तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। बिजली की चोरी को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम/उपाय किये जा रहे हैं:

* केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार मीटर लगाना।
* 100% उपभोक्ता मीटरिंग, फीडर मीटरिंग तथा वितरण ट्रांसफार्मर मीटरिंग पर बल।
* उपभोक्ता शिकायत फोरम की स्थापना तथा उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा हेतु लोकपाल की नियुक्ति।
* विशेष न्यायालय और थानों आदि की स्थापना।
* ऊर्जा लेखा-परीक्षा पर बल।
* एचवीडीएस का कार्यान्वयन।

भारत सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में संशोधित शर्तों एवं निबंधनों के साथ 11वीं योजना के दौरान पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के कार्यान्वयन हेतु मंजूरी प्रदान की है। कार्यक्रम का विशेष ध्यान सतत हानि कमी के संबंध में वास्तविक प्रदर्शनीय निष्पादन पर होगा।

इसमें 30,000 (विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में 10,000) से अधिक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों-कस्बों और शहरों को

शामिल किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण भार के साथ कुछ हाई लोड घनत्व ग्रामीण क्षेत्रों, घरेलू और औद्योगिक फीडरों से कृषि फीडरों के पृथक्करण के कार्यों और हाई वोल्टेज वितरण प्रणाली (11केबी) को भी शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वे शहर/क्षेत्र जिनके लिए परियोजनाएं 10वीं योजना आर-एपीडीआरपी में मंजूर की गई है पर पूर्व मंजूर परियोजनाओं के पूरा होने या पहले ही बंद होने के पश्चात ही 11वीं योजना के लिए विचार किया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत परियोजनाएं दो भागों में शुरू की जाएंगी। भाग (क) में बसलाइन डाटा की स्थापना हेतु तथा ऊर्जा लेखा/परीक्षा के लिए आईटी आवेदन और आईटी आधारित उपभोक्ता सेवा केन्द्रों के लिए परियोजनाएं शामिल होंगी और भाग (ख) में नियमित वितरण सुदृढ़ीकरण परियोजनाएं शामिल होंगी।

***विवरण***

*रा.वि. बोर्डों, विद्युत विभागों एवं वितरण कंपनियों की एटी एंड सी हानि (%)*

| क्षेत्र | राज्य | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **पूर्वी** | बिहार | 66.02 | 77.64 | 66.25 | 82.50 | 78.17 | 42.63 | 43.83 |
| | झारखंड | 60.21 | 72.63 | 62.47 | 62.83 | 51.66 | 52.51 | 59.95 |
| | उड़ीसा | | | | | | | |
| | सेस्को | 48.81 | 29.40 | 49.97 | 55.81 | 42.55 | 46.97 | 42.89 |
| | नेस्को | 51.02 | 40.26 | 45.05 | 39.52 | 41.31 | 32.52 | 30.57 |
| | सेस्को | 40.47 | 36.76 | 38.21 | 35.65 | 45.10 | 42.17 | 45.62 |
| | वेस्को | 46.42 | 39.70 | 38.32 | 35.88 | 33.95 | 36.93 | 38.40 |
| | सिक्किम | 81.33 | 80.12 | 66.67 | 38.44 | 44.77 | 40.72 | 39.20 |
| | पश्चिम बंगाल | 35.29 | 26.62 | 32.87 | 23.91 | 26.60 | 30.90 | 23.53 |
| | कुल | 47.34 | 44.37 | 44.81 | 43.16 | 41.80 | 38.31 | 35.98 |
| **पूर्वोत्तर क्षेत्र** | अरुणाचल प्रदेश | 61.94 | 61.73 | 16.34 | 25.43 | 37.17 | 52.03 | 45.19 |
| | असम | 36.97 | 39.43 | 43.35 | 39.31 | | | |
| | सीएईडीसीएल | | | | | 37.35 | 42.59 | 40.07 |
| | एलएईडीसीएल | | | | | 27.83 | 31.71 | 25.31 |
| | यूएईडीसीएल | | | | | 39.45 | 38.55 | 35.88 |
| | मणिपुर | 74.11 | 76.81 | 69.70 | 88.50 | 77.83 | 94.32 | 80.62 |
| | मेघालय | 21.60 | 42.39 | 39.35 | 38.16 | 33.36 | 37.32 | 35.03 |
| | मिजोरम | 76.10 | 49.63 | 38.70 | 24.62 | 17.17 | 44.97 | 19.31 |
| | नागालैंड | 60.89 | 53.74 | 55.63 | 43.22 | 44.76 | 52.19 | 42.92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | त्रिपुरा | 31.60 | 34.27 | 14.84 | 20.93 | 24.92 | 23.46 | 22.53 |
| | कुल | 40.65 | 44.10 | 40.56 | 39.01 | 35.92 | 41.33 | 36.45 |
| **उत्तरी** | दिल्ली | 60.06 | | | | | | |
| | बीआरपीएल | | 51.78 | 45.72 | 41.98 | 41.25 | 32.93 | 40.17 |
| | बीवाईपीएल | | 62.49 | 55.54 | 51.70 | 48.58 | 43.24 | 42.65 |
| | एनडीपीएल | | 56.39 | 48.16 | 35.89 | 28.01 | 28.33 | 31.95 |
| **उत्तरी** | हरियाणा | | | | | | | |
| | डीएचबीवीएनएल | 40.70 | 41.40 | 40.53 | 43.96 | 40.78 | 34.48 | 31.79 |
| | यूएचबीवीएनएल | 45.93 | 42.54 | 40.09 | 43.37 | 41.90 | 28.96 | 32.58 |
| | हिमाचल प्रदेश | 28.30 | 29.52 | 9.26 | 21.71 | 15.15 | 13.18 | 16.15 |
| | जम्मू व कश्मीर | 68.22 | 68.22 | 68.79 | 68.33 | 66.69 | 67.56 | 73.43 |
| | पंजाब | 27.66 | 26.45 | 25.52 | 24.00 | 25.84 | 24.87 | 21.18 |
| | राजस्थान | | | | | | | |
| | एवीवीएनएल | 49.03 | 41.22 | 46.21 | 49.76 | 47.55 | 42.61 | 38.83 |
| | जेडीवीवीएनएल | 52.77 | 41.99 | 45.75 | 47.57 | 47.03 | 37.21 | 37.24 |
| | जेवीवीएनएल | 59.32 | 39.99 | 41.68 | 43.22 | 42.26 | 38.06 | 34.49 |
| | उत्तर प्रदेश | | | | | | | |
| | यूपीपीसीएल | 46.92 | 31.78 | | | | | |
| | डीवीवीएन | | | 51.46 | 58.02 | 55.59 | 50.21 | 44.03 |
| | एमवीवीएन | | | 39.48 | 38.72 | 47.20 | 45.12 | 33.33 |
| | पीएवीवीएन | | | 38.29 | 32.40 | 42.43 | 31.51 | 31.29 |
| | पीओवीवीएन | | | 45.36 | 58.07 | 46.08 | 63.55 | 26.20 |
| | केस्को | | | | 60.89 | 47.06 | 49.14 | 47.76 |
| | उत्तराखंड | | 37.59 | 43.48 | 45.62 | 38.20 | 42.86 | 40.63 |
| | कुल | 46.01 | 37.85 | 40.14 | 41.54 | 40.44 | 37.18 | 33.61 |
| **दक्षिणी** | आंध्र प्रदेश | | | | | | | |
| | एपीसीपीडीसीएल | 28.90 | 30.19 | 18.99 | 23.96 | 18.82 | 18.24 | 14.90 |
| | एपीईपीडीसीएल | 14.48 | 17.62 | 16.57 | 14.27 | 12.67 | 12.46 | 8.74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | एपीएनपीडीसीएल | 26.50 | 27.09 | 9.80 | 21.91 | 19.20 | 26.61 | 10.92 |
| | एपीएसपीडीसीएल | 24.47 | 27.44 | 17.06 | 20.55 | 16.51 | 17.20 | 7.29 |
| | कर्नाटक | | | | | | | |
| **दक्षिणी** | केपीटीसीएल | 40.50 | | | | | | |
| | बेस्कॉम | | 35.70 | 28.91 | 29.99 | 35.75 | 26.88 | 26.58 |
| | जेस्कॉम | | 43.53 | 43.86 | 42.99 | 52.74 | 46.98 | 40.69 |
| | हेस्कॉम | | 47.72 | 31.65 | 41.78 | 40.38 | 37.40 | 40.72 |
| | मेस्कॉम | | 35.68 | 25.82 | 27.03 | 20.83 | 12.09 | 21.45 |
| | चेस्कॉम | | | | | 46.03 | 40.58 | 40.82 |
| | केरल | 31.83 | 36.19 | 32.73 | 32.12 | 25.95 | 25.02 | 22.90 |
| | पुडुचेरी | 38.94 | 41.67 | 20.53 | 16.46 | 16.05 | 16.55 | 17.21 |
| | तमिलनाडु | 19.26 | 20.02 | 20.64 | 19.41 | 20.53 | 20.10 | 18.98 |
| | कुल | 27.63 | 28.05 | 22.71 | 24.18 | 23.93 | 22.69 | 19.85 |
| **पश्चिमी** | छत्तीसगढ़ | 39.02 | 37.48 | 30.99 | 32.12 | 37.84 | 36.12 | 34.62 |
| | गोवा | 48.53 | 22.99 | 21.28 | 18.34 | 15.18 | 19.39 | 14.24 |
| | गुजरात | 23.28 | 31.24 | 35.48 | 35.15 | | | |
| | डीजीवीसीएल | | | | | 22.40 | 20.59 | 19.36 |
| | एमजीवीसीएल | | | | | 24.61 | 20.08 | 23.07 |
| | पीजीवीसीएल | | | | | 43.05 | 38.27 | 40.39 |
| | यूजीवीसीएल | | | | | 27.57 | 20.15 | 23.60 |
| | मध्य प्रदेश | 48.60 | 49.42 | 41.52 | 54.27 | 50.35 | | |
| | एमपीएमकेवीवीसीएल | | | | | 43.20 | 56.64 | 55.79 |
| | एमपीपीकेवीवीसीएल | | | | | 46.91 | 39.24 | 44.36 |
| | एमपीपीयूकेवीवीसीएल | | | | | 47.90 | 52.14 | 47.18 |
| | महाराष्ट्र | 46.34 | 44.25 | 38.95 | 27.98 | 50.22 | | |
| | एमएसईडीसीएल | | | | | 36.74 | 39.35 | 35.19 |
| | कुल | 39.60 | 40.45 | 37.55 | 35.19 | 38.29 | 37.37 | 35.93 |
| | कुल योग | 38.86 | 36.64 | 34.90 | 34.82 | 35.18 | 33.07 | 30.56 |

स्रोत: पीएफसी

(28.3.2009 को विद्युत क्षेत्र के ब्रेनस्टार्मिंग सत्र पर प्रस्तुत किये गये के अनुसार)

2007-08 के आंकड़े अनंतिम हैं।

**बी.पी.एल. लोग**

**180. श्री यशवंत लागुरी:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री प्रदीप जैन ):** (क) वर्ष 2004-05 के लिए योजना आयोग द्वारा जारी नवीनतम गरीबी अनुमानों के आधार पर देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों की संख्या (राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार) संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) गरीबी उपशमन 11वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाए गए निगरानी योग्य लक्ष्यों में से एक है। 11वीं योजना के लक्ष्यों में योजना की पंचवर्षीय अवधि के दौरान हेड काउंट रेशियो ऑफ कंजप्शन पॉवर्टी को 10 प्रतिशत बिन्दु कम करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) देश में गरीबी का अनुमान लगभग 5 वर्ष के बाद लगाया जाता है और उपलब्ध नवीनतम गरीबी अनुमान वर्ष 2004-05 के लिए हैं। तुल्य अनुमानों के अनुसार देश में वर्ष 1993-94 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोग 36 प्रतिशत हैं जो वर्ष 2004-05 के दौरान घटकर 27.5 प्रतिशत रह गए हैं।

***विवरण***

*गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या-2004-05*
*(यूरआपी - उपभोग पर आधारित)*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | व्यक्तियों की संख्या (लाख में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 126.10 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 2.03 |
| 3. | असम | 55.77 |
| 4. | बिहार | 369.15 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 90.96 |
| 6. | दिल्ली | 22.93 |
| 7. | गोवा | 2.01 |
| 8. | गुजरात | 90.69 |
| 9. | हरियाणा | 32.10 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 6.36 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 5.85 |
| 12. | झारखण्ड | 116.39 |
| 13. | कर्नाटक | 138.89 |
| 14. | केरल | 49.60 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 249.68 |
| 16. | महाराष्ट्र | 317.38 |
| 17. | मणिपुर | 3.95 |
| 18. | मेघालय | 4.52 |
| 19. | मिजोरम | 1.18 |
| 20. | नागालैंड | 3.99 |
| 21. | उड़ीसा | 178.49 |
| 22. | पंजाब | 21.63 |
| 23. | राजस्थान | 134.89 |
| 24. | सिक्किम | 1.14 |
| 25. | तमिलनाडु | 145.62 |
| 26. | त्रिपुरा | 6.38 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 590.03 |
| 28. | उत्तराखण्ड | 35.96 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 208.36 |
| 30. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 0.92 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 31. | चण्डीगढ़ | 0.74 |
| 32. | दादरा व नगर हवेली | 0.84 |
| 33. | दमन व दीव | 0.21 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.11 |
| 35. | पुडुचेरी | 2.37 |
| | अखिल भारत | 3017.20 |

यूआरपी कंजप्शन = यूनिफार्म रिकॉल पीरियड कंजप्शन, जिसमें सभी मदों के लिए उपभोग व्यय के आंकड़े 30 दिन रिकॉल पीरियड से एकत्र किए जाते हैं।

नोट:

1. असम को गरीबी अनुपात सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एवं त्रिपुरा के लिए उपयोग किया जाता है।
2. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और गोवा का व्यय वितरण गोवा की गरीबी अनुपात का अनुमान करने के लिए उपयोग किया जाता है।
3. तमिलनाडु का गरीबी अनुपात पुडुचेरी और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के लिए उपयोग किया जाता है।
4. पंजाब का शहरी गरीबी अनुपात चंडीगढ़ के ग्रामीण एवं शहरी गरीबी दोनों के लिए उपयोग किया जाता है।
5. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और दादरा एवं नगर हवेली का व्यय वितरण दादरा एवं नगर हवेली के गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है।
6. गोवा का गरीबी अनुपात दमन एवं दीव के लिए उपयोग किया जाता है।
7. केरल का गरीबी अनुपात लक्षद्वीप के लिए उपयोग किया जाता है।

*[अनुवाद]*

## एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत ऋण

**181. श्री एन. चेलुवरया स्वामी:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत स्वरोजगार इच्छुकों से बैंक ऋण पर उच्च तथा भिन्न-भिन्न ब्याज दर वसूल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन):** (क) से (ग) केन्द्र स्तरीय समन्वय समिति बैठकों, निष्पादन समीक्षा समिति बैठकों तथा परियोजना निदेशक सम्मेलन में कुछ राज्यों/राज्य अधिकारियों ने कतिपय बैंकों द्वारा प्राइम लेंडिंग रेट (पीएलआर) से अधिक ब्याज दर वसूलने की रिपोर्ट की है। मंत्रालय ने सुधारात्मक उपाय करने के लिए इस मामले को तत्काल भारतीय रिजर्व बैंक, राज्यों, वित्त मंत्रालय तथा नाबार्ड के साथ उठाया है। बैंकों द्वारा ऊंची ब्याज दर वसूलने का मुद्दा हमेशा से ही उपर्युक्त बैठकों की कार्यसूची मद में रहा है। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने इस मुद्दे को माननीय वित्त मंत्री के साथ उठाया है।

## शहरों की रैंकिंग

**182. श्री एस.एस. रामासुब्बु:**
**श्री राजेन्द्र अग्रवाल:**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का शहरों को उनके स्वच्छता स्तर के आधार पर ''कलर कोड'' द्वारा रैंक प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तमिलनाडु सहित इसके लिए पहचान किये गये शहरों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या शहरों के सुधार/उन्नयन हेतु कोई छूट/प्रोत्साहन/योजनाओं का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, योजना-वार ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय):** (क) राष्ट्रीय शहरी सफाई नीति में उत्पादन प्रक्रिया और परिणाम से संबंधित मानकों के आधार पर सफाई व्यवस्था के संबंध में शहरों की आवधिक रेटिंग की व्यवस्था है। शहरों को उनके कार्य निष्पादन के आधार पर लाल, काला, नीला और हरा के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।

(ख) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 441 श्रेणी-1 शहरों की रेटिंग इस वर्ष शुरू की जानी है। इन शहरों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

**विवरण**

*श्रेणी-1 शहरों की सूची (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार)*

| क्र.सं. | कस्बे | राज्य |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | डिब्रूगढ़ (एमबी+ओजी) | असम |
| 2. | गुवाहाटी (एम कार्पोरेशन+ओजी) | असम |
| 3. | जोरहाट (एमबी+ओजी) | असम |
| 4. | नागोन (एमबी+ओजी) | असम |
| 5. | सिलचर (एमबी+ओजी) | असम |
| 6. | तिनसुकिया (एमबी+ओजी) | असम |
| 7. | आरा (एम) | बिहार |
| 8. | बलिया (एम) | बिहार |
| 9. | भागलपुर (एम. कार्पोरेशन) | बिहार |
| 10. | बिहार (एम) | बिहार |
| 11. | छपरा (एम) | बिहार |
| 12. | दरभंगा (एम कार्पोरेशन) | बिहार |
| 13. | देहरी (एम) | बिहार |
| 14. | दीनापुर निजामत (एम) | बिहार |
| 15. | गया (एम कार्पोरेशन+ओजी) | बिहार |
| 16. | हाजीपुर (एम) | बिहार |
| 17. | कटिहार (एम+ओजी) | बिहार |
| 18. | मोतीहारी (एम) | बिहार |
| 19. | मुंगेर (एम) | बिहार |
| 20. | मुजफ्फरपुर (एम कार्पोरेशन) | बिहार |
| 21. | पटना (एम कार्पोरेशन+ओजी) | बिहार |
| 22. | पूर्णिया (एम) | बिहार |
| 23. | सहरसा (एम) | बिहार |
| 24. | सासाराम (एम) | बिहार |
| 25. | सिवान (एम) | बिहार |
| 26. | चंडीगढ़ (एम कार्पोरेशन) | चंडीगढ़ |
| 27. | भिलाईनगर (एम कार्पोरेशन) | छत्तीसगढ़ |
| 28. | बिलासपुर (एम कार्पोरेशन+ओजी) | छत्तीसगढ़ |
| 29. | दुर्ग (एम कार्पोरेशन) | छत्तीसगढ़ |
| 30. | कोरबा (एम कार्पोरेशन) | छत्तीसगढ़ |
| 31. | रायगढ़ (एम+ओजी) | छत्तीसगढ़ |
| 32. | रायपुर (एम कार्पोरेशन+ओजी) | छत्तीसगढ़ |
| 33. | राजनंदगांव (एम कार्पोरेशन) | छत्तीसगढ़ |
| 34. | भलस्वा जहांगीरपुर (सीटी) | दिल्ली |
| 35. | दल्लूपुरा (सीटी) | दिल्ली |
| 36. | दिल्ली कैंट | दिल्ली |
| 37. | देवली (सीटी) | दिल्ली |
| 38. | डीएमसी (यू) | दिल्ली |
| 39. | करावल नगर (सीटी) | दिल्ली |
| 40. | कीरारी सुलेमान नगर (सीटी) | दिल्ली |
| 41. | एनडीएमसी | दिल्ली |
| 42. | नांगलोई जाट (सीटी) | दिल्ली |
| 43. | सुलतानपुर माजरा (सीटी) | दिल्ली |
| 44. | अंबाला (एमसीआई) | हरियाणा |
| 45. | अंबाला सदर (एमसीआई) | हरियाणा |
| 46. | बहादुरगढ़ (एमसीआई+ओजी) | हरियाणा |
| 47. | भिवानी (एमसीआई) | हरियाणा |
| 48. | फरीदाबाद (एम कार्पोरेशन) | हरियाणा |
| 49. | गुड़गांव (एमसीआई+ओजी) | हरियाणा |
| 50. | हिसार (एमसीआई+ओजी) | हरियाणा |
| 51. | जगादरी (एमसीआई) | हरियाणा |
| 52. | जिंद (एमसीआई) | हरियाणा |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 53. | कैथल (एमसीआई) | हरियाणा |
| 54. | करनाल (एमसीआई+ओजी) | हरियाणा |
| 55. | पलवल (एमसीआई) | हरियाणा |
| 56. | पंचकुला अर्बन स्टेट | हरियाणा |
| 57. | पानीपत (एमसीआई+ओजी) | हरियाणा |
| 58. | रिवाड़ी (एमसीआई) | हरियाणा |
| 59. | रोहतक (एमसीआई+ओजी) | हरियाणा |
| 60. | सिरसा (एमसीआई) | हरियाणा |
| 61. | सोनीपत (एमसीआई+ओजी) | हरियाणा |
| 62. | थाणेसर (एमसीआई+ओजी) | हरियाणा |
| 63. | यमुना नगर (एमसीआई) | हरियाणा |
| 64. | शिमला (एम कार्पोरेशन) | हिमाचल प्रदेश |
| 65. | जम्मू (एमसी+ओजी) | जम्मू और कश्मीर |
| 66. | श्रीनगर (एमसी+ओजी) | जम्मू और कश्मीर |
| 67. | अदित्यपुर (एनए) | झारखंड |
| 68. | बोकारो स्टील सिटी (सीटी) | झारखंड |
| 69. | धनबाद (एम) | झारखंड |
| 70. | हजारीबाग (एम) | झारखंड |
| 71. | जमशेदपुर (एनए+ओजी) | झारखंड |
| 72. | मंगो (एनए) | झारखंड |
| 73. | रांची (एम कार्पोरेशन) | झारखंड |
| 74. | इंफाल (एमसीआई+ओजी) | मणिपुर |
| 75. | शिलांग (एम) | मेघालय |
| 76. | एजवाल (एनटी) | मिजोरम |
| 77. | बालेश्वर (एम+ओजी) | उड़ीसा |
| 78. | बरीपाड़ा (एम+ओजी) | उड़ीसा |
| 79. | भुवनेश्वर (एम कार्पोरेशन+ओजी) | उड़ीसा |
| 80. | ब्रह्मपुर (एम) | उड़ीसा |
| 81. | कटक (एम कार्पोरेशन) | उड़ीसा |
| 82. | पुरी (एम) | उड़ीसा |
| 83. | राऊरकेला (एम+ओजी) | उड़ीसा |
| 84. | राऊरकेला इंडस्ट्रीयल टाउनशिप | उड़ीसा |
| 85. | संबलपुर (एम+ओजी) | उड़ीसा |
| 86. | अबोहर (एमसीआई) | पंजाब |
| 87. | अमृतसर (एम कार्पोरेशन+ओजी) | पंजाब |
| 88. | बटाला (एमसीआई+ओजी) | पंजाब |
| 89. | भटिंडा (एमसीआई) | पंजाब |
| 90. | होशियारपुर (एमसीआई) | पंजाब |
| 91. | जालंधर (एम कार्पोरेशन+ओजी) | पंजाब |
| 92. | खन्ना (एमसीआई) | पंजाब |
| 93. | लुधियाना (एम कार्पोरेशन) | पंजाब |
| 94. | मलेरकोटला (एमसीआई) | पंजाब |
| 95. | मोगा (एमसीआई+ओजी) | पंजाब |
| 96. | पठानकोट (एमसीआई+ओजी) | पंजाब |
| 97. | पटियाला (एम कार्पोरेशन+ओजी) | पंजाब |
| 98. | फगवाड़ा (एमसीआई+ओजी) | पंजाब |
| 99. | एसएएस नगर (मोहाली) (एमसीआई) | पंजाब |
| 100. | अगरतला (एमसीआई) | त्रिपुरा |
| 101. | आगरा (एम कार्पोरेशन) | उत्तर प्रदेश |
| 102. | अलीगढ़ (एम कार्पोरेशन) | उत्तर प्रदेश |
| 103. | इलाहाबाद (एम कार्पोरेशन+ओजी) | उत्तर प्रदेश |
| 104. | अमरोहा (एमबी) | उत्तर प्रदेश |
| 105. | बहराइच (एमबी) | उत्तर प्रदेश |
| 106. | बलिया (एमबी) | उत्तर प्रदेश |
| 107. | बंदा (एमबी+ओजी) | उत्तर प्रदेश |
| 108. | बरेली (एम कार्पोरेशन+ओजी) | उत्तर प्रदेश |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 109. | बस्ती (एमबी) | उत्तर प्रदेश |
| 110. | बदायूं (एमबी) | उत्तर प्रदेश |
| 111. | बुलंदशहर (एमबी) | उत्तर प्रदेश |
| 112. | चंदौली (एमबी) | उत्तर प्रदेश |
| 113. | देवरिया (एमबी) | उत्तर प्रदेश |
| 114. | एटा (एमबी) | उत्तर प्रदेश |
| 115. | इटावा (एमबी) | उत्तर प्रदेश |
| 116. | फैजाबाद (एमबी) | उत्तर प्रदेश |
| 117. | फरुखाबाद एवं फतेहगढ़ (एमबी) | उत्तर प्रदेश |
| 118. | फतेहपुर (एमबी) | उत्तर प्रदेश |
| 119. | फिरोजाबाद (एमबी+ओजी) | उत्तर प्रदेश |
| 120. | गाजियाबाद (एम कार्पोरेशन) | उत्तर प्रदेश |
| 121. | गाजीपुर (एमबी+ओजी) | उत्तर प्रदेश |
| 122. | गोंडा (एमबी) | उत्तर प्रदेश |
| 123. | गोरखपुर (एम कार्पोरेशन) | उत्तर प्रदेश |
| 124. | हापुड़ (एमबी) | उत्तर प्रदेश |
| 125. | हरदोई (एमबी) | उत्तर प्रदेश |
| 126. | हाथरस (एमबी+ओजी) | उत्तर प्रदेश |
| 127. | जौनपुर (एमबी) | उत्तर प्रदेश |
| 128. | झांसी (एमबी+ओजी) | उत्तर प्रदेश |
| 129. | कानपुर (सीबी) | उत्तर प्रदेश |
| 130. | कानपुर (एम कार्पोरेशन+ओजी) | उत्तर प्रदेश |
| 131. | लखीमपुर (एमबी) | उत्तर प्रदेश |
| 132. | ललीतपुर (एमबी) | उत्तर प्रदेश |
| 133. | लोनी (एनपी) | उत्तर प्रदेश |
| 134. | लखनऊ (एम कार्पोरेशन) | उत्तर प्रदेश |
| 135. | मैनपुरी (एमबी+ओजी) | उत्तर प्रदेश |
| 136. | मथुरा (एमबी) | उत्तर प्रदेश |
| 137. | मऊनाथभंजन (एमबी) | उत्तर प्रदेश |
| 138. | मेरठ (एम कार्पोरेशन) | उत्तर प्रदेश |
| 139. | मिर्जापुर एवं बिंध्याचल (एमबी) | उत्तर प्रदेश |
| 140. | मोदीनगर (एमबी) | उत्तर प्रदेश |
| 141. | मुरादाबाद (एम कार्पोरेशन) | उत्तर प्रदेश |
| 142. | मुजफ्फरनगर (एमबी+ओजी) | उत्तर प्रदेश |
| 143. | नोएडा (सीटी) | उत्तर प्रदेश |
| 144. | ऊरई (एमबी) | उत्तर प्रदेश |
| 145. | पिलीभीत (एमबी) | उत्तर प्रदेश |
| 146. | रायबरेली (एमबी) | उत्तर प्रदेश |
| 147. | रामपुर (एमबी) | उत्तर प्रदेश |
| 148. | सहारनपुर (एमबी) | उत्तर प्रदेश |
| 149. | संभल (एमबी) | उत्तर प्रदेश |
| 150. | शाहजहांपुर (एमबी+ओजी) | उत्तर प्रदेश |
| 151. | सीतापुर (एमबी) | उत्तर प्रदेश |
| 152. | सुलतानपुर (एमबी) | उत्तर प्रदेश |
| 153. | उन्नाव (एमबी) | उत्तर प्रदेश |
| 154. | वाराणसी (एम कार्पोरेशन+ओजी) | उत्तरांचल |
| 155. | देहरादून (एम कार्पोरेशन) | उत्तरांचल |
| 156. | हल्द्वानी एवं काठगोदाम (एमबी+ओजी) | उत्तरांचल |
| 157. | हरिद्वार (एमबी+ओजी) | पश्चिम बंगाल |
| 158. | आसनसोल (एम कार्पोरेशन) | पश्चिम बंगाल |
| 159. | अशोक नगर कल्याणगढ़ (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 160. | बहरामपुर (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 161. | बैद्याबती (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 162. | बल्ली (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 163. | बैलूघाट (एम+ओजी) | पश्चिम बंगाल |
| 164. | बैनगांव (एम) | पश्चिम बंगाल |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 165. | बंकुरा (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 166. | बंसबेरिया (एम+ओजी) | पश्चिम बंगाल |
| 167. | बड़ानगर (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 168. | बरसात (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 169. | बर्द्धमान (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 170. | बैरकपुर (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 171. | बशीरहट (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 172. | भद्रेश्वर (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 173. | भाटपारा (एम+ओजी) | पश्चिम बंगाल |
| 174. | बिधाननगर (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 175. | चंमदानी (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 176. | चंदननगर (एम कार्पोरेशन) | पश्चिम बंगाल |
| 177. | दार्जिलिंग (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 178. | डुमडुम (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 179. | दुर्गापुर (एम कार्पोरेशन) | पश्चिम बंगाल |
| 180. | इंगलिश बाजार (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 181. | हावड़ा (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 182. | हल्दिया (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 183. | हली शहर (एम+ओजी) | पश्चिम बंगाल |
| 184. | हेवरा (एम कार्पोरेशन) | पश्चिम बंगाल |
| 185. | हुगली चिंनसुराहा (एम+ओजी) | पश्चिम बंगाल |
| 186. | जलपाईगुड़ी (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 187. | जमूरिया (एम+ओजी) | पश्चिम बंगाल |
| 188. | कमरहाटी (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 189. | कंचरापाड़ा (एम+ओजी) | पश्चिम बंगाल |
| 190. | खड़गपुर (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 191. | खरदहा (एम+ओजी) | पश्चिम बंगाल |
| 192. | कोलकाता (एम कार्पोरेशन+ओजी) | पश्चिम बंगाल |
| 193. | कृष्णा नगर (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 194. | कुल्टी (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 195. | मध्यम ग्राम (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 196. | महेशताला (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 197. | मैदनीपुर (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 198. | नबादविप (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 199. | नईहाटी (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 200. | नॉर्थ बराकपुर (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 201. | नॉर्थ डुमडुम (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 202. | पानीहटी (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 203. | पुरुलिया (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 204. | रायगंज (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 205. | राजरहट गोपालपुर (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 206. | राजपुर सोनारपुर (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 207. | रानीगंज (एम+ओजी) | पश्चिम बंगाल |
| 208. | रिसरा (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 209. | शांतिपुर (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 210. | सेमारपोर (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 211. | सिलीगुड़ी (एम कार्पोरेशन) | पश्चिम बंगाल |
| 212. | साउथ डुमडुम (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 213. | तीतागढ़ (एम) | पश्चिम बंगाल |
| 214. | उलूबेरिया (एम+ओजी) | आंध्र प्रदेश |
| 215. | उतरपाड़ा कोटरंग (एम) | आंध्र प्रदेश |
| 216. | अदिलाबाद (एम) | आंध्र प्रदेश |
| 217. | एडोनी (एम+ओजी) | आंध्र प्रदेश |
| 218. | अनंतपुर (एम+ओजी) | आंध्र प्रदेश |
| 219. | भीमावरम (एम+ओजी) | आंध्र प्रदेश |
| 220. | चिराला (एम+ओजी) | आंध्र प्रदेश |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 221. | चित्तूर (एम) | आंध्र प्रदेश |
| 222. | कुडप्पा (एम+ओजी) | आंध्र प्रदेश |
| 223. | धरमावरम (एम) | आंध्र प्रदेश |
| 224. | इलूरू (एम+ओजी) | आंध्र प्रदेश |
| 225. | गजुवाका (एम+ओजी) | आंध्र प्रदेश |
| 226. | गुडीवाडा (एम) | आंध्र प्रदेश |
| 227. | गंटाकल (एम) | आंध्र प्रदेश |
| 228. | गुंटूर (एम) | आंध्र प्रदेश |
| 229. | हिन्दूपुर (एम) | आंध्र प्रदेश |
| 230. | हैदराबाद (एम+ओजी) | आंध्र प्रदेश |
| 231. | काकीनाड़ा (एम+ओजी) | आंध्र प्रदेश |
| 232. | कापरा (एम) | आंध्र प्रदेश |
| 233. | करीम नगर (एम+ओजी) | आंध्र प्रदेश |
| 234. | खम्माम (एम+ओजी) | आंध्र प्रदेश |
| 235. | कुकटपल्लू (एम) | आंध्र प्रदेश |
| 236. | कुरुनूल (एम) | आंध्र प्रदेश |
| 237. | लालबहादुर नगर (एम+ओजी) | आंध्र प्रदेश |
| 238. | मछलीपट्टनम (एम) | आंध्र प्रदेश |
| 239. | मदनपाले (एम+ओजी) | आंध्र प्रदेश |
| 240. | महबूब नगर (एम+ओजी) | आंध्र प्रदेश |
| 241. | मलकाजगिरी (एम) | आंध्र प्रदेश |
| 242. | नालगोंडा (एम+ओजी) | आंध्र प्रदेश |
| 243. | नांदियाल (एम+ओजी) | आंध्र प्रदेश |
| 244. | नेल्लौर (एम+ओजी) | आंध्र प्रदेश |
| 245. | निजामाबाद (एम) | आंध्र प्रदेश |
| 246. | ओंगगोल (एम+ओजी) | आंध्र प्रदेश |
| 247. | पोरोडाटूर (एम) | आंध्र प्रदेश |
| 248. | कुतुबुल्लापुर (एम) | आंध्र प्रदेश |
| 249. | राजामुंदरी (एम+ओजी) | आंध्र प्रदेश |
| 250. | राजेन्द्र नगर (एम+ओजी) | आंध्र प्रदेश |
| 251. | रामागुंडम (एम+ओजी) | आंध्र प्रदेश |
| 252. | सिकंदराबाद केंट बोर्ड (सीबी) | आंध्र प्रदेश |
| 253. | सेरीलिंगमपल्ली (एम) | आंध्र प्रदेश |
| 254. | श्रीकाकुलम (एम+ओजी) | आंध्र प्रदेश |
| 255. | टाडेपल्लीगुडम (एम) | आंध्र प्रदेश |
| 256. | तेनाली (एम) | आंध्र प्रदेश |
| 257. | तिरुपति (एम+ओजी) | आंध्र प्रदेश |
| 258. | उप्पलकला (एम+ओजी) | आंध्र प्रदेश |
| 259. | विजयवाड़ा (एम+ओजी) | आंध्र प्रदेश |
| 260. | विशाखापट्टनम (एम+ओजी) | आंध्र प्रदेश |
| 261. | विजयनगरम (एम+ओजी) | आंध्र प्रदेश |
| 262. | वारांगल (एम+ओजी) | आंध्र प्रदेश |
| 263. | अहमदाबाद (एम+ओजी) | गुजरात |
| 264. | आनंद (एम+ओजी) | गुजरात |
| 265. | भड़ोच (एम+ओजी) | गुजरात |
| 266. | भावनगर (एम+ओजी) | गुजरात |
| 267. | भुज (एम+ओजी) | गुजरात |
| 268. | बोटाड (एम) | गुजरात |
| 269. | गांधी धाम (एम) | गुजरात |
| 270. | गांधी नगर (एनएसी) | गुजरात |
| 271. | घाट लोधिया (एम+ओजी) | गुजरात |
| 272. | गोधरा (एम+ओजी) | गुजरात |
| 273. | जामनगर (एम+ओजी) | गुजरात |
| 274. | जयपुर नवागढ़ (एम) | गुजरात |
| 275. | जूनागढ़ (एम+ओजी) | गुजरात |
| 276. | कलोल (एम+ओजी) | गुजरात |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 277. | महशाना (एम+ओजी) | गुजरात |
| 278. | मौरवी (एम+ओजी) | गुजरात |
| 279. | नदियाद (एम+ओजी) | गुजरात |
| 280. | नवसारी (एम+ओजी) | गुजरात |
| 281. | पालनपुर (एम+ओजी) | गुजरात |
| 282. | पाटन (एम+ओजी) | गुजरात |
| 283. | पोरबन्दर (एम+ओजी) | गुजरात |
| 284. | राजकोट (एम कार्पोरेशन+ओजी) | गुजरात |
| 285. | सूरत (एम कार्पोरेशन+ओजी) | गुजरात |
| 286. | सुरेन्द्रनगर दुधराज (एम) | गुजरात |
| 287. | वड़ोदरा (एम कार्पोरेशन+ओजी) | गुजरात |
| 288. | बेजलपुर (एम+ओजी) | गुजरात |
| 289. | वीरावल (एम+ओजी) | गुजरात |
| 290. | बंगलौर (एम कार्पोरेशन+ओजी) | कर्नाटक |
| 291. | बलगांव (एम कार्पोरेशन+ओजी) | कर्नाटक |
| 292. | बैल्लैरी (सीएमसी) | कर्नाटक |
| 293. | भगरावती (सीएमसी) | कर्नाटक |
| 294. | बीधर (सीएमसी+ओजी) | कर्नाटक |
| 295. | बीजापुर (सीएमसी+ओजी) | कर्नाटक |
| 296. | बोमनहल्ली (सीएमसी+ओजी) | कर्नाटक |
| 297. | ब्याटरायारायनपुर (सीएमसी+ओजी) | कर्नाटक |
| 298. | चिकमंगलूर (सीएमसी) | कर्नाटक |
| 299. | चित्रादुर्ग (सीएमसी+ओजी) | कर्नाटक |
| 300. | दसराहल्ली (सीएमसी+ओजी) | कर्नाटक |
| 301. | देवनगिरी (सीएमसी) | कर्नाटक |
| 302. | गदजबेटीगेरी (सीएमसी) | कर्नाटक |
| 303. | गंगावती (सीएमसी+ओजी) | कर्नाटक |
| 304. | गुलवर्गा (एम कार्पोरेशन+ओजी) | कर्नाटक |
| 305. | हसन (सीएमसी+ओजी) | कर्नाटक |
| 306. | होसपेट (सीएमसी) | कर्नाटक |
| 307. | हुबलीधारवाड़ (एम कार्पोरेशन) | कर्नाटक |
| 308. | कोलर (सीएमसी) | कर्नाटक |
| 309. | कुष्णाराजापुरा (सीएमसी) | कर्नाटक |
| 310. | महादेवापुरा (सीएमसी+ओजी) | कर्नाटक |
| 311. | मंडिया (सीएमसी) | कर्नाटक |
| 312. | मंगलौर (एम कार्पोरेशन+ओजी) | कर्नाटक |
| 313. | मैसूर (एम कार्पोरेशन+ओजी) | कर्नाटक |
| 314. | पाटनगिरी (सीएमसी+ओजी) | कर्नाटक |
| 315. | रायचूर (सीएमसी) | कर्नाटक |
| 316. | रोबर्डसनपेट (सीएमसी+ओजी) | कर्नाटक |
| 317. | शिवमोगा (सीएमसी) | कर्नाटक |
| 318. | तुमपुर (सीएमसी) | कर्नाटक |
| 319. | कुदुपी (सीएमसी+ओजी) | कर्नाटक |
| 320. | अलापपुझा (एम+ओजी) | केरल |
| 321. | चेरथाला (एम+ओजी) | केरल |
| 322. | कनहैंगड (एम+ओजी) | केरल |
| 323. | कोच्ची (एम कार्पोरेशन+ओजी) | केरल |
| 324. | कोल्लम (एम कार्पोरेशन+ओजी) | केरल |
| 325. | कोटायम (एम+ओजी) | केरल |
| 326. | कोजीकोडे (एम कार्पोरेशन+ओजी) | केरल |
| 327. | पल्लाकड (एम+ओजी) | केरल |
| 328. | तिरुवनंतपुरम (एम कार्पोरेशन+ओजी) | केरल |
| 329. | त्रिचूर (एम कार्पोरेशन) | केरल |
| 330. | अचलपुर (एमसीआई) | महाराष्ट्र |
| 331. | अहमदनगर (एमसीआई) | महाराष्ट्र |
| 332. | अकोला (एमसीआई) | महाराष्ट्र |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 333. | अम्बरनाथ (एमसीआई) | महाराष्ट्र |
| 334. | अमरावती (एम कार्पोरेशन) | महाराष्ट्र |
| 335. | औरंगाबाद (एम कार्पोरेशन) | महाराष्ट्र |
| 336. | बर्सी (एमसीआई) | महाराष्ट्र |
| 337. | भिवंडी (एमसीआई) | महाराष्ट्र |
| 338. | भूसावल (एमसीआई) | महाराष्ट्र |
| 339. | बीड (एमसीआई) | महाराष्ट्र |
| 340. | चन्द्रपुर (एमसीआई) | महाराष्ट्र |
| 341. | धुले (एमसीआई) | महाराष्ट्र |
| 342. | गोंडिया (एमसीआई) | महाराष्ट्र |
| 343. | ग्रेटर मुंबई (एम कार्पोरेशन) | महाराष्ट्र |
| 344. | इच्चल करंजी (एमसीआई) | महाराष्ट्र |
| 345. | जलगांव (एमसीआई) | महाराष्ट्र |
| 346. | जालना (एमसीआई) | महाराष्ट्र |
| 347. | कल्याणधोम बीबली (एम कार्पोरेशन) | महाराष्ट्र |
| 348. | कोल्हापुर (एम कार्पोरेशन) | महाराष्ट्र |
| 349. | लातुर (एमसीआई) | महाराष्ट्र |
| 350. | मालेगांव (एमसीआई) | महाराष्ट्र |
| 351. | मीराभायंदर (एमसीआई) | महाराष्ट्र |
| 352. | नागपुर (एम कार्पोरेशन) | महाराष्ट्र |
| 353. | नालासोपारा (एमसीआई) | महाराष्ट्र |
| 354. | नांदेड वघेला (एम कार्पोरेशन) | महाराष्ट्र |
| 355. | नासिक (एम कार्पोरेशन) | महाराष्ट्र |
| 356. | नवघर मानिकपुर (एमसीआई) | महाराष्ट्र |
| 357. | नवी मुंबई (एम कार्पोरेशन) | महाराष्ट्र |
| 358. | पनवेल (एमसीआई) | महाराष्ट्र |
| 359. | परबनी (एमसीआई) | महाराष्ट्र |
| 360. | पिंपरी-चिंचवाड (एम कार्पोरेशन) | महाराष्ट्र |
| 361. | पूणे (एम कार्पोरेशन) | महाराष्ट्र |
| 362. | सांघली मीराजउपवाड (एम कार्पोरेशन) | महाराष्ट्र |
| 363. | सतारा (एमसीआई) | महाराष्ट्र |
| 364. | शोलापुर (एम कार्पोरेशन) | महाराष्ट्र |
| 365. | थाणे (एम कार्पोरेशन) | महाराष्ट्र |
| 366. | उल्लासनगर (एम कार्पोरेशन) | महाराष्ट्र |
| 367. | विरार (एमसीआई) | महाराष्ट्र |
| 368. | वर्धा (एमसीआई) | महाराष्ट्र |
| 369. | यवतमाल (एमसीआई) | महाराष्ट्र |
| 370. | ओजूकरई (एम) | पुडुचेरी |
| 371. | पुडुचेरी (एम+ओजी) | पुडुचेरी |
| 372. | एलनदूर (एम) | तमिलनाडु |
| 373. | अम्बाटूर (एम) | तमिलनाडु |
| 374. | अवाड़ी (एम) | तमिलनाडु |
| 375. | चेन्नई (एम कार्पोरेशन) | तमिलनाडु |
| 376. | कोयम्बटूर (एम कार्पोरेशन) | तमिलनाडु |
| 377. | कुडालोल (एम) | तमिलनाडु |
| 378. | डिंडीगुल (एम) | तमिलनाडु |
| 379. | ईरोड (एम) | तमिलनाडु |
| 380. | कांचीपुरम (एम) | तमिलनाडु |
| 381. | कुम्बाकोनम (एम) | तमिलनाडु |
| 382. | मदुरै (एम) | तमिलनाडु |
| 383. | नागरकोईल (एम) | तमिलनाडु |
| 384. | निवेली (टीएस) | तमिलनाडु |
| 385. | पल्लवरम (एम) | तमिलनाडु |
| 386. | पुडुकोट्टई (एम) | तमिलनाडु |
| 387. | राजपलायम (एम) | तमिलनाडु |
| 388. | सलेम (एम) | तमिलनाडु |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 389. | ताम्बरम (एम) | तमिलनाडु |
| 390. | तंजावुर (एम) | तमिलनाडु |
| 391. | टूटूकुडी (एम) | तमिलनाडु |
| 392. | तिरुचुरापल्ली (एम) | तमिलनाडु |
| 393. | तिरुनेवेली (एम) | तमिलनाडु |
| 394. | तिरुपुर (एम) | तमिलनाडु |
| 395. | तिरुवन्नामलाई (एम) | तमिलनाडु |
| 396. | तिरुओतीयू (एम) | तमिलनाडु |
| 397. | वेल्लोर (एम) | तमिलनाडु |
| 398. | भिंड (एम) | मध्य प्रदेश |
| 399. | भोपाल (एम) | मध्य प्रदेश |
| 400. | बुरहनपुरति | मध्य प्रदेश |
| 401. | छतरपुर (एम+ओजी) | मध्य प्रदेश |
| 402. | छिंदवाड़ा (एम+ओजी) | मध्य प्रदेश |
| 403. | दामोह (एम+ओजी) | मध्य प्रदेश |
| 404. | देवास (एम) | मध्य प्रदेश |
| 405. | गुना (एम) | मध्य प्रदेश |
| 406. | ग्वालियर (एम) | मध्य प्रदेश |
| 407. | इंदौर (एम कार्पोरेशन+ओजी) | मध्य प्रदेश |
| 408. | जबलपुर (एम कार्पोरेशन+ओजी) | मध्य प्रदेश |
| 409. | खंडवा (एम कार्पोरेशन) | मध्य प्रदेश |
| 410. | खरगोन (एम+ओजी) | मध्य प्रदेश |
| 411. | मंदसौर (एम+ओजी) | मध्य प्रदेश |
| 412. | मुरैना (एम) | मध्य प्रदेश |
| 413. | मुरवाड़ा (कटनी) (एम कार्पोरेशन) | मध्य प्रदेश |
| 414. | नीमच (एम+ओजी) | मध्य प्रदेश |
| 415. | रतलाम (एम कार्पोरेशन) | मध्य प्रदेश |
| 416. | रीवा (एम कार्पोरेशन) | मध्य प्रदेश |
| 417. | सागर (एम कार्पोरेशन+ओजी) | मध्य प्रदेश |
| 418. | सतना (एम कार्पोरेशन+ओजी) | मध्य प्रदेश |
| 419. | शिवपुरी (एम) | मध्य प्रदेश |
| 420. | सिंगरौली (एम कार्पोरेशन) | मध्य प्रदेश |
| 421. | उज्जैन (एम कार्पोरेशन+ओजी) | मध्य प्रदेश |
| 422. | विदिसा (एम) | मध्य प्रदेश |
| 423. | अजमेर (एमसीआई) | राजस्थान |
| 424. | अलवर (एमसीआई+ओजी) | राजस्थान |
| 425. | व्यावर (एमसीआई+ओजी) | राजस्थान |
| 426. | भरतपुर (एमसीआई+ओजी) | राजस्थान |
| 427. | भीलवाड़ा (एमसीआई) | राजस्थान |
| 428. | बीकानेर (एमसीआई) | राजस्थान |
| 429. | चुरु (एम+ओजी) | राजस्थान |
| 430. | गंगानगर (एमसीआई+ओजी) | राजस्थान |
| 431. | हनुमानगढ़ (एम) | राजस्थान |
| 432. | जयपुर (एम कार्पोरेशन) | राजस्थान |
| 433. | झुनझुनू (एम) | राजस्थान |
| 434. | जोधपुर (एम कार्पोरेशन+ओजी) | राजस्थान |
| 435. | किशनगढ़ (एम) | राजस्थान |
| 436. | कोटा (एम कार्पोरेशन) | राजस्थान |
| 437. | पाली (एमसीआई) | राजस्थान |
| 438. | सवाई माधोपुर (एम+ओजी) | राजस्थान |
| 439. | सीकर (एमसीआई+ओजी) | राजस्थान |
| 440. | टोंक (एमसीआई) | राजस्थान |
| 441. | उदयपुर (एमसीआई) | राजस्थान |

## जनजातियों हेतु रोजगार योजनाएं

**183. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों के लाभ हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सृजित किये गये अवसरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं से कितने अनुसूचित जनजाति परिवारों को लाभ मिला है;

(ग) क्या सरकार का विचार आदिवासियों को टेलीविजन मरम्मत तथा कार चालन जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी):** (क) से (घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु कई केन्द्रीय क्षेत्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं/कार्यक्रम चलाता है। मंत्रालय की इन योजनाओं/कार्यक्रमों का संबंध सभी जनजातियों हेतु आय-एवं-रोजगार सृजन संभाव्यता, महत्वपूर्ण अवसंरचना के निर्माण, शैक्षिक विकास तथा साक्षरता में सुधार से है।

राज्य सरकारों एवं गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से इस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित ''जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण'' की योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति युवकों को उनके कौशल उन्नयन हेतु विभिन्न आधुनिक/परंपरागत ट्रेडों में प्रशिक्षण दिये जाते हैं ताकि वे उपयुक्त रोजगार अथवा स्वरोजगार प्राप्त कर सकें। विगत तीन वर्षों में इस योजना के तहत 19,235 अनुसूचित जनजाति युवकों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस योजना के तहत स्थापित व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र टी.वी. ठीक करने, कार चलाने तथा उस क्षेत्र की रोजगार संभाव्यता के आधार पर अन्य पाठ्यक्रमों सहित आधुनिक/परंपरागत कौशल कार्यों हेतु पाठ्यक्रम चलाते हैं।

## रीयल एस्टेट निवेश न्यास

**184. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रीयल एस्टेट निवेश न्यास बनाने के विकल्प पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 2007 में सार्वजनिक टिप्पणियों हेतु एक संकल्पना पत्र तथा एक प्रारूप सेबी (स्थावर संपदा निवेश न्यास) विनियम, 2008 सेबी की वेबसाइट पर डाला था। मामले पर अभी विचार किया जाना है।

## शहरी गरीबों हेतु रोजगार गारंटी योजना

**185. श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शहरी गरीबों के लिए एक रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने इस संबंध में सरकार को कोई सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी शैलजा):** (क) और (ख) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी स्कीम शुरू करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।

(ग) और (घ) योजना आयोग ने इस संबंध में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को कोई सुझाव नहीं दिया है।

## सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन

**186. श्री प्रदीप माझी:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किस प्रकार यह मिशन जलवायु परिवर्तन/वैश्विक तापन के मुद्दों से निपटेगा?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत आठ राष्ट्रीय

मिशनों में से एक है। इस मिशन में भवनों में ऊर्जा क्षमता, शहरी नियोजन, ठोस व द्रव्य कचरे के उन्नत प्रबंधन व पुनचर्क्रण तथा विद्युत उत्पादन, सार्वजनिक परिवहन की ओर झुकाव तथा संरक्षण में सुधार करके सतत पर्यावास को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। इसमें अवस्थापना के सुधार, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन तथा अत्यधिक खराब मौसम के लिए अग्रिम चेतावनी प्रणाली में सुधार के उपाय करके मौसम परिवर्तन के अनुकूल पर्यावास क्षमता में सुधार लाने का भी प्रयास किया गया है। यह मिशन विधिक और विनियामक ढांचे में समुचित परिवर्तन, शहर नियोजन में सतत विकास, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहन, क्षमता निर्माण, प्रायोगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के मार्फत कार्यान्वित किया जाना है।

**चैकों का समाशोधन**

**187. श्री नामा नागेश्वर रावः**
**डॉ. मन्दा जगन्नाथः**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को अनुदेश दिये हैं कि एक शहर के सभी चैकों का उसी दिन तथा आउटस्टेशन चैकों को अगले दिन तक समाशोधन करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्धारित अवधि के अंदर चैकों को समाशोधित नहीं कर पाने की स्थिति में अर्थदंड लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमो नारायन मीणा ):** (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंकों को ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। तथापि, आरबीआई ने दिनांक 9.2.2007 और 19.7.2007 के अपने परिपत्रों के जरिये बैंकों को परामर्श दिया है कि वे, स्थानीय और बाह्य दोनों चैकों के संग्रहण के लिए स्पष्ट रूप से समय-सीमा का उल्लेख करते हुए स्थानीय और बाह्य चैकों के संबंध में अपनी स्वयं की चैक संग्रहण नीतियां (सीसीपी) बनाएं। नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, वह समय जब तक बैंक के शाखा पटलों पर प्राप्त चैक उसी दिन संग्रहण के लिए भेजे जाएंगे, वह समय जब ग्राहक के खाते में राशि जमा कर दी जाएगी और वह समय जब ग्राहक उक्त राशि का प्रयोग कर सकेगा, दर्शाने होंगे। बैंकों को यह परामर्श भी दिया गया है कि स्थानीय समाशोधन के लिए चैक भेजने की समय-सीमा शाखा के लेन-देन समय की समाप्ति के समान रूप होनी चाहिए जिससे ग्राहक समाशोधन प्रक्रिया की पारदर्शी तस्वीर देख सकें।

इसके अतिरिक्त, ''चैक समाशोधन में विलम्ब'' से संबंधित एक मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेशों के परिणामस्वरूप, आरबीआई ने नवम्बर 2008 में बैंकों को परामर्श दिया कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थानीय चैकों के लिए, डेबिट और क्रेडिट उसी दिन अथवा अधिकतम उनको प्रस्तुत किये जाने के अगले दिन हो जाए, अपनी सीसीपी को संशोधित करें। राज्य की राजधानियों/प्रमुख शहरों/अन्य स्थानों पर आहरित चैकों के संग्रह के लिए अधिकतम समय-सीमा क्रमशः 7/10/14 दिन निर्धारित की गई है। संग्रहण में समय-सीमा से अधिक विलम्ब के लिए, बैंकों को सीसीपी में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज देना होगा। यदि सीसीपी में कोई दर विनिर्दिष्ट नहीं की गई है, तो लागू दर तदनुरूपी परिपक्वता के लिए मीयादी जमाओं पर ब्याज दर होगी। बैंकों को, ग्राहक द्वारा मांग न उठाए जाने पर भी, प्रतिपूर्ति भुगतान करना होगा।

**विदेशों में जमा राशि**

**188. डॉ. एम. तम्बिदुरईः**
**श्री प्रहलाद जोशीः**
**श्री अनुराग सिंह ठाकुरः**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जर्मन एवं स्वीस बैंकों सहित विदेशों में भारतीय नागरिकों की काफी बड़ी राशि काले धन के रूप में जमा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशी बैंकों में जमा राशि को वापस लाने के लिए किसी कार्यवाही पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम ):** (क) और (ख) भारतीय नागरिकों की काले धन के रूप में विदेशों में जमा राशि के कोई प्रामाणिक आंकड़े नहीं है;

(ग) से (ङ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुसार भारत का कोई भी निवासी व्यक्ति रिजर्व बैंक की सामान्य या विशेष अनुमति के बिना भारत से बाहर कोई खाता न तो रख सकता/न ही चला सकता है। जब कभी किसी निवासी भारतीय व्यक्ति द्वारा विदेश में अवैध रूप से खाता रखने के संदेह का कोई मामला प्रवर्तन निदेशालय की जानकारी में आता है तो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (फेमा) और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत उचित कार्रवाई की जाती है।

जब कभी विदेशी बैंक खातों में निधियों को अवैध रूप से रखने की सूचना मिलती है तो संबंधित व्यक्तियों/पक्षों को इस प्रकार धारित निधियों को भारत वापस लाने के लिए समुचित निदेश जारी किये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त सरकार ने दोहरे कराधान के परिहार (डीटीएए) के लिए करार पर वार्ता/पुन: वार्ता के लिए अपने प्रयासों को बढ़ा दिया है जिसमें सूचना के आदान-प्रदान के लिए अनुच्छेद हो जिसके माध्यम से भारतीय कर कानूनों के अंतर्गत उचित कार्रवाई के लिए विदेशों से कर संबंधित सूचना प्राप्त की जा सके।

*[हिन्दी]*

**बंजर भूमि का वितरण**

**189. श्री बृजभूषण शरण सिंह:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कुल कितनी अनुपजाऊ और बंजर भूमि है;

(ख) इस बंजर भूमि को उर्वरक बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस भूमि को भूमिहीन गरीबों में वितरित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी):** (क) राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी (एन.आर.एस.ए.), हैदराबाद द्वारा तैयार किए गए ''भारत की बंजरभूमि संबंधी एटलस-2005'' के अनुसार देश में बंजरभूमि का कुल क्षेत्रफल अनुमानत: 55.27 मि.है. है। इसमें 12.117 मि.है. अकृष्य ऊसर/चट्टानी/सीधी ढलान वाला/बर्फ आच्छादित क्षेत्र है और 12.655 मि.है. अवक्रमित वनों का क्षेत्र है। बंजरभूमि तथा ऊसर भूमि का राज्य-वार क्षेत्रफल संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) भूमि संसाधन विभाग वनेतर बंजरभूमि को विकसित करने, सूखे से प्रभावित क्षेत्र को सूखे से मुक्त करने तथा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए तीन मांग आधारित कार्यक्रमों नामत: समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) को वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। 01.04.2008 से इन कार्यक्रमों को समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) के तहत समेकित तथा संशोधित किया गया है। मृदा तथा नमी संरक्षण कार्य, जल एकत्रण, वनीकरण, चरागाह विकास तथा बागवानी भूमि आधारित मुख्य कार्यकलाप हैं।

(ग) और (घ) संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची-II) की प्रविष्टि सं. 18 के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार भूमि और इसका प्रबंधन राज्य सरकारों के विधायी तथा प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में केन्द्र सरकार की भूमिका केवल सलाहकारी एवं समन्वयकारी स्वरूप की है। तथापि, सरकारी बंजरभूमि के वितरण सहित भूमि सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा समय-समय पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व मंत्रियों/सचिवों के सम्मेलनों सहित विभिन्न मंचों पर की जाती है।

यह स्वीकार्य नीति रही है कि सरकार के स्वामित्व वाली बंजरभूमि को पात्र ग्रामीण गरीबों के बीच वितरित किया जाना चाहिए। पात्र ग्रामीण गरीबों को सरकारी बंजरभूमि वितरित करने के लिए राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया गया है। उनसे बंजरभूमि को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रमों के अंतर्गत विकसित करने के लिए भी अनुरोध किया गया है।

'भूमिहीनों को बंजरभूमि वितरित करने' को भारत सरकार के पुन: बनाए गए बीस सूत्री कार्यक्रम, 2006 (टी.पी.पी.-2006), जिसे 1.4.2007 से लागू किया गया है, में शामिल किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2007-08 के दौरान भूमिहीनों को 3.04 लाख हैक्टेयर बंजरभूमि वितरित की गई थी तथा अप्रैल, 2008 से जनवरी, 2009 तक 1.03 लाख है. बंजरभूमि वितरित की गई है।

*विवरण*

*बंजरभूमि का राज्य-वार वितरण*

(क्षेत्र मिलियन है. में)

| क्र.सं. | राज्य | शामिल किए गए जिलों में बंजरभूमि का कुल क्षेत्रफल | कुल ऊसर भूमि (ऊसर/चट्टानी/ सीधी ढलान वाला/ बर्फ आच्छादित क्षेत्र) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 4.527 | 0.316 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1.818 | 1.099 |
| 3. | असम | 1.403 | 0.000 |
| 4. | बिहार | 0.544 | 0.022 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 0.758 | 0.041 |
| 6. | गोवा | 0.053 | 0.006 |
| 7. | गुजरात | 2.038 | 0.017 |
| 8. | हरियाणा | 0.327 | 0.009 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 2.834 | 1.825 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 7.020 | 5.996 |
| 11. | झारखंड | 1.117 | 0.045 |
| 12. | कर्नाटक | 1.354 | 0.143 |
| 13. | केरल | 0.179 | 0.021 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 5.713 | 0.086 |
| 15. | महाराष्ट्र | 4.928 | 0.321 |
| 16. | मणिपुर | 1.317 | 0.000 |
| 17. | मेघालय | 0.341 | 0.006 |
| 18. | मिजोरम | 0.447 | 0.000 |
| 19. | नागालैण्ड | 0.371 | 0.001 |
| 20. | उड़ीसा | 1.895 | 0.082 |
| 21. | पंजाब | 0.117 | 0.000 |
| 22. | राजस्थान | 10.145 | 0.525 |
| 23. | सिक्किम | 0.381 | 0.306 |
| 24. | त्रिपुरा | 0.132 | 0.000 |
| 25. | तमिलनाडु | 1.730 | 0.136 |
| 26. | उत्तराखण्ड | 1.610 | 1.061 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 1.698 | 0.039 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 0.440 | 0.018 |
| 29. | संघ राज्य क्षेत्र | 0.031 | 0.005 |
| | योग | 55.269 | 12.117 |

स्रोत: आई.आर.एस.-एल.आई.एस.एस. 3 आंकड़ों के आधार पर 1:50,000 के पैमाने पर तैयार किए गए बंजरभूमि नक्शे-2003

*[अनुवाद]*

**सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्वास्थ्य बीमा तथा पेंशन योजना**

**190. डॉ. मन्दा जगन्नाथ:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों का विचार ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य बीमा तथा पेंशन योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक इन योजनाओं को कार्यान्वित कर दिया जाएगा?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा):** (क) बीमा अधिनियम, 1938 के अंतर्गत, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) में पंजीकृत भारतीय बीमा कंपनियां ही बीमा पालिसियां जारी कर सकती हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स, यूनियन बैंक आफ इंडिया तथा आईडीबीआई बैंक ने आईआरडीए के अनुमोदन से जीवन बीमा कंपनियां प्रवर्तित की हैं। इलाहाबाद बैंक तथा इंडियन ओवरसीज बैंक ने साधारण बीमा कंपनी प्रवर्तित की है। जीवन बीमा कंपनियों तथा साधारण बीमा कंपनियों दोनों को स्वास्थ्य बीमा करने की अनुमति दी गई है। जीवन बीमा कंपनियों को पेंशन उत्पाद भी देने की अनुमति दी गई है। आईआरडीए को जीवन बीमा कंपनी प्रवर्तित करने के लिए

बैंक आफ बड़ौदा तथा आंध्रा बैंक से और साधारण बीमा कंपनी प्रवर्तित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। आईआरडीए को एकल स्वास्थ्य बीमा कंपनी प्रारम्भ करने के लिए सरकारी क्षेत्र के किसी भी बैंक से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रवर्तित जीवन एवं साधारण बीमा कंपनियों द्वारा उपलब्ध की जा रही (स्वास्थ्य एवं पेंशन) पालिसियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

***विवरण***

*जीवन बीमा कंपनियां*

| क्र.सं. | कंपनी का नाम | उत्पाद का नाम | पेंशन/स्वास्थ्य |
|---|---|---|---|
| 1. | आईडीबीआई फोर्टिज लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. | आईडीबीआई फोर्टिज इनकमश्यूरेंस इमीजियेट एन्यूटी | पेंशन |
| 2. | आईडीबीआई फोर्टिज लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. | आईडीबीआई फोर्टिज रिटायरश्यूरेंस पेंशन प्लान | पेंशन |
| 3. | स्टार यूनियन दाई-ची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. | एसयूडी लाइफ इमीजियेट एन्यूटी प्लान | पेंशन |
| 4. | स्टार यूनियन दाई-ची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. | एसयूडी लाइफ ध्रुव तारा (यूनिट लिंक्ड पेंशन प्लान) | पेंशन |
| 5. | केनरा एचएसबीसी ओरियंटल बैंक आफ कामर्स लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. | केनरा एचएसबीसी ओरियंटल बैंक आफ कामर्स इमीजिएट पेंशन प्लान | पेंशन |
| 6. | केनरा एचएसबीसी ओरियंटल बैंक आफ कामर्स लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. | केनरा एचएसबीसी ओरियंटल बैंक आफ कामर्स लाइफ यूनिट लिंक्ड पेंशन प्लान | पेंशन |
| 7. | एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. | एसबीआई लाइफ-लाइफलांग पेंशन (समूह के लिए) | पेंशन |
| 8. | एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. | एसबीआई लाइफ-लाइफलांग पेंशन (समूह के लिए) | पेंशन |
| 9. | एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. | एसबीआई लाइफ-होराईजन 2 पेंशन | पेंशन |
| 10. | एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. | एसबीआई लाइफ-यूनिट प्लस 2 पेंशन | पेंशन |
| 11. | एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. | एसबीआई लाइफ-ग्रुप इमीजिएट एन्यूटी | पेंशन |
| 12. | एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. | एसबीआई लाइफ स्वर्ण जीवन | पेंशन |
| 13. | एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. | एसबीआई लाइफ ग्रुप कृति 9 प्लान | स्वास्थ्य |
| **जीवनेतर बीमा कंपनियां** | | | |
| 1. | यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कं. | आपात सुरक्षा बीमा पालिसी<br>ग्रुप हैल्थ इंश्योरेंस पालिसी<br>व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पालिसी<br>आईओबी-हैल्थकेयरप्लस | स्वास्थ्य |

## किसान ऋण राहत योजना

**191. श्री कीर्ति आजाद:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऋण माफी योजना के लाभों का उन किसानों तक विस्तार कर दिया गया है जिन्होंने आंशिक रूप से अपना ऋण अदा कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा):** (क) से (ग) केन्द्रीय बजट 2008-09 में घोषित कृषि ऋण माफी और ऋण राहत (एडीडब्ल्यूडीआर) योजना, 2008 में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

(1) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा 31 मार्च, 2007 तक संवितरित और 31 दिसम्बर, 2007 को अतिदेय सभी कृषि ऋणों को इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा।

(2) सीमांत किसानों (1 हेक्टेयर तक जोत वाले) और छोटे किसानों (1-2 हेक्टेयर) के लिए उन सभी ऋणों की पूर्ण माफी होगी जो 31 दिसम्बर, 2007 को अतिदेय हो गए थे और जो 29 फरवरी, 2008 तक अदत्त रहे। अन्य किसानों के संबंध में सभी ऋणों के लिए एकबारगी निपटान योजना होगी जो 31 दिसम्बर, 2007 को अतिदेय हो गए और जो 29 फरवरी, 2008 तक अदत्त रहे। एकबारगी निपटान के अंतर्गत 75% शेष भुगतान के एवज में 25% की छूट दी जाएगी।

(3) बैंकों द्वारा विशेष पैकेजों के माध्यम से 2004 और 2006 में कृषि ऋण पुनर्संरचित और पुनर्निर्धारित किये गये थे। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार सामान्य प्रक्रिया में यह पुनर्संरचित ऋण और अन्य पुनर्संरचित ऋण भी या तो माफी के अथवा इसी पद्धति पर एकबारगी निपाटन के पात्र होंगे।

सभी उपधारकर्ता किसान, जिनमें वे किसान भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने ऋण आंशिक रूप से चुका दिये हैं, इस योजना में शामिल किये जाते हैं, बशर्ते उन्होंने योजना के उपर्युक्त मानदण्डों को पूरा किया हो।

## विश्व दाय स्थल

**192. श्री एन.एस.वी. चित्तन:**
**श्री सज्जन वर्मा:**

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु और मध्य प्रदेश स्थित देश में विश्व दाय स्थलों का विकास कार्य करना शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थलवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के 'मांडू' नामक पर्यटन स्थल को भी विश्व दाय स्थलों की सूची में शामिल किया गया है और लुमुंडा टेकरी नामक पर्यटन स्थल पर रोपवे लगाकर उसका विकास कार्य शुरू किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान विश्व दाय स्थलों के लिए राज्य-वार और स्थलवार कितनी धनराशि आवंटित और खर्च की गई?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) से (घ) पर्यटक स्थलों का विकास मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्ष के दौरान, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में यूनेस्को विश्व दाय स्थलों पर निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं:

1. वर्ष 2007-08 के दौरान, मध्य प्रदेश के सांची के गंतव्य विकास के लिए 463.50 लाख रुपए।
2. वर्ष 2007-08 के दौरान, खजुराहो, मध्य प्रदेश में मंदिर के पश्चिमी समूह के विकास के लिए 419.67 लाख रुपए।
3. वर्ष 2008-09 के दौरान, मामलापुरम, तमिलनाडु में ट्रैफिक इंटरचेंज नोड-सह-पर्यटक सुगमीकरण केन्द्र के निर्माण के लिए 273.03 लाख रुपए।

मांडू यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नहीं है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, मध्य प्रदेश में मांडू के विकास के लिए निम्नलिखित परियोजना को स्वीकृति दी है:

1. वर्ष 2008-09 के दौरान मांडू (चरण-2) के गंतव्य विकास के लिए 426.84 लाख रुपये।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विश्व दाय स्थलों सहित पर्यटन के विकास एवं संवर्धन के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

***विवरण***

*वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं को दर्शाता हुआ विवरण*

(लाख रुपयों में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2006-07 | | 2007-08 | | 2008-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत परियोजनाओं की सं. | स्वीकृत राशि | स्वीकृत परियोजनाओं की सं. | स्वीकृत राशि | स्वीकृत परियोजनाओं की सं. | स्वीकृत राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 3 | 1540.56 | 9 | 2629.48 | 7 | 9980.58 |
| 2. | असम | 9 | 2453.39 | 5 | 1271.90 | 4 | 2107.61 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 12 | 1887.80 | 10 | 3330.12 | 13 | 3147.20 |
| 4. | बिहार | 2 | 1937.29 | 3 | 1194.75 | 9 | 1798.45 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 16 | 3540.17 | 4 | 1274.09 | 1 | 1133.82 |
| 6. | गोवा | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4314.91 |
| 7. | गुजरात | 7 | 443.65 | 5 | 576.58 | 7 | 2133.66 |
| 8. | हरियाणा | 5 | 1836.16 | 11 | 2260.27 | 7 | 2495.49 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 8 | 1871.00 | 12 | 2286.22 | 9 | 2977.66 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 29 | 5233.82 | 36 | 6851.15 | 25 | 3827.57 |
| 11. | झारखंड | 3 | 956.35 | 7 | 1130.47 | 0 | 0.00 |
| 12. | कर्नाटक | 4 | 1323.89 | 5 | 2004.71 | 4 | 4273.21 |
| 13. | केरल | 18 | 4474.02 | 10 | 3124.31 | 12 | 4269.52 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 10 | 3668.47 | 16 | 3952.66 | 11 | 3141.11 |
| 15. | महाराष्ट्र | 13 | 2839.05 | 5 | 1279.44 | 3 | 4110.05 |
| 16. | मणिपुर | 9 | 939.35 | 5 | 1110.77 | 9 | 2943.84 |
| 17. | मेघालय | 9 | 1435.29 | 2 | 674.40 | 6 | 1238.54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | मिजोरम | 9 | 2613.38 | 5 | 1692.94 | 4 | 318.38 |
| 19. | नागालैंड | 8 | 2340.32 | 21 | 2241.35 | 11 | 2544.66 |
| 20. | उड़ीसा | 13 | 2826.84 | 12 | 2376.30 | 6 | 4115.38 |
| 21. | पंजाब | 13 | 3223.37 | 1 | 397.89 | 3 | 1968.10 |
| 22. | राजस्थान | 8 | 953.84 | 2 | 1554.46 | 8 | 4189.56 |
| 23. | सिक्किम | 13 | 2609.42 | 27 | 6036.48 | 23 | 7076.38 |
| 24. | तमिलनाडु | 11 | 1866.41 | 13 | 2831.80 | 15 | 3595.72 |
| 25. | त्रिपुरा | 4 | 291.27 | 11 | 1110.76 | 6 | 360.94 |
| 26. | उत्तराखंड | 16 | 1907.50 | 5 | 2081.04 | 3 | 4468.72 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 7 | 3329.06 | 7 | 2833.03 | 6 | 3839.64 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 10 | 2978.32 | 12 | 3243.17 | 9 | 3319.33 |
| 29. | अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30. | चंडीगढ़ | 2 | 15.00 | 2 | 20.00 | 5 | 799.11 |
| 31. | दादरा एवं नगर हवेली | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 24.88 |
| 32. | दिल्ली | 5 | 2400.09 | 7 | 749.08 | 1 | 15.00 |
| 33. | दमन एवं दीव | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 |
| 34. | लक्षद्वीप | 1 | 7.00 | 1 | 782.73 | 0 | 0.00 |
| 35. | पुडुचेरी | 1 | 500.00 | 6 | 1610.88 | 4 | 252.80 |
| | योग | 278 | 64242.08 | 277 | 64513.23 | 237 | 90794.32 |

**एसजीएसवाई के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि**

**193. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से चालू वित्त वर्ष के दौरान स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन):** (क) से (ग) जी, नहीं। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2009-10 के दौरान आंध्र प्रदेश सहित किसी भी राज्य से ऐसा कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

**राज्य सामुद्रिक बोर्ड**

**194. श्री हरिन पाठक:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य सामुद्रिक बोर्ड/पत्तन प्राधिकरणों पर कर लगाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को संबंधित राज्यों से राज्य सामुद्रिक बोर्डों को आयकर के दायरे से बाहर रखने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम ):** (क) से (ग) वित्त अधिनियम, 2002 के जरिये धारा 10 के खण्ड (20) के अंतर्गत 'स्थानीय प्राधिकरण' की परिभाषा को सीमित किया गया ताकि केवल पंचायतों, नगरपालिकाओं, नगरपालिका समिति एवं जिला बोर्डों एवं छावनी बोर्डों को शामिल किया जा सके। इस संशोधन को 1 अप्रैल 2003 से प्रभावी बनाया गया। इस प्रकार पत्तन न्यास/राज्य समुद्री बोर्ड जैसी संस्थाएं उक्त धारा के अंतर्गत उपलब्ध छूट के दायरे से बाहर हो गईं। उपर्युक्त संशोधन दसवीं योजना के लिए कर नीति एवं कर प्रशासन पर गठित सलाहकार समूह की सिफारिश पर आधारित था जिसने आयकर अधिनियम की धारा 10(20) के अंतर्गत प्रदत्त छूट को हटाने को सुझाव दिया था। उदार कर व्यवस्था से संगत छूटों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता पर विचार करते हुए प्रतिबंधात्मक परिभाषा अपनाई गई। तथापि, पंचायतों, नगरपालिकाओं, नगरपालिका समिति आदि के मामले में छूट को बरकरार रखा गया क्योंकि वे स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं।

पत्तन न्यास/राज्य समुद्री बोर्ड के लिए कर छूट को बहाल करने की मांग करने वाले अभ्यावेदन प्राप्त हुए। इन अनुरोधों की जांच की गई तथा इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया। उदार कर व्यवस्था से असंगत छूटों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता को देखते हुए 'स्थानीय प्राधिकरण' शब्द की प्रतिबंधात्मक परिभाषा अपनाई गई।

चूंकि नीति की अनिवार्यताएं फिलहाल वहीं हैं, इसलिए पत्तन न्यास/राज्य समुद्री बोर्ड को छूट की बहाली पर विचार नहीं किया जा रहा है।

**ऋण वसूली अधिकरणों का कार्यनिष्पादन**

**195. श्री सुरेश कलमाडी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वसूली न किये जाने के कारण सृजित सरकारी क्षेत्र के बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एन.पी.ए.) का ब्यौरा क्या है;

(ख) वसूली या गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में परिवर्तन से संबंधित कितने मामले ऋण वसूली अधिकरणों तथा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को भेजे गए और ऋण वसूली हेतु क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऋण वसूली अधिकरण के माध्यम से कितने मामलों का निपटान किया गया;

(घ) संख्या में वृद्धि/कमी के क्या कारण हैं; और

(ङ) उन पर क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमो नारायन मीणा ):** (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की निवल अनुप्रयोज्य आस्तियां (एनपीए) संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

***विवरण***

*सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अनुप्रयोज्य आस्तियां (करोड़ रुपए)*

| क्र.सं. | बैंक का नाम | निवल अनुप्रयोज्य आस्तियां | | |
|---|---|---|---|---|
| | | मार्च 2007 | मार्च 2008 | मार्च 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | इलाहाबाद बैंक | 470 | 418 | 437 |
| 2. | आंध्रा बैंक | 54 | 54 | 80 |
| 3. | बैंक ऑफ बड़ौदा | 999 | 1009 | 970 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 4. | बैंक ऑफ इंडिया | 603 | 557 | 834 |
| 5. | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 277 | 254 | 272 |
| 6. | केनरा बैंक | 1026 | 898 | 1350 |
| 7. | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 878 | 1060 | 1063 |
| 8. | कार्पोरेशन बैंक | 152 | 106 | 144 |
| 9. | देना बैंक | 365 | 215 | 313 |
| 10. | आईडीबीआई बैंक लि. | 887 | 925 | 949 |
| 11. | इंडियन बैंक | 100 | 96 | 81 |
| 12. | इंडियन ओवरसीज बैंक | 244 | 339 | 946 |
| 13. | ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स | 198 | 518 | 494 |
| 14. | पंजाब एंड सिंध बैंक | 77 | 67 | 78 |
| 15. | पंजाब नैशनल बैंक | 801 | 754 | 73 |
| 16. | सिंडिकेट बैंक | 391 | 621 | 631 |
| 17. | यूको बैंक | 1006 | 1092 | 813 |
| 18. | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 601 | 126 | 193 |
| 19. | यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया | 333 | 306 | 525 |
| 20. | विजया बैंक | 144 | 182 | 292 |
| 21. | स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर | 223 | 209 | 253 |
| 22. | स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद | 59 | 160 | 227 |
| 23. | भारतीय स्टेट बैंक | 5217 | 7252 | 8850 |
| 24. | स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर | 159 | 134 | 193 |
| 25. | स्टेट बैंक ऑफ मैसूर | 66 | 81 | 114 |
| 26. | स्टेट बैंक ऑफ पटियाला | 217 | 197 | 247 |
| 27. | स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र | 78 | 111 | * |
| 28. | स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर | 268 | 268 | 188 |
| | योग | 15893 | 18009 | 20620 |

स्रोत: मार्च, 2009 के लिए बैंक डॉटा द्वारा प्रस्तुत की गई स्थलेत्तर विवरणियां लेखा परीक्षित नहीं हैं और अनंतिम हैं।

*अब स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलयित है।

**कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना**

**196. श्री के.सी. वेणुगोपाल:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल राज्य सरकार से कायमकुलम ताप विद्युत संयंत्र के विस्तार हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी):** (क) से (ग) जी हां।

एनटीपीसी ने उचित मूल्य/शर्तों पर गैस की उपलब्धता के अधीन 1950 मेगावाट तक स्टेज-2 के अंतर्गत केरल में मौजूदा 350 मेगावाट राजीव गांधी कम्बाइंड साइकल पावर स्टेशन (आरजीसीसीपीएस) के विस्तार का प्रस्ताव रखा है।

1950 स्टेज-2 विस्तार परियोजना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली (आईसीवी) मार्ग के माध्यम से प्राप्त किये जाने वाले ईंधन के रूप में आरएलएनजी पर विचार करते हुए 7584.51 करोड़ रुपये (आधार-दूसरी तिमाही, 2002 मूल्य व गैर-मेगावाट) की अनुमानित लागत पर फरवरी, 2003 में तैयार की गई थी। एनटीपीसी ने रीगैसीफाइड लिक्वीफाइड प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी)/लिक्वीफाइड नैचुरल गैस (एलएनजी) की प्राप्ति हेतु आईसीबी प्रक्रिया का अनुपालन किया था। तथापि, कोई संपूर्ण बोली प्राप्त नहीं हुई थी।

ईंधन (आरएलएनजी) आपूर्ति करार पर हस्ताक्षर करने तथा पूरे वर्ष निरंतर आधार पर परियोजना के लिए जल की अबाधित आपूर्ति हेतु केरल सरकार की पुष्टि प्राप्त होने के पश्चात् व्यवहार्यता रिपोर्ट का अद्यतन कार्य तथा अन्य स्वीकृतियों के लिए प्रक्रिया, शुरू की जाएगी।

**सेबी द्वारा प्रयुक्त निगरानी तंत्र**

**197. श्री बलीराम जाधव:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) म्यूचुअल फंड कंपनियों का निरीक्षण करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सेबी द्वारा कौन सी प्रक्रिया और निगरानी तंत्र को अपनाया जा रहा है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान किये गये ऐसे निरीक्षणों का ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा):** (क) जी, हां।

(ख) म्यूचुअल फंड की संरचना में आस्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी), न्यासी तथा प्रायोजक शामिल हैं। न्यासी आस्ति प्रबंधन समितियों द्वारा आवधिक रिपोर्टिंग के माध्यम से एएमसी का अनुवीक्षण करता है। विनियमों में यह अपेक्षित है कि न्यासी प्रत्येक दो कैलेंडर महीनों में कम से कम एक बार बैठक करें तथा उन्हें एएमसी से कोई भी सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। सेबी एएमसी के ऑनसाईट तथा ऑफसाईट, दोनों प्रकार के क्रियाकलापों का अनुवीक्षण भी करता है। सेबी म्यूचुअल फंडों के आवधिक निरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक भी नियुक्त करता है। इसके अतिरिक्त, एएमसी द्वारा आवधिक प्रस्तुतीकरणों जैसे द्विमासिक अनुपालन परीक्षण रिपोर्टें, अर्धवार्षिक/वार्षिक लेखे, विज्ञापनों की प्रतियां तथा न्यासियों द्वारा अर्द्धवार्षिक न्यासी रिपोर्टों के माध्यम से, सेबी एएमसी के क्रियाकलापों का अनुवीक्षण करता है।

(ग) 1.7.2003 से 30.6.2007 की अवधि के दौरान, सेबी द्वारा 59 सक्रिय निधियों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर, सेबी ने सेबी विनियमों/दिशानिर्देशों के उल्लंघनों के परिमाण तथा गंभीरता के आधार पर म्यूचुअल फंडों को चेतावनी पत्र तथा त्रुटि पत्र जारी किये थे।

*[हिन्दी]*

**आई.सी.डी.एस. योजना**

**198. श्रीमती सुमित्रा महाजन:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) योजना में कुछ बदलाव लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार आई.सी.डी.एस. योजना के अंतर्गत धनराशि आवंटन बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो संभावित वृद्धि की प्रतिशतता कितनी है;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में राज्यवार कितनी धनराशि संस्वीकृत, आवंटित और प्रयोग में लाई गई;

(च) क्या सरकार का विचार आई.सी.डी.एस. योजना में सरकारी-निजी भागीदारी शुरू करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री ( श्रीमती कृष्णा तीरथ ):** (क) और (ख) सरकार ने समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम में सुधार करने के लिए हाल ही में कई उपाय किए हैं, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक जनसंख्या वाली बस्तियों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए स्कीम का सर्वसुलभीकरण, पूरक पोषण के मानकों सहित मौजूदा लागत मानकों में संशोधन, पूरक पोषण के पोषाहारीय तथा आहार मानकों में संशोधन शामिल हैं। इसके अलावा, सरकार ने आंगनवाड़ी स्तर पर फ्लैक्सी फंड का प्रावधान, आंगनवाड़ी कार्यकर्मियों हेतु यूनिफार्म एवं बैज का प्रावधान तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए विकास मानकों की शुरूआत भी की है।

(ग) और (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग एवं व्यय की गति के अनुसार स्कीम के मानकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष राशि का आवंटन एवं निर्मुक्ति की जाती है।

(ङ) आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत राशि का आवंटन राज्य-वार नहीं किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान तथा मौजूदा वर्ष (30.06.2009 तक) में राशि की वर्ष-वार निर्मुक्ति एवं उपयोग इस प्रकार है:

(रुपये करोड़ों में)

| क्र.सं. | वर्ष | निर्मुक्ति एवं उपयोग |
|---|---|---|
| 1. | 2006-07 | 4316.47 |
| 2. | 2007-08 | 5256.75 |
| 3. | 2008-09 | 6381.79 |
| 4. | 2009-10 (30.6.2009 तक) | 1828.78 |

गत तीन वर्षों के दौरान तथा मौजूदा वर्ष में आई.सी.डी.एस. (सामान्य) स्कीम तथा पूरक पोषण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त राशि दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(च) और (छ) केन्द्रीय स्तर पर ऐसी कोई नीति नहीं है। तथापि, कुछ राज्यों ने आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत सेवा प्रदायगी में निगमित क्षेत्रों को सीमित तरीके से भागीदार बनाया है।

***विवरण I***

*आई.सी.डी.एस. स्कीम (सामान्य) के अंतर्गत निर्मुक्त राशि का राज्य-वार ब्यौरा*

(रुपये लाखों में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | निर्मुक्ति 2006-07 | निर्मुक्ति 2007-08 | निर्मुक्ति 2008-09 | निर्मुक्ति 2009-10 (29.6.2009 तक) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 21877.67 | 26015.86 | 27163.56 | 7253.82 |
| 2. | बिहार | 20976.12 | 21909.01 | 17508.23 | 8345.54 |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 4561.5 | 9498.18 | 8992.46 | 3118.22 |
| 4. | गोवा | 397.96 | 507.00 | 406.56 | 405.46 |
| 5. | गुजरात | 12732.62 | 11050.69 | 16491.86 | 4397.93 |
| 6. | हरियाणा | 6015.49 | 7115.76 | 8455.60 | 1899.06 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 2882.29 | 3802.02 | 8232.21 | 1750.63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | जम्मू और कश्मीर | 5410.99 | 8001.09 | 4557.80 | 2283.63 |
| 9. | झारखण्ड | 7845.37 | 9191.01 | 9776.60 | 3306.29 |
| 10. | कर्नाटक | 19122.28 | 13934.16 | 19473.26 | 5042.61 |
| 11. | केरल | 8115.91 | 9687.99 | 15020.66 | 3164.39 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 13002.16 | 26458.36 | 29168.81 | 6695.05 |
| 13. | महाराष्ट्र | 20433.15 | 25105.71 | 31996.55 | 8109.83 |
| 14. | उड़ीसा | 12137.96 | 15129.70 | 16934.58 | 4508.22 |
| 15. | पंजाब | 5861.62 | 5316.95 | 9125.15 | 2160.11 |
| 16. | राजस्थान | 13809.14 | 12885.03 | 19486.76 | 4956.80 |
| 17. | तमिलनाडु | 12786.6 | 15608.35 | 18163.08 | 5414.60 |
| 18. | उत्तराखण्ड | 1676.39 | 2690.52 | 4627.72 | 1205.67 |
| 19. | उत्तर प्रदेश | 24768.42 | 37189.40 | 54349.16 | 15269.10 |
| 20. | पश्चिम बंगाल | 17182.73 | 23845.30 | 33616.96 | 8547.40 |
| 21. | दिल्ली | 1379.78 | 1569.21 | 3885.71 | 677.57 |
| 22. | पुडुचेरी | 195.22 | 234.36 | 332.37 | 222.47 |
| 23. | अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह | 174.11 | 241.55 | 299.10 | 238.66 |
| 24. | चण्डीगढ़ | 163.41 | 189.39 | 250.94 | 167.92 |
| 25. | दादरा व नगर हवेली | 62.33 | 68.70 | 85.87 | 102.74 |
| 26. | दमन व दीव | 56.78 | 48.00 | 58.81 | 43.63 |
| 27. | लक्षद्वीप | 38.34 | 64.63 | 62.87 | 31.03 |
| 28. | अरुणाचल प्रदेश | 3145.86 | 3302.60 | 3395.68 | 668.70 |
| 29. | असम | 16077.475 | 8582.93 | 26033.82 | 3723.73 |
| 30. | मणिपुर | 3631.405 | 3203.17 | 2888.69 | 761.32 |
| 31. | मेघालय | 2114.925 | 1289.14 | 1817.13 | 426.00 |
| 32. | मिजोरम | 1573.255 | 1210.29 | 1603.55 | 677.88 |
| 33. | नागालैंड | 2471.215 | 1697.65 | 2527.14 | 454.37 |
| 34. | सिक्किम | 782.6 | 553.31 | 884.29 | 796.19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35. | त्रिपुरा | 4475.41 | 3406.26 | 2975.26 | 375.78 |
| 36. | जीवन बीमा निगम | 1200.00 | 200.00 | 670.36 | |
| | कुल | 269138.48 | 310803.27 | 401319.16 | 107202.35 |

## *विवरण II*

*पूरक पोषण के अंतर्गत निर्मुक्त राशि का राज्य-वार ब्यौरा*

(रुपये लाखों में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | निर्मुक्ति 2006-07 | निर्मुक्ति 2007-08 | निर्मुक्ति 2008-09 | निर्मुक्ति 2009-10 (29.6.2009 तक) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 9052.04 | 13718.25 | 18994.92 | 3419.18 |
| 2. | बिहार | 11828.92 | 19192.72 | 15346.08 | 5331.23 |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 2953.64 | 10452.14 | 5429.43 | 1519.54 |
| 4. | गोवा | 175.41 | 169.52 | 123.83 | 110.75 |
| 5. | गुजरात | 4297.21 | 3855.01 | 7464.33 | 1815.69 |
| 6. | हरियाणा | 2829.56 | 5216.72 | 5143.00 | 854.05 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 629.63 | 1017.58 | 2282.58 | 340.56 |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | 653.20 | 917.69 | 697.98 | 297.96 |
| 9. | झारखण्ड | 11154.47 | 6997.88 | 6545.80 | 1827.43 |
| 10. | कर्नाटक | 9407.65 | 9298.19 | 10936.42 | 2594.70 |
| 11. | केरल | 3666.11 | 3979.14 | 5597.50 | 882.35 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 5770.97 | 18263.25 | 8290.06 | 3971.28 |
| 13. | महाराष्ट्र | 8443.33 | 16770.11 | 20646.17 | 4253.37 |
| 14. | उड़ीसा | 6646.40 | 6295.06 | 8729.46 | 3191.64 |
| 15. | पंजाब | 3138.07 | 1691.46 | 2282.68 | 875.03 |
| 16. | राजस्थान | 8571.57 | 11067.07 | 10957.94 | 2519.25 |
| 17. | तमिलनाडु | 3451.94 | 3521.89 | 5428.14 | 1087.03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. | उत्तराखण्ड | 41902.48 | 47968.74 | 57090.72 | 14197.19 |
| 19. | उत्तर प्रदेश | 1347.89 | 2367.65 | 1202.36 | 439.49 |
| 20. | पश्चिम बंगाल | 5916.07 | 14392.25 | 16810.6 | 3638.30 |
| 21. | दिल्ली | 93.67 | 67.45 | 108.78 | 38.04 |
| 22. | पुडुचेरी | 154.76 | 46.17 | 96.87 | 65.52 |
| 23. | अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह | 22.59 | 96.57 | 47.33 | 30.97 |
| 24. | चण्डीगढ़ | 13.74 | | 27.48 | 17.03 |
| 25. | दादरा व नगर हवेली | 39.91 | 27.75 | 50.92 | 33.04 |
| 26. | दमन व दीव | 694.29 | 516.47 | 1417.03 | 579.16 |
| 27. | लक्षद्वीप | 55.03 | 200.64 | 82.97 | 87.50 |
| 28. | अरुणाचल प्रदेश | 879.60 | 461.37 | 326.68 | 613.56 |
| 29. | असम | 3711.54 | 3376.61 | 10541.20 | 13239.86 |
| 30. | मणिपुर | 914.32 | 926.30 | 1129.16 | 1107.73 |
| 31. | मेघालय | 1023.42 | 1007.99 | 1362.96 | 1258.87 |
| 32. | मिजोरम | 488.97 | 535.20 | 766.71 | 1489.95 |
| 33. | नागालैंड | 1188.71 | 991.99 | 1303.31 | 1070.06 |
| 34. | सिक्किम | 95.77 | 64.68 | 95.53 | 443.78 |
| 35. | त्रिपुरा | 707.69 | 759.54 | 774.40 | 943.50 |
| | कुल | 151920.57 | 206231.05 | 228131.33 | 74184.59 |

*[अनुवाद]*

**पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत गांवों को सम्मिलित करना**

**199. श्री पूर्णमासी राम:**
**श्री जी.एम. सिद्देश्वर:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी धनराशि जारी की गई, उपयोग में लाई गई तथा कुल कितनी लंबी सड़कें बनाई गई;

(ख) योजना के अंतर्गत राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार अभी तक कितने गांवों को सड़कों से जोड़ा गया और कितने गांवों को अभी जोड़ा जाना बाकी है;

(ग) क्या देश में शेष गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए कोई समय-सीमा और लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन):** (क) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष 2009-10 (मई, 2009 तक) के दौरान रिलीज की गई, उपयोग की गई निधियों एवं निर्मित सड़कों की लंबाई के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 166,938 बसावटें पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कवरेज की पात्र थीं, जिनमें से मार्च, 2009 तक 61,233 बसावटें सड़कों से जोड़ी गई हैं। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र शेष बसावटों को वर्ष 2014-15 तक सड़कों से जोड़े जाने की उम्मीद है।

***विवरण I***

*वर्ष 2006-07 से 2009-10 (मई, 2009 तक) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार रिलीज, व्यय राशि और पूरी की गई लंबाई*

| क्र.सं. | राज्य | 2006-07 | | | 2007-08 | | | 2008-09 | | | 2009-10 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | रिलीज | व्यय | पूरी की गई लंबाई | रिलीज | व्यय | पूरी की गई लंबाई | रिलीज | व्यय | पूरी की गई लंबाई | रिलीज | व्यय | पूरी की गई लंबाई |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 155.09 | 265.27 | 2194.94 | 316.57 | 381.89 | 1656.80 | 470.60 | 494.47 | 1885.00 | 200.00 | 31.19 | 51.00 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 54.22 | 64.15 | 272.05 | 102.03 | 131.76 | 271.90 | 104.49 | 152.01 | 317.43 | 50.00 | 15.90 | 147.61 |
| 3. | असम | 431.05 | 461.66 | 1546.97 | 555.00 | 608.75 | 1141.00 | 967.32 | 1007.05 | 1985.11 | 300.00 | 151.51 | 514.94 |
| 4. | बिहार | 524.48 | 458.36 | 1078.54 | 701.15 | 580.68 | 1665.35 | 1022.62 | 1067.54 | 2532.20 | 308.34 | 162.03 | 165.46 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 708.52 | 652.01 | 2988.89 | 1050.89 | 932.50 | 2719.36 | 964.12 | 863.34 | 2427.08 | 323.06 | 218.05 | 1033.74 |
| 6. | गोवा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | गुजरात | 117.20 | 109.51 | 585.80 | 144.56 | 156.99 | 830.24 | 229.67 | 255.26 | 1262.07 | 177.80 | 27.75 | 121.27 |
| 8. | हरियाणा | 200.43 | 136.52 | 373.55 | 216.21 | 216.51 | 670.21 | 272.02 | 313.09 | 969.87 | 58.41 | 34.96 | 171.99 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 139.90 | 288.59 | 1502.93 | 320.58 | 281.98 | 1555.20 | 268.90 | 240.51 | 1360.10 | 53.95 | 33.86 | 307.56 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 0.00 | 35.24 | 46.82 | 72.20 | 105.09 | 140.69 | 190.66 | 190.71 | 469.80 | 0.00 | 19.34 | 112.83 |
| 11. | झारखंड | 56.83 | 56.76 | 308.60 | 0.00 | 63.18 | 277.15 | 208.67 | 211.47 | 214.97 | 100.00 | 35.57 | 149.99 |
| 12. | कर्नाटक | 45.73 | 132.52 | 366.45 | 271.49 | 349.12 | 1427.01 | 634.63 | 550.37 | 2099.13 | 188.00 | 165.46 | 912.20 |
| 13. | केरल | 15.00 | 25.19 | 77.27 | 24.68 | 61.32 | 100.54 | 82.29 | 84.41 | 240.22 | 77.11 | 8.72 | 9.41 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 1150.00 | 1007.69 | 3788.50 | 1615.66 | 1358.73 | 5231.45 | 1877.10 | 2198.06 | 7893.72 | 412.22 | 211.98 | 459.02 |
| 15. | महाराष्ट्र | 103.42 | 218.75 | 1599.23 | 563.96 | 637.33 | 2942.19 | 1030.00 | 929.98 | 4138.65 | 134.18 | 186.97 | 475.30 |
| 16. | मणिपुर | 0.00 | 13.42 | 199.55 | 76.17 | 64.28 | 265.99 | 20.00 | 37.97 | 78.95 | 5.00 | 4.86 | 106.98 |
| 17. | मेघालय | 0.00 | 16.75 | 38.35 | 0.00 | 15.59 | 52.47 | 35.70 | 12.64 | 30.80 | 0.00 | 0.49 | 3.55 |
| 18. | मिजोरम | 27.00 | 37.85 | 146.81 | 19.39 | 59.47 | 207.43 | 65.00 | 54.55 | 195.18 | 8.58 | 9.34 | 30.41 |
| 19. | नागालैंड | 0.00 | 32.63 | 9.50 | 12.51 | 20.42 | 398.42 | 85.71 | 87.31 | 298.53 | 33.00 | 9.54 | 78.50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | उड़ीसा | 624.59 | 582.81 | 2069.85 | 546.83 | 677.41 | 1836.04 | 1251.38 | 1163.01 | 2641.00 | 283.53 | 216.39 | 608.92 |
| 21. | पंजाब | 80.63 | 79.94 | 440.50 | 360.21 | 366.95 | 1036.49 | 243.42 | 269.02 | 751.62 | 72.10 | 58.42 | 218.27 |
| 22. | राजस्थान | 1141.67 | 1228.89 | 6261.63 | 1646.64 | 1455.44 | 9887.50 | 1771.32 | 1695.54 | 10349.93 | 260.00 | 74.69 | 724.63 |
| 23. | सिक्किम | 36.26 | 43.86 | 204.22 | 170.46 | 88.81 | 142.47 | 55.00 | 103.99 | 308.57 | 50.00 | 18.16 | 23.96 |
| 24. | तमिलनाडु | 20.00 | 68.09 | 519.03 | 71.03 | 108.65 | 747.90 | 88.68 | 127.87 | 609.59 | 100.00 | 67.74 | 78.05 |
| 25. | त्रिपुरा | 71.43 | 40.82 | 175.61 | 130.00 | 155.60 | 59.51 | 359.98 | 315.77 | 361.27 | 84.49 | 42.76 | 19.34 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 325.19 | 709.93 | 2656.39 | 1222.15 | 1201.04 | 3551.98 | 1660.78 | 2000.07 | 6461.02 | 660.00 | 263.70 | 1647.22 |
| 27. | उत्तराखंड | 12.79 | 67.00 | 105.89 | 78.74 | 99.73 | 842.08 | 114.89 | 152.79 | 645.60 | 0.00 | 13.92 | 103.97 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 123.69 | 470.06 | 1197.58 | 544.69 | 439.47 | 1573.81 | 623.44 | 583.18 | 1877.11 | 150.00 | 67.58 | 85.85 |
| | योग | 6165.12 | 7304.27 | 30710.44 | 10833.80 | 10618.69 | 41231.17 | 14698.39 | 15161.98 | 52404.51 | 4089.77 | 2150.88 | 8361.96 |

रिलीज में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत शुरू किये गये कार्यों के लिए राज्यों को रिलीज की गई निधियां शामिल हैं।

***विवरण II***

| क्र.सं. | राज्य | पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कवरेज की पात्र बसावटें | राज्य योजनाओं के अंतर्गत कवर/ व्यवहार्य नहीं होने की सूचना | मार्च, 2009 तक पीएमजीएसवाई के अंतर्गत जुड़ी बसावटें | पीएमजीएसवाई के अंतर्गत जोड़े जाने वाली शेष बसावटें |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 980 | 67 | 864 | 49 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 466 | 15 | 198 | 253 |
| 3. | असम | 12185 | 1316 | 4427 | 6442 |
| 4. | बिहार | 10034 | 0 | 2543 | 7491 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 9855 | 0 | 4302 | 5553 |
| 6. | गोवा | 20 | 0 | 2 | 18 |
| 7. | गुजरात | 3661 | 371 | 1726 | 1564 |
| 8. | हरियाणा | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 3861 | 119 | 1725 | 2017 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 2792 | 68 | 309 | 2415 |
| 11. | झारखंड | 10006 | 2236 | 1221 | 6549 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. | कर्नाटक | 274 | 5 | 269 | 0 |
| 13. | केरल | 454 | 19 | 292 | 143 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 19615 | 0 | 8480 | 11135 |
| 15. | महाराष्ट्र | 1925 | 364 | 1032 | 529 |
| 16. | मणिपुर | 598 | 0 | 110 | 488 |
| 17. | मेघालय | 756 | 0 | 153 | 603 |
| 18. | मिजोरम | 251 | 6 | 76 | 169 |
| 19. | नागालैंड | 116 | 3 | 60 | 53 |
| 20. | उड़ीसा | 18339 | 208 | 4738 | 13393 |
| 21. | पंजाब | 536 | 9 | 406 | 121 |
| 22. | राजस्थान | 11235 | 385 | 10213 | 637 |
| 23. | सिक्किम | 318 | 0 | 97 | 221 |
| 24. | तमिलनाडु | 2402 | 199 | 1926 | 277 |
| 25. | त्रिपुरा | 1952 | 0 | 581 | 1371 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 28842 | 14171 | 9884 | 4787 |
| 27. | उत्तराखंड | 2531 | 92 | 302 | 2137 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 22932 | 0 | 5297 | 17635 |
| | योग | 166938 | 19654 | 61233 | 86051 |

**एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत मजदूरी के भुगतान में विलम्ब**

**200. श्री प्रबोध पांडा:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान नहीं करने/विलम्ब से करने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन):** (क) और (ख) 1.4.2008 से 30.6.2009 तक की अवधि के दौरान एनआरईजीए के तहत 438 शिकायतें मिली हैं। राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | राज्य | प्राप्त शिकायतों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 8 |
| 2. | असम | 11 |
| 3. | बिहार | 43 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 16 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 5. | गुजरात | 4 |
| 6. | हरियाणा | 13 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 8 |
| 8. | झारखंड | 37 |
| 9. | कर्नाटक | 1 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 64 |
| 11. | महाराष्ट्र | 5 |
| 12. | मणिपुर | 2 |
| 13. | उड़ीसा | 12 |
| 14. | पंजाब | 2 |
| 15. | राजस्थान | 47 |
| 16. | तमिलनाडु | 2 |
| 17. | त्रिपुरा | 2 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | 147 |
| 19. | उत्तराखंड | 4 |
| 20. | पश्चिम बंगाल | 10 |
| | कुल | 438 |

(ग) राज्य सरकारों द्वारा एनआरईजीए का कार्यान्वयन प्रत्येक राज्य द्वारा बनाई गई रोजगार गारंटी योजना के अनुसार किया जाता है। जिला, मध्यवर्ती तथा ग्राम स्तर पर पंचायतें मुख्य नियोजन तथा कार्यान्वयन प्राधिकरण हैं। मंत्रालय को मिली सभी शिकायतें संबंधित राज्य सरकार को भेज दी जाती हैं ताकि वह अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उन पर उपयुक्त कार्यवाही कर सके।

*[हिन्दी]*

**एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत समान मजदूरी**

**201. श्री महेश जोशी:**
**श्री एम. राजामोहन रेड्डी:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) के अंतर्गत सभी राज्यों में एक समान दर पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रचलित मजदूरी दर का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत देश में समान न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने हेतु राज्यों के साथ मामले पर बातचीत करने का है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन):** (क) और (ख) जी, नहीं। एनआरईजीए के अंतर्गत सभी राज्यों में मजदूरी का भुगतान समान दर पर नहीं किया जा रहा है। दिनांक 31.12.2008 तक, मजदूरी का भुगतान अधिनियम की धारा 6(2) के अनुसार किया जाता था जिसमें यह प्रावधान है कि कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3 के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी उस क्षेत्र के लिए लागू मजदूरी दर के रूप में मानी जाएगी। दिनांक 1.1.2009 से, केन्द्र सरकार ने एनआरईजी अधिनियम की धारा 6(1) के तहत एनआरईजीए मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी दर अधिसूचित की है। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर कोई प्रश्न नहीं उठता।

***विवरण***

*एनआरईजीए के अंतर्गत मौजूदा मजदूरी दर*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | प्रतिदिन मजदूरी की दर (रुपए में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | असम | 79.60 रु. |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 80.00 रु. |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | क्षेत्र-I (65.00 रु.)<br>क्षेत्र-II (67.00 रु.) |
| 4. | बिहार | 81.00 रु. |
| 5. | गुजरात | 100.00 रु. |
| 6. | हरियाणा | 141.02 रु. |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 100.00 रु. |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | 70.00 रु. |
| 9. | कर्नाटक | 82.00 रु. |
| 10. | केरल | 125.00 रु. |
| 11. | मध्य प्रदेश | 91.00 रु. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 12. | महाराष्ट्र | प्रक्षेत्र I, II, III, IV के लिए क्रमशः 72 रु., 70 रु., 68 रु. तथा 66 रु. |
| 13. | मणिपुर | पर्वतीय तथा घाटी क्षेत्र के लिए 81.40 रु. |
| 14. | मेघालय | 70.00 रु. |
| 15. | मिजोरम | 91.00 रु. |
| 16. | नागालैंड | 100.00 रु. |
| 17. | उड़ीसा | 70.00 रु. |
| 18. | पंजाब | |
| 18(ए) | होशियारपुर | 98.61 रु. |
| 18(बी) | जालंधर | 93.00 रु. |
| 18(सी) | नवांशहर | 94.91 रु. |
| 18(डी) | अमृतसर | 105.00 रु. |
| 19. | राजस्थान | 100.00 रु. |
| 20. | सिक्किम | 100.00 रु. |
| 21. | तमिलनाडु | 80.00 रु. |
| 22. | त्रिपुरा | 85.00 रु. |
| 23. | उत्तर प्रदेश | 100.00 रु. |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 75.00 रु. |
| 25. | छत्तीसगढ़ | 72.23 रु. |
| 26. | झारखण्ड | 92.00 रु. |
| 27. | उत्तराखण्ड | 73.00 रु. |
| 28. | गोवा | 110.00 रु. |
| 29. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | जिला-अंडमान 130.00 रु. जिला-निकोबार 139.00 रु. |
| 30. | दादरा व नगर हवेली | 108.20 रु. |
| 31. | दमन व दीव | 102.00 रु. |
| 32. | लक्षद्वीप | 115.00 रु. |
| 33. | पुडुचेरी | छह घंटे कार्य करने वाले पुरुषों के लिए 80.00 रु. तथा पांच घंटे कार्य करने वाली महिलाओं के लिए 70.00 रु. |
| 34. | चण्डीगढ़ | 140.00 रु. |

**औद्योगिक इकाइयों को ऋण**

**202. श्री संजय सिंह चौहानः** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बैंकों की ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की कमी हुई है;

(ख) क्या सरकार ने बैंकों को औद्योगिक इकाइयों को कम ब्याज दरों पर ऋण देने के लिए अनुदेश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस पर बैंकों की बैंकवार क्या प्रतिक्रिया है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा):** (क) 18 अक्तूबर, 1994 से भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 लाख रु. से अधिक के अग्रिम पर ब्याज दरें अविनियमित की हैं तथा इस प्रकार के अग्रिमों पर ब्याज की दरें स्वयं बैंकों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों की आधार मूल उधार दरें (बीपीएलआर) नीचे दी गई हैं:-

| वर्ष | सरकारी क्षेत्र के बैंकों की आधार मूल उधार दरें (%) |
|---|---|
| मार्च, 2007 | 12.25-12.75 |
| मार्च, 2008 | 12.25-13.50 |
| मार्च, 2009 | 11.50-14.00 |

भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य पालिसी दरों में कमी तथा बदलती आर्थिक परिस्थितियों की प्रतिक्रिया के रूप में, बैंकों ने मार्च, 2009 के पश्चात् अभी ब्याज दरों में कमी की है।

(ख) और (ग) 16 दिसम्बर, 2008 को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा एक विशेष पैकेज की घोषणा की गई थी, जिसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एमएसएमई के लिए ब्याज दरों में कमी सम्मिलित थी। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा 8 दिसम्बर, 2008 तथा 2 जनवरी, 2009 को घोषित प्रोत्साहन पैकेज में एमएसएमई क्षेत्र के लिए कम ब्याज दरों पर पर्याप्त रूप से ऋण प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सिडबी को विशेष पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की गई थी।

**फेमा का उल्लंघन**

**203. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में आज की तारीख के अनुसार विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन के लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्यवार, कंपनीवार ब्यौरा क्या है उसमें कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है तथा ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस संबंध में नोटिस/चेतावनी जारी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम ):** (क) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (फेमा) के प्रावधानों के उल्लंघन के 1278 मामले 31.5.2009 तक प्रवर्तन निदेशालय में न्यायनिर्णयन के लिए लंबित थे।

(ख) गत तीन वर्षों (2007-08, 2008-09 और 2009-10 (31.5.2009 तक) में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में 715 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए जिनमें 38398.95 करोड़ रुपये तक की राशि अन्तर्ग्रस्त थी। तथापि, राज्यवार व कंपनीवार कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) सभी 1278 मामलों में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत न्यायनिर्णय कार्यवाहियां आरम्भ करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। तथापि, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम ''चेतावनी'' जारी करने के लिए प्रावधान उपलब्ध नहीं कराता है।

*[अनुवाद]*

## राजीव रत्न आवास योजना

**204. श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजीव रत्न आवास योजना के उद्देश्य और उसके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) क्या योजना में राज्यों को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत आर्थिक सहायता देने की परिकल्पना की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या समाज के कमजोर वर्गों के लिए योजना का कोई घटक निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान समाज के ऐसे वर्गों के लिए कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री ( कुमारी सैलजा ):** (क) से (ङ) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) उप-मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा राजीव रत्न आवास योजना नाम से कम लागत की एक आवासीय स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। जेएनएनयूआरएम का उद्देश्य शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं, किफायती मूल्यों पर मालिकाना हक, उन्नत आवास, जल आपूर्ति, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा के एकीकृत प्रावधान पर ध्यान केंद्रित करना है। इस स्कीम के सभी घटक समाज के कमजोर वर्गों के लिए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा कार्यान्वित जेएनएनयूआरएम के तहत कम लागत की आवासीय स्कीम के अंतर्गत प्रगति के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

***विवरण***

*राजीव रत्न आवास योजना के अंतर्गत परियोजना की स्थिति*

| परियोजना का नाम | फ्लैटों की सं. | परियोजना लागत | जारी केन्द्र व राज्य अंश | | परियोजनाओं की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | केन्द्र | राज्य | व्यय | वास्तविक उपलब्धियां |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **(क) डीएसआईआईडीसी** | | | | | | |
| 1. बीएसयूपी के अंतर्गत बवाना, नरेला तथा भोरगढ़, दिल्ली में शहरी गरीबों के लिए आवास | एलआईजी 3232<br>ईडब्ल्यूएस 636<br>कुल 3868 | 11327.39 | 1154.17 | 600.00 | 8886.00 | पूर्ण-3868 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | बीएसयूपी के अंतर्गत पूठ खुर्द, दिल्ली में शहरी गरीबों के लिए आवास | ईडब्ल्यूएस 13392 | 30296.88 | 3344.54 | | | (क) भू अधिग्रहण कार्रवाई चल रही है।<br>(ख) डीडीए ने सड़क की अलाइनमेंट को अंतिम रूप नहीं दिया, अत: नियोजन नहीं हो सका।<br>(ग) मकानों का कारपेट एरिया 25 व.मी. से काफी कम है।<br>(घ) डीएसआईआईडीसी ने इस परियोजना को सरेन्डर करने का सुझाव दिया है तथा एक डीपीआर तैयार करके भारत सरकार के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाएगी। |
| 3. | डेरामंडी दिल्ली में स्लम पुनर्स्थापन परियोजना | ईडब्ल्यूएस 9312 | 24929.91 | 2542.61 | – | – | रिज क्षेत्र होने के कारण पर्यावरण विभाग से कोई स्वीकृति नहीं। दिनांक 15.12.08 को मुख्य सचिव दिल्ली की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस परियोजना को बंद करने का निर्णय लिया गया है। |
| 4. | जोनापुर, दिल्ली में स्लम पुनर्स्थापन परियोजना | ईडब्ल्यूएस 6144 | 18868.50 | 1916.54 | – | – | वन विभाग, दिल्ली सरकार से स्वीकृति प्रतीक्षित है। |
| 5. | नंगली सकरावती, नजफगढ़, दिल्ली में स्लम पुनर्स्थापन परियोजना | ईडब्ल्यूएस 480 | 2337.94 | 257.91 | – | – | वन विभाग, दिल्ली सरकार से स्वीकृति प्रतीक्षित है। |
| | उप योग | 33196 | 87760.62 | 9215.77 | 600.00 | 8886.00 | |
| **(ख) डीडीए** | | | | | | | |
| 6. | सिरसपुर गांव, दिल्ली के समीप नरेला फेज-3 में स्लम पुनर्स्थापन परियोजना | ईडब्ल्यूएस 4740 | 19605.57 | 1932.80 | – | – | निविदा आमंत्रित |
| | सकल योग | 37936 | 107365.19 | 11148.57 | 600.00 | 8886.00 | पूर्ण-7900<br>निर्माणाधीन-2912 |

**आयकर वापस करना**

**205. श्री रूद्रमाधव राय:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को आयकर प्रतिदाय को निर्धारिती के खाते में वापस करने में विलम्ब या वापस न करने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम ):** (क) जी, हां। प्रतिदाय आदेश की प्राप्ति में देरी अथवा प्रतिदाय राशि को बैंक खाते में क्रेडिट करने में देरी दोनों से ही संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) (1) वर्तमान में, आयकर विभाग निम्नलिखित तरीके से प्रतिदायों को जारी करता है:

(i) दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलौर और पटना के चयनित प्रभारों में प्रतिदाय बैंकर के माध्यम से। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को सरकारी तौर पर प्रतिदाय बैंकर के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है।

(ii) संबंधित कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा पेपर प्रतिदाय वाउचर जारी करके।

(iii) चुनिन्दा शहरों (अहमदाबाद, हैदराबाद, भुवनेश्वर, मुम्बई, चेन्नई, कानपुर, त्रिवेन्द्रम और इलाहाबाद) में भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय स्टेट बैंक के इलेक्ट्रॉनिक निकासी स्कीम (ईसीएस) के माध्यम से।

(2) प्रतिदाय बैंकर के जरिये भेजे गये प्रतिदाय के संबंध में आयकर प्रतिदाय को, निर्धारिती के खाते में क्रेडिट करने में विलम्ब अथवा क्रेडिट न करने से संबंधित सूचना जैसे कि सिस्टम में सुरक्षित है और आयकर निदेशालय (सिस्टम) के पास उपलब्ध है, नीचे दी गई है। 1.4.2008 से पहले, सूचना को सिस्टम में सुरक्षित नहीं रखा गया था। प्रतिदायों के उपर्युक्त (ii) और (iii) के तहत जारी किये जा रहे प्रतिदायों के लिए ऐसे ब्यौरों को इस समय सिस्टम में सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है।

| अवधि | विलंबित प्रतिदायों/क्रेडिट नहीं किये गये प्रतिदायों की संख्या | शामिल बैंक |
|---|---|---|
| 1.4.2008 31.3.09 | 93 | केनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, महाराष्ट्र बैंक, इलाहाबाद बैंक, सिंडीकेट बैंक, स्टैण्डर्ड चार्टर्ड |
| 1.4.09 15.6.09 | 24 | बैंक, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, सिटी बैंक। |

(3) प्रतिदायों में विलम्ब एवं उन्हें क्रेडिट न किये जाने के मामले इसलिए होते हैं क्योंकि संबंधित बैंक कई बार क्रेडिट अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिदायों को वापस करने के लिए इसीएस नियम का अनुपालन नहीं करते हैं। निदेशालय एवं भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इसके कारगर समाधान हेतु मामला दर मामला आधार पर ऐसे मामलों पर कार्रवाई की जाती है।

(4) प्रतिदाय बैंकर के अन्य सभी मामलों में, प्रतिदायों को आकलन अवधि के एक माह की समय-सीमा के भीतर डिलीवरी कर दिया गया है तथा गलत पते/परिसरों में ताला लगे होने आदि के मामले को छोड़कर इनमें भी सुधार किया जा रहा है।

## जाली मुद्रा

**206. श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जाली मुद्रा के नोट प्रचलन में हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान शिकायतों, पहचान, अभियोजन और दोषसिद्धि का बैंक-वार, स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) नकली नोटों के प्रचलन की बुराई को खत्म करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा):** (क) यह सही है कि कई बैंक शाखाओं में जाली करेंसी नोट होने का पता चला है और समय-समय पर पुलिस प्राधिकारियों द्वारा इनकी जब्ती भी की गई है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सरकार द्वारा देश में जाली भारतीय करेंसी नोटों को रोकने हेतु उठाये गये कदमों में जाली नोटों की तस्करी रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा चौकसी बढ़ाना, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से सुरक्षा विशेषताओं पर सूचना का प्रसार करना और बैंकों के सभी प्रधान कार्यालयों में जाली नोट सतर्कता कक्षों की स्थापना करना शामिल है। बैंक नोटों में अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताएं भी समाविष्ट की गई हैं जिससे नकली करेंसी बनाना कठिन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने जाली करेंसी नोटों के मामलों की जांच की मानीटरिंग करने हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो को केन्द्रक अभिकरण के रूप में नामजद किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंकों द्वारा नकली नोटों का पता लगाने के तंत्र को सुदृढ़ बनाया है।

## एसजीएसवाई के अंतर्गत प्रस्ताव

**207. श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा कितने प्रस्ताव/परियोजनाएं राज्य-वार प्राप्त की गई एवं मंजूर की गई;

(ख) क्या इन परियोजनाओं में कतिपय विशेष परियोजनाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में प्रदत्त वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो लंबित परियोजनाओं/प्रस्तावों को कब तक मंजूर किये जाने की संभावना है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री प्रदीप जैन ):** (क) से (च) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और अन्य एजेंसियों से प्राप्त विशेष परियोजना प्रस्तावों की संख्या और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के लिए रिलीज की गई निधियों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। इस अवधि के दौरान सरकार को प्राप्त 488 परियोजना प्रस्तावों में से 75 परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृत/अनुमोदित किया गया है, 163 परियोजना प्रस्तावों को विभिन्न कारणों से संबधित राज्य सरकारों और अन्य प्रायोजक एजेंसियों को वापस कर दिया गया है और परियोजना जांच-समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव जिन्हें अभी अनुमोदन समिति आदि को भेजा जाना है, सहित 250 परियोजना प्रस्ताव सरकार के पास प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में है।

राज्य सरकारों एवं अन्य एजेंसियों से एसजीएसवाई के अंतर्गत अनेक विशेष परियोजना प्रस्ताव मंजूरी हेतु प्राप्त हुए हैं। चूंकि वे बड़ी जीविकोपार्जक परियोजनाएं हैं जिनकी लागत अधिकतम 15 करोड़ रु. हो सकती है इसलिए एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार उनके अनुपालन हेतु ऐसे प्रस्तावों की जांच की जाती है। जो परियोजनाएं आवश्यक शर्तें पूरी नहीं करती हैं उन्हें संबंधित राज्य सरकारों/प्रायोजक एजेंसियों को वापस कर दी जाती हैं एवं उनके द्वारा उनका सतत संशोधन, पुनर्गठन किया जाता है एवं उन्हें पुन: प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात दिशा-निर्देशों के बुनियादी मानदंडों के अनुरूप परियोजना प्रस्तावों की जांच एवं अनुमोदन के लिए दो अंतर मंत्रालयी समितियों के जरिये उनका मूल्यांकन किया जाता है। संयुक्त सचिव (एसजीएसवाई) की अध्यक्षता में परियोजना पांच समिति (पीएससी) जिसके सदस्य आंतरिक वित्त प्रभाग और योजना आयोग से संबंधित होते हैं, परियोजनाओं की पहले परीक्षण एवं जांच की जाती है। सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में परियोजना अनुमोदन समिति, जिसमें अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सलाहकार (ग्रामीण विकास), योजना आयोग, संयुक्त सचिव (एसजीएसवाई) सदस्य होते हैं, पीएससी द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं पर पूर्ण रूप से विचार करती है और उन्हें अनुमोदित करती है। परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति, प्रायोजक एजेंसियों द्वारा उनका संशोधन और उपर्युक्त दो स्तरीय अंतर-मंत्रालय समितियों के जरिये अनुमोदन एक सतत प्रक्रिया है। एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजनाओं के मौजूदा दिशा-निर्देशों को संशोधन करने का भी प्रस्ताव है ताकि उन्हें वर्तमान प्राथमिकताओं के अनुरूप लाया जा सके। चूंकि प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं अनुमोदन/स्वीकृति एक सतत प्रक्रिया है और यह विभिन्न कारकों जैसे निर्धारित दिशा-निर्देशों को पूरा किया जाना, प्रस्तावों की आर्थिक व्यवहार्यता, बीपीएल के लिए परियोजनाओं पर जोर आदि पर निर्भर करता है, इसलिए ऐसे परियोजना प्रस्तावों की अंतिम स्वीकृति के लिए कोई समय-सीमा नहीं दर्शायी जा सकती।

***विवरण***

(30.06.2009 की स्थिति के अनुसार)
(लाख रु.)

| राज्य | परियोजनाओं की संख्या | | | | अनुमोदित परियोजनाओं के लिए रिलीज की गई निधि |
|---|---|---|---|---|---|
| | कुल प्राप्त | अनुमोदित | लंबित* | वापस | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| आंध्र प्रदेश | 10 | 3 | 3 | 4 | 702.810 |
| अरुणाचल प्रदेश | 30 | 1 | 18 | 11 | 57.480 |
| असम | 11 | 1 | 7 | 3 | 831.690 |
| बिहार | 19 | 4 | 7 | 8 | 1000.220 |
| छत्तीसगढ़ | 14 | 7 | 6 | 1 | 2103.240 |
| गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| गुजरात | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.000 |
| हरियाणा | 8 | 1 | 3 | 4 | 37.500 |
| हिमाचल प्रदेश | 17 | 1 | 10 | 6 | 225.460 |
| जम्मू और कश्मीर | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.000 |
| झारखंड | 19 | 6 | 5 | 8 | 775.620 |
| कर्नाटक | 13 | 3 | 7 | 3 | 336.550 |
| केरल | 11 | 3 | 4 | 4 | 840.500 |
| महाराष्ट्र | 43 | 7 | 25 | 11 | 1574.520 |
| मणिपुर | 30 | 3 | 20 | 7 | 497.420 |
| मेघालय | 3 | 1 | 1 | 1 | 109.560 |
| मिजोरम | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| मध्य प्रदेश | 37 | 3 | 27 | 7 | 1185.880 |
| नागालैंड | 21 | 0 | 16 | 5 | 0.000 |
| उड़ीसा | 31 | 0 | 11 | 20 | 0.000 |
| पंजाब | 13 | 0 | 7 | 6 | 0.000 |
| राजस्थान | 12 | 1 | 7 | 4 | 255.040 |
| सिक्किम | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.630 |
| तमिलनाडु | 8 | 0 | 3 | 5 | 0.000 |
| त्रिपुरा | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| उत्तर प्रदेश | 26 | 5 | 12 | 9 | 1442.920 |
| उत्तराखंड | 13 | 2 | 9 | 2 | 241.760 |
| पश्चिम बंगाल | 21 | 1 | 7 | 13 | 350.710 |
| बहु राज्य | 62 | 21 | 22 | 19 | 7544.380 |
| कुल | 488 | 75 | 250 | 163 | 20213.890 |

*विभिन्न संदर्भित, स्थगित प्रक्रियागत चरणों के अंतर्गत सभी परियोजना प्रस्ताव शामिल हैं।

**आंगनवाड़ी/लघु आंगनवाड़ी केन्द्र**

**208. श्री ए. सम्पत:**
**श्री पी. करुणाकरन:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों में नियुक्त कामगारों को आंगनवाड़ी केन्द्रों में लगे कामगारों की तुलना में कम मजदूरी मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को आंगनवाड़ी/लघु आंगनवाड़ी कामगारों एवं सहायकों से मजदूरी/परिलब्धियां बढ़ाने हेतु कोई अभ्यावेदन/मांग प्राप्त हुई है/

**महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ):** (क) से (ग) आंगनवाड़ी केन्द्रों/लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं को देय मानदेय में वृद्धि करने के बारे में विगत में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने 1.4.2008 से इन कार्यकर्त्रियों के मानदेय में वृद्धि कर दी है। भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त सहायतानुदान में से आंगनवाड़ी केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों को इन दिनों दिया जा रहा मानदेय उनकी अर्हताओं और अनुभव के आधार पर प्रति माह 1438 रुपये से लेकर 1563 रुपये तक है, जबकि आंगनवाड़ी केन्द्रों की आंगनवाड़ी सहायिकाओं तथा लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 750 रुपये प्रति माह की दर से मानदेय दिया जाता है।

*[हिन्दी]*

**हिमाचल प्रदेश को विश्व बैंक सहायता**

**209. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कार्यक्रम संबंधी जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण विकास नीति और क्रियान्वयन के अंतर्गत विश्व बैंक से 450 मिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास मंजूरी हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**लघु बचत योजनाओं की दरों में कमी करना**

**210. शेख सैदुल हक:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में डाकघरों और बैंकों की लघु बचत योजनाओं तथा प्रत्येक ऐसी योजना में जमा धन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन योजनाओं पर लागू ब्याज दरों में कमी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा):** (क) गत तीन वर्षों के दौरान डाकघरों एवं बैंकों में चलाई जा रही लघु बचत योजनाओं तथा प्रत्येक ऐसी योजना में जमा धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये)

| योजना का नाम | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 (अनंतिम) |
|---|---|---|---|
| डाकघर बचत खाता | 35958 | 43161 | 53528 |
| एक वर्षीय सावधि जमा | 16157 | 12007 | 11183 |
| दो वर्षीय सावधि जमा | 727 | 443 | 407 |
| तीन वर्षीय सावधि जमा | 1911 | 968 | 1005 |
| पांच वर्षीय सावधि जमा | 1005 | 625 | 657 |
| आवर्ती जमा | 26333 | 27681 | 28443 |
| मासिक आय खाता | 26460 | 17026 | 23799 |
| वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 | 12854 | 3038 | 1934 |
| राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8 निर्गम) | 8971 | 6285 | 7080 |
| किसान विकास पत्र | 23495 | 14975 | 15708 |
| लोक भविष्य निधि योजना, 1968 | 25953 | 21057 | 13597 |

उपर्युक्त योजनाओं में से, केवल वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 और लोक भविष्य निधि योजना 1968 बैंकों के माध्यम से भी चलाई जा रही हैं।

(ख) और (ग) विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों को संशोधित करने का इस समय कोई विचार नहीं है।

## एटीएम केन्द्र

**211. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने चालू वित्तीय वर्ष एवं अगले दो वर्षों में देश के गावों में स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम) की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, बैंक-वार ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा):** (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वानुमति लिये बिना, उनके द्वारा चयनित केन्द्रों/जगहों पर शाखेतर एटीएम स्थापित करने की सामान्य अनुमति दे दी गयी है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा प्राधिकरण नीति के तहत बैंकों को उन केन्द्रों का निर्णय करने की स्वतंत्रता है, जहां उनकी शाखा/एटीएम खोले जाने हैं और इस संबंध में लिये गये निर्णय उन कारकों, जैसे कारोबार संभाव्यता, व्यवहार्यता, आधारभूत ढांचा की उपलब्धता और लाभप्रदता, इत्यादि पर आधारित होते हैं और इस तरह से यह अलग-अलग बैंक के विवेक पर निर्भर करता है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार चालू वर्ष और अगले दो वर्षों के दौरान, ग्राम स्तर पर खोले जाने के लिए प्रस्तावित एटीएम की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

***विवरण***

*सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रस्तावित ग्राम स्तर पर खुलने वाले एटीएम की संख्या*

| राज्य | आंध्रा बैंक | | बैंक ऑफ इंडिया | | कार्पोरेशन बैंक | | देना बैंक | | इंडियन बैंक | | ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स | | पंजाब नेशनल बैंक | | यूको बैंक | | यूनियन बैंक | | आईडीबीआई | | स्टेट बैंक ऑफ पटियाला | | स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष | अगले 2 वर्ष | चालू वर्ष | अगले 2 वर्ष | चालू वर्ष | अगले 2 वर्ष | चालू वर्ष | अगले 2 वर्ष | चालू वर्ष | अगले 2 वर्ष | चालू वर्ष | अगले 2 वर्ष | चालू वर्ष | अगले 2 वर्ष | चालू वर्ष | अगले 2 वर्ष | चालू वर्ष | अगले 2 वर्ष | चालू वर्ष | अगले 2 वर्ष | चालू वर्ष | अगले 2 वर्ष | चालू वर्ष | अगले 2 वर्ष |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| आंध्र प्रदेश | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| असम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिहार | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| छत्तीसगढ़ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दिल्ली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गोवा | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गुजरात | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| हरियाणा | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| जम्मू और कश्मीर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| झारखंड | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कर्नाटक | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| केरल | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मध्य प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| महाराष्ट्र | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| उड़ीसा | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पुडुचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पंजाब | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| राजस्थान | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| तमिलनाडु | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| उत्तर प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| उत्तराखंड | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पश्चिम बंगाल | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**बीपीएल लोगों की पहचान**

**212. श्री सुशील कुमार सिंह:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बीपीएल) लोगों के अनुमान एवं पहचान करने के लिए क्या मानदण्ड विहित है;

(ख) क्या केन्द्र और राज्य सरकारों के गरीबी आकलन में कोई विभिन्नता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस मामले की जांच करने हेतु किसी समिति का गठन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समिति की संरचना और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री प्रदीप जैन ):** (क) से (ङ) देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का आकलन योजना आयोग द्वारा किया जाता है। योजना आयोग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का निर्धारण करने वाले मानदंड के रूप में प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय पर आधारित गरीबी रेखा का इस्तेमाल करता है। 1973-74 के मूल्यों के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिमाह 49.09 रु. और शहरी क्षेत्रों में 56.64 रु. के प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के रूप में गरीबी रेखा प्रस्तुत की जाती है। इन राष्ट्रस्तरीय गरीबी रेखाओं को निर्धनों के अनुपात और संख्या के आकलन संबंधी विशेषज्ञ समूह (लाकड़ा वाला समिति) की रिपोर्ट में उल्लिखित पद्धति का इस्तेमाल करते हुए राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाओं में विभक्त किया जाता है। 1973-74 की इन राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों के राज्य विशिष्ट उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआईएएल) और शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक कर्मियों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करते हुए अगले 4 वर्ष के लिए अद्यतन बनाया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में उन बीपीएल परिवारों का निर्धारण करने के लिए, जिन्हें इस कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य में रखा जा सकता है, बीपीएल जनगणना कराने की दृष्टि से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। अंतिम बीपीएल जनगणना 2002 में कराई गई थी जिसमें ग्रामीण परिवारों की अंक आधारित रैंकिंग की पद्धति का उपयोग किया गया था और जिसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर 13 सामाजिक आर्थिक मानदण्डों का इस्तेमाल किया गया है।

राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर गरीबी के आकलन के लिए भारत सरकार में योजना आयोग नोडल एजेंसी है। योजना आयोग राज्य विशिष्ट गरीबी रेखा और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा विशेषज्ञ समूह की पद्धति से कराए गए पारिवारिक उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहत नमूना सर्वेक्षण से प्राप्त राज्य विशिष्ट उपभोक्ता व्यय संवितरण के आधार पर राज्य-वार गरीबी का आकलन करता है।

योजना आयोग ने गरीबी आकलन की कार्यपद्धति की समीक्षा करने के लिए दिसम्बर, 2005 में प्रो. सुरेश डी. तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। विशेषज्ञ समूह का गठन एवं इसके विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

*विवरण*

**क. गरीबी के आकलन की प्रक्रियाविधि की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञ समूह का संघटन**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रो. सुरेश डी. तेंदुलकर,<br>डेल्ही स्कूल ऑफ इकोनामिक्स,<br>दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली | – | अध्यक्ष |
| 2. | डा. आर. राधाकृष्णन,<br>निदेशक, इंदिरा गांधी ग्रामीण<br>अनुसंधान संस्थान, मुम्बई | – | सदस्य |
| 3. | प्रो. राघव घइया,<br>प्रबंधन अध्ययन संकाय,<br>दिल्ली विश्वविद्यालय | – | सदस्य |
| 4. | डा. सुरंजन सेनगुप्ता,<br>एई-710, सेक्टर-1,<br>साल्ट लेक, कोलकाता-700064 | – | सदस्य |

**ख. विचारणीय मुद्दे**

1. 50वें, 55वें और 61वें दौर की तुल्यता से संबंधित मुद्दों की जांच करना तथा विगत और भावी सर्वेक्षणों में इस तरह की तुल्यता प्राप्त करने की प्रक्रियाविधि सुझाना।
2. गरीबी की वैकल्पिक अवधारणा, माप की प्रक्रिया की संबद्ध तकनीकी पहलुओं तथा समय सापेक्ष और संपूर्ण राज्यों के लिए प्रक्रिया सहित मूल आकलन के लिए डाटाबेस की समीक्षा करना।
3. उपर्युक्त (2) के मद्देनजर, गरीबी आकलन की मौजूदा सरकारी प्रक्रिया में बदलाव करने की सिफारिश करना।

**आगरा में मेट्रो रेल**

**213. प्रो. रामशंकर:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आगरा में मैट्रो रेल की स्थापना करने की प्रक्रिया विधि को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्रियाविधि को कब तक अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय):** (क) जी, नहीं। आगरा में मेट्रो रेल चलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से भारत सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**ब्याज दर कम करना**

**214. श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को ब्याज दर कम करने का निदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में पीएसबी की प्रतिक्रिया क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा):** (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की पालिसी दरों में कमी तथा आसान नकदी दशाओं से मार्गनिर्देश लेकर सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों, गैर-सरकारी क्षेत्र के अधिकांश बैंकों तथा कुछ विदेशी बैंकों ने अपनी जमा राशि तथा उधार दरों में कमी की है। अक्तूबर, 2008-18 अप्रैल, 2009 के बीच मीयादी जमा दरें सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 125-250 आधार अंक, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 75-200 आधार अंक तथा पांच प्रमुख विदेशी बैंकों द्वारा 100-200 आधार अंक के बीच रखी गई हैं। बेंचमार्क मूल उधार दरें (बीपीएलआर) में कमी सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 125-225 आधार अंक थी, इसके बाद गैर-सरकारी बैंकों द्वारा ये दरें 100-125 आधार अंक तथा पांच प्रमुख विदेशी बैंकों द्वारा 100 आधार अंक थी।

वित्त मंत्री जी ने दिनांक 10.6.2009 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ हुई अपनी बैठक में अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर ऊंची उधार दरों के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में बताया और सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अनुरोध किया कि अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक हित में जरूरतमंद क्षेत्रों को उचित ब्याज दरों पर ऋण दें। सरकारी क्षेत्र के कई बैंकों ने वित्त मंत्री जी के आह्वान पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई और अपनी बेंचमार्क मूल उधार दर में और कटौती की है।

**विद्युत क्षेत्र में सुधार**

**215. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:**
**श्रीमती सुप्रिया सुले:**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत क्षेत्र में सुधारों को लागू करने में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके त्वरित क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी):** (क) और (ख) जी नहीं। चूंकि विद्युत क्षेत्र में सुधार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

(ग) विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। केन्द्र सरकार ने विभिन्न सुधार पहलें की है जैसे कि:-

1. विद्युत अधिनियम, 2003 ने खुली पहुंच, उत्पादन के लिए लाइसेंस का आवश्यक न होना और कैप्टिव विद्युत संयंत्रों को स्वतंत्र अनुमति जैसी विशेषताओं सहित उदारवादी और प्रगतिकात्मक कानूनी ढांचे की स्थापना की है।
2. केन्द्र और राज्य के स्तरों पर स्वतंत्र विनियामक ढांचा।
3. विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत विद्युत के लिए अपीलीय ट्रिब्यूनल विवादों के तीव्र निपटारे को सुगम बनाने के लिए प्रचालनगत बनाया गया है।
4. उप पारेषण एवं वितरण घटकों में निवेश में राज्यों की सहायता तथा राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा बेहतर वित्तीय निष्पादन को सुग्राही बनाने के लिए त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) चलाना।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत पहुंच प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार से 90% पूंजी सब्सिडी के साथ राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। इस योजना में संशोधित राजस्व एकत्रीकरण के लिए प्रणाली पर विशेष बल दिया गया है।
6. अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित टैरिफ नीति में केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पारदर्शी तरीके से विद्युत की प्रतिस्पर्धात्मक प्रापण की व्यवस्था की गई है।

*[हिन्दी]*

**अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-सरकारी संगठन**

**216. श्री अंजनकुमार एम. यादव:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश सहित देश में अनुसूचित जनजातियों हेतु विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में, योजना-वार/राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कौन-कौन से गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) कार्य कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में सरकार द्वारा इन प्रत्येक गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को अवमुक्त निधियों तथा इन एनजीओ द्वारा प्रयुक्त निधियों का योजना-वार, राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की जानकारी में अनुदानों के संवितरण में किसी अनियमितता का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई या किए जाने की संभावना है?

**जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी):** (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सहित देश में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को योजनावार तथा राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। गत वर्ष में निर्मुक्त किए गए अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए बिना गैर-सरकारी संगठनों को आगे कोई और अनुदान निर्मुक्त नहीं किया जाता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकरण के स्तर पर अनुदानों के संवितरण में ऐसी किसी अनियमितता की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

## *विवरण*

*1. योजना का नाम: स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान*

*पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान निधि पोषित किए गए स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की राज्य-वार सूची*

(राशि रुपए में)

| क्र.सं. | स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम | परियोजना | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 (30.06.09 को) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **आंध्र प्रदेश** | | | | | | |
| 1. | आंध्र प्रदेश ट्राइब्ल वेलफेयर आश्रम एंड रेजिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी (ए.पी.टी.डब्ल्यू.ए.आर.पी.आई.एस.), आंध्र प्रदेश (वारंगल आदिलाबाद, नैलोर, कडप्पा, महबूब नगर, रंगारेड्डी, मेडाक, निजामाबाद, करीम नगर, नालगौंडा जिलों में) | 18-आवासीय विद्यालय | 0 | 0 | 26840363 | - |
| 2. | बापूजी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट सोसाइयटी, गड्डामानुगू, जिला-कृष्णा, आंध्र प्रदेश | आवासीय विद्यालय | 1451295 | 1455030 | 1320000 | - |
| 3. | ग्राम अभ्युदय सोसायटी फार इंटीग्रेटिड रूरल डेवलपमेंट 6वां वार्ड, कोटा स्ट्रीट, उर्वाकोंडा, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश | आवासीय विद्यालय | 0 | 3073835 | 0 | - |
| 4. | ग्रामीण संक्षेम संघम कालाकाडा, चित्तूर आंध्र प्रदेश | अनावासीय विद्यालय | 0 | 601830 | 0 | - |
| 5. | इंटरकल्चरल कार्पोरेशन फाउंडेशन (आई.सी.एफ.) इंडिया, एमबोध थनडा, जिला-आर.आर., आंध्र प्रदेश | अनावासीय विद्यालय | 0 | 99000 | 628485 | 11820 |
| 6. | इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सोसायटी रैथूपेट, नन्दीगामा, जिला-कृष्णा, आंध्र प्रदेश | दस शैया चिकित्सालय एवं सचल चिकित्सालय | 781740 | 0 | 390870 | - |
| 7. | जीयार एजुकेशन ट्रस्ट गंगनमहल कालोनी, डोमालगुडा, हैदराबाद, पिन 500027, आंध्र प्रदेश | आवासीय स्कूल | 852301 | 1009080 | 1311200 | - |
| 8. | आर.के. मिशन कोरूकोण्डा रोड, राजामुन्दरी, आंध्र प्रदेश | सचल चिकित्सालय | 327164 | 783827 | 0 | - |
| 9. | आर.के. मिशन आश्रम आर.के. बीच, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश | सचल चिकित्सालय | 0 | 409653 | 0 | - |
| 10. | रूरल आर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एक्टिविटी, ग्राम एवं पोस्ट-मंथेनावानीपलेम, जिला-गुण्टूर, आंध्र प्रदेश | आवासीय विद्यालय | 1987776 | 519660 | 0 | - |
| 11. | सारदा एजुकेशनल सोसाइटी वीनुकोंडा, जिला गुंटूर, आंध्र प्रदेश | आवासीय स्कूल | 1932228 | 0 | 0 | - |
| 12. | सेवा भारती, बरगमबाद, जिला-खम्माम, आंध्र प्रदेश | हॉस्टल | 654192 | 702578 | 710294 | - |
| 13. | सिम्हापुरी विद्या सेवा समिति, सोमसेखर पुरम, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश | दस शैया चिकित्सालय | 1245204 | 962910 | 602910 | - |
| 14. | सोसायटी फॉर असिस्टेंस एण्ड वोकेशनल एजूकेशन, मछलीपट्टनम, जिला-कृष्णा, आंध्र प्रदेश | आवासीय विद्यालय | 0 | 416294 | 0 | - |
| 15. | श्री लक्ष्मी महिला मंडली, डी. सं. 15-155, मयालवरम (वी. एंड एम.) गड्डामानुगू, जिला-कृष्णा, आंध्र प्रदेश | अनावासीय विद्यालय | 593730 | 603630 | 0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | श्री परमेश्वरी एजूकेशन सोसायटी, अलमकुर, जिला-कुरनूल, आंध्र प्रदेश | सचल चिकित्सालय | 347602 | 0 | 0 | – |
| 17. | सुनीता महिला मंडली येलेश्वरन, जिला-पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश | आवासीय विद्यालय | 2808108 | 1077620 | 0 | – |
| 18. | स्वान एजूकेशन सोसायटी डोक्कालम्मा मंदिर के पास, आर.पी. रोड, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश | आवासीय विद्यालय टंकण और सचल पुस्तकालय सह श्रव्य-दृश्य एकक | 1141904 | 0 | 0 | – |
| 19. | सोसायटी फार इंजिग्रेटिड रूरल इम्पावरमेंट (सीरी), 7/163-ए, प्रकाश रोड, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश | आवासीय स्कूल | 976851 | 0 | 788006 | 1114299 |
| 20. | मंडलाप्पु नारायण एजुकेशनल सोसायटी, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश | आवासीय स्कूल | 975771 | 0 | 2277302 | – |
| | कुल | | 16075866 | 11714947 | 34869430 | 1126119 |
| **अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह** | | | | | | |
| 1. | रामकृष्ण मिशन, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र | 154152 | 129862 | 0 | 291780 |
| | कुल | | 154152 | 129862 | 0 | 291780 |
| **अरुणाचल प्रदेश** | | | | | | |
| 1. | एबोटनी आश्रम वेलफेयर एशोसिएशन नाहरलागुन-791110, अरुणाचल प्रदेश | हॉस्टल | 1209528 | 0 | 0 | – |
| 2. | अरुणाचल पाली विद्यापीठ चांगखाम, जिला-लोहित, अरुणाचल प्रदेश | आवासीय विद्यालय एवं सचल चिकित्सालय | 2564460 | 2459610 | 3643050 | – |
| 3. | बुद्धिस्ट कल्चरल प्रिजरवेशन सोसायटी अपर गाम्पा, बामडिला, जिला-वेस्ट कमंग, अरुणाचल प्रदेश | आवासीय विद्यालय | 1408680 | 1644210 | 0 | 2233987 |
| 4. | सेन्टर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज ग्राम एवं पोस्ट-तवंग, जिला-तवंग, अरुणाचल प्रदेश | आवासीय विद्यालय | 1443939 | 1127142 | 0 | 1687815 |
| 5. | आर.के. मिशन नरोत्तम नगर, वाया-देवमाली, जिला-तिराप, अरुणाचल प्रदेश | कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र (2), आवासीय विद्यालय, सचल चिकित्सालय एवं बीस शैया चिकित्सालय | 6380676 | 5864378 | 9325597 | 4166925 |
| 6. | आर.के. मिशन विवेकानंदनगर, एलांग, पश्चिम सियांग जिला, अरुणाचल प्रदेश | अनावासीय विद्यालय, दस शैया चिकित्सालय, सचल चिकित्सालय हॉस्टल एवं श्रव्य-दृश्य एकक | 3060840 | 9182520 | 15189380 | – |
| 7. | आर.के. मिशन हॉस्पिटल इटानगर, अरुणाचल प्रदेश | साठ शैया चिकित्सालय, सचल चिकित्सालय | 4847160 | 4687684 | 7403707 | – |
| 8. | रामकृष्णा शारदा मिशन खोनसा, जिला-तिराप, अरुणाचल प्रदेश | आवासीय विद्यालय | 2752569 | 2782494 | 0 | 4166925 |
| 9. | भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापू स्मारक सदन, नई दिल्ली (रूपा, अरुणाचल प्रदेश) | छात्रावास | 1733759 | 688595 | 0 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | विवेकानंद केन्द्र अरुणज्योति, ईटानगर, ईटनागर, जिला पपुम्पारे, अरुणाचल प्रदेश | कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा सचल पुस्तकालय | 0 | 1477820 | 0 | 220285 |
| 11. | ओजू वेलफेयर एसोसिएशन, नजदीक नहारलगुन, पुलिस स्टेशन, नहारलगुन, अरुणाचल प्रदेश | आवासीय स्कूली (पी+एस) | 2092656 | 2408670 | 3438990 | – |
| | कुल | | 27494267 | 32323123 | 39000724 | 12475937 |
| **असम** | | | | | | |
| 1. | असम सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट इन्द्रकांता भवन, कनकलता पथ, उलूबारी, गुवाहाटी-781007, असम | सचल चिकित्सालय | 583155 | 390870 | 0 | – |
| 2. | भारत सेवाश्रम संघ (गुवाहाटी) लाखरा रोड, काहिलीपुरा, गुवाहाटी, असम | सचल चिकित्सालय | 0 | 1076445 | 679865 | – |
| 3. | डा. अम्बेडकर मिशन धोपातारी, जिला-कामरूप, असम | दस शैया चिकित्सालय एवं सचल चिकित्सालय | 1440180 | 1820880 | 2313450 | – |
| 4. | ग्राम विकास परिषद ग्राम-रंगोली, जिला-नौगांव, असम | सचल चिकित्सालय | 390870 | 390870 | 0 | – |
| 5. | पठारी वोकेशनल इंस्टीट्यूट, दसवां तल, बार लिब्राग, नौगांव, असम | कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र | 208260 | 0 | 208260 | – |
| 6. | आर.के. मिशन आश्रम उलूबारी, गुवाहाटी, असम | हॉस्टल, सचल चिकित्सालय एवं पुस्तकालय | 799200 | 802045 | 1328274 | |
| 7. | आर.के. मिशन सेवाश्रम सिलचर, असम | हॉस्टल | 0 | 389430 | 1078253 | – |
| 8. | सदाऊ आसाम ग्राम्य पुथीभारल संस्था तेलीपट्टी, जिला-नौगांव, असम | पुस्तकालय एवं अनावासीय विद्यालय | 706230 | 695430 | 1095300 | – |
| 9. | श्रीमंत शंकर मिशन नौगांव, असम | सचल चिकित्सालय | 390870 | 390870 | 706950 | – |
| 10. | अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, 315, आसफ अली रोड, नई दिल्ली (बोकाजन, जपारजन और डिफू) | 4-छात्रावास | 1882152 | 2571399 | 0 | – |
| 11. | भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापू स्मारक सदन, नई दिल्ली-110055 (कोकराझार, असम) | छात्रावास | 471987 | 0 | 0 | – |
| | कुल | | 6872904 | 8528239 | 7410352 | |
| **छत्तीसगढ़** | | | | | | |
| 1. | कछाना ध्रुव सेवा एंड कल्याण समिति, गांव+पो. पांडुका, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ | गैर-आवासीय स्कूल | 54000 | 600998 | 0 | – |
| 2. | नव अभिलाषा शिक्षण संस्थान ग्राम एवं पोस्ट-बुधवानी, जिला-राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ | अनावासीय विद्यालय | 1213133 | 1267020 | 1647270 | – |
| 3. | आर.के. मिशन आश्रम नारायणपुर जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़ | 6-होस्टल, एक जनजातीय यूवा प्रशिक्षण केन्द्र तथा आटोमोबाइल इंजीनियरिंग + दिव्यांन कृषि एवं संबद्ध विषयों का प्रशिक्षण तथा सचल औषधालय | 2414905 | 2087969 | 4018188 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | सेवा भारती (मध्य प्रदेश), मातृच्छाया, स्वामी रामतीर्थ नगर, मैदा मिल के सामने, हौशंगाबाद रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश, पिन-462001 | सीटीसी की तीन इकाई, छात्रावास की दो इकाई एवं एक आवासीय स्कूल | 485677 | 1569086 | 0 | – |
| 5. | व्यक्ति विकास केन्द्र, भारत, ट्राइबल वेलफेयर प्रोजेक्ट आफिस, कीर्ति स्टूडिया, देवीगंज रोड, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़-497001 | सचल औषधालय एवं पेयजल | 456111 | 0 | 0 | – |
| | कुल | | 4623826 | 5525073 | 5665458 | |
| **गुजरात** | | | | | | |
| 1. | भारत सेवाश्रम संघ, डेडियापाडा, नर्मदा, गुजरात | सचल चिकित्सालय | 401670 | 401670 | 0 | 706950 |
| 2. | भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर (नावासारी), नावासारी, गुजरात | अनावासीय विद्यालय, सचल चिकित्सालय, सचल दृश्य यूनिट | 5143618 | 2724822 | 4634749 | – |
| 3. | भारत यात्रा केंद्र डेडियापाड़ा, नर्मदा, गुजरात | हॉस्टल, सचल चिकित्सालय एवं टंकण प्रशिक्षण केंद्र | 1000881 | 386730 | 773460 | – |
| 4. | इनरेका, रायपीपला रोड, टिम्बापाड़ा, डेडियापाड़ा, जिला-नर्मदा, गुजरात | हॉस्टल | 756104 | 1507401 | 0 | 1143090 |
| 5. | पंचमहल आदिवासी विकास युवक मंडल ग्राम-धलसीमल, पोस्ट-मोली, तालुका-झालोड, जिला-झालोड, गुजरात | आवासीय विद्यालय | 3298500 | 1246860 | 1769310 | – |
| 6. | संत श्री आशाराम आश्रम साबरमती अहमदाबाद, गुजरात (सबरकांता एवं दाहोद) | सचल चिकित्सालय | 0 | 401670 | 0 | – |
| 7. | शिव शक्ति एजूकेशन ट्रस्ट 17, म्यूनिसिपल शापिंग सेंटर, न्यू फायर स्टेशन के पास, दाहोद, गुजरात | सचल चिकित्सालय | 194814 | 0 | 0 | – |
| 8. | श्री आदिवासी युवक सेवक संघ झालोद, जिला दाहोद, गुजरात | अनावासीय विद्यालय तथा आवासीय विद्यालय | 2714162 | 0 | 0 | : |
| 9. | श्री धाधेला केलवानी मंडल ग्राम एवं पोस्ट-धाधेला, जिला-दाहोद, गुजरात | हास्टल | 932791 | 0 | 0 | : |
| 10. | श्री सदगुरु स्वामी अखण्डानंद चैरिटेबल ट्रस्ट, बारूमल, जिला-वलसाड, गुजरात | होस्टल तथा सचल औषधालय | 0 | 2276229 | 1135300 | – |
| 11. | श्री स्वामी नारायण एजूकेशन ट्रस्ट वलसाड, गुजरात | आवासीय विद्यालय | 989325 | 1039320 | 1028142 | – |
| 12. | भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापू स्मारक सदन, नई दिल्ली-55 (दाहोद) | कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र | 405535 | 0 | 0 | – |
| | कुल | | 15837400 | 9984702 | 9340961 | 1850040 |
| **हिमाचल प्रदेश** | | | | | | |
| 1. | बुद्धिस्ट कल्चरल सोसायटी ऑफ की गाम्पा, पोस्ट-की. गाम्पा, जिला-लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश | हॉस्टल | 466110 | 512482 | 0 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन पोस्ट बाक्स नं. 98, क्लब हाउस रोड मनाली, जिला-कुल्लू, हिमाचल प्रदेश | आवासीय विद्यालय | 1569096 | 2272050 | 2035080 | – |
| 3. | इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज इन बुद्धिस्ट फिलॉस्फी एण्ड ट्राइबल कल्चर सोसायटी, ताबो, जिला-लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश | आवासीय विद्यालय | 1039320 | 2438280 | 0 | 3068145 |
| 4. | रामधा बुद्धिस्ट सोसायटी ग्राम एवं पोस्ट-सिद्ध पुर, वायादारी, नरबलिंका के पीछे, धर्मशाला, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश | हास्टल | 848160 | 1552446 | 0 | 1197990 |
| 5. | रिंचेन झांगपो सोसायटी फार स्पीति डेवलपमेंट, स्पीति कोम्प्लैक्स, राक्कर रोड, तहसील-धर्मशाला, जिला-कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश (परियोजना स्पीति में) | आवासीय विद्यालय | 1914000 | 3871920 | 3795900 | – |
| | कुल | | 5836686 | 10647178 | 5830980 | 4266135 |
| **जम्मू और कश्मीर** | | | | | | |
| 1. | गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट गुर्जर कालोनी, जम्मू और कश्मीर | आवासीय/अनावासीय विद्यालय तथा सचल चिकित्सालय | 3324752 | 2513715 | 0 | – |
| 2. | हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल सोसायटी ग्राम-गुलाबगढ़, पोस्ट-अठौली, जिला-डोडा, जम्मू और कश्मीर | आवासीय विद्यालय | 2638260 | 0 | 3352051 | – |
| 3. | लमडन सोशल वेलफेयर सोसायटी, लेह, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर | आवासीय विद्यालय | 0 | 1108364 | 1112934 | – |
| 4. | महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर, जम्मू और कश्मीर | आवासीय विद्यालय | 0 | 1066705 | 0 | – |
| 5. | ए.आई.सी.यू.आर.डी. गोल मार्किट नई दिल्ली (परियोजना जम्मू और कश्मीर के पुलवामा तथा बौडगा जिलों में स्थित है) | 3-कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र 3-टंकण एवं आशुलिपिक | 0 | 0 | 2010315 | – |
| | कुल | | 5963012 | 4688784 | 6475300 | |
| **झारखंड** | | | | | | |
| 1. | भारत सेवाश्रम संघ ग्राम एवं पोस्ट-पाकुर, जिला-पाकुर झारखंड | आवासीय विद्यालय एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र | 0 | 2577150 | 1995900 | – |
| 2. | भारत सेवाश्रम संघ (सोनारी), सोनारी (पश्चिम), सोनारी, रिवर मीट रोड, जमशेदपुर, झारखंड | 3-सचल चिकित्सालय, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, केन एवं बांस प्रशिक्षण केंद्र, सचल पुस्तकालय, श्रव्य-दृश्य एकक, कताई एवं बुनाई प्रशिक्षण केंद्र, 2-20 शैया अस्पताल तथा 2-आवासीय विद्यालय | 8895419 | 12919185 | 13033039 | – |
| 3. | भारत सेवाश्रम संघ, पो. रानीश्वर, जिला दुमका, झारखंड | 2 आवासीय स्कूल, सचल औशधालय, 10 बिस्तर वाला अस्पताल, कताई एवं बुनाई प्रशिक्षण केंद्र | 0 | 4758371 | 0 | 10803240 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | भारत सेवाश्रम संघ, बैरियेतु इंद्रप्रस्थ कालोनी रांची, झारखंड | आवासीय स्कूल तथा सचल चिकित्सालय | 0 | 0 | 1470110 | – |
| 5. | आर.के. मिशन मठ ग्राम पोस्ट एवं जिला-जामतारा, झारखंड | सचल चिकित्सालय | 338709 | 327364 | 0 | 377189 |
| 6. | आर.के. मिशन विवेकानंद सोसायटी विष्णुपुर, जमशेदपुर, झारखंड | होस्टल, सचल चिकित्सालय सचल पुस्तकालय एवं दृश्य चिकित्सालय, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, टाइपिंग | 763914 | 980115 | 2317354 | – |
| 7. | आर.के. मिशन आश्रम मोराबादी, रांची, झारखंड | दिव्यायन यूनिट, ग्रामीण रात्रि पाठशाला, सचल चिकित्सालय, पुस्तकालय एवं ए.वी. यूनिट | 4202830 | 4454814 | 5134192 | – |
| 8. | आर.के. मिशन टी.बी. सैनेटोरियम रांची, झारखंड | पचास शैया चिकित्साय एवं सचल चिकित्सालय | 4112773 | 4914285 | 10625825 | – |
| 9. | व्यक्ति विकास केंद्र, इंडिया, अनुराग कुटीर, के जी डी रोड कुन्ती रांची, झारखंड | सचल औषधालय | 589296 | 0 | 193726 | – |
| | कुल | | 18902941 | 30931284 | 34770146 | 11180249 |
| **कर्नाटक** | | | | | | |
| 1. | आशीर्वाद रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, ट्रस्ट (आर), के.एच.बी. कालोनी, काजीपेट, गुडीबाण्डे, जिला-कोलार, कर्नाटक | दस शैया चिकित्सालय | 2055420 | 1027710 | 1616400 | - |
| 2. | भारतीय एजूकेशनल ट्रस्ट ग्राम-पाथापल्ली, तालुका-बागेपल्ली, जिला-कोलार, कर्नाटक | आवासीय विद्यालय | 1025460 | 1028720 | 1605187 | – |
| 3. | डा. अम्बेडकर एजूकेशन सोसायटी (आर) नालकुदारे गोमाला, नलकुदूरे पिन-577544, तालुका-चन्नागिरी, जिला-देवानगिरि, कर्नाटक | आवासीय विद्यालय | 2077830 | 1039200 | 1609404 | – |
| 4. | डा. जचानी राष्ट्रीय सेवापीठ 49, एच.बी. समाज रोड, बासवानगुडी, बंगलौर, कर्नाटक | अनावासीय विद्यालय | 0 | 1768433 | 537439 | - |
| 5. | हरिहर ग्रामीण अभिवृद्धि संघ ग्राम-सिद्धगणहली, जिला-कोलार, कर्नाटक | सचल चिकित्सालय | 781740 | 390870 | 685350 | – |
| 6. | कुमुदवती रूरल डेवलपमेंट सोसायटी 32, आर.आर. एक्सटेंशन, मधुगिरि, जिला-तुमकुर, कर्नाटक | सचल चिकित्सालय तथा अनावासीय विद्यालय | 0 | 3340908 | 2275020 | – |
| 7. | नायक स्टूडेंट फेडरेशन गोकाक, बेलगांव, कर्नाटक | आवासीय प्राथमिक विद्यालय | 1011137 | 0 | 1016604 | – |
| 8. | प्रगति रूरल डेवलपमेंट सोसायटी ग्राम एवं पोस्ट-गेराहल्ली, तालुका-चिकबालपुर, जिला-कोलार, कर्नाटक | हॉस्टल | 756360 | 756360 | 1219590 | – |
| 9. | संत कबीरदास एजूकेशन सोसायटी, सेदाम रोड, जगत, गुलबर्गा, कर्नाटक | आवासीय विद्यालय | 970137 | 0 | 1604470 | – |
| 10. | श्री होयशाला विद्या संस्था ग्राम एवं पोस्ट-नीलगिरि, जिला-देवानगिरि, कर्नाटक | सचल चिकित्सालय, आवासीय विद्यालय | 2788702 | 0 | 0 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | श्री मंजूनाथ स्वामी विद्या संस्था 4206/9, देवानगिरि, कर्नाटक | आवासीय विद्यालय | 1844593 | 2039669 | 0 | – |
| 12. | श्री संत कबीर एजूकेशन सोसायटी चिंचोरी शिविर, गुलबर्गा, कर्नाटक | आवासीय विद्यालय | 0 | 1001320 | 0 | – |
| 13. | श्री स्वामी सर्वधर्म शरणालय ट्रस्ट रंगुपरा, जिला-तुमकुर, कर्नाटक | अनावासीय विद्यालय, सचल चिकित्सालय | 3207115 | 1632339 | 2575364 | – |
| 14. | श्री विनायक सेवा ट्रस्ट, कैवारा, तालुका-चिंतास्वामी, जिला कोलार, कर्नाटक | आवासीय विद्यालय | 1039320 | 1036261 | 1609470 | – |
| 15. | स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट कंचनहल्ली, शांति नगर, पोस्ट आफिस हेगडवेडेनकोटे तालुका, जिला-मैसूर, कर्नाटक | 2-आवासीय विद्यालय, 2-दस शैया चिकित्सालय एवं सचल चिकित्सालय | 5170080 | 4912132 | 8568623 | |
| 16. | विवेकानंद गिरिजन कल्याण केंद्र, बी.आर. हिल्स, तालुका येलेनदूर, चामराजनगर, पिन-571441, कर्नाटक | सचल औषधालय, दस शैया चिकित्सालय एवं आवासीय विद्यालय | 1439917 | 3965829 | 4535021 | – |
| | कुल | | 24167811 | 23939751 | 29457942 | |
| **केरल** | | | | | | |
| 1. | मां अमृतानंदमयी मठ अमृत भवन, पारीपल्ली, जिला-कोलाम-691574 केरल | हास्टल, दस शैया चिकित्सालय | 3046240 | 2350116 | 0 | – |
| 2. | श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम, ग्राम एवं पोस्ट-कलाडी, जिला-एरनाकुलम, केरल | हॉस्टल | 1008630 | 907750 | 0 | – |
| 3. | स्वामी निर्मलानंद बालभवन, श्री रामकृष्ण आश्रम, जिला अल्पाजुआ, केरल | हॉस्टल, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र | 0 | 713385 | 0 | 466515 |
| 4. | स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन, मुत्तिल, वयानाड, केरल | दस शैया चिकित्सालय | 0 | 1583730 | 0 | 4324516 |
| 5. | वनवासी कल्याण आश्रम ट्रस्ट ग्राम एवं पोस्ट-पेरिया, जिला-वयानाड, केरल | आवासीय विद्यालय | 3681099 | 1982475 | 0 | – |
| 6. | विनोबा निकेतन ग्राम व पोस्ट-विनोबा निकेतन, जिला-त्रिवेंद्रम, केरल | सचल औषधालय और बेबी ब्रड्डैच | 448853 | 393728 | 2305217 | 895635 |
| 7. | हरिजन सेवक संघ, शब्री आश्रम, अकथेथेरा, पलकेड, तिरुवनंतपुरम, केरल | टाइपिंग एवं आशुलिपिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा 6-क्रैच, होस्टल | 0 | 0 | 326276 | – |
| | कुल | | 8184822 | 7931184 | 2631493 | 5686666 |
| **मध्य प्रदेश** | | | | | | |
| 1. | आशीर्वाद शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, ए. 7, अमित एपार्टमेंट, फेज-1, विजय नगर, लालघाटी, भोपाल | अनावासीय विद्यालय | 1387038 | 738157 | 0 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | आसदीप कल्याण समिति, 86, विनोबा वार्ड, सिहारो, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश | आवासीय स्कूल तथा कताई बुनई तथा हथकरघा | 54000 | 576747 | 968490 | – |
| 3. | अन्नपूर्णा शिक्षा समिति ग्राम एवं पोस्ट-सोमेन खापारा, जिला-मण्डला | अनावासीय विद्यालय | 1976567 | 0 | 0 | – |
| 4. | बाहियार नारी उत्थान सेवा महिला मंडल, ग्राम एवं पोस्ट-बाहियार, जिला-बलूरघाट | अनावासीय विद्यालय | 1004279 | 0 | 0 | – |
| 5. | बंधेवाल शिक्षा समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश | अनावासीय विद्यालय एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र | 422507 | 1183948 | 1773959 | – |
| 6. | भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापूर स्मारक सदन, नई दिल्ली-110055 (परियोजना मध्य प्रदेश के धार में स्थित है) | सचल औषधालय, आवासीय स्कूल, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र | 0 | 2452725 | 0 | – |
| 7. | हितेशरी सामाजिक संस्था, एमआईजी-30/4बी, साकेतनगर भोपाल, मध्य प्रदेश | सचल औषधालय | 346500 | 618612 | 608400 | – |
| 8. | जन कल्याण आश्रम समिति, गांव सिद्धपुर, जिला हौशंगाबाद, मध्य प्रदेश | आवासीय स्कूल | 157500 | 0 | 865123 | – |
| 9. | जीवन ज्योति शिक्षा प्रचार समिति, सिंगापुर (शैल्या) मण्डला, मध्य प्रदेश | अनावासीय विद्यालय | 1117187 | 0 | 557465 | – |
| 10. | मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, 166-ई, उज्जैन, मध्य प्रदेश | आवासीय विद्यालय | 940950 | 1201496 | 1642778 | – |
| 11. | एम.पी. वनवासी सेवा मंडल, तिकरिया, जिला डिनडोरी, मध्य प्रदेश | गैर-आवासीय स्कूल | 1368019 | 724860 | 1159851 | – |
| 12. | पुष्पा कांवेन्ट शिक्षा समिति, सी-537-538 पुष्प नगर कालोनी, भोपाल-426010, मध्य प्रदेश | अनावासीय विद्यालय | 0 | 1172430 | 1557868 | – |
| 13. | रामा एजूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, बरियल खेडा, भोपाल | अनावासीय विद्यालय एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र | 428267 | 1762907 | 957690 | – |
| 14. | सेवा भारती, स्वामी राम तीर्थ नगर, मैदा मील के समीप, हौशंगाबाद रोड, भोपाल-462011, मध्य प्रदेश | 2-आवासीय स्कूल, 3-कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र 2-होस्टल | 2752479 | 978032 | 1549376 | – |
| 15. | स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन शिक्षा समिति, युवराज क्लब केंट रोड, गुना, मध्य प्रदेश | अनावासीय विद्यालय | 570262 | 609090 | 0 | 620352 |
| 16. | युवक कल्याण सेवा प्रशिक्षण संस्थान, गांव रांगरी (ठोका), अनंगगांव, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश | आवासीय स्कूल (एस) | 192500 | 0 | 977418 | – |
| | कुल | | 12718055 | 12019004 | 12618418 | 620352 |
| **महाराष्ट्र** | | | | | | |
| 1. | ए.बी.एम. समाज प्रबोधन संस्थान थाणे, महाराष्ट्र | 50-बालवाडी/क्रेच सेंटर | 4141760 | 4349042 | 0 | – |
| 2. | अभ्युदय संस्थान मालेगांव, लक्ष्मी नारायण अपार्टमेंट, नासिक, महाराष्ट्र | अनावासीय प्राथमिक विद्यालय | 994019 | 0 | 0 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | देवनिल शिक्षण प्रसारक मंडल, चंदरपुर, महाराष्ट्र | आवासीय स्कूल | 157500 | 508221 | 0 | – |
| 4. | धर्मास्वामी महर्षि श्री संत गुलाबराव महाराज वरकारी एण्ड विकास शिक्षण संस्था, ग्राम एवं पोस्ट-कारला, जिला-अमरावती, महाराष्ट्र | दस शैया चिकित्सालय एवं सचल औषधालय | 0 | 1005705 | 0 | – |
| 5. | हिंदुस्तान स्पोर्ट एण्ड जूडो कराटे एशोसिएशन, पिम्पालून, जिला-धुले, महाराष्ट्र | अनावासीय विद्यालय | 1127970 | 0 | 0 | – |
| 6. | जयहिंद मित्र मंडल, कोल्हापुर, जिला-फूलबनी, महाराष्ट्र | अनावासीय विद्यालय | 588708 | 1371519 | 0 | – |
| 7. | जय जगदम्बा बहुद्देशीय संस्था सूरजपुर, तालुका-बरसी, जिला-शोलापुर, महाराष्ट्र | अनावासीय विद्यालय | 1012098 | 0 | 0 | – |
| 8. | खांडेराव एजुकेशन सोसायटी, बसार, जिला-धुले, महाराष्ट्र | अनावासीय प्राथमिक विद्यालय तथा आवासीय विद्यालय (न्यू) | 718169 | 0 | 3169050 | – |
| 9. | नवयुवति महिला मंडल, शिरुर, जिला लाटूर, महाराष्ट्र | अनावासीय प्राथमिक विद्यालय | 1018373 | 571019 | 0 | – |
| 10. | राजमाता जिजाऊ महिला मंडल, पारसोले, माध्यमिक विद्यालय, मेन रोड, तालोडा, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र | अनावासीय प्राइमरी एवं सेकेन्डरी विद्यालय | 0 | 545198 | 0 | – |
| 11. | राजमाता शिक्षण प्रसारक मंडल, दोइथान, ताल-अशति जिला-बीड, महाराष्ट्र | आवासीय स्कूल | 157500 | 956592 | 0 | – |
| 12. | राजीव बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, पोस्ट नालवाडी, जिला वार्धा, महाराष्ट्र | अनावासीय विद्यालय | 784526 | 0 | 0 | – |
| 13. | रेनूका देवी शिक्षण प्रसारक मंडल, कुकाणे, मालेगांव, महाराष्ट्र | अनावासीय प्राइमरी विद्यालय | 0 | 730769 | 0 | – |
| 14. | सार्थक शिक्षण प्रसारक समाज, मालरगांव केम्प, तालुक मालेगांव, नासिक, महाराष्ट्र | अनावासीय प्राइमरी विद्यालय | 0 | 1131184 | 556574 | – |
| 15. | संकरुतयान शिक्षण प्रसारक मंडल, ग्राम मूल, जिला चन्द्रपुर, महाराष्ट्र | अनावासीय विद्यालय | 286751 | 0 | 0 | – |
| 16. | शिव कृपा ग्रामीण ट्राइबल बहुउद्देशीय संस्थान मानस मंदिर वर्धा, महाराष्ट्र | सचल औषधालय | 778899 | 388170 | 0 | – |
| 17. | शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडल, जलगांव, महाराष्ट्र | आवासीय स्कूल | 157500 | 0 | 2439754 | – |
| 18. | श्री कालिकादेवी बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडल कासर सिरसी तालुक निलांगा, जिला लाटूर | अनावासीय प्राइमरी विद्यालय | 1079042 | 0 | 0 | – |
| 19. | श्री कन्हैयालाल महाराज ट्रस्ट, सामोडे, तालुका सकरी, जिला धुले, महाराष्ट्र | आवासीय प्राइमरी विद्यालय | 1035448 | 0 | 2564685 | – |
| 20. | श्री साईंनाथ एजुकेशन सोसायटी, प्रतापपुर, तालुक तालोडा, नंदुरबार, महाराष्ट्र | होस्टल | 1183868 | 0 | 2088661 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | श्री स्वामी स्वयं सेवा भावी संस्था, गनेशपुर, जिला धुले | आवासीय विद्यालय | 1028493 | 0 | 2606526 | – |
| 22. | सिद्धकला शिक्षण प्रसारक मंडल, नंदगांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र | आवासीय प्राइमरी विद्यालय | 993888 | 1027458 | 1777770 | – |
| 23. | सुष्मा शिक्षण प्रसारक मंडल, बांद्रा, महाराष्ट्र | आवासीय स्कूल | 157500 | 0 | 0 | – |
| 24. | तापी परिसर एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट, नेवादे, जिला धुले, महाराष्ट्र | आवासीय स्कूल | 157500 | 0 | 0 | – |
| 25. | उज्जवल रूरल डेवलपमेंट सोसायटी नेवादे, जिला धुले, महाराष्ट्र | होस्टल | 739944 | 753330 | 0 | 1202040 |
| 26. | यूथ वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, राधिका होटल के समीप, बुल्दाना, महाराष्ट्र | 10 बिस्तरों वाला अस्पताल | 381764 | 1690829 | 0 | 1534415 |
| 27. | भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापू स्मारक सदन, नई दिल्ली-55 (परियोजना महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है) | कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र | 376558 | 0 | 0 | – |
| 28. | काई थंगुबाई शंकर दोयरे देवाभावी संस्था, सौदाने नौनाथ नगर, तालुका मालेगांव, जिला नासिक महाराष्ट्र | अनावासीय स्कूल | 1106145 | 579313 | 0 | 859928 |
| 29. | साइ प्रसाद आदिवासी सेवा मंडल, पो. वाशिंद (वेस्ट), जिला थाणे, महाराष्ट्र | आवासीय स्कूल | 0 | 1431270 | 0 | – |
| 30. | चंदराई महिला मंडल, पो. पिम्पाल्नर, जिला धुले, महाराष्ट्र | आवासीय स्कूल | 0 | 983745 | 1609470 | – |
| 31. | लेट यशवंत बाली राम पाटिल शिक्षण प्रसारक मंडल, तलाई, ताल एरंडोल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र | आवासीय स्कूल | 0 | 157500 | 0 | – |
| | कुल | | 20163923 | 18180864 | 16812490 | 3596383 |
| **मणिपुर** | | | | | | |
| 1. | चिलचिल एशियन मिशन सोसायटी कांगला टांबी, मणिपुर | हॉस्टल | 411930 | 339930 | 1948950 | – |
| 2. | क्रिश्चियन ग्राम स्कूल (चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर) थिंगखाम, तामेंगलांग जिला, मणिपुर | कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र | 2299860 | 0 | 0 | – |
| 3. | डा. अम्बेडकर स्कूल प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट सोसायटी न्यू लांबका, चुराचांदपुर, मणिपुर | आवासीय विद्यालय | 0 | 1676709 | 0 | – |
| 4. | इन्टीग्रेटेड एजूकेशनल सोशल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन इम्फाल पूर्वी, मणिपुर | अनावासीय विद्यालय | 1309140 | 665289 | 1146690 | – |
| 5. | इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एण्ड एजूकेशनल आर्गेनाइजेशन वांगबाल, पोस्ट-थाऊबाल, मणिपुर | 2-आवासीय विद्यालय | 2284335 | 2332356 | 3551262 | – |
| 6. | रूरल एजूकेशन एण्ड सोशियो इकोनामिक डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन (आरईएसईडीओ), थांगा टांग ब्राम, लीकाई, बीपीओ, जिला-विष्णुपुर, मणिपुर | अनावासीय विद्यालय | 0 | 1753574 | 469125 | – |
| 7. | सियामसिनपाल्पी, चुराचांदपुर, मणिपुर | आवासीय विद्यालय | 6814147 | 4544658 | 0 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थाउबाल | आवासीय विद्यालय | 1926000 | 0 | 2610450 | – |
| 9. | सोसायटी फार वीमेन एजुकेशन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन (एसडब्ल्यूईएआर) अथोकपाम खुनोऊ, पो. थोउबाल, मणिपुर | सचल औषधालय | 190485 | 574155 | 383670 | – |
| 10. | यूनाइटेड रूरल डेवलपमेंट सर्विस (यूआरडीएस) हीरोक, जिला-थाउबाल, मणिपुर | आवासीय विद्यालय | 1965060 | 1039320 | 1545120 | – |
| 11. | वालंटियर्स फार रूरल हेल्थ एण्ड एक्शन (वीओआरएचए) लैमडिंग, बांगजिंग, मणिपुर | सचल औषधालय, टाइपिंग एवं शार्टहैण्ड प्रशिक्षण केन्द्र | 0 | 1648152 | 0 | 222480 |
| | कुल | | 17200957 | 14574143 | 11655267 | 222480 |
| **मेघालय** | | | | | | |
| 1. | आर.के. मिशन, लैथुंगखुर्त, शिलांग, ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय | हॉस्टल, चल औषधालय एवं पुस्तकालय | 1084300 | 1022800 | 1658730 | – |
| 2. | आर.के. मिशन आश्रम चेरापूंजी, जिला-ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय | 62 परियोजनाएं - एल.पी. एवं एम.ई. स्कूल, सैकेंडरी स्कूल हॉस्टल, एवं हायर सैकेंडरी स्कूल | 31088385 | 30992553 | 53004425 | – |
| 3. | सेवा भारती, शिलांग, मेघालय (बेलबार पश्चिम गारो हिल्स, जैयन्तिया हिल्स) | 2-सचल औषधालय एवं आवासीय विद्यालय | 0 | 1594567 | 0 | – |
| | कुल | | 32172685 | 33609920 | 54663155 | – |
| **मिजोरम** | | | | | | |
| 1. | मिजोरम हिमेथाई एशोसिएशन, अपर रिपब्लिक, आइजोल, मिजोरम | आवासीय विद्यालय एवं सचल औषधालय | 0 | 0 | 4085899 | – |
| 2. | सोशल गाइडेंस एजेंसी, तौकल, आइजोल, मिजोरम | सचल औषधालय | 299520 | 717300 | 0 | 434070 |
| 3. | थुंटक नूंटक नूनपुइतू टीम जुंगटुई, आइजोल, मिजोरम | आवासीय विद्यालय | 0 | 764400 | 0 | – |
| | कुल | | 299520 | 1481700 | 4085899 | 434070 |
| **नागालैंड** | | | | | | |
| 1. | अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, 315, आसफ अली रोड, नई दिल्ली (परियोजना नागालैंड के दिमापुर जिले में है) | छात्रावास | 974070 | 0 | 0 | – |
| 2. | अबिजेनेसिस सोसायटी ममियास बलिस, 6, अंगामी खेल, नुटोन बोस्ती, दीमापुर, नागालैंड | सचल पुस्तकालय-सह-दृश्य प्रचार इकाई | 0 | 571894 | 0 | – |
| 3. | ग्रेस सोसाइटी, कोकोचुंग, नागालैंड | सचल पुस्तकालय एवं दृश्य श्रव्य एकक | 0 | 0 | 383039 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | हिकाई एवं सन्स सोसायटी, सताखा टाउन, जिला जुनहेबोतो, नागालैंड | आवासीय स्कूल | 157500 | 0 | 0 | – |
| 5. | हिल व्यू वेलफेयर सोसायटी, दीफुपुर, दीमापुर, नागालैंड | आवासीय स्कूल | 157500 | 1007820 | 0 | – |
| 6. | के. होल्लोहोन वेलफेयर सोसायटी, दीमापुर, नागालैंड | गैर-आवासीय स्कूल | 54000 | 522630 | 0 | – |
| 7. | नागालैंड चिल्ड्रेन होम, दीमापुर, नागालैंड | छात्रावास | 525906 | 562516 | 0 | – |
| | कुल | | 1868976 | 2664860 | 383039 | – |
| **दिल्ली** | | | | | | |
| 1. | भारत सेवाश्रम संघ श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली | कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र तथा होस्टल | 601775 | 649731 | 885182 | – |
| 2. | भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापू स्मारक सदन, नई दिल्ली-110055 (झंडेवालान पांडव नगर) | हास्टल एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र | 842339 | 0 | 2313978 | – |
| 3. | सेवा भारती झण्डेवालान, नई दिल्ली | आवासीय विद्यालय | 467680 | 0 | 0 | – |
| | कुल | | 1911794 | 649731 | 3199160 | |
| **उड़ीसा** | | | | | | |
| 1. | आदिवासी सोशल एण्ड कल्चरल सोसायटी, ग्राम एवं पोस्ट-कुचिण्डा, जिला-सबलपुर, उड़ीसा | आवासीय विद्यालय | 792925 | 3102470 | 0 | – |
| 2. | अम्बेडकर एजूकेशनल काम्पलेक्स नीलाद्री विहार, चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर, उड़ीसा | हॉस्टल | 2113728 | 732600 | 0 | – |
| 3. | अरुण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स, ग्राम-अश्वखोला, पोस्ट-कारामुल, जिला-ढेंकानाल, उड़ीसा | आवासीय विद्यालय | 1176705 | 1039320 | 1620270 | – |
| 4. | एशोसिएशन फॉर वालंटरी एक्शन दीमापुर, पुरी, उड़ीसा | आवासीय विद्यालय | 3394027 | 1152252 | 1825470 | : |
| 5. | वनवासी सेवा समिति, बालीगुडा, जिला-कांधामल, उड़ीसा | हॉस्टल | 1446921 | 726120 | 0 | – |
| 6. | बांकी आंचलिक आदिवासी हरिजन कल्याण परिषद, कटक, उड़ीसा | हॉस्टल तथा क्रैच केन्द्र | 2168862 | 1102860 | 1219590 | – |
| 7. | भैरवी क्लब, कुंवरपाडा, जिला-खुर्दा, उड़ीसा | आवासीय विद्यालय | 0 | 2017755 | 0 | 1620270 |
| 8. | कटक जिला हरिजन सेवा संस्कार योजना, हलादीबस्ता, बंस्ता, जिला-कण्डूपारा, उड़ीसा | आवासीय विद्यालय | 0 | 2958944 | 1607700 | – |
| 9. | ग्लोबल विलेज फॉर रिहैबिलिटेशन एण्ड डेवलपमेंट, उदूलीबेडा, जिला-मलकानगिरि, उड़ीसा | सचल औषधालय | 0 | 718626 | 337583 | 706950 |
| 10. | कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (के.आई.एस.एस.), कोयल कैम्पस, केआईआईटी भुवनेश्वर, उड़ीसा | 2-आवासीय विद्यालय (प्राथमिक एवं माध्यमिक) | 2275920 | 12874500 | 11509740 | – |
| 11. | नेहरू सेवा संघ बांगपुर, जिला-खुर्दा, उड़ीसा | हॉस्टल | 1521725 | 997713 | 1594103 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | निखिल उत्कल हरिजन सेवक संघ नीलाद्री विहार, सलाश्री विहार, भुवनेश्वर, उड़ीसा | आवासीय विद्यालय | 2266883 | 1141920 | 2352822 | – |
| 13. | आर्गेनाइजेशन फार दि रूरल वूमेन एंड यूथ डेवलपमेंट, हरेकरशुनपुर, वाया-नलगंजा, जिला मयूरभंज, उड़ीसा | आवासीय स्कूल | 748740 | 0 | 0 | – |
| 14. | उड़ीसा हरिजन सेवक संघ भंजपुर, पोस्ट-बारीपाडा, जिला-मयूरभंज, उड़ीसा | आवासीय विद्यालय | 2216432 | 1282920 | 0 | – |
| 15. | उड़ीसा सर्वोदय परिषद न्यूपाडा, उड़ीसा-766105 | हॉस्टल | 899820 | 1242720 | 0 | – |
| 16. | उड़ीसा सोशल रूरल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कटक, उड़ीसा | आवासीय विद्यालय | 2099138 | 1120788 | 0 | – |
| 17. | आर.के. मिशन विवेकानंद मार्ग, भुवनेश्वर, उड़ीसा | हॉस्टल एवं पुस्तकालय | 592020 | 592020 | 1081980 | – |
| 18. | आर.के. मिशन, पुरी, उड़ीसा | हॉस्टल, सचल औषधालय, टाइपिंग एवं आशुलेखन प्रशिक्षण | 1391597 | 684630 | 2089807 | – |
| 19. | रामकृष्ण विवेकानंद वेदांत आश्रम, सरगलंजी, भवानी पतना, जिला कालाहांडी, उड़ीसा | सचल औषधालय | 0 | 1008897 | 706950 | – |
| 20. | राष्ट्रीय सेवा समिति 9, ओल्ड हुजूर आफिस बिल्डिंग, तिरुपति, आंध्र प्रदेश, परियोजना पाडवा जिला कोरापुर उड़ीसा में स्थित है | उड़ीसा में सचल औषधालय | 0 | 827135 | 706950 | – |
| 21. | सेवा समाज गुनपुर, जिला-रायगाडा, उड़ीसा | हॉस्टल | 1199245 | 599625 | 0 | – |
| 22. | श्री आर.के. मिशन आश्रम रामपुर, कालाहांडी, उड़ीसा | हॉस्टल एवं चल औषधालय, कृषि एवं संबद्ध प्रशिक्षण | 6487640 | 5300000 | 5395185 | – |
| 23. | सोशल वीकर अवेयरनेश डेवलपमेंट एण्ड इकोनामिक सर्विस (स्वदेशी), गोपाल बंधु नगर, फूलबनी, जिला-कंधमाल, उड़ीसा | आवासीय विद्यालय | 441541 | 1615307 | 1579230 | – |
| 24. | विश्व जीवन सेवा संघ सरदापुर, खुर्दा, उड़ीसा | आवासीय विद्यालय | 2032083 | 1039320 | 2020820 | – |
| 25. | भारत सेवाश्रम संघ (सोनारी), सोनारी (डब्ल्यू), रिवर्स मीट रोड, जमशेदपुर, झारखण्ड, जिला सुंदरगढ़ तथा मयूरगढ़ | आवासीय स्कूल, दो इकाई वाला सचल औषधालय, 10 बिस्तरों वाला अस्पताल तथा कताई, बुनाई एवं हथकरघा प्रशिक्षण | 2552569 | 0 | 6287019 | 785500 |
| 26. | लक्ष्मी नारायण सेवा प्रतिष्ठान, मानसा पोल जिला जाजपुर, उड़ीसा | आवासीय स्कूल | 0 | 2078640 | 2587311 | – |
| 27. | व्यक्ति विकास केन्द्र, नं. 19, 39वां क्रास, 11वां मेन चौथा टी ब्लॉक, जयनगर, बंगलौर-560041 | सचल औषधालय | 0 | 0 | 196680 | 837789 |
| 28. | भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापू स्मारक, सदन, नई दिल्ली | छात्रावास | 732690 | 851400 | 0 | – |
| | कुल | | 38551011 | 46808482 | 44719210 | 3950509 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **राजस्थान** | | | | | | |
| 1. | वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली, जिला-टोंक, राजस्थान | छात्रवृत्ति योजना | 3885000 | 1286250 | 0 | – |
| 2. | जनजाति महिला विकास संस्थान, सवाई माधोपुर, राजस्थान | हास्टल | 667113 | 0 | 686070 | – |
| 3. | मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति हीनता, बल्लभ नगरी, भिंडर, जिला उदयपुर, राजस्थान | आवासीय विद्यालय | 2038471 | 1028605 | 0 | – |
| 4. | संत श्री आसाराम जी आश्रम ट्रस्ट साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात (सुमेरपुर जिला उदयपुर) | सचल चिकित्सालय | 0 | 401670 | 0 | – |
| 5. | श्रद्धालय आश्रम समिति सूरपोल, कोटा, राजस्थान | आवासीय विद्यालय | 0 | 2036646 | 2564280 | – |
| | कुल | | 6590584 | 4753171 | 3250350 | – |
| **सिक्किम** | | | | | | |
| 1. | ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन आफ चोगने, टार, गंगटोक, सिक्किम | आवासीय विद्यालय तथा छात्रावास | 1831508 | 0 | 0 | – |
| 2. | मुयाल लियांग ट्रस्ट योंगड़ा हिल्स, डी.पी.सी.ए., गंगटोक, सिक्किम | आवासीय विद्यालय | 2156108 | 2959851 | 2074320 | 1178528 |
| | कुल | | 3987616 | 2959851 | 2074320 | 1178528 |
| **तमिलनाडु** | | | | | | |
| 1. | ग्रामीण मक्कल अबीविरुदी इयाक्कम (जीएमएआई), 125, कुमारन गार्डन, इदायरपलायम पिरवु, कुनियामुथुर पोस्ट, जिला कोयम्बटूर पिन-641008, तमिलनाडु | 10 बिस्तरों वाला अस्पताल एवं सचल औषधालय | 1082829 | 0 | 0 | – |
| 2. | न्यू लाइफ एजेंसी फॉर ट्राइबल पीपुल अपलिफ्टमेंट, वेल्लोर | हॉस्टल | 861795 | 0 | 1395605 | – |
| 3. | साउथ इंडिया एस.टी. वेलफेयर एशोसिएशन, साइदापेट | आवासीय विद्यालय | 0 | 2050787 | 0 | – |
| | कुल | | 1944624 | 2050787 | 1395605 | |
| **त्रिपुरा** | | | | | | |
| 1. | बहुजन हिताय एजुकेशन ट्रस्ट, बिशनुपुर, त्रिपुरा | आवासीय स्कूल | 157500 | 0 | 0 | – |
| 2. | आर.के. मिशन विवेकनगर, त्रिपुरा | हॉस्टल, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र तथा बांध | 582990 | 0 | 1445765 | – |
| 3. | त्रिपुरा काउंसिल फार वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, रामनगर, त्रिपुरा | सचल औषधालय | 0 | 346500 | 0 | – |
| 4. | त्रिपुरा आदिवासी महिला समिति, सलकामा, 9/4, कृष्णानगर, त्रिपुरा | आवासीय स्कूल | 0 | 202500 | 0 | – |
| 5. | व्यक्ति विकास केंद्र, भरत, ट्राइबल वेलफेयर प्रोजेक्ट आफिस, कीर्ति स्टूडियो, देवगंज रोड, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़-497001 (त्रिपुरा का पश्चिमी जिला) | सचल औषधालय | 401670 | 0 | 0 | 796884 |
| | कुल | | 1142160 | 549000 | 1445765 | 796884 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **उत्तर प्रदेश** | | | | | | |
| 1. | सर्वेन्ट आफ इंडिया सोसायटी, 846, शिवाजी नगर, पुणे-411001, महाराष्ट्र (बलरामपुर, लखिमपुर खीरी) | विभिन्न परियोजना | 0 | 2705840 | 1873172 | – |
| 2. | दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 7-ई, झंडेवालान एक्सटेंशन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली (जिला बलराम पुर, उत्तर प्रदेश) | सचल औषधालय | 0 | 0 | 925191 | – |
| 3. | भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली-55 (जिला लखीमपुर खीरी) | आवासीय विद्यालय | 0 | 3335004 | 0 | – |
| | कुल | | 0 | 6040844 | 2798363 | |
| **उत्तराखंड** | | | | | | |
| 1. | अशोक आश्रम ग्राम एवं पोस्ट-अशोक आश्रम, वाया-डाक पत्थर, जिला-देहरादून, उत्तराखंड | आवासीय विद्यालय | 0 | 3007571 | 1734097 | – |
| 2. | महिला ग्रामीण उत्थान समिति दीवान निवास, जिला परिषद भवन, तिदुक्कड़ी, जिला-पिथौरागढ़, उत्तराखंड | आवासीय विद्यालय | 0 | 1039320 | 1039320 | – |
| 3. | सीमांत अनुसूचित जाति एवं जनजाति सेवा संस्थान, उत्तराखंड | आवासीय विद्यालय | 0 | 599220 | 2192328 | – |
| 4. | समग्र ग्रामीण विकास समिति, ग्वाल दान, जिला चमोली, उत्तराखंड | सचल औषधालय | 0 | 803340 | 401598 | – |
| 5. | सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसायटी, पुणे, महाराष्ट्र (बाजपुर जिला उधम सिंह नगर) | आवासीय स्कूल एवं छात्रावास | 0 | 1476486 | 1139832 | – |
| | कुल | | 0 | 6925937 | 6507175 | |
| **पश्चिम बंगाल** | | | | | | |
| 1. | भारत सेवाश्रम संघ, (औरंगाबाद) पो. औरंगाबाद, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल | छात्रावास एवं सचल औषधालय | 0 | 2531026 | 2058300 | – |
| 2. | भारत सेवाश्रम संघ (बलुरघाट), बलुरघाट, जिला दक्षिण दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल | छात्रावास, पुस्तकालय एवं सचल पुस्तकालय-सह-श्रव्य दृश्य इकाई | 8367800 | 4281000 | 6943100 | – |
| 3. | भारत सेवाश्रम संघ, (बेलडंगा) बेलडंगा, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल | 2-आवासीय स्कूल, सचल औषधालय, 10 बिस्तरों वाला अस्पताल तथा टंकण आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र | 0 | 6854792 | 10762310 | – |
| 4. | भारत सेवाश्रम संघ (मुलुक) वाया बोलपुर, जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल | आवासीय स्कूल, 2-सचल औषधालय तथा कताई/ बुनाई हैंडलूम | 4101340 | 2047212 | 3787615 | – |
| 5. | भारत सेवाश्रम संघ (सुरी), जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल | छात्रावास एवं सचल औषधालय | 1192410 | 1238850 | 1397025 | – |
| 6. | भारत सेवाश्रम संघ (डोकरा) गांव+पो. डोकरा, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल | सचल औषधालय एवं आवासीय स्कूल | 1231797 | 0 | 4976896 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | भारत सेवाश्रम संघ (फरक्का) बहरामपुर, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल | छात्रावास | 0 | 875687 | 721755 | – |
| 8. | भारत सेवाश्रम संघ, पो. बहरामपुर, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल | छात्रावास | 0 | 873450 | 721755 | – |
| 9. | भारत सेवाश्रम संघ (घाकसोल), घाकसोल यूनिट, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल | सचल औषधालय एवं छात्रावास | 949506 | 1955590 | 1727550 | – |
| 10. | भारत सेवाश्रम संघ (पांजीपुर), गांव पांजीपुर, पोस्ट आफिस सिंध जिला हुगली, पश्चिम बंगाल | छात्रावास एवं पुस्तकालय | 0 | 1588340 | 0 | 1043910 |
| 11. | भारत सेवाश्रम संघ (नादिया), वाया कुसुरिया, पो. प्रीतिनगर, जिला नाडिया, पश्चिम बंगाल | आवासीय स्कूल छात्रावास, कंप्यूटर तथा टाइपिंग प्रशिक्षण केंद्र तथा सचल औषधालय | 1948539 | 2049155 | 2954033 | – |
| 12. | भारत सेवाश्रम संघ (पुरुलिया), पो. रघुनाथपुर जिला पुरुलिया, पश्चिम बंगाल | छात्रावास, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र तथा सचल औषधालय | 0 | 1434706 | 0 | 1198666 |
| 13. | भारत सेवाश्रम संघ (रायगंज), रायगंज, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल | सचल औषधालय | 591705 | 401670 | 706950 | – |
| 14. | भारत सेवाश्रम संघ (ताजपुर), ताजपुर यूनिट, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल | सचल औषधालय एवं छात्रावास | 791294 | 1539547 | 1422225 | – |
| 15. | भारत सेवाश्रम संघ (टियोर) गांव साहपुर, पो. टियोर, जिला दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल | सचल औषधालय एवं छात्रावास | 2520600 | 1260300 | 2102200 | – |
| 16. | भारत सेवाश्रम संघ (कुनोर), गांव/पो. कुनोर, जिला उत्तर दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल | छात्रावास | 732600 | 732600 | 1185030 | – |
| 17. | विकास भारती वेलफेयर सोसायटी, 20/1/बी, लाल बाजार स्ट्रीट, कोलकाता | सचल औषधालय | 195435 | 781740 | 390870 | |
| 18. | बिरसा मुंडा एजूकेशन सेंटर ग्राम-क्रांति, पोस्ट-क्रांति हाट, जिला-जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल | आवासीय विद्यालय | 4897917 | 1973340 | 3282930 | – |
| 19. | गोहालडिहा जाति उपजाति ब्लू बर्ड महिला कल्याण केंद्र कोहालडिहा, जिला-मिदनापुर, पश्चिम बंगाल | आवासीय विद्यालय | 1039320 | 2921616 | 2459520 | – |
| 20. | हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एशोसिएशन, बुद्ध केंद्र, सालूगाड़ा, पश्चिम बंगाल | अनावासीय विद्यालय | 601830 | 601820 | 1541970 | – |
| 21. | खालिसगड़िहा सोसायटी फार ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट खालिसगड़िहा, जिला-मिदनापुर, पश्चिम बंगाल | आवासीय विद्यालय | 1039320 | 1024110 | 4196494 | – |
| 22. | पश्चिम बंगा खेरिया साबर कल्याण समिति, पश्चिम बंगाल गांव+पो. राजनोवागढ़, जिला पुरुलिया, पिन-723128, पश्चिम बंगाल | छात्रावास | 294862 | 0 | 0 | – |
| 23. | प्रणब कन्या संघ प्रणब पाली, पोस्ट-कोरा चण्डीगढ़, मध्यम ग्राम, जिला-नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल | होस्टल | 0 | 1313550 | 0 | – |
| 24. | आर.के. मिशन ब्वायज होम राहरा, जिला-24 नार्थ परगना, पश्चिम बंगाल | हास्टल एवं आवासीय | 0 | 2100240 | 1600470 | – |
| | कुल | | 30496275 | 40380351 | 54938998 | 2242576 |

*2. योजना का नाम: कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान निधि पोषित गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों की राज्य-वार सूची*

(राशि रुपए में)

| क्र.सं. | संगठनों के नाम | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 (30.06.09 को) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **आंध्र प्रदेश** | | | | | |
| 1. | आंध्र प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर आश्रम एण्ड रेजीडेंसियल एजूकेशन इंस्टीट्यूशन सोसायटी, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) (श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, खम्माम, वारंगल, आदिलाबाद, गुंटूर, प्रकाशम, नेल्लोर, कुडाप्पा, कुरनूल, महबूबनगर, रंगारेड्डी जिले में शैक्षिक परिसर) | 9850305 | 138097195 | 189418110 | - |
| 2. | चैतन्य एजुकेशनल एण्ड रूरल डेवलपमेंट कुडप्पा, आंध्र प्रदेश | 0 | 2652000 | 699000 | - |
| 3. | नवोदय इन्टीग्रेशन कल्चरल सोशल एजुकेशन एण्ड वाल्यून्टरी एक्श, करनूल, आंध्र प्रदेश | 0 | 2672000 | 0 | - |
| 4. | सरोजनी देवी हरिजन महिला मंडली 10/11/635, बुरहानपुर, जिला-खम्माम | 308469 | 0 | 867000 | - |
| 5. | सोशल इन्टीग्रेशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, नलगोण्डा | 1900134 | 0 | 0 | - |
| 6. | वेनेला एजूकेशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, हैदराबाद | 757192 | 0 | 0 | - |
| | कुल | 12816100 | 143421195 | 190984110 | |
| **अरुणाचल प्रदेश** | | | | | |
| 1. | भारत सेवा श्रम संघ, लाखड़ा रोड काहिलीपाडा, गोहाटी, असम (पाके कासिंग, जिला-पश्चिमी कामेंग) | 0 | 0 | 375000 | - |
| | कुल | 0 | 0 | 375000 | |
| **छत्तीसगढ़** | | | | | |
| 1. | विवेकानन्द इंस्टीच्यूट आफ सोशल हेल्थ एण्ड वेल्फेयर सर्विस, नारायणपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ | 1585800 | 1606000 | 3913218 | - |
| | कुल | 1585800 | 1606000 | 3913218 | |
| **गुजरात** | | | | | |
| 1. | गुजरात स्टेट ट्राइब्ल डेवलपमेंट रेजिडेंशल इंस्टीट्यूट सोसाइटी, बिरसा मुंडा भवन, गांधी नगर, (गांव खड्कवाडा (फेरकुवां), किडीघोघादेव, मलाजा (एकलबाड़ा), छोड़वानी, मोगरा, सैदिवासन, भिखापुर, मुआदा, सालोज, धरसिमेल, घुटियाम्बा, तिसयाता, जिला-बड़ोदरा), (गांव मंडोर, नीमच, निनामानी-वॉव, गरादिया, नानी खजूरी, फतेपुरा, उसरवन, जिला दाहोद), गांव सुत्रपाड़ा, कोड़चन्द, जिला वलसार, गांव शैल्या मुआदी, नरूकोट, घोघंभा, खैरवा, जिला पंचमहल), (गांव सरोत्रा जिला बंसकांथा, गांव डेडियापाडा जिला नर्मदा), गांव विरमपुर, जैथी, महुदी (गढ़), रणपुर (अम्बा), (जिला बंसकांता, गांव खेड़ब्रह्मा जिला सबरकांथा, गांव बाबर घाट जिला तापी, गांव पीपल पडिया, जिला दंग, गांव जुना नागावड़ा, जिला मुख्यालय जुनागढ़, गांव शहपुर, जिला अहमदाबाद) | 0 | 0 | 38708400 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | लोक निकेतन, एटी-ककनपुर, बंसकांथा, गुजरात | 2005733 | 0 | 1352200 | 2821147 |
| 3. | श्री सर्वोदय आश्रम ट्रस्ट, सनाली तालुका दांते, जिला बंसकांथा, गुजरात | 1124685 | 0 | 508000 | – |
| | कुल | 3130418 | 0 | 40568600 | 2821147 |
| **झारखंड** | | | | | |
| 1. | भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली (लुम्बई, जिला पश्चिमी सिंहभूम) | 300000 | 450000 | 0 | – |
| 2. | झारखंड विकास संस्था, एल.-104, हाऊसिंग कालोनी रांची, झारखंड | 0 | 0 | 375000 | – |
| | कुल | 300000 | 450000 | 375000 | |
| **कर्नाटक** | | | | | |
| 1. | कर्नाटक रेजीडेंशियल एजुकेशनल सोसायटी, कर्नाटक (गुरुगुंटा, हुसकुरमाला, काक्केरा हथीकुनी तथा सागर जिले में 5-शैक्षिक परिसर) | 0 | 18016000 | 0 | – |
| | कुल | 0 | 18016000 | 0 | |
| **मध्य प्रदेश** | | | | | |
| 1. | आदर्श लोक कल्याण संस्था, जे.आर. बिरला रोड, नियर ज्ञान मंदिर, हाईयर सेकेंडरी स्कूल, सतना, मध्य प्रदेश (2-शैक्षिक परिसर) (करकी गरूएबादी जिला-शहदोल) | 2820000 | 0 | 8184086 | – |
| 2. | अमय ग्रामीण उत्थान समिति, सीएसए मार्ग, राणापुर, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश | 0 | 0 | 212500 | – |
| 3. | बंधेवाल शिक्षा समिति, 92-ओल्ड नारियल खेडा, भोपाल, मध्य प्रदेश | 4193000 | 0 | 4536700 | – |
| 4. | केशव ग्रामोत्थान शिक्षण समिति, गांव तिक्रिया, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश | 0 | 0 | 750000 | – |
| 5. | मध्य प्रदेश ट्राइब्ल वेलफेयर रेजिडेंशियल एंड आश्रम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोसाइटी, सतना भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश (जिला-बदवानी, सिद्धि जिला-रतलाम झाबुआ, खरगांव (पश्चिमी निमाड), बैतुल, हरदा, उमरिया, शहदोल, धार, खांडवा (अब तक पूर्वी निमाड), डिन्डोरी, मांडला | 0 | 0 | 14889200 | – |
| 6. | म.प्र. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ, 166-ई, मुनिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश | 527957 | 0 | 2892100 | – |
| 7. | पुष्पा कान्वेंट एजुकेशनल सोसायटी, पुष्पा नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश (घोदादोनगिरी, जिला बैतुल) | 0 | 2793000 | 3472830 | – |
| 8. | राजेंद्र आश्रम ट्रस्ट, काठीवाड़ा, झबुआ, मध्य प्रदेश | 1090000 | 1080000 | 2548400 | – |
| 9. | रूरल डेवलपमेंट सर्विस सोसायटी, सिलवानी, मध्य प्रदेश | 459000 | 450000 | 0 | – |
| 10. | सब्या सांची सेंटर फोर अरबन एण्ड रूरल डेवलपमेंट, अरुणनगर, जिला सिद्धि, मध्य प्रदेश | 1814000 | 2520200 | 0 | 5410639 |
| 11. | सेवा भारती, शैल्या जिला डिन्डोरी, भोपाल, मध्य प्रदेश | 263872 | 0 | 0 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. | श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवाश्रम, माई की बगिया, अमरकंटक, जिला अनुपुर, पिन-484886, मध्य प्रदेश | 1181607 | 569867 | 2039693 | – |
| 13. | दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 7-ई, रामतीर्थ नगर, नई दिल्ली | 1095000 | 0 | 0 | – |
| 14. | ग्रामीण सेवा केन्द्र, मंडलीनाथु, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश | 549000 | 689000 | 0 | 1845950 |
| | कुल | 13993436 | 8102067 | 39525509 | 7256589 |
| **महाराष्ट्र** | | | | | |
| 1. | एबीएम समाज प्रबोधन संस्था, शाहपुर, जिला थाने, महाराष्ट्र | 1238000 | 0 | 0 | – |
| 2. | संधि निकेतन शिक्षण संस्था, बड़गांव, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र | 1537200 | 1392200 | 0 | – |
| | कुल | 2775200 | 1392200 | 0 | |
| **उड़ीसा** | | | | | |
| 1. | अरुण इंस्टीट्यूट आफ रूरल अफेयर्स, बेटा गांव, पीओ-करमुल, जिला धेनकानाल, उड़ीसा | 2825466 | 1428000 | 3428718 | – |
| 2. | ब्राइट कैरियर एकाडमी, दोलोमंडप, पोओ-जैतपुर, कोरापुत, उड़ीसा | 1413000 | 1440000 | 2853444 | 199256 |
| 3. | जनरल इंस्टीट्यूट आफ ट्राइब्ल एसोसिएशन, ब्राहमनपद, जिला कंदमाल, उड़ीसा | 0 | 0 | 3063000 | – |
| 4. | कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, उत्कल ब्रांच, पीओ-सत्यभामपुर, जिला गोपालवाड़ी (केटिगुडा) जिला रायगाडा, उड़ीसा | 379886 | 0 | 459963 | 1206695 |
| 5. | कोरापुट डेवलपमेंट फाउंडेशन, उदलगुडा, पोओ-जैपुर, जिला कोरापुत, उड़ीसा | 2014470 | 1440000 | 3136700 | – |
| 6. | लिबरेशन एजूकेशन एण्ड एक्शन फोर डेवलपमेंट (एलईएडी) ग्रा. सुन्दरगढ़, जिला कोरापुत, उड़ीसा | 2814200 | 1423000 | 3076700 | – |
| 7. | मर-म्यूनिंग आश्रम, औरबिन्दो, पोओ-जैपुर, कोरापुत, उड़ीसा | 1456300 | 975000 | 2446200 | – |
| 8. | एनवाईएसएडीआरआई, ऐट-संथसारा, पीओ-संथापुर, जिला धेनकनाल, उड़ीसा | 2570743 | 1179000 | 2706110 | – |
| 9. | उड़ीसा माडल ट्राइब्स ऐजुकेशन सोसाइटी, भुवनेश्वर, उड़ीसा (गांव अरिशकनी, परसाली, केरीबा जिला रायगढ़, गांव अंगारपाड़ा, चिकतमतिया, जिला मयूरभंज (गांव सीबीदा जिला अंगूल), (गांव तिपसिंग, बाघमारी, जिला गजपती) (गांव बडबेल, नंदनीगुडा, बड़ा पाडा जिला मलकानगिरी), (गांव सालेपाडा, जिला नवपाडा, गांव खुन्त गांव, जिला सुन्दरगढ़, गांव झारबेहल, जिला देवगढ़), गांव बनीपंगा, जिला कालाहांडी, (गांव घूम्मस्क, जिला कंदमाल, गांव लोकसाही, जिला गंजम, गांव गोनासिका अपर कुस्मीता, जिला क्योंझर) | 0 | 0 | 82527800 | – |
| 10. | परकल्पा, पोओ-ज्योतिपुर, क्योंझर, उड़ीसा | 0 | 0 | 4876400 | – |
| 11. | सर्वेन्ट ऑफ इंडिया सोसायटी, पोओ-रायगडा, जिला रायगडा, उड़ीसा | 882452 | 430706 | 1336320 | – |
| 12. | सेवा समाज, जबरगुडा, जिला रायगडा, उड़ीसा | 1350000 | 678000 | 0 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | सोशल एजुकेशन फार एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट (सीड), एन-2/252 आईआरसी विलेज नायपल्ली, भुवनेश्वर, उड़ीसा (शारदा टोंडापल्ली ब्लाक-कोरूकोंडा, जिला मल्कानगिरी) | 1752536 | 950800 | 2279990 | – |
| 14. | सोशल वेलफेयर एण्ड रूरल डेवलपमेंट, ग्राम एवं पोस्ट-बैनसिया, जिला-ढेंकानाल | 3137000 | 1401000 | 0 | – |
| 15. | सोसायटी फार नेचर, हेल्थ एण्ड एजूकेशन, बारीगुडा ब्लाक, बिसम कटक, जिला रेयाडा, उड़ीसा | 2472000 | 1484000 | 0 | 3210780 |
| 16. | श्री रामाकृष्णा आश्रम ग्राम एवं पोस्ट-बादारोहिला, जिला-आंगुल | 2837826 | 1428000 | 3094700 | – |
| 17. | टैगोर सोसायटी फार रूरल डेवलपमेंट, मारकेलगुडम, ब्लाक कोरूकंडा, जिला मलकान गिरी, उड़ीसा | 1204000 | 1243000 | 3064904 | – |
| 18. | सर्वोदय समिति, गांधी नगर, जिला कोरापुट, उड़ीसा | 1989000 | 424963 | 1015037 | 3016700 |
| 19. | भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली (जिला मयूरभंज) | 900000 | 0 | 0 | – |
| | कुल | 29998879 | 15925469 | 119365986 | 7633431 |
| **राजस्थान** | | | | | |
| 1. | जनजातीय महिला विकास संस्थान अनुराग निवास, जिला-सवाई माधोपुर | 2595800 | 0 | 1247257 | – |
| 2. | लोक भारतीय प्रतिष्ठान, बड़काई, ग्राम एवं पोस्ट-डूंगला, पिन-312402, जिला-चित्तौड़, राजस्थान | 0 | 740269 | 0 | – |
| 3. | महावीर जैन विद्यालय संस्थान, उदयपुर | 966000 | 0 | 0 | – |
| 4. | मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति, हिंता भिंडर, जिला उदयपुर, राजस्थान | 2293000 | 2544000 | 0 | – |
| 5. | राजस्थान बाल कल्याण समिति ग्राम एवं पोस्ट-झाडोल (फलेरिया), जिला-उदयपुर, राजस्थान | 2813400 | 1634000 | 3645320 | – |
| | कुल | 8668200 | 4918269 | 4892577 | |
| **पश्चिम बंगाल** | | | | | |
| 1. | भारत सेवाश्रम संघ, बेलडांगा, चनक, जिला-मुर्शिदाबाद, उत्तर प्रदेश | 5862100 | 3668800 | 0 | – |
| | कुल | 5862100 | 3668800 | 0 | |

*3. योजना का नाम: जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र*

*पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान निधिपोषित किये गए स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी सगंठनों की राज्य-वार सूची*

(राशि रुपए में)

| क्र.सं. | संगठनों के नाम | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 (30.06.09 को) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **असम** | | | | | |
| 1. | डॉ. अम्बेडकर मिशन, गांव-धोपात्री, जिला-कामरूप, असम | 1410000 | 1650000 | 1410000 | – |
| 2. | ग्राम विकास परिषद, गांव-रंगालू, पो. औ.-जुमारपुर, जिला-नागांव, असम | 1398000 | 1398000 | 1398000 | – |
| 3. | पथारी वोकेशनल इंस्टीट्यूट, बार लाइब्रेरी, नागांव, असम | 1398000 | 1398000 | 1398000 | – |
| | कुल | 4206000 | 4446000 | 4206000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **छत्तीसगढ़** | | | | | |
| 1. | जेमेलाजिकल डेवलेपमेंट इंस्टीट्यूट ओल्ड आरटीओ बिल्डिंग देवपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ | 842500 | 402571 | परियोजना बंद हो गई | – |
| | कुल | 842500 | 402571 | 0 | |
| **गुजरात** | | | | | |
| 1. | सेवा-रूरल सोसाइटी फार एजुकेशन वेलफेयर एण्ड एक्शन गुमानदेव, एट-झगड़िया, पो.औ. कपलसाड़ी, तहसील-झगड़िया, जिला-भरूच, गुजरात-393110 | 0 | 2431500 | 405000 | – |
| | कुल | 0 | 2431500 | 405000 | |
| **कर्नाटक** | | | | | |
| 1. | श्री मंजूनाथ स्वामी विद्या संस्था, सिद्दवीरप्पा वदावाने, दवांगेरे, कर्नाटक | 2796000 | 1398000 | 1398000 | – |
| 2. | अशोक ट्रस्ट फार रिसर्च इन इकोलाजी एण्ड इनवायरमेंट, सं. 659, पांचवी (ए) मेन रोड, हेब्बल बैंगलोर, पिन-560024 | 0 | 513750 | 0 | – |
| | कुल | 2796000 | 1911750 | 1398000 | |
| **मध्य प्रदेश** | | | | | |
| 1. | अंकित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति, विनय नगर, बराई, जिला-ग्वालियर, मध्य प्रदेश | 2796000 | 1398000 | 0 | – |
| 2. | बंदेलवाल शिक्षा समिति, लादकुई, जिला-सिहोर, मध्य प्रदेश | 0 | 2749500 | 2820000 | – |
| | कुल | 2796000 | 4147500 | 2820000 | |
| **महाराष्ट्र** | | | | | |
| 1. | प्रियदर्शनी ग्रामीण एण्ड आदिवासी सेवाभावी संस्था, 1-दीपराज काम्पलेक्स, न्यू नगर रोड, सगमनेर, जिला-अहमदनगर, महाराष्ट्र | 2506201 | 1386000 | 0 | – |
| | कुल | 2506201 | 1386000 | 0 | |
| **मेघालय** | | | | | |
| 1. | नौंगक्रेम यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन, पो.औ.-नौंगक्रेम वाया मादामृतिंग, शिलांग-793021 | 1380000 | 1078473 | 1398000 | – |
| | कुल | 1380000 | 1078473 | 1398000 | |
| **नागालैण्ड** | | | | | |
| 1. | वितोल ओमेंन सोसाइटी कोहीमा, तेंजिफ, दिमापुर नागालैण्ड | 0 | 1122766 | 1716000 | – |
| 2. | ओमेंन वेलफेयर सोसाइटी अतोइजू, जुनहेबोतो, नागालैण्ड | 0 | 1362000 | 2796000 | – |
| | कुल | 0 | 2484766 | 4512000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **राजस्थान** | | | | | |
| 1. | लक्ष्मी गृह उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड, प्रतापगढ़, जिला-चित्तौड़गढ़, राजस्थान | 462000 | 0 | 0 | – |
| | कुल | 462000 | 0 | 0 | |
| **तमिलनाडु** | | | | | |
| 1. | भारथियार मक्कल नलवल संघम, 82 सन्यासी, कुंदू एक्स. कितचिपलायम, सलेम-636015 | 0 | 4211440 | 0 | – |
| | कुल | 0 | 4211440 | 0 | |

*4. योजना का नाम: विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) का विकास*

*पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनजीओ को निर्मुक्त राशि दर्शाने वाला विवरण*

(लाख रुपए में)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | कार्यान्वयनकारी एजेंसी राज्य/एनजीओ का नाम | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 (30.06.09 तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | छत्तीसगढ़ | (1) विश्वास, नारायणपुर, जिला-बस्तर | 4.260 | 1.951 | 0.000 | – |
| | | (2) रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर, जिला-बस्तर | 8.936 | 0.000 | 0.000 | – |
| 2. | हिमाचल प्रदेश | दि डब्बलिंग हेंडिक्राप्ट हेंडलुम डेवलपमेंट एण्ड वेलफेयर एसोसिएशन शिमला, हिमाचल प्रदेश | 3.300 | 0.000 | 0.000 | – |
| 3. | झारखण्ड | (1) भारत सेवा आश्रम संघ, सोनारी, जमशेदपुर | 134.954 | 174.261 | 165.885 | – |
| | | (2) भारत सेवा आश्रम संघ, पकुर, पश्चिम बंगाल | 25.695 | 25.645 | 28.265 | – |
| | | (3) विकास भारतीय, गुमला, ई. सिंहभूम | 34.610 | 0.000 | 0.000 | – |
| | | (4) भारत सेवा आश्रम संघ, बाराजुरी, वाया घाटसिला, झारखण्ड | 0.000 | 39.460 | 37.829 | – |
| 4. | कर्नाटक | (1) स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, जिला-मैसूर | 8.350 | 0.000 | 19.275 | – |
| 5. | मध्य प्रदेश | (1) बोंडेड लिब्रेशन फंड, नई दिल्ली | 11.676 | 12.661 | 0.000 | – |
| | | (2) सेवा भारती भोपाल | 41.504 | 31.921 | 0.000 | – |
| 6. | महाराष्ट्र | (1) आदिम ट्राईबल एवं वीकर सेक्सनस एमपावरमेंट सोसाइटी, पुणे | 16.363 | 0.000 | 0.000 | – |
| | | (2) महारोगी सेवा समिति, वरोरा (लोक बिरादरी प्रकल्प), हिमालकासा, पो.औ.-भमरागढ़, जिला-गढ़चिरोली, पिन-442710 महाराष्ट्र | 0.000 | 49.776 | 0.000 | 28.194 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | मणिपुर | (1) सेनापति डिस्ट्रीक इकनोमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिला-सेनापति, मणिपुर | 20.786 | 0.000 | 0.000 | – |
| 8. | तमिलनाडु | (1) नीलगिरी आदिवासी वेलफेयर एसोसिएशन, कोटागिरी, नीलगिरी | 78.357 | 59.217 | 52.870 | – |
| 9. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | अंडमान आदिमजनजाति विकास समिति | 0.000 | 149.000 | 0.000 | – |
| | | कुल योग | 388.791 | 543.892 | 304.124 | 28.194 |

*[अनुवाद]*

**पंचायत घर का प्रावधान**

**217. डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा:** क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के प्रत्येक गांव में पंचायत घर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को विशेष निधियां संवितरित की गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी):** (क) से (ग) ''स्थानीय सरकार'' राज्य विषय है और प्रत्येक पंचायत को पंचायत घर की अनिवार्य अवसंरचना उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी प्रत्येक राज्य की है। पंचायत घरों की उपलब्धता के संबंध में डाटा का अनुरक्षण पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नहीं की जाती है।

(घ) और (ङ) पंचायत घर उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को कोई विशेष निधि संवितरित नहीं की गई है। तथापि पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (आरजीएसवाई) के पंचायत अवसंरचना घटक के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित करती है। राज्यों के पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के तहत शामिल नहीं किये गये जिलों के संबंध में प्राप्त हुए प्रस्तावों के आधार पर उन्हें निधियां उपलब्ध करायी जाती हैं। यह स्कीम वर्ष 2006-07 से कार्यान्वित की जा रही है। आरजीएसवाई के तहत नये पंचायत घर निर्माण करने के लिए 2.50 लाख रुपये तथा उन्नयन/मरम्मत कार्य हेतु 1.25 लाख रुपये की दर से निधियां उपलब्ध करायी जाती हैं। पंचायत घर एवं संसाधन केन्द्र हेतु राज्यवार जारी की गई निधियां निम्नवत हैं:

| क्र.सं. | राज्य का नाम | जारी की गई राशि (लाख रुपये में) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 |
| 1. | अरुणाचल प्रदेश | – | 93.75 | 600.00 |
| 2. | असम | – | 722.34 | 237.00 |
| 3. | बिहार | 237.50 | – | – |
| 4. | गुजरात | 300.00 | – | – |
| 5. | हिमाचल प्रदेश | 200.00 | 200.00 | 572.00 |
| 6. | मणिपुर | – | 113.91 | – |
| 7. | उड़ीसा | – | 492.00 | – |
| 8. | राजस्थान | 300.00 | – | – |
| 9. | सिक्किम | 157.50 | – | – |
| 10. | त्रिपुरा | 60.00 | – | 395.00 |
| 11. | पश्चिम बंगाल | 12.50 | – | – |
| | योग | 1267.50 | 1622.00 | 1804.00 |

**कनिहा विद्युत परियोजना**

**218. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एन.टी.पी.सी.) द्वारा देश में शुरू की गई विद्युत परियोजनाओं की संख्या राज्य-वार कितनी है;

(ख) क्या एन.टी.पी.सी. ने उड़ीसा स्थित कनिहा विद्युत संयंत्र सहित देश में अपने संयंत्रों में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी):** (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में एनटीपीसी लि. द्वारा चालू की गई विद्युत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा निम्न प्रकार से हैं:

| क्र.सं. | राज्य | पिछले तीन वर्षों के दौरान एनटीपीसी द्वारा चालू की गई विद्युत परियोजनाओं की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | बिहार | 3 |
| 2. | छत्तीसगढ़ | 4 |
| 3. | मध्य प्रदेश | 2 |
| 4. | महाराष्ट्र | 2 |
| 5. | उत्तर प्रदेश | 1 |

(ख) और (ग) वर्तमान में निर्माणाधीन एनटीपीसी परियोजनाओं का विवरण निम्न प्रकार से हैं:

| क्र.सं. | परियोजना | क्षमता (मे.वा.) | क्षेत्र (राज्य) |
|---|---|---|---|
| **तापीय** | | | |
| 1. | बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज-1 | 1980 | बिहार |
| 2. | बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज-2 | 1320 | बिहार |
| 3. | सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज-1 | 1980 | छत्तीसगढ़ |
| 4. | कोरबा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज-3 | 500 | छत्तीसगढ़ |
| 5. | फरक्का सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज-3 | 500 | पश्चिम बंगाल |
| 6. | नेशनल कैपीटल थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज-2 | 980 | उत्तर प्रदेश |
| 7. | रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज-3 | 1000 | उत्तर प्रदेश |
| 8. | सिम्हाद्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज-2 | 1000 | आंध्र प्रदेश |
| 9. | इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, झज्जर* | 1500 | हरियाणा |
| 10. | बेल्लूर थर्मल पावर प्रोजेक्ट* | 1000 | तमिलनाडु |
| 11. | मौदा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट | 1000 | महाराष्ट्र |
| 12. | बोंगाइगांव थर्मल पावर प्रोजेक्ट | 750 | असम |
| 13. | नवीनगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट* | 1000 | बिहार |
| 14. | विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज-4 | 1000 | मध्य प्रदेश |
| **हाइड्रो** | | | |
| 15. | कोलडैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट | 800 | हिमाचल प्रदेश |
| 16. | लोहारीनाग पाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट | 600 | उत्तराखंड |
| 17. | तपोवन-विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट | 520 | उत्तराखंड |
| | कुल क्षमता | 17430 | |

*संयुक्त उद्यम परियोजनाएं

वर्तमान में, एनटीपीसी के तलचर (कनिहा) पावर स्टेशन के विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

## विद्युत क्षेत्र में नकदी

**219. श्रीमती सुप्रिया सुले:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा घोषित वित्तीय 'स्टीमुलस पैकेज' से देश में विद्युत क्षेत्र में अधिक नकदी आएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र की निधि आवश्यकताओं में किस हद तक मदद मिलने की संभावना है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इससे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत क्षेत्र के लिए निधि आवश्यकताओं के उपायों में किस सीमा तक मदद मिलेगी, यह बताना कठिन है।

## कर्नाटक में आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाएं

**220. श्री एन. चेलुवरया स्वामी:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को कर्नाटक सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान परियोजनाओं के अंतर्गत जारी की गई राशि तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धि का ब्यौरा क्या है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के अंतर्गत कुल 825 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। अनुमोदित परियोजनाओं और जारी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

***विवरण***

*एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 2006-07 | | | | | 2007-08 | | | | | 2008-09 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुमोदित परियोजनाओं की सं. | अनुमोदित कुल परियोजना लागत | अनुमोदित केन्द्रीय अंश | अनुमोदित कुल आवासों की सं. (न्यू+ उन्नत) | वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अतिरिक्त केन्द्रीय अंश | अनुमोदित परियोजनाओं की सं. | अनुमोदित कुल परियोजना लागत | अनुमोदित केन्द्रीय अंश | अनुमोदित कुल आवासों की सं. (न्यू+ उन्नत) | वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अतिरिक्त केन्द्रीय अंश | अनुमोदित परियोजनाओं की सं. | अनुमोदित कुल परियोजना लागत | अनुमोदित केन्द्रीय अंश | अनुमोदित कुल आवासों की सं. (न्यू+ उन्नत) | वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अतिरिक्त केन्द्रीय अंश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 25 | 301.92 | 210.57 | 25170 | 83.33 | 32 | 385.3 | 300.55 | 4087 | 172.23 | 13 | 14 | 253.45 | 18639 | 48.91 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | | | | | | | | | | | 1 | 95 | 8.66 | 176 | 0 |
| 3. | दादरा एवं नगर हवेली | | | | | | 1 | 0.50 | 0.45 | 0 | 0.23 | 20 | 451.87 | | | 0 |
| 4. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | | | | | | 1 | 5.27 | 4.74 | 40 | 2.37 | 1 | 9.95 | 8.9 | 0 | 0 |
| 5. | दमन एवं दीव | | | | | | 1 | 0.69 | 0.58 | 16 | 0.29 | | | | | 0 |
| 6. | असम | 3 | 12.24 | 10.79 | 613 | 5.09 | 9 | 26.07 | 22.32 | 4780 | 11.46 | 1 | 9.88 | 23.38 | 1984 | 7.39 |
| 7. | बिहार | 7 | 48.81 | 36.55 | 4167 | 8.96 | 3 | 31.92 | 23.21 | 2333 | 20.92 | | | 64.21 | 3264 | 32.1 |
| 8. | छत्तीसगढ़ | 14 | 176.5 | 122.01 | 14846 | 31.26 | | | | | 29.74 | 3 | 28.76 | 36.82 | 3076 | 0 |
| 9. | गुजरात | 8 | 72.07 | 51.54 | 6200 | 18.00 | 15 | 155.43 | 101.59 | 12205 | 53.52 | 6 | 113.39 | 73.22 | 6108 | 33.84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | हरियाणा | 15 | 238.84 | 182.96 | 14641 | 49.61 | | | | | 41.87 | 4 | 49.1 | 26.74 | 1785 | 0 |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | | | | | | 3 | 23.44 | 16.19 | 816 | 1.71 | 9 | 114.58 | 20.88 | 800 | 6.39 |
| 12. | जम्मू और कश्मीर | | | | | | 10 | 42.4 | 32.23 | 2654 | 16.12 | 3 | 33.42 | 27.6 | 3408 | 13.8 |
| 13. | झारखंड | | | | | | 1 | 19.67 | 15.58 | 1292 | 7.79 | 3 | 31.9 | 66.65 | 6576 | 33.33 |
| 14. | कर्नाटक | 5 | 68.46 | 41.9 | 4070 | 14.93 | 20 | 171.81 | 103.86 | 8983 | 57.95 | 15 | 42.6 | 76.93 | 4184 | 0 |
| 15. | केरल | 15 | 65.25 | 50.1 | 6480 | 21.46 | 11 | 71.45 | 53.85 | 64.11 | 22.46 | 6 | 123.67 | 41.94 | 5800 | 47.82 |
| 16. | मध्य प्रदेश | 23 | 197.17 | 138 | 14644 | 45.77 | 10 | 44.72 | 33.07 | 2518 | 39.77 | 9 | 139.38 | 21.88 | 1708 | 10.94 |
| 17. | मिजोरम | | | | | | 1 | 8.27 | 6.21 | 500 | 0 | 11 | 55.5 | 23.57 | 1450 | 3.77 |
| 18. | मणिपुर | | | | | | 2 | 16.50 | 12.37 | 1103 | 0 | 4 | 28.48 | 8.33 | 663 | 6.18 |
| 19. | मेघालय | | | | | | 1 | 21.82 | 8.97 | 456 | 0.91 | 7 | 31 | 13.46 | 456 | 3.58 |
| 20. | महाराष्ट्र | 15 | 152.67 | 120.71 | 13036 | | 20 | 245.77 | 181.94 | 18091 | 55.53 | 1 | 10.83 | 827.96 | 58812 | 386.79 |
| 21. | नागालैंड | 1 | 87.74 | 44.14 | 2496 | | | | | | 12.44 | 12 | 19.66 | | | 0 |
| 22. | उड़ीसा | | | | | | 15 | 83.63 | 59.13 | 4884 | 14.92 | 68 | 1390.85 | 117.2 | 7709 | 55.34 |
| 23. | पंजाब | | | | | | 2 | 42.4 | 25.55 | 3938 | 12.77 | | | 7.07 | 720 | 3.54 |
| 24. | पुडुचेरी | | | | | | 1 | 17.03 | 5.48 | 432 | 1.35 | 16 | 184.06 | | | 0.96 |
| 25. | राजस्थान | 17 | 140.06 | 110.08 | 10981 | | 10 | 186.37 | 122.24 | 11526 | 67.25 | 1 | 21.01 | 48.36 | 3214 | 40.24 |
| 26. | तमिलनाडु | 22 | 146.05 | 112.56 | 12931 | | 8 | 79.61 | 56.64 | 6832 | 34.03 | | | 162.77 | 15500 | 77.38 |
| 27. | त्रिपुरा | | | | | | 1 | 7.19 | 6.33 | 400 | 3.17 | 4 | 83.37 | 17.6 | 1150 | 0 |
| 28. | उत्तर प्रदेश | 8 | 29.01 | 22.21 | 2032 | | 1 | 4.29 | 2.78 | 204 | 0 | 52 | 249.24 | 485.32 | 29733 | 256.5 |
| 29. | उत्तराखण्ड | | | | | | 2 | 5.85 | 2.91 | 231 | 1.45 | 2 | 20.01 | | | 0 |
| 30. | पश्चिम बंगाल | 16 | 201.20 | 150.57 | 12824 | | 44 | 365.43 | 260.70 | 20061 | 110.00 | 124 | 71.75 | 269.77 | 19726 | 227.42 |
| | | 194 | 1937.99 | 1404.59 | 145131 | 49261 | 225 | 2062.83 | 1459.47 | 114793 | 792.25 | 34 | 377.09 | 2732.67 | 196641 | 1296.22 |

## भारत दर्शन वर्ष

**221. श्री एस.एस. रामासुब्बू:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'वर्ष 2009' को 'भारत दर्शन वर्ष' के रूप में घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) और (ख) भारत की यात्रा को प्रोत्साहक बनाने हेतु एयरलाइनों, होटलों, यात्रा प्रचालकों, राज्य सरकारों सहित सभी स्टेकहोल्डरों के साथ समन्वय से पर्यटन मंत्रालय द्वारा ''भारत दर्शन 2009'' नामक योजना की घोषणा की गई है। स्टेकहोल्डरों द्वारा प्रदान किये जा रहे प्रोत्साहनों में कम्प्लीमेंटरी एयर टिकटें, होटल कमरे, स्थानीय दौरे इत्यादि शामिल हैं।

(ग) पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, उनसे प्राप्त परियोजना प्रस्तावों

के आधार पर, निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर, निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत, वित्तीय सहायता प्रदान करता है:

(1) गंतव्यों एवं परिपथों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास।

(2) वृहत राजस्व सृजक परियोजनाओं के लिए सहायता।

(3) कम्प्यूटरीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी।

(4) मेले, उत्सव एवं कार्यक्रम।

(5) ग्रामीण पर्यटन-सेवा प्रदाताओं हेतु अवसंरचना और क्षमता निर्माण।

उपरोक्त के अतिरिक्त, पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर और ऑन-लाइन मीडिया में स्वदेशी व अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अभियान चलाये जाते हैं और देश में पर्यटन को गति देने के लिए, मंत्रालय द्वारा अपने 20 स्वदेशी और 14 विदेश स्थित कार्यालयों के माध्यम से पर्यटक सूचना का प्रसार किया जाता है।

*[हिन्दी]*

## नरेगा कामगारों के लिए बीमा कवर

**222. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनश्री बीमा योजना (जे.बी.वाई.) के अंतर्गत नरेगा कामगारों को शामिल करने के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं;

(ख) जे.बी.वाई. के अंतर्गत अभी तक राज्य-वार ऐसे कितने कामगारों को शामिल किया गया है; और

(ग) सभी नरेगा कामगारों को इस योजना के अंतर्गत कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन):** (क) एनआरईजीए श्रमिकों/लाभार्थियों को जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई) के अंतर्गत 'ग्रामीण गरीब' वर्ग में निम्नलिखित मानदण्डों के अध्यधीन शामिल किया गया है:-

(1) ग्रामीण परिवार का मुखिया, जो एनआरईजीए के अंतर्गत पंजीकृत हो तथा जिसके पास जॉब कार्ड हो, बीमा कवर के लिए पात्र होगा।

(2) ऐसे व्यक्ति ने एनआरईजीए के अंतर्गत वर्ष में कम से कम 15 दिन कार्य किया हो। पात्र व्यक्ति की कवरेज उस तारीख से शुरू होगी जिस तारीख को श्रम दिवसों की न्यूनतम निर्धारित संख्या पूरी हो।

(3) बीमा कवर को हर वर्ष पुनर्नवीकृत किया जाना होता है। लाभार्थी को अपना बीमा पुनर्नवीकृत कराने का पात्र बनने के लिए वित्त वर्ष में कम से कम 15 दिनों का काम करना होगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रायोजित किसी अन्य जीवन तथा विकलांगता बीमा योजना द्वारा पहले ही कवर कर लिया गया हो तो वह इस योजना के अंतर्गत बीमा कवर के लिए पात्र नहीं होगा।

(5) 200 रु. प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष के कुल प्रीमियम के 50% अर्थात् 100 रु. का भुगतान लाभार्थी/नोडल एजेंसी/राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। 100 रु. के भारत सरकार अंश का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम के सामाजिक सुरक्षा कोष से किया जाएगा।

(6) ब्लॉक/जिला स्तर पर एनआरईजीए का कार्यक्रम अधिकारी इस योजना के लिए नोडल प्राधिकारी होगा।

(ख) और (ग) चूंकि कुल प्रीमियम के 50% का भुगतान लाभार्थी/नोडल एजेंसी/राज्य सरकार द्वारा किया जाना है, इसलिए यह योजना श्रमिकों के लिए वैकल्पिक है। आंध्र प्रदेश में जन श्री बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 8 लाख एनआरईजीए श्रमिकों को कवर किया गया है।

*[अनुवाद]*

## बैंकिंग सुधार

**223. श्रमती बोचा झांसी लक्ष्मी:**
**श्री गणेश सिंह:**
**श्री तथागत सत्पथी:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य की समीक्षा के लिए किसी उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना करने तथा इसे सुदृढ़ बनाने के लिए प्रस्तावित विधानों, यदि कोई हों, सहित क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा):** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन को प्रोत्साहन**

**224. श्री निशिकांत दुबे:**
**श्री एस.एस. रामासुब्बू:**

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य पर्यटन के लिए कितने व्यक्ति भारत आए, इनकी वृद्धि दर कितनी है तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई एवं अगले तीन वर्षों के लिए इस संबंध में क्या अनुमान है; और

(घ) विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने तथा चिकित्सा पर्यटन के लिए आने वाले विदेशियों के लिए सुविधाओं में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) से (घ) भारत सरकार ने देश में चिकित्सा पर्यटन के संवर्धन हेतु अनेक उपाय किये हैं। इसमें विदेशी मार्किटों में चिकित्सा पर्यटन के संवर्धन के लिए चिकित्सा पर्यटन सेवा प्रदाताओं और चिकित्सा पर्यटन सुविधा प्रदाताओं हेतु मार्केटिंग विकास सहायता (एमडीए) योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करना, डॉक्टरी इलाज के लिए भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों हेतु 'चिकित्सा वीजा' की एक अतिरिक्त श्रेणी की शुरुआत करना, चिकित्सा पर्यटन पर प्रचार सामग्री का उत्पादन और भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से एवं पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट पर चिकित्सा पर्यटन पर सूचना का प्रसार करना शामिल है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी करके भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से विदेशी मार्किटों में विशिष्ट संवर्धन भी किया जा रहा है।

पर्यटन मंत्रालय भारत के लिए चिकित्सा पर्यटक ट्रैफिक पर अलग से सूचना एकत्रित नहीं करता है।

*[हिन्दी]*

**पर्यटन को प्रोत्साहन**

**225. डॉ. राजन सुशान्त:**
**डॉ. थोकचोम मैन्या:**
**श्रीमती सुमित्रा महाजन:**
**श्री वीरेन्द्र कश्यप:**

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हिमालयी राज्यों हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए किसी 'मास्टर प्लान' तैयार करने तथा पर्यटन नीति में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार का 'मास्टर प्लान' तथा पर्यटन नीति में परिवर्तन कब तक प्रभावी किए जाने की संभावना है?

**पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद):** (क) से (ग) पर्यटन का विकास मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, एक व्यवस्थित एवं सर्वांगीण तरीके से पर्यटन के विकास को सुगम बनाने के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने 10वीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत से हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित, अधिकतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 20-वर्षीय भावी योजनाएं शुरू की थीं। उत्तराखंड के लिए मास्टर प्लान अप्रैल, 2008 में तैयार किया गया था। इन भावी योजनाओं/मास्टर प्लान ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटन विकास के लिए लघु अवधि और दीर्घावधि कार्य योजनाएं अभिनिर्धारित की हैं।

पर्यटन मंत्रालय ने राज्य में पर्यटन के संवर्धन के लिए एक नया दीर्घावधि मास्टर प्लान तैयार करने के लिए, हिमाचल प्रदेश की सरकार को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सिद्धान्तत: अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

सरकार की अद्यतन पर्यटन नीति, उद्योग संघों, संबंधित मंत्रालयों और केन्द्रीय सरकार के विभागों, राज्य सरकारों और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ विस्तृत परस्पर संवाद के पश्चात् वर्ष 2002 में तैयार की गई थी। अन्य बातों के साथ-साथ, नीति का उद्देश्य राज्यों, निजी क्षेत्र और अन्य एजेंसियों के साथ भागीदारी से, भारत की अद्वितीय सभ्यता, हैरीटेज और संस्कृति पर आधारित एकीकृत पर्यटन परिपथ सृजित और विकसित करना है। वर्तमान में, इस नीति में परिवर्तन करने का सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।

*[अनुवाद]*

**स्ट्रीट वेंडरों पर विधेयक**

**226. श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्ट्रीट वेंडरों के लिए नया विधेयक पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विधेयक राज्य सरकारों की राय के लिए उन्हें परिचालित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या विधेयक में स्ट्रीट वेडिंग के कार्यान्वयन तथा इन्हें मान्यता प्रदान करने के लिए कोई नया ढांचा है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) और (ख) 'फेरीवाले' राज्य का विषय होने के नाते सरकार ने फेरीवालों पर कोई नया विधेयक प्रस्तुत नहीं किया है। तथापि शहरी फेरीवालों पर संशोधित राष्ट्रीय नीति, 2009 को प्रभावी बनाने के लिए राज्यों/संघ शासित सरकारों को अपने-अपने कानून बनाने में सहायता करने हेतु आवास व शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय कैबिनेट के अनुमोदन से मॉडल फेरीवाले (आजीविका का संरक्षण एवं फेरीवालों का विनियमन) विधेयक, 2009 तैयार किया गया है तथा इसे उपयुक्तत: तथा उचित ढंग से अपनाने के लिए राज्य/संघ शासित सरकारों को परिचालित किया गया है।

(ग) से (च) शहरी फेरीवालों पर राष्ट्रीय नीति, 2004 में संशोधन पर विचार करते समय राज्य/संघ शासित सरकारों तथा अन्य हितबद्धों से परामर्श किया गया था। उनके मतों/टिप्पणियों पर विचार किया गया तथा जहां कहीं संभव हो, उन्हें संशोधित नीति, 2009 में शामिल किया गया। मॉडल विधेयक में फेरीवालों के महत्व को यथोचित मान्यता देने हेतु कार्यान्वयन के लिए कार्य ढांचा शामिल किया गया है। विधेयक की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

*विवरण*

* समुचित सरकार द्वारा प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण में एक टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) का गठन करना अनिवार्य होगा जिसमें 40 प्रतिशत सदस्य स्वयं फेरीवाले होंगे। यदि आवश्यक हो तो वार्ड वेंडिंग कमेटियों का भी गठन किया जा सकता है।

* टीवीसी के गैर सरकारी सदस्यों का 3 वर्ष का निर्धारित कार्यकाल होगा। समुचित सरकार उनके नामांकन को पहले रद्द कर सकती है।

* टीवीसी वेंडिंग क्षेत्रों की ''प्रतिबंध मुक्त जोन'' ''प्रतिबंधित वेंडिंग जोन'' अथवा ''नो वेंडिंग जोन'' के रूप में पहचान करने, वेंडिंग के लिए क्षेत्रों की धारण क्षमता का मूल्यांकन करने, पंजीकरण तथा फेरीवालों को पहाचनपत्र जारी करने, वेंडिंग कार्यकलापों की मॉनीटरिंग आदि के लिए उत्तरदायी होगी।

* प्रत्येक फेरीवाले को निर्धारित शुल्क का भुगतान करके टीवीसी के पास पंजीकरण कराना होगा। एक व्यक्ति को एक ही वेंडिंग स्थल के लिए पंजीकृत किया जा सकता है। समय-समय पर पंजीकरण का नवीकरण किया जाएगा।

* स्थानीय प्राधिकरण टीवीसी के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण तथा मॉनीटरिंग करने के अलावा फेरीवालों के लिए आवश्यक उप नियम बनाएगा। वे वेंडिंग जोन में नागरिक सुविधाएं मुहैया कराएंगे। फेरीवालों से वसूला जाने वाला शुल्क/प्रभार स्थानीय प्राधिकरण द्वारा टीवीसी के परामर्श से नियत किया जाएगा।

* मास्टर प्लान/विकास प्लान, जोनल प्लान आदि में वेंडिंग जोन के लिए पर्याप्त स्थल निर्धारित करना योजना प्राधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

* वेंडिंग की शर्तों व निबंधनों का उल्लंघन करने के अपराधों के लिए टीबीसी द्वारा फेरीवालों पर दो सौ रु. से पांच सौ रु. तक समुचित शास्ति लगाई जाएगी।

*[हिन्दी]*

**अश्लील विज्ञापन**

**227. श्री जय प्रकाश अग्रवाल:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महिलाओं को अश्लील ढंग से चित्रित करने वाले विज्ञापनों में वृद्धि की ओर ध्यान दिया है;

(ख) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधन करने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

**महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ):** (क) महिलाओं का अश्लील चित्रण करने वाले विज्ञापनों के बारे में रिपोर्टें सरकार के ध्यान में आई हैं। तथापि, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, देश में स्त्री अशिष्ट रूपण (निषेध) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत वर्ष 2005,

2006 तथा 2007 के दौरान क्रमशः कुल 2917, 1562 तथा 1200 मामलों की सूचना मिली, जिससे अपराधों की घटती हुई प्रवृत्ति का आभास होता है।

(ख) और (ग) प्रचार माध्यमों के पास उपलब्ध उन्नत प्रौद्योगिकियों को ध्यान में रखते हुए सजा को और अधिक सख्त बनाने तथा अधिनियम के कार्य क्षेत्र को व्यापक बनाने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विज्ञापन, स्त्री अशिष्ट रूपण की परिभाषा में संशोधन करने तथा दोषसिद्धि पर सजा को बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया गया।

(घ) राष्ट्रीय महिला आयोग को व्यापक विचार-विमर्श करने तथा अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए कहा गया।

*[अनुवाद]*

**बैंकों की कल्याणकारी योजनाएं**

**228. श्री पूर्णमासी रामः** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अनुसूचित जातियों के कल्याण तथा उत्थान हेतु योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों की प्रदत्त ऋण सुविधाओं में कमी आई है तथा अनुसूचित जातियों को ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयां पेश आती हैं; और

(घ) यदि हां, तो इनके संबंध में बैंकों द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा):** (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं अर्थात् एसजीएसवाई, एसजेएसआरवाई, एसआरएमएस तथा डीआरआई के कार्यान्वयन के संबंध में बैंकों को दिशानिर्देश जारी किये हैं। आरबीआई इस संबंध में नोडल मंत्रालयों द्वारा निर्धारित फार्मेट के अनुसार, इन योजनाओं के संदर्भ में अ.जा. तथा अ.ज.जा. को ऋण प्रदान करने की सुविधाओं की निगरानी करता है।

(ग) आरबीआई ने सूचित किया है कि वह अ.जा. को ऋण प्रदान करने के बारे में अलग से सूचना का संग्रहण नहीं करता है। तथापि, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. को दिये गये अग्रिम की बकाया राशि, मार्च, 2007 के रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित अंतिम शुक्रवार के अनुसार 26163 करोड़ रु. से बढ़ाकर मार्च, 2008 के रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित अंतिम शुक्रवार के अनुसार 33426 करोड़ रु. कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने सूचित किया है कि अ.जा./अ.ज.जा. के लिए ऋण की वृद्धि करने में एक अध्यय ने निम्नलिखित समस्याएं प्रकट की हैं:

(1) आवेदक बैंकों से अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों से पहले लिये गये ऋण के संबंध में चूककर्ता थे;

(2) प्रस्तावित परियोजनाएं व्यवहार्य नहीं थीं;

(3) अशिक्षा, अनुभव तथा तकनीकी जानकारी का अभाव;

(4) ऋणों का उत्पादक उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य प्रकार से दुरुपयोग;

(5) आवेदक अन्य आर्थिक सहायता सम्बद्ध योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के कारण ऋणों के लिए पात्र नहीं पाए गए;

(6) आवेदक, ऋण आवेदन देने के पश्चात्, फरार, गुमशुदा थे तथा इसलिए कागजातों/विवरणों की पहचान नहीं हो सकी, अथवा संपर्क नहीं हो सका;

(7) आवेदन लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रायोजित थे तथा वर्ष के अंत में एक साथ भेजे गए थे।

(घ) आरबीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अ.जा./अ.ज.जा. को ऋण प्रवाह सुगम बनाने के लिए बैंकों ने निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय आरंभ किये हैं:

(1) बैंकों ने फील्ड स्टाफ को अ.जा./अ.ज.जा. के कल्याण को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप देखे जाने की सलाह दी है।

(2) नियंत्रक कार्यालयों को अ.जा./अ.ज.जा. को ऋण प्रदान करने में वृद्धि करने की सलाह दी गई है।

(3) अ.जा./अ.ज.जा. के आवेदन अस्वीकार किये जाने के मामले में आवेदन अनिवार्य रूप से अगले उच्च प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

(4) अ.जा./अ.ज.जा. युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र, जागरूकता कैंप प्रस्तावित किये गये हैं।

(5) अ.जा./अ.ज.जा. लाभार्थियों को संवितरित किये गये ऋण की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है। आवधिक समीक्षाएं मुख्यालय स्तर पर की जाती हैं।

(6) अ.जा./अ.ज.जा. को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए कुछ बैंकों में ऋण-विनिमय योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए ऋण व्यवस्था करने के लिए आरबीआई ने दिनांक 1 जुलाई, 2009 के अपने मुख्य परिपत्र के द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं। अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत बनाई गई जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति बैंकों और विकासात्मक एजेंसियों के बीच समन्वय के मुख्य तंत्र की भूमिका निभाती रहेगी। उन्हें, अ.जा./अ.ज.जा. को ऋण प्रदान किये जाने की निगरानी के लिए अपने मुख्यालय में एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना करने की सलाह दी गई है। निदेशक मंडल द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. के उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करने में वृद्धि के लिए किये गये उपायों की तिमाही आधार पर समीक्षा अपेक्षित है।

**विश्व बैंक सहायता**

**229. श्री वैजयंत पांडा:**
**श्री हरिन पाठक:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात तथा उड़ीसा सरकार ने सड़क नेटवर्क, कृषि टैंक प्रणाली, ग्रामीण गरीबों के लिए आजीविका अवसरों/चक्रवात शरण स्थलों/राज्य राजमार्गों, आदि के निर्माण/सुधार के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रत्येक परियोजना प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा):** (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

*विवरण*

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | विश्व बैंक सहायता की राशि (मिलियन अमरीकी डालर) | स्थिति |
|---|---|---|---|
| | **उड़ीसा** | | |
| 1. | उड़ीसा समुदाय ताल प्रबंधन परियोजना | 112 | चल रही है |
| 2. | उड़ीसा राज्य सड़क परियोजना | 250 | चल रही है |
| 3. | उड़ीसा ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना | 82.4 | चल रही है |
| 4. | उड़ीसा जल क्षेत्र सुधार परियोजना | 300 | कार्यान्वयनाधीन |
| 5. | उड़ीसा सामाजिक-आर्थिक विकास ऋण-3 | 250 | कार्यान्वयनाधीन |
| | **गुजरात** | | |
| 1. | गुजरात शहरी सुधार परियोजना | 130 | कार्यान्वयनाधीन |
| 2. | गुजरात राज्य राजमार्ग परियोजना-2 | 354 | कार्यान्वयनाधीन |

*[हिन्दी]*

**क्रेडिट कार्ड**

**230. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:**
**श्री राजीव रंजन सिंह** *उर्फ* **ललन सिंह:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) द्वारा बैंक-वार कितने क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन क्रेडिट कार्डों के माध्यम से वर्ष-वार कितना ऋण प्रदान किया गया तथा कुल ऋण में इसकी प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान क्रेडिट कार्डों के माध्यम से दिए गए ऋण में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा):** (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की विद्यमान सूचना प्रणाली से वांछित तरीके से सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और उनकी आनुषंगियों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्डों

की कुल संख्या, क्रेडिट कार्डों की बकाया प्राप्य राशियों तथा अनुपयोज्य आस्तियों के ब्यौरे निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं:-

(राशि करोड़ रु. में)

| मदें | मार्च 2007 | मार्च 2008 | मार्च 2009 |
|---|---|---|---|
| क्रेडिट कार्डों की संख्या | 42,39,931 | 40,43,466 | 76,14,053 |
| क्रेडिट कार्ड-बकाया प्राप्य राशियां | 3,089 | 3,218 | 2,581 |
| सकल अग्रिमों की तुलना में क्रेडिट कार्डों की बकाया प्राप्य राशियां | 0.23 | 0.19 | 0.12 |
| क्रेडिट कार्ड-अनुपयोज्य आस्तियां | 333 | 536 | 486 |
| कुल सकल अग्रिम | 13,62,645 | 16,84,024 | 21,04,066 |

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक 1 मार्च 2009 के आंकड़े अलेखापरीक्षित तथा अनंतिम हैं।

**सेवा कर संग्रहण**

**231. श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेवा क्षेत्र में सेवा कर संग्रहणों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत वर्ष सेवा कर दर में वृद्धि किए जाने के परिणामस्वरूप इस वर्ष सेवा कर संग्रहण में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम ):** (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान सेवा कर राजस्व का संग्रहण क्रमश: 37,598 करोड़ रु., 51,301 करोड़ रु. तथा 60,716 करोड़ रु. (अनंतिम) था।

(ग) 24 फरवरी, 2009 से सेवाकर की दर 12% से घटा कर 10% कर दिया गया था। (अप्रैल-मई), 2008 के 6121 करोड़ रु. की तुलना में (अप्रैल-मई), 2009 के दौरान सेवा कर राजस्व का संग्रहण 5675 करोड़ रु. (अनंतिम) है।

**लघु बचत योजनाएं**

**232. श्री राजीव रंजन सिंह** *उर्फ* **ललन सिंह:**
**श्री जगदीश शर्मा:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार ने लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत जमाओं के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान वास्तविक जमा धनराशि की तुलना में लक्षित धनराशि अधिक थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने जमाकर्ताओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों की घोषणा की थी;

(च) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त अवधि के दौरान किए गए कुल निवेश की तुलना में इन योजनाओं में कितने प्रतिशत धनराशि जमा की गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमो नारायन मीणा ):** (क) से (घ) गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत निवेशकों से प्राप्त जमाओं का बजट अनुमान और वास्तविक धनराशि का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपए)

| वर्ष | ब.अ. में लक्षित धनराशि | प्राप्त वास्तविक जमाराशि |
|---|---|---|
| 2006-07 | 210000 | 182181 |
| 2007-08 | 180000 | 147709 |
| 2008-09 (अनंतिम) | 185000 | 157341 |
| 2009-10 (ब.अ.) | 168500 | 21471 (अप्रैल-09 तक) |

(ङ) और (च) सरकार ने डाकघर मासिक आय खाता (पीओएमआईए) योजना के अंतर्गत जमा की गई राशि की परिपक्वता पर जमाराशि पर 8 दिसम्बर, 2007 से 5 प्रतिशत की दर से बोनस की घोषणा की थी।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 ग का लाभ 1 अप्रैल, 2007 से पांच-वर्षीय डाकघर सावधि जमा खाता और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अंतर्गत किए गए निवेशों को दिया गया है।

(छ) वर्ष 2007-08 के दौरान किए गए कुल निवेश की तुलना में डाकघर मासिक आय खाता (पीओएमआईए), पांच वर्षीय डाकघर सावधि जमा खाता एवं वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में प्राप्त जमाराशि का प्रतिशत क्रमश: 11.53, 0.42 एवं 2.06 प्रतिशत रहा।

## लघु और मध्यम कस्बों का विकास

**233. योगी आदित्यनाथ:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में लघु और मध्यम कस्बों में मूलभूत सुविधाओं सहित उनके समग्र विकास के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय):** (क) जी, हां। सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के उप-घटक छोटे एवं मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएमएमटी) को केन्द्र प्रायोजित स्कीम दिसम्बर, 2005 में शुरू की थी जिसके अंतर्गत 7 वर्ष की मिशन अवधि अर्थात् 2012 तक जेएनएनयूआरएम के शहरी अवस्थापना एवं शासन (यूआईजी) घटक के तहत वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार शामिल न किए गए शहरों/कस्बों को छोड़कर अन्य शहरों/कस्बों में विकास सुविधाएं मुहैया करायी जाएंगी।

(ख) इस स्कीम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान के रूप में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, मिशन अवधि में राज्य एवं यूएलबी स्तर पर अनिवार्य एवं वैकल्पिक शहरी सुधारों के एकीकृत कार्यान्वयन से जुड़ी हुई है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच धनराशि की हिस्सेदारी 80:10 के अनुपात में है तथा शेष 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के राज्यों एवं जम्मू और कश्मीर (जे एंड के) को छोड़कर, जहां हिस्सेदारी का अनुपात 90:10 है, शहरी स्थानीय निकास (यूएलबी)/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा वहन की जानी हैं। जलापूर्ति, सीवरेज, बरसाती पानी निकास, जल निकायों का संरक्षण, कचरा प्रबंधन, शहरी नवीकरण/विरासत, मृदा क्षरण को रोकना, पार्किंग एवं सड़कें स्कीम के तहत स्वीकार्य घटक हैं। प्रारंभ में यूआईडीएसएसएमटी के तहत 6400 करोड़ रु. की धनराशि आबंटित की गई थी जिसे अब बढ़ाकर 11400 करोड़ रु. कर दिया गया है। दिनांक 30.6.2009 की स्थिति के अनुसार, 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 632 कस्बों में 12771.64 करोड़ रु. की अनुमोदित लागत की 748 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 5836.38 करोड़ रु. की जारी राशि की गयी है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

***विवरण***

*वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान यूआईडीएसएसएमटी के तहत किए गए आबंटन और राज्यवार जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्थिति (1.7.2009 तक) तथा जारी एसीए*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | मिशन हेतु आबंटन | कस्बों/ शहरों की सं. | परि. की सं. | अनुमोदित लागत | पात्र केन्द्रीय अंश (अनुमोदित लागत का 80%/90% (प्रतिबद्ध एसीए) | पात्र केन्द्रीय अंश प्रथम किस्त की राशि (एसीए का 50%) | संस्तुत एसीए | | डीपीआर तैयार हेतु 1.5% की दर से प्रोत्साहन | 2005-06 के दौरान जारी एसीए | 2006-07 के दौरान जारी एसीए | 2007-08 के दौरान जारी एसीए | 2008-09 के दौरान जारी एसीए | 2009-10 के दौरान जारी एसीए | अब तक वित्त मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय द्वारा जारी क्र. एसीए |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 49031.00 | 69 | 84 | 245333.59 | 196266.87 | 98133.44 | 98133.44 | 29313.01 | 2094.68 | 4919.68 | 25568.26 | 23546.05 | 75586.14 | | 129620.13 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 746.00 | 9 | 9 | 3935.98 | 3542.38 | 1771.19 | 1771.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1771.19 | | 1771.19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | असम | 10129.00 | 28 | 30 | 20783.28 | 18704.95 | 9352.48 | 9235.79 | 471.96 | 248.19 | 0.00 | 1363.93 | 1645.22 | 6946.80 | | 9955.95 |
| 4. | बिहार | 25478.00 | 11 | 11 | 26113.91 | 20891.13 | 10445.56 | 10445.56 | 0.00 | 228.81 | 0.00 | 3642.83 | 2689.05 | 4342.50 | | 10674.38 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 13478.00 | 3 | 4 | 25143.65 | 13472.92 | 6736.46 | 6736.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2447.46 | 4289.00 | 0.00 | | 6736.46 |
| 6. | गोवा | 2211.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 7. | गुजरात | 35182.00 | 52 | 52 | 43814.36 | 35051.49 | 17525.74 | 17525.74 | 5625.64 | 144.09 | 2444.18 | 6002.90 | 2678.67 | 12169.74 | | 23295.49 |
| 8. | हरियाणा | 19559.00 | 7 | 8 | 16407.81 | 13126.25 | 6563.12 | 6563.12 | 0.00 | 151.44 | 0.00 | 0.00 | 4189.99 | 2524.58 | | 6714.57 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 1744.00 | 3 | 5 | 2019.86 | 1615.89 | 807.94 | 807.94 | 0.00 | 27.09 | 0.00 | 357.33 | 392.11 | 85.59 | | 835.03 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 3545.00 | 9 | 35 | 30932.24 | 27839.02 | 13919.51 | 13919.51 | 0.00 | 413.68 | 0.00 | 10100.02 | 2724.25 | 1508.92 | | 14333.19 |
| 11. | झारखंड | 11452.00 | 4 | 5 | 9646.55 | 7717.24 | 3858.62 | 3858.62 | 0.00 | 144.70 | 0.00 | 0.00 | 4003.32 | 0.00 | | 4003.32 |
| 12. | कर्नाटक | 44314.00 | 30 | 38 | 68248.57 | 54598.86 | 27299.43 | 27299.42 | 1382.47 | 517.15 | 0.00 | 8261.71 | 6091.10 | 14891.23 | | 29199.04 |
| 13. | केरल | 23282.00 | 22 | 25 | 42778.55 | 34222.84 | 17111.42 | 17031.42 | 0.00 | 309.30 | 0.00 | 3363.03 | 5194.27 | 8783.42 | | 17340.72 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 43843.00 | 33 | 47 | 76257.90 | 61006.32 | 30503.16 | 30503.16 | 814.36 | 225.96 | 0.00 | 7554.74 | 10864.06 | 12973.89 | | 31392.69 |
| 15. | महाराष्ट्र | 66476.00 | 86 | 94 | 270004.89 | 216003.91 | 108001.96 | 108001.96 | 1925.00 | 599.66 | 0.00 | 11774.69 | 10174.78 | 88262.04 | | 110211.51 |
| 16. | मणिपुर | 1260.00 | 5 | 5 | 6277.00 | 5649.30 | 2824.65 | 2824.65 | 0.00 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | 644.49 | 2200.95 | | 2845.44 |
| 17. | मेघालय | 719.00 | 2 | 2 | 1433.26 | 1289.93 | 644.97 | 644.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.97 | | 644.97 |
| 18. | मिजोरम | 824.00 | 2 | 2 | 1555.04 | 1399.54 | 699.77 | 699.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.77 | | 699.77 |
| 19. | नागालैण्ड | 1028.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20. | उड़ीसा | 18179.00 | 12 | 16 | 22277.57 | 17822.06 | 8911.03 | 8911.03 | 0.00 | 168.77 | 0.00 | 2234.43 | 2435.04 | 4410.38 | | 9079.86 |
| 21. | पंजाब | 22660.00 | 14 | 17 | 39577.45 | 31661.96 | 15830.98 | 15830.98 | 0.00 | 123.27 | 0.00 | 0.00 | 7587.04 | 8367.20 | | 15954.24 |
| 22. | राजस्थान | 40143.00 | 35 | 37 | 60988.52 | 48790.82 | 24395.41 | 24395.41 | 3752.45 | 272.26 | 1383.63 | 4300.00 | 3555.95 | 19181.71 | | 28421.99 |
| 23. | सिक्किम | 120.00 | 5 | 5 | 3992.82 | 3593.54 | 1796.77 | 1796.77 | 0.00 | 23.71 | 0.00 | 0.00 | 735.08 | 1085.40 | | 1820.48 |
| 24. | तमिलनाडु | 70597.00 | 115 | 123 | 88272.98 | 70618.38 | 35309.19 | 35309.19 | 16584.48 | 0.00 | 0.00 | 12168.15 | 10493.41 | 29231.76 | | 51893.68 |
| 25. | त्रिपुरा | 1376.00 | 4 | 4 | 7816.81 | 7035.13 | 3517.56 | 3517.56 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 2005.00 | 1577.38 | | 3582.38 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 94792.00 | 43 | 60 | 112087.82 | 89670.26 | 44835.13 | 44835.13 | 2027.83 | 877.00 | 0.00 | 20534.14 | 10340.12 | 16866.71 | | 47740.97 |
| 27. | उत्तराखण्ड | 4670.00 | 1 | 1 | 6173.25 | 4938.60 | 2469.30 | 2469.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2469.30 | | 2469.30 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 31525.00 | 25 | 26 | 38565.39 | 30852.31 | 15426.16 | 15426.16 | 5004.34 | 347.26 | 0.00 | 5267.38 | 4122.00 | 11388.40 | | 20777.78 |
| 29. | दिल्ली | 112.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 30. | पुडुचेरी | 557.00 | 1 | 1 | 3918.00 | 3134.40 | 1567.20 | 1567.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1567.20 | 1567.20 |
| 31. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 448.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 32. | चंडीगढ़ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | दादरा और नगर हवेली | 193.00 | 1 | 1 | 1864.73 | 1491.78 | 745.89 | 745.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | | 26.00 |
| 34. | लक्षद्वीप | 104.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 35. | दमन और दीव | 220.00 | 1 | 1 | 942.37 | 753.90 | 376.95 | 376.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | | 31.00 |
| | कुल | 639997.00 | 632 | 748 | 1277164.15 | 1022761.96 | 511380.98 | 511184.49 | 66901.54 | 7002.80 | 8747.49 | 124897.06 | 120400.00 | 328026.97 | 1567.20 | 583638.73 |

कुल वचनबद्धता = कालम-7 + 11 = 1029764.77

*[अनुवाद]*

**वसूली और कुर्की से कंपनियों की सुरक्षा**

**234. श्री के.एस. राव:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अनेक भारतीय कंपनियों ने वसूली और कुर्की की कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रत्येक कंपनी के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) कंपनियों को परिसमापन से बचाने के लिए कार्रवाई नहीं किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार संकटग्रस्त कंपनियों को मंदी की मार से बचाने के लिए उनकी मदद हेतु पूंजी संपत्तियों को और अधिक उत्पादकता के कार्य में लगाने, कार्यशील व्यवहारिक समाधान और नए कानून बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा):** (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

*[हिन्दी]*

**नरेगा (एनआरईजीएस) में अनियमितताएं**

**235. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
**श्री प्रदीप माझी:**
**श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) के क्रियान्वयन में बिना काम करे मजदूरी लेने, दिशा-निर्देशों का उल्लंघन और पारदर्शिता तथा जनता के प्रति जवाबदेही का अभाव जैसी अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर एक स्वतंत्र निगरानी एवं शिकायत तंत्र की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन):** (क) और (ख) 1.4.2008 से 30.6.2009 तक की अवधि के दौरान एनआरईजीए के तहत 438 शिकायतें मिली हैं। राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

| क्र.सं. | राज्य | प्राप्त शिकायतों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 8 |
| 2. | असम | 11 |
| 3. | बिहार | 43 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 16 |
| 5. | गुजरात | 4 |
| 6. | हरियाणा | 13 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 8 |
| 8. | झारखंड | 37 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 9. | कर्नाटक | 1 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 64 |
| 11. | महाराष्ट्र | 5 |
| 12. | मणिपुर | 2 |
| 13. | उड़ीसा | 12 |
| 14. | पंजाब | 2 |
| 15. | राजस्थान | 47 |
| 16. | तमिलनाडु | 2 |
| 17. | त्रिपुरा | 2 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | 147 |
| 19. | उत्तराखंड | 4 |
| 20. | पश्चिम बंगाल | 10 |
| | कुल | 438 |

(ग) राज्य सरकारों द्वारा एनआरईजीए का कार्यान्वयन प्रत्येक राज्य द्वारा बनाई गई रोजगार गारंटी योजना के अनुसार किया जाता है। जिला, मध्यवर्ती तथा ग्राम स्तर पर पंचायतें मुख्य नियोजन तथा कार्यान्वयन प्राधिकरण हैं। मंत्रालय को मिली सभी शिकायतें संबंधित राज्य सरकार को भेज दी जाती हैं ताकि वह अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उन पर उपयुक्त कार्रवाई कर सके।

(घ) मंत्रालय में राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ताओं के रूप में एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र है। ये राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ता अधिनियम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न जिलों का दौरा करते हैं। यदि कोई गंभीर शिकायत मिलती है, तो मामले की जांच करने के लिए राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ताओं को नियुक्त किया जाता है।

*[अनुवाद]*

## राष्ट्रीय कर्ज

**236. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2009-10 के लिए कुल राष्ट्रीय कर्ज 3,60,000 करोड़ रुपये के चिंताजनक आंकड़े तक पहुंच गया है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त उच्च कर्ज के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त कर्ज को कम करने के लिए कार्रवाई की गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा):** (क) अंतरिम बजट 2009-10 में केन्द्र सरकार का बकाया सरकारी ऋण 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार 21,36,085 करोड़ रुपये के स्तर पर था। अंतरिम बजट 2009-10 में वर्ष 2009-10 में केन्द्र सरकार के सकल बाजार उधार 3,61,782 करोड़ रुपये होने की बात कही गई है।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार की बकाया देनदारियां (पारंपरिक विनिमय दरों पर मूल्यांकित आंतरिक और विदेशी ऋण) 2004-05 में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में 63.3 प्रतिशत थीं राजकोषीय नियमों का अनुपालन करने पर यह अनुपात गिरकर 2007-08 में 60.1 प्रतिशत के स्तर पर आ गया। लेकिन 2008-09 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था दोहरे वैश्विक झटकों से बुरी तरह प्रभावित हुई-वर्ष के पूर्वार्ध में वैश्विक वस्तु मूल्यों में हुई अभूतपूर्व वृद्धि और वर्ष के उत्तरार्ध में वैश्विक वित्तीय संकट के गहराने से उभरे परिणाम। सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों की तर्ज पर उपयुक्त और तात्कालिक अल्पावधिक नीतिगत अनुक्रिया के रूप में सजग राजकोषी विस्तार के लिए उपाय किये गये जिनमें कर संबंधी कटौतियां और व्यय में वृद्धि किया जाना दोनों ही शामिल थे। जैसे ही भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक झटकों के प्रतिकूल प्रभाव पर काबू पाया जाएगा और राजकोषीय समेकन पुन: आरंभ होगा, ऋण का यह बोझ और कम होता जाएगा।

## शहरी अवसंरचना हेतु विश्व बैंक ऋण

**237. श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने शहरी विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपये का ऋण देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शहरी नगरों में विकास के क्रियाकलापों का आकलन करने के लिए विश्व बैंक का कोई दल भारत आया है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए चिन्हित परियोजनाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त ऋण के लिए औपचारिकताओं को अंतिम रूप कब तक दिये जाने की संभावना है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय):** (क) और (ख) विश्व बैंक से 5.3 मिलियन डालर (26500 करोड़ रु. लगभग) की सहायता हेतु एक प्रस्ताव शुरू किया गया है। भारत सरकार का उद्देश्य नगरों में शहरी अवस्थापना, जल आपूर्ति, सफाई तथा शहरी परिवहन के विकास के लिए समग्र जेएनएनयूआरएम दृष्टिकोण पर आधारित कार्यक्रम सहायता प्राप्त करना है।

(ग) और (घ) जी हां। विश्व बैंक दल ने शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ-साथ कुछ नगरपालिका आयुक्तों, राज्य सरकारों तथा सुधार मूल्यांकन एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श किया है। यह प्रस्ताव कार्यक्रम सहायता के लिए है अत: सहायता के लिए किसी एक परियोजना को चुना नहीं गया है।

(ङ) प्रस्ताव अभी तैयारी के प्रारंभिक स्तर पर है।

**आवास क्षेत्र में गिरती मांग**

**238. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
**श्री आनंदराव अडसुल:**

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आवास क्षेत्र को इस क्षेत्र में गिरती मांग के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने रियल एस्टेट क्षेत्र को सभी प्रयोजनों विशेषकर ऋण मानदंडों के लिए उद्योग के समतुल्य मानने का कोई प्रस्ताव तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) और (ख) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा आवास क्षेत्र की मांग में वृद्धि और कमी के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

**जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत बसों की खरीद**

**239. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
**श्री मधु गौड यास्खी:**
**श्री ई.जी. सुगावनम:**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत 54 शहरों को बसें खरीदने के लिए अनुदान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन शहरों के क्या नाम हैं जिन्होंने अनुदान का उपयोग कर लिया है;

(घ) उन शहरों के क्या नाम है जिन्होंने अनुदानों का उपयोग नहीं किया है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय):** (क) जी, हां। केन्द्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत 54 मिशन शहरों हेतु बसों की खरीद हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता की पहली किश्त जारी की है।

(ख) शहरों का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ग) उन शहरों के नाम संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं जिनके लिए बसों की खरीद हेतु निर्माताओं को आर्डर दिया गया है।

(घ) उन शहरों के नाम संलग्न विवरण-3 में दिये गये हैं जिनके लिए बसों की खरीद हेतु आर्डर नहीं दिये हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों/पैरा-स्टेटलों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, विलम्ब निविदा संबंधी प्रक्रिया में लगे समय और लोक सभा, 2009 के आम चुनावों के दौरान आदर्श आचार-संहिता लागू होने के कारण हुआ था।

(ङ) बसों की खरीद हेतु स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी नियमित रूप से उच्चतम स्तर पर की जाती है।

*विवरण I*

*उन शहरों की सूची जिनके लिए बसों की खरीद हेतु केन्द्र सरकार ने अनुदान दिया है*

| क्र.सं. | शहर |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. | हैदराबाद |
| 2. | तिरुपति |
| 3. | विजयवाडा |
| 4. | विशाखापट्टनम |
| 5. | इटानगर |
| 6. | गोवाहटी |
| 7. | बोध गया |
| 8. | पटना |
| 9. | रायपुर |
| 10. | दिल्ली |
| 11. | पणजी |
| 12. | अहमदाबाद |
| 13. | फरीदाबाद |
| 14. | शिमला |
| 15. | धनबाद |
| 16. | जमशेदपुर |
| 17. | रांची |
| 18. | बंगलौर |
| 19. | मैसूर |
| 20. | कोची |
| 21. | त्रिवेन्द्रम |
| 22. | भोपाल |
| 23. | इंदौर |
| 24. | जबलपुर |
| 25. | उज्जैन |
| 26. | मुम्बई |
| 27. | नागपुर |
| 28. | नान्देड़ |
| 29. | पूणे-पिम्परी-चिंचवाड |
| 30. | इम्फाल |
| 31. | आईजोल |
| 32. | भुवनेश्वर |
| 33. | पुरी |
| 34. | अमृतसर |
| 35. | लुधियाना |
| 36. | अजमेर |
| 37. | जयपुर |
| 38. | चैन्नई |
| 39. | कोयम्बटूर |
| 40. | मदुरै |
| 41. | अगरतला |
| 42. | आगरा |
| 43. | इलाहाबाद |
| 44. | कानपुर |
| 45. | लखनऊ |
| 46. | मथुरा |
| 47. | मेरठ |
| 48. | वाराणसी |
| 49. | चंडीगढ़ |
| 50. | देहरादून |
| 51. | नैनीताल |
| 52. | हरिद्वार |
| 53. | आसनसोल |
| 54. | कोलकाता |

*विवरण II*

*उन शहरों की सूची जिन्होंने बसों की खरीद हेतु आर्डर दिये हैं*

| क्र.सं. | शहर |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. | हैदराबाद |
| 2. | तिरुपति |
| 3. | विजयवाडा |
| 4. | विशाखापट्टनम |
| 5. | गोवाहटी |
| 6. | रायपुर |
| 7. | धनबाद |
| 8. | पणजी |
| 9. | रांची |
| 10. | बंगलौर |
| 11. | मैसूर |
| 12. | कोची |
| 13. | त्रिवेन्द्रम |
| 14. | उज्जैन |
| 15. | मुम्बई |
| 16. | नागपुर |
| 17. | पूणे-पिम्परी-चिंचवाड |
| 18. | आगरा |
| 19. | इलाहाबाद |
| 20. | कानपुर |
| 21. | लखनऊ |
| 22. | मथुरा |
| 23. | मेरठ |
| 24. | वाराणसी |
| 25. | चंडीगढ़ |
| 26. | आसनसोल |
| 27. | कोलकाता |
| 28. | जमशेदपुर |
| 29. | इम्फाल |
| 30. | चैन्नई |
| 31. | कोयम्बटूर |
| 32. | मदुरै |

*विवरण III*

*उन शहरों की सूची जिन्होंने बसों की खरीद हेतु आर्डर नहीं दिये हैं*

| क्र.सं. | शहर |
|---|---|
| 1. | इटानगर |
| 2. | बोधगया |
| 3. | पटना |
| 4. | अहमदाबाद |
| 5. | फरीदाबाद |
| 6. | शिमला |
| 7. | दिल्ली |
| 8. | हरिद्वार |
| 9. | भोपाल |
| 10. | इंदौर |
| 11. | जबलपुर |
| 12. | नान्देड |
| 13. | अगरतला |
| 14. | आइजाल |
| 15. | भुवनेश्वर |
| 16. | पुरी |
| 17. | अमृतसर |
| 18. | लुधियाना |
| 19. | अजमेर |
| 20. | जयपुर |
| 21. | देहरादून |
| 22. | नैनीताल |

**आईएवाई के अंतर्गत लक्ष्य**

**240. श्री प्रदीप माझी:**
**श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:**
**श्री संजय सिंह चौहान:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर लोगों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासों के निर्माण का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आवंटित तथा उपयोग की गयी धनराशि तथा निर्मित आवासों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के अंतर्गत आगामी पांच वर्षों के लिए लक्ष्यों की वृद्धि करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री प्रदीप जैन ):** (क) भारत के महापंजीयक (आरजीआई) के कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2001 की जनगणना के आधार पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 148.34 लाख आवासों की कमी है। इस कमी की गणना करने के लिए, आरजीआई ने मरम्मत के अयोग्य कच्चे मकानों और आश्रयविहीन परिवारों को लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य-वार आवास की कमी को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। तथापि, 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए बनाए गए ग्रामीण आवास संबंधी कार्यसमूह ने 2007-2012 की अवधि के दौरान 474.30 लाख आवासों की कमी का अनुमान लगाया था। इस प्रयोजनार्थ, इसने 2007 में आश्रयविहीन परिवारों, अस्थायी मकानों की संख्या, लोगों की अधिक संख्या की वजह से हुई कमी, अप्रचलन की वजह से आयी कमी और 2007 से 2012 के बीच उत्पन्न हुई अतिरिक्त आवास की कमी को लिया था।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मित किये जाने वाले मकानों के संबंध में आईएवाई के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और निर्मित मकानों के संबंध में हासिल लक्ष्य नीचे सारणी में दिए गए हैं:

| वर्ष | लक्ष्य | उपलब्धि |
|---|---|---|
| 2006-07 | 1533498 | 1498367 |
| 2007-08 | 2127184 | 1992349 |
| 2008-09 | 2127165 | 2132971 |
| कुल | 5787847 | 5623687 |

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, लक्ष्यों की उपलब्धि 2006-07 और 2007-08 में 90% से अधिक थी और 2008-09 में लक्ष्यों की उपलब्धि शत-प्रतिशत से अधिक थी। 2006-07 और 2007-08 के दौरान लक्ष्यों में कम उपलब्धि मुख्य रूप से इस वजह से थी कि उस वर्ष विशेष के दौरान निर्माणाधीन कुछ मकान बाद के वर्षों में पूरे हुए हैं। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आवंटित एवं उपयोग की गई निधियों और निर्मित मकानों के राज्य-वार ब्यौरों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(ङ) और (च) 2005-06 से 2008-09 तक 'भारत निर्माण' अवधि के दौरान आईएवाई के अंतर्गत 60 लाख मकान बनाए जाने की परिकल्पना की गई थी। अब इस आंकड़े को दोगुना करने और चालू वर्ष से लेकर अगले अगले 5 वर्ष की अवधि तक 120 लाख मकान बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

***विवरण I***

*2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में राज्यवार आवास की कमी*

(सं. इकाई में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय कमी |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1350282 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 105728 |
| 3. | असम | 2241230 |
| 4. | बिहार | 4210293 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 5. | चंडीगढ़ | 1232 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 115528 |
| 7. | दिल्ली | 7200 |
| 8. | गोवा | 6422 |
| 9. | गुजरात | 674354 |
| 10. | हरियाणा | 55572 |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | 15928 |
| 12. | जम्मू और कश्मीर | 92923 |
| 13. | झारखंड | 105867 |
| 14. | कर्नाटक | 436638 |
| 15. | केरल | 261347 |
| 16. | मध्य प्रदेश | 207744 |
| 17. | महाराष्ट्र | 612441 |
| 18. | मणिपुर | 69062 |
| 19. | मेघालय | 148657 |
| 20. | मिजोरम | 30250 |
| 21. | नागालैंड | 97157 |
| 22. | उड़ीसा | 655617 |
| 23. | पंजाब | 75374 |
| 24. | राजस्थान | 258634 |
| 25. | सिक्किम | 11944 |
| 26. | तमिलनाडु | 431010 |
| 27. | त्रिपुरा | 174835 |
| 28. | उत्तर प्रदेश | 1324028 |
| 29. | उत्तराखंड | 53521 |
| 30. | पश्चिम बंगाल | 974479 |
| 31. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 17890 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 1926 |
| 33. | दमन और दीव | 787 |
| 34. | लक्षद्वीप | 190 |
| 35. | पुडुचेरी | 7778 |
| | योग | 14833868 |

## *विवरण II*

*विगत तीन वर्ष और चालू वर्ष अर्थात 2006-07, 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान आईएवाई के अंतर्गत राज्यवार केन्द्रीय आवंटन, निधियों का उपयोग और निर्मित मकानों को दर्शाने वाला विवरण*

(लाख रु.)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2006-07 | | | 2007-08 | | | 2008-09 | | | 2009-10 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | केन्द्रीय आवंटन | निधियों का उपयोग | निर्मित/उन्नयन किये गये मकानों की संख्या | केन्द्रीय आवंटन | निधियों का उपयोग | निर्मित/उन्नयन किये गये मकानों की संख्या | केन्द्रीय आवंटन | निधियों का उपयोग | निर्मित/उन्नयन किये गये मकानों की संख्या | केन्द्रीय आवंटन | निधियों का उपयोग | निर्मित/उन्नयन किये गये मकानों की संख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 25939.14 | 33784.76 | 14603 | 36027.75 | 46838.96 | 194861 | 50434.77 | 89937.81 | 266654 | 75900.82 | 36247.26 | 76342 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1018.68 | 1023.40 | 4600 | 1395.30 | 1332.72 | 6422 | 1954.81 | 2775.45 | 7046 | 2935.66 | 81.89 | 484 |
| 3. | असम | 22525.46 | 36388.67 | 125441 | 30853.66 | 43346.70 | 150776 | 43225.67 | 62704.10 | 112706 | 64914.87 | 9014.98 | 12824 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | बिहार | 76565.57 | 124880.81 | 349053 | 106344.49 | 149428.60 | 430864 | 148870.28 | 215436.08 | 484197 | 224039.39 | 51800.18 | 118837 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 4011.28 | 5334.44 | 20818 | 5571.39 | 7913.32 | 30093 | 7799.32 | 10733.47 | 30023 | 11737.44 | 941.73 | 383 |
| 6. | गोवा | 159.77 | 196.06 | 1115 | 221.90 | 109.81 | 735 | 310.64 | 398.37 | 586 | 467.49 | 68.44 | 342 |
| 7. | गुजरात | 12721.14 | 15443.63 | 65195 | 17668.82 | 24229.87 | 110908 | 24734.35 | 33836.84 | 122412 | 37223.48 | 3142.90 | 8374 |
| 8. | हरियाणा | 1786.06 | 2707.97 | 10375 | 2480.72 | 3666.61 | 13398 | 3472.72 | 5355.34 | 13281 | 5226.21 | 419.00 | 1929 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 629.95 | 907.53 | 3317 | 874.96 | 1150.25 | 4029 | 1224.84 | 2360.58 | 4715 | 1843.31 | 38.11 | 280 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 1956.67 | 2381.15 | 10667 | 2717.68 | 2957.88 | 15361 | 3804.44 | 3938.54 | 13211 | 5725.42 | 298.47 | 1956 |
| 11. | झारखंड | 6829.31 | 11782.16 | 57246 | 9485.46 | 11861.43 | 45936 | 13278.58 | 16379.73 | 53317 | 19983.33 | 1430.17 | 5528 |
| 12. | कर्नाटक | 9993.64 | 12140.71 | 49088 | 13880.51 | 13473.46 | 39990 | 19431.14 | 21783.70 | 87051 | 29242.52 | 4507.60 | 15995 |
| 13. | केरल | 5557.39 | 7062.58 | 30817 | 7718.85 | 10186.83 | 37094 | 10805.52 | 15190.55 | 53133 | 16261.55 | 1354.28 | 3024 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 7977.69 | 13024.53 | 54544 | 11080.48 | 15072.08 | 60222 | 15511.42 | 40829.83 | 74651 | 23343.61 | 2316.06 | 11773 |
| 15. | महाराष्ट्र | 15643.12 | 24512.90 | 78427 | 21727.25 | 35597.33 | 126117 | 30415.70 | 54559.10 | 118611 | 45773.50 | 7055.99 | 10877 |
| 16. | मणिपुर | 884.26 | 784.14 | 3460 | 1211.19 | 803.66 | 3379 | 1696.87 | 425.40 | 514 | 2548.30 | 0.00 | 0 |
| 17. | मेघालय | 1540.07 | 1189.73 | 4183 | 2109.47 | 598.18 | 2271 | 2955.34 | 2111.21 | 5590 | 4438.24 | 41.67 | 2790 |
| 18. | मिजोरम | 328.20 | 410.53 | 2178 | 449.55 | 494.30 | 1918 | 629.81 | 1528.75 | 5179 | 945.84 | 5.31 | 15 |
| 19. | नागालैंड | 1019.11 | 1069.52 | 6321 | 1395.90 | 1338.66 | 7491 | 1955.65 | 5498.61 | 24717 | 2936.92 | 1325.18 | 5756 |
| 20. | उड़ीसा | 15042.66 | 21534.98 | 81345 | 20893.25 | 34394.63 | 140853 | 29248.20 | 25709.24 | 62447 | 44016.50 | 701.84 | 619 |
| 21. | पंजाब | 2208.83 | 1932.32 | 8250 | 3067.91 | 3699.49 | 17992 | 4294.73 | 4380.13 | 12189 | 6463.27 | 80.20 | 1594 |
| 22. | राजस्थान | 6392.56 | 9351.73 | 33397 | 8878.84 | 11330.47 | 42517 | 12429.38 | 20453.65 | 52654 | 18705.35 | 1163.46 | 3886 |
| 23. | सिक्किम | 194.91 | 387.85 | 1554 | 266.97 | 320.14 | 1533 | 374.02 | 685.60 | 1774 | 561.69 | 0.00 | 0 |
| 24. | तमिलनाडु | 10385.44 | 20434.91 | 27919 | 14424.69 | 20091.19 | 103379 | 20192.94 | 33943.24 | 94675 | 30388.96 | 9135.58 | 1449 |
| 25. | त्रिपुरा | 1984.31 | 2531.71 | 10612 | 2717.96 | 5361.62 | 12945 | 3807.83 | 6343.68 | 26389 | 5718.48 | 1944.68 | 0 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 34390.12 | 42750.32 | 165469 | 47765.59 | 69977.30 | 264296 | 66866.42 | 107097.03 | 266962 | 100629.31 | 12117.04 | 20896 |
| 27. | उत्तराखंड | 1724.11 | 3221.45 | 172.39 | 2394.68 | 3654.45 | 18766 | 3352.28 | 4242.68 | 11874 | 5044.94 | 57.31 | 186 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 20750.10 | 28051.07 | 128838 | 28820.51 | 27092.16 | 107575 | 40345.46 | 45393.87 | 126016 | 60717.10 | 3502.52 | 17160 |
| 29. | अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | 328.99 | 12.87 | 62 | 456.94 | 52.65 | 297 | 639.67 | 74.30 | 124 | 962.66 | 0.00 | 0 |
| 30. | दादरा एवं नगर हवेली | 54.82 | 25.92 | 77 | 76.13 | 2.16 | 121 | 106.58 | 16.65 | 41 | 160.40 | 0.00 | 0 |
| 31. | दमन एवं दीव | 24.52 | 1.86 | 8 | 34.06 | 0.56 | 12 | 47.68 | 0.00 | 0 | 71.75 | 0.00 | 0 |
| 32. | लक्षद्वीप | 21.26 | 34.88 | 88 | 2954 | 34.64 | 97 | 41.34 | 73.54 | 190 | 62.21 | 1.93 | 0 |
| 33. | पुदुचेरी | 163.86 | 45.36 | 261 | 227.59 | 42.19 | 101 | 318.60 | 16.46 | 42 | 479.48 | 0.00 | 0 |
| | योग | 290753.00 | 425342.45 | 1498367 | 403270.00 | 546454.30 | 1992349 | 564577.00 | 834213.53 | 2132971 | 849470.00 | 148793.78 | 323299 |

*[हिन्दी]*

## रेडीमेड गारमेन्ट्स का अवैध निर्यात

**241. श्री अशोक कुमार रावत:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में रेडीमेड गारमेन्ट्स के अवैध निर्यात के मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक राज्यवार/वर्षवार ऐसे कितने मामले राज्य/केन्द्र सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(घ) इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम ):** (क) से (ग) जी, हां। पिछले तीन वर्षों में आज की तिथि तक रेडीमेड गारमेन्ट्स के अवैध निर्यात के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(घ) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ की गई थी और शुल्क की मांग करने/प्रतिअदायगी की वसूली के लिए और जुर्माना/अर्थदण्ड लगाने के लिए पथभ्रष्ट निर्यातकों के कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। कुछ मामलों में अत्यधिक राजस्व के धोखेबाजी के मामले में शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

***विवरण***

(करोड़ रुपए में)

| राज्य | वर्ष | मामलों की संख्या | शामिल राजस्व (निर्यात प्रोत्साहन की राशि जिसका गलत ढंग से लाभ उठाया गया) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| गुजरात | 2006-07 | 1 | 3.55 |
| | 2007-08 | 1 | 0.01 |
| | 2008-09 | – | – |
| | 2009-10 (मई 2009 तक) | – | – |
| महाराष्ट्र | 2006-07 | 20 | 5.86 |
| | 2007-08 | 29 | 7.94 |
| | 2008-09 | 24 | 18.54 |
| | 2009-10 (मई 2009 तक) | 6 | 4.92 |
| दिल्ली | 2006-07 | 07 | 54.63 |
| | 2007-08 | 08 | 1.63 |
| | 2008-09 | 05 | 0.22 |
| | 2009-10 (मई 2009 तक) | – | – |
| पश्चिम बंगाल | 2006-07 | – | – |
| | 2007-08 | 16 | 0.01 |
| | 2008-09 | 62 | 3.84 |
| | 2009-10 (मई 2009 तक) | 8 | 0.02 |
| आंध्र प्रदेश | 2006-07 | 1 | 0.13 |
| | 2007-08 | – | – |
| | 2008-09 | 1 | 0.06 |
| | 2009-10 (मई 2009 तक) | – | – |
| तमिलनाडु | 2006-07 | 14 | 1.85 |
| | 2007-08 | 30 | 3.04 |
| | 2008-09 | 45 | 15.49 |
| | 2009-10 (मई 2009 तक) | – | – |
| राजस्थान | 2006-07 | 02 | 5.12 |
| | 2007-08 | 1 | 0.23 |
| | 2008-09 | 2 | 2.82 |
| | 2009-10 (मई 2009 तक) | – | – |
| पंजाब | 2006-07 | 03 | 36.38 |
| | 2007-08 | – | – |
| | 2008-09 | – | – |
| | 2009-10 (मई 2009 तक) | – | – |

*[अनुवाद]*

**रियल एस्टेट सेक्टर को सब्सिडी**

**242. श्री नामा नागेश्वर राव:**
**श्री एन.एस.वी. चित्तन:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रियल एस्टेट सेक्टर को सब्सिडी प्रदान करने के लिए कोई प्रोत्साहन पैकेज देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बैंकों को कम ब्याज दर पर और अधिक ऋण प्रदान करने के दिशा-निर्देश दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा):** (क) से (घ) सरकार समय-समय पर सरकारी क्षेत्र के बैंको को, अर्थव्यवस्था के आवास सहित जरूरतमंद क्षेत्र को युक्ति संगत ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर देती रही है। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा दिनांक 16.12.2008 को घोषित आवासीय क्षेत्र को प्रोत्साहन पैकेज के रूप में, सरकारी क्षेत्र के बैंक पहले पांच वर्षों के लिए अधिकतम 8.5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 5 लाख रुपये तक का आवास ऋण प्रदान कर रहे हैं। 5 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक के आवास ऋण के लिए ब्याज दर प्रति वर्ष 9.25% से अधिक नहीं होगी और अधिक प्रोत्साहन के रूप में, कोई प्रक्रिया शुल्क नहीं लगेगा, कोई तिथि पूर्व भुगतान शुल्क/जुर्माना नहीं लगेगा और उधारकर्ता को उसकी सम्पूर्ण बकाये राशि पर मुक्त बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।

*[हिन्दी]*

**विद्युत की कमी**

**243. श्री प्रहलाद जोशी:**
**श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:**
**श्री नृपेन्द्र नाथ राय:**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक राज्य विद्युत की भारी किल्लत का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों से प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में विभिन्न स्रोतों से स्रोतवार और राज्यवार पृथक-पृथक कितनी विद्युत का उत्पादन किया गया;

(च) क्या सरकार का विचार इस स्थिति में सुधार करने के लिए विद्युत की कमी से जूझ रहे राज्यों को केन्द्रीय पूल से अतिरिक्त विद्युत का आवंटन करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी):** (क) और (ख) देश में विद्युत की निरंतर कमी रही है। वर्ष 2009-10 (मई 2009 तक) के दौरान देश में विद्युत की कुल कमी ऊर्जा के संबंध में 10.0% थी तथा व्यस्ततम विद्युत के संबंध में 12.3% थी। ऊर्जा और व्यस्ततम विद्युत दोनों के संबंध में अप्रैल से मई, 2009 तक की अवधि के दौरान देश में राज्यवार विद्युत आपूर्ति की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) देश में विद्युत की कमी को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं:

(1) परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से 78,700 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य 11वीं योजना के लिए निर्धारित किया गया है। इसमें से, लगभग 15,036 मेगावाट की क्षमता 30.06.2009 तक शुरू की गई है।

(2) प्रत्येक 4000 मेगावाट की अल्ट्रा वृहत विद्युत परियोजनाओं का विकास।

(3) ग्रिड में अतिरिक्त केप्टिव विद्युत को प्रयोग में लाना। कैप्टिव विद्युत की 12000 मेगावाट की क्षमता 11वीं योजना के दौरान प्रणाली में जोड़े जाने की सम्भावना है।

(4) व्यवसायी विद्युत संयंत्र पहल के माध्यम से लगभग 10,000 मेगावाट क्षमता का विकास।

(5) देश में त्वरित विकास जल विद्युत के लिए 50,000 मेगावाट जल पहल की शुरूआत।

(6) पुराने और गैर-प्रभावी उत्पादन यूनिटों का नवीकरण आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार।

(7) देश में इलैक्ट्रिक विद्युत के लिए उपकरण की उत्पादन क्षमता की वृद्धि।

(8) मांग पक्ष प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा संरक्षण उपायों को प्रोत्साहित करना।

(9) कोयले की सम्भावित मांग एवं घरेलू उत्पादन के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए कोयले का आयात।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित विद्युत की राज्यवार/स्रोतवार मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) और (छ) सरकार के निपटारे हेतु उपलब्ध केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों में अनाबंटित विद्युत की मात्रा हर समय राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों तथा अन्य लाभ प्राप्तकर्ताओं को आवंटित की जाती है। अत: केन्द्रीय पूल से अतिरिक्त विद्युत के आवंटन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

***विवरण I***

(आंकड़े मि.यू. निवल में)

| राज्य/प्रणाली/क्षेत्र | विद्युत आपूर्ति की स्थिति अप्रैल से मई, 2009 | | | | व्यस्ततमकालीन मांग और पूर्ति अप्रैल से मई 2009 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आवश्यकता | उपलब्धता | अधिशेष/कमी (-) | | अधिकतम मांग | अधिकतम उपलब्धि | अधिशेष/कमी (%) | |
| | (मि.यू.) | (मि.यू.) | (मि.यू.) | (%) | (मेगावाट) | (मेगावाट) | (मेगावाट) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| चंडीगढ़ | 265 | 265 | 0 | 0.0 | 287 | 287 | 0 | 0.0 |
| दिल्ली | 4,265 | 4,223 | -42 | -1.0 | 4,139 | 4,107 | -32 | -0.8 |
| हरियाणा | 4,883 | 4,698 | -185 | -3.8 | 5,177 | 4,600 | -577 | -11.1 |
| हिमाचल प्रदेश | 1,071 | 1,064 | -7 | -0.7 | 940 | 900 | -40 | -4.3 |
| जम्मू और कश्मीर | 2,138 | 1,596 | -542 | -25.4 | 2,000 | 1,388 | -612 | -30.6 |
| पंजाब | 6,734 | 6,220 | -514 | -7.6 | 6,657 | 6,256 | -401 | -6.0 |
| राजस्थान | 6,724 | 6,502 | -222 | -3.3 | 5,971 | 5,390 | -581 | -9.7 |
| उत्तर प्रदेश | 12,544 | 9,778 | -2,766 | -22.1 | 10,856 | 8,563 | -2,293 | -21.1 |
| उत्तराखंड | 1,398 | 1,335 | -63 | -4.5 | 1,274 | 1,214 | -60 | -4.7 |
| उत्तरी क्षेत्र | 40,022 | 35,681 | -4,341 | -10.8 | 32,223 | 28,075 | -4,148 | -12.9 |
| छत्तीसगढ़ | 2,357 | 2,296 | -61 | -2.6 | 2,819 | 2,703 | -116 | -4.1 |
| गुजरात | 11,499 | 11,277 | -222 | -1.9 | 8,975 | 8,481 | -494 | -5.5 |
| मध्य प्रदेश | 6,720 | 5,514 | -1,206 | -17.9 | 6,522 | 5,250 | -1,272 | -19.5 |
| महाराष्ट्र | 22,050 | 17,736 | -4,314 | -19.6 | 18,645 | 14,292 | -4,353 | -23.3 |
| दमन और दीव | 317 | 280 | -37 | -11.7 | 280 | 255 | -25 | -8.9 |
| दादरा और नगर हवेली | 637 | 557 | -80 | -12.6 | 485 | 441 | -44 | -9.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गोवा | 547 | 538 | −9 | −1.6 | 455 | 400 | −55 | −12.1 |
| पश्चिमी क्षेत्र | 44,127 | 38,198 | −5,929 | −13.4 | 35,315 | 30,031 | −5,284 | −15.0 |
| आंध्र प्रदेश | 12,844 | 11,649 | −1,195 | −9.3 | 11,325 | 9,934 | −1,391 | −12.3 |
| कर्नाटक | 7,870 | 7,415 | −455 | −5.8 | 7,196 | 6,352 | −844 | −11.7 |
| केरल | 3,049 | 2,912 | −137 | −4.5 | 3,045 | 2,837 | −208 | −6.8 |
| तमिलनाडु | 12,205 | 11,487 | −718 | −5.9 | 10,145 | 9,675 | −470 | −4.6 |
| पुडुचेरी | 360 | 345 | −15 | −4.2 | 305 | 266 | −39 | −12.8 |
| लक्षद्वीप | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| दक्षिणी क्षेत्र | 36,328 | 33,808 | −2,520 | −6.9 | 29,216 | 26,369 | −2,847 | −9.7 |
| बिहार | 1,822 | 1,540 | −282 | −15.5 | 2,249 | 1,411 | −838 | −37.3 |
| डीवीसी | 2,397 | 2,349 | −48 | −2.0 | 1,816 | 1,804 | −12 | −0.7 |
| झारखंड | 931 | 875 | −56 | −6.0 | 1,088 | 947 | −141 | −13.0 |
| उड़ीसा | 3,548 | 3,508 | −40 | −1.1 | 3,029 | 3,015 | −14 | −0.5 |
| पश्चिम बंगाल | 5,754 | 5,581 | −173 | −3.0 | 5,270 | 5,197 | −73 | −1.4 |
| सिक्किम | 84 | 66 | −18 | −21.4 | 84 | 84 | 0 | 0.0 |
| अंडमान व निकोबार | 40 | 30 | −10 | −25 | 40 | 32 | −8 | −20.0 |
| पूर्वी क्षेत्र | 14,536 | 13,919 | −617 | −4.2 | 12,913 | 11,610 | −1,303 | −10.1 |
| अरुणाचल प्रदेश | 53 | 39 | −14 | −26.4 | 87 | 66 | −21 | −24.1 |
| असम | 806 | 735 | −71 | −8.8 | 819 | 803 | −16 | −2.0 |
| मणिपुर | 74 | 52 | −22 | −29.7 | 99 | 79 | −20 | −20.2 |
| मेघालय | 216 | 172 | −44 | −20.4 | 260 | 214 | −46 | −17.7 |
| मिजोरम | 57 | 43 | −14 | −24.6 | 66 | 64 | −2 | −3.0 |
| नागालैंड | 99 | 79 | −20 | −20.2 | 91 | 71 | −20 | −22.0 |
| त्रिपुरा | 145 | 128 | −17 | −11.7 | 175 | 172 | −3 | −1.7 |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र | 1,450 | 1,248 | −202 | −13.9 | 1,569 | 1,342 | −227 | −14.5 |
| अखिल भारत | 136,463 | 122,854 | −13,609 | −10.0 | 110,958 | 97,355 | −13,603 | −12.3 |

## विवरण II

*2006-07 के दौरान राज्य वार/स्रोत वार विद्युत उत्पादन*

| राज्य | श्रेणी | क्षमता (मेगावाट) (31.3.07 के अनुसार) | वास्तविक उत्पादन (मि.यू.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| चंडीगढ़ कुल | | 2.0 | 0 |
| दिल्ली | थर्मल | 1714.9 | 10561.25 |
| दिल्ली कुल थर्मल | | 1714.9 | 10561.25 |
| हरियाणा | थर्मल | 1970.0 | 13355.62 |
| | हाइड्रो | 62.4 | 255.78 |
| हरियाणा कुल | | 2032.4 | 13611.4 |
| हिमाचल प्रदेश | हाइड्रो | 6073.6 | 22794 |
| हिमाचल प्रदेश कुल | | 6073.6 | 22794 |
| जम्मू और कश्मीर | थर्मल | 175.0 | 0 |
| | हाइड्रो | 1866.4 | 7306.22 |
| जम्मू और कश्मीर कुल | | 2041.4 | 7306.22 |
| पंजाब | थर्मल | 2120.0 | 15434.7 |
| | हाइड्रो | 1310.7 | 5180.3 |
| पंजाब कुल | | 3430.7 | 20615 |
| राजस्थान | थर्मल | 2946.8 | 21715.05 |
| | न्यूक्लीयर | 740.0 | 3496.29 |
| | हाइड्रो | 430.0 | 1116.14 |
| राजस्थान कुल | | 4116.8 | 26327.48 |
| उत्तर प्रदेश | थर्मल | 12179.0 | 80594.27 |
| | न्यूक्लीयर | 440.0 | 1023.7 |
| | हाइड्रो | 522.6 | 1416.61 |
| उत्तर प्रदेश कुल | | 13141.6 | 83034.58 |
| उत्तराखंड | हाइड्रो | 2778.0 | 6689.22 |
| उत्तराखंड कुल | | 2778.0 | 6689.22 |
| उत्तरी क्षेत्र | थर्मल | 21107.7 | 141660.89 |
| | न्यूक्लीयर | 1180.0 | 4519.99 |
| | हाइड्रो | 13043.7 | 44758.27 |
| उत्तरी क्षेत्र कुल | | 35331.4 | 190939.15 |
| छत्तीसगढ़ | थर्मल | 3380.0 | 25727.64 |
| | हाइड्रो | 125.0 | 388.41 |
| छत्तीसगढ़ कुल | | 3505.0 | 26116.05 |
| गुजरात | थर्मल | 48.0 | 354.59 |
| | थर्मल | 8489.7 | 49826.58 |
| | न्यूक्लीयर | 440.0 | 2445.59 |
| | हाइड्रो | 1995.0 | 4870.48 |
| गुजरात कुल | | 10924.7 | 57142.65 |
| मध्य प्रदेश | थर्मल | 5542.5 | 34159.89 |
| | हाइड्रो | 1908.5 | 5697.7 |
| मध्य प्रदेश कुल | | 7451.0 | 39857.59 |
| महाराष्ट्र | थर्मल | 10897.0 | 60534.79 |
| | न्यूक्लीयर | 1400.0 | 6498.87 |
| | हाइड्रो | 2829.8 | 7236.99 |
| महाराष्ट्र कुल | | 15126.8 | 74270.65 |
| प.क्षे. | थर्मल | 28357.2 | 170603.49 |
| | न्यूक्लीयर | 1840.0 | 8944.46 |
| | हाइड्रो | 6858.3 | 18193.58 |
| प.क्षे. कुल | | 37055.5 | 197741.53 |
| आंध्र प्रदेश | थर्मल | 8644.7 | 56874.65 |
| | हाइड्रो | 3628.9 | 9822.15 |
| आंध्र प्रदेश कुल | | 12273.6 | 66696.8 |
| कर्नाटक | थर्मल | 2184.3 | 13899.21 |
| | न्यूक्लीयर | 440.0 | 2524.06 |
| | हाइड्रो | 3414.0 | 15189.17 |
| कर्नाटक कुल | | 6038.3 | 31612.44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| केरल | थर्मल | 780.4 | 1591.49 |
| | हाइड्रो | 1846.7 | 7592.78 |
| केरल कुल | | 2627.1 | 9184.27 |
| लक्षद्वीप कुल | थर्मल | 10.0 | 28.25 |
| पुडुचेरी कुल | थर्मल | 32.5 | 277.71 |
| तमिलनाडु | थर्मल | 7055.8 | 44625.99 |
| | न्यूक्लीयर | 440.0 | 2618.24 |
| | हाइड्रो | 2170.6 | 6284.3 |
| तमिलनाडु कुल | | 9666.4 | 53528.53 |
| द.क्षे. | थर्मल | 18707.7 | 117297.3 |
| | न्यूक्लीयर | 880.0 | 5142.3 |
| | हाइड्रो | 11060.2 | 38888.4 |
| द.क्षे. कुल | | 30647.9 | 161328 |
| अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | थर्मल | 60.1 | 182.05 |
| | हाइड्रो | 5.3 | 9.34 |
| अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह कुल | | 65.4 | 191.39 |
| बिहार | थर्मल | 1380.0 | 6616.65 |
| | हाइड्रो | 44.9 | 67.21 |
| बिहार कुल | | 1424.9 | 6683.86 |
| झारखंड | थर्मल | 3120.0 | 10780.82 |
| | हाइड्रो | 214.0 | 390.58 |
| झारखंड कुल | | 3334.0 | 11171.4 |
| उड़ीसा | थर्मल | 3890.0 | 31499.63 |
| | हाइड्रो | 1861.5 | 7203.52 |
| उड़ीसा कुल | | 5751.5 | 38703.15 |
| सिक्किम | थर्मल | 5.0 | 0.15 |
| | हाइड्रो | 92.0 | 236.12 |
| सिक्किम कुल | | 97.0 | 236.27 |
| पश्चिम बंगाल | थर्मल | 7424.2 | 44978.09 |
| | हाइड्रो | 216.5 | 587.84 |
| पश्चिम बंगाल कुल | | 7640.7 | 45565.93 |
| पूर्वी क्षेत्र | थर्मल | 15879.3 | 94057.39 |
| | हाइड्रो | 2434.2 | 8494.61 |
| पूर्वी क्षेत्र कुल | | 18313.5 | 102552 |
| अरुणाचल प्रदेश कुल | हाइड्रो | 415.5 | 965.71 |
| असम | थर्मल | 890.0 | 2757.79 |
| | हाइड्रो | 225.0 | 816.85 |
| असम कुल | | 1115.0 | 3574.64 |
| मणिपुर | थर्मल | 36.0 | 2.68 |
| | हाइड्रो | 90.0 | 475.42 |
| मणिपुर कुल | | 126.0 | 478.1 |
| मेघालय | हाइड्रो | 235.2 | 537.6 |
| मेघालय कुल | | 235.2 | 537.6 |
| मिजोरम कुल | थर्मल | 22.8 | 3.51 |
| नागालैंड कुल | थर्मल | 0.0 | 0 |
| त्रिपुरा | हाइड्रो | 99.0 | 182.01 |
| | | 99.0 | 182.01 |
| त्रिपुरा कुल | थर्मल | 195.0 | 1164.31 |
| त्रिपुरा | हाइड्रो | 15.0 | 46.32 |
| त्रिपुरा कुल | | 210.0 | 1210.63 |
| उ.पू.क्षे. | थर्मल | 1143.8 | 3928.29 |
| | हाइड्रो | 1079.7 | 3023.91 |
| उ.पू.क्षे. कुल | | 2223.5 | 6952.2 |
| भूटान इम्पोर्ट | हाइड्रो | | 3010.08 |
| अखिल भारत | थर्मल | 85195.7 | 527547.36 |
| | न्यूक्लीयर | 3900.0 | 18606.75 |
| | हाइड्रो | 34476.1 | 113358.77 |
| | भूटान आयात | | 3010.08 |
| कुल अखिल भारत | | 123571.8 | 662522.96 |

*2007-08 के दौरान राज्य वार/स्रोत वार विद्युत उत्पादन*

| राज्य | स्रोत | मॉनीटर की गई क्षमता (मेगावाट) | वास्तविक उत्पादन (मि.यू.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| दिल्ली | थर्मल | 994.9 | 5581.59 |
| कुल दिल्ली | | 994.9 | 5581.59 |
| हरियाणा | थर्मल | 1840 | 10690.22 |
| | हाइड्रो | 62.4 | 269.5 |
| हरियाणा कुल | | 1902.4 | 10959.72 |
| हिमाचल प्रदेश | हाइड्रो | 450.45 | 1806.27 |
| | हाइड्रो | 386 | 1617.15 |
| हिमाचल प्रदेश कुल | | 836.45 | 3423.42 |
| जम्मू और कश्मीर | थर्मल | 175 | 0 |
| | हाइड्रो | 310.65 | 883.26 |
| जम्मू और कश्मीर कुल | | 485.65 | 883.26 |
| पंजाब | थर्मल | 2370 | 16456.73 |
| | हाइड्रो | 1142.35 | 4602.52 |
| पंजाब कुल | | 3512.35 | 21059.25 |
| राजस्थान | थर्मल | 2863.8 | 20246.39 |
| | हाइड्रो | 430 | 1399.63 |
| | थर्मल | 0 | 0 |
| राजस्थान कुल | | 3293.8 | 21646.02 |
| उत्तर प्रदेश | थर्मल | 4397 | 21214.76 |
| | हाइड्रो | 522.6 | 922.94 |
| उत्तर प्रदेश कुल | | 4919.6 | 22137.7 |
| उत्तराखंड | हाइड्रो | 1129.85 | 3556.35 |
| | हाइड्रो | 400 | 1871.04 |
| उत्तराखंड कुल | | 1529.85 | 5427.39 |
| केंद्रीय क्षेत्र | थर्मल | 9362 | 72656.95 |
| | न्यूक्लीयर | 1180 | 3154.28 |
| | हाइड्रो | 8377.15 | 33806.05 |
| | | 36394.75 | 200735.6 |
| छत्तीसगढ़ | थर्मल | 1780 | 10055.14 |
| | हाइड्रो | 137 | 262.65 |
| | थर्मल | 250 | 555.47 |
| छत्तीसगढ़ कुल | | 2167 | 10873.26 |
| गोवा | थर्मल | 48 | 326.99 |
| गोवा कुल | | 48 | 326.99 |
| गुजरात | थर्मल | 4633.72 | 30148.1 |
| | हाइड्रो | 1995 | 5672.49 |
| | थर्मल | 2070 | 14067.03 |
| गुजरात कुल | | 8698.72 | 49887.62 |
| मध्य प्रदेश | थर्मल | 2782.5 | 14512.21 |
| | हाइड्रो | 905 | 2744.06 |
| | हाइड्रो | 13.5 | 0 |
| मध्य प्रदेश कुल | | 3701 | 17256.27 |
| महाराष्ट्र | थर्मल | 7712 | 47683.05 |
| | हाइड्रो | 2341.8 | 4627.47 |
| | थर्मल | 1830 | 14448.31 |
| | हाइड्रो | 488 | 1608.65 |
| महाराष्ट्र कुल | | 12371.8 | 68367.48 |
| | थर्मल | 8632 | 56136.97 |
| | न्यूक्लीयर | 1840 | 9375.35 |
| | हाइड्रो | 1520 | 3425.44 |
| | | 38978.52 | 215649.4 |
| आंध्र प्रदेश | थर्मल | 3614.5 | 24831.95 |
| | हाइड्रो | 3628.75 | 9872.45 |
| | थर्मल | 1640.2 | 6416.77 |
| | हाइड्रो | 3.75 | 0 |
| आंध्र प्रदेश कुल | | 8887.2 | 41121.17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| कर्नाटक | थर्मल | 2097.92 | 11087.15 |
| | हाइड्रो | 3360.8 | 14496.61 |
| | थर्मल | 586.5 | 2237.36 |
| कर्नाटक कुल | हाइड्रो | 87.2 | 288.42 |
| केरल | | 6132.42 | 28109.54 |
| | थर्मल | 234.6 | 374.18 |
| | हाइड्रो | 1815.7 | 8322.75 |
| | थर्मल | 195.84 | 390.73 |
| | हाइड्रो | 31 | 101.78 |
| केरल कुल | | 2277.14 | 9189.44 |
| लक्षद्वीप | थर्मल | 9.97 | 28.67 |
| लक्षद्वीप कुल | | 9.97 | 28.67 |
| पुडुचेरी | थर्मल | 32.5 | 275.27 |
| पुडुचेरी कुल | | 32.5 | 275.27 |
| तमिलनाडु | थर्मल | 3401 | 22768.21 |
| | हाइड्रो | 2170.45 | 6432.83 |
| | थर्मल | 1164.8 | 7280.07 |
| तमिलनाडु कुल | | 6736.25 | 36481.11 |
| | थर्मल | 6440 | 47534.63 |
| | न्यूक्लीयर | 1100 | 4247.28 |
| | | 31615.48 | 166987.1 |
| अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | थर्मल | 40.05 | 83.08 |
| | हाइड्रो | 5.25 | 8.37 |
| | थर्मल | 20 | 112.62 |
| अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह कुल | | 65.3 | 204.07 |
| बिहार | थर्मल | 540 | 143.96 |
| | हाइड्रो | 44.9 | 57.83 |
| बिहार कुल | | 584.9 | 201.79 |
| झारखंड | थर्मल | 1260 | 2493.83 |
| | हाइड्रो | 130 | 210.83 |
| | थर्मल | 360 | 2129.18 |
| झारखंड कुल | | 1750 | 4833.84 |
| उड़ीसा | थर्मल | 420 | 3046.96 |
| | हाइड्रो | 1936.5 | 7874.84 |
| | थर्मल | 0 | 612.81 |
| | | 2356.5 | 11534.61 |
| | थर्मल | 5 | 0.18 |
| | हाइड्रो | 32 | 48.33 |
| उड़ीसा कुल | | 37 | 48.51 |
| सिक्किम | थर्मल | 4375 | 18495.19 |
| | हाइड्रो | 1056.5 | 755.96 |
| | थर्मल | 1069.2 | 8145.97 |
| सिक्किम कुल | | 6500.7 | 27397.12 |
| पश्चिम बंगाल | थर्मल | 9560 | 61622.04 |
| | हाइड्रो | 374 | 879.57 |
| पश्चिम बंगाल कुल | | 21228.4 | 106721.6 |
| अरुणाचल प्रदेश | हाइड्रो | 10.5 | 12.31 |
| अरुणाचल प्रदेश कुल | | 10.5 | 12.31 |
| असम | थर्मल | 574.5 | 1028.13 |
| | हाइड्रो | 100 | 495.21 |
| | थर्मल | 24.5 | 94.32 |
| असम कुल | | 699 | 1617.66 |
| मणिपुर | थर्मल | 36 | 0.86 |
| मणिपुर कुल | | 36 | 0.86 |
| मेघालय | हाइड्रो | 185.2 | 665.46 |
| मेघालय कुल | | 185.2 | 665.46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| मिजोरम | थर्मल | 22.92 | 2.65 |
| मिजोरम कुल | | 22.92 | 2.65 |
| नागालैंड | हाइड्रो | 24 | 93.55 |
| नागालैंड कुल | | 24 | 93.55 |
| त्रिपुरा | थर्मल | 127.5 | 584.64 |
| | हाइड्रो | 15 | 36.02 |
| त्रिपुरा कुल | | 142.5 | 620.66 |
| | थर्मल | 375 | 2388.73 |
| | हाइड्रो | 845 | 3695.53 |
| | | 2340.12 | 9097.41 |
| | भूटान आयात | 0 | 5277.94 |
| | | 130556.67 | 704469 |

*2008-09 के दौरान राज्य वार/स्रोत वार विद्युत उत्पादन*

| राज्य | स्रोत | मॉनीटर की गई क्षमता (मेगावाट) | वास्तविक उत्पादन (मि.यू.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| दिल्ली | थर्मल | 982.9 | 5513.89 |
| दिल्ली कुल | | 982.9 | 5513.89 |
| हरियाणा | थर्मल | 2140 | 13504.13 |
| | हाइड्रो | 62.4 | 282.4 |
| हरियाणा कुल | | 2202.4 | 13786.53 |
| हिमाचल प्रदेश | हाइड्रो | 450.45 | 2024.6 |
| | हाइड्रो | 386 | 1643 |
| हिमाचल प्रदेश कुल | | 836.45 | 3667.6 |
| जम्मू और कश्मीर | थर्मल | 175 | 0.28 |
| | हाइड्रो | 760.65 | 1633.79 |
| जम्मू और कश्मीर कुल | | 935.65 | 1634.07 |
| पंजाब | थर्मल | 2620 | 18066.41 |
| | हाइड्रो | 1142.35 | 4227.74 |
| पंजाब कुल | | 3762.35 | 22294.15 |
| राजस्थान | थर्मल | 2863.8 | 21518.37 |
| | हाइड्रो | 430 | 670.97 |
| राजस्थान कुल | | 3293.8 | 22189.34 |
| उत्तर प्रदेश | थर्मल | 4067 | 22385.92 |
| | हाइड्रो | 526.2 | 1097.11 |
| उत्तर प्रदेश कुल | | 4593.2 | 23483.03 |
| उत्तराखंड | हाइड्रो | 1281.85 | 4572.82 |
| | हाइड्रो | 400 | 2033.37 |
| उत्तराखंड कुल | | 1681.85 | 6606.19 |
| केंद्रीय क्षेत्र | थर्मल | 9347 | 71736.72 |
| | न्यूक्लीयर | 1180 | 2995.84 |
| | हाइड्रो | 8377.15 | 34863.97 |
| केंद्रीय क्षेत्र कुल | | 37192.75 | 208771.3 |
| छत्तीसगढ़ | थर्मल | 1780 | 13210.5 |
| | हाइड्रो | 137 | 291.71 |
| | थर्मल | 1000 | 6368.36 |
| छत्तीसगढ़ कुल | | 2917 | 19870.57 |
| गोवा | थर्मल | 48 | 324.84 |
| गोवा कुल | | 48 | 324.84 |
| गुजरात | थर्मल | 4708.72 | 29955.05 |
| | हाइड्रो | 1995 | 2860.84 |
| | थर्मल | 2070 | 13716.76 |
| गुजरात कुल | | 8773.72 | 46532.65 |
| मध्य प्रदेश | थर्मल | 2982.5 | 16058.11 |
| | हाइड्रो | 905 | 2460.14 |
| | हाइड्रो | 13.5 | 0 |
| मध्य प्रदेश कुल | | 3901 | 18518.25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| महाराष्ट्र | थर्मल | 7712 | 46488.6 |
| | हाइड्रो | 2591.8 | 3989.3 |
| | थर्मल | 2080 | 14267.89 |
| | हाइड्रो | 488 | 1215.06 |
| महाराष्ट्र कुल | | 12871.8 | 65960.85 |
| केन्द्रीय | थर्मल | 9872 | 61948.79 |
| | न्यूक्लीयर | 1840 | 7510.96 |
| | हाइड्रो | 1520 | 2367.49 |
| | | 41743.52 | 223034.4 |
| आंध्र प्रदेश | थर्मल | 3614.5 | 27159.38 |
| | हाइड्रो | 3706.75 | 8160.41 |
| | थर्मल | 1640.2 | 6744.33 |
| | हाइड्रो | 3.75 | 0 |
| आंध्र प्रदेश कुल | | 8965.2 | 42064.12 |
| कर्नाटक | थर्मल | 2097.92 | 12198.03 |
| | हाइड्रो | 3590.8 | 12884.42 |
| | थर्मल | 586.5 | 2587.78 |
| | हाइड्रो | 87.2 | 269.71 |
| कर्नाटक कुल | | 6362.42 | 27939.94 |
| केरल | थर्मल | 234.6 | 653.55 |
| | हाइड्रो | 1815.7 | 5848.09 |
| | थर्मल | 195.84 | 943.11 |
| | हाइड्रो | 31 | 63.69 |
| केरल कुल | | 2277.14 | 7508.44 |
| लक्षद्वीप | थर्मल | 9.97 | 28.07 |
| लक्षद्वीप कुल | | 9.97 | 28.07 |
| पुडुचेरी | थर्मल | 32.5 | 258.17 |
| पुडुचेरी कुल | | 32.5 | 258.17 |
| तमिलनाडु | थर्मल | 3493.2 | 23587.17 |
| | हाइड्रो | 2170.45 | 5369.48 |
| | थर्मल | 1164.8 | 7776.71 |
| तमिलनाडु कुल | | 6828.45 | 36733.36 |
| केंद्रीय | थर्मल | 6440 | 47833.95 |
| | हाइड्रो | 1100 | 4205.79 |
| | | 32015.68 | 166571.8 |
| अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | थर्मल | 40.05 | 70.47 |
| | हाइड्रो | 5.25 | 9.98 |
| | थर्मल | 20 | 130.03 |
| अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह कुल | | 65.3 | 210.48 |
| बिहार | थर्मल | 320 | 102.94 |
| | हाइड्रो | 44.9 | 51.13 |
| बिहार कुल | | 364.9 | 154.07 |
| झारखंड | थर्मल | 1260 | 3235.58 |
| | हाइड्रो | 130 | 237.63 |
| | थर्मल | 360 | 2185.29 |
| झारखंड कुल | | 1750 | 5658.5 |
| उड़ीसा | थर्मल | 420 | 3190.67 |
| | हाइड्रो | 2011.5 | 5714.33 |
| | थर्मल | 0 | 480.76 |
| उड़ीसा कुल | | 2431.5 | 9385.76 |
| सिक्किम | थर्मल | 5 | 0.14 |
| | हाइड्रो | 32 | 46.22 |
| सिक्किम कुल | | 37 | 46.36 |
| पश्चिम बंगाल | थर्मल | 4675 | 21433.59 |
| | हाइड्रो | 1056.5 | 945.45 |
| | थर्मल | 1069.2 | 8039.37 |
| पश्चिम बंगाल कुल | | 6800.7 | 30418.41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| केंद्रीय | थर्मल | 10280 | 62010.2 |
| | हाइड्रो | 714 | 2651.63 |
| | | 22443.4 | 110535.4 |
| अरुणाचल प्रदेश | हाइड्रो | 18.5 | 21.91 |
| अरुणाचल प्रदेश कुल | | 18.5 | 21.91 |
| असम | थर्मल | 299 | 1247.21 |
| | हाइड्रो | 100 | 416.47 |
| | थर्मल | 24.5 | 96.57 |
| असम कुल | | 423.5 | 1760.25 |
| मणिपुर | थर्मल | 36 | 0 |
| मणिपुर कुल | | 36 | 0 |
| मेघालय | हाइड्रो | 185.2 | 555.28 |
| मेघालय कुल | | 185.2 | 555.28 |
| मिजोरम | थर्मल | 22.92 | 2.51 |
| मिजोरम कुल | | 22.92 | 2.51 |
| नागालैंड | हाइड्रो | 24 | 74.15 |
| नागालैंड कुल | | 24 | 74.15 |
| त्रिपुरा | थर्मल | 127.5 | 609.14 |
| | हाइड्रो | 15 | 50.54 |
| त्रिपुरा कुल | | 142.5 | 659.68 |
| केंद्रीय | थर्मल | 375 | 2431.43 |
| | हाइड्रो | 850 | 3476.33 |
| | | 2077.62 | 8981.54 |
| | भूटान आयात | 0 | 5899.1 |
| | | 135472.97 | 723793.6 |

*[अनुवाद]*

## डीडीए में योजनाओं की स्वीकृति में विलम्ब

**244. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:**
**श्री नृपेन्द्र नाथ राव:**
**श्री नरहरि महतो:**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) का विचार मानक योजनाओं को अधिसूचित करके जिन्हें निर्धारित शुल्क अदा करके अपनाया जा सकता है या आवश्यक सुरक्षापायों के साथ योजनाओं की स्वीकृति के लिए वास्तुकारों को अनुमति देकर योजनाओं की स्वीकृति में होने वाले विलम्ब को समाप्त करने हेतु प्रक्रियाएं बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय):** (क) और (ख) डीडीए ने यह बताया है कि पूर्व में मुख्य मानक योजनाएं बनाई गई थी, लेकिन बाद में, विकास नियंत्रण मानदंडों में समय-समय पर बदलाव करके मानक योजनाओं में संशोधन नहीं किया गया। डीडीए ने 500 वर्ग मी. तक के रिहायशी भूखंडों के लिए भवन निर्माण योजनाओं की मान्य स्वीकृति के लिए डीडीए के पैनल वाले निजी वास्तुकारों द्वारा भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया है।

## विशेष वित्तीय पैकेज

**245. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने हाल में विशेष वित्तीय पैकेज तथा दर्जा देने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा):** (क) और (ख) राज्यों द्वारा वित्तीय सहायता समय-समय पर मांगी जाती है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने 1429.88 करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज की मांग की थी। अंतर-मंत्रालयी समिति ने अरुणाचल प्रदेश के अनुरोध पर विचार किया तथा समिति ने एकमुश्त सहायता अनुदान के रूप में 200 करोड़ रुपये की सिफारिश की थी जो कि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा गहन-विश्लेषण के आधार पर की गई किसी भी सिफारिश से समायोजित की जाएगी। इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है। बिहार द्वारा मांग की गई है कि उसे विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया जाए, यह मांग अभी विचाराधीन है।

## राज्यों को विद्युत का आवंटन

**246. श्री हरिन पाठक:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से भारत के विभिन्न राज्यों को दिया जाने वाला अनावंटित विद्युत कोटा कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गुजरात सहित कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी):** (क) से (ङ) केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों की अनाबंटित विद्युत जिसका आबंटन सरकार के निर्णयानुसार किया जाता है, का आबंटन सामान्यत: आवश्यकता की तात्कालिकता तथा मौसमी आवश्यकताओं, संबंधित विद्युत आपूर्ति की स्थिति, मौजूदा उत्पादन एवं विद्युत स्रोतों के उपयोग, निष्पादन एवं भुगतान की क्षमता आदि जैसे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए डायनामिक आधार पर किया जाता है।

समय-समय पर राज्य सरकारों से, केन्द्रीय उत्पादक केन्द्रों की अनाबंटित विद्युत में से अतिरिक्त आबंटन के अनुरोध प्राप्त होते हैं। इस विद्युत की मात्रा सीमित तथा नियत होने के कारण, एक अथवा ज्यादा लाभभोगियों को आबंटन करने से अन्य लाभभोगियों से समतुल्य कमी करना आवश्यक हो जाता है। जिन राज्यों का आबंटन कभी-कभी कम हो जाता है, वे निर्णय पर पुन: विचार करने का अनुरोध करते हैं।

फरवरी, 2006 में, पश्चिमी क्षेत्र तथा पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पादक केन्द्रों की अनाबंटित विद्युत से विद्युत का आबंटन संशोधित किया गया तथा गुजरात और गोवा की अपेक्षाकृत संतोषजनक स्थिति के कारण उनके आबंटन को कम करते हुए, क्षेत्र के ज्यादा कमी वाले राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 151 मेगावाट विद्युत का आबंटन किया गया। तत्पश्चात, गुजरात द्वारा अतिरिक्त विद्युत के आबंटन हेतु किये गये अनुरोध तथा पश्चिमी क्षेत्र के संघटकों की अपेक्षित विद्युत आपूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जनवरी, 2007 में गुजरात को अनाबंटित विद्युत 5% (लगभग 55 मेगावाट) बढ़ाकर दी गई।

गुजरात ने अपनी अनाबंटित विद्युत को विगत स्तर तक ले आने का अनुरोध किया था। आबंटन में की गई कमी का कारण राज्य सरकार को संप्रेषित कर दिया गया था।

*[हिन्दी]*

## क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

**247. श्रीमती सुमित्रा महाजन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं;

(ख) इनमें से कितने बैंकों की वित्तीय स्थिति राज्यवार खराब है; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा):** (क) 30 जून, 2009 की स्थिति के अनुसार 85 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 85 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से निम्नलिखित पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्तीय वर्ष 2008-09 में हानियां हुई हैं।

| क्र.सं. | राज्य | आरआरबी का नाम* |
|---|---|---|
| 1. | जम्मू और कश्मीर | इलाक्वी देहाती बैंक |
| 2. | मणिपुर | मणिपुर ग्रामीण बैंक |
| 3. | नागालैण्ड | नागालैण्ड ग्रामीण बैंक |
| 4. | उड़ीसा | कलिंगा ग्राम्य बैंक |
| 5. | उत्तर प्रदेश | क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक |

*अनंतिम आंकड़े

(ग) भारत सरकार ने उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) 31 मार्च 2009 तक, 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का 1770.86 करोड़ रु. का पुनर्पूंजीकरण किया गया है।

(2) राज्य स्तर पर प्रयोजक बैंक-वार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन किया गया है। समामेलित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बेहतर आधारभूत ढांचा, शाखाओं के कंप्यूटरीकरण, अनुभवी कर्मचारियों के एकत्र होने से, समान प्रचार और विपणन प्रयासों, इत्यादि के कारण बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान कर सकते हैं। वे बड़े परिचालन क्षेत्र और वर्द्धित ऋण निवेश सीमा का लाभ भी उठाएंगे।

(3) आय सृजन की वृद्धि हेतु बीमा पालिसियों का विक्रय, पेंशन, वेतन, इत्यादि का वितरण और सरकारी कारोबार का काम जैसी निधि आधारित कारोबार गतिविधियों का विस्तार।

(4) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) जमा स्वीकार करने की अनुमति।

(5) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संघीय ऋण की अनुमति।

(6) निरंतर लाभप्रदता को बनाए रखने लायक योजना (एसपीवी) तैयार करना और पूनर्पूंजीकृत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना।

(7) अन्य पहलें—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कारोबार को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार/नाबार्ड/आरबीआई द्वारा कई पहलें जैसे संगठनात्मक, मानव संसाधन विकासात्मक और संवर्द्धनात्मक पहलें की गई हैं। इन कदमों में जिलों का कवरेज बढ़ाना, शाखाएं खोलना, जमा संग्रहण, ऋणों, अग्रिमों में वृद्धि, किसान क्लब को सशक्त करना और उनका उपयोग करना, ऋण की अदला-बदली और उधारकर्ताओं को सूदखोरों से छुड़ाना और संवर्द्धनात्मक एवेन्यू, कर्मचारी की भर्ती, कर्मचारी प्रशिक्षण और क्षमतावर्द्धन के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ बनाना शामिल है।

***विवरण***

*क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की राज्य-वार संख्या*

| क्र.सं. | राज्य | आरआरबी की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 5 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1 |
| 3. | असम | 2 |
| 4. | बिहार | 4 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 3 |
| 6. | गुजरात | 3 |
| 7. | हरियाणा | 2 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 2 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 2 |
| 10. | झारखण्ड | 2 |
| 11. | कर्नाटक | 6 |
| 12. | केरल | 2 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 8 |
| 14. | महाराष्ट्र | 4 |
| 15. | मणिपुर | 1 |
| 16. | मेघालय | 1 |
| 17. | मिजोरम | 1 |
| 18. | नागालैण्ड | 1 |
| 19. | उड़ीसा | 5 |
| 20. | पुडुचेरी | 1 |
| 21. | पंजाब | 3 |
| 22. | राजस्थान | 6 |
| 23. | तमिलनाडु | 2 |
| 24. | त्रिपुरा | 1 |
| 25. | उत्तर प्रदेश | 12 |
| 26. | उत्तराखण्ड | 2 |
| 27. | पश्चिम बंगाल | 3 |
| | कुल | 85 |

*स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

*[अनुवाद]*

**अवसंरचना क्षेत्र में ऋण**

**248. श्री प्रबोध पांडा:**
**श्री दुष्यंत सिंह:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अवसंरचना क्षेत्र को ऋण देने के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अनुपालन हेतु जारी दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने इस प्रकार के ऋण में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंकवार ब्यौरा क्या है;

(घ) बैंकों तथा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) द्वारा वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान अब तक विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रों को संवितरित ऋणों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अवसंरचना क्षेत्र में ऋण की मांग की गति धीमी होने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा):** (क) अवसंरचना क्षेत्र को ऋण देने के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए जारी किये गये दिशानिर्देशों का ब्यौरा निम्नलिखित परिपत्रों मे ंदिया गया है:

* डीबीओडी सं. बीपी.बीसी. 67/21.4.048/2002-03 दिनांक 4 फरवरी, 2003
* डीबीओडी सं. बीपी.बीसी. 90/21.01.002/2003-04 दिनांक 11 जून, 2004
* डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.52/21.4.048/2007-08 दिनांक 30 नवम्बर 2007

इन परिपत्रों के प्रति आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध है।

(ख) और (ग) आरबीआई द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, अवसंरचना क्षेत्र के लिए बैंक ऋण यह दर्शाता है कि अवसंरचना क्षेत्र के बकाया ऋण की वृद्धि में वर्ष 2007-08 में 43.1% से वर्ष 2008-09 में 31.6% तक की गिरावट आई है।

(घ) वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान बैंकों तथा आईआईएफसीएल द्वारा अवसंरचना क्षेत्र को प्रदान किये गये ऋण के क्षेत्र-वार ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिये गये हैं।

(ङ) सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था तथा विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र में मंदी दर्शाते हुए अक्तूबर, 2008 के पश्चात् ऋण की कम मांग होने के कारण अवसंरचना क्षेत्र के ऋण की वृद्धि में कमी आई है। मांग को उत्तेजित करने के लिए, सरकार द्वारा घोषित प्रथम प्रोत्साहन पैकेज के रूप में, आईआईएफसीएल को पात्र लगभग 25000 करोड़ रुपये वाली अवसंरचना क्षेत्र बोली आधारित पीपीपी परियोजनाओं दीर्घावधि बैंक ऋण के संबंध में पुनर्वित्त के लिए कर मुक्त बांड्स द्वारा 10,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए अनुमति दी गई थी। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा घोषित दूसरे प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत, 75,000 करोड़ रुपये वाली अवसंरचना क्षेत्र परियोजनाओं को ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए करमुक्त बांड्स के द्वारा अतिरिक्त 30,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए आईआईएफसीएल को समर्थ बनाने के लिए प्रावधान किया गया है।

***विवरण I***

*बैंकों द्वारा अवसंरचना क्षेत्र के लिए ऋण के क्षेत्र-वार ब्यौरे*

(करोड़ रुपये)

| | की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण | | | | के दौरान ऋण प्रवाह | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च 07 | 28 मार्च 08 | 27 मार्च 09 | 24 अप्रैल 09 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | मई 2008-अप्रैल 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| अवसंरचना | 143,375 | 205,120 | 269,972 | 268,423 | 30,545 (27.1) | 61,745 (43.1) | 64,852 (31.6) | 67,550 (33.6) |
| जिसमें विद्युत | 73,158 | 95,067 | 124,447 | 124,996 | 13,001 (21.6) | 21,909 (29.9) | 29,380 (30.9) | 32,115 (34.6) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दूरसंचार | 19,446 | 38,043 | 50,326 | 47,818 | 991 (5.4) | 18,597 (95.6) | 12,283 (32.3) | 11,193 (30.6) |
| रोड तथा पोर्ट | 24,984 | 34,530 | 47,060 | 47,988 | 5,289 (26.9) | 9,546 (38.2) | 12,530 (36.3) | 14,664 (44.0) |
| अन्य अवसंरचना | 25,747 | 37,479 | 48,159 | 47,620 | 11,201 (77.0) | 11,732 (45.6) | 10,680 (28.5) | 9,586 (25.2) |

टिप्पणी: 1. आंकड़े अनंतिम हैं तथा चुने हुए बैंकों से संबंधित हैं जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान किये गये नॉन फूड सकल बैंक ऋण के कुल प्रतिशत के 95 प्रतिशत को कवर करता है।

2. कोष्ठक के आंकड़े संबंधित अवधि में ऋण वृद्धि में प्रतिशत है।

***विवरण II***

*आईआईएफसीएल द्वारा अवसंरचना क्षेत्र के लिए ऋण के क्षेत्र-वार ब्यौरे*

(करोड़ रुपये)

| क्षेत्र | वित्तीय वर्ष 2007-08 | वित्तीय वर्ष 2008-09 | वित्तीय वर्ष 2009-10 (31 मई 2009 तक) |
|---|---|---|---|
| रोड | 584.21 | 1288.30 | 214.83 |
| विद्युत | 600.19 | 1633.65 | 216.62 |
| पोर्ट | 58.85 | 42.98 | 7.03 |
| एयरपोर्ट | 298.13 | 218.34 | — |
| शहरी अवसंरचना | — | 1.81 | 5.36 |
| पीएमडीओ* | — | 12.04 | 14.71 |
| कुल | 1541.38 | 3197.12 | 458.55 |

*एकत्रित नगरपालिका ऋण दायित्व

**अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता**

**249. श्री चंद्रकांत खैरे:**
**श्रीमती सुप्रिया सुले:**
**श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष 2009-10 के पूर्वार्द्ध में 5653 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्रवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 78500 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता हासिल करने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाये जा रहे हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी):** (क) और (ख) सरकार ने कार्यभार ग्रहण करने के समय अर्थात 20 मई से 31 अगस्त 2009 तक प्रथम 100 दिन की अवधि के दौरान 5653 मेगावाट का क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य स्थापित किया है। इस लक्ष्य के प्रकार, क्षेत्र तथा राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 78,700 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य के प्रकार और क्षेत्रवार ब्यौरे नीचे तालिका में दिये गये हैं:

(मेगावाट में)

| प्रकार/क्षेत्र | हाइड्रो | थर्मल | न्यूक्लीयर | कुल |
|---|---|---|---|---|
| केन्द्र | 8654 | 24840 | 3380 | 36874 |
| राज्य | 3482 | 23301 | – | 26783 |
| निजी | 3491 | 11552 | – | 15043 |
| कुल | 15627 | 59693 | 3380 | 78700 |

(ङ) लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कदम निम्नलिखित है:

* चालू उत्पादन परियोजनाओं की गहन निगरानी।
* प्रतिस्पर्धात्मक बोली के अंतर्गत प्रत्येक 4000 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं का विकास।
* अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों तथा क्षेत्रीय कार्यशालाओं आदि के आयोजन के द्वारा मुख्य संयंत्र, उपकरण और शेष संयंत्रों जैसे कोल हैण्डलिंग संयंत्र, राख हैण्डलिंग संयंत्र, जल ट्रीटमेंट संयंत्र आदि के लिए उत्पादन क्षमता को बढ़ाने तथा विक्रेता आधार को विस्तृत करने की आवश्यकताओं के अनुरूप उद्योग को सुग्राही बनाना। महत्वपूर्ण सामग्री की अग्रिम प्राप्ति तथा निर्माण से पूर्व अनिवार्य निधियों की व्यवस्था जैसे अन्य क्षेत्रों का भी समाधान किया जा रहा है।

***विवरण***

*नई सरकार के प्रथम 100 दिन (20 मई से 31 अगस्त 2009) तक की अवधि के दौरान क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य*

| क्र.सं. | परियोजना नाम/यूनिट संख्या | राज्य/कार्यान्वयन एजेंसी | क्षमता (मेगावाट) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **(क)** | **थर्मल** | | |
| | **केन्द्रीय क्षेत्र** | | |
| 1. | कहलगांव एसटीपीएस-II (फेज-I एंड II), यू-7 | बिहार/एनटीपीसी | 500 |
| 2. | भिलाई एक्सटेंशन, टीपीपी, यू-2 | छत्तीसगढ़/एनएसपीसीएल (एनटीपीसी एवं सेल जेवी) | 250 |
| 3. | चंद्रपुरा टीपीएस एक्सटेंशन, यू-7 | झारखंड/डीवीसी | 250 |
| | | कुल केन्द्रीय क्षेत्र | 1000 |
| | **राज्य क्षेत्र** | | |
| 1. | विजयवाड़ा टीपीपी-IV, यू-1 | आंध्र प्रदेश/एपीजीईएनसीओ | 500 |
| 2. | कच्छ लिग्नाईट एक्सटेंशन, यू-4 | गुजरात/जीएसईसीएल | 75 |
| 3. | छाबड़ा टीपीएस, यू-1 | राजस्थान/आरआरवीयूएनएल | 250 |
| 4. | गिराल लिग्नाईट-II, यू-2 | राजस्थान/आरआरवीयूएनएल | 125 |
| 5. | कोटा टीपीपी, यू-7 | राजस्थान/आरआरवीयूएनएल | 195 |
| 6. | सूरतगढ़ टीपीपी-IV, यू-6 | राजस्थान/आरआरवीयूएनएल | 250 |
| 7. | बक्रेश्वर टीपीएस-II, यू-5 | पश्चिम बंगाल/डब्ल्यूबीपीडीसीएल | 210 |
| | | कुल राज्य क्षेत्र | 1605 |
| | **निजी क्षेत्र** | | |
| 1. | गौतमी सीसीपीपी<br>जीटी-1<br>जीटी-2<br>एसटी | आंध्र प्रदेश/गौतमी पावर लिमिटेड | <br><br>145<br>145<br>174 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2. | कोनासीमा सीसीपीपी जीटी-1 | आंध्र प्रदेश/कोनासीमा ईपीएस | 140 |
| | जीटी-2 | | 140 |
| | एसटी | | 165 |
| 3. | लैनको अमरकंटक टीपीएस (पथाडी) यू-1 | छत्तीसगढ़/एलएपी प्राइवेट लिमिटेड | 300 |
| 4. | मुंद्रा टीपीपी फेज-I, यूनिट-1 | गुजरात/अदनी पावर लिमिटेड | 330 |
| 5. | सुजेन सीसीपीपी ब्लॉक-2 | गुजरात/टोरेंट पावर जेन. लिमिटेड | 382.5 |
| | ब्लॉक-3 | | 382.5 |
| 6. | जलिपा-कपुरुदी टीपीपी यूनिट-1 | राजस्थान/राज वेस्ट पावर लिमिटेड (जेएसडब्ल्यू) | 135 |
| 7. | बज-बज-III यूनिट-3 | पश्चिम बंगाल/सीईएससी | 250 |
| | कुल निजी क्षेत्र | | 2689 |
| | कुल थर्मल | | 5294 |
| **(ख)** | **हाइड्रो** | | |
| | केन्द्रीय क्षेत्र-शून्य | | |
| | राज्य क्षेत्र | | |
| | प्रियदर्शिनी जुराला, 6×39= 334 मे.वा., यूनिट-3 | आंध्र प्रदेश/एपीजीईएससीओ | 39 |
| | कुट्टियादी एडी. एक्सटेंशन केरल/2×50=100 मे.वा., यूनिट-1 | केरल/केएसईबी | 50 |
| | कुट्टियादी एडी. एक्सटेंशन केरल 2×50=100 मेगावाट यूनिट-2 | केरल/केएसईबी | 50 |
| | निजी क्षेत्र-शून्य | | |
| | कुल हाइड्रो | | 139 |
| **(ग)** | **न्यूक्लियर** | | |
| | राजस्थान एपीपी, यू-5 | राजस्थान/एनपीसीआईएल | 220 |
| | कुल योग | | 5653 |

**राजस्थान में अफीम उत्पादक**

**250. श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में अफीम के उत्पादकों के पट्टों की संख्या कम हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम ):** (क) जी हां।

(ख) राजस्थान सहित, अफीम उत्पादक सभी तीनों राज्यों में, अफीम उत्पादकों की संख्या में कमी आयी है। पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

| राज्य | लाइसेंस प्राप्त अफीम उत्पादकों की सं. | | |
|---|---|---|---|
| | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 |
| मध्य प्रदेश | 34,151 | 28,286 | 27,462 |
| राजस्थान | 28,233 | 18,439 | 17,337 |
| उत्तर प्रदेश | 274 | 50 | 22 |
| योग | 62,658 | 46,775 | 44,821 |

प्रत्येक वर्ष उन किसानों को लाइसेंस नहीं दिया जाता है जो न्यूनतम अर्हता उपज नहीं देते हैं या उस फसल वर्ष के लिए सामान्य लाइसेंसिंग शर्तों में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। इसी के परिणामस्वरूप, अफीम उत्पादकों की संख्या में कमी आयी है।

*[हिन्दी]*

## गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के रूप में निवेश

**251. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे मामलों का बैंकवार ब्यौरा क्या है जहां भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सहित बैंक गलत तरीके से निवेश को गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के रूप में दर्शा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमो नारायन मीणा ):** (क) से (घ) बैंकों द्वारा गलत तरीके से निवेश को अनुपयोज्य आस्तियों के रूप में दर्शाने संबंधी मामलों का कोई ऐसा विशिष्ट ब्यौरा सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है। तथापि, जब भी ऐसी घटनाएं सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ध्यान में लायी जाती हैं अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक की सांविधिक लेखा परीक्षा अथवा वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के दौरान सामने आती हैं, इस मामले को संबंधित बैंक के साथ, इस मामले पर उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए उठाया जाता है।

*[अनुवाद]*

## सरकारी-निजी भागीदारी परियोजना हेतु एशियाई विकास बैंक की सहायता

**252. श्री एस. राजगोपाल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) की परियोजनाओं की पहचान कर, आकलन कर तथा भागीदारी बढ़ाकर 14 राज्यों की क्षमता बढ़ाने के लिए भारत को 2.5 बिलियन अमरीकी डालर की तकनीकी सहायता मुहैया कराई है;

(ख) यदि हां, तो धनराशि के आवंटन का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) शुरू की गई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा उपरोक्त सहायता से आंध्र प्रदेश में कौन-सी परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमो नारायन मीणा ):** (क) से (ग) एशियाई विकास बैंक ने भारत को 3 मिलियन अमरीकी डालर की एक तकनीकी सहायता परियोजना की मंजूरी दी है ताकि वर्ष 2006 में राज्य स्तर पर सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं को मुख्य धारा में लाया जा सके। इस परियोजना के लिए वर्ष 2008 में 2 मिलियन अमरीकी डालर की एक पूरक निधि की मंजूरी दी गई है। इसमें 14 राज्य और दो मुख्य घटक नामश: (1) क्षमता विकास और (2) पीपीपी कौशल का संस्थानीकरण शामिल हैं।

इसका कोई राज्य-वार आवंटन नहीं किया गया है। परियोजना के तहत खर्चे इन दो घटकों के लिए विशेषज्ञों की लागत और प्रशिक्षण एवं प्रलेखन की लागत से संबंधित हैं।

आंध्र प्रदेश राज्य को भी हैदराबाद में तैनात दो विशेषज्ञों के प्रावधान के जरिये क्षमता निर्माण तथा पीपीपी के संस्थानीकरण के रूप में सहायता प्राप्त हो रही है।

## वैट संबंधी क्षतिपूर्ति

**253. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य सरकारों को वैट संबंधी क्षतिपूर्ति की राज्यवार कितनी धनराशि अभी दी जानी है;

(ख) क्या सरकार ने 'वस्तु एवं सेवा' कर की प्रणाली क्रियान्वित करने के लिए 1 अप्रैल, 2010 की तारीख निर्धारित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने सभी राज्यों को वैट संबंधी क्षतिपूर्ति की कुछ राशि का भुगतान जारी कर दिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम ):** (क) हाल के दिनांक 9.6.2009 के संशोधन से पूर्व लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार वैट संबंधी क्षतिपूर्ति केवल 2 राज्यों, नामत: महाराष्ट्र के लिए अनंतिम रूप से मूल्यांकित 2,052.40 करोड़ रुपये की राशि तथा दिल्ली के लिए अनंतिम रूप से मूल्यांकित 703.48 करोड़ रुपये की राशि अभी दी जानी है।

(ख) और (ग) सरकार ने 2006-07 के बजट भाषण के माध्यम से दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से एकीकृत माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा की थी।

तदनुसार, केन्द्र सरकार और राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति संयुक्त रूप से माल एवं सेवा कर लागू करने के लिए उनके स्वरूप एवं रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए कार्य कर रहे हैं।

(घ) और (ङ) भारत सरकार को 'वैट संबंधी कम क्षतिपूर्ति' जैसे शब्द की कोई जानकारी नहीं है।

दिनांक 9.6.2009 के हाल के संशोधन से पूर्व लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी राज्यों को अनंतिम रूप से मूल्यांकित की गई वैट संबंधी क्षतिपूर्ति की पूरी राशि, महाराष्ट्र एवं दिल्ली राज्यों को छोड़कर, सभी राज्यों को जारी कर दी गई है।

महाराष्ट्र एवं दिल्ली को वैट संबंधी क्षतिपूर्ति संबंधित राज्य सरकारों से अपेक्षित जानकारी व महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अभाव के कारण लम्बित है।

साथ ही, दिनांक 9.6.2009 के हाल के संशोधन के परिणामस्वरूप लागू दिशा-निर्देशों के कारण कुछ राज्य संभवत: वैट संबंधी अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के लिए पात्र हो गए हैं। पात्र राज्यों को वैट संबंधी ऐसी अतिरिक्त क्षतिपूर्ति को जारी करना, परिकलन एवं अनुमोदन की प्रक्रिया के पूरा होने तक लंबित है।

## ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा

**254. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी:**
**डा. अरविन्द कुमार शर्मा:**

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों के उन विद्यालयों में सौर ऊर्जा प्रदान करने का है जहां विद्युत उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ग्रामीण किसानों और जनजातियों को घरेलू प्रयोग एवं सिंचाई के उद्देश्य हेतु सौर उपकरणों पर सहायता प्रदान करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ( डॉ. फारूख अब्दुल्ला ):** (क) और (ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश में सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्कूलों में एसपीवी स्टैंड अलोन विद्युत संयंत्रों की संस्थापना के लिए 1.25 लाख रु./किलोवाट पावर की केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) और (घ) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपयोग और सिंचाई उद्देश्यों के लिए सौर लालटेन, सौर घरेलू रोशनी प्रणालियों, सौर सड़क रोशनियों, सौर विद्युत संयंत्रों और सौर जल पंपन प्रणालियों की संस्थापना हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इन प्रणालियों हेतु उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

### *विवरण*

*ग्रामीण क्षेत्रों में एसपीवी प्रणालियों हेतु मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता ब्यौरा*

| एसपीवी प्रणाली | **सामान्य श्रेणी के राज्यों हेतु सीएफए** निम्नलिखित वित्तीय सीमा अथवा लागत का 50%, जो भी कम हो | **पूर्वोत्तर और विशेष क्षेत्रों हेतु सीएफए** निम्नलिखित वित्तीय सीमा अथवा लागत का 90%, जो भी कम हो |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| सौर घरेलू प्रणाली, मॉडल 1 (18 वाट मॉड्यूल, एक रोशनी) | 2500 रु. | 4500 रु. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| सौर घरेलू प्रणाली, मॉडल 2 (37 वाट मॉड्यूल, 2 रोशनी) | 4800 रु. | 8,660 रु. |
| सौर घरेलू प्रणाली, मॉडल 3 (37 वाट मॉड्यूल, 1 रोशनी, 1 पंखा) | 4800 रु. | 8,660 रु. |
| सौर घरेलू प्रणाली, मॉडल 4 (74 वाट मॉड्यूल, 2 रोशनी, 1 पंखा) | 4800 रु. | 8,660 रु. |
| सौर घरेलू प्रणाली, मॉडल 5 (74 वाट मॉड्यूल, 4 रोशनी) | 4800 रु. | 8,660 रु. |
| सड़क रोशनी प्रणाली, (74 वाट मॉड्यूल, 1-2 लैम्प) | 9600 रु. | 17,300 रु. |
| 1 किवा.पी. से अधिक क्षमता का स्टैंड-एलोन विद्युत संयंत्र | 1,25,000 रु./किवापी. | 2,25,000 रु./किवापी. |
| वितरण लाइन के साथ 10 किवा पी. से अधिक की क्षमता के स्टैंड-एलोन विद्युत संयंत्र | 1,50,000 रु./किवा. | 2,70,000 रु./किवा. |

**सौर लालटेन**

मंत्रालय द्वारा विशेष श्रेणी के राज्यों और संघ राज्य द्वीपों के विद्युतीकृत गांवों की अविद्युतीकृत बस्तियों में रहने वाले लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति सौर लालटेन 2,400 रु. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मंत्रालय द्वारा विशेष श्रेणी राज्यों में रहने वाले गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की बालिकाओं को जो कि कक्षा 9 से कक्षा 12 के बीच पढ़ रही हो, को निः शुल्क सौर लालटेन उपलब्ध कराया जाता है।

**सौर जल पंपन प्रणालियां**

मंत्रालय द्वारा देश में कृषि और संबंधित प्रयोगों के लिए सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) जल पंपन प्रणालियों की संस्थापना के लिए प्रति प्रणाली अधिकतम 50,000/- के अध्यधीन, 70 रु. प्रतिवाट की केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

**दूरस्थ गांवों और बस्तियों हेतु एसपीवी प्रणालियां**

अविद्युतीकृत जनगणना गांवों/बस्तियों हेतु मंत्रालय के दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा सौर रोशनी प्रणालियों की लागत का 90% तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है।

**आगरा का विकास**

**255. प्रो. रामशंकर:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2010 के आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान आगरा में और अधिक पर्यटकों के आने की संभावना को देखते हुए आगरा के विकास हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) और (ख) पर्यटन के विकास एवं संवर्धन की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण, उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पर्यटन परियोजनाओं के लिए, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता की शर्त पर, केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने गंतव्यों और परिपथों हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास की इसकी योजना के अंतर्गत एक मेगा परियोजना के रूप में आगरा की पहचान की गई है और निम्नानुसार केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की है:

(लाख रुपये में)

| क्र.सं. | | स्वीकृत राशि |
|---|---|---|
| 1. | आगरा का एकीकृत विकास-ताज महल के आसपास का पुनरुद्धार और आगन्तुक प्रबंधन | |
| | (क) पूर्वी द्वार प्रवेश (वर्ष 2005-06) | 767.00 |
| | (ख) पश्चिमी द्वार प्रवेश (वर्ष 2006-07) | 933.40 |

*[हिन्दी]*

**ब्याज दरें**

**256. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आवास ऋण और सावधि जमा योजनाओं की ब्याज दरों को कम करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कमी के कब तक प्रभावी होने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा):** (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने गृह ऋण सहित 2 लाख रुपये से अधिक के अग्रिमों के संबंध में ब्याज दरों को 18 अक्तूबर, 1994 से अविनियमित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 अक्तूबर, 1997 से वाणिज्यिक बैंकों को अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से विभिन्न परिपक्वता अवधि वाली घरेलू मीयादी जमाराशियों पर अपनी स्वयं की ब्याज दरें निर्धारित करने की स्वतंत्रता भी दी है। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रमुख नीतिगत दरों में कटौती तथा नई आर्थिक स्थिति की प्रतिक्रिया के रूप में, बैंक स्वयं ऋण तथा जमाराशियां दोनों पर ब्याज दरें हाल ही में कम कर रहे हैं।

*[अनुवाद]*

## एनएचपीसी द्वारा विद्युत उत्पादन

**257. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) उक्त अवधि के दौरान एनएचपीसी द्वारा अपनी परियोजना से वास्तव में कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन किया गया;

(ग) क्या एनएचपीसी ने वर्ष 2009-10 के दौरान नई जल विद्युत परियोजनाओं को आरंभ करने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी):** (क) और (ख) एनएचपीसी लि. द्वारा विद्युत मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार पिछले तीन वर्षों के लिए 'बहुत अच्छा' रेटिंग के तहत निर्धारित उत्पादन लक्ष्य निम्नानुसार है:

| वर्ष | लक्ष्य उत्पादन (मि.यू.) | वास्तविक उत्पादन (मि.यू.) |
|---|---|---|
| 2006-07 | 13200.00 | 13048.76 |
| 2007-08 | 13906.95 | 16689.59 |
| 2008-09 | 16200.00 | 16689.59 |

(ग) और (घ) इस समय उत्तराखंड में तीन परियोजनाएं, नामत: कोटली भेल चरण-1क, चरण-1ख तथा चरण-2 एनएचपीसी द्वारा 2009-10 के दौरान शुरू की जानी हैं। तथापि, यह उपुर्यक्त परियोजनाओं की सभी सांविधिक मंजूरियों की आवश्यकता पर निर्भर करेगा।

## ''भेल'' एनटीपीसी संयुक्त उद्यम परियोजना

**258. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश द्वारा विद्युत उपकरणों के विनिर्माण के लिए आंध्र प्रदेश में ''भेल'' एनटीपीसी संयुक्त उद्यम परियोजना हेतु 750 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना पर कार्य कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी):** (क) से (ग) एनटीपीसी-भेल विद्युत परियोजना प्रा.लि. (एनबीपीपीएल) ने सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लि. (एपीआईआईसी) ने उन्हें चित्तूर जिले के मन्नावरम गांव में 750 एकड़ भूमि आवंटन का प्रस्ताव दिया है। एनबीपीपीएल ने इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

परियोजना पर कार्य आरंभ करने के समय के बारे में, वित्तीय व्यवस्था और भूमि को अंतिम रूप दिये जाने के बाद ही बताया जा सकता है।

## जनजातीय क्षेत्रों का विकास

**259. श्री निशिकांत दुबे:**
**श्री अर्जुन चरण सेठी:**
**श्री रुद्रमाधव राय:**
**डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:**

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने झारखण्ड और उड़ीसा सहित देश के जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास तथा सुधार के लिए कोई योजना तैयार/कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार, योजनावार, संस्वहित, आबंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार जनजातीय समुदायों के विकास और उत्थान के लिए बनाई गई योजनाओं की समीक्षा करने पर विचार कर रही है तथा राष्ट्रीय जनजातीय नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा जनजातियों में मौजूदा योजनाओं के लाभ के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाये गये हैं/उपाय किये गये हैं?

**जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( डॉ. तुषार चौधरी ):** (क) से (ग) झारखण्ड एवं उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार तथा विकास हेतु अपने क्षेत्र से संबंधित प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग का उत्तरदायित्व है। यही बात संबंधित राज्य सरकार एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के लिए भी है। उनके प्रयासों के संपूरक के रूप में जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां निर्मुक्त करता है। स्थानीय क्षेत्र एवं इसके लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर राज्य सरकार इन विकास योजनाओं की प्राथमिकता तय करती है तथा उन्हें क्रियान्वित करती है।

विगत तीन वर्षों में अनुच्छेद 275(1) के तहत कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों को मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त निधियों तथा राज्य सरकारों द्वारा इनके उपयोग का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय जनजाति नीति को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है तथा वर्तमान में इन चालू योजनाओं की समीक्षा मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है। जनजातियों के बीच जागरूकता बढ़ाने हेतु मंत्रालय अपनी योजनाओं की प्रमुख बातों का समाचार पत्र में, अपनी वेबसाइट पर तथा वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशन करता है तथा विभिन्न योजनाओं पर संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करने हेतु निधियां देता है।

***विवरण***

(लाख रु.)

| क्र.सं. | राज्य | 2006-07 | | 2007-08 | | 2008-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | निर्मुक्त निधियां | राज्यों द्वारा उपयोग की गई निधि | निर्मुक्त निधियां | राज्यों द्वारा उपयोग की गई निधि | निर्मुक्त निधियां | राज्यों द्वारा उपयोग की गई निधि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2830.31 | 2830.31 | 2453.03 | 1923.75 | 1863.44 | ** |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 322.52 | 322.52 | 544.29 | 544.29 | 308.68 | ** |
| 3. | असम | 1514.17 | 1514.17 | 1192.63 | 1189.77 | 1444.88 | 835.84 |
| 4. | बिहार | 293.00 | ** | 319.20 | ** | 0.00* | ** |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 4131.86 | 4124.17 | 3090.44 | 3090.15 | 3211.43 | 2579.79 |
| 6. | गोवा | 62.00 | ** | 68.45 | ** | 7.00 | ** |
| 7. | गुजरात | 3964.38 | 3964.38 | 3652.68 | 3174.79 | 2372.77 | ** |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 330.33 | 330.33 | 165.43 | 164.11 | 148.32 | ** |
| 9. | झारखंड | 427.00 | 133.56 | 286.61 | 348.232 | 193.66 | ** |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 3244.15 | 3244.15 | 3060.27 | 3060.27 | 1852.43 | ** |
| 11. | कर्नाटक | 1526.87 | 1526.87 | 7458.05 | 1458.05 | 1496.37 | ** |
| 12. | केरल | 497.19 | 497.19 | 101.52 | 101.52 | 159.42 | ** |
| 13. | मध्य प्रदेश | 6052.44 | 6052.44 | 5973.00 | 5973.00 | 6466.80 | ** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | महाराष्ट्र | 2508.35 | 2184.80 | 3610.31 | 3264.60 | 2441.46 | ** |
| 15. | मणिपुर | 411.00 | 411.00 | 311.96 | 311.96 | 324.44 | ** |
| 16. | मेघालय | 0.00* | ** | 773.02 | 642.34 | 155.33 | ** |
| 17. | मिजोरम | 384.17 | 384.17 | 409.79 | 353.28 | 403.57 | ** |
| 18. | नागालैंड | 812.22 | 812.22 | 866.17 | 866.17 | 200.00 | ** |
| 19. | उड़ीसा | 4029.11 | 4029.11 | 4176.84 | 4176.72 | 4129.73 | 681.53 |
| 20. | राजस्थान | 3160.00 | 3160.00 | 3168.91 | 1058.36 | 3107.04 | ** |
| 21. | सिक्किम | 50.99 | 50.99 | 101.50 | 74.94 | 65.00 | ** |
| 22. | तमिलनाडु | 477.62 | 477.62 | 0.00* | ** | 291.39 | ** |
| 23. | त्रिपुरा | 570.32 | 570.32 | 485.04 | 485.04 | 434.88 | 321.53 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 0.00* | ** | 499.12 | 367.7 | 391.28 | ** |
| 25. | उत्तराखंड | 249.00 | 214.49 | 107.81 | 132.28 | 20.00 | ** |
| 26. | पश्चिम बंगाल | 2151.00 | 2151.00 | 2151.62 | 2151.62 | 2489.09 | ** |
| | कुल जोड़ | 40000.00 | 38985.81 | 39027.69 | 34912.94 | 33978.41 | 4418.69 |

**पूर्व में निर्मुक्त निधियों के संबंध में राज्य सरकारों से परियोजना प्रस्ताव/उपयोगिता प्रमाण-पत्र/भौतिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।

*राज्य ने उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया।

**आई.सी.डी.एस. योजना का सार्वभौमिकीकरण**

**260. श्री ए. सम्पत:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने समूचे देश में समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.) योजना के सार्वभौमिकीकरण का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

**महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री ( श्रीमती कृष्णा तीरथ ):** (क) जी, हां।

(ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने 29 अप्रैल, 2004 तथा पुन: 13 दिसम्बर, 2006 के अपने आदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार को यह निर्देश दिया कि वह कम से कम 14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों की संस्वीकृति और प्रचालन की चरणबद्ध एवं संतुलित प्रक्रिया तुरन्त शुरू करते हुए, दिसम्बर, 2008 तक संपन्न करे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश भी दिया कि 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों, सभी गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं को स्तनपान कराने वाली सभी माताओं और सभी किशोरियों को पूरक पोषण, विकास मानीटरन, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, प्रतिरक्षण, रेफरल सेवा और स्कूल-पूर्व शिक्षा जैसी सभी आई.सी.डी.एस. सेवाएं प्रदान करके इस स्कीम को सभी लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने 22.4.2009 को अपने एक अन्य आदेश में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह निर्देश दिया कि वे भारत सरकार के 24.2.2009 के पत्र में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के परिच्छेद संख्या 5(घ) के अनुसार, 3-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सुबह के नाश्ते और पकाए गए गर्म आहार के रूप में पूरक पोषण प्रदान करने की व्यवस्था यथासंभव 31 दिसम्बर, 2009 तक करें।

(ग) सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के लिए विभिन्न उपाय किये हैं, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक बस्तियों पर विशेष ध्यान देते हुए, वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 में तीन चरणों में समेकित बाल विकास सेवा स्कीम का विस्तार किया जाना, संस्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों/लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों को तत्काल प्रचालित किये जाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश जारी किया जाना, पूरक पोषण सहित मौजूदा घटकों के लागत मानकों में संशोधन किया जाना, पूरक पोषाहार के पौषणिक एवं आहारीय मानकों में संशोधन किया जाना शामिल हैं। इनके अतिरिक्त, सरकार ने आंगनवाड़ी केन्द्र स्तर पर प्रयोजनमुक्त निधियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए विकास मानकों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं के लिए वर्दी और बैज के प्रावधान भी शुरू किये हैं।

*[हिन्दी]*

## वनग्रामों का विकास

**261. श्री जय प्रकाश अग्रवाल:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में वनग्रामों के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वनग्रामों के विकास के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) अब तक विकसित किए गए वनग्रामों का ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार कितने वनग्रामों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार कितने लोगों को लाभ पहुंचा?

**जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( डॉ. तुषार चौधरी ):** (क) से (ङ) वन ग्रामों के विकास के लिए कार्यक्रम, दसवीं योजना के दौरान 2005-06 में शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मूल सेवाओं से संबंधित अवसंरचनात्मक कार्य और सुविधाएं जैसे पहुंच मार्ग, स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक शिक्षा, लघु सिंचाई, वर्षाजल भंडारण, पेयजल, स्वच्छता, सामुदायिक भवन आदि और आजीविका से संबंधित कार्यकलापों का कार्यान्वयन किया जाता है।

देश में इस समय 2,474 वन ग्राम/निवासस्थान हैं जो 12 राज्यों में फैले हुए हैं और अब तक 12 राज्यों में 2,413 वन-ग्रामों को कवर करने वाले प्रस्तावों को अनुमोदन दिया जा चुका है तथा 60,876.26 लाख रुपये की निर्मुक्ति की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। चालू वर्ष के दौरान ग्रामों का निधिकरण राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों और अब तक निर्मुक्त निधियों की उपयोगिता पर आधारित होगा।

***विवरण***

| क्र.सं. | राज्य | वन ग्रामों की कुल संख्या | उन ग्रामों की सं. जिनके लिए परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है | निर्मुक्त निधि | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | असम | 499 | 498 | 1817.42 | 0.00 | 4696.05 |
| 2. | छत्तीसगढ़ | 425 | 422 | 4161.37 | 1034.00 | 0.00 |
| 3. | गुजरात | 199 | 199 | 1434.38 | 593.62 | 0.00 |
| 4. | झारखण्ड | 24 | 24 | 173.87 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | मेघालय | 23 | 23 | 390.71 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | मध्य प्रदेश | 893 | 867 | 10472.42 | 2829.00 | 6502.50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | मिजोरम | 85 | 85 | 1317.50 | 190.00 | 435.00 |
| 8. | उड़ीसा | 20 | 20 | 133.46 | 0.00 | 180.00 |
| 9. | त्रिपुरा | 62 | 62 | 930.00 | 0.00 | 558.00 |
| 10. | उत्तराखंड | 61 | 41 | 566.96 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | उत्तर प्रदेश | 13 | 2 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 12. | पश्चिम बंगाल | 170 | 170 | 699.00 | 0.00 | 2550.00 |
| | कुल | 2474 | 2413 | | | |

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान**

**262. श्री अर्जुन चरण सेठी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कितने राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में ऐसे और अधिक संस्थानों की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी):** (क) देश में नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एनपीटीआई) की नौ यूनिटें चल रही हैं जो निम्नानुसार है:

| राज्य/यूटी | एनपीटीआई की यूनिटों की संख्या | नाम एवं स्थल |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| हरियाणा | 1 | एनपीटीआई ऑफिस एंड सेंटर फॉर एडवांस्ड मैनेजमेंट एंड पावर स्टडीज, फरीदाबाद |
| राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली | 1 | एनपीटीआई (उत्तरी क्षेत्र) बदरपुर नई दिल्ली |
| महाराष्ट्र | 1 | एनपीटीआई (पश्चिमी क्षेत्र) नागपुर |
| पश्चिम बंगाल | 1 | एनपीटीआई (पूर्वी क्षेत्र), दुर्गापुर |
| तमिलनाडु | 1 | एनपीटीआई (दक्षिणी क्षेत्र), नैवेली |
| असम | 1 | एनपीटीआई (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी |
| कर्नाटक | 2 | एनपीटीआई (पावर सिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट) बंगलौर |
| | | एनपीटीआई (हॉट लाईन ट्रेनिंग सेंटर), बंगलौर |
| पंजाब | 1 | एनपीटीआई (हाइड्रो पावर ट्रेनिंग सेंटर), नंगल। |

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत परियोजनाएं**

**263. श्री वैजयंत पांडा:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उड़ीसा सहित देश में छोटे और मझोले नगरों हेतु शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) के तहत मलिन बस्तियों में रहने वालों के लिए पेयजल और आवासीय इकाई परियोजनाओं हेतु भारी धनराशि स्वीकृत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक परियोजना की कार्यान्वयन स्थिति क्या है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय):** (क) और (ख) छोटे व मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत, रिहायशी यूनिट परियोजना स्वीकार्य घटक नहीं है। जल आपूर्ति परियोजनाओं के संबंध में अब तक 7773.73 करोड़ रु. की अनुमोदित लागत पर 412 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और 3682.37 करोड़ रु. (जिसमें 93 परियोजनाओं के लिए 533.10 करोड़ रु. की दूसरी किश्त शामिल है) की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई है। स्वीकृत परियोजनाओं तथा रिलीज की गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के राज्य-वार विवरण-I में दिए गए हैं। उड़ीसा में 11 कस्बों में 126.86 करोड़ रु. की लागत से 11 जल आपूर्ति योजनाएं स्वीकृत की गई हैं तथा 51.25 करोड़ रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई है। कस्बा-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं। परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिये गये हैं।

***विवरण I***

*31.3.2009 तक जल आपूर्ति परियोजनाओं की राज्यवार स्थिति*

(लाख रु.)

| क्र.सं. | राज्य | अनुमोदित परियोजनाएं | | रिलीज एसीए की पहली किश्त | रिलीज एसीए की दूसरी किश्त | कुल रिलीज राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | परि. की सं. | लागत | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 62 | 178907.57 | 73032.96 | 23772.21 | 96805.17 |
| 2. | असम | 2 | 1871.420 | 858.470 | 0.000 | 858.47 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | बिहार | 1 | 9872.250 | 3948.900 | 0.000 | 3948.90 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 3 | 6118.650 | 2447.460 | | 2447.46 |
| 6. | गुजरात | 52 | 43814.400 | 17669.850 | 5625.620 | 23295.47 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | | | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | 7 | 14996.050 | 6922.860 | | 6922.86 |
| 9. | कर्नाटक | 17 | 41805.290 | 16915.740 | 646.800 | 17562.54 |
| 10. | केरल | 13 | 34143.580 | 13775.620 | 0.000 | 13775.62 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 33 | 58763.310 | 23567.877 | 691.440 | 24259.32 |
| 12. | महाराष्ट्र | 71 | 207342.400 | 83425.496 | 1925.000 | 85350.50 |
| 13. | मणिपुर | 5 | 6277.000 | 2845.440 | 0.000 | 2845.44 |
| 14. | मेघालय | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15. | मिजोरम | 2 | 1555.04 | 699.77 | 0.00 | 699.77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | नागालैंड | | | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| 17. | पुडुचेरी | 1 | 3918.00 | 1567.20 | 0.00 | 1567.20 |
| 18. | राजस्थान | 3 | 15244.720 | 6178.270 | 2158.000 | 8336.27 |
| 19. | सिक्किम | 1 | 1580.820 | 735.080 | | 735.08 |
| 20. | तमिलनाडु | 63 | 47355.310 | 18942.130 | 12813.01 | 31755.14 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 32 | 43724.620 | 17646.733 | 2027.830 | 19674.56 |
| 22. | उत्तराखंड | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23. | पश्चिम बंगाल | 22 | 31661.060 | 12926.902 | 3649.780 | 16576.68 |
| 24. | दादरा एवं नगर हवेली | 1 | 1864.730 | 26.000 | | 26.00 |
| 25. | दमन एवं दीव (यूटी) | | | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| 26. | उड़ीसा | 11 | 12685.690 | 5125.040 | 0.000 | 5125.04 |
| 27. | त्रिपुरा | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28. | हरियाणा | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29. | झारखंड | 2 | 8061.96 | 3345.72 | 0.00 | 3345.72 |
| 30. | पंजाब | 8 | 5809.54 | 2323.81 | 0.00 | 2323.81 |
| | कुल | 412 | 777373.41 | 314927.328 | 53309.69 | 368237.02 |

***विवरण II***

*उड़ीसा: 31.3.2009 तक यूआईडीएसएसएमटी के तहत शामिल जल आपूर्ति परियोजनाओं का कस्बा-वार ब्यौरा*

| क्र.सं. | कस्बा | अनुमानित लागत | रिलीज एसीए |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | सम्बलपुर | 976.00 | 405.04 |
| 2. | बरहामपुर | 520.15 | 215.86 |
| 3. | परलाखेमुंडी | 527.74 | 219.01 |
| 4. | कोरापुट | 87.50 | 36.31 |
| 5. | अंगुल | 1273.32 | 528.43 |
| 6. | व्यासनगर | 1429.870 | 571.950 |
| 7. | फूलबानी | 748.45 | 299.380 |
| 8. | नयागढ़ | 2048.66 | 819.460 |
| 9. | बारगढ़ | 3033.00 | 1213.200 |
| 10. | तलचर | 1069.00 | 427.600 |
| 11. | भवानीपटना | 972.00 | 388.800 |
| | लागत | 12685.69 | 5125.04 |
| | योजनाओं की संख्या | 11 | 11 |

***विवरण III***

*उड़ीसा: जल आपूर्ति परियोजनाओं की स्थिति*

| क्र.सं. | कस्बे का नाम | योजना | अनुमोदित लागत | तारीख एलएलएससी | केन्द्रीय अंश | रिलीज कुल एसीए | रिलीज की तारीख | वास्तविक प्रगति मार्च, 09 | व्यय | व्यय प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | संबलपुर | डब्ल्यूएस | 976.00 | 22-मार्च-07 | 780.80 | 405.04 | 31-मार्च-07 | प्रगति की जा रही है | 0.00 | 0% |
| 2. | अंगुल | डब्ल्यूएस | 1273.32 | 20-नव.-07 | 1018.66 | 528.43 | 26-मार्च-08 | निविदा स्तर पर | 0.00 | 0% |
| 3. | बरहामपुर | डब्ल्यूएस | 520.15 | 20-नव.-07 | 416.12 | 215.86 | 26-मार्च-08 | निविदा स्तर पर | 0.00 | 0% |
| 4. | कोरापुट | डब्ल्यूएस | 87.50 | 20-नव.-07 | 70.00 | 36.31 | 26-मार्च-08 | पाइप लाईन का कार्य पूर्ण | 45.05 | 0% |
| 5. | परलाखमुंडी | डब्ल्यूएस | 527.74 | 20-नव.-07 | 422.19 | 219.01 | 26-मार्च-08 | कार्य दिया जा रहा है | 0.00 | 0% |
| 6. | व्यासनगर | डब्ल्यूएस | 1429.87 | 20-नव.-07 | 1143.90 | 571.95 | 15-जन.-09 | लागू नहीं | – | 0% |
| 7. | बारगढ़ | डब्ल्यूएस | 3033.00 | 24-जन.-09 | 2426.40 | 1213.20 | 18-मार्च-09 | लागू नहीं | – | 0% |
| 8. | भवानीपटना | डब्ल्यूएस | 972.00 | 24-जन.-09 | 777.60 | 388.80 | 18-मार्च-09 | लागू नहीं | – | 0% |
| 9. | नयागढ़ | डब्ल्यूएस | 2048.66 | 24-जन.-09 | 1638.93 | 819.46 | 18-मार्च-09 | लागू नहीं | – | 0% |
| 10. | फूलबानी | डब्ल्यूएस | 748.45 | 24-जन.-09 | 598.76 | 299.38 | 18-मार्च-09 | लागू नहीं | – | 0% |
| 11. | तलचर | डब्ल्यूएस | 1069.00 | 24-जन.-09 | 855.20 | 427.60 | 18-मार्च-09 | लागू नहीं | – | 0% |
| | योग | | 12685.69 | | 10148.55 | 5125.04 | | | 45.05 | |

*[हिन्दी]*

**विशेष पर्यटन जोन**

**264. श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विशेष आर्थिक जोन की तर्ज पर देश में विशेष पर्यटन जोनों (एस टी जेड) की स्थापना करने और उन्हें स्वायत्तता प्रदान करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन स्थानों पर प्रस्तावित विशेष पर्यटन जोन स्थापित किए जाने की संभावना है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**विदेशी कंपनियों में निवेश**

**265. श्री राजीव रंजन सिंह** उर्फ **ललन सिंह:**
**श्री अनंत कुमार हेगड़े:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान भारतीय कंपनियों द्वारा अमरीकी कंपनियों के अधिग्रहण का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इसके फलस्वरूप विदेश में कितनी धनराशि का निवेश किया गया; और

(ग) अन्य देशों में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उक्त अवधि के दौरान घोषित की गई नई रियायतों और सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा):** (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार अमरीका में भारतीय कंपनियों द्वारा स्थापित संयुक्त उद्यमों/पूर्णतया स्वामित्वाधीन अनुषंगी कंपनियों/अनिगमित निकायों की संख्या निम्न प्रकार है:-

| | | |
|---|---|---|
| 2007 (जनवरी-दिसम्बर) | – | 122 |
| 2008 (जनवरी-दिसम्बर) | – | 196 |
| 2009 (जनवरी-जून) | – | 65 |

(ख) वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका में भारतीय कंपनियों द्वारा निवेश की प्रमात्रा निम्न प्रकार है:-

राशि (मिलियन अमरीकी डालर)

| वर्ष (अप्रैल-मार्च) | इक्विटी | ऋण | जोड़ |
|---|---|---|---|
| 2007-08 | 890.64 | 422.18 | 1312.82 |
| 2008-09 | 557.81 | 335.34 | 893.15 |

(ग) विदेशों में पूर्णतया स्वामित्वाधीन अनुषंगी कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों में निवासियों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश समय-समय पर यथासंशोधित फेमा अधिसूचना 120/आरबी-2004 दिनांक 7 जुलाई, 2004 के अनुसार अनुमत किए जा रहे हैं। विदेशों में पूंजी निवेशों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार के परामर्श से सितम्बर, 2007 से, भारतीय निवासी कंपनियों द्वारा निवेशों पर उच्चतम सीमा को बढ़ाकर निवल मूल्य का 400% तथा भारतीय सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा पोर्टफोलियो निवेशों की उच्चतम सीमा को उनके निवल मूल्य का 50% कर दिया गया है। भारतीय कंपनियों को वर्तमान में विनिर्माण/शिक्षा/अस्पताल क्षेत्रकों में पंजीकृत न्यासों/सोसायटियों से पूंजीगत निवेशों के अतिरिक्त तेल क्षेत्रक तथा ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधन क्षेत्रकों में विदेशी अनिगमित निकायों में निवेश करने की अनुमति है।

**इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासों का आबंटन**

**266. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
**श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत पहले से ही मकान धारक अपात्र व्यक्तियों को आवासों के आबंटन के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रकाश में आए ऐसे मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की है और इसका क्या परिणाम निकला?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन):** (क) से (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में आठ शिकायतें इस मंत्रालय को प्राप्त हुईं और इन्हें अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया। तथापि, इन शिकायतों में केवल एक शिकायत ऐसी थी जिसमें आईएवाई मकान का आबंटन उस व्यक्ति को किया गया था जिसके पास पहले से मकान था। इस मामले में ग्राम पंचायत- पंचाल, ब्लाक-सोनामुखी, जिला-बांकुड़ा, पश्चिम बंगाल के निवासियों ने दिनांक 25.9.2008 के अपने शिकायत पत्र के माध्यम से विशेष रूप से आरोप लगाया था कि उस गांव की श्रीमती अन्नपूर्णा दत्ता को आईएवाई मकान आबंटित किया गया जबकि उनके पास पहले से ही मकान था। तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के लिए इस मामले को दिनांक 13.10.2008 को पश्चिम बंगाल सरकार को भेजा गया था।

*[अनुवाद]*

**एनआरईजीएस के अंतर्गत कार्य दिवस**

**267. श्रीमती सुप्रिया सुले:**
**श्री एन.एस.बी. चित्तन:**
**श्री संजय निरूपम:**
**श्री एल. राजगोपाल:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के अंतर्गत स्वीकृत तथा जारी की गई और उपयोग में लाई गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने परिवारों ने रोजगार की मांग की और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया;

(ग) क्या रोजगार की मांग करने वाले परिवारों को 100 दिनों का आश्वासित कार्य उपलब्ध कराया गया;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त अवधि के दौरान राज्यवार प्रत्येक परिवार को औसतन कितने कार्य दिवस उपलब्ध कराए गए?

(ङ) क्या सरकार का विचार आश्वासित रोजगार के कार्य दिवसों में उक्त योजना के अंतर्गत मौजूदा 100 दिनों की तुलना में वृद्धि करने का है; और

(च) यदि हां, तो परिवारों को आश्वासित अवधि के लिए रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री प्रदीप जैन ):** (क) एनआरईजीए मांग आधारित योजना है। वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 और चालू वर्ष के दौरान (मई, 2009 तक) केन्द्रीय रिलीज, कुल उपलब्ध निधि और प्रत्येक राज्य द्वारा उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार आंकड़ें संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(ख) अपेक्षित आंकड़े संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) एनआरईजीए मांग आधारित योजना है। इस अधिनियम में एक वित्त वर्ष में अकुशल शारीरिक श्रम वाले काम की मांग किये जाने पर ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी दी जाती है। एनआरईजीए के अंतर्गत किसी परिवार को एक वर्ष में मिलने वाले रोजगार के दिनों की संख्या इस क्षेत्र में रोजगार के अन्य अवसरों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। 2006-07 के दौरान 100 दिनों का रोजगार पाने वालों की संख्या 2142718, 2007-08 के दौरान, 3601926, वर्ष 2008-09 के दौरान 6510373 थी तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक (मई, 09 तक) 110910 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार मिल चुका है। वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 और 2009-10 (मई, 2009 तक) प्रत्येक परिवार को मुहैया कराये गये रोजगार के दिवसों की औसत संख्या संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(ङ) जी, नहीं। फिलहाल इस योजना के अंतर्गत गारंटीशुदा रोजगार के दिनों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी ग्रामीण परिवारों को मांग के आधार पर एनआरईजीए के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए रोजगार की गारंटीशुदा अवधि का लाभ मिल रहा है, गहन आईईसी क्रियाकलापों के जरिये ग्रामीण परिवारों में जागरूकता सृजन का कार्य शुरू किया गया है। इस संबंध में किये गये प्रयासों में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अर्थात् ब्रोशर जन पुस्तिका, लघु पुस्तिका, टीवी स्पॉट, रेडियो जिंगल, विज्ञापन, फिल्म आदि शामिल हैं। ग्राम सभा की बैठकें बुलाई गई हैं। जिला दल और जागरूकता सृजन प्रशिक्षण से जुड़े स्व-सहायता समूहों द्वारा ग्रामीण शिविर लगाए गए हैं। भारत सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में एनआरईजीए के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने की दृष्टि से सिविल सोसायटी संगठनों द्वारा किये गये उत्कृष्ट योगदानों को मान्यता प्रदान करने के लिए रोजगार जागरूकता पुरस्कार नामक अवार्ड योजना भी शुरू की है। 2.2.2009 को सम्पन्न एनआरईजीए सम्मेलन में ऐसे ही पांच गैर-सरकारी संगठनों को जागरूकता सृजन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदानों के लिए रोजगार जागरूकता पुरस्कार दिये गये हैं।

***विवरण I***

(लाख रु.)

| क्र.सं. | राज्य | केन्द्रीय रिलीज | | | | कुल उपलब्ध निधि | | | | उपयोग की गई निधियां/व्यय | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 (मई, 09 तक) | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 (मई, 09 तक) | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 (मई, 09 तक) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 102541.43 | 137105.40 | 321910.19 | 91437.72 | 114224.39 | 229320.82 | 370669.63 | 16503.65 | 68020.32 | 208374.75 | 296390.38 | 60928.13 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1450.85 | 1265.38 | 2948.84 | 0 | 1211.25 | 372.49 | 4145.65 | 27.17 | 221.34 | 303.9 | 2355.15 | 10.65 |
| 3. | असम | 26550.85 | 52175.01 | 95872.16 | 13789.35 | 70769.1 | 80609.74 | 136557.02 | 5427.87 | 59252.93 | 54914.93 | 95379.66 | 23448.48 |
| 4. | बिहार | 54831.38 | 46707.83 | 138819.05 | 19979.65 | 119117.81 | 152388.63 | 218785.9 | 10274.29 | 71276.16 | 105222.66 | 131647.97 | 24521.22 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 71850.74 | 114415.71 | 166449.34 | 20417.91 | 84088.78 | 151755.67 | 200591.38 | 7950.69 | 66882.16 | 140183.2 | 143447.52 | 17962.94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | गुजरात | 7433.94 | 5915.71 | 16419.2 | 13830.76 | 12374.74 | 12680.45 | 28126.75 | 2296.05 | 8585.03 | 8184.24 | 19615.34 | 4406.83 |
| 7. | हरियाणा | 3589.39 | 4840.97 | 13656.65 | 1313.47 | 4652.85 | 5802.46 | 16415.91 | 1190.13 | 3594.67 | 5235.01 | 10988.22 | 567.3 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 4467.64 | 12754.06 | 40974.63 | 6537.9 | 5719.2 | 16150.34 | 50124.84 | 2341.16 | 3940.12 | 12564.88 | 33227.64 | 4522.03 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 4136.37 | 7071.37 | 10472.53 | 3968.9 | 5012.4 | 8994.66 | 15290.14 | 811.80 | 3454.44 | 4200.26 | 8772.02 | 482.1 |
| 10. | झारखंड | 55854.59 | 65069.07 | 180580.14 | 21441.09 | 98220.95 | 125468.19 | 236337.36 | 12457.89 | 71155.13 | 106253.85 | 134171.7 | 13084.78 |
| 11. | कर्नाटक | 24850.69 | 25298.49 | 39851.14 | 11574.44 | 34131.33 | 43671.67 | 66157.34 | 1237.17 | 24829.67 | 23650.54 | 35787.46 | 4032.38 |
| 12. | केरल | 3739.51 | 6900.55 | 19887.32 | 13734.04 | 4835.18 | 9973.95 | 29771.74 | 2143.61 | 2789.73 | 8336.83 | 22454.65 | 2110.06 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 190944.20 | 260279.82 | 406111.54 | 108398.6 | 213368.36 | 328848.4 | 507481.96 | 24327.48 | 186268.63 | 289172.6 | 355166.67 | 74955.43 |
| 14. | महाराष्ट्र | 21815.64 | 2923.75 | 18756.08 | 7804.7 | 48693.66 | 49783.33 | 61535.79 | 3959.00 | 17461.18 | 18907.21 | 35664.62 | 9110.16 |
| 15. | मणिपुर | 1692.89 | 6184.13 | 36540.97 | 8025.71 | 2037.59 | 6415.05 | 39735.08 | 737.53 | 2025.5 | 6276.15 | 32089.61 | 1169.89 |
| 16. | मेघालय | 3224.68 | 5918.73 | 7802.6 | 3132.94 | 2583.63 | 6389.93 | 10975.76 | 621.22 | 2111.85 | 5091.18 | 8948.73 | 823.3 |
| 17. | मिजोरम | 2023.90 | 3343.49 | 15194.15 | 6858.96 | 2598.21 | 4595.38 | 17426.3 | 751.88 | 1643.11 | 4200.7 | 16455.7 | 352.12 |
| 18. | नागालैंड | 910.11 | 4399.59 | 26805.72 | 10899.24 | 1595.96 | 2572.41 | 28921.18 | 875.37 | 1457.62 | 2397.57 | 27231.15 | 1814.5 |
| 19. | उड़ीसा | 78380.49 | 53695.69 | 87843.67 | 9304.63 | 89018.66 | 81098.83 | 112233.49 | 3119.23 | 73346.62 | 57956.9 | 59933.82 | 1835.49 |
| 20. | पंजाब | 3445.75 | 2972.32 | 6775.32 | 1705.35 | 3839.21 | 5027.36 | 11492.7 | 570.75 | 2500.21 | 3004.29 | 7204.95 | 538.89 |
| 21. | राजस्थान | 78041.00 | 105600.20 | 652157.16 | 208053.8 | 85617.3 | 144069.79 | 724534.48 | 31497.96 | 69306.14 | 147733.72 | 616439.73 | 119680.47 |
| 22. | सिक्किम | 691.50 | 629.75 | 4097.14 | 1972.92 | 456.5 | 1432.37 | 6212.62 | 240.66 | 261.89 | 1185.76 | 4148.68 | 635.16 |
| 23. | तमिलनाडु | 18409.21 | 51609.09 | 140126.58 | 17699.5 | 25210.92 | 70113.96 | 179459.04 | 9914.47 | 15163.63 | 51642.38 | 100406.47 | 26324.03 |
| 24. | त्रिपुरा | 2754.66 | 17016.45 | 46036.6 | 14411.22 | 4977.63 | 21850.38 | 51943.39 | 1724.68 | 4507.68 | 20860.34 | 49077.13 | 1731.64 |
| 25. | उत्तर प्रदेश | 56914.69 | 166589.89 | 393390.127 | 126081.6 | 102871.22 | 222726.19 | 470692.85 | 23782.01 | 77967.46 | 189825.13 | 358282.2 | 38874.11 |
| 26. | उत्तराखंड | 4470.60 | 11003.65 | 10116.44 | 6477.42 | 7105.31 | 15319.6 | 15566.09 | 1166.24 | 4849.7 | 9575.01 | 13579.33 | 1562.77 |
| 27. | पश्चिम बंगाल | 38868.84 | 88262.88 | 92275.09 | 37359.92 | 63023.42 | 133148.55 | 133474.77 | 7965.71 | 39462.63 | 100434.62 | 94038.47 | 21602.3 |
| 28. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | | 135.00 | 702.75 | 0 | | | 1557.83 | 102.19 | | | 327.54 | 64.27 |
| 29. | दादरा एवं नगर हवेली | | 45.00 | 45.1 | 0 | | | 46.2 | 11.21 | | | 1.03 | 52.1 |
| 30. | दमन एवं दीव | | 90.00 | 21.86 | 0 | | | 21.86 | 0.00 | | | 0 | 0 |
| 31. | गोवा | | 114.00 | 618.21 | 0 | | | 684.07 | 29.42 | | | 239.22 | 9.93 |
| 32. | लक्षद्वीप | | 45.00 | 262.26 | 0 | | | 435.2 | 25.83 | | | 178.68 | 34.1 |
| 33. | पुडुचेरी | | 45.00 | 419.44 | 0 | | | 969.44 | 0.00 | | | 136.1 | 0 |
| 34. | चंडीगढ़ | | 45.00 | 20 | 0 | | | 20 | 0.00 | | | 0 | 0 |
| | योग | 864085.53 | 1260467.98 | 2993960.00 | 786212 | 1207355.57 | 1930580.6 | 3748393.8 | 174084.28 | 882335.55 | 1585688.6 | 2713787.54 | 457247.56 |

*विवरण II*

| क्र.सं. | राज्य | रोजगार मांगने वाले परिवारों की संख्या | | | | रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 मई, 09 तक | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 (मई, 09 तक) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2161494 | 4803892 | 5699557 | 2726239 | 2161395 | 4803892 | 5699557 | 2726239 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 16926 | 36437 | 63008 | 609 | 16926 | 4490 | 59221 | 609 |
| 3. | असम | 798179 | 1448243 | 2155349 | 885349 | 792270 | 1402888 | 1877393 | 707975 |
| 4. | बिहार | 1708610 | 3956055 | 3822484 | 1351412 | 1688899 | 3859630 | 3822484 | 965179 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 1282794 | 2297042 | 2271194 | 756171 | 1256737 | 2284963 | 2270415 | 756171 |
| 6. | गुजरात | 226269 | 290691 | 850691 | 222535 | 226269 | 290691 | 850691 | 222535 |
| 7. | हरियाणा | 50765 | 70869 | 171794 | 25953 | 50765 | 70869 | 162932 | 25859 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 67187 | 275463 | 453724 | 109972 | 63514 | 271099 | 445713 | 108063 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 121328 | 116914 | 214385 | 43645 | 121328 | 116800 | 199166 | 29652 |
| 10. | झारखंड | 1394108 | 1679978 | 1576857 | 244557 | 1394108 | 1679868 | 1576348 | 244417 |
| 11. | कर्नाटक | 548532 | 554002 | 906503 | 120129 | 545185 | 549994 | 896212 | 115553 |
| 12. | केरल | 104927 | 259275 | 698680 | 154506 | 99107 | 185392 | 692015 | 152029 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 2866349 | 4347079 | 5207862 | 1867065 | 2866349 | 4346916 | 5207665 | 1835824 |
| 14. | महाराष्ट्र | 353024 | 474695 | 907783 | 342099 | 353024 | 474695 | 906297 | 341522 |
| 15. | मणिपुर | 18568 | 112549 | 381109 | 68817 | 18568 | 112549 | 381109 | 68817 |
| 16. | मेघालय | 99177 | 106989 | 239630 | 103236 | 96627 | 106042 | 224263 | 80263 |
| 17. | मिजोरम | 52478 | 88943 | 172775 | 49094 | 50998 | 88940 | 172775 | 49094 |
| 18. | नागालैंड | 27884 | 115331 | 296689 | 76336 | 27884 | 115331 | 296689 | 76336 |
| 19. | उड़ीसा | 1407251 | 1134751 | 1134442 | 92784 | 1394169 | 1096711 | 1105429 | 81813 |
| 20. | पंजाब | 31788 | 49690 | 147336 | 35605 | 31648 | 49690 | 147336 | 35240 |
| 21. | राजस्थान | 1175172 | 2173122 | 6375314 | 3087192 | 1175172 | 2170460 | 6373093 | 3087192 |
| 22. | सिक्किम | 4179 | 21773 | 52554 | 8965 | 4107 | 19664 | 52006 | 8385 |
| 23. | तमिलनाडु | 683708 | 1234818 | 3345648 | 1329024 | 683481 | 1234818 | 3288796 | 1328914 |
| 24. | त्रिपुरा | 74800 | 425299 | 549145 | 28010 | 74335 | 423724 | 549022 | 27850 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | उत्तर प्रदेश | 2676261 | 4104283 | 4338490 | 1069916 | 2573245 | 4096408 | 4336466 | 942997 |
| 26. | उत्तराखंड | 134363 | 189263 | 298741 | 53427 | 134312 | 189263 | 298741 | 52120 |
| 27. | पश्चिम बंगाल | 3235360 | 3919996 | 3032886 | 1661789 | 3083757 | 3843335 | 3025854 | 1638504 |
| 28. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | | | 8131 | 2462 | | | 5975 | 2243 |
| 29. | दादरा एवं नगर हवेली | | | 1919 | 1549 | | | 1919 | 1549 |
| 30. | दमन एवं दीव | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 31. | गोवा | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 32. | लक्षद्वीप | | | 3024 | 1022 | | | 3024 | 1022 |
| 33. | पुडुचेरी | | | 12264 | 0 | | | 12264 | 0 |
| 34. | चंडीगढ़ | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | योग | 21188894 | 34287442 | 45389968 | 16519469 | 21016099 | 33889122 | 44940870 | 15713966 |

***विवरण III***

| क्र.सं. | राज्य | प्रति परिवार उपलब्ध कराए गए कार्य दिवसों की औसत संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 (मई, 09 तक) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 31 | 42 | 48 | 22 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 27 | 62 | 43 | 18 |
| 3. | असम | 72 | 35 | 40 | 26 |
| 4. | बिहार | 35 | 22 | 26 | 17 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 56 | 58 | 55 | 22 |
| 6. | गुजरात | 44 | 31 | 25 | 27 |
| 7. | हरियाणा | 48 | 50 | 42 | 23 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 47 | 36 | 46 | 23 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 27 | 32 | 40 | 33 |
| 10. | झारखंड | 37 | 44 | 48 | 33 |
| 11. | कर्नाटक | 41 | 36 | 32 | 28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. | केरल | 21 | 33 | 22 | 10 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 69 | 63 | 57 | 31 |
| 14. | महाराष्ट्र | 45 | 39 | 46 | 28 |
| 15. | मणिपुर | 100 | 43 | 75 | 8 |
| 16. | मेघालय | 25 | 39 | 38 | 9 |
| 17. | मिजोरम | 15 | 35 | 73 | 29 |
| 18. | नागालैंड | 47 | 21 | 68 | 20 |
| 19. | उड़ीसा | 57 | 37 | 37 | 28 |
| 20. | पंजाब | 49 | 39 | 27 | 7 |
| 21. | राजस्थान | 85 | 77 | 76 | 33 |
| 22. | सिक्किम | 59 | 44 | 51 | 24 |
| 23. | तमिलनाडु | 27 | 52 | 37 | 25 |
| 24. | त्रिपुरा | 67 | 43 | 64 | 43 |
| 25. | उत्तर प्रदेश | 32 | 33 | 53 | 25 |
| 26. | उत्तराखण्ड | 30 | 42 | 35 | 19 |
| 27. | पश्चिम बंगाल | 14 | 25 | 26 | 12 |
| 28. | गोवा | | | 0 | NR |
| 29. | अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | | | 17 | 13 |
| 30. | दादरा एवं नगर हवेली | | | 25 | 13 |
| 31. | दमन एवं दीव | | | NR | NR |
| 32. | लक्षद्वीप | | | 60 | 18 |
| 33. | पुडुचेरी | | | 13 | NR |
| 34. | चंडीगढ़ | | | NR | NR |
| | योग | 43 | 42 | 48 | 25 |

**विद्युत आवश्यकता**

**268. श्री एन. चेलुवरया स्वामी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में देश में विद्युत की आवश्यकता और विद्युत के उत्पादन में भारी अंतर मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस अंतराल को भरने के लिए सरकार ने कोई नई विद्युत परियोजना स्वीकृत की है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी):** (क) और (ख) देश में विद्युत उत्पादन कुल आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मई 2009 तक वर्ष 2009-10 के दौरान अखिल भारतीय कमी ऊर्जा के संबंध में 10.0% तथा व्यस्ततमकालीन विद्युत के संबंध में 12.3% थी। ऊर्जा तथा व्यस्ततमकालीन विद्युत, दोनों के संबंध में अप्रैल से मई, 2009 की अवधि के दौरान देश में राज्य/संघशासित क्षेत्र/प्रणाली वार वास्तविक विद्युत आपूर्ति की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

देश में विद्युत की कमी के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

(1) उत्पादन एवं क्षमता अभिवृद्धि में वृद्धि से अधिक विद्युत की मांग में वृद्धि।

(2) कुछ थर्मल उत्पादन यूनिटों, अधिकतर राज्य क्षेत्र में, का न्यून संयंत्र भार घटक।

(3) बिजली की चोरी सहित अधिक सकल, तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एण्ड सी) हानियां।

(4) कोयले और गैस की अपर्याप्त उपलब्धता तथा अपर्याप्त वर्षा के कारण उत्पादन में अवरोध।

(5) राज्य विद्युत यूटिलिटियों की कमजोर वित्तीय स्थिति जिसके कारण पर्याप्त उत्पादन, पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सृजन हेतु अपेक्षित निवेश करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाना कठिन होगा।

(ग) और (घ) योजना आयोग ने देश की विद्युत आवश्यकता को पूरा करने के लिए 11वीं योजना के दौरान 78,700 मेगावाट का क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य निर्धारित किया है। किन्तु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसार तैयारी और निर्माणाधीन परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए, 80,610 मे.वा. की क्षमता 11वीं योजना के दौरान लाभ हेतु निर्धारित है। 80610 मे.वा. में से, 15,036 मे.वा. की क्षमता 30.6.2009 तक पहले ही शुरू की जा चुकी है और 65,574 मेगावाट की शेष क्षमता निर्माणाधीन है। 11वीं योजना के दौरान संभाव्य लाभ हेतु सीईए द्वारा निगरानी की जा रही राज्यवार क्षमता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों में नए और नवीकरणीय स्रोतों से 14000 मेगावाट का क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य प्रतियोगी बोली के अंतर्गत प्रत्येक 4000 मेगावाट की अल्ट्रा वृहत परियोजनाओं की संख्या का विकास, 11वीं योजना के दौरान ग्रिड में लगभग 12000 मेगावाट की अतिरिक्त कैप्टिव विद्युत को प्रयोग में लाना और देश में जल विद्युत के त्वरित विकास हेतु 50,000 मेगावाट जल पहल का आरंभ शामिल है।

***विवरण I***

(आंकड़े मि.यू. निवल में)

| राज्य/प्रणाली/क्षेत्र | विद्युत आपूर्ति की स्थिति अप्रैल से मई, 2009 | | | | व्यस्ततमकालीन मांग और पूर्ति अप्रैल से मई, 2009 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आवश्यकता | उपलब्धता | अधिशेष/कमी (-) | | अधिकतम मांग | अधिकतम उपलब्धि | अधिशेष/कमी (%) | |
| | (मि.यू.) | (मि.यू.) | (मि.यू.) | (%) | (मेगावाट) | (मेगावाट) | (मेगावाट) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| चंडीगढ़ | 265 | 265 | 0 | 0.0 | 287 | 287 | 0 | 0.0 |
| दिल्ली | 4,265 | 4,223 | −42 | −1.0 | 4,139 | 4,107 | −32 | −0.8 |
| हरियाणा | 4,883 | 4,698 | −185 | −3.8 | 5,177 | 4,600 | −577 | −11.1 |
| हिमाचल प्रदेश | 1,071 | 1,064 | −7 | −0.7 | 940 | 900 | −40 | −4.3 |
| जम्मू और कश्मीर | 2,138 | 1,596 | −542 | −25.4 | 2,000 | 1,388 | −612 | −30.6 |
| पंजाब | 6,734 | 6,220 | −514 | −7.6 | 6,657 | 6,256 | −401 | −6.0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राजस्थान | 6,724 | 6,502 | −222 | −3.3 | 5,971 | 5,390 | −581 | −9.7 |
| उत्तर प्रदेश | 12,544 | 9,778 | −2,766 | −22.1 | 10,856 | 8,563 | −2,293 | −21.1 |
| उत्तराखंड | 1,398 | 1,335 | −63 | −4.5 | 1,274 | 1,214 | −60 | −4.7 |
| उत्तरी क्षेत्र | 40,022 | 35,681 | −4,341 | −10.8 | 32,223 | 28,075 | −4,148 | −12.9 |
| छत्तीसगढ़ | 2,357 | 2,296 | −61 | −2.6 | 2,819 | 2,703 | −116 | −4.1 |
| गुजरात | 11,499 | 11,277 | −222 | −1.9 | 8,975 | 8,481 | −494 | −5.5 |
| मध्य प्रदेश | 6,720 | 5,514 | −1,206 | −17.9 | 6,522 | 5,250 | −1,272 | −19.5 |
| महाराष्ट्र | 22,050 | 17,736 | −4,314 | −19.6 | 18,645 | 14,292 | −4,353 | −23.3 |
| दमन एवं दीव | 317 | 280 | −37 | −11.7 | 280 | 255 | −25 | −8.9 |
| दादरा एवं नगर हवेली | 637 | 557 | −80 | −12.6 | 485 | 441 | −44 | −9.1 |
| गोवा | 547 | 538 | −9 | −1.6 | 455 | 400 | −55 | −12.1 |
| पश्चिमी क्षेत्र | 44,127 | 38,198 | −5,929 | −13.4 | 35,315 | 30,031 | −5,284 | −15.0 |
| आंध्र प्रदेश | 12,844 | 11,649 | −1,195 | −9.3 | 11,325 | 9,934 | −1,391 | −12.3 |
| कर्नाटक | 7,870 | 7,415 | −455 | −5.8 | 7,196 | 6,352 | −844 | −11.7 |
| केरल | 3,049 | 2,912 | −137 | −4.5 | 3,045 | 2,837 | −208 | −6.8 |
| तमिलनाडु | 12,205 | 11,487 | −718 | −5.9 | 10,145 | 9,675 | −470 | −4.6 |
| पुडुचेरी | 360 | 345 | −15 | −4.2 | 305 | 266 | −39 | −12.8 |
| लक्षद्वीप | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| दक्षिणी क्षेत्र | 36,328 | 33,808 | −2,520 | −6.9 | 29,216 | 26,369 | −2,847 | −9.7 |
| बिहार | 1,822 | 1,540 | −282 | −15.5 | 2,249 | 1,411 | −838 | −37.3 |
| डीवीसी | 2,397 | 2,349 | −48 | −2.0 | 1,816 | 1,804 | −12 | −0.7 |
| झारखंड | 931 | 875 | −56 | −6.0 | 1,088 | 947 | −141 | −13.0 |
| उड़ीसा | 3,548 | 3,508 | −40 | −1.1 | 3,029 | 3,015 | −14 | −0.5 |
| पश्चिम बंगाल | 5,754 | 5,581 | −173 | −3.0 | 5,270 | 5,197 | −73 | −1.4 |
| सिक्किम | 84 | 66 | −18 | −21.4 | 84 | 84 | 0 | 0.0 |
| अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह# | 40 | 30 | −10 | −25 | 40 | 32 | −8 | −20.0 |
| पूर्वी क्षेत्र | 14,536 | 13,919 | −617 | −4.2 | 12,913 | 11,610 | −1,303 | −10.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अरुणाचल प्रदेश | 53 | 39 | −14 | −26.4 | 87 | 66 | −21 | −24.1 |
| असम | 806 | 735 | −71 | −8.8 | 819 | 803 | −16 | −2.0 |
| मणिपुर | 74 | 52 | −22 | −29.7 | 99 | 79 | −20 | −20.2 |
| मेघालय | 216 | 172 | −44 | −20.4 | 260 | 214 | −46 | −17.7 |
| मिजोरम | 57 | 43 | −14 | −24.6 | 66 | 64 | −2 | −3.0 |
| नागालैंड | 99 | 79 | −20 | −20.2 | 91 | 71 | −20 | −22.0 |
| त्रिपुरा | 145 | 128 | −17 | −11.7 | 175 | 172 | −3 | −1.7 |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र | 1,450 | 1,248 | −202 | −13.9 | 1,569 | 1,342 | −227 | −14.5 |
| अखिल भारत | 136,463 | 122,854 | −13,609 | −10.0 | 110,958 | 97,355 | −13,603 | −12.3 |

***विवरण III***

*11वीं योजना में संभावित क्षमता अभिवृद्धि का सारांश*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | केन्द्रीय क्षेत्र | राज्य क्षेत्र | निजी क्षेत्र | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | दिल्ली | 0 | 1500 | 108 | 1608 |
| 2. | हरियाणा | 1500 | 1800 | 0 | 3300 |
| 3. | हिमाचल प्रदेश | 2763 | 210 | 1462 | 4435 |
| 4. | जम्मू और कश्मीर | 449 | 450 | 0 | 899 |
| 5. | पंजाब | 0 | 500 | 540 | 1040 |
| 6. | राजस्थान | 690 | 1790 | 1080 | 3560 |
| 7. | उत्तर प्रदेश | 980 | 2000 | 2400 | 5380 |
| 8. | उत्तराखंड | 1520 | 304 | 330 | 2154 |
| 9. | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | उप-जोड़ उत्तरी क्षेत्र | 7902 | 8554 | 5920 | 22376 |
| 10. | छत्तीसगढ़ | 3980 | 1250 | 1600 | 6830 |
| 11. | गुजरात | 0 | 2782 | 5388 | 8170 |
| 12. | महाराष्ट्र | 740 | 2500 | 1450 | 4690 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 520 | 1210 | 1720 | 3450 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | दमन एवं दीव | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | दादरा एवं नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | उप-जोड़ पश्चिमी क्षेत्र | 5240 | 7742 | 10158 | 23140 |
| 17. | आंध्र प्रदेश | 1000 | 2444 | 1275 | 4719 |
| 18. | कर्नाटक | 440 | 1480 | 1615 | 3535 |
| 19. | केरल | 0 | 160 | 0 | 160 |
| 20. | तमिलनाडु | 4000 | 1952 | 0 | 5952 |
| 21. | पुडुचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | उप-जोड़ दक्षिणी क्षेत्र | 5440 | 6036 | 2890 | 14366 |
| 22. | बिहार | 3070 | 0 | 0 | 3070 |
| 23. | झारखंड | 3050 | 0 | 0 | 3050 |
| 24. | उड़ीसा | 0 | 150 | 1200 | 1350 |
| 25. | सिक्किम | 510 | 0 | 1299 | 1809 |
| 26. | पश्चिम बंगाल | 4242 | 2720 | 250 | 7212 |
| | उप-जोड़ पूर्वी क्षेत्र | 10872 | 2870 | 2749 | 16491 |
| 27. | अरुणाचल प्रदेश | 2600 | 0 | 0 | 2600 |
| 28. | असम | 750 | 37 | 0 | 787 |
| 29. | मणिपुर | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | मेघालय | 0 | 124 | 0 | 124 |
| 32. | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | त्रिपुरा | 726 | 0 | 0 | 726 |
| | उप-जोड़ पूर्वोत्तर क्षेत्र | 4076 | 161 | 0 | 4237 |
| 34. | अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल | 33530 | 25363 | 21717 | 80610 |

*11वीं योजना के दौरान चालू की गई/संभावित लाभ प्राप्त करने हेतु मॉनीटरिंग अधीन परियोजनाओं की सूची*

| क्र.सं. | संयंत्र का नाम | एजेंसी | क्षेत्र | श्रेणी | अधिकतम क्षमता (मे.वा.) | ईंधन का प्रकार | 11वीं योजना के दौरान संभावित लाभ (2007-12) (मे.वा.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **जम्मू और कश्मीर** | | | | | | |
| | **केन्द्रीय क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | सेवा-2 | एनएचपीसी | सी | यूसी | 120 | हाइड्रो | 120 |
| 2. | उड़ी-2 | एनएचपीसी | सी | यूसी | 240 | हाइड्रो | 240 |
| 3. | निम्मू बाजगो | एनएचपीसी | सी | यूसी | 45 | हाइड्रो | 45 |
| 4. | चुतक | एनएचपीसी | सी | यूसी | 44 | हाइड्रो | 44 |
| | उप-जोड़ (जे एण्ड के) केन्द्रीय क्षेत्र | | | | | | 449 |
| | राज्य और निजी क्षेत्र | | | | | | |
| 1. | बगलिहार-1 यू 1, 2, 3 | जेकेपीडीसी | एस | चालू | 450 | हाइड्रो | 450 |
| | उप-जोड़ (जे एण्ड के) राज्य क्षेत्र | | | | | | 450 |
| | कुल (जम्मू और कश्मीर) | | | | | | 899 |
| | पंजाब | | | | | | |
| | **राज्य और निजी क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | जीएचटीपीपी-2 यू-1 | पीएसईबी | एस | चालू | 250 | कोयला | 250 |
| 2. | जीएचटीपीपी-2 यू-2 | पीएसईबी | एस | चालू | 250 | कोयला | 250 |
| | उप-जोड़ (पंजाब)-राज्य क्षेत्र | | | | | | 500 |
| 3. | गोइंडवाल साहिब | जीवीके | पी | यूसी | 540 | कोयला | 540 |
| | उप-जोड़ (पंजाब)-निजी क्षेत्र | | | | | | 540 |
| | कुल (पंजाब) | | | | | | 1040 |
| | **राजस्थान** | | | | | | |
| | **केन्द्रीय क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | बरसिंगसागर एलआईजी | एनएलसी | सी | यूसी | 250 | लिग्नाइट | 250 |
| 2. | आरएपीपी यू 5 और 6 | एनपीसी | सी | यूसी | 440 | न्यूक्लियर | 440 |
| | उप-जोड़ (राजस्थान)-केन्द्रीय क्षेत्र | | | | | | 690 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **राज्य और निजी क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | जिराल यू-2 | आरआरवीयूएनएल | एस | यूसी | 124 | लिग्नाइट | 125 |
| 2. | छाबरा टीपीएस | आरआरवीयूएनएल | एस | यूसी | 500 | कोयला | 500 |
| 3. | छाबरा-2 टीपीएस | आरआरवीयूएनएल | एस | यूसी | 500 | कोयला | 500 |
| 4. | कोटा यू-7 | आरआरवीयूएनएल | एस | यूसी | 1955 | कोयला | 195 |
| 5. | सुरतगढ़ विस्तार | आरआरवीयूएनएल | एस | यूसी | 250 | कोयला | 250 |
| 6. | धौलपुर जीटी2+एसटी | आरआरवीयूएनएल | एस | चालू | 330 | गैस/एलएनजी | 220 |
| | उप जोड़ (राजस्थान)-राज्य क्षेत्र | | | | | | 1790 |
| 7. | जालिपा लिग्नाइट | राज वेस्ट पावर | पी | यूसी | 1080 | लिग्नाइट | 1080 |
| | उप-जोड़ (राजस्थान)-निजी क्षेत्र | | | | | | 1080 |
| | कुल (राजस्थान) | | | | | | 3560 |
| | **उत्तराखंड** | | | | | | |
| | **केन्द्रीय क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | लोहारीनागपाला | एनटीपीसी | सी | यूसी | 600 | हाइड्रो | 600 |
| 2. | तपोवन विष्णुगढ़ | एनटीपीसी | सी | यूसी | 520 | हाइड्रो | 520 |
| 3. | कोटेश्वर | टीएचडीसी | सी | यूसी | 400 | हाइड्रो | 400 |
| | उप-जोड़ (उत्तराखंड)-केन्द्रीय क्षेत्र | | | | | | 1520 |
| | **राज्य और निजी क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | मनेरी भाली | यूजेवीएनएल | एस | चालू | 304 | हाइड्रो | 304 |
| | उप-जोड़ (उत्तराखंड)-राज्य क्षेत्र | | | | | | 304 |
| 2. | श्रीनगर | जीवीके | पी | यूसी | 330 | हाइड्रो | 330 |
| | उप-जोड़ (उत्तराखंड)-निजी क्षेत्र | | | | | | 330 |
| | कुल (उत्तराखंड) | | | | | | 2154 |
| | **उत्तर प्रदेश** | | | | | | |
| | **केन्द्रीय क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | दादरी विस्तार यू-5, 6 | एनटीपीसी | सी | यूसी | 980 | कोयला | 980 |
| | उप जोड़ (यूपी)-केन्द्रीय क्षेत्र | | | | | | 980 |
| | **राज्य और निजी क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | परीच्छा विस्तार यू-5, 6 | यूपीआरवीएनएल | एस | यूसी | 500 | कोयला | 500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | हरदुआगंज विस्तार यू-8, 9 | यूपीआरवीएनएल | एस | यूसी | 500 | कोयला | 500 |
| 3. | अनपरा-डी | यूपीआरवीएनएल | एस | यूसी | 1000 | कोयला | 1000 |
| | उप जोड़ (यूपी)-राज्य क्षेत्र | | | | | | 2000 |
| 4. | अनपरा-सी | लैंको | पी | यूसी | 1200 | कोयला | 1200 |
| 5. | रोसा एसटी-1 | रिलायंस पावर | पी | यूसी | 600 | कोयला | 600 |
| 6. | रोसा एसटी-2 | रिलायंस पावर | पी | यूसी | 600 | कोयला | 600 |
| | उप-जोड़ (यूपी)-निजी क्षेत्र | | | | | | 2400 |
| | कुल (यूपी) | | | | | | 5380 |
| | उप जोड़ (केन्द्रीय क्षेत्र) | | | | | | 7902 |
| | उप जोड़ (राज्य क्षेत्र) | | | | | | 8554 |
| | उप जोड़ (निजी क्षेत्र) | | | | | | 5920 |
| | कुल (उत्तरी क्षेत्र) | | | | | | 22376 |
| | **पश्चिमी क्षेत्र** | | | | | | |
| | **छत्तीसगढ़** | | | | | | |
| | **केन्द्रीय क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | सीपत-2 यू4 | एनटीपीसी | सी | चालू | 500 | कोयला | 500 |
| 1. | सीपत-2 यू5 | एनटीपीसी | सी | चालू | 500 | कोयला | 500 |
| 2. | सीपत-1 | एनटीपीसी | सी | यूसी | 1980 | कोयला | 1980 |
| 3. | भिलाई जेवी यू-1 | एनटीपीसी | सी | चालू | 250 | कोयला | 250 |
| 3. | भिलाई जेवी यू-2 | एनटीपीसी | सी | यूसी | 250 | कोयला | 250 |
| 4. | कोरबा 3 यू-7 | एनटीपीसी | सी | यूसी | 500 | कोयला | 500 |
| | उप जोड़ (सीएचजी)-केन्द्रीय क्षेत्र | | | | | | 3980 |
| | **राज्य एवं निजी क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | कोरबा ईस्ट एक्स यू2 | सीएसईबी | एस | चालू | 250 | कोयला | 250 |
| 2. | कोरबा वेस्ट एक्स | सीएसईबी | एस | यूसी | 500 | कोयला | 500 |
| 3. | मारवाह | सीएसईबी | एस | यूसी | 1000 | कोयला | 500 |
| | उप जोड़ (सीएचजी)-राज्य क्षेत्र | | | | | | 1250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | रायगढ़ टीपी फेज-1, यू 1, 2, फेज 2 यू 3, 4 | जिंदल पावर | पी | चालू | 1000 | कोयला | 1000 |
| 5. | पथाडी (लैंको) यू1 | लैंको-आईपीपी | पी | चालू | 300 | कोयला | 300 |
| 6. | पथाडी (लैंको) यू2 | लैंको-आईपीपी | पी | यूसी | 300 | कोयला | 300 |
| | उप जोड़ (सीएचजी)-निजी क्षेत्र | | | | | | 1600 |
| | कुल (छत्तीसगढ़) | | | | | | 6830 |
| | **गुजरात** | | | | | | |
| | **राज्य एवं निजी क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | धुवरान एसटी | सीएसईसीएल | एस | चालू | 219 | गैस/एलएनजी | 40 |
| 2. | सुरत लिग्नाइट एक्स | जीआईपीसीएल | एस | यूसी | 250 | लिग्नाइट | 250 |
| 3. | सिक्का एक्स | सीएसईसीएल | एस | यूसी | 500 | कोयला | 500 |
| 4. | उकाई एक्स यू-6 | सीएसईसीएल | एस | यूसी | 490 | कोयला | 490 |
| 5. | उतरान | सीएसईसीएल | एस | यूसी | 374 | गैस/एलएनजी | 374 |
| 6. | जीएसईजी हजीरा | जीएसईजी | एस | यूसी | 351 | गैस/एलएनजी | 351 |
| 7. | पीपावाव जेवी सीसीजीटी | जीपीपीसी | एस | यूसी | 702 | गैस/एलएनजी | 702 |
| 8. | कच्छ लिग्नाइट टीपीएस | जीएसईसीएल | एस | यूसी | 75 | लिग्नाइट | 75 |
| | उपजोड़ (गुजरात)-राज्य क्षेत्र | | | | | | 2782 |
| 9. | सुजेन टोरेंट ब्लौक 1, 2 एवं 3 | टोरेंट | पी | चालू | 1147.5 | गैस/एलएनजी | 1147.5 |
| 10. | अदानी पावर प्रो. लि.-मुंदरा | अडानी | पी | यूसी | 1320 | कोयला | 1320 |
| 11. | अदानी पावर प्रा. लि.-मुंदरा | अडानी | पी | यूसी | 1320 | कोयला | 1320 |
| 12. | अल्ट्रा मेगा मुंदरा यू-1, 2 | टाटा पावर | पी | यूसी | 4000 | कोयला | 1600 |
| | उपजोड़ (गुजरात)-निजी क्षेत्र | | | | | | 5388 |
| | कुल (गुजरात) | | | | | | 8170 |
| | **महाराष्ट्र** | | | | | | |
| | **केन्द्रीय क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | रत्नागिरी (दाभोल) जेवी | एनटीपीसी | सी | चालू | 740 | गैस/एलएनजी | 740 |
| | उपजोड़ (महाराष्ट्र) केन्द्रीय क्षेत्र | | | | | | 740 |
| | **राज्य और निजी क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | घाटघर पीएसएस यू1, 2 | गोमीड | एस | चालू | 250 | हाइड्रो | 250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | न्यू पारली विस्तर एसटी-2 | महाजेन | एस | यूसी | 250 | कोयला | 250 |
| 3. | पारस विस्तार यू1 | एमएसपीजीसीएल | एस | चालू | 250 | कोयला | 250 |
| 4. | पारस विस्तार यू2 | महाजेन | एस | यूसी | 250 | कोयला | 250 |
| 5. | खापर खेडा विस्तार | महाजेन | एस | यूसी | 500 | कोयला | 500 |
| 6. | भुसावल | महाजेन | एस | यूसी | 1000 | कोयला | 1000 |
| | उप जोड़ (महाराष्ट्र)-राज्य क्षेत्र | | | | | | 2500 |
| 7. | ट्रांबे टीपीएस | टाटा पावर | पी | चालू | 250 | कोयला | 250 |
| 8. | जेएसडब्लू एनर्जी, रत्नागिरी | जेएसडब्लू इनर्जी | पी | यूसी | 1200 | कोयला | 1200 |
| | उप जोड़ (महाराष्ट्र)-निजी क्षेत्र | | | | | | 1450 |
| | कुल (महाराष्ट्र) | | | | | | 4690 |
| | **मध्य प्रदेश** | | | | | | |
| | **केन्द्रीय क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | ओंकारेश्वर | एनएचडीसी | सी | चालू | 520 | हाइड्रो | 520 |
| | उप जोड़ (मध्य प्रदेश)-केन्द्रीय क्षेत्र | | | | | | 520 |
| | **राज्य और निजी क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | बिरसिंगपुर विस्तार | एमपीपीजीसीएल | एस | चालू | 500 | कोयला | 500 |
| 2. | अमरकंटक यू-5 | एमपीजेनको | एस | चालू | 210 | कोयला | 210 |
| 3. | सतपुरा विस्तार | एमपीजेनको | एस | यूसी | 500 | कोयला | 500 |
| | उप जोड़ (मध्य प्रदेश)-राज्य क्षेत्र | | | | | | 1210 |
| 4. | महेश्वर | एसएमपीसीएल | पी | यूसी | 400 | हाइड्रो | 400 |
| 5. | ससन यूएमपीपी यू-1, 2 | रिलायंस | पी | यूसी | 3960 | कोयला | 1320 |
| | उपजोड़ (मध्य प्रदेश)-निजी क्षेत्र | | | | | | 1720 |
| | कुल (मध्य प्रदेश) | | | | | | 3450 |
| | उप जोड़ (केन्द्रीय क्षेत्र) | | | | | | 5240 |
| | उप जोड़ (राज्य क्षेत्र) | | | | | | 7742 |
| | उप जोड़ (निजी क्षेत्र) | | | | | | 10158 |
| | कुल (पश्चिमी क्षेत्र) | | | | | | 23140 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **दक्षिणी क्षेत्र** | | | | | | |
| | **आंध्र प्रदेश** | | | | | | |
| | **केन्द्रीय क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | सिम्हाद्री-विस्तार यू-3, 4 | एनटीपीसी | सी | यूसी | 1000 | कोयला | 1000 |
| | उप जोड़ (एपी)-केन्द्रीय क्षेत्र | | | | | | 1000 |
| | राज्य और निजी क्षेत्र | | | | | | |
| 1. | जुराला प्रियदर्शनी यू-1 | एपीजेनको | एस | चालू | 39 | हाइड्रो | 39 |
| 1. | जुराला प्रियदर्शनी यू-2 | एपीजेनको | एस | चालू | 39 | हाइड्रो | 39 |
| 1. | जुराला प्रियदर्शनी यू-3-6 | एपीजेनको | एस | यूसी | 156 | हाइड्रो | 156 |
| 2. | नागार्जुन सागर टीआर | एपीजेनको | एस | यूसी | 50 | हाइड्रो | 50 |
| 3. | लोवर जुराला | एपीजेनको | एस | यूसी | 120 | हाइड्रो | 120 |
| 4. | पुलीचिंटाला | एपीड | एस | यूसी | 120 | हाइड्रो | 120 |
| 5. | रायल सीमा यू4 | एपीजेनको | एस | यूसी | 210 | कोयला | 210 |
| 6. | काकातिया | एपीजेनको | एस | यूसी | 500 | कोयला | 500 |
| 7. | विजयवाड़ा टीपीपी | एपीजेनको | एस | यूसी | 500 | कोयला | 500 |
| 8. | कोथाकुडम् | एपीजेनको | एस | यूसी | 500 | कोयला | 500 |
| 9. | चरनछे | एपीजेनको | एस | यूसी | 210 | कोयला | 210 |
| | रायलसीमा यू5 | | | | | | 2444 |
| 10. | उप जोड़ (आं.प्र.)-राज्य क्षेत्र | कोनासीमा गैस पावर | पी | चालू | 445 | गैस/एलएनजी | 280 |
| 10. | कोनासीमा जीटी | कोनासीमा गैस पावर | पी | यूसी | 445 | गैस/एलएनजी | 165 |
| 11. | कोनासीमा एसटी | जीवीके गौतमी पावर | पी | चालू | 464 | गैस/एलएनजी | 464 |
| 12. | गौतमी | लैंको | पी | यूसी | 366 | गैस/एलएनजी | 366 |
| | कोंडापल्ली सीसीपीपी विस्तार | | | | | | 1275 |
| | उप जोड़ (आं.प्र.)-निजी क्षेत्र | | | | | | 4719 |
| | कुल (आं.प्र.) | | | | | | |
| | **कर्नाटक** | | | | | | |
| | **केन्द्रीय क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | कैगा यू3 | एनटीपीसी | सी | चालू | 220 | न्यूक्लियर | 220 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | कैगा यू4 | एनटीपीसी | सी | यूसी | 220 | न्यूक्लियर | 220 |
| | उप जोड़ (कर्नाटक)-केन्द्रीय क्षेत्र | | | | | | 440 |
| | **राज्य व निजी क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | वाराही विस्तार यू-1, 2 | केपीसीएल | एस | चालू | 230 | हाइड्रो | 230 |
| 2. | बेल्लारी यू1 | केपीसीएल | एस | चालू | 500 | कोयला | 500 |
| 3. | बेल्लारी यू2 | केपीसीएल | एस | यूसी | 500 | कोयला | 500 |
| 4. | रायचुर यू 8 | केपीसीएल | एस | यूसी | 250 | कोयला | 250 |
| | उप जोड़ (कर्नाटक)-राज्य क्षेत्र | | | | | | 1480 |
| 5. | तोरांगल्लू यू1 | जिंदल | पी | चालू | 300 | कोयला | 300 |
| 5 | तोरांगल्लू यू2 | जिंदल | पी | यूसी | 300 | कोयला | 300 |
| 6 | उडुप्पी टीपीपी (लेनको नागार्जुन) | लेंको | पी | यूसी | 1015 | कोयला | 1015 |
| | उप जोड़ (कर्नाटक) निजी क्षेत्र | | | | | | 1615 |
| | कुल (कर्नाटक) | | | | | | 3535 |
| | केरल | | | | | | |
| | राज्य व निजी क्षेत्र | | | | | | |
| 1. | कुटियाडी विस्तार | केएसईबी | एस | यूसी | 100 | हाइड्रो | 100 |
| 2. | पल्लीवसल | केएसईबी | एस | यूसी | 60 | हाइड्रो | 60 |
| | उप जोड़ (केरल) | | | | | | 160 |
| | **तमिलनाडु** | | | | | | |
| | **केन्द्रीय क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | वल्लूर (एन्नौर-जेवी) | एनटीपीसी | सी | यूसी | 1000 | कोयला | 1000 |
| 2. | नैवेली-2 लिग्नाइट | एनएलसी | सी | यूसी | 500 | लिग्नाइट | 500 |
| 3. | कुदानकुलम यू-1, 2 | एनपीसी | सी | यूसी | 2000 | न्यूक्लियर | 2000 |
| 4. | पीएफबीआर (कल्पाक्कम) | एनपीसी | सी | यूसी | 500 | न्यूक्लियर | 500 |
| | उप जोड़ (तमिलनाडु) | | | | | | 4000 |
| | **केन्द्रीय क्षेत्र** | | | | | | |
| | **राज्य व निजी क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | भवानी बैराज 2 व 3 | टीएनईबी | एस | यूसी | 60 | हाइड्रो | 60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | वलुथूर विस्तार | टीएनईबी | एस | चालू | 92.2 | गैस/एलएनजी | 92.2 |
| 3. | नॉर्थ चेन्नई विस्तार यू-1, 2 | टीएनईबी | एस | यूसी | 1200 | कोयला | 1200 |
| 4. | मेत्तूर विस्तार यू-1 | टीएनईबी | एस | यूसी | 600 | कोयला | 600 |
| | उप जोड़ (तमिलनाडु)-राज्य क्षेत्र | | | | | | 1952.2 |
| | कुल (तमिलनाडु) | | | | | | 5952.2 |
| | उप जोड़ (केन्द्रीय क्षेत्र) | | | | | | 5440 |
| | उप जोड़ (राज्य क्षेत्र) | | | | | | 6036.2 |
| | उप जोड़ (निजी क्षेत्र) | | | | | | 2890 |
| | कुल (दक्षिणी क्षेत्र) | | | | | | 14366.2 |
| | **पूर्वी क्षेत्र** | | | | | | |
| | **बिहार** | | | | | | |
| | **केन्द्रीय क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | कहलगांव 2 यू 6 | एनटीपीसी | सी | चालू | 500 | कोयला | 500 |
| 2. | कहलगांव 2 यू 7 | एनटीपीसी | सी | यूसी | 500 | कोयला | 500 |
| 3. | बाढ-1 यू-1, 2 | एनटीपीसी | सी | यूसी | 1980 | कोयला | 1320 |
| 4. | नबीनगर जेवी | एनटीपीसी | सी | यूसी | 1000 | कोयला | 750 |
| | कुल (बिहार) | | | | | | 3070 |
| | **झारखंड** | | | | | | |
| | **केन्द्रीय क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | चन्द्रपुर यू-7, 8 | डीवीसी | सी | यूसी | 500 | कोयला | 500 |
| 2. | मैथन आरबीसी जेबी | डीवीसी | सी | यूसी | 1050 | कोयला | 1050 |
| 3. | कोडरमा यू 1 व 2 | डीवीसी | सी | यूसी | 1000 | कोयला | 1000 |
| 4. | बोकारो विस्तार | डीवीसी | सी | यूसी | 500 | कोयला | 500 |
| | कुल (झारखंड) | | | | | | 3050 |
| | **उड़ीसा** | | | | | | |
| | **राज्य व निजी क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | बालीमेला चरण-2 यू 7, 8 | ओएचपीसी | एस | चालू | 150 | हाइड्रो | 150 |
| | उप जोड़ (उड़ीसा) राज्य क्षेत्र | | | | | | 150 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | स्टरलाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट यू-1, 2 | एसटलाईट एनर्जी | पी | यूसी | 2400 | कोयला | 1200 |
| | उप जोड़ (उड़ीसा)-निजी क्षेत्र | | | | | | 1200 |
| | कुल (उड़ीसा) | | | | | | |
| | **सिक्किम** | | | | | | |
| | **केन्द्रीय क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | तीस्ता-5 यू-1, 2, 3 | एनटीपीसी | सी | चालू | 510 | हाइड्रो | 510 |
| | उप जोड़ (सिक्किम)-केन्द्रीय क्षेत्र | | | | | | 510 |
| | **राज्य व निजी क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | तीस्ता-3 | तीस्ता ऊर्जा | पी | यूसी | 1200 | हाइड्रो | 1200 |
| 2. | चूजाछेन | गाती | पी | यूसी | 99 | हाइड्रो | 99 |
| | उप जोड़ (सिक्किम)-निजी क्षेत्र | | | | | | 1299 |
| | कुल (सिक्किम) | | | | | | 1809 |
| | **पश्चिम बंगाल** | | | | | | |
| | **केन्द्रीय क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | फरक्का स्टेज-3 | एनटीपीसी | सी | यूसी | 500 | कोयला | 500 |
| 2. | मेजिया चरण-2 | डीवीसी | सी | यूसी | 1000 | कोयला | 1000 |
| 3. | दुर्गापुर स्टील | डीवीसी | सी | यूसी | 1000 | कोयला | 1000 |
| 4. | रघुनाथपुर फेज-1 | डीवीसी | सी | यूसी | 1200 | कोयला | 1200 |
| 5. | तीस्ता लो डैम-3 | एनएचपीसी | सी | यूसी | 132 | हाइड्रो | 132 |
| 6. | तीस्ता लो डैम-4 | एनएचपीसी | सी | यूसी | 160 | हाइड्रो | 160 |
| 7. | मेजिया यू-6 | डीवीसी | सी | चालू | 250 | कोयला | 250 |
| | उप जोड़ (पश्चिम बंगाल)-केन्द्रीय क्षेत्र | | | | | | 4242 |
| | **राज्य व निजी क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | पुरुलिया पीएसएस | डब्ल्यूबीएसईबी | एस | चालू | 900 | हाइड्रो | 900 |
| 2. | सागरडिघी यू-1, 2 | डब्ल्यूपीडीसीएल | एस | चालू | 600 | कोयला | 600 |
| 3. | संथालडीह यू-5 | डब्ल्यूपीडीसीएल | एस | चालू | 250 | कोयला | 250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | बक्रेश्वर यू-4 | डब्ल्यूपीडीसीएल | एस | चालू | 210 | कोयला | 210 |
| 5. | बक्रेश्वर यू-5 | डब्ल्यूपीडीसीएल | एस | चालू | 210 | कोयला | 210 |
| 6. | दुर्गापुर विस्तार यू-7 | डीपीएल | एस | चालू | 300 | कोयला | 300 |
| 7. | संथालडीह विस्तार यू-6 | डब्ल्यूपीडीसीएल | एस | यूसी | 250 | कोयला | 250 |
| | उप जोड़ (पश्चिम बंगाल)-राज्य क्षेत्र | | | | | | 2720 |
| 8. | बज-बज विस्तार | सीईएससी | पी | यूसी | 250 | कोयला | 250 |
| | उप जोड़ (पश्चिम बंगाल)-निजी क्षेत्र | | | | | | 250 |
| | कुल (पश्चिम बंगाल) | | | | | | 7212 |
| | उप जोड़ (केन्द्रीय क्षेत्र) | | | | | | 10872 |
| | उप जोड़ (राज्य क्षेत्र) | | | | | | 2870 |
| | उप जोड़ (निजी क्षेत्र) | | | | | | 2749 |
| | कुल (पूर्वी क्षेत्र) | | | | | | 16491 |
| | **पूर्वोत्तर क्षेत्र** | | | | | | |
| | **अरुणाचल प्रदेश** | | | | | | |
| | **केन्द्रीय क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | सुबानसिरी लोअर | एनएचपीसी | सी | यूसी | 2000 | हाइड्रो | 2000 |
| 2. | कामेंग | नीपको | सी | यूसी | 600 | हाइड्रो | 600 |
| | कुल (अरुणाचल प्रदेश) | | | | | | 2600 |
| | **असम** | | | | | | |
| | **केन्द्रीय क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | बोंगईगांव | एनटीपीसी | सी | यूसी | 750 | कोयला | 750 |
| | उप जोड़ (असम)-केन्द्रीय क्षेत्र | | | | | | 750 |
| | **राज्य व निजी क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | लकवा डब्ल्यूएच | एएसजेनको | एस | यूसी | 37.2 | गैस/एलएनजी | 37.2 |
| | उप जोड़ (असम)-राज्य क्षेत्र | | | | | | 37.2 |
| | कुल (असम) | | | | | | 787 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **मेघालय** | | | | | | |
| | **राज्य व निजी क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | मिंत्दू चरण-1 | एमईएसईबी | एस | यूसी | 84 | हाइड्रो | 84 |
| 2. | न्यू उमत्रू | एमईएसईबी | एस | यूसी | 40 | हाइड्रो | 40 |
| | कुल (मेघालय) | | | | | | 124 |
| | **त्रिपुरा** | | | | | | |
| | **केन्द्रीय क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | त्रिपुरा गैस आईएल एंड एफएस जेवी | ओएनजीसी | सी | यूसी | 726 | गैस/एलएनजी | 726 |
| | कुल (त्रिपुरा) | | | | | | 726 |
| | उप जोड़ (केन्द्रीय क्षेत्र) | | | | | | |
| | उप जोड़ (राज्य क्षेत्र) | | | | | | 4076 |
| | उप जोड़ (निजी क्षेत्र) | | | | | | 161 |
| | कुल (पूर्वोत्तर क्षेत्र) | | | | | | 4237 |
| | **अखिल भारतीय** | | | | | | |
| | कुल केन्द्रीय क्षेत्र | | | | | | 33530 |
| | कुल राज्य क्षेत्र | | | | | | 25363 |
| | कुल निजी क्षेत्र | | | | | | 21717 |
| | | | | | | | 80610 |

चालू-यूसी-निर्माणाधीन सी-केन्द्रीय क्षेत्र एस-राज्य क्षेत्र पी-निजी क्षेत्र

**मध्यवर्गीय आवास में रियायतें**

**269. श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आवासीय क्षेत्र में विशेष रूप से मध्यमवर्गीय आवास में रियायतें देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) और (ख) मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) सहित विभिन्न आयकर दाताओं को ब्याज और मूलधन के वापसी भुगतान के लिए आयकर छूट के रूप में रियायतें पहले से ही उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, भागीदारी में किफायती आवासों की नई शुरू की गई स्कीम के अंतर्गत मध्यम आय वर्ग की आवासीय इकाइयां भी शामिल हैं। इस स्कीम का उद्देश्य राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति (एनयूएचएचपी) 2007 में परिसंकल्पित सभी के लिए किफायती आवास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्षेत्र की निजी क्षेत्र, सहकारिता क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, स्टेट पैरास्टेटल, शहरी स्थानीय निकायों आदि के साथ विभिन्न किस्मों की सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करके कार्यनीति को कार्यात्मक बनाना।

इस अनुभव को देखते हुए कि आवास कालोनियों में लोग, नागरिक सुविधाओं की कमी के कारण बसते नहीं हैं। इस स्कीम के अंतर्गत केन्द्र सरकार की सहायता में मध्यम आय वर्ग रिहायशी यूनिटों को भी शामिल किया जाएगा जिसमें भूतल/शिरोपरि जलाशय, बरसाती जल निकासी, ठोस कचरा प्रबंधन, सांझा सीवरेज शोधन सुविधा सहित, वर्षा जल संग्रहण, संपर्क सड़कें, बिजली ट्रांसफार्मर सहित बिजली की लाइनें, पार्क और खेल मैदान जैसी नागरिक सुविधाएं और अन्य सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा।

स्कीम के तहत केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित तक सीमित रहेगी:

(क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), अल्प आय समूह (एलआईजी) तथा मध्यम आय समूह (एमआईजी) को मिलाकर सभी रिहायशी यूनिटों जो परियोजना में प्रस्तावित है, के लिए 50,000 प्रति रिहायशी यूनिट; और

(ख) परियोजना में प्रस्तावित सभी नागरिक सेवाओं (बाहरी और आंतरिक) की लागत का 25% उपरोक्त के अनुसार, केन्द्रीय सहायता की गणना निम्नलिखित विधि से की जाएगी:

| क्र.सं. | कुल निर्मित क्षेत्र के % के रूप में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी हेतु निर्मित क्षेत्र | इमदाद धनराशि* |
|---|---|---|
| 1. | 25% | 60,000 रु. प्रति ईडब्ल्यूएस/एलआईजी यूनिट |
| 2. | >25% और 30% तक | 60,000-70,000 रु. प्रति ईडब्ल्यूएस/एलआईजी यूनिट |
| 3. | >30% और 35% तक | 70,000-80,000 रु. प्रति ईडब्ल्यूएस/एलआईजी यूनिट |
| 4. | >35% और 40% तक | 80,000-90,000 रु. प्रति ईडब्ल्यूएस/एलआईजी यूनिट |
| 5. | >40% | 90,000-1,00,000 रु. प्रति ईडब्ल्यूएस/एलआईजी यूनिट |

*सिक्किम और विशेष श्रेणी राज्यों (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) सहित उत्तरोत्तर राज्यों हेतु 12.5% अतिरिक्त मुहैया करवाई जाए।

## अवसंरचनात्मक परियोजनाएं

**270. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विलंब के कारणों और अवरोध बिंदु, यदि कोई हों, का पता लगाने के लिए देश में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की वेब-मानीटर करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समय-सीमा के भीतर प्रगति रिपोर्टों को ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने संबंधी सरकार के अनुदेशों के पालन को अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के कार्य से जुड़ी सभी एजेंसियों के लिए कानूनी रूप से बाध्य बनाए जाने का भी प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा):** (क) और (ख) परियोजना प्राधिकारणों और संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर 16 अवसंरचना क्षेत्रों में 20 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की मानिटरिंग का कार्य सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अवसंरचना परियोजना मानिटरिंग प्रभाग (आईपीएमडी) को सौंपा गया है। आईपीएमडी ने मासिक/तिमाही आधार पर परियोजना से संबंधित कार्यनिष्पादन के आंकड़ों की रिपोर्टिंग हेतु परियोजना एजेंसियों के लिए आनलाइन कम्प्यूटर मानिटरिंग सिस्टम (ओसीएमएस) प्रारंभ किया है। ओसीएमएस को परियोजनाओं के कार्यान्वयन की मानिटरिंग करने के लिए अपेक्षित सूचना मुहैया कराने में होने वाले विलम्ब को कम करने और परियोजना सम्पर्क के आसान तरीके मुहैया कराकर मंत्रालय और परियोजना निष्पादनकारी एजेंसियों के बीच संवाद को सुदृढ़ बनाने हेतु विकसित किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

## कुपोषण

**271. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
**श्रीमती सुमित्रा महाजन:**
**श्री मधु गौड यास्खी:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में कुपोषण से पीड़ित बच्चों की संख्या सबसे अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक के प्रकाशन ''द वर्ल्ड बैंक इन इंडिया'' के अनुसार भारत की उच्च आर्थिक वृद्धि महिलाओं और बच्चों के लिए उत्कृष्ट पोषक स्थिति में परिवर्तित नहीं हो पाई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने कम वजन वाले बच्चों के लिए विभिन्न पोषण योजनाओं के प्रभाव का आकलन कराया है; और

(च) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री ( श्रीमती कृष्णा तीरथ ):** (क) और (ख) यूनिसेफ के 'स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन' शीर्षक से जारी प्रकाशन के अनुसार, पांच वर्ष से कम आयु के अल्पवजनी बच्चों के राष्ट्र-वार प्रतिशत इस प्रकार हैं:

| | | |
|---|---|---|
| भारत | : | 43 |
| बांग्लादेश | : | 41 |
| पाकिस्तान | : | 31 |
| श्रीलंका | : | 23 |
| इंडोनेशिया | : | 23 |

'वर्ल्ड बैंक इन इंडिया', मार्च, 2009 (वॉल्यूम-7) नामक प्रकाशन में कहा गया है कि भारत सहित दक्षिण एशिया में कुपोषण की दर तथा विश्व में अल्पपोषित बच्चों की सबसे ज्यादा संख्या है।

(ग) विश्व बैंक के उपर्युक्त प्रकाशन में कहा गया है कि भारत में उच्च आर्थिक विकास दर के बावजूद पोषाहारीय स्थिति में उतना सुधार नहीं हुआ है।

(घ) रिपोर्ट में दक्षिण-पूर्वी एशिया के संबंध में अभिनिर्धारित किये गये कारणों में जन्म के समय शिशुओं का वजन कम होना, शिशुओं और छोटे बच्चों की अनुपयुक्त आहार पद्धतियां, घर-परिवार में साफ-सफाई न होना तथा महिलाओं की स्थिति अच्छी न होना शामिल है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के तीन दशकों का मूल्यांकन वर्ष 2006 में किया। इस अध्ययन की रिपोर्ट में प्रमुख पोषण संसूचकों में दर्शाई गई प्रगति इस प्रकार है:

(1) तीन वर्ष से कम आयु के गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों (श्रेणी-3 और 4) का प्रतिशत वर्ष 1992 में 7 से कम होकर वर्ष 2006 में 1 रह गया है। उक्त अवधि के दौरान कुपोषण की श्रेणी-2 में आने वाले बच्चों का प्रतिशत 22 से कम होकर 7 तथा श्रेणी-1 में आने वाले बच्चों का प्रतिशत 35 से कम होकर 16 रह गया है।

(2) 1 वर्ष से कम आयु के प्रतिरक्षित बच्चों के प्रतिशत में भी सुधार देखा गया है। बी.सी.जी. टीका लगवाने वाले बच्चों का प्रतिशत 71 से बढ़ाकर 82, खसरे का टीका लगवाने वाले बच्चों का प्रतिशत 52 से बढ़कर 70, पोलियो की दवा पीने वाले बच्चों का प्रतिशत 37 से बढ़कर 70 और 3-5 वर्ष के आयु वर्ग में डी.टी. बूस्टर टीका लगवाने वाले बच्चों का प्रतिशत 28 से बढ़कर 55 हो गया है।

(3) जन्म के समय कम वजनी शिशुओं के प्रतिशत में भी कमी आई है। यह प्रतिशत वर्ष 1992 में 41 से कम होकर वर्ष 2006 में 29 रह गया है।

नई दिल्ली स्थित भारतीय पोषण प्रतिष्ठान ने राजस्थान, दिल्ली, उत्तरांचल, उड़ीसा, मिजोरम, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के 10-10 जिलों में किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम का मूल्यांकन किया। इस मूल्यांकन के निष्कर्ष इस प्रकार है:

(1) यदि खाद्यान्न मासिक स्वास्थ्य एव पोषण दिवसों में प्रदान किया जाए तो लाभार्थियों को राशन की दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त न होने की समस्याओं को कम से कम किया जा सकता है।

(2) सभी आंगनवाड़ियों में खाद्यान्न अनुपूरकों हेतु गर्भवती एवं शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रमुख लक्षित लाभार्थी वर्ग माना जाए।

(3) 12 माह तक खाद्यान्न अनुपूरक प्राप्त करके 35 कि.ग्रा. की निर्धारित वजन सीमा पार करने वाली किशोरियों का प्रतिशत 10 से भी कम रहा।

(4) सप्ताह में एक दिन आयरन और फॉलिक एसिड अनुपूरक प्रदान करने का कार्यक्रम आरंभ में 51 जिलों में शुरू करने और आगे चलकर सभी जिलों में इस कार्यक्रम का विस्तार करने पर विचार किया जाए।

**प्राइम लैंडिंग रेट**

**272. श्री प्रदीप माझी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में बैंकों की प्राइम लैंडिंग रेट की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में बैंकिंग क्रियाकलापों को पारदर्शी बनाने के लिए एक वैकल्पिक प्रणाली सुझाने हेतु कोई कार्य समूह गठित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त कार्य समूह के सदस्य कौन-कौन हैं तथा इसके विचारार्थ विषय क्या हैं और कार्य समूह की क्या सिफारिशें हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा):** (क) से (घ) आधार मूल उधार दर (बीपीएलआर) की अवधारणा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपने ऋण उत्पादों के मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से ऋणों के मूल्य निर्धारण के लिए नवम्बर 2003 में प्रस्तुत की गई थी। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वर्ष 2009-10 के लिए अपने वार्षिक पालिसी वक्तव्य में आरबीआई ने यह नोट किया कि कुछ समय पश्चात् बीपीएलआर पद्धति इस रूप में सामने आई है कि अर्थपूर्ण दर संदर्भ के रूप में बीपीएलआर की सार्थकता कम हो गयी है क्योंकि अधिक ऋण बीपीएलआर के नीचे दिये जाने हैं। आरबीआई ने यह भी देखा है कि यह मौद्रिक संकेतों के सरल लेन-देन में बाधा पहुंचाता है तथा ऋण मूल्य निर्धारण पद्धति को अपारदर्शी बनाता है। अत: विद्यमान बीपीएलआर पद्धति की समीक्षा तथा ऋण मूल्य निर्धारण को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए परिवर्तनों को सुझाने, के लिए पालिसी ने बीपीएलआर पर एक कार्यकारी समूह के गठन का प्रस्ताव किया है।

तद्नुसार, आरबीआई ने बीपीएलआर पर 11 जून, 2009 को एक कार्यकारी समूह का गठन किया तथा 19 जून, 2009 तक कार्यकारी दल के विचारार्थ विषयों पर टिप्पणी तथा सुझाव आमंत्रित किये। कार्यकारी दल के विचारार्थ विषय यह है:

(1) बीपीएलआर की अवधारणा तथा इसकी गणना की पद्धति की समीक्षा;

(2) उप-बीपीएलआर ऋण प्रदान करने की सीमा तथा उसके कारणों की जांच;

(3) प्रमुख बैंकों की बीपीएलआर में विस्तृत भिन्नता की जांच;

(4) अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट प्रक्रिया के आधार पर बैंकों के लिए उपयुक्त ऋण मूल्य निर्धारण पद्धति का सुझाव;

(5) 2 लाख रुपये तक के छोटे ऋणों तथा अन्य निर्यातकों के लिए प्रशासकीय ऋण प्रदान करने की समीक्षा;

(6) खुदरा खंड में फ्लोटिंग दर ऋणों के लिए उपयुक्त बैंचमार्क का सुझाव; तथा

(7) बैंकों के ऋण प्रदान की दरों से संबधित अन्य मामलों पर विचार करना।

कार्यदल ने आरबीआई, भारतीय बैंक संघ, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैन्डर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया, कुछ चुने हुए वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिनिधि तथा बाह्य विशेषज्ञ शामिल हैं। कार्यदल से संबंधित गठन तथा विचारार्थ विषयों को दर्शाने वाली दिनांक 11.6.2009 तथा 22.6.2009 की अधिसूचनाएं आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं। कार्यदल ने अभी तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की है।

*[हिन्दी]*

**वित्तीय संस्थाओं द्वारा सावधि जमा योजनाएं**

**273. श्री अशोक कुमार रावत:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं अथवा कुछ अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा सावधि जमा पर 10 से 15 प्रतिशत तक लुभावनी ब्याज दर दिए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन वित्तीय संस्थाओं की ब्याज दरों को मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसी वित्तीय संस्थाओं के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा):** (क) से (घ) सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्था में प्रचालित ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 24 अप्रैल, 2007 से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को छोड़कर) द्वारा जनता की जमा राशियों पर देय अधिकतम ब्याज दर को 24 अप्रैल, 2007 से 11% वार्षिक से संशोधित

करके 12.5% वार्षिक कर दिया है। नई ब्याज दरें जनता की नई जमाराशियों और साथ ही परिपक्व जमाराशियों के नवीकरण पर लागू होंगी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुसार उपर्युक्त 12.5 प्रतिशत वार्षिक की उच्चतम ब्याज दर विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों (चिट फंड कंपनियां) द्वारा स्वीकृत/नवीकृत जमाराशियों पर भी लागू होंगी।

भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा स्वीकृत जमाराशियों पर देय ब्याज-दर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि की स्वीकृति (रिजर्व बैंक) निर्देश, 1998 में निर्धारित की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करता रहा है, जिन्होंने या तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन किया हो या जो वित्तीय रूप से कमजोर हों। ऐसी कार्रवाई में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के क्रियाकलाप चलाने से रोकना तथा जमाराशियां स्वीकार करने एवं आस्तियों के अन्य संक्रामण से रोकना शामिल है।

*[अनुवाद]*

**प्रत्यक्ष करों का संग्रहण**

**274. श्री नामा नागेश्वर राव:**
**श्री बाल कुमार पटेल:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष में प्रत्यक्ष करों के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में संग्रहण/वसूली का ब्यौरा क्या है; और

(ख) संग्रहण में वृद्धि/कमी के क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एस.एस. पलानिमनिक्कम ):** (क) चालू वित्त वर्ष के साथ पिछले दो वर्षों के दौरान संग्रहीत किये गये प्रत्यक्ष कर के ब्यौरे निम्नवत हैं:

(रु. करोड़)

| वित्त वर्ष | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | वास्तविक संग्रहण |
|---|---|---|---|
| 2007-08 | 2,67,490 | 3,04,760 | 3,12,202 |
| 2008-09 | 3,65,000 | 3,45,000 | 3,38,212 |
| 2009-10* | 3,80,000 | – | 24158 (मई 2009 तक) |

*ये बजट अनुमान वित्त वर्ष 2009-10 के लिए अंतरिम बजट पर आधारित है।

(ख) आयकर विभाग ने 2,67,490 करोड़ रु. के बजट अनुमानों तथा 3,04,760 करोड़ रु. के संशोधित अनुमानों की तुलना में वर्ष 2007-08 में 3,12,202 करोड़ रु. संग्रहीत किया। वर्ष 2008-09 में पूर्वार्ध तक पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान तदनुरूपी संग्रहण की तुलना में यह संग्रहण 32.5% की वृद्धि दर से बढ़ रहा था। तथापि, अर्थव्यवस्था में वैश्विक मंदी आरंभ हो गई जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा जिससे कंपनियों का लाभ कम हो गया और इसके फलस्वरूप कर्मचारियों का वेतन भी कम करना पड़ा, इन दोनों के फलस्वरूप निगमित कर तथा वैयक्तिक आयकर के संग्रहण में कमी आई। अत: वित्त वर्ष 2008-09 के लिए 3,45,000 करोड़ रु. के संशोधित अनुमानों की तुलना में यह विभाग 3,38,212 करोड़ रु. ही संग्रहीत कर सका।

**शिक्षा ऋण**

**275. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:**
**डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा:**
**श्री कोडिकुन्नील सुरेश:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा छात्रों को दिये जाने वाले शिक्षा ऋण के लिए राज्यवार कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई;

(ख) बैंको द्वारा ऐसे ऋणों को स्वीकृत करने के लिए आवेदन को संशोधित करने में कितना समय लगा;

(ग) क्या कुछ बैंकों द्वारा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को शिक्षा ऋण स्वीकृत किये जाने में अनिच्छा प्रदर्शित की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ऐसे ऋण के लिए संपार्श्विक या वैयक्तिक प्रतिभूति/गारंटी की आवश्यकता है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) देशभर में जरूरतमंद छात्रों को ऐसे ऋण जारी करने के लिए बेहतर सेवाएं प्रदान करने हेतु बैंकों के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमो नारायन मीणा ):** (क) वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा शिक्षा-ऋण के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों, मंजूर आवेदन पत्रों तथा मंजूर ऋण की राशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) मॉडल शिक्षा ऋण योजना के तहत मार्गनिर्देशों के अनुसार, ऋण संबंधी आवेदनपत्रों का निपटान 15 दिन से एक महीने की अवधि के भीतर किया जाना है, परन्तु यह अवधि प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत ऋण संबंधी आवेदनपत्रों के निपटान के लिए निर्धारित समय-सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, उनके द्वारा शिक्षा संबंधी ऋण-आवेदनपत्रों का निपटान करने में एक से दो सप्ताह का समय लिया जाता है, बशर्ते ऋण संबंधी आवेदनपत्र हर दृष्टि से पूर्ण हों।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, विशिष्ट शिकायतें, यदि कोई हों, उपचारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित बैंक के साथ उठायी जाती हैं।

(ङ) और (च) मॉडल शिक्षा ऋण योजना में निर्धारित प्रतिभूति संबंधी मानदंड निम्नलिखित हैं:

| | |
|---|---|
| 4 लाख रु. तक | माता-पिता का सह-दायित्व। कोई प्रतिभूति नहीं। |
| 4 लाख रु. से अधिक और 7.5 लाख रु. तक | उपयुक्त अन्य पक्ष की गारंटी के रूप में सम्पार्श्विक प्रतिभूति सहित माता-पिता का सह-दायित्व। बैंक अपवादात्मक मामलों में यदि ''संयुक्त उधारकर्ताओं'' के रूप में दस्तावेज का निष्पादन करने वाले माता-पिताओं के शुद्ध मालियत साधनों से संतुष्ट हो, तो अन्य पक्ष की गारंटी से छूट दे सकता है। |
| 7.5 लाख रु. से अधिक | किस्तों में भुगतान हेतु छात्र की भावी आय के निर्धारण सहित उपयुक्त मूल्य की मूर्त सम्पार्श्विक प्रतिभूति सहित माता-पिता का सह-दायित्व। |

(छ) बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री जी की तिमाही बैठकों में शिक्षा-ऋण योजना के तहत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय बैंक संघ ने बैंकों को सलाह दी है कि शिक्षा-ऋण संबंधी आवेदन परिचालन-क्षेत्र के आधार पर रद्द नहीं किये जाने चाहिएं या उन्हें अन्य बैंक/शाखाओं को नहीं भेजा जाना चाहिए।

***विवरण***

*पिछले तीन वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंको द्वारा शिक्षा ऋण के संबंध में प्राप्त तथा स्वीकृत आवेदनपत्रों की संख्या और मंजूर ऋण-राशि का राज्य-वार ब्यौरा*

| क्र.सं. | राज्य | 2006-07 | | | 2007-08 | | | 2008-09 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्राप्त आवेदन | मंजूर किये गए आवेदन | मंजूर की गई राशि (करोड़ रुपए) | प्राप्त आवेदन | मंजूर किये गए आवेदन | मंजूर की गई राशि (करोड़ रुपए) | प्राप्त आवेदन | मंजूर किये गए आवेदन | मंजूर की गई राशि (करोड़ रुपए) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | 61 | 50 | 1.28 | 62 | 56 | 1.69 | 128 | 120 | 3.24 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 34991 | 33159 | 912.01 | 35247 | 32779 | 985.27 | 40226 | 37035 | 1329.65 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 64 | 57 | 1.60 | 67 | 63 | 1.73 | 170 | 163 | 4.51 |
| 4. | असम | 1613 | 1452 | 40.12 | 2336 | 2193 | 62.58 | 3022 | 2827 | 86.73 |
| 5. | बिहार | 6575 | 5324 | 115.61 | 9071 | 8624 | 213.75 | 14133 | 13330 | 305.18 |
| 6. | चंडीगढ़ | 2052 | 1933 | 99.83 | 1998 | 1800 | 83.29 | 2566 | 2373 | 71.91 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 2213 | 2087 | 49.92 | 2482 | 2333 | 59.11 | 3682 | 3435 | 100.74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | दादरा व नगर हवेली | 23 | 16 | 2.75 | 28 | 23 | 0.95 | 56 | 42 | 1.43 |
| 9. | दमन एवं दीव | 6 | 6 | 0.50 | 25 | 22 | 0.89 | 21 | 18 | 0.90 |
| 10. | दिल्ली | 7883 | 7360 | 291.19 | 9023 | 8213 | 329.25 | 10508 | 9250 | 301.36 |
| 11. | गोवा | 942 | 813 | 25.9 | 714 | 664 | 23.27 | 904 | 740 | 27.45 |
| 12. | गुजरात | 9127 | 8527 | 427.59 | 8588 | 8194 | 421.90 | 11089 | 9380 | 474.67 |
| 13. | हरियाणा | 4067 | 3785 | 165.15 | 5862 | 5196 | 218.65 | 9948 | 9481 | 245.98 |
| 14. | हिमाचल प्रदेश | 1735 | 1590 | 43.46 | 2358 | 2055 | 56.77 | 3709 | 3539 | 75.08 |
| 15. | झारखंड | 4645 | 4098 | 111.10 | 7392 | 6857 | 177.46 | 9151 | 8349 | 236.97 |
| 16. | जम्मू और कश्मीर | 941 | 845 | 30.66 | 1028 | 975 | 28.06 | 1567 | 1512 | 35.41 |
| 17. | कर्नाटक | 27224 | 25131 | 362.04 | 28361 | 25344 | 490.80 | 33099 | 30170 | 590.01 |
| 18. | केरल | 25421 | 23857 | 376.9 | 32041 | 27802 | 544.00 | 44574 | 38748 | 636.74 |
| 19. | लक्षद्वीप | 2 | 2 | 0.04 | 7 | 7 | 0.11 | 3 | 3 | 0.07 |
| 20. | मध्य प्रदेश | 7890 | 7343 | 154.84 | 10928 | 10337 | 229.02 | 15277 | 14339 | 341.26 |
| 21. | महाराष्ट्र | 21582 | 20412 | 583.78 | 21688 | 20797 | 702.44 | 29785 | 26061 | 909.81 |
| 22. | मणिपुर | 125 | 118 | 4.07 | 166 | 159 | 6.02 | 125 | 119 | 4.39 |
| 23. | मेघालय | 239 | 186 | 5.61 | 188 | 170 | 4.53 | 398 | 363 | 12.41 |
| 24. | मिजोरम | 74 | 69 | 2.62 | 83 | 78 | 2.95 | 184 | 174 | 7.60 |
| 25. | नागालैंड | 55 | 53 | 1.62 | 80 | 77 | 2.16 | 95 | 91 | 2.76 |
| 26. | उड़ीसा | 7859 | 7272 | 166.88 | 10497 | 9917 | 250.21 | 14169 | 13103 | 354.48 |
| 27. | पुडुचेरी | 1863 | 1620 | 29.16 | 2078 | 1913 | 26.09 | 2520 | 2301 | 50.34 |
| 28. | पंजाब | 7271 | 6811 | 367.19 | 8082 | 6376 | 370.96 | 8968 | 8424 | 340.51 |
| 29. | राजस्थान | 5975 | 5416 | 129.89 | 5306 | 5116 | 143.95 | 8903 | 8509 | 218.80 |
| 30. | सिक्किम | 307 | 285 | 6.56 | 186 | 180 | 3.79 | 91 | 76 | 2.28 |
| 31. | तमिलनाडु | 66339 | 61413 | 937.87 | 87811 | 81392 | 1350.39 | 102868 | 97596 | 1747.79 |
| 32. | त्रिपुरा | 260 | 243 | 7.20 | 242 | 228 | 6.13 | 288 | 270 | 7.18 |
| 33. | उत्तर प्रदेश | 17733 | 16561 | 429.00 | 21528 | 20555 | 588.66 | 32160 | 30581 | 739.53 |
| 34. | उत्तराखंड | 4489 | 4205 | 109.17 | 4490 | 4204 | 129.57 | 7012 | 6746 | 140.44 |
| 35. | पश्चिम बंगाल | 11672 | 10807 | 252.90 | 10863 | 10191 | 283.07 | 13780 | 12746 | 373.57 |
| | अखिल भारत | 283138 | 262906 | 6246.02 | 330906 | 304890 | 7799.47 | 425179 | 392014 | 9781.18 |

टिप्पणी: इन आंकड़ों में इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक आफ मैसूर तथा स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर की सूचना शामिल नहीं है।

## पुनर्चक्रन के लिए जहाजों पर आयात शुल्क

**276. श्री हरिन पाठक:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से पुनर्चक्रन के लिए पोतों के आयात पर सीमा शुल्क को पांच प्रतिशत से शून्य प्रतिशत करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एस.एस. पलानिमनिक्कम ):** (क) जी, हां। संघ सरकार को गुजरात सरकार से पुनर्चक्रन के लिए पोतों के आयात पर सीमा शुल्क 5% से 'शून्य' प्रतिशत करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) सरकार 6 जुलाई, 2009 को संसद में 2009-10 का नियमित बजट पेश करेगी जिसके लिए तैयारी प्रगति पर है। गुजरात सरकार के अनुरोध की बजटीय प्रस्ताव के अंत में जांच की जाएगी।

## कृषि ऋण में बढ़ोत्तरी

**277. श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि ऋण प्रदान करने के लिए निर्धारित और प्राप्त किये गये लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लक्ष्य में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमो नारायन मीणा ):** (क) वर्ष 2006-07 से वर्ष 2008-09 के दौरान सभी बैंकों द्वारा कृषि ऋण प्रवाह के संबंध में निर्धारित किये गये लक्ष्य और प्राप्त किये लक्ष्य का ब्यौरा निम्नवत है:

(करोड़ रुपये)

| वर्ष | लक्ष्य | प्राप्ति |
|---|---|---|
| 2006-07 | 1,75,000 | 2,29,400 |
| 2007-08 | 2,25,000 | 2,54,657 |
| 2008-09 | 2,80,000 | *2,87,149 |

*मार्च, 2009 तक के अनंतिम आंकड़े।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार सभी बैंकों द्वारा वर्ष 2009-10 के लिए निर्धारित किये गये कृषि ऋण लक्ष्य को वर्ष 2008-09 के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक करना चाहती है।

*[हिन्दी]*

## जल विद्युत परियोजनाएं

**278. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:**
**श्री जी.एम. सिद्देश्वर:**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रही जल विद्युत परियोजनाओं की कुल संख्या तथा उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है और उनमें राज्यवार कितना निवेश किया गया है;

(ख) देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकार से ऐसी परियोजनाओं को स्थापित किए जाने के संबंध में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत प्रस्तावों तथा सरकार के पास लंबित प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(च) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री भरतसिंह सोलंकी ):** (क) 38032.10 मेगावाट (31.03.2009 की स्थिति के अनुसार) की कुल अधिष्ठापित क्षमता वाली 284 जल विद्युत परियोजनाएं (3 मेगावाट से अधिक की क्षमता) देश में चल रही हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इनमें किए गए निवेश के वास्तविक सम्पूर्ण ब्यौरे इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) 13562 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता वाली कुल 45 जल विद्युत परियोजनाएं देश में वर्तमान में निर्माणाधीन हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गए हैं।

(ग) विभिन्न राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु कुल 16 राज्य क्षेत्रीय प्रस्ताव पिछले तीन वर्षों के दौरान (01.04.2006 से आज की तारीख तक) सहमति हेतु इस मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य क्षेत्र में दो और परियोजनाएं 01.04.2006 की स्थिति के अनुसार निर्माणाधीन थीं।

(घ) उपरोक्त 18 प्रस्तावों में से, 920 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता वाली तीन जल विद्युत परियोजनाओं को पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सहमति प्रदान की गई है। शेष 15 प्रस्ताव विभिन्न अवलोकनों के अनुपालन के पश्चात् सीईए को पुनः प्रस्तुतिकरण हेतु परियोजना प्राधिकारियों को वापस कर दिए गए हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सहमति प्रदान की गई योजनाओं के नाम और 15 प्रस्तावों के ब्यौरे जो सीईए को पुनः प्रस्तुतीकरण हेतु परियोजना प्राधिकारियों को वापस कर दिए गए हैं। वे कारणों सहित संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(ङ) वर्तमान में जल विद्युत परियोजना हेतु किसी राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव सीईए में जांच एवं सहमति के लिए लंबित नहीं है।

(च) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

***विवरण I***

*देश में 3 मेगावाट से अधिक क्षमता के स्टेशनों वाली जल विद्युत परियोजनाओं की सूची*

(31.03.2009 के अनुसार)

| | क्षेत्र/राज्य/यूटिलिटी/स्टेशन | यूनिटों की सं. × साइज | स्टेशनों की सं. | यूनिटों की संख्या | क्षमता (मेगावाट) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **हरियाणा** | | | | |
| | **एचपीजीसी** | | | | |
| 1. | पश्चिमी यमुना कैनाल ए | 2*8 | 1 | 2 | 16.00 |
| 2. | पश्चिमी यमुना कैनाल बी | 2*8 | 1 | 2 | 16.00 |
| 3. | पश्चिमी यमुना कैनाल सी | 2*8 | 1 | 2 | 16.00 |
| 4. | पश्चिमी यमुना कैनाल डी | 2*7.2 | 1 | 2 | 14.40 |
| | कुल एचपीजीसी | | 4 | 8 | 62.40 |
| **2.** | **हिमाचल प्रदेश** | | | | |
| | **केन्द्रीय** | | | | |
| | **बीबीएमबी** | | | | |
| 1. | भाखड़ा एल | 5*108 | 1 | 5 | 540.00 |
| 2. | भाखड़ा आर | 5*157 | 1 | 5 | 785.00 |
| 3. | देहर | 6*165 | 1 | 6 | 990.00 |
| 4. | पोंग | 6*66 | 1 | 6 | 396.00 |
| | कुल बीबीएमबी | | 4 | 22 | 2711.00 |
| | **एनएचपीसी** | | | | |
| 1. | बैरास्यूल | 3*66 | 1 | 3 | 198.00 |
| 2. | चमेरा-1 | 3*180 | 1 | 3 | 540.00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | चमेरा-2 | 3*100 | 1 | 3 | 300.00 |
| | कुल एनएचपीसी | | 3 | 9 | 1038.00 |
| | **एसजेवीएनएल** | | | | |
| 1. | नाथपा झाकड़ी | 6*250 | 1 | 6 | 1500.00 |
| | कुल केंद्रीय | | 8 | 37 | 5249.00 |
| | **एचपीएसइबी** | | | | |
| 1. | गिरि बाटा | 2*30 | 1 | 2 | 60.00 |
| 2. | बस्सी | 4*15 | 1 | 4 | 60.00 |
| 3. | संजय | 3*40 | 1 | 3 | 120.00 |
| 4. | आंध्रा | 3*5.65 | 1 | 3 | 16.95 |
| 5. | बिनवा | 2*3 | 1 | 2 | 6.00 |
| 6. | थिरोट | 3*1.5 | 1 | 3 | 4.50 |
| 7. | बनेर | 3*4 | 1 | 3 | 12.00 |
| 8. | गज | 3*3.5 | 1 | 3 | 10.50 |
| 9. | घानवी | 2*11.25 | 1 | 2 | 22.50 |
| 10. | लारजी | 3*42 | 1 | 3 | 126.00 |
| 11. | खौली | 2*6 | 1 | 2 | 12.00 |
| | कुल एचपीएसईबी | | 11 | 30 | 450.45 |
| | **मलाना पावर कंपनी लिमिटेड (निजी)** | | | | |
| 1. | मलाना | 2*43 | 1 | 2 | 86.00 |
| | **जयप्रकाश हाइड्रो पावर लि. (निजी)** | | | | |
| 1. | बास्पा-2 (निजी) | 3*100 | 1 | 3 | 300.00 |
| | **पतिकारी पावर प्राइवेट लि. (आईपीपी)** | | | | |
| 1. | पतिकारी | 2*8 | 1 | 2 | 16.00 |
| | कुल निजी | | 3 | 7 | 402.00 |
| | कुल हि.प्र. | | 22 | 74 | 6101.45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| **3.** | **जम्मू व कश्मीर** | | | |
| | **केन्द्रीय** | | | |
| | **एनएचपीसी** | | | |
| 1. | सलाल-1 | 3*115 | 1 | 3 | 345.00 |
| 2. | सलाल-2 | 3*115 | 1 | 3 | 345.00 |
| 3. | उड़ी | 4*120 | 1 | 4 | 480.00 |
| 4. | दुलहस्ती | 3*130 | 1 | 3 | 390.00 |
| | कुल एनएचपीसी | | 4 | 13 | 1560.00 |
| | **जे एंड के एसपीडीसी** | | | |
| 1. | लोअर झेलम | 3*35 | 1 | 3 | 105.00 |
| 2. | अपर सिंध-1 | 2*11.30 | 1 | 2 | 22.60 |
| 3. | अपर सिंध-2 | 3*35 | 1 | 3 | 105.00 |
| 4. | चेनानी-1 | 5*4.66 | 1 | 5 | 23.30 |
| 5. | चेनानी-3 | 3*2.5 | 1 | 3 | 7.50 |
| 6. | मोहरा | 2*4.5 | 1 | 2 | 9.00 |
| 7. | गांडेरबल | 2*3+2*4.5 | 1 | 4 | 15.00 |
| 8. | स्टकना | 2*2 | 1 | 2 | 4.00 |
| 9. | कारगिल | 3*1.25 | 1 | 3 | 3.75 |
| 10. | सेवा-3 | 3*3 | 1 | 3 | 9.00 |
| 11. | बगलीहार | 3*150 | 1 | 3 | 450.00 |
| | कुल जे एंड के एसपीडीसी | | 11 | 33 | 754.15 |
| | कुल जे एंड के | | 15 | 46 | 2314.15 |
| **4.** | **पंजाब** | | | |
| | **केन्द्रीय** | | | |
| | **बीबीएमबी** | | | |
| 1. | गंगूवाल | 1*29.25+2*24.2 | 1 | 3 | 77.65 |
| 2. | कोटला | 1*29.25+2*24.2 | 1 | 3 | 77.65 |
| | कुल बीबीएमबी | | 2 | 6 | 155.30 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **पीएसईबी** | | | | |
| 1. | शानन | 4*15+1*50 | 1 | 5 | 110.00 |
| 2. | यूबीडीसी चरण-1 फेज-1 | 1*15 | 1 | 1 | 15.00 |
| 3. | यूबीडीसी चरण-1 फेज-2 | 1*15 | 1 | 1 | 15.00 |
| 4. | यूबीडीसी चरण-1 फेज-3 | 1*15 | 1 | 1 | 15.00 |
| 5. | यूबीडीसी चरण-2 फेज-1 | 1*15.45 | 1 | 1 | 15.45 |
| 6. | यूबीडीसी चरण-2 फेज-2 | 1*15.45 | 1 | 1 | 15.45 |
| 7. | यूबीडीसी चरण-2 फेज-3 | 1*15.45 | 1 | 1 | 15.45 |
| 8. | मुकेरियां चरण-1 फेज-1 | 3*15 | 1 | 3 | 45.00 |
| 9. | मुकेरियां चरण-1 फेज-2 | 3*15 | 1 | 3 | 45.00 |
| 10. | मुकेरियां चरण-1 फेज-3 | 3*19.5 | 1 | 3 | 58.50 |
| 11. | मुकेरियां चरण-1 फेज-4 | 3*19.5 | 1 | 3 | 58.50 |
| 12. | आनंदपुर साहिब चरण-1 | 2*33.5 | 1 | 2 | 67.00 |
| 13. | आनंदपुर साहिब चरण-2 | 2*33.5 | 1 | 2 | 67.00 |
| 14. | रंजीत सागर बांध | 4*150 | 1 | 4 | 600.00 |
| | कुल पीएसईबी | | 14 | 31 | 1142.35 |
| | कुल पंजाब | | 16 | 37 | 1297.65 |
| **5.** | **राजस्थान** | | | | |
| | **आरआरजेयूवीएनएल** | | | | |
| 1. | राणा प्रताप सागर | 4*43 | 1 | 4 | 172.00 |
| 2. | जवाहर सागर | 3*33 | 1 | 3 | 99.00 |
| 3. | माही बजाज-1 | 2*25 | 1 | 2 | 50.00 |
| 4. | माही बजाज-2 | 2*45 | 1 | 2 | 90.00 |
| 5. | अनूपगढ़-1 | 3*1.5 | 1 | 3 | 4.50 |
| 6. | अनूपगढ़-2 | | 1 | 3 | 4.50 |
| 7. | आरएमसी मंगरोल | 3*2 | 1 | 3 | 6.00 |
| 8. | सूरतगढ़ | 2*2 | 1 | 2 | 4.00 |
| | कुल आरआरजेवीयूएनएल | | 8 | 22 | 430.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| **6.** | **उत्तर प्रदेश** | | | |
| | **यूपीजेवीएनएल** | | | |
| 1. | रिहंद | 6*50 | 1 | 6 | 300.00 |
| 2. | ओबरा | 3*33 | 1 | 3 | 99.00 |
| 3. | माताटीला | 3*10.2 | 1 | 3 | 30.60 |
| 4. | खारा | 3*24 | 1 | 3 | 72.00 |
| 5. | नीरगजनी | 2*2.5 | 1 | 2 | 5.00 |
| 6. | शीतला | 3*1.2 | 1 | 3 | 3.60 |
| | कुल यूपीजेवीएनएल | | 6 | 20 | 510.20 |
| **7.** | **उत्तराखंड** | | | |
| | **केन्द्रीय** | | | |
| | **एनएचपीसी** | | | |
| 1. | टनकपुर | 3*31.4 | 1 | 3 | 94.20 |
| 2. | धौलीगंगा | 4*70 | 1 | 4 | 280.00 |
| | कुल एनएचपीसी | | 2 | 7 | 374.20 |
| | **टीएचडीसी** | | | |
| 1. | टिहरी | 4*250 | 1 | 4 | 1000.00 |
| | कुल केन्द्रीय | | 3 | 11 | 1374.20 |
| | **यूजेवीएनएल** | | | |
| 1. | धकरानी | 3*11.25 | 1 | 3 | 33.75 |
| 2. | धालीपुर | 3*17 | 1 | 3 | 51.00 |
| 3. | कुल्हल | 3*10 | 1 | 3 | 30.00 |
| 4. | चिबरो | 4*60 | 1 | 4 | 240.00 |
| 5. | खोदरी | 4*30 | 1 | 4 | 120.00 |
| 6. | रामगंगा | 3*66 | 1 | 3 | 198.00 |
| 7. | चिल्ला | 4*36 | 1 | 4 | 144.00 |
| 8. | मनेरी भाली (थिलोट) चरण-1 | 3*30 | 1 | 3 | 90.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 9. मनेरी भाली चरण-2 | 4*76 | 1 | 4 | 304.00 |
| 10. खटीमा | 3*13.8 | 1 | 3 | 41.40 |
| 11. पथरी | 3*6.8 | 1 | 3 | 20.40 |
| 12. मुहम्मदपुर | 3*3.1 | 1 | 3 | 9.30 |
| कुल यूजेवीएनएल | | | 40 | 1281.85 |
| **जयप्रकाश पावर वेंचर प्रा. (लि.)** | | | | |
| 1. विष्णुप्रयाग | 4*100 | 1 | 4 | 400.00 |
| कुल जेपीपीवीएल | | 1 | 4 | 400.00 |
| कुल उत्तराखंड | | 16 | 55 | 3056.05 |
| कुल उत्तरी क्षेत्र | | 87 | 262 | 13771.90 |
| **पश्चिमी क्षेत्र** | | | | |
| **8. गुजरात** | | | | |
| **जीएसईसीएल** | | | | |
| 1. उकाई | 4*75 | 1 | 4 | 300.00 |
| 2. कदाना (पीएसएस) | 4*60 | 1 | 4 | 240.00 |
| 3. उकाई एलबीसी | 2*2.5 | 1 | 2 | 5.00 |
| कुल जीएसईसीएल | | 3 | 10 | 545.00 |
| **एसएसएनएनएल** | | | | |
| 1. सरदार सरोवर सीएचपीएच | 5*50 | 1 | 5 | 250.00 |
| 2. सरदार सरोवर आरबीपीएच | 6*200 | 1 | 6 | 1200.00 |
| कुल एसएसएनएनएल | | 2 | 11 | 1450.00 |
| कुल गुजरात | | 5 | 21 | 1995.00 |
| **9. मध्य प्रदेश** | | | | |
| **केंद्रीय/संयुक्त** | | | | |
| **एनएचडीसी** | | | | |
| 1. इंदिरा सागर | 8*125 | 1 | 8 | 1000.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2. ओंकारेश्वर | 8*65 | 1 | 8 | 520.00 |
| कुल एनएचडीसी | | 2 | 16 | 1520.00 |
| **एवीडीए** | | | | |
| 1. रानी अवंतिबाई लोधी सागर एलबीपीएच | 2*5 | 1 | 2 | 10.00 |
| **एमपीजीपीसीएल** | | | | |
| 1. गांधी सागर | 5*23 | 1 | 5 | 115.00 |
| 2. बारगी | 2*45 | 1 | 2 | 90.00 |
| 3. पेंच | 2*80 | 1 | 2 | 160.00 |
| 4. बाण सागर टोंस-1 | 3*105 | 1 | 3 | 315.00 |
| 5. बाण सागर टोंस-2 | 2*15 | 1 | 2 | 30.00 |
| 6. बाण सागर टोंस-3 | 3*20 | 1 | 3 | 60.00 |
| 7. बाण सागर टोंस-4 | 2*10 | 1 | 2 | 20.00 |
| 8. बीरसिंहपुर | 1*20 | 1 | 1 | 20.00 |
| 9. राजघाट | 3*15 | 1 | 3 | 45.00 |
| 10. माधीखेड़ा | 3*20 | 1 | 3 | 60.00 |
| कुल एमपीजीपीसीएल | | 10 | 26 | 915.00 |
| **हिन्दुस्तान इलेक्ट्रिक ग्रेफाइट लि. (प्रा.)** | | | | |
| 1. तवा (मध्य प्रदेश) | 2*6.75 | 1 | 2 | 13.50 |
| कुल मध्य प्रदेश | | 14 | 46 | 2458.50 |
| **10. छत्तीसगढ़** | | | | |
| **सीएसईबी** | | | | |
| 1. हसदेव बांगो | 3*40 | 1 | 3 | 120.00 |
| 2. गंगरेल | 4*2.5 | 1 | 4 | 10.00 |
| 3. सिक्सर | 2*3.5 | 1 | 2 | 7.00 |
| कुल सीएसईबी | | 3 | 9 | 137.00 |
| **11. महाराष्ट्र** | | | | |
| **महाजेनको** | | | | |
| 1. कोयना 1 व 2 | 4*70+4*80 | 1 | 8 | 600.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2. कोयना 3 | 4*80 | 1 | 4 | 320.00 |
| 3. कोयना 4 | 4*250 | 1 | 4 | 1000.00 |
| 4. कोयना डीपीएच | 2*18 | 1 | 2 | 36.00 |
| 5. वैतरणा | 1*60 | 1 | 1 | 60.00 |
| 6. इलदारी | 3*7.5 | 1 | 3 | 22.50 |
| 7. भाटघर | 1*16 | 1 | 1 | 16.00 |
| 8. भीरा टेलरेस | 2*40 | 1 | 2 | 80.00 |
| 9. तिल्लारी | 1*60 | 1 | 1 | 60.00 |
| 10. पैथान | 1*12 | 1 | 1 | 12.00 |
| 11. पवाना | 1*10 | 1 | 1 | 10.00 |
| 12. खड़गवासला-1 | 1*8 | 1 | 1 | 8.00 |
| 13. खड़गवासला-2 | 1*8 | 1 | 1 | 8.00 |
| 14. भटसा | 1*15 | 1 | 1 | 15.00 |
| 15. वीर | 2*4.5 | 1 | 2 | 9.00 |
| 16. राधानगरी | 4*1.2 | 1 | 4 | 4.80 |
| 17. कन्हेर | 1*4 | 1 | 1 | 4.00 |
| 18. उज्जैनी | 1*12 | 1 | 1 | 12.00 |
| 19. माणिकडोह | 1*6 | 1 | 1 | 6.00 |
| 20. सूर्या | 1*6 | 1 | 1 | 6.00 |
| 21. डिम्भे | 1*5 | 1 | 1 | 5.00 |
| 22. वारना | 2*8 | 1 | 2 | 16.00 |
| 23. दूधगंगा | 2*12 | 1 | 2 | 24.00 |
| 24. घाटघर पीएसएस | 2*125 | 1 | 2 | 250.00 |
| **उप-जोड़ महाजेनको** | | 24 | 48 | 2584.30 |
| **टाटा पावर कंपनी (निजी)** | | | | |
| 1. भीरा | 6*25 | 1 | 6 | 150.00 |
| 2. भिवपुरी | 3*24+2*1.5 | 1 | 5 | 75.00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | खोपोली | 3*24 | 1 | 3 | 72.00 |
| 4. | भीरा पीएसएस | 1*150 | 1 | 1 | 150.00 |
| | **उप-जोड़ टाटा हाइड्रो** | | 4 | 15 | 447.00 |
| | **डॉडसन लिंडब्लोम हाइड्रो पावर प्रा.लि. (डीएलएचपी)** | | | | |
| 1. | भंडारधारा-1 | 1*12 | 1 | 1 | 12.00 |
| 2. | भंडारधारा-2 | 1*34 | 1 | 1 | 34.00 |
| | कुल डीएलएचपी (निजी) | | 2 | 2 | 46.00 |
| | कुल महाराष्ट्र | | 30 | 65 | 3077.30 |
| | कुल पश्चिमी क्षेत्र | | 52 | 141 | 7667.80 |
| | **दक्षिणी क्षेत्र** | | | | |
| **12.** | **आंध्र प्रदेश** | | | | |
| | **एपीजेनको** | | | | |
| 1. | मचकुंड | 3*17+3*21.25 | 1 | 6 | 114.75 |
| 2. | अपर सिलेरू चरण-1 | 2*60 | 1 | 2 | 120.00 |
| 3. | अपर सिलेरू चरण-2 | 2*60 | 1 | 2 | 120.00 |
| 4. | लोअर सिलेरू | 4*115 | 1 | 4 | 460.00 |
| 5. | तुंगभद्रा डैम | 4*9 | 1 | 4 | 36.00 |
| 6. | हम्पी | 4*9 | 1 | 4 | 36.00 |
| 7. | नागार्जुन सागर | 1*110+7*100.8 | 1 | 8 | 815.60 |
| 8. | श्रीसेलम | 7*110 | 1 | 7 | 770.00 |
| 9. | नागार्जुन सागर आरबीसी | 2*30 | 1 | 2 | 60.00 |
| 10. | नागार्जुन सागर आराबीसी विस्तार | 1*30 | 1 | 1 | 30.00 |
| 11. | नागार्जुन सागर एलबीसी | 2*30 | 1 | 2 | 60.00 |
| 12. | दोंकरायी | 1*25 | 1 | 1 | 25.00 |
| 13. | पोचमपेड | 3*9 | 1 | 3 | 27.00 |
| 14. | निजाम सागर | 2*5 | 1 | 2 | 10.00 |
| 15. | पेन्ना अहोबिलम | 2*10 | 1 | 2 | 20.00 |
| 16. | सिंगूर | 2*7.5 | 1 | 2 | 15.00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. | श्रीसेलम एलबीपीएच | 6*150 | 1 | 6 | 900.00 |
| 18. | प्रियदर्शिनी जुराला | 2*39 | 1 | 2 | 78.00 |
| | कुल एपीजेनको | | 18 | 60 | 3697.35 |
| | **निजी** | | | | |
| 1. | गुंटूर (आ.प्र.) | 3*1.25 | 1 | 3 | 3.75 |
| | कुल आंध्र प्रदेश | | 19 | 63 | 3701.10 |
| **13.** | **कर्नाटक** | | | | |
| | **कर्नाटक पावर कार्पोरेशन लि.** | | | | |
| 1. | शरावती | 2*89.1+8*103.5 | 1 | 10 | 1006.20 |
| 2. | लिंगनामक्की | 2*27.5 | 1 | 2 | 55.00 |
| 3. | भद्रा (एल) | 1*2+2*12 | 1 | 3 | 26.00 |
| 4. | भद्रा (आर) | 1*7.2 | 1 | 1 | 7.20 |
| 5. | भद्रा (आरबीसी) | 1*6 | 1 | 1 | 6.00 |
| 6. | कालीनदी | 3*135+3*150 | 1 | 6 | 855.00 |
| 7. | सुपा डीपीएच | 2*50 | 1 | 2 | 100.00 |
| 8. | वाराही | 2*115 | 1 | 2 | 230.00 |
| 9. | वाराही विस्तार | 1*115 | 1 | 2 | 230.00 |
| 10. | घाटप्रभा | 2*16 | 1 | 2 | 32.00 |
| 11. | मणि डीपीएच | 2*4.5 | 1 | 2 | 9.00 |
| 12. | मल्लापुर | 2*4.5 | 1 | 2 | 9.00 |
| 13. | कदरा | 3*50 | 1 | 3 | 150.00 |
| 14. | खोड़ासल्ली | 3*40 | 1 | 3 | 120.00 |
| 15. | शरावती टेलरेस | 4*60 | 1 | 4 | 240.00 |
| 16. | अलमट्टी बांध | 1*15+5*55 | 1 | 6 | 290.00 |
| 17. | जोग | 4*13.2+4*21.6 | 1 | 8 | 139.20 |
| 18. | शिवसमुद्रम | 6*3+4*6 | 1 | 10 | 42.00 |
| 19. | शिमसापुरा | 2*8.6 | 1 | 2 | 17.20 |
| 20. | मुनिराबाद | 2*9+1*10.3 | 1 | 3 | 28.30 |
| | **कुल केपीसीएल** | | 20 | 74 | 3592.10 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **भोरूका पावर कार्पोरेशन लि. (प्रा.)** | | | | |
| 1. | शिवपुर | 2*9 | 1 | 2 | 18.00 |
| 2. | शाहपुर | 4*1.3+1*1.4 | 1 | 5 | 6.60 |
| 3. | माधवमंत्री | 3*1.5 | 1 | 3 | 4.50 |
| 4. | मंडागेरे | 2*1.75 | 1 | 2 | 3.50 |
| 5. | नेरिया | 2*4.5 | 1 | 2 | 9.00 |
| 6. | छायादेवी | 2*12 | 1 | 2 | 24.00 |
| | उप-जोड़ (बीपीसीएल) | | 6 | 16 | 65.60 |
| | **मुरदेश्वर पावर कार्पोरेशन लि. (प्रा.)** | | | | |
| 1. | नारायणपुर | 2*5.8 | 1 | 2 | 11.60 |
| | **इनर्जी डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. (प्रा.)** | | | | |
| 1. | हरांगी | 2*4.5 | 1 | 2 | 9.00 |
| | कुल निजी | | 8 | 20 | 86.20 |
| | कुल कर्नाटक | | 28 | 94 | 3678.30 |
| **14.** | **केरल** | | | | |
| | **केएसईबी** | | | | |
| 1. | इडुक्की | 6*130 | 1 | 6 | 780.00 |
| 2. | सबरीगिरि | 6*50 | 1 | 6 | 300.00 |
| 3. | कुटियाडी एवं के. विस्तार | 3*25+1*50 | 1 | 4 | 125.00 |
| 4. | शोलयार | 3*18 | 1 | 3 | 54.00 |
| 5. | सेंगुलम | 4*12 | 1 | 4 | 48.00 |
| 6. | नरीमंगलम एवं विस्तार | 3*15+1*25 | 2 | 4 | 70.00 |
| 7. | पल्लीवसल | 3*5+3*7.5 | 1 | 6 | 37.50 |
| 8. | पोरिंगलकुथू | 4*8 | 1 | 4 | 32.00 |
| 9. | पोरिंगलकुथू एलबीसी | 1*16 | 1 | 1 | 16.00 |
| 10. | पन्नियार | 2*15 | 1 | 2 | 30.00 |
| 11. | इदमलयाद | 2*37.5 | 1 | 2 | 75.00 |
| 12. | कल्लडा | 2*7.5 | 1 | 2 | 15.00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | लोअर पेरियार | 3*60 | 1 | 3 | 180.00 |
| 14. | काक्कड़ | 2*25 | 1 | 2 | 50.00 |
| 15. | चेम्बूकड़ावू-2 | 3*1.25 | 1 | 3 | 3.75 |
| 16. | उरमी-1 | 3*1.25 | 1 | 3 | 3.75 |
| 17. | मालनकारा | 3*3.5 | 1 | 3 | 10.50 |
| | कुल केएसईबी | | 18 | 58 | 1830.50 |
| | **कारबोंडम यूनिवर्सल लि. (प्रा.)** | | | | |
| 1. | मनियार | 3*4 | 1 | 3 | 12.00 |
| | **इंडसिल इलेक्ट्रोमेल्टस लि.** | | | | |
| 1. | कुथूंगल | 3*7 | 1 | 3 | 21.00 |
| | कुल निजी | | 2 | 6 | 33.00 |
| | कुल केरल | | 20 | 64 | 1863.50 |
| **15.** | **तमिलनाडु** | | | | |
| | **टीएनईबी** | | | | |
| 1. | कुंडा-1 | 3*20 | 1 | 3 | 60.00 |
| 2. | कुंडा-2 | 5*35 | 1 | 5 | 175.00 |
| 3. | कुंडा-3 | 3*60 | 1 | 3 | 180.00 |
| 4. | कुंडा-4 | 2*50 | 1 | 2 | 100.00 |
| 5. | कुंडा-5 | 2*20 | 1 | 2 | 40.00 |
| 6. | पार्सन्स वैली (के-6) | 1*30 | 1 | 1 | 30.00 |
| 7. | मेत्तूर बांध | 4*10 | 1 | 4 | 40.00 |
| 8. | मेत्तूर टनल | 4*50 | 1 | 4 | 200.00 |
| 9. | पेरियार | 4*35 | 1 | 4 | 140.00 |
| 10. | कोडयार-1 | 1*60 | 1 | 1 | 60.00 |
| 11. | कोडयार-2 | 1*40 | 1 | 1 | 40.00 |
| 12. | शोलयार-1 | 2*35 | 1 | 2 | 70.00 |
| 13. | शोलयार-2 | 1*25 | 1 | 1 | 25.00 |
| 14. | पाइकारा | 3*6.65+1*11+2*14 | 1 | 6 | 58.95 |
| 15. | अलियार | 1*60 | 1 | 1 | 60.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 16. सरकारपथी | 1*30 | 1 | 1 | 30.00 |
| 17. पापनासम | 4*7 | 1 | 4 | 28.00 |
| 18. मोयर | 3*12 | 1 | 3 | 36.00 |
| 19. सुरूलियार | 1*35 | 1 | 1 | 35.00 |
| 20. सेरवलार | 1*20 | 1 | 1 | 20.00 |
| 21. एल.मेट. फेज-1 | 2*15 | 1 | 2 | 30.00 |
| 22. एल.मेट. फेज-2 | 2*15 | 1 | 2 | 30.00 |
| 23. एल.मेट. फेज-3 | 2*15 | 1 | 2 | 30.00 |
| 24. एल.मेट. फेज-4 | 2*15 | 1 | 2 | 30.00 |
| 25. कदमपराई | 4*100 | 1 | 4 | 400.00 |
| 26. वैगई बांध | 2*3 | 1 | 2 | 6.00 |
| 27. लोअर भवानी सागर | 4*2 | 1 | 4 | 8.00 |
| 28. भवानी सागर आरबीसी | 2*4 | 1 | 2 | 8.00 |
| 29. सतनूर बांध | 1*7.5 | 1 | 1 | 7.50 |
| 30. पाइकारा अल्टीमेट | 3*50 | 1 | 3 | 150.00 |
| 31. भवानी बैराज-1 | 2*15 | 1 | 2 | 30.00 |
| कुल टीएनईबी | | 31 | 76 | 2157.45 |
| कुल दक्षिणी क्षेत्र | | 98 | 297 | 11400.35 |
| **पूर्वी क्षेत्र** | | | | |
| **बिहार** | | | | |
| **बीएचपीसी** | | | | |
| 1. कोसी | 4*5 | 1 | 4 | 20.00 |
| 2. सोन पश्चिम कैनाल | 4*1.65 | 1 | 4 | 6.60 |
| 3. सोन पश्चिम कैनाल | 3*5 | 1 | 3 | 15.00 |
| 4. पूर्वी गंडक कैनाल | 2*1.65 | 1 | 2 | 3.30 |
| सोन पूर्वी कैनाल | | 4 | 13 | 44.90 |
| **16. झारखंड** | | | | |
| **केन्द्रीय** | | | | |
| **डीवीसी** | | | | |
| 1. पंचेट एवं विस्तार | 2*40 | 1 | 2 | 80.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2. तिलैया | 2*2 | 1 | 2 | 4.00 |
| कुलडीवीसी | | 2 | 4 | 84.00 |
| **जेएसईबी** | | | | |
| 1. सुवर्णरेखा-1 | 1*65 | 1 | 1 | 65.00 |
| 2. सुवर्णरेखा-2 | 1*65 | 1 | 1 | 65.00 |
| कुल जेएसईबी | | 2 | 2 | 130.00 |
| कुल झारखंड | | 4 | 6 | 214.00 |
| **17. उड़ीसा** | | | | |
| **ओएचपीसी** | | | | |
| 1. हीराकुंड-1 (बुरला) | 2*49.5+2*24+3*37.5 | 1 | 7 | 259.50 |
| 2. हीराकुंड-2 (चिपलीमा) | 3*24 | 1 | 3 | 72.00 |
| 3. बालीमेला | 6*60 | 1 | 6 | 360.00 |
| 4. बालीमेला विस्तार | 2*75 | 1 | 2 | 150.00 |
| 5. रेंगाली | 5*50 | 1 | 5 | 250.00 |
| 6. अपर कोलाब | 4*80 | 1 | 4 | 320.00 |
| 7. अपर इन्द्रावती | 4*150 | 1 | 4 | 600.00 |
| कुल ओचएपीसी | | 7 | 31 | 2011.50 |
| **18. सिक्किम** | | | | |
| **एनएचपीसी** | | | | |
| 1. रंगित-3 | 3*20 | 1 | 3 | 60.00 |
| 2. तीस्ता | 3*170 | 1 | 3 | 510.00 |
| कुल एनएचपीसी | | 2 | 6 | 570.00 |
| **विद्युत विभाग, सिक्किम** | | | | |
| 1. लोअर लगयाप | 2*6 | 1 | 2 | 12.00 |
| 2. अपर रोगिनीचू | 2*2+2*2 | 1 | 4 | 8.00 |
| 3. मोयांग्चू | 2*2 | 1 | 2 | 4.00 |
| कुल विद्युत विभाग, सिक्किम | | 3 | 8 | 24.00 |
| कुल सिक्किम | | 5 | 14 | 594.00 |
| **19. पश्चिम बंगाल** | | | | |
| **केन्द्रीय** | | | | |
| **डीवीसी** | | | | |
| 1. मैथन | 2*20+1*23.2 | 1 | 3 | 63.20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | **डब्ल्यूबीएसईबी** | | | |
| 1. | जलढका-1 | 3*9 | 1 | 3 | 27.00 |
| 2. | जलढका-2 | 2*4 | 1 | 2 | 8.00 |
| 3. | मस्सनजोर | 2*2 | 1 | 2 | 4.00 |
| 4. | राम्मम-2 | 4*12.5 | 1 | 4 | 50.00 |
| 5. | तीस्ता प्रपात फेज-1 | 3*7.5 | 1 | 3 | 22.50 |
| 6. | तीस्ता प्रपात फेज-2 | 3*7.5 | 1 | 3 | 22.50 |
| 7. | तीस्ता प्रपात फेज-3 | 3*7.5 | 1 | 3 | 22.50 |
| 8. | पुरूलिया पीएसएस | 4*225 | 1 | 4 | 900.00 |
| | कुल डब्ल्यूबीएसईबी | | 8 | 24 | 1056.50 |
| | **कुल डब्ल्यूबीएसईबी** | | **9** | **27** | **1119.70** |
| **20.** | **अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह** | | | |
| 1. | कलपोंग | 3*1.75 | 1 | 3 | 5.25 |
| | **कुल पूर्वी क्षेत्र** | | **30** | **94** | **3989.35** |
| | **पूर्वोत्तर क्षेत्र** | | | |
| **21.** | **असम** | | | |
| | **केन्द्रीय** | | | |
| | **नीपको** | | | |
| 1. | खांडोंग | 3*25 | 1 | 3 | 75.00 |
| 2. | कोपिली | 4*50 | 1 | 4 | 200.00 |
| | कुल नीपको | | 2 | 7 | 275.00 |
| | **एपीजीसीएल** | | | |
| 1 | कारबी लांग्पी | 2*50 | 1 | 2 | 100.00 |
| | कुल असम | | 3 | 9 | 375.00 |
| **22.** | **अरुणाचल प्रदेश** | | | |
| | **नीपको** | | | |
| 1. | रंगानदी | 3*135 | 1 | 3 | 405.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | **जल विद्युत विकास विभाग (डीएचपीडी)** | | | |
| 1. | टागो | 3*1.5 | 1 | 3 | 4.50 |
| 2. | नूरांग | 3*2 | 1 | 3 | 6.00 |
| 3. | कम्बांग | 2*2 | 1 | 2 | 4.00 |
| 4. | सिप्पी | 2*2 | 1 | 2 | 4.00 |
| | कुल | | 4 | 10 | 18.50 |
| | कुल अरुणाचल प्रदेश | | 5 | 13 | 423.50 |
| **23.** | **मेघालय** | | | |
| | **एमईएसईबी** | | | |
| 1. | किरदमकुलई | 2*30 | 1 | 2 | 60.00 |
| 2. | उमियम चरण-1 | 4*9 | 1 | 4 | 36.00 |
| 3. | उमियम चरण-2 | 2*9 | 1 | 2 | 18.00 |
| 4. | उमत्रू | 4*2.8 | 1 | 4 | 11.20 |
| 5. | उमियम चरण-4 | 2*30 | 1 | 2 | 60.00 |
| | कुल एमईएसईबी | | 5 | 14 | 185.20 |
| **24.** | **नागालैंड** | | | |
| 1. | लिकिम रो | 3*8 | 1 | 3 | 24.00 |
| | नीपको | | | |
| 1. | दोयांग | 3*25 | 1 | 3 | 75.00 |
| | कुल नागालैंड | | 2 | 6 | 99.00 |
| **25.** | **मणिपुर** | | | |
| | **एनएचपीसी (एनईआर)** | | | |
| 1. | लोकतक | 3*35 | 1 | 3 | 105.00 |
| | कुल मणिपुर | | 1 | 3 | 105.00 |
| **26.** | **त्रिपुरा** | | | |
| | **त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कार्पोरेशन लि. (टीएसईसीएल)** | | | |
| 1. | गुमटी | 3*5 | 1 | 3 | 15.00 |
| | कुल त्रिपुरा | | 1 | 3 | 15.00 |
| | कुल एनईआर | | 17 | 48 | 1202.70 |
| | कुल अखिल भारत | | 284 | 842 | 38032.10 |

टिप्पणी: (1) 3 मेगावाट तक की स्टेशन क्षमता शामिल नहीं।

***विवरण II***

*कार्यान्वयनाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की सूची*

*(नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली परियोजना को छोड़कर)*

(29.06.2009 की स्थितिनुसार)

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | यूनिट सं. | सेक्टर | राज्य/कार्यान्वयन एजेंसी | क्षमता मे.वा. में | संभावित चालू की तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | पार्वती चरण-II 4×200=800 मे.वा. | यू-1 से यू-4 | केन्द्रीय | हिमाचल प्रदेश/एचएचपीसी | 800 | 2012-13 |
| 2. | चमेरा-III 3×77=231 मे.वा. | यू-1 से यू-3 | केन्द्रीय | हिमाचल प्रदेश/एचएचपीसी | 231 | 2010-11 |
| 3. | पार्वती-3 4×130=520 मे.वा. | यू-1 से यू-4 | केन्द्रीय | हिमाचल प्रदेश/एचएचपीसी | 520 | 2010-11 |
| 4. | कोल डेम 4×200=800 मे.वा. | यू-1 से यू-4 | केन्द्रीय | हिमाचल प्रदेश/एनटीपीसी | 800 | 2011-12 |
| 5. | रामपुर 6×68.67=412 मे.वा. | यू-1 से यू-जी | केन्द्रीय | हिमाचल प्रदेश/एसजेवीएनएल | 412 | 2011-12 |
| 6. | उहल-3 3×33.33=100 मे.वा. | यू-1 से यू-3 | राज्य | हिमाचल प्रदेश/ब्यास वैली पावर कार.लि. (बीवीपसी) | 100 | 2011-12 |
| 7. | स्वारा कुड्डू 3×36.6=110 मे.वा. | यू-1 से यू-3 | राज्य | हिमाचल प्रदेश/पाभर वैली कार्पोरेशन (पीवीसी) | 110 | 2012-13 |
| 8. | कैशांग-1 65 मे.वा. | | राज्य | हिमाचल प्रदेश/एचपीपीसीएल | 65 | 12वीं योजना |
| 9. | एलन दुहंगन 2×96=192 मे.वा. | यू-1 और यू-2 | निजी | हिमाचल प्रदेश/एडीएचपीएल | 192 | नवंबर, 2009, दिसंबर 2009 |
| 10. | करछम वांगटू 4×250=1000 मे.वा. | यू-1 से यू-4 | निजी | हिमाचल प्रदेश/जेपीकेपीएल | 1000 | 2011-12 |
| 11. | बुधिल 2×35=70 मे.वा. | यू-1 और यू-2 | निजी | हिमाचल प्रदेश/लैनको | 70 | 2010-11 |
| 12. | मलाना-2 2×50=100 मे.वा. | यू-1 और यू-2 | निजी | हिमाचल प्रदेश/एवरेस्ट पीसी | 100 | दिसम्बर 2009, जनवरी 2010 |
| 13. | सोरांग 2×50=100 मे.वा. | यू-1 और यू-2 | निजी | हिमाचल प्रदेश/हिमाचल सोरांग पवार कार्पोरेशन लि. | 100 | 2011-12 |
| 14. | टिडोंग-1 100 मे.वा. | | निजी | हिमाचल प्रदेश/मै. नूजीवीडू सीड्स | 100 | 12वीं योजना |
| | उप-जोड़ (हिमाचल प्रदेश) | | | | 4600 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | उरी-2<br>4×60+240 मे.वा. | यू-1 से यू-4 | केन्द्रीय | जम्मू कश्मीर/एचएचपीसी | 240 | 2010-11 |
| 16. | सेवा-2<br>3×40=120 मे.वा. | यू-1 से यू-3 | केन्द्रीय | जम्मू कश्मीर/एचएचपीसी | 120 | जनवरी 2010, फरवरी 2010, मार्च 2010 |
| 17. | चूतक<br>4×11=44 मे.वा. | यू-1 से यू-4 | केन्द्रीय | जम्मू कश्मीर/एचएचपीसी | 44 | 2011-12 |
| 18. | निम्मू बाजगो<br>3×15=45 मे.वा. | यू-1 से यू-3 | केन्द्रीय | जम्मू कश्मीर/एचएचपीसी | 45 | 2011-12 |
| 19. | किशनगंगा<br>3×110=330 मे.वा. | यू-1 से यू-3 | केन्द्रीय | जम्मू कश्मीर/एचएचपीसी | 330 | 2016-17 |
| | **उप-जोड़ (जम्मू और कश्मीर)** | | | | **779** | |
| 20. | कोटेश्वर<br>4×100=400 मे.वा. | यू-1 से यू-4 | केन्द्रीय | उत्तराखंड/टीएचडीसी | 400 | 2010-11 |
| 21. | लोहारीनागपाला<br>4×150=600 मे.वा. | यू-1 से यू-4 | केन्द्रीय | उत्तराखंड/एनटीपीसी | 600 | 2012-13 |
| 22. | तपोवन विष्णुगढ़<br>4×130=520 मे.वा. | यू-1 से यू-4 | केन्द्रीय | उत्तराखंड/एनटीपीसी | 520 | 2012-13 |
| 23. | श्रीनगर*<br>4×82.5=330 मे.वा. | यू-1 से यू-4 | निजी | उत्तराखंड/मै. जीवीके इंडस्ट्रीज | 330 | 2011-12 |
| 24. | फाटा बैयूंग 76 मे.वा. | | निजी | उत्तराखंड/मै. लैनको | 76 | 12वीं योजना |
| | **उप-जोड़ (उत्तराखंड)** | | | | **1926** | |
| 25. | महेश्वर<br>10×40=400 मे.वा. | यू-1 से यू-10 | निजी | मध्य प्रदेश/एसएमएचपीसीएल | 400 | 2011-12 |
| | **उप-जोड़ (मध्य प्रदेश)** | | | | **400** | |
| 26. | प्रियदर्शनी जुराला<br>6×39=234 मे.वा. | यू-1 से यू-जी | राज्य | आंध्र प्रदेश/एपीजेनको | 156 | जुलाई 2009, अक्तूबर 2009, फरवरी 2010, जून 2010 |
| 27. | नागार्जुन सागर टीआर<br>2×25=50 मे.वा. | यू-1 और यू-2 | राज्य | आंध्र प्रदेश/एपीजेनको | 50 | 2010-11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | पुलिचिंताला 4×30=120 मे.वा. | यू-1 से यू-4 | राज्य | आंध्र प्रदेश/एपीजेनको | 120 | 2011-12 |
| 29. | लोअर जुराला 6×40=240 मे.वा. | यू-1 से यू-जी | राज्य | आंध्र प्रदेश/एपीजेनको | 240 | 2011-13 |
| | **उप-जोड़ (आंध्र प्रदेश)** | | | | **566** | |
| 30. | कुटियाडी अतिरिक्त विस्तार 2×50=100 मे.वा. | यू-1 और यू-2 | राज्य | केरल/केएसईबी | 100 | जुलाई 2009, अगस्त 2009 |
| 31. | पालीवासल 3×20=60 मे.वा. | यू-1 से यू-3 | राज्य | केरल/केएसईबी | 60 | 2011-12 |
| 32. | थोटियार 40 मे.वा. | | राज्य | केरल/केएसईबी | 40 | 12वीं योजना |
| | **उप-जोड़ (केरल)** | | | | **200** | |
| 33. | भवानी बैराज-2 2×15=30 मे.वा. | यू-1 और यू-2 | राज्य | तमिलनाडु/टीएनईबी | 30 | 2011-12 |
| 34. | भवानी बैराज-3 2×15=30 मे.वा. | यू-1 और यू-2 | राज्य | केरल/केएसईबी | 30 | 2011-12 |
| | **उप-जोड़ (तमिलनाडु)** | | | | **60** | |
| 35. | तीस्ता लो डेम-3 4×33=132 मे.वा. | यू-1 से यू-4 | केन्द्रीय | पश्चिम बंगाल/एचएचपीसी | 132 | 2010-11 |
| 36. | तीस्ता लो डेम-4 4×40=160 मे.वा. | यू-1 से यू4 | केन्द्रीय | पश्चिम बंगाल/एचएचपीसी | 160 | 2011-12 |
| | **उप-जोड़ (पश्चिम बंगाल)** | | | | **292** | |
| 37. | चुजाचेन 2×49.5=99 मे.वा. | यू-1 और यू-2 | निजी | सिक्किम/गाटी | 99 | 2010-11 |
| 38. | तीस्ता-3 6×200=1200 मे.वा. | यू-1 से यू-3 | निजी | सिक्किम/तीस्ता ऊर्जा लि. | 1200 | 2011-12 |
| 39. | तीस्ता-6 4×125=500 मे.वा. | यू-1 से यू-4 | निजी | सिक्किम/लैनको | 500 | 2012-13 |
| 40. | रंगीत-4 3×40=120 मे.वा. | यू-1 से यू-3 | निजी | सिक्किम/जल पावर कार्पो. लि. | 120 | 2012-13 |
| 41. | जोनथांग लूप 96 मे.वा. | | निजी | सिक्किम/मै. डीएएनएसईनजी | 96 | 12वीं योजना |
| | **उप-जोड़ (सिक्किम)** | | | | **2015** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. | सुबानसिरी लोअर 8×250=2000 मे.वा. | यू-1 से यू-8 | केन्द्रीय | अरुणाचल प्रदेश/एनएचपीसी | 2000 | 2012-13 |
| 43. | कामेंग 4×150=600 मे.वा. | यू-1 से यू-4 | केन्द्रीय | अरुणाचल प्रदेश/नीपको | 600 | 2012-13 |
| | **उप-जोड़ (अरुणाचल प्रदेश)** | | | | **2600** | |
| 44. | मिंटडू 2×42=84 मे.वा. | यू-1 और यू-2 | राज्य | मेघालय/मेघालय एसईबी | 84 | दिसम्बर 2009, फरवरी 2010 |
| 45. | न्यू उमटू 2×20=40 मे.वा. | यू-1 और यू-2 | राज्य | मेघालय/मेघालय एसईबी | 40 | 2011-12 |
| | उप-जोड़ (मेघालय) | | | | 124 | |
| | **कुल (निर्माणाधीन)** | | | | **13562** | |

*विवरण III*

*राज्य क्षेत्र प्रस्तावों की स्थिति (अप्रैल 2006 से आगे)*

| क्र.सं. | स्कीम का नाम | राज्य | आईसी (मे.वा.) | स्थिति | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **सहमति प्रदान की गई** | | | | |
| 1. | पाला मनेरी | उत्तराखंड | 480 | 23.02.2007 को सहमति प्रदान की गई | 23.02.2007 को सहमति प्रदान की गई |
| 2. | लोअर जुराला | आंध्र प्रदेश | 240 | 24.07.2007 को सहमति प्रदान की गई | 24.07.2007 को सहमति प्रदान की गई |
| 3. | गुंडिया | कर्नाटक | 200 | 25.04.2008 को सहमति प्रदान की गई | 25.04.2008 को सहमति प्रदान की गई |
| | **परीक्षण अधीन** | | | | |
| | शून्य | | | | |
| | **वापस किया गया** | | | | |
| 4. | सवालकोट | जम्मू और कश्मीर | 1200 | 05/06 में लौटाई गई | हाइड्रोलाजी, हाइड्रोप्लानिंग, सिविल कार्यों की लागत, भू-वैज्ञानिक पहलू आदि जैसे विभिन्न अवलोकनों को प्रतिक्रिया न देने के कारण वापस किए गए। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | किरथई-1 | जम्मू और कश्मीर | 240 | 01/08 में लौटाई गई | अद्यतन हाइड्रोलाजिकल आंकड़े तथा लागत अनुमान, अपर्याप्त भू-वैज्ञानिक जांच की गैर-उपलब्धता के कारण वापस किए गए। |
| 6. | बगलिहार-2 | जम्मू और कश्मीर | 450 | 01/08 में लौटाई गई | अद्यतन हाइड्रोलाजिकल आंकड़े तथा लागत अनुमान, अपर्याप्त भू-वैज्ञानिक जांच की गैर-उपलब्धता के कारण वापस किए गए। |
| 7. | बाउला नंन प्रयाग | उत्तराखंड | 300 | 02/08 में लौटाई गई | हाइड्रोलोजी, गेट डिजाइन, सिविल कार्यों की लागत, भू-वैज्ञानिक पहलू आदि जैसी विभिन्न टिप्पणियों का उत्तर न देने के कारण वापस किए गए। |
| 8. | भैरोघाटी | उत्तराखंड | 381 | 02/08 में लौटाई गई | अपूर्ण भू-वैज्ञानिक जांच के कारण वापस किए गए। |
| 9. | सैंज | हिमाचल प्रदेश | 100 | 12/07 में लौटाई गई | अद्यतन हाइड्रोलाजिकल आंकड़े तथा लागत अनुमानों अपर्याप्त भू-वैज्ञानिक फ्रेम की गैर-उपलब्धता के कारण वापस किए गए। |
| 10. | शोंगटोंग कारचम | हिमाचल प्रदेश | 402 | 12/07 में लौटाई गई | अद्यतन हाइड्रोलाजिकल आंकड़े तथा लागत अनुमानों अपर्याप्त भू-वैज्ञानिक फ्रेम की गैर-उपलब्धता के कारण वापस किए गए। |
| 11. | इंटिग्रेटेड कैशांग | हिमाचल प्रदेश | 243 | 01/08 में लौटाई गई | अपूर्ण भू-वैज्ञानिक जांच के कारण वापस किए गए। |
| 12. | इंटिग्रेटेड कैशांग स्टेज-1 | हिमाचल प्रदेश | 130 | 08/08 में लौटाई गई | एचपीएसईबी द्वारा वापस ली गई परियोजना। |
| 13. | कुडां पम्प स्टोरेज, एचईपी | तमिलनाडु | 500 | 12/07 में लौटाई गई | अन्तराज्यीय स्वीकृति की कमी के कारण वापस की गई |
| 14. | लोअर कोपिली | असम | 150 | 05/08 में लौटाई गई | अद्यतन हाइड्रोलाजिकल आंकड़े, अपर्याप्त भू-वैज्ञानिक जांच की गैर-उपलब्धता के कारण वापस किए गए। |
| 15. | कारबी लंगपी | असम | 60 | 12/08 में लौटाई गई | मेघालय के साथ अन्त:राज्यीय पहलुओं के शामिल होने के कारण वापस किए गए, अद्यतन जल विज्ञान का उपयोग विद्युत क्षमता अध्ययन करने के लिए नहीं किया गया, लागत अनुमान वर्तमान पीएल तथा अपर्याप्त भू-वैज्ञानिक जांच आदि में नहीं तैयार किए गए। |
| 16. | इंटिग्रेटेड कैशांग स्टेज-2 और 3 | हिमाचल प्रदेश | 130 | 06/09 में लौटाई गई | 500 करोड़ रुपए से कम लागत होने के कारण वापस किए गए। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. | धुकवान (*) | उत्तर प्रदेश | 30 | 06/06 में लौटाई गई | सीईए (500 करोड़ रुपए) की सहमति की आवश्यकता नहीं है। |
| 18. | कोयना लेफ्ट बैंक (*) | महाराष्ट्र | 80 | 06/06 में लौटाई गई | परियोजना के लिए सीईए की सहमति की आवश्यकता नहीं है (500 करोड़ रुपए) |
| | | | 5316.00 | | |

(*)–01.04.2006 से पहले प्राप्त किया गया।

*[अनुवाद]*

**राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक**

**279. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में केन्द्रीय वित्त मंत्री ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की थी;

(ख) यदि हां, तो चर्चा किये गये मुख्य बिन्दु क्या थे;

(ग) क्या कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने लोगों को बेरोजगारी से बचाने के लिए तथा औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया के साथ कदम मिलाने हेतु औद्योगिक पैकेज को बढ़ाने/पुनरुद्धार की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा):** (क) केन्द्रीय वित्त मंत्री ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट-पूर्व मंत्रणा 11 जून, 2009 को की थी।

(ख) इन मंत्रणाओं के दौरान, अन्य विषयों के साथ सामान्य वृहत आर्थिक मुद्दे, एफआरबीएम और अंतरण मुद्दे, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए निधियों का आवंटन, कार्यान्वयन संबंधी समस्याएं, कृषि, सिंचाई, ऋण, अति लघु, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सड़क अवसंरचना सेक्टर संबंधी मुद्दे और कर संबंधी मामले उठाये गये थे।

(ग) और (घ) कुछ राज्यों के वित्त मंत्रियों ने अपने राज्यों में उद्योगों और रोजगार सृजन के लिए अतिरिक्त सहायता/प्रोत्साहन पैकेजों के लिए निवेदन किया है। यह निवेदन मुख्यत: रोजगार अवसरों के सृजन, उद्योगों में रोजगार सृजन, राज्य विशिष्ट कार्यक्रमों इत्यादि के बारे में थे।

(ङ) जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह बैठक एक बजट-पूर्व मंत्रणा थी जिसमें बजट को अंतिम रूप देने से पहले, विचार अभिव्यक्त के लिए अनुरोध किया जाता है।

**सिक्कों की फैक्ट्रियां**

**280. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य सहित कुछ राज्यों द्वारा सिक्कों की फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए निवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई/की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की लेखापरीक्षा**

**281. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत परियोजनाओं में लेखाओं की लेखापरीक्षा हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवाएं लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन):** (क) और (ख) राज्य सरकारें प्रत्येक जिले के एनआरईजीए लेखाओं की वित्तीय लेखा-परीक्षा करने के लिए सनदी लेखाकार या स्थानीय निधि लेखा-परीक्षक को नियुक्त करती हैं।

**स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का कार्यकरण**

**282. श्री निशिकांत दुबे:** क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के कार्यकरण की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(ग) ऐसी समीक्षा के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह तंत्र इन संस्थाओं के कार्यकरण का समुचित आकलन करता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है?

**ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संविधान के भाग-9 के अंतर्गत शामिल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए परामर्शदात्री तंत्र की स्थापना की गई है। गत तीन वर्षों के दौरान हुई प्रगति की समीक्षा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में पंचायती राज मंत्रियों की परिषद् ने की। क्रमश: अगस्त, 2007 एवं अप्रैल, 2008 में इस परिषद् की दो बैठकें आयोजित हुई। पूर्व में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों से उभरे कार्यवाही बिन्दुओं की प्रगति एवं कार्यान्वयन का मॉनीटरन करने के लिए पंचायती राज के संघीय सचिव की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्य सचिवों एवं राज्य सरकारों के पंचायती राज सचिवों की समिति का गठन किया गया है। गत तीन वर्षों में इस समिति की छ: बैठकें आयोजित हुई। पंचायती राज के मंत्रियों की परिषद् एवं संघीय सचिव की अध्यक्षता वाली समिति पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श करती है। इन मामलों में पंचायती राज संस्थाओं को अधिकारों का हस्तांतरण, गतिविधि मानचित्रण, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, जिला योजना समितियों (डीपीसी) का गठन एवं जिला योजना की तैयारी, सूनचा प्रौद्योगिकी संवर्धित ई-शासन, ग्राम सभा की भूमिका, पीईएसए का कार्यान्वयन, पंचायतों की स्थिति पर वार्षिक प्रतिवेदन, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन में पीआरआई की केन्द्रीयता, पब्लिक-प्राईवेट-पंचायत साझेदारी के माध्यम से ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र, लेखा एवं लेखा परीक्षा इत्यादि शामिल हैं। राज्य सरकारें इन बैठकों से उभरे निर्णयों/कार्यवाही बिन्दुओं पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करती हैं जिनकी चर्चा उत्तरवर्ती बैठकों में की जाती है।

(घ) समीक्षा तंत्र से कई मामले उभरे हैं। इन पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाता है। स्थानीय स्वयं सरकारी संस्था राज्य विषय है एवं जैसाकि संविधान के भाग 9 एवं भाग 9-क में अधिदेशित है, इसका कार्यकरण एक विकासमूलक प्रक्रिया है। वर्तमान संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत इन संस्थाओं के कार्यनिष्पादन का मॉनीटरन करने के विद्यमान तंत्र को यथेष्ट माना गया है।

(ङ) लागू नहीं।

**बैंकों का विलय**

**283. श्री असादूद्दीन ओवेसी:**
**श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में कुछ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सरकारी बैंकों में विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ग्रामीण ऋण के विस्तार तथा डिलीवरी पर ऐसे विलय का क्या प्रभाव पड़ेगा?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा):** (क) और (ख) ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**बकाया करों की वसूली**

**284. श्री जय प्रकाश अग्रवाल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) न्यायालयों में लंबित मामलों के कारण कार्पोरेट घरानों/व्यक्तियों पर बकाया करों की कुल राशि कितनी है;

(ख) क्या ऐसे मामलों में न्यायालय के बाहर निपटान करने के लिए कोई न्यायिक-भिन्न प्रणाली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम ):** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

**बौद्ध पर्यटन का विकास**

**285. श्री वैजयंत पांडा:**
**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:**
**डॉ. विनय कुमार पाण्डेय:**

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में बौद्ध पर्यटन का विकास करने के लिए परियोजनाएं/योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उड़ीसा के अंगुल और ढेंकनाल, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर, श्रावस्ती और कुशीनगर तथा बिहार सहित देश में राज्यवार बौद्ध सर्किटों की स्थापना की है/स्थापित करने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में बौद्ध पर्यटन के विकास के लिए आवंटित की गई/उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री ( कुमारी सैलजा ):** (क) से (घ) पर्यटन का विकास मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय निधियों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकता की शर्त पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और केन्द्रीय एजेंसियों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर परिपथों सहित पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रेदश में बौद्ध विरासत स्थलों पर अवसंरचना के विकास के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है:

**बिहार:**

1. वर्ष 2007-08 के दौरान बिहार के नव नालंदा में ह्वेन सांग ग्राम के निर्माण हेतु 408.93 लाख रुपए।
2. वर्ष 2008-09 के दौरान बिहार में वैशाली के विकास हेतु 388.97 लाख रुपए।
3. वर्ष 2008-09 के दौरान बिहार में लौरिया नंदन गढ़, इत्यादि के विकास हेतु 134.87 लाख रुपये।
4. वर्ष 2008-09 के दौरान बिहार के बोधगया में सुजाता कुटीर के विकास हेतु 158.40 लाख रुपये।
5. वर्ष 2008-09 के दौरान बिहार में निरंजन रिवर फ्रंट और परिक्रमा पथ के विकास हेतु 268.27 लाख रुपए।
6. वर्ष 2008-09 के दौरान बिहार के बोधगया में प्राग बोधी दुंगेशवरी हिल्स के विकास हेतु 156.50 लाख रुपए।

**उड़ीसा:**

कोई नहीं।

**उत्तर प्रदेश:**

1. वर्ष 2008-09 के दौरान उत्तर प्रदेश में वाराणसी-सारनाथ-रामनगर चरण-2 के विकास हेतु 1416.31 लाख रुपए।

*[हिन्दी]*

**पर्यटन स्थलों के विकास हेतु निधियां**

**286. श्री हंसराज गं. अहीर:**
**श्री दुष्यंत सिंह:**
**श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:**
**श्री अनुराग सिंह ठाकुर:**

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पारिस्थितिकी पर्यटन, ग्रामीण और धार्मिक पर्यटन आदि को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश सहित देश में पर्यटन स्थलों के विकास हेतु निधियों तथा पर्यटन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है अथवा करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार और परियोजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी निधियां आबंटित की गयी हैं और पर्यटन परियोजनाओं की राज्यवार तथा परियोजनावार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) लंबित पर्यटन परियोजनाएं कब तक पूरी होने की संभावना है तथा राज्यवार और परियोजनावार कितनी लंबित निधियां जारी की गयी हैं?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) से (घ) पर्यटन मंत्रालय ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश सहित, देश में पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए 907.94 करोड़ रुपयों की 237 पर्यटन परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इसमें ईको पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन के विकास हेतु परियोजनाएं सम्मिलित हैं। परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या और स्वीकृत राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी मुख्यतया संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकों और समय-समय पर स्थल दौरों के माध्यम से कार्यान्वयन की प्रगति को मॉनिटर करता है।

***विवरण***

*वर्ष 2008-09 के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं को दर्शाने वाला ब्यौरा*

(लाख रुपये)

| क्र.सं. | राज्य | परियोजनाओं की संख्या | स्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 7 | 9980.58 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 13 | 3147.20 |
| 3. | असम | 4 | 2107.61 |
| 4. | बिहार | 9 | 1798.45 |
| 5. | चंडीगढ़ | 5 | 799.11 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 1 | 1133.82 |
| 7. | दादरा और नगर हवेली | 3 | 24.88 |
| 8. | दमन और दीव | 1 | 12.50 |
| 9. | दिल्ली | 1 | 15.00 |
| 10. | गोवा | 2 | 4314.91 |
| 11. | गुजरात | 7 | 2133.66 |
| 12. | हरियाणा | 7 | 2495.49 |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | 9 | 2977.66 |
| 14. | जम्मू और कश्मीर | 25 | 3827.57 |
| 15. | केरल | 12 | 4269.52 |
| 16. | कर्नाटक | 4 | 4273.21 |
| 17. | महाराष्ट्र | 3 | 4110.05 |
| 18. | मणिपुर | 9 | 2943.84 |
| 19. | मेघालय | 6 | 1238.54 |
| 20. | मिजोरम | 4 | 318.38 |
| 21. | मध्य प्रदेश | 11 | 3141.11 |
| 22. | नागालैंड | 11 | 2544.66 |
| 23. | उड़ीसा | 6 | 4115.38 |
| 24. | पुडुचेरी | 4 | 252.80 |
| 25. | पंजाब | 3 | 1968.10 |
| 26. | राजस्थान | 8 | 4189.56 |
| 27. | सिक्किम | 23 | 7076.38 |
| 28. | तमिलनाडु | 15 | 3595.72 |
| 29. | त्रिपुरा | 6 | 360.94 |
| 30. | उत्तर प्रदेश | 6 | 3839.64 |
| 31. | उत्तराखंड | 3 | 4468.72 |
| 32. | पश्चिम बंगाल | 9 | 3319.33 |
| | कुल | 237 | 90794.32 |

*[अनुवाद]*

**सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन**

**287. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन दिया गया है;

(ख) क्या सरकार द्वारा दिये गये प्रोत्साहन हेतु सौर ऊर्जा परियोजनाओं को शामिल किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 50 मेगावाट की सौर ताप विद्युत परियोजनाएं भी प्रोत्साहन की हकदार हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ( डॉ. फारूख अब्दुल्ला ):** (क) से (ग) सरकार राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दे रही है जिसमें पूंजी/ब्याज सब्सिडी, त्वरित मूल्य ह्रास, शून्य/रियायती उत्पाद और सीमा शुल्क शामिल हैं। इनमें सौर ऊर्जा परियोजनाएं भी शामिल हैं।

(घ) और (ङ) सौर तापीय विद्युत परियोजनाएं उपरोक्त प्रोत्साहनों के लिए भी पात्र हैं। तथापि, 50 मेगावाट की यूनिट क्षमता की सौर तापीय विद्युत परियोजनाएं, ग्रिड-सम्बद्ध सौर तापीय विद्युत प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रदत्त उत्पादन आधारित प्रोत्साहनों हेतु पात्र नहीं हैं।

## अनाथ बच्चों का सर्वेक्षण

**288. श्री एन. चेलुवरया स्वामी:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देशभर के महानगरीय शहरों के फुटपाथों और विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर दयनीय हालत में रह रहे अनाथ बच्चों की बढ़ती संख्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है/करने का विचार है?

**महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री ( श्रीमती कृष्णा तीरथ ):** (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास कोई प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि मंत्रालय ने इस विषय में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ग) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विशेष रूप से बेसहारा बच्चों के कल्याण हेतु 'निराश्रित बच्चों हेतु समेकित कार्यक्रम' नामक स्कीम चल रहा है। इस स्कीम के लक्षित लाभार्थियों में बेसहारा बच्चों, विशेषकर उन बच्चों, जिनका कोई घर-परिवार नहीं है, तथा यौन कर्मियों एवं फुटपाथ पर रहने वालों के लिए बच्चों जैसे उन बच्चों को शामिल किया गया है, जिनके साथ दुर्व्यवहार एवं शोषण होने की आशंका है।

मंत्रालय ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए 'समेकित बाल संरक्षण स्कीम' नामक एक नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम हाल ही में शुरू की है। इस स्कीम में ऐसे बच्चों के लिए शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में 'मुक्त आश्रय गृह' स्थापित करने का प्रावधान है। इस स्कीम का उद्देश्य ऐसे बच्चों को आश्रय, पोषण, स्वास्थ्य देखरेख, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना और दुर्व्यवहार एवं उपेक्षा से संरक्षण प्रदान करना है।

## विद्युत क्षेत्र के लिए निजी कंपनियों से गैस

**289. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:**
**श्री आनंदराव अडसुल:**
**श्री रुद्रमाधव राय:**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने की धीमी प्रगति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) सहित निजी कंपनियों से गैस खरीदने के अनुदेश दिये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री भरतसिंह सोलंकी ):** (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक की अवधि में देश में विद्युत क्षमता विस्तार की प्रगति धीमी रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में, 9263 मे.वा. क्षमता चालू की गई थी। दूसरे वर्ष अर्थात् 2008-09 में केवल 3454 मे.वा. चालू की गई थी। ये मुख्यत: चालू करने की परिभाषा (पहले यूनिट को ग्रिड से जोड़े

जाने को चालू करना माना जाता था, जिसे परिवर्तित करके फुल-लोड आपरेशन कर दिया गया है) में 2008-09 में किये गये परिवर्तन के कारण हैं। तथापि कई अन्य कारण भी हैं जैसे आदेश देने में देरी, उपस्करों की आपूर्ति में देरी, कुशल श्रमशक्ति की कमी, ईंधन की कमी इत्यादि। तथापि, 11वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में इन समस्याओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किये गये हैं। 11वीं योजना के दौरान 15000 मे.वा. (लक्ष्य का 19%) से अधिक की कुल क्षमता वाली परियोजनाओं को अब तक चालू किया जा चुका है तथा लगभग 65,000 मे.वा. की कुल क्षमता वाली परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

(ग) और (घ) अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह (इजीओएम) द्वारा विद्युत क्षेत्र को 18 मिलियन मीट्रिक स्टैन्डर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) गैस आवंटित की गई है। इसमें से, 2.67 एमएमएससीएमडी गैस एनटीपीसी को इसके छह गैस आधारित विद्युत संयंत्रो के लिए आबंटित की गई थी।

इसके अतिरिक्त, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने विद्युत मंत्रालय को बताया है कि अतिरिक्त रीगैसीफाइड लिक्विफाइड नैचुरल गैस (आरएलएनजी) उपलब्ध है। इसके उपलब्ध होने का कारण पैट्रोनेट एलएनजी लि. (पीएलएलएस) दाहेज लिक्विफाइड नैचुरल गैस (एलएनजी) टर्मिनल का विस्तार तथा एलएनजी का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अपेक्षाकृत कम होना है। इसे ध्यान में रखते हुए दिनांक 27.5.2009 को विद्युत मंत्रालय में एक बैठक आयोजित हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि देश के दक्षिणी तथा पूर्वोत्तर के पावर प्लांटों को छोड़कर जिन्हें अभी पाइप लाइन नेटवर्क से जोड़ा जाना है, सभी गैस आधारित पावर प्लांटों को तुरंत प्रभाव से यथासंभव 90% प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) पर संचालित किया जाना चाहिए। आगे यह भी निर्णय लिया गया था कि इनमें ईजीओएम/सरकार द्वारा इंगित केजी डी6 गैस का उपयोग करने के द्वारा और बाद में आरएलएनजी की अतिरिक्त उपलब्धता के द्वारा सुनिश्चित किया जाए।

(ङ) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विद्युत उत्पादन क्षमता में सुधार हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:

* वर्तमान में चल रही उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता वृद्धि का कड़ा प्रबोधन।
* अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन तथा क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित करके मुख्य प्लांट उपस्कर तथा शेष प्लांट्स जैसे कोल हैंडलिंग प्लांट, ऐश हैंडलिंग प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इत्यादि की निर्माण क्षमता बढ़ाने तथा वेंडर बेस विस्तारित करने की आवश्यकताओं के लिए उद्योग को सुग्राही बनाना। अन्य क्षेत्रों का प्रबंध जैसे महत्वपूर्ण सामग्री की अग्रिम खरीद तथा निर्माण से पहले आवश्यक निधि का प्रबंध भी किया जा रहा है।
* 4000 मे.वा. (प्रत्येक) क्षमता वाले अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स का प्रतिस्पर्धात्मक बोली के तहत विकास।
* ग्रिड में सरप्लस कैप्टिव पावर डालना।
* पुरानी तथा अक्षम उत्पादन यूनिटों का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार।

**पीएफआरडीए में संशोधन**

**290. श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आगामी बजट सत्र में पेंशन कोष विनियामक विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) में संशोधन करने के लिए कोई विधान लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा):** (क) सरकार सांविधिक प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए एक विधान लाने पर विचार कर रही है जिससे पेंशन निधियां स्थापित, विकसित और विनियमित करके वृद्धावस्था में आय की सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके।

(ख) विधान में अन्य बातों के साथ-साथ एक सांविधिक पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना करने और इसे निम्नलिखित के लिए अधिकार प्रदान करने पर विचार किया जाएगा: (1) नई पेंशन योजना और किसी अन्य अधिनियम के तहत शामिल न की गई अन्य पेंशन स्कीमों को विनियमित करना; (2) पेंशन निधियों तथा केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण को पंजीकृत एवं विनियमित करना; और (3) पीएफआरडीए अधिनियम के विभिन्न उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाना।

**सरकारी क्षेत्र की इकाइयों की तीन चरणों में लेखापरीक्षा**

**291. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
**श्री मधु गौड यास्खी:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कैग) ने सरकारी क्षेत्र की कुछ इकाइयों (पीएसयूज) की लेखापरीक्षा तीन चरणों में करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की सरकारी क्षेत्र की इकाइयों का ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमो नारायन मीणा ):** (क) जी, हां।

(ख) त्रिस्तरीय लेखा-परीक्षा के अंतर्गत आने वाली 70 (सत्तर) कंपनियों और 6 (छह) सांविधिक निगमों/निकायों के नाम निम्नलिखित हैं:

**1. सरकारी कंपनियों के नाम**

1. एन्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, 2 बामेर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, 3. बामेर लॉरी इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड, 4. बीईएमएल लिमिटेड, 5. भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, 6. भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, 7. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, 8. भारत इम्यूनोलोजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, 9. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, 10. भारत संचार निगम लिमिटेड, 11. सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, 12. चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, 13. कोल इंडिया लिमिटेड, 14. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, 15. कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 16. ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 17. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, 18. गेल (इंडिया) लिमिटेड, 19. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, 20. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, 21. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, 22. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, 23. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, 24. हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, 25. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, 26. हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, 27. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लमिटेड, 28. हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, 29. एचएमटी लिमिटेड, 30. हाऊसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, 31. इंडिया टूरिज्म डेवलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, 32. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, 33. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड, 34. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, 35. आईटीआई लिमिटेड, 36. कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड, 37. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, 38. महानदी कोलफील्ड्स लिटिमेड, 39. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, 40. महाराष्ट्र इलेक्ट्रोमेल्ट लिमिटेड, 41. मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड, 42. मझगांव डॉक्स लिमिटेड, 43. मिश्र धातु निगम लिमिटेड, 44. एमएमटीसी लिमिटेड, 45. एमएसटीसी लिमिटेड, 46. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, 47. नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, 48. नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, 49. नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड, 50. एनएचपीसी लिमिटेड, 51. नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड, 52. एनटीपीसी लिमिटेड, 53. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, 54. ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड, 55. ऑयल इंडिया लिमिटेड, 56. पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड, 57. पॉवरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 58. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, 59. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, 60. राइट्स लिमिटेड, 61. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, 62. सतलुज जलविद्युत निगम लिमिटेड, 63. स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, 64. शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 65. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, 66. स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 67. स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 68. टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड, 69. दि फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, 70. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड।

**2. सांविधिक निगमों के नाम**

1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, 2. केन्द्रीय भाण्डागारण निगम, 3. दामोदर घाटी निगम, 4. भारतीय खाद्य निगम, 5. भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, 6. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।

*[हिन्दी]*

**बायोगैस संयंत्र**

**292. श्री अशोक कुमार रावत:** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में कार्य कर रहे और बंद पड़े बायोगैस संयंत्रों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की गई है;

(ग) क्या बायोगैस गैस चूल्हा बाजार में उपलब्ध है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यवार कितने बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का विचार है?

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ( डॉ. फारूख अब्दुल्ला ):** (क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्र देश के ग्रामीण और पिछड़े हुए क्षेत्रों में संस्थापित किए जाते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना में संस्थापित बायोगैस संयंत्रों के लिए

छः प्रतिनिधि राज्यों में वर्ष 2008-09 के दौरान कराए गए एक स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार सर्वेक्षण किए गए संयंत्रों की 95.80% औसत कार्यशीलता की रिपोर्ट दी गई है। इस संबंध में ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में स्थापित बायोगैस संयंत्रों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ) बायोगैस चूल्हे बाजार में उपलब्ध हैं और इस कार्यक्रम की नोडल कार्यान्वयन एजेंसियां, बायोगैस संयंत्रों के लाभार्थियों के लिए इन चूल्हों की व्यवस्था करने में सक्षम हैं।

(ङ) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान देश में 1.50 लाख पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

*विवरण I*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | संस्थापित संयंत्र | नमूना आकार (2.5%) | कार्यशीलता% |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **असमः** पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व (इस क्षेत्र में 5% नमूना आकार लिया गया) | 298 | 27 | 92.60% |
| 2. | **पश्चिम बंगालः** पूर्वी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व | 62708 | 1582 | 92.29% |
| 3. | **गुजरातः** पश्चिमी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व | 33796 | 879 | 97.61% |
| 4. | **पंजाबः** उत्तरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व | 9907 | 251 | 100% |
| 5. | **केरलः** दक्षिणी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व | 12724 | 298 | 99.32% |
| 6. | **छत्तीसगढ़ः** केन्द्रीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व | 22138 | 540 | 99.44% |
| | कुल | 141571 | 3577 | 95.80% |

*विवरण II*

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | उपलब्धियां | | | वास्तविक लक्ष्य वर्ष 2009-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 18002 | 10195 | 12510 | 16500 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 60 | 100 | 150 | 200 |
| 3. | असम | – | 2500 | 6000 | 10000 |
| 4. | बिहार | 250 | – | – | 300 |
| 5. | गोवा | 75 | 21 | 34 | 50 |
| 6. | गुजरात | 7905 | 7801 | 5451 | 10000 |
| 7. | हरियाणा | 1068 | 1034 | 1320 | 1500 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 155 | 151 | – | 150 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | – | – | 24 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | कर्नाटक | 3023 | 2433 | 4250 | 20000 |
| 11. | केरल | 4214 | 2144 | 3301 | 6000 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 10642 | 7042 | 13331 | 16000 |
| 13. | महाराष्ट्र | 12660 | 15066 | 12261 | 8000 |
| 14. | मणिपुर | – | – | – | 50 |
| 15. | मेघालय | 60 | 200 | 154 | 400 |
| 16. | मिजोरम | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | नागालैंड | 200 | 131 | 200 | 350 |
| 18. | उड़ीसा | 3922 | 3895 | 3336 | 5000 |
| 19. | पंजाब | 1789 | 3000 | 7470 | 10000 |
| 20. | राजस्थान | – | – | – | 50 |
| 21. | सिक्किम | 185 | 172 | 197 | 200 |
| 22. | तमिलनाडु | 727 | 1223 | 693 | 1500 |
| 23. | त्रिपुरा | 32 | – | – | 100 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 3636 | 2856 | 1065 | 4000 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 8500 | 11000 | 15000 | 15000 |
| 26. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | – | – | – | – |
| 27. | चंडीगढ़ | – | – | – | – |
| 28. | दादरा और नगर हवेली | – | – | – | – |
| 29. | दिल्ली | – | – | – | – |
| 30. | पुडुचेरी | – | – | – | 50 |
| 31. | छत्तीसगढ़ | 4446 | 2095 | 3118 | 5000 |
| 32. | झारखंड | 110 | 186 | 301 | 500 |
| 33. | उत्तराखंड | 351 | 370 | 502 | 900 |
| 34. | खादी एवं ग्रामोद्योग निगम और अन्य | 15053 | 15125 | 18000 | 18000 |
| | कुल | 97165 | 88840 | 108768 | 150000 |

*आंकड़े सुनिश्चित किए जा रहे हैं।

*[अनुवाद]*

**नाबार्ड द्वारा निधियां जुटाना**

**293. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) का विचार देश में ग्रामीण विकास हेतु भारी निधियां जुटाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजनावार एवं राज्यवार इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि निर्धारित की गयी है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा):** (क) और (ख) चौतरफा ग्रामीण विकास हेतु ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) की स्थापना 1995-96 में की गई थी। इस निधि का प्रबंधन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। निधि में अंशदान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र/कृषि के लिए उनके अनिवार्य उधार लक्ष्यों में हुई कमी को पूरा करने में किया जाता है। आरआईडीएफ के कार्पस की घोषणा वार्षिक आधार पर केन्द्रीय बजट में की जाती है और राज्य-वार आबंटन प्रत्येक श्रृंखला के कापर्स तथा निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाता है। अभी तक, नाबार्ड द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को विभिन्न प्रकार की ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 14 आरआईडीएफ श्रृंखलाओं के माध्यम से 88,359.09 करोड़ रुपये की राशि के ऋण मंजूर किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, भारत निर्माण के ग्रामीण सड़क घटक के कार्यान्वयन हेतु आरआईडीएफ के अंतर्गत एक अलग से घटक की भी स्थापना वर्ष 2006-07 से की गई है जिसके लिए विगत तीन वर्षों के दौरान 12,000 करोड़ रुपये संवितरित किये गये हैं।

आरआईडीएफ-14 (2008-09) के अंतर्गत मंजूर की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस निधि के अंतर्गत प्रयोजन-वार अथवा परियोजना-वार आबंटन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है और परियोजनाओं का चयन विद्यमान 31 कार्यकलापों की एक सूची से किया जाता है।

***विवरण***

*आरआईडीएफ-24 (2008-09) के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा*

(करोड़ रु.)

| क्र.सं. | राज्य | संस्वीकृत |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **मुख्य राज्य** | |
| 1. | उत्तर प्रदेश | 971 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 1315 |
| 3. | मध्य प्रदेश | 975 |
| 4. | गुजरात | 1085 |
| 5. | राजस्थान | 1100 |
| 6. | महाराष्ट्र | 1123 |
| 7. | तमिलनाडु | 905 |
| 8. | पश्चिम बंगाल | 801 |
| 9. | बिहार | 752 |
| 10. | कर्नाटक | 659 |
| 11. | उड़ीसा | 849 |
| 12. | जम्मू और कश्मीर | 377 |
| 13. | छत्तीसगढ़ | 72 |
| 14. | झारखंड | 631 |
| 15. | हिमाचल प्रदेश | 425 |
| 16. | उत्तराखंड | 300 |
| 17. | पंजाब | 525 |
| 18. | हरियाणा | 301 |
| 19. | केरल | 501 |
| 20. | गोवा | 86 |
| | कुल (क) | 13753 |
| | **उत्तर पूर्वीय क्षेत्र** | |
| 1. | असम | 113 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 122 |
| 3. | मेघालय | 66 |
| 4. | त्रिपुरा | 305 |
| 5. | मिजोरम | 1 |
| 6. | नागालैंड | 240 |
| 7. | सिक्किम | 99 |
| 8. | मणिपुर | 0 |
| | कुल (ख) | 947 |
| | **केन्द्र शासित प्रदेश** | |
| | पुडुचेरी | 55 |
| | सकल योग | 14754 |

*[हिन्दी]*

## डीआरडीए

**294. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में जिला ग्राम विकास एजेंसियों (डीआरडीए) के कार्यकरण और कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) डीआरडीए के कार्यकरण और कार्य-निष्पादन को सुचारु बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन):** (क) और (ख) जी, हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास के राज्य सचिवों तथा राज्य और जिलों के अन्य अधिकारियों के साथ जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के काम-काज तथा कार्य-निष्पादन की नियमित समीक्षा करता है। मंत्रालय ने भी वर्ष 2008-09 में स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के काम-काज के संबंध में एक मूल्यांकन अध्ययन करवाया है तथा इसकी प्रमुख सिफारिशें जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की भर्ती पद्धति के अनुसार सभी रिक्तियों को भरने, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों में पेशेवरों को शामिल करने, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने तथा उनकी क्षमता बढ़ाने इत्यादि से संबंधित हैं।

(ग) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के काम-काज तथा कार्य-निष्पादन को सुचारु बनाने के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया जाता है तथा इस संबंध में समय-समय पर राज्यों को अनुदेश जारी किए जाते हैं।

*[अनुवाद]*

## आर्थिक अपराध

**295. श्री निशिकांत दुबे:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयकर अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम के अंतर्गत देश में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान श्रेणीवार तथा राज्यवार कितने आर्थिक अपराध रिपोर्ट किए गए;

(ख) क्या देश में इन अपराधों की बढ़ती रूझान है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में इन अपराधों को कम करने तथा अपराधियों को पकड़ने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम):** (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## आंगनवाड़ी केन्द्र

**296. श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंगनवाड़ी केन्द्रों में सरकार द्वारा मुहैया करवायी गयी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या बढ़ाने और इन्हें आधुनिक बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ):** (क) छह वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के पोषणीय तथा स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम पूरक पोषण, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच, विशेषज्ञ सेवाएं, स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा नामक छह सेवाओं का पैकेज प्रदान करती है। स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

(ख) और (ग) अब तक इस स्कीम के लाभों से वंचित देश की समस्त बस्तियों को इस स्कीम का लाभ देने के लिए, संशोधित मानदण्डों के अनुसार विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में एक लघु स्तरीय सर्वेक्षण प्रारम्भ करने तथा आई.सी.डी.एस. स्कीम के विस्तार के तीसरे चरण हेतु अतिरिक्त परियोजनाओं/आंगनवाड़ी केन्द्रों/लघु-आंगनवाड़ियों की विशिष्ट आवश्यकताएं बताने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया।

अतिरिक्त परियोजनाओं/आंगनवाड़ी केन्द्रों/लघु-आंगनवाड़ियों की आवश्यकताओं पर आधारित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

***विवरण***

*आई.सी.डी.एस. के विस्तार के तीसरे चरण के अंतर्गत संस्वीकृत अतिरिक्त आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं/आंगनवाड़ी एवं लघु-आंगनवाड़ी केन्द्रों की राज्य-वार संख्या*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | संस्वीकृत अतिरिक्त आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं/आंगनवाड़ी केंद्रों/लघु-आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | परियोजना | आंगनवाड़ी केंद्र | लघु-आंगनवाड़ी केंद्र |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2 | 6537 | 3206 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 8 | 1751 | 0 |
| 3. | असम | 5 | 19646 | 2967 |
| 4. | बिहार | 0 | 5440 | 5440 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 180 | 20772 | 6362 |
| 6. | दिल्ली | 5 | 500 | 0 |
| 7. | गोवा | 0 | 100 | 0 |
| 8. | गुजरात | 76 | 3312 | 1126 |
| 9. | हरियाणा | 11 | 7995 | 260 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 0 | 138 | 539 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 0 | 3094 | 0 |
| 12. | झारखंड | 0 | 3538 | 2551 |
| 13. | कर्नाटक | 0 | 5786 | 2926 |
| 14. | केरल | 95 | 871 | 129 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 86 | 9691 | 9820 |
| 16. | महाराष्ट्र | 102 | 12608 | 3640 |
| 17. | मणिपुर | 4 | 2337 | 1552 |
| 18. | मेघालय | 0 | 493 | 0 |
| 19. | मिजोरम | 4 | 298 | 0 |
| 20. | नागालैंड | 3 | 261 | 0 |
| 21. | उड़ीसा | 0 | 19221 | 5397 |
| 22. | पंजाब | 6 | 5267 | 1220 |
| 23. | राजस्थान | 26 | 6543 | 3523 |
| 24. | सिक्किम | 2 | 245 | 0 |
| 25. | तमिलनाडु | 0 | 2234 | 1772 |
| 26. | त्रिपुरा | 0 | 2527 | 0 |
| 27. | उत्तराखण्ड | 6 | 8375 | 2444 |
| 28. | उत्तर प्रदेश | 0 | 14604 | 22186 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 160 | 25018 | 0 |
| 30. | अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 17 | 31 |
| 31. | चंडीगढ़ | 0 | 130 | 0 |
| 32. | दादरा व नगर हवेली | 0 | 0 | 0 |
| 33. | दमन व दीव | 0 | 0 | 0 |
| 34. | लक्षद्वीप | 8 | 9 | 11 |
| 35. | पुडुचेरी | 0 | 100 | 0 |
| | कुल | 789 | 189458 | 77102 |

*[हिन्दी]*

**काला धन**

**297. श्री जय प्रकाश अग्रवाल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में कितना काला धन है;

(ख) क्या काफी समय से उक्त राशि लगातार बढ़ती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) काले धन का पता लगाने में सरकार को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) देश में बढ़ते काले धन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाये गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम ):** (क) से (ग) इस समय देश में परिचालन में बेहिसाब काले धन का कोई सही-सही अनुमान नहीं है। तथापि, सरकार की प्रेरणा पर, राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान ने देश में परिचालन में काले धन का अनुमान लगाने का प्रयास किया था। राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 1983-84 के दौरान देश में परिचालन में काले धन की कुल राशि का अनुमान 31,584 करोड़ रुपए से 36,786 करोड़ रुपए के बीच लगाया गया था। तथापि, इस रिपोर्ट के लेखकों ने स्वीकार किया था कि उनका आंकलन कई कल्पनाओं तथा मोटे अनुमानों पर आधारित था जिनमें से प्रत्येक को चुनौती दी जा सकती है। इसके पश्चात् देश में परिचालन में काले धन की राशि का अनुमान लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है। काफी समय से काले धन में हो रही वृद्धि के संबंध में कोई प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) काले धन के सृजन के कई मूलभूत कारण हैं जिनमें विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारण शामिल हैं जिनमें से कुछ कर अपवंचन की रोकथाम के लिए प्रत्यक्ष कर कानूनों से बहिर्जात हैं। बेहिसाबी धन सृजन करने वाले अधिकांश संव्यवहार दर्ज नहीं हो पाते हैं जिनके द्वारा काले धन को बाहर लाना मुश्किल होता है। आयकर विभाग देश में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए कई दंडात्मक तथा निवारक कदम उठाता है। इनमें विवरणियों की संवीक्षा, सर्वेक्षण, तलाशी तथा जब्ती कार्रवाई, अर्थदंड अधिरोपण और उचित मामलों में अभियोजन संचालन शामिल है। महत्वपूर्ण कर संबंधी सूचना के एक आधान के रूप में कर सूचना नेटवर्क की स्थापना की गई है। विभिन्न स्रोतों से एकत्र की गई सूचना की मिलान इलेक्ट्रानिक तरीके से भी की जाती है ताकि अधिक से अधिक कर-निर्धारितियों को कर के दायरे में लाया जा सके। आयकर अधिनियम की धारा 206क के उपबंधों के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती किए बिना ब्याज (प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न) के रूप में निवासी को कोई आय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी कतिपय कम्पनियों को तिमाही विवरणियां प्रस्तुत करनी पड़ती हैं।

*[अनुवाद]*

## सौर संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन

**298. श्री वैजयंत पांडा:** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूएस आधारित एसटोनफील्ड रिन्यूवेबल रिसोर्स लिमिटेड की स्थापना पश्चिम बंगाल, राजस्थान तथा देश के अन्य क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संयंत्रों से विद्युत उत्पादन के लिए की गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन संयंत्रों से विद्युत उत्पादन क्षमता में कितना विस्तार होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार को अन्य राज्यों में इस प्रकार के संयंत्र लगाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ( डॉ. फारूख अब्दुल्ला ):** (क) से (घ) मैसर्स एस्टोन फील्ड सोलर प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई, जो एस्टोनफील्ड ग्रुप का एक भाग है, ने सूचित किया है कि कंपनी, पश्चिम बंगाल (5 मेगावाट), हरियाणा (3 मेगावाट), कर्नाटक (10 मेगावाट) और गुजरात (200 मेगावाट) में सौर विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के प्रयासों में लगी हुई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को इस कंपनी से पश्चिम बंगाल में बंकुरा में 5 मेगावाट क्षमता के एक ग्रिड-इंटरएक्टिव सौर विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। कंपनी का अनुमान है कि इस संयंत्र से लगभग 7 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। कंपनी ने उन्हें स्थानीय प्राधिकरणों से प्राप्त कुछ अनापत्तियों (क्लीयरेंस) के संबंध में हाल ही में सूचना प्रस्तुत की है।

## समुद्र तट, वन्य जीव तथा पारिस्थितिकीय पर्यटन का विकास

**299. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में समुद्र तटीय पर्यटन, वन तथा वन्य जीव पर्यटन और पारिस्थितिकीय पर्यटन को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी निधियों का आवंटन किया गया?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री ( कुमारी सैलजा ):** (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर,

गंतव्यों एवं परिपथों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास की योजना के अंतर्गत, समुद्र तटीय पर्यटन, वन तथा वन्य जीव पर्यटन एवं पारिस्थितिकीय पर्यटन सहित पर्यटन उत्पादों के विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।

पिछले तीन वर्षों में पर्यटन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को स्वीकृत समुद्र तट, वन एवं वन्य जीव पर्यटन सहित पर्यटन के विकास के लिए परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

***विवरण***

*वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं*

(लाख रुपये)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2006-07 | | 2007-08 | | 2008-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत परियोजनाओं की सं. | स्वीकृत राशि | स्वीकृत परियोजनाओं की सं. | स्वीकृत राशि | स्वीकृत परियोजनाओं की सं. | स्वीकृत राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 3 | 1540.56 | 9 | 2629.48 | 7 | 9980.58 |
| 2. | असम | 9 | 2453.39 | 5 | 1271.90 | 4 | 2107.61 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 12 | 1887.80 | 10 | 3330.12 | 13 | 3147.20 |
| 4. | बिहार | 2 | 1937.29 | 3 | 1194.75 | 9 | 1798.45 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 16 | 3540.17 | 4 | 1274.09 | 1 | 1133.82 |
| 6. | गोवा | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4314.91 |
| 7. | गुजरात | 7 | 443.65 | 5 | 576.58 | 7 | 2133.66 |
| 8. | हरियाणा | 5 | 1836.16 | 11 | 2260.27 | 7 | 2495.49 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 8 | 1871.00 | 12 | 2286.22 | 9 | 2977.66 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 29 | 5233.82 | 36 | 6851.15 | 25 | 3827.57 |
| 11. | झारखंड | 3 | 956.35 | 7 | 1130.47 | 0 | 0.00 |
| 12. | कर्नाटक | 4 | 1323.89 | 5 | 2004.71 | 4 | 4273.21 |
| 13. | केरल | 18 | 4474.02 | 10 | 3124.31 | 12 | 4269.52 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 10 | 3668.47 | 16 | 3952.66 | 11 | 3141.11 |
| 15. | महाराष्ट्र | 13 | 2839.05 | 5 | 1279.44 | 3 | 4110.05 |
| 16. | मणिपुर | 9 | 939.35 | 5 | 1110.77 | 9 | 2943.84 |
| 17. | मेघालय | 9 | 1435.29 | 2 | 674.40 | 6 | 1238.54 |
| 18. | मिजोरम | 9 | 2613.38 | 5 | 1692.94 | 4 | 318.38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | नागालैंड | 8 | 2340.32 | 21 | 2241.35 | 11 | 2544.66 |
| 20. | उड़ीसा | 13 | 2826.84 | 12 | 2376.30 | 6 | 4115.38 |
| 21. | पंजाब | 13 | 3223.37 | 1 | 397.89 | 3 | 1968.10 |
| 22. | राजस्थान | 8 | 953.84 | 2 | 1554.46 | 8 | 4189.56 |
| 23. | सिक्किम | 13 | 2609.42 | 27 | 6036.48 | 23 | 7076.38 |
| 24. | तमिलनाडु | 11 | 1866.41 | 13 | 2831.80 | 15 | 3595.72 |
| 25. | त्रिपुरा | 4 | 291.27 | 11 | 1110.76 | 6 | 360.94 |
| 26. | उत्तराखंड | 16 | 1907.50 | 5 | 2081.04 | 3 | 4468.72 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 7 | 3329.06 | 7 | 2833.03 | 6 | 3839.64 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 10 | 2978.32 | 12 | 3243.17 | 9 | 3319.33 |
| 29. | अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30. | चंडीगढ़ | 2 | 15.00 | 2 | 20.00 | 5 | 799.11 |
| 31. | दादरा व नगर हवेली | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 24.88 |
| 32. | दिल्ली | 5 | 2400.09 | 7 | 749.08 | 1 | 15.00 |
| 33. | दमन व दीव | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 |
| 34. | लक्षद्वीप | 1 | 7.00 | 1 | 782.73 | 0 | 0.00 |
| 35. | पुडुचेरी | 1 | 500.00 | 6 | 1610.88 | 4 | 252.80 |
| | कुल | 278 | 64242.08 | 277 | 64513.23 | 237 | 90794.32 |

**पवन ऊर्जा उत्पादन**

**300. श्री एन. चेलुवरया स्वामी:**
**श्री जी.एम. सिद्देश्वर:**

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की असीम संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में वर्तमान में कुल पवन ऊर्जा उत्पादन कितना है; और

(घ) सरकार द्वारा पवन ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ( डॉ. फारूख अब्दुल्ला ):** (क) और (ख) 200 वाट प्रति वर्गमीटर या अधिक के पवन विद्युत घनत्व वाले क्षेत्रों के आधार पर और संभाव्यता वाले क्षेत्रों में एक प्रतिशत की दर पर भूमि की उपलब्धता तथा 12 हैक्टेयर प्रति मेगावाट की दर पर भूमि आवश्यकता को मानते हुए देश में कुल पवन विद्युत संभाव्यता 48,500 मेगावाट से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। संभाव्यता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ग) दिनांक 31 मार्च, 2009 तक देश में कुल 10242 मेगावाट पवन विद्युत क्षमता संस्थापित की गई है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(घ) सरकार द्वारा राजकोषीय प्रोत्साहनों जैसे त्वरित मूल्यह्रास, पवन इलैक्ट्रिक जनरेटरों के कुछ संघटकों पर रियायती आयात शुल्क, उत्पाद शुल्क में छूट, पवन विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त आय पर दस वर्ष का करावकाश और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण आदि के माध्यम से देश में पवन ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। संभाव्यता वाले स्थलों की आगे पहचान के लिए मंत्रालय के पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-वैट), चैन्नई द्वारा विस्तृत पवन संसाधन मूल्यांकन सहित तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संभाव्यता वाले राज्यों में पवन ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिमान्य शुल्क दर उपलब्ध कराई जा रही है।

***विवरण I***

*देश में कुल पवन विद्युत संभाव्यता*

| राज्य | कुल संभाव्यता (मेगावाट) |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 8968 |
| गुजरात | 10645 |
| कर्नाटक | 11531 |
| केरल | 1171 |
| मध्य प्रदेश | 1019 |
| महाराष्ट्र | 4584 |
| उड़ीसा | 255 |
| राजस्थान | 4858 |
| तमिलनाडु | 5530 |
| कुल | 48561 |

***विवरण II***

*राज्यवार पवन विद्युत संस्थापित संभाव्यता (दिनांक 31.3.2009 के अनुसार)*

| राज्य | कुल संभाव्यता (मेगावाट) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| आंध्र प्रदेश | 123 |
| गुजरात | 1566 |
| कर्नाटक | 1327 |
| केरल | 27 |
| मध्य प्रदेश | 213 |
| महाराष्ट्र | 1939 |
| राजस्थान | 738 |
| तमिलनाडु | 4305 |
| अन्य | 4 |
| कुल | 10242 |

**बाल अधिकार विधिक प्रकोष्ठ**

**301. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:**
**श्री आनंदराव अडसुल:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के सभी राज्यों में बाल अधिकार विधिक प्रकोष्ठ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा बनाए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश में देखभाल एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों, जिनमें बचाए गए बच्चे तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे शामिल हैं, के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है:

(1) किशोर न्याय हेतु कार्यक्रम;

(2) निराश्रित बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम;

(3) देखभाल एवं संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के कल्याणार्थ स्कीम; तथा

(4) देश के भीतर दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए बच्चों हेतु शिशुगृहों को सहायता की स्कीम।

मंत्रालय ने देश में ऐसे बच्चों के कल्याण तथा पुनर्वास के लिए चालू वित्तीय वर्ष से कार्यान्वयन हेतु ''समेकित बाल संरक्षण स्कीम'' नामक एक नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम भी प्रारंभ की है।

**राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्यान्वयन**

**302. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माओवादी हिंसा से प्रभावित कुछ राज्यों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) का कार्यान्वयन धीमी गति से हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी):** (क) और (ख) कुछ राज्यों में माओवादी हिंसा सहित बहुत से विभिन्न कारणों से आरजीजीवीवाई का कार्यान्वयन की गति धीमी रही। इसके पिछड़ने के मुख्य कारण निम्नवत है:

* विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) की प्राप्ति में विलंब।
* परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक भूमि प्रस्तावों हेतु वन अनापत्ति में विलंब।
* राज्यों के द्वारा 33/11 के वी सब-स्टेशनों के लिए भूमि अधिग्रहण में विलंब।
* टर्नकी ठेकों के कार्यान्वयन के लिए सीमित संख्या में उपलब्ध एजेंसियां
* लाइन सामग्री की कमी और उच्च कीमतें।
* रोड परमिट और रास्ते के बिलों के निर्गमन में विलंब।
* नए कनेक्शन लेने के लिए ग्रामवासियों के बीच जागरूकता की कमी।
* कुछ राज्यों में कमजोर अपस्ट्रीम ग्रामीण विद्युत अवसंरचना।
* कुछ राज्यों के द्वारा बीपीएल सूचियों को अंतिम रूप देने में विलंब।
* कुछ राज्यों के द्वारा ऑन लाईन सामग्रियों पर स्टेट और स्थानीय करों को वेव करने से इंकार करना।
* कुछ राज्यों में कठिन भू-भाग।
* माओवादी सहित कानून और व्यवस्था की समस्या।

(ग) आरजीजीवीवाई के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यों की प्रगति की निगरानी हेतु जिला स्तर पर समितियां गठित करने हेतु राज्यों को सलाह दी गई है। सभी राज्यों ने जिला समितियों के गठन को अधिसूचित कर दिया है।

(2) भारत सरकार और आरजीजीवीवाई के लिए नोडल एजेंसी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्पोरेशन ने भी योजना के कार्यान्वयन को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए सभी पणधारियों को, संबंधित राज्य सरकारों राज्य विद्युत यूटिलिटियों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ नियमित बैठकें की।

(3) परियोजनाओं का तीव्र और प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए उनके कार्य को टर्नकी आधार पर शुरू किये गये हैं।

(4) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों का गुणात्मक निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु आरजीजीवीवाई के अंतर्गत एक त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था लागू की गई है।

(5) निधि प्रवाह को सुचारू बनाया गया है।

(6) मुख्य मंत्रियों से योजना के कार्यान्वयन को तेज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

(7) राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों से योजना के कार्यान्वयन को तेज करने हेतु राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठकों के आयोजन द्वारा राज्य स्तरीय मामलों को सुलझाने के लिए अनुरोध किया गया है।

*[हिन्दी]*

**बाल सुधार गृह**

**303. श्री अशोक कुमार रावत:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बाल सुधार गृहों में प्राय: बच्चों का यौन शोषण किया जाता है तथा उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

**महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री ( श्रीमती कृष्णा तीरथ ):** (क) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को फरवरी, 2008 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से दिल्ली में किशोर गृहों में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के विषय में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। दिल्ली सरकार ने अपनी इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ कहा था कि उन्होंने दिल्ली गेट स्थित लड़कों हेतु प्रेक्षण गृह तथा लड़कों हेतु बाल गृह, कस्तूरबा निकेतन, लाजपत नगर का निरीक्षण किया था। वहां बच्चों ने उनके साथ किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार से इंकार किया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अन्य किसी राज्य से इस बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

## लीड बैंक स्कीम

**304. श्री रायापति सांबासिवा राव:**
**श्री नामा नागेश्वर राव:**
**श्री बाल कुमार पटेल:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा लीड बैंक योजना के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए गठित की गई एक उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमो नारायन मीणा ):** (क) से (ग) वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति की मध्यावधि समीक्षा में की गई घोषणा के अनुससरण में, भारतीय रिजर्व बैंक ने अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) की समीक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की उप-गवर्नर श्रीमती ऊषा थोराट की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट के मसौदे में निष्कर्ष दिया है कि एलबीएस उपयोगी है और इसे जारी रखा जाना आवश्यक है। अन्य बातों के साथ-साथ रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि एलबीएस के दायरे में वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता के लिए पहल तथा सूचना एवं निगरानी संबंधी प्रगति के लिए उन्नत सूचना व्यवस्था शामिल की जानी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने समिति की रिपोर्ट का मसौदा अपनी वेबसाइट (www.rbi.og.in) पर दे दिया है, ताकि इसे अंतिम रूप दिये जाने और कार्यान्वित करने से पहले इस पर टिप्पणियां प्राप्त की जा सकें।

*[हिन्दी]*

## सौर ऊर्जा संयंत्र

**305. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में आज की तिथि के अनुसार राज्य-वार कितने सौर ऊर्जा संयंत्र निर्माणाधीन हैं;

(ख) अब तक प्रत्येक संयंत्र पर कितनी धनराशि का व्यय किया जा चुका है;

(ग) इन संयंत्रों के संयंत्र-वार कब तक चालू हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान ऐसे और अधिक संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ( डॉ. फारूख अब्दुल्ला ):** (क) से (ग) मंत्रालय के एसपीवी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वयनाधीन सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) विद्युत संयंत्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार मंत्रालय को विशिष्ट परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जिन पर मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाता है। वर्ष 2009-10 के दौरान अब तक मंत्रालय द्वारा कोई प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया है।

***विवरण***

*राज्यवार कार्यान्वयनाधीन एसपीवी विद्युत संयंत्र*

*केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) और जारी की गई निधियां लाख रु. में हैं*

| विद्युत संयंत्र संख्या और किवा.पी. | केन्द्रीय वित्तीय सहायता | जारी निधियां | पूर्ण होने की तिथि | अवस्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **छत्तीसगढ़** | | | | |
| 200 × 1 किवा.पी. | 250 | 125 | 30.9.2009 | जनजातीय हॉस्टल |
| 332 × 1 किवा.पी. | 400 | 0 | 30.9.2009 | जनजातीय हॉस्टल |
| 520 किवा.पी. | 650 | 125 | | |
| **गुजरात** | | | | |
| 1000 × 0.45 किवा.पी. | 400 | 200 | 31.3.2010 | दुग्ध संग्राहक केन्द्र |
| 450 किवा.पी. | 400 | 200 | | |
| **हरियाणा** | | | | |
| 21 × 1 | 26.25 | 13.12 | 30.9.2009 | एडीसी कार्यालय |
| 10 × 2.7 | 33.75 | 16.87 | 30.9.2009 | स्कूल |
| 4 × 1 | 5.00 | 2.50 | 30.9.2009 | स्कूल |
| 52 किवा.पी. | 65.00 | 32.50 | | |
| **झारखंड** | | | | |
| 198 × 4.8 किवा.पी. | 1188 | 297 | 30.9.2009 | केजीबीवी स्कीम के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में बालिका हॉस्टल |
| 50 × 5 किवा.पी. | 312.50 | 156.25 | 30.9.2009 | पुलिस स्टेशन |
| 25 × 2.5 किवा.पी. | 78.13 | 39.06 | 30.9.2009 | पुलिस स्टेशन |
| 1263 किवा.पी. | 1578.63 | 297.00 | | |
| **उड़ीसा** | | | | |
| 1 × 3 किवा.पी. | 3.75 | 1.87 | 31.3.2010 | गांव पेकाभाई, जिला सुंदरगढ़ |
| **पंजाब** | | | | |
| 1 × 50 किवा. | 62.50 | 31.25 | 30.9.2009 | न्यायिक अकादमी |
| **हिमाचल प्रदेश** | | | | |
| 1 × 200 किवा. | 254.00 | 127.00 | 30.9.2009 | न्यायिक अकादमी |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| **जम्मू एवं कश्मीर** | | | | |
| 1 × 9.75 | 21.94 | 10.97 | 30.9.2009 | जिला अस्पताल, हीरानगर |
| 1 × 9.75 | 21.94 | 10.97 | 30.9.2009 | जिला अस्पताल, नॉसेरा |
| 1 × 9.75 | 21.94 | 10.97 | 30.9.2009 | जिला अस्पताल, पुंछ |
| 1 × 9.75 | 21.94 | 10.97 | 30.9.2009 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, साम्बा |
| 1 × 9.75 | 21.94 | 10.97 | 30.9.2009 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आर.एस. पुरा |
| 1 × 5 | 11.25 | 5.62 | 30.9.2009 | उप-जिला अस्पताल, गुरेज |
| 1 × 7.5 | 16.88 | 8.44 | 30.9.2009 | उप-जिला अस्पताल, टेंगमार्ग |
| 1 × 5 | 11.25 | 5.63 | 30.9.2009 | उप-जिला अस्पताल, सोगम |
| 1 × 9.9 | 22.27 | 11.14 | 30.9.2009 | उप-जिला अस्पताल, पुलवामा |
| 1 × 7.5 | 16.88 | 8.44 | 30.9.2009 | उप-जिला अस्पताल, कांजीगंड |
| 83.65 | 188.21 | 94.11 | | |
| **लेह जिला** | | | | |
| 1 × 10 किवा.पी. | 22.50 | 5.62 | 31.3.2010 | सामुदायिक सूचना केन्द्र, लेह |
| 1 × 10 किवा.पी. | 22.50 | 5.62 | 31.3.2010 | सामुदायिक सूचना केन्द्र, नुबरा |
| 1 × 10 किवा.पी. | 22.50 | 5.62 | 31.3.2010 | सामुदायिक सूचना केन्द्र, खारू |
| 1 × 10 किवा.पी. | 22.50 | 5.62 | 31.3.2010 | सामुदायिक सूचना केन्द्र, डरबक |
| 1 × 10 किवा.पी. | 22.50 | 5.62 | 31.3.2010 | सामुदायिक सूचना केन्द्र, न्योमा |
| 1 × 10 किवा.पी. | 22.50 | 5.62 | 31.3.2010 | सामुदायिक सूचना केन्द्र, खालत्सी |
| 1 × 5 किवा.पी. | 11.25 | 2.81 | 31.3.2010 | वुमेन्स एलाइंस ऑफ लद्दाख, लेह |
| 1 × 5 किवा.पी. | 11.25 | 2.81 | 31.3.2010 | महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय मेडिटेशन केन्द्र, लेह |
| 1 × 10.4 किवा.पी. | 28.08 | 7.02 | 31.3.2010 | जेवात्सल फोटोंग, लेह |
| 1 × 99 किवा.पी. | 267.3 | 66.83 | 31.3.2010 | गांव कोरजोक |
| 176.9 किवा.पी. | 447.26 | 111.81 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| **कारगिल** | | | | |
| 1 × 40 किवा.पी. | 108.00 | 27.00 | 31.3.2010 | बार्छे |
| 1 × 40 किवा.पी. | 108.00 | 27.00 | 31.3.2010 | सालिस्कोट |
| 1 × 40 किवा.पी. | 108.00 | 27.00 | 31.3.2010 | स्टकछे खंगराल |
| 1 × 40 किवा.पी. | 108.00 | 27.00 | 31.3.2010 | गोशन ड्रास |
| 1 × 40 किवा.पी. | 108.00 | 27.00 | 31.3.2010 | पीपिटिंग जंस्कर |
| 1 × 40 किवा.पी. | 108.00 | 27.00 | 31.3.2010 | बइमा युरबालटेक |
| 1 × 40 किवा.पी. | 108.00 | 27.00 | 31.3.2010 | लेहलुंग |
| 1 × 40 किवा.पी. | 108.00 | 27.00 | 31.3.2010 | खांडियाल ड्रास |
| 1 × 40 किवा.पी. | 108.00 | 27.00 | 30.9.2009 | अमजेट शाकर |
| 400 किवा.पी. | 1080.00 | 270.00 | | |
| **उत्तराखंड** | | | | |
| 290 × 80 डब्ल्यू.पी. | 54.52 | 27.26 | 31.1.2010 | दुग्ध संग्राहक केन्द्र |
| 23.2 किवा.पी. | 54.52 | 27.26 | | |

*[अनुवाद]*

**ग्रामीण विकास योजनाएं**

306. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः**
**श्री अधीर चौधरीः**
**श्री टी.आर. बालूः**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास और गरीबी उपशमन योजनाओं के तहत योजना-वार और राज्य-वार राज्यों को संस्वीकृत/जारी तथा उनके द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक योजना के तहत प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक योजना के तहत लाभान्वित होने वाले गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या इन योजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में हुए सुधार का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन/समीक्षा की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इन योजनाओं के उचित कार्यान्वयन के लिए किस निगरानी तंत्र की स्थापना की गई है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन):** (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से ग्रामीण विकास तथा गरीबी उपशमन की अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उपशमन तथा रोजगार सृजन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शामिल हैं। मंत्रालय की इंदिरा आवास योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम तथा संपूर्ण स्वच्छता अभियान जैसी अन्य योजनाएं भी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने तथा क्षेत्र विकास के लिए चलाई जा रही हैं। विगत तीन वर्षों अर्थात 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09

तथा चालू वर्ष 2009-10 (मई, 2009 तक) के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए), संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), (सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम तथा समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) तथा संपूर्ण स्वच्छता अभियान के दौरान राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय रिलीज, उपयोग में लाई गई धनराशि तथा उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) एनआरईजीए मांग आधारित कार्यक्रम है और इसीलिए इसके लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) तथा गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) दोनों परिवारों के हैं। एसजीएसवाई तथा आईएवाई के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार ही लाभार्थी हैं। टीएससी के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(घ) और (ङ) ग्रामीण विकास योजनाओं का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र अनुसंधान एजेंसियों के माध्यम से करवाए गए अनेक अध्ययनों से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार का पता चलता है।

(च) मंत्रालय ने अपने कार्यक्रमों की निगरानी के लिए एक व्यापक बहु-स्तरीय तथा बहु-उद्देश्यीय प्रणाली बनाई है। निगरानी के साधनों में जिलेवार आंकड़ा प्रबंधन, आवधिक प्रगति रिपोर्टें/ विवरणियां, क्षेत्र अधिकारी योजनाएं, उपयोग प्रमाण पत्र/लेखा-परीक्षा रिपोर्टें, केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा समीक्षा, निष्पादन समीक्षा समिति, राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता तथा राज्य और जिला स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समितियां इत्यादि शामिल हैं। ई-प्रशासन प्रक्रिया का उपयोग करके भी निगरानी की जाती है।

***विवरण***

*वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक एनआरईजीए का वित्तीय एवं वास्तविक निष्पादन*

| क्र.सं. | राज्य | 2006-07 | | | 2007-08 | | | 2008-09 | | | 2009-10 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सृजित श्रम दिवस (लाख में) | केन्द्रीय रिलीज (लाख में) | व्यय (लाख रु.) | सृजित श्रम दिवस (लाख में) | केन्द्रीय रिलीज (लाख में) | व्यय (लाख रु.) | सृजित श्रम दिवस (लाख में) | केन्द्रीय रिलीज (करोड़ में) | व्यय (करोड़ रु.) | सृजित श्रम दिवस (करोड़ में) | केन्द्रीय रिलीज (करोड़ में) | व्यय (करोड़ रु.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 678.77 | 102541.43 | 68020.32 | 2010.28 | 137105.40 | 208374.75 | 2735.45 | 3219.10 | 2963.90 | 613.00 | 914.38 | 609.28 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 4.53 | 1450.85 | 221.34 | 2.79 | 1265.38 | 303.9 | 25.71 | 29.49 | 23.55 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 3. | असम | 572.92 | 26550.85 | 59252.93 | 487.61 | 52175.01 | 54914.93 | 751.07 | 958.72 | 953.80 | 181.44 | 132.59 | 234.48 |
| 4. | बिहार | 596.87 | 54831.38 | 71276.16 | 843.03 | 46707.83 | 105222.66 | 991.75 | 1388.19 | 1316.48 | 165.19 | 178.14 | 245.21 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 700.21 | 71850.74 | 66882.16 | 1316.11 | 114415.71 | 140183.2 | 1243.18 | 1664.49 | 1434.48 | 166.26 | 204.18 | 179.63 |
| 6. | गुजरात | 100.48 | 7433.94 | 8585.03 | 90.06 | 5915.71 | 8184.24 | 213.07 | 164.19 | 196.15 | 59.02 | 134.66 | 44.07 |
| 7. | हरियाणा | 24.12 | 3589.39 | 3594.67 | 35.76 | 4840.97 | 5235.01 | 69.11 | 136.57 | 109.88 | 6.05 | 13.13 | 5.67 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 29.9 | 4667.64 | 3940.12 | 97.53 | 12754.06 | 12564.88 | 205.28 | 409.75 | 332.28 | 24.46 | 65.38 | 45.22 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 32.3 | 4136.37 | 3454.44 | 36.80 | 7071.37 | 4200.26 | 78.80 | 104.73 | 87.72 | 9.80 | 38.66 | 4.82 |
| 10. | झारखंड | 520.47 | 55854.59 | 71155.13 | 747.54 | 65069.07 | 106253.85 | 749.97 | 1805.80 | 1341.72 | 80.24 | 214.41 | 130.85 |
| 11. | कर्नाटक | 222.01 | 24850.69 | 24829.67 | 197.78 | 25298.49 | 23650.54 | 287.64 | 398.51 | 357.87 | 32.33 | 115.74 | 40.32 |
| 12. | केरल | 20.48 | 3739.51 | 2789.73 | 60.75 | 6900.55 | 8336.83 | 153.75 | 198.87 | 224.55 | 15.30 | 137.34 | 21.10 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 1971.77 | 190944.20 | 186268.63 | 2753.01 | 260279.82 | 289172.6 | 2946.97 | 4061.12 | 3551.67 | 571.12 | 1001.94 | 749.55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | महाराष्ट्र | 159.28 | 21815.64 | 17461.18 | 184.86 | 2923.75 | 18907.21 | 419.85 | 187.56 | 356.65 | 97.22 | 76.93 | 91.10 |
| 15. | मणिपुर | 18.57 | 1692.89 | 2025.5 | 48.32 | 6184.13 | 6276.15 | 285.62 | 365.41 | 320.90 | 5.50 | 59.25 | 11.70 |
| 16. | मेघालय | 24.22 | 3224.68 | 2111.85 | 41.33 | 5918.73 | 5091.18 | 86.31 | 78.03 | 89.49 | 7.58 | 31.33 | 8.23 |
| 17. | मिजोरम | 7.85 | 2023.90 | 1643.11 | 31.53 | 3343.49 | 4200.7 | 125.82 | 151.94 | 164.56 | 14.15 | 68.59 | 3.52 |
| 18. | नागालैंड | 13.08 | 910.11 | 1457.62 | 24.31 | 4399.59 | 2397.57 | 202.70 | 268.06 | 272.31 | 15.36 | 84.21 | 18.15 |
| 19. | उड़ीसा | 799.34 | 78380.49 | 73346.62 | 405.23 | 53695.69 | 57956.9 | 403.75 | 878.44 | 599.34 | 22.79 | 82.74 | 18.35 |
| 20. | पंजाब | 15.57 | 3445.75 | 2500.21 | 19.15 | 2972.32 | 3004.29 | 39.89 | 67.75 | 72.05 | 2.58 | 12.37 | 5.39 |
| 21. | राजस्थान | 998.87 | 78041.00 | 69306.14 | 1678.38 | 105600.20 | 147733.72 | 4829.55 | 6521.57 | 6164.40 | 1004.82 | 2080.54 | 1196.80 |
| 22. | सिक्किम | 2.42 | 691.50 | 261.89 | 8.60 | 629.75 | 1185.76 | 26.34 | 40.97 | 41.49 | 1.97 | 18.62 | 6.35 |
| 23. | तमिलनाडु | 182.79 | 18409.21 | 15163.63 | 645.25 | 51609.09 | 51642.38 | 1203.59 | 1401.27 | 1004.06 | 328.52 | 177.00 | 263.24 |
| 24. | त्रिपुरा | 50.13 | 2754.66 | 4507.68 | 181.05 | 17016.45 | 20860.34 | 351.12 | 460.37 | 490.77 | 12.09 | 144.11 | 17.32 |
| 25. | उत्तर प्रदेश | 822.91 | 56914.69 | 77967.46 | 1363.05 | 166589.89 | 189825.13 | 2278.39 | 3933.90 | 3582.82 | 238.55 | 1260.82 | 388.74 |
| 26. | उत्तराखंड | 40.6 | 4470.60 | 4849.7 | 80.34 | 11003.65 | 9575.01 | 104.33 | 101.16 | 135.79 | 10.08 | 64.77 | 15.63 |
| 27. | पश्चिम बंगाल | 440.08 | 38868.84 | 39462.63 | 968.77 | 88262.88 | 100434.62 | 786.61 | 922.75 | 940.38 | 202.85 | 373.60 | 216.02 |
| 28. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | | | | | 135.00 | | 1.00 | 7.03 | 3.28 | 0.30 | 0.00 | 0.64 |
| 29. | दादरा व नगर हवेली | | | | | 45.00 | | 0.48 | 0.45 | 0.01 | 0.20 | 0.00 | 0.52 |
| 30. | दमन व दीव | | | | | 90.00 | | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31. | गोवा | | | | | 114.00 | | 0.00 | 6.18 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 32. | लक्षद्वीप | | | | | 45.00 | | 1.82 | 2.62 | 1.79 | 0.18 | 0.00 | 0.34 |
| 33. | पुडुचेरी | | | | | 45.00 | | 1.64 | 4.19 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34. | चंडीगढ़ | | | | | 45.00 | | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | कुल | 9050.56 | 864085.54 | 882335.548 | 14359.22 | 1260467.98 | 1585688.6 | 21600.57 | 29939.60 | 27137.88 | 3889.06 | 7685.43 | 4572.48 |

*सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एमजीआरवाई) राज्यवार वित्तीय एवं वास्तविक निष्पादन*

(लाख रु.)

| क्र.सं. | राज्य | 2006-07 | | | | 2007-08 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | केन्द्रीय आवंटन | केन्द्रीय रिलीज | व्यय | सृजित रोजगार (लाख श्रमदिवस में) | केन्द्रीय आवंटन | केन्द्रीय रिलीज | व्यय | सृजित रोजगार (लाख श्रमदिवस में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 10903.95 | 13545.64 | 12136.7 | 136.40 | 3434.48 | 2060.69 | 3832.84 | 62.05 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1403.65 | 842.20 | 1006.8 | 11.74 | 1196.71 | 718.04 | 156.79 | 20.47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | असम | 25385.99 | 29847.28 | 42240.89 | 632.35 | 19772.91 | 11863.75 | 19054.06 | 334.13 |
| 4. | बिहार | 21299.37 | 20462.40 | 22379.82 | 192.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 4937.19 | 6089.13 | 7040.38 | 83.58 | 1130.76 | 678.46 | 1097.98 | 22.85 |
| 6. | गोवा | 417.64 | 250.58 | 393.63 | 2.64 | 417.64 | 0.00 | 5.57 | 1.39 |
| 7. | गुजरात | 8741.19 | 10724.36 | 11793.11 | 104.78 | 7086.26 | 4251.76 | 5988.85 | 89.57 |
| 8. | हरियाणा | 6048.66 | 7552.28 | 8497.4 | 73.99 | 5416.94 | 4868.23 | 5089.43 | 66.95 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 2296.24 | 1948.24 | 2600.57 | 24.32 | 1534.07 | 1019.28 | 1134.51 | 12.74 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 2628.03 | 3252.59 | 3745.79 | 29.18 | 2034.65 | 1368.83 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | झारखंड | 3338.58 | 4173.94 | 4694.11 | 40.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | कर्नाटक | 16224.75 | 19871.61 | 22698.15 | 310.51 | 11927.77 | 7156.67 | 9382.28 | 90.14 |
| 13. | केरल | 8116.5 | 9618.09 | 9356.48 | 53.38 | 6706.98 | 4024.19 | 2220.98 | 69.15 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 16854.62 | 20402.84 | 23650.21 | 267.72 | 9256.61 | 7472.95 | 9831.28 | 147.15 |
| 15. | महाराष्ट्र | 25703.73 | 31832.03 | 33788.58 | 412.54 | 16922.17 | 12052.97 | 8367.72 | 203.12 |
| 16. | मणिपुर | 2403.18 | 2179.95 | 2746.06 | 32.30 | 1854.67 | 1112.80 | 19.22 | 0.17 |
| 17. | मेघालय | 1946.47 | 1753.09 | 2656.29 | 34.67 | 723.57 | 225.78 | 297.78 | 17.82 |
| 18. | मिजोरम | 556.39 | 688.66 | 772.02 | 14.20 | 358.17 | 214.90 | 247.03 | 6.02 |
| 19. | नागालैंड | 1752.72 | 1356.43 | 823.35 | 13.60 | 918.47 | 551.08 | 517.52 | 11.35 |
| 20. | उड़ीसा | 9623.95 | 11931.45 | 13222.67 | 183.61 | 4691.19 | 2814.72 | 3495.53 | 74.17 |
| 21. | पंजाब | 6753.65 | 4416.73 | 8401.81 | 44.19 | 5239.88 | 3143.95 | 4268.27 | 31.65 |
| 22. | राजस्थान | 12542.23 | 15960.83 | 19338.04 | 162.76 | 9439.21 | 5663.52 | 10260.53 | 131.03 |
| 23. | सिक्किम | 562.78 | 703.59 | 814.81 | 10.53 | 181.88 | 109.13 | 68.30 | 1.38 |
| 24. | तमिलनाडु | 18850.46 | 23561.42 | 26802.5 | 239.73 | 15960.80 | 15643.08 | 17544.93 | 251.32 |
| 25. | त्रिपुरा | 3820.26 | 4324.16 | 4967.27 | 77.54 | 870.73 | 522.44 | 727.63 | 12.12 |
| 26. | उत्तराखंड | 4920.58 | 6123.38 | 6901.34 | 86.64 | 3757.88 | 2464.72 | 2926.35 | 65.63 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 56504.34 | 68935.32 | 72199.55 | 797.53 | 32876.49 | 23436.30 | 26884.25 | 324.74 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 15660.57 | 14439.59 | 19453.23 | 165.95 | 780.38 | 606.26 | 589.57 | 8.57 |
| 29. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 274.01 | 0.00 | 19.36 | 0.27 | 274.01 | 0.00 | 5.61 | 0.14 |
| 30. | दादरा व नगर हवेली | 180.4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 180.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | दमन व दीव | 87.44 | 0.00 | 0 | 0.00 | 87.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32. | लक्षद्वीप | 137.05 | 129.55 | 13.2 | 0.15 | 137.05 | 82.23 | 0.00 | 0.69 |
| 33. | पुडुचेरी | 277.74 | 166.64 | 198.58 | 0.59 | 277.74 | 100.00 | 64.22 | 0.40 |
| | कुल | 291154.31 | 337084.00 | 385352.69 | 4241.10 | 165447.91 | 114226.73 | 134079.03 | 2056.91 |

*वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक (मई 09 तक) के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत राज्यवार वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति*

(लाख रु.)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2006-07 | | | | 2007-08 | | | | 2008-09 | | | | 2009-10 (मई, 09) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | केन्द्रीय आवंटन | केन्द्रीय रिलीज | उपयोग | सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की कुल संख्या | केन्द्रीय आवंटन | केन्द्रीय रिलीज | उपयोग | सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की कुल संख्या | केन्द्रीय आवंटन | केन्द्रीय रिलीज | उपयोग | सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की कुल संख्या | केन्द्रीय आवंटन | केन्द्रीय रिलीज | उपयोग | सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की कुल संख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 5885.70 | 5885.67 | 9010.51 | 638843 | 8980.19 | 8962.95 | 12376.54 | 263615 | 10616.38 | 10613.51 | 12387.32 | 18837 | 10887.00 | 4354.80 | 481.42 | 11886 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 282.45 | 125.36 | 215.00 | 1878 | 498.44 | 307.66 | 198.90 | 1599 | 609.20 | 373.78 | 178.98 | 774 | 568.00 | 98.84 | 11.86 | 106 |
| 3. | असम | 7339.07 | 7217.03 | 9156.20 | 67587 | 12951.32 | 13565.96 | 15080.79 | 100261 | 15829.39 | 17568.00 | 18765.16 | 142728 | 14750.00 | 5900.00 | 1173.96 | 13058 |
| 4. | बिहार | 13998.30 | 11613.93 | 15523.33 | 109350 | 21363.17 | 10434.17 | 15114.73 | 100159 | 25255.54 | 23585.90 | 20168.92 | 127226 | 25899.00 | 7746.52 | 3892.16 | 7102 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 3109.61 | 3093.97 | 4677.29 | 33669 | 4744.20 | 4735.78 | 6529.53 | 44914 | 5608.59 | 5608.59 | 6919.11 | 46542 | 5752.00 | 2300.80 | 394.16 | 2120 |
| 6. | गोवा | 50.00 | 50.00 | 61.50 | 711 | 75.00 | 65.83 | 65.99 | 735 | 125.00 | 81.98 | 79.43 | 592 | 150.00 | 42.36 | 8.74 | 34 |
| 7. | गुजरात | 2216.70 | 2208.34 | 2846.60 | 27237 | 3380.31 | 3345.82 | 4351.63 | 45189 | 3996.20 | 3996.20 | 5179.56 | 41728 | 4098.00 | 1639.20 | 194.18 | 3779 |
| 8. | हरियाणा | 1304.92 | 1304.92 | 1857.92 | 14158 | 1988.70 | 1988.71 | 2685.00 | 19891 | 2351.04 | 2351.04 | 2997.98 | 20639 | 2411.00 | 964.40 | 143.95 | 836 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 548.73 | 517.66 | 630.01 | 5905 | 837.51 | 706.32 | 854.83 | 7764 | 990.11 | 989.45 | 1325.12 | 11863 | 1015.00 | 402.53 | 36.73 | 318 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 679.13 | 591.21 | 864.95 | 8219 | 1036.54 | 784.51 | 933.71 | 6818 | 1225.40 | 1084.41 | 879.40 | 6990 | 1257.00 | 302.16 | 11.55 | 119 |
| 11. | झारखंड | 5278.02 | 4736.81 | 6037.02 | 69077 | 8054.92 | 7507.84 | 8138.72 | 77168 | 9522.53 | 9374.22 | 9974.35 | 83103 | 9766.00 | 3906.40 | 408.13 | 2076 |
| 12. | कर्नाटक | 4445.01 | 4185.34 | 5723.25 | 46407 | 6781.32 | 6592.64 | 9879.54 | 95409 | 8016.88 | 8003.12 | 10414.87 | 99950 | 8221.00 | 3288.40 | 239.19 | 5951 |
| 13. | केरल | 1995.54 | 1985.02 | 2717.76 | 22401 | 3042.76 | 3041.20 | 3932.09 | 39683 | 3597.15 | 3597.15 | 4721.34 | 43784 | 3689.00 | 1475.60 | 245.77 | 2792 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 6664.05 | 6566.78 | 9316.78 | 59781 | 10167.06 | 9964.64 | 13182.35 | 73091 | 12019.50 | 12018.27 | 16858.66 | 99200 | 12325.00 | 4930.00 | 735.90 | 11413 |
| 15. | महाराष्ट्र | 8784.83 | 8740.87 | 12608.68 | 84707 | 13405.01 | 13117.90 | 18237.64 | 119344 | 15848.40 | 15730.36 | 21571.10 | 154647 | 16251.00 | 6500.40 | 1332.13 | 9188 |
| 16. | मणिपुर | 492.01 | 184.35 | 218.57 | 3560 | 868.24 | 180.39 | 217.54 | 3144 | 1061.19 | 351.58 | 264.16 | 3640 | 989.00 | 0.00 | 12.26 | 148 |
| 17. | मेघालय | 551.23 | 308.92 | 366.38 | 3328 | 972.76 | 449.68 | 531.38 | 3419 | 1188.92 | 249.50 | 245.65 | 2195 | 1108.00 | 32.20 | 45.94 | 1125 |
| 18. | मिजोरम | 127.56 | 125.14 | 139.56 | 11856 | 225.10 | 247.17 | 256.97 | 5830 | 275.12 | 270.99 | 352.29 | 8748 | 256.00 | 102.40 | 21.02 | 7381 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | नागालैंड | 378.12 | 234.97 | 272.37 | 3273 | 667.26 | 423.41 | 148.42 | 2259 | 815.54 | 635.55 | 298.29 | 3205 | 760.00 | 304.00 | 0.00 | 0 |
| 20. | उड़ीसा | 6729.73 | 6724.76 | 8611.11 | 68687 | 10271.49 | 10036.46 | 11694.96 | 87171 | 12141.96 | 12132.09 | 14818.29 | 126206 | 12453.00 | 4981.19 | 60.96 | 10059 |
| 21. | पंजाब | 635.23 | 633.02 | 1103.27 | 10532 | 966.49 | 922.89 | 1316.40 | 15402 | 1142.58 | 1130.30 | 1109.00 | 13109 | 1172.00 | 468.79 | 112.51 | 2305 |
| 22. | राजस्थान | 3375.71 | 3222.55 | 4825.90 | 38445 | 5149.28 | 5072.68 | 6054.31 | 50351 | 6087.48 | 6087.47 | 7549.05 | 58495 | 6643.00 | 2497.21 | 179.18 | 3800 |
| 23. | सिक्किम | 141.22 | 141.22 | 211.35 | 1397 | 249.22 | 224.73 | 282.19 | 1718 | 304.60 | 346.24 | 316.77 | 1689 | 284.00 | 113.60 | 0.00 | 0 |
| 24. | तमिलनाडु | 5204.41 | 5204.41 | 7342.13 | 53509 | 7940.46 | 7940.45 | 10807.08 | 152907 | 9387.22 | 9387.24 | 12055.51 | 113097 | 9627.00 | 3850.79 | 360.57 | 16521 |
| 25. | त्रिपुरा | 888.34 | 1137.37 | 1205.83 | 9551 | 1567.66 | 1740.85 | 2340.01 | 13672 | 1916.04 | 1897.58 | 2472.55 | 23847 | 1785.00 | 714.00 | 58.69 | 945 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 20152.62 | 19901.38 | 26142.53 | 257577 | 30755.63 | 29995.93 | 36606.60 | 292105 | 36359.30 | 36301.78 | 40455.09 | 319568 | 37286.00 | 14914.40 | 2311.91 | 18257 |
| 27. | उत्तराखंड | 1061.01 | 1061.01 | 1399.53 | 10564 | 1619.24 | 1618.59 | 2004.98 | 13482 | 1914.26 | 1914.26 | 2305.16 | 18044 | 1963.00 | 785.21 | 32.16 | 282 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 7480.75 | 6201.87 | 9165.29 | 28251 | 11414.72 | 9896.13 | 12645.70 | 60736 | 13494.48 | 13066.81 | 13735.25 | 99905 | 13839.00 | 4898.45 | 717.86 | 3617 |
| 29. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 25.00 | 0.00 | 6.10 | 108 | 25.00 | 6.25 | 5.38 | 195 | 25.00 | 0.00 | 8.18 | 243 | 25.00 | 0.00 | 2.33 | 72 |
| 30. | दमन व दीव | 25.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 25.00 | 0.00 | | 0 | 25.00 | 0.00 | | 0 | 25.00 | 0.00 | | 0 |
| 31. | दादरा व नगर हवेली | 25.00 | 12.50 | 3.09 | 23 | 25.00 | 0.00 | | 0 | 25.00 | 0.00 | 2.04 | 24 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 32. | लक्षद्वीप | 25.00 | 0.00 | 5.07 | 42 | 25.00 | 0.00 | 25.33 | 177 | 25.00 | 12.50 | 0.00 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 33. | पुडुचेरी | 100.00 | 100.00 | 154.19 | 1293 | 150.00 | 150.00 | 98.25 | 1087 | 200.00 | 200.00 | 131.41 | 1257 | 250.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| | कुल | 110000.00 | 104016.37 | 142419.56 | 1691926 | 170224.00 | 154027.54 | 196597.47 | 1699295 | 202000.00 | 198959.87 | 228539.96 | 1861875 | 205154.00 | 77614.63 | 13225.20 | 135290 |

*पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष अर्थात् 2006-07, 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत केन्द्रीय आवंटन, निधियों का उपयोग तथा निर्मित मकानों का राज्यवार ब्यौरा*

(लाख रु.)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2006-07 | | | | 2007-08 | | | | 2008-09 | | | | 2009-10 (मई, 09) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | केन्द्रीय आवंटन | केन्द्रीय रिलीज | निधियों का उपयोग | निर्मित/ उन्नयित मकानों की संख्या | केन्द्रीय आवंटन | केन्द्रीय रिलीज | निधियों का उपयोग | निर्मित/ उन्नयित मकानों की संख्या | केन्द्रीय आवंटन | केन्द्रीय रिलीज | निधियों का उपयोग | निर्मित/ उन्नयित मकानों की संख्या | केन्द्रीय आवंटन | केन्द्रीय रिलीज | निधियों का उपयोग | निर्मित/ उन्नयित मकानों की संख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 25939.15 | 26089.14 | 33784.76 | 146403 | 36027.75 | 36201.00 | 46838.96 | 194861 | 50434.77 | 82082.90 | 89937.81 | 266654 | 75900.82 | 30360.33 | 36247.26 | 76342 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1018.68 | 1056.18 | 1023.40 | 4600 | 1395.30 | 1874.15 | 1332.72 | 6422 | 1954.81 | 3483.08 | 2775.45 | 7046 | 2935.66 | 1159.12 | 81.89 | 484 |
| 3. | असम | 22525.46 | 22544.21 | 36388.67 | 125441 | 30853.66 | 32429.53 | 43346.70 | 150776 | 43225.67 | 68352.61 | 62704.10 | 112706 | 64914.87 | 24996.96 | 9014.98 | 12824 |
| 4. | बिहार | 76565.57 | 77769.32 | 124880.81 | 349053 | 106344.49 | 95693.97 | 149428.60 | 430864 | 148870.28 | 239781.53 | 215436.08 | 484197 | 224039.39 | 78560.80 | 51800.18 | 118837 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 4011.28 | 4011.28 | 5334.44 | 20818 | 5571.39 | 5571.39 | 7913.32 | 30093 | 7799.32 | 15849.04 | 10733.47 | 30023 | 11737.44 | 4694.98 | 941.73 | 383 |
| 6. | गोवा | 159.77 | 135.45 | 196.06 | 1115 | 221.90 | 188.12 | 109.81 | 735 | 310.64 | 289.24 | 398.37 | 586 | 467.49 | 130.05 | 68.44 | 342 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | गुजरात | 12721.14 | 12721.15 | 15443.63 | 65195 | 17668.82 | 17668.82 | 24229.87 | 110908 | 24734.35 | 35837.53 | 33836.84 | 122412 | 37223.48 | 14148.90 | 3142.90 | 8374 |
| 8. | हरियाणा | 1786.06 | 1762.99 | 2707.97 | 10375 | 2480.72 | 2480.72 | 3666.61 | 13398 | 3472.72 | 5031.21 | 5355.34 | 13281 | 5226.21 | 2090.48 | 419.00 | 1929 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 629.95 | 629.95 | 907.53 | 3317 | 874.96 | 874.96 | 1150.25 | 4029 | 1224.84 | 1805.54 | 2360.58 | 4715 | 1843.31 | 700.03 | 38.11 | 280 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 1956.67 | 1885.71 | 2381.15 | 10667 | 2717.68 | 2717.68 | 2957.88 | 15361 | 3804.44 | 7128.93 | 3938.54 | 13211 | 5725.42 | 1936.61 | 298.47 | 1956 |
| 11. | झारखंड | 6829.31 | 6054.58 | 11782.16 | 57246 | 9485.46 | 9485.46 | 11861.43 | 45936 | 13278.58 | 29692.35 | 16379.73 | 53317 | 19983.33 | 7993.33 | 1430.17 | 5528 |
| 12. | कर्नाटक | 9993.64 | 9993.64 | 12140.71 | 49088 | 13880.51 | 13880.51 | 13473.46 | 39990 | 19431.14 | 28209.02 | 21783.70 | 87051 | 29242.52 | 11697.01 | 4507.60 | 15995 |
| 13. | केरल | 5557.39 | 5557.40 | 7062.58 | 30817 | 7718.85 | 7718.85 | 10186.83 | 37094 | 10805.52 | 15655.73 | 15190.55 | 53133 | 16261.55 | 6504.62 | 1354.28 | 3024 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 7977.69 | 7996.44 | 13024.53 | 54544 | 11080.48 | 11201.37 | 15072.08 | 60222 | 15511.42 | 23436.36 | 40829.83 | 74651 | 23343.61 | 8684.68 | 2316.06 | 11773 |
| 15. | महाराष्ट्र | 15643.12 | 16097.35 | 24512.90 | 78427 | 21727.25 | 21914.89 | 35597.33 | 126117 | 30415.70 | 47024.34 | 54559.10 | 118611 | 45773.50 | 17270.20 | 7055.99 | 10877 |
| 16. | मणिपुर | 884.26 | 662.34 | 784.14 | 3460 | 1211.19 | 837.46 | 803.66 | 3379 | 1696.87 | 1640.08 | 425.40 | 514 | 2548.30 | 913.58 | 0.00 | 0 |
| 17. | मेघालय | 1540.07 | 750.95 | 1189.73 | 4183 | 2109.47 | 590.62 | 598.18 | 2271 | 2955.34 | 2138.36 | 2111.21 | 5590 | 4438.24 | 337.73 | 41.67 | 2790 |
| 18. | मिजोरम | 328.20 | 294.27 | 410.53 | 2178 | 449.55 | 451.92 | 494.30 | 1918 | 629.81 | 1250.85 | 1528.75 | 5179 | 945.84 | 378.34 | 5.31 | 15 |
| 19. | नागालैंड | 1019.11 | 634.89 | 1069.52 | 6321 | 1395.90 | 1240.58 | 1338.66 | 7491 | 1955.65 | 3959.18 | 5498.61 | 24717 | 2936.92 | 1174.77 | 1325.18 | 5756 |
| 20. | उड़ीसा | 15042.66 | 15042.66 | 21534.98 | 81345 | 20893.26 | 20280.02 | 34394.63 | 140853 | 29248.20 | 46082.17 | 25709.24 | 62447 | 44016.50 | 13013.65 | 701.84 | 619 |
| 21. | पंजाब | 2208.83 | 1544.07 | 1932.32 | 8250 | 3067.91 | 3067.91 | 3699.49 | 17992 | 4294.73 | 6204.31 | 4380.13 | 12189 | 6463.27 | 2150.88 | 80.20 | 1594 |
| 22. | राजस्थान | 6392.56 | 6617.51 | 9351.73 | 33397 | 8878.84 | 8888.57 | 11330.47 | 42517 | 12429.38 | 18111.46 | 20453.65 | 52654 | 18705.35 | 6497.55 | 1163.46 | 3886 |
| 23. | सिक्किम | 194.91 | 194.92 | 387.85 | 1554 | 266.97 | 230.71 | 320.14 | 1533 | 374.02 | 578.85 | 685.60 | 1774 | 561.69 | 224.68 | 0.00 | 0 |
| 24. | तमिलनाडु | 10385.44 | 10385.44 | 20434.91 | 27919 | 14424.69 | 14424.69 | 20091.19 | 103379 | 20192.94 | 29414.38 | 33943.24 | 94675 | 30388.96 | 12155.58 | 9135.58 | 1449 |
| 25. | त्रिपुरा | 1984.31 | 3357.26 | 2531.71 | 10612 | 2717.96 | 2745.03 | 5361.62 | 12945 | 3807.83 | 6696.99 | 6343.68 | 26389 | 5718.48 | 2287.39 | 1944.68 | 0 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 34390.12 | 34445.43 | 42750.32 | 165469 | 47765.59 | 46720.92 | 69977.30 | 264296 | 66866.42 | 97568.50 | 107097.03 | 266962 | 100629.31 | 39657.89 | 12117.04 | 20896 |
| 27. | उत्तराखंड | 1724.11 | 1714.48 | 3221.45 | 17239 | 2394.68 | 2394.68 | 3654.45 | 18766 | 3352.28 | 4856.72 | 4242.68 | 11874 | 5044.94 | 1775.56 | 57.31 | 186 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 20750.10 | 20745.29 | 28051.07 | 128838 | 28820.51 | 26044.64 | 27092.16 | 107575 | 40345.46 | 57212.41 | 45393.87 | 126016 | 60717.10 | 20020.95 | 3502.52 | 17160 |
| 29. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 328.99 | 0.00 | 12.87 | 62 | 456.94 | 312.73 | 52.65 | 297 | 639.67 | 92.55 | 74.30 | 124 | 962.66 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30. | दादरा व नगर हवेली | 54.82 | 0.00 | 25.92 | 77 | 76.13 | 38.07 | 2.16 | 121 | 106.58 | 53.29 | 16.65 | 41 | 160.40 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 31. | दमन व दीव | 24.52 | 0.00 | 1.86 | 8 | 34.06 | 0.00 | 0.56 | 12 | 47.68 | 0.00 | 0.00 | 0 | 71.75 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 32. | लक्षद्वीप | 21.26 | 21.26 | 34.88 | 88 | 29.54 | 29.54 | 34.64 | 97 | 41.34 | 59.88 | 73.54 | 190 | 62.21 | 0.00 | 1.93 | 0 |
| 33. | पुडुचेरी | 163.86 | 37.50 | 45.36 | 261 | 227.59 | 37.50 | 42.19 | 101 | 318.60 | 0.00 | 16.46 | 42 | 479.48 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | कुल | 290753.00 | 290753.06 | 425342.45 | 1498367 | 403270.00 | 388237.01 | 546454.30 | 1992349 | 564577.00 | 879579.39 | 834213.53 | 2132971 | 849470.00 | 311516.65 | 148793.78 | 323299 |

*वर्ष 2006-07 से 2009-10 (मई, 2009 तक) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत राज्यवार एवं वर्ष-वार आवंटन, रिलीज, व्यय और पूरी की गई लंबाई*

आवंटन, रिलीज एवं व्यय (करोड़ रु.) लंबाई (कि.मी. में)

| क्र.सं. | राज्य | 2006-07 | | | | 2007-08 | | | | 2008-09 | | | | 2009-10 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवंटन | रिलीज | व्यय | पूरी की गई लं. | आवंटन | रिलीज | व्यय | पूरी की गई लं. | आवंटन | रिलीज | व्यय | पूरी की गई लं. | रिलीज | व्यय | पूरी की गई लं. |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 100.00 | 155.09 | 265.27 | 2194.94 | 105.00 | 316.57 | 381.89 | 1656.80 | 105.00 | 470.60 | 494.47 | 1885.00 | 200.00 | 31.19 | 51.00 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 52.00 | 54.22 | 64.15 | 272.05 | 57.00 | 102.03 | 131.76 | 271.90 | 57.00 | 104.49 | 152.01 | 317.43 | 50.00 | 15.90 | 147.61 |
| 3. | असम | 176.00 | 431.05 | 461.66 | 1546.97 | 181.00 | 555.00 | 608.75 | 1141.00 | 181.00 | 967.32 | 1007.05 | 1985.11 | 300.00 | 151.51 | 514.94 |
| 4. | बिहार | 332.00 | 524.48 | 458.36 | 1078.54 | 337.00 | 701.15 | 580.68 | 1665.35 | 337.00 | 1022.62 | 1067.54 | 2532.20 | 308.34 | 162.03 | 165.46 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 235.00 | 708.52 | 652.01 | 2988.89 | 240.00 | 1050.89 | 932.50 | 2719.36 | 240.00 | 964.12 | 863.34 | 2427.08 | 323.06 | 218.05 | 1033.74 |
| 6. | गोवा | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | गुजरात | 60.00 | 117.20 | 109.51 | 585.80 | 65.00 | 144.56 | 156.99 | 830.24 | 65.00 | 229.67 | 255.26 | 1262.07 | 177.80 | 27.25 | 121.27 |
| 8. | हरियाणा | 25.00 | 200.43 | 136.52 | 373.55 | 30.00 | 216.21 | 216.51 | 670.21 | 30.00 | 272.02 | 313.09 | 969.87 | 58.41 | 34.96 | 171.99 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 82.00 | 139.90 | 288.59 | 1502.93 | 87.00 | 320.58 | 281.98 | 1555.20 | 87.00 | 268.90 | 240.51 | 1360.10 | 53.95 | 33.86 | 307.56 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 60.00 | 0.00 | 35.24 | 46.82 | 65.00 | 72.20 | 105.09 | 140.69 | 65.00 | 190.66 | 190.71 | 469.80 | 0.00 | 19.34 | 112.83 |
| 11. | झारखंड | 170.00 | 56.83 | 56.76 | 308.60 | 175.00 | 0.00 | 63.18 | 277.15 | 175.00 | 208.67 | 211.47 | 214.97 | 100.00 | 35.57 | 149.99 |
| 12. | कर्नाटक | 105.00 | 45.73 | 132.52 | 366.45 | 110.00 | 271.49 | 349.12 | 1427.01 | 110.00 | 634.63 | 550.37 | 2099.13 | 188.00 | 165.46 | 912.20 |
| 13. | केरल | 25.00 | 15.00 | 25.19 | 77.27 | 30.00 | 24.68 | 61.32 | 100.54 | 30.00 | 82.29 | 84.41 | 240.22 | 77.11 | 8.72 | 9.41 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 435.00 | 1150.00 | 1007.69 | 3788.50 | 440.00 | 1615.66 | 1358.73 | 5231.45 | 440.00 | 1877.10 | 2198.06 | 7893.72 | 412.22 | 211.98 | 459.02 |
| 15. | महाराष्ट्र | 140.00 | 103.42 | 218.75 | 1599.23 | 145.00 | 563.96 | 637.33 | 2942.19 | 145.00 | 1030.00 | 929.98 | 4138.65 | 134.18 | 186.97 | 475.30 |
| 16. | मणिपुर | 28.00 | 0.00 | 13.42 | 199.55 | 33.00 | 76.17 | 64.28 | 265.99 | 33.00 | 20.00 | 37.97 | 78.95 | 5.00 | 4.86 | 106.98 |
| 17. | मेघालय | 40.00 | 0.00 | 16.75 | 38.35 | 45.00 | 0.00 | 15.59 | 52.47 | 45.00 | 35.70 | 12.64 | 30.80 | 0.00 | 0.49 | 3.55 |
| 18. | मिजोरम | 27.00 | 27.00 | 37.85 | 146.81 | 32.00 | 19.39 | 59.47 | 207.43 | 32.00 | 65.00 | 54.55 | 195.18 | 8.58 | 9.34 | 30.41 |
| 19. | नागालैंड | 25.00 | 0.00 | 32.63 | 9.50 | 30.00 | 12.51 | 20.42 | 398.42 | 30.00 | 85.71 | 87.31 | 298.53 | 33.00 | 9.54 | 78.50 |
| 20. | उड़ीसा | 268.00 | 624.59 | 582.81 | 2069.85 | 273.00 | 546.83 | 677.41 | 1836.04 | 273.00 | 1251.38 | 1163.01 | 2641.00 | 283.53 | 216.39 | 608.92 |
| 21. | पंजाब | 30.00 | 80.63 | 79.94 | 440.50 | 35.00 | 360.21 | 366.95 | 1036.49 | 35.00 | 243.42 | 269.02 | 751.62 | 72.10 | 58.42 | 218.27 |
| 22. | राजस्थान | 229.00 | 1141.67 | 1228.89 | 6216.63 | 234.00 | 1646.64 | 1455.44 | 9887.50 | 234.00 | 1771.32 | 1695.54 | 10349.93 | 260.00 | 74.69 | 724.63 |
| 23. | सिक्किम | 25.00 | 36.26 | 43.86 | 204.22 | 30.00 | 170.46 | 88.81 | 142.47 | 30.00 | 55.00 | 103.99 | 308.57 | 50.00 | 18.16 | 23.96 |
| 24. | तमिलनाडु | 85.00 | 20.00 | 68.09 | 519.03 | 90.00 | 71.03 | 108.65 | 747.90 | 90.00 | 88.68 | 127.87 | 609.59 | 100.00 | 67.74 | 78.05 |
| 25. | त्रिपुरा | 35.00 | 71.43 | 40.82 | 175.61 | 40.00 | 130.00 | 155.60 | 59.51 | 40.00 | 359.98 | 315.77 | 361.27 | 84.49 | 42.76 | 19.34 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 370.00 | 325.19 | 709.93 | 2656.39 | 375.00 | 1222.15 | 1201.04 | 3551.98 | 375.00 | 1660.78 | 2000.07 | 6461.02 | 660.00 | 263.70 | 1647.22 |
| 27. | उत्तराखंड | 95.00 | 12.79 | 67.00 | 105.89 | 100.00 | 78.74 | 99.73 | 842.08 | 100.00 | 114.89 | 152.79 | 645.60 | 0.00 | 13.92 | 103.97 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 221.00 | 123.69 | 470.06 | 1197.58 | 226.00 | 544.69 | 439.47 | 1573.81 | 226.00 | 623.44 | 583.18 | 1877.11 | 150.00 | 67.58 | 85.85 |
| | कुल | 3480.00 | 6165.12 | 7304.27 | 30710.44 | 3615.00 | 10833.80 | 10618.69 | 41231.17 | 3615.00 | 14698.39 | 15161.98 | 52404.51 | 4089.77 | 2150.88 | 8361.96 |

रिलीज में ईएपी घटक और नाबार्ड स्थित आरआईडीएफ के अंतर्गत सृजित विण्डो से ऋण शामिल है।

*विगत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान योजनावार/राज्यवार रिलीज और उपयोग की गई निधियां*

(रु. करोड़)

| क्र.सं. | राज्य | रिलीज की गई निधियां डीपीएपी | | | | | उपयोग की गई निधियां | डीडीपी | | | | | उपयोग की गई निधियां | आईडब्ल्यूडीपी | | | | | उपयोग की गई निधियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | कुल | | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | कुल | | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | कुल | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 41.31 | 56.24 | 55.87 | 9.53 | 162.95 | 125.837 | 18 | 28.3 | 35.02 | 0 | 81.32 | 56.59 | 35.63 | 37.13 | 44.43 | 5.09 | 122.28 | 79.59 |
| 2. | बिहार | 3.03 | 0.2 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | | | | | 0 | 0 | 9.51 | 2 | 7.32 | 2.44 | 21.27 | 7.46 |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 8.26 | 13.92 | 24.38 | 0 | 46.56 | 15.182 | | | | | 0 | 0 | 22.96 | 25.75 | 30.44 | 0 | 79.15 | 52.91 |
| 4. | गोवा | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | गुजरात | 35.97 | 16.34 | 39.33 | 6.44 | 98.08 | 49.879 | 35.04 | 65.59 | 75.13 | 12.13 | 187.89 | 98.16 | 27.13 | 23.57 | 31.87 | 3.68 | 86.25 | 55.87 |
| 6. | हरियाणा | | | | 0 | 0 | 0 | 12.34 | 28.74 | 10.26 | 3.35 | 54.69 | 28.17 | 5.48 | 4.45 | 4.28 | 0.56 | 14.77 | 7.82 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 3.69 | 8.35 | 8.59 | 2.84 | 23.47 | 7.853 | 9.25 | 2.17 | 6.45 | 0 | 17.87 | 5.61 | 17.55 | 27.86 | 23.48 | 1.3 | 70.19 | 39.09 |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | 2.6 | 0 | 6.4 | 3.86 | 12.86 | 8.1 | 4.49 | 7.39 | 2.76 | 0 | 14.64 | 8.53 | 6.62 | 5.97 | 4.55 | 2.4 | 19.54 | 19.54 |
| 9. | झारखंड | 4.79 | 0 | 2.9 | 0 | 7.69 | 0 | | | | | 0 | 0 | 2.33 | 2.9 | 8.41 | 1.62 | 15.26 | 9.4 |
| 10. | कर्नाटक | 31.76 | 44.46 | 57.76 | 7.65 | 141.63 | 103.902 | 29.69 | 35.07 | 49.47 | 5.9 | 120.13 | 90.24 | 32.06 | 22.92 | 46.2 | 5.33 | 106.51 | 75.65 |
| 11. | केरल | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 2.6 | 2.1 | 11.46 | 0 | 16.16 | 7.89 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 53.74 | 53.16 | 56.97 | 0.6 | 164.47 | 111.198 | | | | | 0 | 0 | 19.68 | 16.47 | 28.76 | 0.41 | 65.32 | 11.54 |
| 13. | महाराष्ट्र | 57.53 | 54.21 | 64.03 | 8.81 | 184.58 | 115.716 | | | | | 0 | 0 | 31.12 | 56.97 | 60.44 | 14.71 | 163.24 | 134.95 |
| 14. | उड़ीसा | 14.81 | 23.93 | 25.13 | 7.8 | 71.67 | 34.683 | | | | | 0 | 0 | 20.62 | 17.94 | 33.54 | 7.03 | 79.13 | 54.84 |
| 15. | पंजाब | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 3.51 | 2.5 | 3.6 | 0.43 | 10.04 | 6.33 |
| 16. | राजस्थान | 25.82 | 13.96 | 18.1 | 8.46 | 66.34 | 52.907 | 160.25 | 98.18 | 216.87 | 3.29 | 478.59 | 277.24 | 42.76 | 48.45 | 45.26 | 4.87 | 141.34 | 118.23 |
| 17. | तमिलनाडु | 30.63 | 32.01 | 35.49 | 1.87 | 100 | 77.885 | | | | | 0 | 0 | 26.92 | 27.07 | 34.6 | 1.62 | 90.21 | 67.65 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | 34.67 | 49.4 | 39.72 | 1.75 | 125.54 | 103.086 | | | | | 0 | 0 | 47.36 | 55.82 | 70.58 | 5.33 | 179.09 | 155.57 |
| 19. | उत्तराखंड | 7.69 | 14.62 | 7.07 | 1.39 | 30.77 | 18.268 | | | | | 0 | 0 | 11.23 | 16.67 | 24.64 | 0 | 52.54 | 30.5 |
| 20. | पश्चिम बंगाल | 2.7 | 2.68 | 6.47 | 0 | 11.85 | 0.09 | | | | | 0 | 0 | 6.27 | 2.62 | 7.14 | 0.84 | 16.87 | 6.26 |
| | **पूर्वोत्तर राज्य** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | अरुणाचल प्रदेश | | | | | | | | | | | | | 25.84 | 15.64 | 32.27 | 1.29 | 75.04 | 58.81 |
| 2. | असम | | | | | | | | | | | | | 31.02 | 27.05 | 38.93 | 4.69 | 101.69 | 79.89 |
| 3. | मणिपुर | | | | | | | | | | | | | 16.35 | 4.5 | 11.18 | 2.47 | 34.5 | 34.5 |
| 4. | मेघालय | डीपीएपी एवं डीडीपी के अंतर्गत कवर नहीं किया गया। | | | | | | | | | | | | 12.03 | 5.47 | 9.42 | 0 | 26.92 | 26.92 |
| 5. | मिजोरम | | | | | | | | | | | | | 8.58 | 31.29 | 26.5 | 5.92 | 72.29 | 50.99 |
| 6. | नागालैंड | | | | | | | | | | | | | 10.98 | 29.64 | 27.53 | 3.52 | 71.67 | 69.23 |
| 7. | सिक्किम | | | | | | | | | | | | | 2.75 | 3.86 | 2.6 | 1.17 | 10.38 | 10.38 |
| 8. | त्रिपुरा | | | | | | | | | | | | | 5.38 | 0 | 1.58 | 0 | 6.96 | 5.13 |

*गत तीन वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान एआरडब्ल्यूएपी (सहित डीडीपी तथा प्राकृतिक आपदा शामिल है) के अंतर्गत आवंटन, रिलीज तथा उपयोग*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2006-07 | | | | 2007-08 | | | | 2008-09 | | | | 2009-10 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवंटन | रिलीज | उपयोग | कवर की गई बसावटें | आवंटन | रिलीज | उपयोग | कवर की गई बसावटें | आवंटन | रिलीज | उपयोग | कवर की गई बसावटें | आवंटन | रिलीज | उपयोग | कवर की गई बसावटें |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 20084.08 | 27221.88 | 27649.64 | 5198 | 29530.00 | 30524.00 | 38840.72 | 8716 | 39453.00 | 39505.49 | 39805.30 | 17086 | | 13492.73 | | |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 10299.00 | 13663.78 | 10333.20 | 245 | 11241.00 | 11241.00 | 12130.67 | 1049 | 14612.00 | 16246.35 | 6341.48 | 905 | | 5475.00 | | |
| 3. | असम | 17369.00 | 11372.37 | 18104.16 | 2491 | 18959.00 | 18959.00 | 11726.22 | 18174 | 24644.00 | 18756.80 | 26539.80 | 23940 | | 9173.67 | | |
| 4. | बिहार | 18571.00 | 13006.65 | 13681.84 | 15430 | 27937.00 | 16968.50 | 16580.54 | 15306 | 42538.00 | 45238.00 | 16474.16 | 28937 | | 14624.67 | | |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 6549.00 | 6549.00 | 7237.00 | 8230 | 9595.00 | 9595.00 | 10415.54 | 4465 | 13042.00 | 12525.50 | 10537.33 | 11544 | | 4484.00 | | |
| 6. | गोवा | 253.00 | 127.00 | 147.88 | 1 | 331.00 | 165.50 | 230.99 | 1 | 398.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | | 0.00 | | |
| 7. | गुजरात | 13161.56 | 14033.08 | 12166.76 | 2361 | 20589.00 | 20589.00 | 21911.79 | 6748 | 31444.00 | 36944.00 | 14526.00 | 4656 | | 10927.49 | | |
| 8. | हरियाणा | 6045.63 | 6372.63 | 6341.02 | 768 | 9341.00 | 9341.00 | 10953.87 | 1074 | 11729.00 | 11729.00 | 11729.00 | 969 | | 4068.08 | 273.74 | 130 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 9706.86 | 15620.86 | 15632.68 | 3694 | 11746.00 | 13042.00 | 13245.19 | 4510 | 14151.00 | 14151.00 | 13863.47 | 5529 | | 4903.71 | | 243 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 26324.79 | 23314.67 | 27092.31 | 549 | 32992.00 | 32992.00 | 36140.83 | 747 | 39786.00 | 39649.00 | 23885.99 | 1899 | | 11261.00 | | |
| 11. | झारखंड | 7261.00 | 3631.00 | 4115.15 | 1982 | 11388.00 | 8445.51 | 11751.10 | 7370 | 16067.00 | 8033.00 | 8033.00 | 6832 | | 0.00 | | |
| 12. | कर्नाटक | 19502.40 | 24336.00 | 24590.65 | 2686 | 27851.00 | 28316.24 | 28656.79 | 12487 | 47719.00 | 47784.57 | 46081.33 | 10582 | | 16040.33 | | |
| 13. | केरल | 6216.00 | 6216.00 | 7471.95 | 1505 | 8293.00 | 8425.08 | 8346.25 | 1194 | 10333.00 | 10697.00 | 9713.90 | 8936 | | 3552.33 | 140.77 | |
| 14. | मध्य प्रदेश | 18797.00 | 19733.40 | 16798.24 | 13344 | 25162.00 | 25162.00 | 26755.60 | 13915 | 37047.00 | 38047.00 | 27856.08 | 6244 | | 12736.67 | | |
| 15. | महाराष्ट्र | 36152.00 | 36152.00 | 34870.89 | 6152 | 40440.00 | 40440.00 | 37838.33 | 11824 | 57257.00 | 64824.49 | 60396.20 | 22636 | | 19685.00 | | |
| 16. | मणिपुर | 3379.00 | 1689.50 | 3234.95 | 178 | 3859.00 | 4559.00 | 3470.73 | 218 | 5016.00 | 4522.91 | 3725.67 | 115 | | 1873.67 | | |
| 17. | मेघालय | 4073.00 | 5104.59 | 4569.51 | 1118 | 4446.00 | 5529.00 | 5661.16 | 1286 | 5779.00 | 6338.00 | 7451.25 | 1117 | | 2141.33 | | |
| 18. | मिजोरम | 2920.00 | 4271.39 | 4381.79 | 134 | 3188.00 | 3888.00 | 3015.73 | 237 | 4144.00 | 5419.26 | 4615.86 | 46 | | 1533.00 | | |
| 19. | नागालैंड | 2998.00 | 2998.00 | 2857.52 | 123 | 3272.00 | 3974.57 | 2738.62 | 219 | 4253.00 | 4253.00 | 3919.29 | 132 | | 1581.67 | | |
| 20. | उड़ीसा | 10332.00 | 9722.58 | 9954.61 | 8425 | 16885.00 | 17194.55 | 23360.27 | 18943 | 29868.00 | 29868.00 | 16813.05 | 33279 | | 10268.67 | | |
| 21. | पंजाब | 4098.00 | 4098.00 | 4111.48 | 875 | 5291.00 | 5179.91 | 4027.59 | 1791 | 8656.00 | 8656.00 | 6672.80 | 1962 | | 2976.00 | 368.29 | 43 |
| 22. | राजस्थान | 41489.68 | 31466.30 | 51477.91 | 7990 | 60672.00 | 60672.00 | 61966.80 | 20969 | 97013.00 | 97182.66 | 97182.66 | 28465 | | 33273.18 | 2509.19 | 32 |
| 23. | सिक्किम | 1229.00 | 1630.77 | 1596.40 | 138 | 1342.00 | 2013.00 | 1536.20 | 375 | 1745.00 | 3245.00 | 851.00 | 27 | | 657.00 | | |
| 24. | तमिलनाडु | 12057.00 | 12496.22 | 16111.32 | 7156 | 19090.00 | 19090.00 | 19090.00 | 11145 | 24182.00 | 28782.00 | 14546.85 | 11956 | | 8313.67 | 1495.43 | 87 |
| 25. | त्रिपुरा | 3613.00 | 4577.89 | 3681.54 | 570 | 3943.00 | 5443.00 | 5430.45 | 2670 | 5125.00 | 4100.80 | 5484.44 | 4136 | | 1898.00 | | |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 27990.00 | 28389.40 | 33073.82 | 10947 | 40151.00 | 40151.00 | 42113.56 | 4431 | 53974.00 | 61577.55 | 46119.70 | 440 | | 18556.33 | | |
| 27. | उत्तराखंड | 7523.00 | 8329.36 | 5916.69 | 1896 | 8930.00 | 8930.00 | 11414.46 | 2117 | 10758.00 | 8586.83 | 5486.68 | 1332 | | 3698.67 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | पश्चिम बंगाल | 15806.00 | 17118.40 | 14454.73 | 3039 | 19137.00 | 19137.00 | 23054.59 | 8734 | 38939.00 | 38939.00 | 37162.25 | 59203 | | 14387.33 | | |
| 29. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 31 | 0.00 | 0.00 | 472.18 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | | 0.00 | | |
| 30. | दादरा व नगर हवेली* | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 9 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | |
| 31. | दमन व दीव | 13.53 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 32. | दिल्ली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31.25 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 33. | लक्षद्वीप | 3.64 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 34. | पुडुचेरी | 38.72 | 0.00 | 0.00 | 85 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 52 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 0 | | 0.00 | | |
| 35. | चंडीगढ़ | 5.46 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | कुल | 353900.00 | 353242.72 | 381655.64 | 107350 | 475701.00 | 469966.86 | 492876.77 | 180788 | 689672.00 | 705602.21 | 565819.66 | 292935 | 0.00 | 231583.20 | 4787.42 | 535 |

*अंतिम रूप दिया जाना है।

^29.6.2009 तक रिलीज

#29.6.2009 तक प्राप्त सूचना के अनुसार।

## *संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी)*

### *विगत तीन वर्ष तथा वर्तमान वर्ष में रिलीज की गई निधि तथा व्यय*

(लाख में)

| क्र.सं. | राज्य | 2006-07 | | | 2007-08 | | | 2008-09 | | | 2009-10* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | रिलीज | व्यय | आईएचएचएल | रिलीज | व्यय | आईएचएचएल | रिलीज | व्यय | आईएचएचएल | रिलीज | व्यय | आईएचएचएल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 9455.20 | 4571.57 | 1383783 | 878.78 | 4091.37 | 389242 | 1391.81 | 4227.67 | 292697 | 0.00 | 256.62 | 392821 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 105.70 | 1744 | 0.00 | 282.91 | 5436 | 1530.16 | 277.38 | 3399 | 0.00 | 47.17 | 1847 |
| 3. | असम | 337.74 | 521.30 | 59635 | 4256.13 | 875.78 | 87554 | 8310.66 | 4114.05 | 206256 | 726.18 | 687.10 | 38692 |
| 4. | बिहार | 830.23 | 3350.98 | 168566 | 9554.97 | 5794.58 | 513050 | 7150.57 | 7140.02 | 756465 | 0.00 | 1025.69 | 200091 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 4677.48 | 3201.40 | 288953 | 5158.04 | 5939.38 | 506722 | 1144.14 | 3042.53 | 305456 | 0.00 | 244.15 | 69001 |
| 6. | दादरा व नगर हवेली | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7. | गोवा | 0.00 | 142.28 | 14690 | 37.65 | 0.00 | 310 | 0.00 | 7.65 | 18753 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 8. | गुजरात | 4976.36 | 3754.78 | 762381 | 8528.33 | 4193.76 | 847897 | 978.81 | 4344.62 | 984112 | 0.00 | 958.30 | 98644 |
| 9. | हरियाणा | 2334.61 | 1441.39 | 326403 | 2755.14 | 2038.66 | 658602 | 1069.09 | 1152.75 | 367097 | 0.00 | 269.69 | 57354 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 27.01 | 470.94 | 83976 | 1024.50 | 355.13 | 136043 | 679.70 | 466.90 | 313872 | 0.00 | 264.01 | 148382 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 0.00 | 703.33 | 92367 | 1791.20 | 429.37 | 39559 | 1115.82 | 989.93 | 139415 | 0.00 | 2.39 | 293 |
| 12. | झारखंड | 2747.69 | 3318.54 | 133973 | 1909.95 | 2674.82 | 318227 | 3188.20 | 3001.85 | 362573 | 0.00 | 679.52 | 76247 |
| 13. | कर्नाटक | 1924.30 | 3035.37 | 449196 | 1383.75 | 2659.55 | 720063 | 3176.18 | 1843.62 | 409816 | 0.00 | 384.30 | 225112 |
| 14. | केरल | 363.18 | 673.83 | 121658 | 2229.06 | 1408.58 | 290185 | 388.99 | 719.59 | 81865 | 975.45 | 261.62 | 42232 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 4386.49 | 3180.88 | 499516 | 6793.58 | 6247.67 | 868037 | 9767.83 | 7524.65 | 1406113 | 0.00 | 1595.47 | 441342 |
| 16. | महाराष्ट्र | 8719.53 | 5648.90 | 1523969 | 6785.73 | 6951.51 | 1191643 | 3526.29 | 5062.78 | 854563 | 0.00 | 222.39 | 175078 |
| 17. | मणिपुर | 90.81 | 14.83 | 1047 | 748.44 | 126.34 | 3479 | 99.83 | 494.20 | 4590 | 0.00 | 34.09 | 1197 |
| 18. | मेघालय | 550.06 | 124.91 | 660 | 0.00 | 284.53 | 23311 | 578.30 | 346.44 | 30004 | 0.00 | 58.45 | 1179 |
| 19. | मिजोरम | 647.91 | 727.84 | 42664 | 182.70 | 243.44 | 15653 | 679.15 | 336.57 | 8973 | 0.00 | 169.30 | 3479 |
| 20. | नागालैंड | 89.61 | 31.53 | 1131 | 170.05 | 229.92 | 12156 | 99.78 | 170.88 | 5543 | 1059.27 | 0.00 | 0 |
| 21. | उड़ीसा | 5465.48 | 3499.85 | 389802 | 5858.40 | 5508.23 | 475904 | 7204.33 | 3966.11 | 323802 | 0.00 | 967.80 | 66914 |
| 22. | पुडुचेरी | 0.00 | 0.14 | 311 | 0.00 | 0.00 | 545 | 0.00 | 23.74 | 227 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 23. | पंजाब | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 146.21 | 171713 | 223.18 | 66.76 | 263721 | 0.00 | 63.09 | 19025 |
| 24. | राजस्थान | 1148.29 | 3126.98 | 152071 | 3191.56 | 2492.64 | 809476 | 2516.85 | 2232.06 | 889762 | 4352.64 | 507.61 | 105969 |
| 25. | सिक्किम | 137.64 | 279.21 | 24455 | 0.00 | 57.90 | 9201 | 254.86 | 0.00 | 3712 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 26. | तमिलनाडु | 4873.92 | 3596.93 | 391101 | 2243.15 | 5404.73 | 648360 | 473.31 | 2427.37 | 421967 | 0.00 | 311.39 | 55899 |
| 27. | त्रिपुरा | 0.00 | 320.61 | 20347 | 882.41 | 58.82 | 2941 | 158.76 | 740.63 | 62971 | 0.00 | 0.00 | 1811 |
| 28. | उत्तर प्रदेश | 17210.53 | 13632.48 | 1770862 | 15085.11 | 16466.30 | 2014524 | 38139.95 | 25679.19 | 2415154 | 0.00 | 1252.00 | 40469 |
| 29. | उत्तराखण्ड | 157.40 | 497.17 | 64951 | 664.36 | 427.36 | 75801 | 861.89 | 478.15 | 98884 | 0.00 | 75.64 | 21789 |
| 30. | पश्चिम बंगाल | 945.99 | 1796.80 | 930168 | 9056.89 | 3725.40 | 692256 | 3047.06 | 2894.19 | 636422 | 0.00 | 784.44 | 57653 |
| | कुल योग | 72097.46 | 61770.46 | 9700380 | 91169.88 | 79114.89 | 11527890 | 97755.50 | 83772.28 | 11668184 | 7113.54 | 11122.24 | 2342520 |

*वर्ष 2009-10 के लिए जून, 2009 तक आंकड़े लिये गये हैं।
आईएचएचएल-व्यक्तिगत घरेलू शौचालय।

### नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन

**307. श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में दसवीं तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्य तथा प्राप्त की गई उपलब्धियों का वर्ष-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा की पैदावार की क्षमता का कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा पूर्ण क्षमता की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ( डॉ. फारूख अब्दुल्ला ):** (क) 10वीं योजना के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु लक्ष्य 3075 मेगावाट का था जिसकी तुलना में वास्तविक उपलब्धि लगभग 6750 मेगावाट थी। 11वीं योजना अवधि के लिए लक्ष्य 15,000 मेगावाट का है (14,000 मेगावाट ग्रिड-इंटरएक्टिव और 1,000 मेगावाट ऑफ-ग्रिड/वितरित) जिसकी तुलना में पिछले दो वर्षों अर्थात 2007-08 और 2008-09 के दौरान लगभग 4230 मेगावाट ग्रिड-इंटरएक्टिव विद्युत उत्पादन क्षमता और लगभग 101 मेगावाट समतुल्य ऑफ ग्रिड/वितरित उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है। राज्यवार लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया जाता है क्योंकि यह कार्यकलाप अधिकांशतया निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। उपलब्धियों के राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) और (ग) देश में विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्रोतों (सौर को छोड़कर) से ऊर्जा/विद्युत उत्पादन के लिए लगभग 90,000 मेगावाट समतुल्य की संभाव्यता का अनुमान लगाया गया है जिसमें पवन से 48561 मेगावाट, लघु पनबिजली से 14294 मेगावाट और बायो-विद्युत से 26367 मेगावाट शामिल हैं। देश के अधिकांश भागों के लिए सौर ऊर्जा हेतु संभाव्यता का अनुमान खुली, छाया रहित सौर संग्राहकों से कवर किये गये प्रति वर्ग कि.मी. क्षेत्र में लगभग 20 मेगावाट का अनुमान लगाया जाता है।

(घ) सरकार द्वारा राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें पूंजीगत/ब्याज सब्सिडी, त्वरित मूल्यह्रास, शून्य/रियायती उत्पाद और सीमा शुल्क शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारत में अक्षय विद्युत के उत्पादन अथवा उत्पादन और वितरण हेतु संस्थापित उपक्रमों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-1ए के अंतर्गत लाभ उपलब्ध है। इसके अलावा, संभाव्यता वाले अधिकांश राज्यों में ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत के लिए अधिमान्य शुल्क दर दी जा रही है।

***विवरण***

*क. 10वीं योजना के दौरान संस्थापित राज्यवार ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत क्षमता*

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | लघु पनबिजली (मेगावाट) | | | | | पवन विद्युत (मेगावाट) | | | | | बायोमास विद्युत (मेगावाट) | | | | | अपशिष्ट से ऊर्जा (मेगावाट) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 4.90 | 8.65 | 14.55 | | 0.04 | | 6.20 | 21.80 | 0.50 | 0.80 | 58.85 | 37.70 | 69.50 | 12.00 | 22.00 | | 16.60 | 3.15 | | 9.50 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.27 | 0.13 | 1.20 | 10.60 | 0.94 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | असम | | 0.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | बिहार | | 1.00 | | 4.50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 0.80 | 5.00 | 5.00 | | 7.05 | | | | | | | | | 16.50 | 85.80 | | | | | |
| 6. | गोवा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | गुजरात | | | | | | 6.20 | 28.93 | 51.53 | 84.60 | 284.00 | | | | | | | | | | |
| 8. | हरियाणा | | 14.40 | | | | | | | | | | | 2.00 | | | | | | | |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 1.40 | 8.80 | 6.04 | 24.00 | 9.54 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 9.00 | | 7.50 | | 2.09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | झारखंड | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | कर्नाटक | 31.53 | 24.50 | 61.50 | 54.75 | 86.87 | 55.70 | 84.88 | 201.50 | 173.80 | 266.00 | 33.78 | 26.00 | 16.60 | 72.50 | 29.80 | | | | | |
| 13. | केरल | 2.50 | 12.60 | | | 13.50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | मध्य प्रदेश | 0.00 | | 2.20 | | 10.00 | | | 6.25 | 11.40 | 16.40 | | 1.00 | | | | | | | | |
| 15. | महाराष्ट्र | 3.75 | | | | 2.25 | 2.00 | 6.25 | 48.75 | 533.50 | 485.30 | | | 11.50 | | 40.00 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | मणिपुर | 0.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | मेघालय | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | मिजोरम | 0.02 | | | | 2.71 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | नागालैंड | 0.60 | | | 0.20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | उड़ीसा | 6.00 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | पंजाब | 4.20 | 1.00 | 3.00 | 11.15 | 1.35 | | | | | | 10.00 | | | 6.00 | | | | 1.00 | | |
| 22. | राजस्थान | | | | | | 44.60 | 117.78 | 106.26 | 54.80 | 111.80 | | 7.80 | | 7.50 | 8.00 | | | | | |
| 23. | सिक्किम | 3.00 | | | 3.00 | 0.51 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | तमिलनाडु | 2.50 | | 1.30 | | 12.00 | 132.80 | 371.22 | 675.46 | 857.60 | 577.90 | | 44.50 | 22.50 | | 42.50 | 1.75 | | | 1.75 | 2.50 |
| 25. | त्रिपुरा | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 26. | उत्तर प्रदेश | | | | 3.60 | | | | | | | | 12.50 | 14.00 | 48.50 | | 2.00 | 5.00 | | | 2.00 |
| 27. | उत्तराखंड | 6.45 | 7.85 | | 3.00 | 0.22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 3.00 | | 0.02 | 6.00 | 0.10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | चंडीगढ़ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | दादरा व नगर हवेली | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | दमन व दीव | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | दिल्ली | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | लक्षद्वीप | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | पुडुचेरी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | अन्य | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | कुल | 80.68 | 84.04 | 102.31 | 120.80 | 149.17 | 241.30 | 615.25 | 1111.55 | 1716.20 | 1742.20 | 102.63 | 129.50 | 136.10 | 163.00 | 228.10 | 3.75 | 21.60 | 4.15 | 1.75 | 14.00 |

*ख. वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान राज्यवार विद्युत उत्पादन संस्थापित क्षमता*

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | लघु पनबिजली मेगावाट | | पवन विद्युत | | बायोमास विद्युत | | अपशिष्ट से ऊर्जा | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007-08 | 2008-09 | 2007-08 | 2008-09 | 2007-08 | 2008-09 | 2007-08 | 2008-09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1.98 | | | | 33.00 | 9.00 | 3.50 | 3.66 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | | 16.08 | | | | | | |
| 3. | असम | 25.00 | | | | | | | |
| 4. | बिहार | | 4.20 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | छत्तीसगढ़ | | | | | 33.00 | 9.80 | | |
| 6. | गोवा | | | | | | | | |
| 7. | गुजरात | | | 616.40 | 313.6 | | | | |
| 8. | हरियाणा | | | | | | | | |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 21.00 | 68.30 | | | | | | |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | | | | | | | | |
| 11. | झारखंड | | | | | | | | |
| 12. | कर्नाटक | 47.50 | 99.45 | 190.30 | 316 | 8.00 | 31.90 | | |
| 13. | केरल | 25.00 | 10.75 | 8.50 | 16.5 | | | | |
| 14. | मध्य प्रदेश | 20.00 | | 130.40 | 25.1 | | | | |
| 15. | महाराष्ट्र | 1.50 | | 268.20 | 183 | 38.00 | 71.50 | | |
| 16. | मणिपुर | | | | | | | | |
| 17. | मेघालय | 0.32 | | | | | | | |
| 18. | मिजोरम | | 7.00 | | | | | | |
| 19. | नागालैंड | 8.00 | | | | | | | |
| 20. | उड़ीसा | 25.00 | 12.00 | | | | | | |
| 21. | पंजाब | | | | | | | 8.25 | |
| 22. | राजस्थान | | | 69.00 | 199.6 | | 8.00 | | |
| 23. | सिक्किम | | 8.00 | | | | | | |
| 24. | तमिलनाडु | | 0.35 | 380.70 | 431.1 | 75.00 | 43.20 | | |
| 25. | त्रिपुरा | | | | | | | | |
| 26. | उत्तर प्रदेश | | | | | 79.00 | 172.00 | | |
| 27. | उत्तराखंड | 29.45 | 22.80 | | | | | | |
| 28. | पश्चिम बंगाल | | | | | | | | |
| 29. | अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | | | | | | | | |
| 30. | चंडीगढ़ | | | | | | | | |
| 31. | दादरा व नगर हवेली | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | दमन व दीव | | | | | | | | |
| 33. | दिल्ली | | | | | | | | |
| 34. | लक्षद्वीप | | | | | | | | |
| 35. | पुडुचेरी | | | | | | | | |
| 36. | अन्य | | | | | | | | |
| | कुल | 204.75 | 248.93 | 1663.50 | 1484.9 | 266.00 | 345.40 | 11.75 | 3.66 |

**अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं**

**308. श्री टी.आर. बालू:**
**श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी निजी भागीदारी के तहत अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यू.एम.पी.पी.) का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इनकी कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता को अनुमोदित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक यू.एम.पी.पी. स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इनमें कुल कितनी निवेश का प्रस्ताव है तथा इन परियोजनाओं के फलस्वरूप कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता के जुड़ने की संभावना है; और

(ङ) इन परियोजनाओं द्वारा कब तक उत्पादन आरंभ किये जाने की संभावना है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी):** (क) प्रत्येक लगभग 4000 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना (यूएमपीपी) को टैरिफ आधारित केस-2 प्रतिस्पर्धात्मक बोली पद्धति बनाओं, अपनाओं और चलाओं आधार के अंतर्गत विकसित की जा रही है। इस पहल के अंतर्गत, मूल रूप से परिकल्पित नौ यूएमपीपी में से, तीन यूएमपीपी नामत: मध्य प्रदेश में शासन यूएमपीपी, गुजरात में मूंदड़ा यूएमपीपी तथा आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम यूएमपीपी को सफल बोली दाताओं को हस्तांतरित कर दिया गया है और ये विकास के विभिन्न चरणों के अंतर्गत है। चौथी यूएमपीपी नामत: झारखंड राज्य में तिलैया यूएमपीपी के लिए विकासकर्ता को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से चुन लिया गया है और 12.2.2009 को आशय पत्र जारी कर दिया गया है।

(ख) और (ग) इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के तटवर्ती स्थानों पर तथा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में पिटहैड साइटों पर यूएमपीपी को स्थापित करने की परिकल्पना की गई। उपर्युक्त के अलावा उड़ीसा से दो अतिरिक्त यूएमपीपी, आंध्र प्रदेश और गुजरात में दूसरे यूएमपीपी के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(घ) और (ङ) प्रत्येक यूएमपीपी 4000 मेगावाट क्षमता की है और इनके लिए लगभग 16000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी। इन परियोजनाओं की 12वीं योजना में आने की परिकल्पना की जाती है।

*[हिन्दी]*

**शहरी गरीबों के लिए आवास**

**309. श्री प्रदीप माझी:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के पिछड़े शहरी क्षेत्रों में शहरी गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा कम आय समूहों को आवास सुविधा प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान इस योजना के तहत वर्ष-वार, राज्य-वार कितने आवासों का निर्माण किया गया तथा उनका कब्जा दिया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में शहरी गरीबों के लिए आवास हेतु ब्याज राजसहायता योजना की मौजूदा सीमा को बढ़ाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा शहरी गरीबों को ऋण राशि पर राजसहायता प्रदान करने के लिए और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) से (ग) जी, हां। सरकार द्वारा वर्ष 2005 में आरंभ किया गया जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), 65 विनिर्दिष्ट शहरों में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) उप मिशन के अंतर्गत तथा अन्य शहरों व कस्बों में एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत शहरी गरीबों के लिए आवास व बुनियादी सेवाओं का प्रावधान करता है।

अभी तक देश भर में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं के अंतर्गत कुल 461 परियोजनाएं तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 839 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। जिनमें क्रमशः 993523 तथा 461887 रिहायशी इकाइयों के निर्माण/सुधार का प्रस्ताव है। शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं तथा रिहायशी इकाइयों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गए हैं। पूरी हो चुकी तथा निर्माणाधीन रिहायशी इकाइयों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गए हैं।

(घ) और (ङ) शहरी गरीबों के आवास के लिए ब्याज सब्सिडी स्कीम (आईएसएचयूपी) हाल ही में शुरू की गई है तथा इस समय सब्सिडी राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) इस स्कीम को व्यापक रूप से परिचालित किया गया है। इसके अतिरिक्त, स्कीम के ब्यौरे का प्रचार करने तथा संदेहों को दूर करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आवास सचिवों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ 4 और 22 मई, 2009 को दो परामर्श किए गए हैं।

***विवरण I***

*जेएनएनयूआरएम*

*शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा (उप मिशन-2)*

| क्र.सं. | राज्य/यूटी का नाम | 2005-06 | | 2006-07 | | 2007-08 | | 2008-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुमोदित परियोजना की सं. | अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल सं. (नई+ सुधार) | अनुमोदित परियोजना की सं. | अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल सं. (नई+ सुधार) | अनुमोदित परियोजना की सं. | अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल सं. (नई+ सुधार) | अनुमोदित परियोजना की सं. | अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल सं. (नई+ सुधार) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 5 | 49000 | 9 | 30320 | 5 | 14675 | 17 | 40699 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | | | | 1 | 100 | 1 | 752 |
| 3. | असम | | | | | 1 | 1232 | 1 | 1028 |
| 4. | बिहार | | | | | 9 | 14596 | 9 | 7776 |
| 5. | चण्डीगढ़ | | | 4 | 27976 | | | 1 | 888 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | छत्तीसगढ़ | | | 2 | 25728 | | | | |
| 7. | दिल्ली | | | | | 11 | 57504 | 4 | 8000 |
| 8. | गोवा | | | | | 1 | 155 | | |
| 9. | गुजरात | | | 10 | 72368 | 3 | 15136 | 3 | 7580 |
| 10. | हरियाणा | | | 2 | 3248 | | | | |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | | | 1 | 252 | 1 | 384 | | |
| 12. | जम्मू और कश्मीर | | | | | 2 | 5208 | 3 | 1469 |
| 13. | झारखंड | | | | | 5 | 7218 | 6 | 5008 |
| 14. | कर्नाटक | | | 3 | 14511 | 4 | 7335 | 11 | 6272 |
| 15. | केरल | | | 3 | 4748 | 3 | 17460 | 1 | 1369 |
| 16. | मध्य प्रदेश | 4 | 5764 | 14 | 26205 | 1 | 1320 | 3 | 8157 |
| 17. | महाराष्ट्र | | | 31 | 105978 | 5 | 30034 | 19 | 32506 |
| 18. | मेघालय | | | | | 2 | 600 | 1 | 168 |
| 19. | मणिपुर | | | | | | | 1 | 1250 |
| 20. | मिजोरम | | | | | 2 | 408 | 2 | 688 |
| 21. | उड़ीसा | | | | | 5 | 2316 | 1 | 192 |
| 22. | पंजाब | | | | | 2 | 5152 | | |
| 23. | पुडुचेरी | | | | | 2 | 1304 | | |
| 24. | सिक्किम | | | | | 1 | 52 | 2 | 202 |
| 25. | नागालैंड | | | 1 | 3504 | | | | |
| 26. | राजस्थान | | | 2 | 17337 | | | | |
| 27. | तमिलनाडु | | | 19 | 44021 | 5 | 41586 | 27 | 5711 |
| 28. | त्रिपुरा | | | | | 1 | 256 | | |
| 29. | उत्तर प्रदेश | | | 5 | 4680 | 7 | 17072 | 55 | 46240 |
| 30. | उत्तराखंड | | | | | 4 | 524 | 4 | 249 |
| 31. | पश्चिम बंगाल | | | 45 | 60312 | 31 | 54932 | 15 | 24808 |
| | कुल | 9 | 54764 | 151 | 441188 | 114 | 296559 | 187 | 201012 |

*एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)*

| क्र.सं. | राज्य/यूटी का नाम | 2005-06 | | 2006-07 | | 2007-08 | | 2008-09 | | 2009-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुमोदित परियोजना की सं. | अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल सं. (नई+ सुधार) | अनुमोदित परियोजना की सं. | अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल सं. (नई+ सुधार) | अनुमोदित परियोजना की सं. | अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल सं. (नई+ सुधार) | अनुमोदित परियोजना की सं. | अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल सं. (नई+ सुधार) | अनुमोदित परियोजना की सं. | अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल सं. (नई+ सुधार) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | | | 25 | 25170 | 32 | 4087 | 20 | 18639 | | |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | | | | | | | 1 | 176 | | |
| 3. | दादरा और नगर हवेली | | | | | 1 | 0 | | | | |
| 4. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | | | | | 1 | 40 | 1 | 0 | | |
| 5. | दमन और दीव | | | | | 1 | 16 | | | | |
| 6. | असम | | | 3 | 613 | 9 | 4780 | 3 | 1984 | | |
| 7. | बिहार | | | 7 | 4167 | 3 | 2333 | 6 | 3264 | | |
| 8. | छत्तीसगढ़ | | | 14 | 14846 | | | 4 | 3076 | | |
| 9. | गुजरात | | | 8 | 6200 | 15 | 12205 | 9 | 6108 | 5 | 2655 |
| 10. | हरियाणा | | | 15 | 14641 | | | 3 | 1785 | | |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | | | | | 3 | 816 | 3 | 800 | | |
| 12. | जम्मू और कश्मीर | | | | | 10 | 2654 | 15 | 3408 | 2 | 608 |
| 13. | झारखंड | | | | | 1 | 1292 | 6 | 6576 | | |
| 14. | कर्नाटक | | | 5 | 4070 | 20 | 8983 | 9 | 4184 | | |
| 15. | केरल | | | 15 | 6480 | 11 | 6411 | 11 | 5800 | | |
| 16. | मध्य प्रदेश | | | 23 | 14644 | 10 | 2518 | 4 | 1708 | | |
| 17. | मिजोरम | | | | | 1 | 500 | 7 | 1450 | | |
| 18. | मणिपुर | | | | | 2 | 1103 | 1 | 663 | 1 | 140 |
| 19. | मेघालय | | | | | 1 | 456 | 2 | 456 | | |
| 20. | महाराष्ट्र | | | 15 | 13036 | 20 | 18091 | 68 | 58812 | | |
| 21. | नागालैंड | | | 1 | 2496 | | | | | | |
| 22. | उड़ीसा | | | | | 15 | 4884 | 16 | 7709 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | पंजाब | | | | | 2 | 3938 | 1 | 720 | | |
| 24. | पुडुचेरी | | | | | 1 | 432 | | | | |
| 25. | राजस्थान | 3 | 136 | 17 | 10981 | 10 | 11526 | 4 | 3214 | | |
| 26. | तमिलनाडु | | | 22 | 12931 | 8 | 6832 | 52 | 15500 | 1 | 1443 |
| 27. | त्रिपुरा | | | | | 1 | 400 | 2 | 1150 | | |
| 28. | उत्तर प्रदेश | | | 8 | 2032 | 1 | 204 | 124 | 29733 | | |
| 29. | उत्तराखंड | | | | | 2 | 231 | | | | |
| 30. | पश्चिम बंगाल | | | 16 | 12824 | 44 | 20061 | 34 | 19726 | 1 | 75 |
| | कुल | 5 | 136 | 194 | 145131 | 225 | 114793 | 406 | 196641 | 11 | 5186 |

***विवरण II***

*बीएसयूपी-आईएचएसडीपी की सम्मिलित रिपोर्ट*
*(16 जून, 2009)*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | पूर्ण रिहायशी इकाई | | | निर्माणाधीन रिहायशी इकाइयां | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बीएसयूपी | आईएचएसडीपी | कुल | बीएसयूपी | आईएचएसडीपी | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 18980 | 11966 | 30946 | 71642 | 17291 | 88933 |
| 2. | असम | 0 | 167 | 167 | 1104 | 234 | 1338 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 4. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | बिहार | 0 | 166 | 166 | 580 | 2347 | 2907 |
| 6. | चंडीगढ़ (यूटी) | 0 | 0 | 0 | 11168 | 0 | 11168 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 0 | 78 | 78 | 5336 | 4688 | 10024 |
| 8. | दमन और दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | दिल्ली (एनसीटी) | 7900 | 0 | 7900 | 2912 | 0 | 2912 |
| 11. | गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | गुजरात | 23074 | 0 | 23074 | 45926 | 2579 | 48505 |
| 13. | हरियाणा | 226 | 858 | 1084 | 2605 | 2889 | 5494 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | झारखंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | जम्मू और कश्मीर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | केरल | 1166 | 3466 | 4632 | 4642 | 2288 | 6930 |
| 18. | कर्नाटक | 117 | 0 | 117 | 11601 | 2489 | 14090 |
| 19. | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | महाराष्ट्र | 8682 | 1587 | 10269 | 55168 | 15377 | 70545 |
| 21. | मध्य प्रदेश | 1964 | 24 | 1988 | 3498 | 815 | 4313 |
| 22. | मणिपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | मेघालय | 0 | 0 | 0 | 76 | 228 | 304 |
| 24. | मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 408 | 500 | 908 |
| 25. | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 1872 | 360 | 2232 |
| 26. | उड़ीसा | 0 | 0 | 0 | 250 | 1261 | 1511 |
| 27. | पुडुचेरी | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| 28. | पंजाब | 0 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 1360 |
| 29. | राजस्थान | 31 | 1736 | 1767 | 881 | 1684 | 2565 |
| 30. | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | तमिलनाडु | 3359 | 3286 | 6645 | 15446 | 7797 | 0 |
| 32. | त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 | 256 | 16 | 272 |
| 33. | उत्तर प्रदेश | 4042 | 2164 | 6206 | 23045 | 6362 | 29407 |
| 34. | उत्तराखंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | पश्चिम बंगाल | 11268 | 5053 | 16321 | 14170 | 7490 | 21660 |
| | सकल योग | 80809 | 30551 | 111360 | 274074 | 76695 | 350769 |

*[अनुवाद]*

**मेगा पावर नीति**

**310. श्री आनंदराव अडसुल:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मौजूदा मेगा पावर नीति में कुछ बदलाव करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने मेगा पावर नीति के कतिपय उपबंधों का विरोध किया है;

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी):** (क) से (ङ) जी, हां। मेगा पावर पॉलिसी में संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

**सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) का विनिवेश**

311. **श्री जगदीश शर्मा:**
**डॉ. मुरली मनोहर जोशी:**
**श्री पी.टी. थामस:**
**श्री आनंदराव अडसुल:**
**श्री प्रबोध पांडा:**
**श्री चंद्रकांत खैरे:**
**श्री विलास मुत्तेमवार:**
**श्री गुरुदास दासगुप्त:**
**श्री सुशील कुमार सिंह:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों (पी.एस.यू.) में विनिवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्र-वार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रकार के विनिवेश से कितनी निधियों के जुटाए जाने की संभावना है; और

(घ) इस सरकार से प्राप्त की गई निधियों का किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा):** (क) जी हां।

(ख) एनएचपीसी लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड ने इक्विटी की सार्वजनिक पेशकश का प्रस्ताव किया था। सरकार ने इन कंपनियों में उनकी सार्वजनिक पेशकश के साथ-साथ अपनी शेयरधारिता में से इक्विटी के एक छोटे हिस्से का विनिवेश करने का निर्णय लिया है। सरकारी क्षेत्र के ये उद्यम (सीपीएसई) क्रमश: विद्युत, तेल और परामर्शदात्री क्षेत्र में कार्यरत हैं।

एनएचपीसी लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड की सार्वजनिक पेशकशें संभवत: चालू वित्त वर्ष में पूरी कर ली जाएं। राइट्स लिमिटेड की सार्वजनिक पेशकश को कंपनी की पूंजी आवश्यकताओं में परिवर्तन के कारण कंपनी द्वारा इस समय अस्थगित कर दिया गया है।

घाटे में चल रही टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) और सेन्ट्रल इंलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (सीआईडब्ल्यूटीसी) के पुनरुद्धार/पुनर्संरचना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) की सिफारिशों पर विचार करते हुए, सरकार ने दोनों कंपनियों के विनिवेश को अनुमोदित किया है।

(ग) बही खाता मूल्य आधार पर एनएचपीसी लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड में 'बिक्री की पेशकश' से सरकार को लगभग 1854 करोड़ रुपये की राशि प्राप्ति होने की आशा है। टीसीआईएल और सीआईडब्ल्यूटीसी के विनिवेश से प्राप्त होने वाली प्रत्याशित निधियों का इस समय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(घ) प्राप्त धन को राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा किया जाएगा।

**प्रोत्साहन पैकेज**

312. **श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा हाल ही में घोषित किये गये प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में कोई वांछित प्रभाव परिलक्षित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक और प्रोत्साहन पैकेज देने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पैकेज की घोषणा कब तक किये जाने की संभावना है; और

(च) सरकार द्वारा प्रोत्साहन पैकेजों के परिणामस्वरूप अब तक क्षेत्र-वार कितना व्यय किया गया है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा):** (क) से (च) वर्ष 2008-09 में भारतीय अर्थव्यवस्था दोहरे वैश्विक झटकों से बुरी तरह प्रभावित हुई-वर्ष के पूर्वार्ध में

वैश्विक वस्तु मूल्यों में हुई अभूतपूर्व वृद्धि और उत्तरार्ध में वैश्विक वित्तीय संकट के गहराने से उभरे परिणाम। उपयुक्त और तात्कालिक अल्पावधिक नीतिगत अनुक्रिया के रूप में सरकार ने वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा की जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थ-तंत्र में नकदी सुनिश्चित करने के उपाय किये। सरकार के प्रोत्साहन पैकेज में कर संबंधी कटौतियां और व्यय में वृद्धि करना दोनों शामिल थे। चूंकि ये उपाय क्षेत्रक-वार किये गये अतिरिक्त आवंटनों की परिधि से परे हैं और इनका केन्द्र समस्त अर्थव्यवस्था में व्याप्त है, इसलिए इनके क्षेत्रक-वार यथातथ्य प्रभाव का पता लगाना कठिन है। फिर भी, अर्थव्यवस्था ने 2008-09 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करके सकारात्मक अनुक्रिया दिखाई है। उभरती स्थिति के प्रति उपयुक्त नीतिगत अनुक्रिया करना एक सतत प्रक्रिया है।

---

**मध्याह्न 12.00 बजे**

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, श्री एस. जयपाल रेड्डी।

**शहरी विकास मंत्री ( श्री एस. जयपाल रेड्डी ):** मैं राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड तथा शहरी विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 16/15/09]

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम ):** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वर्ष 2007-08 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 17/15/09]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (उत्पाद शुल्क युक्त वस्तुओं के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर वस्तुओं का हटाया जाना) संशोधन नियम, 2009 जो 10 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 396(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 110(अ) जो 23 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 22/2003-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 392(अ) जो 5 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1.1.2007 से 8.10.2007 की अवधि तक के लिए कृषि ग्रेड के जिंक सल्फेट को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ग के अंतर्गत छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 119(अ) जो 24 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित पांच अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) संशोधन नियम, 2009 जो 5 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 155(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 351(अ) जो 22 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 64/95-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 287(अ) जो 27 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 मई, 2002 की अधिसूचना संख्या 29/2002-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 18/15/09]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 और सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 397(अ) जो 10 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या 32/2006-के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 19/15/09]

(4) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 3 के उपनियम (2) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 221(अ) जो 30 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/2002-के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 256(अ) जो 17 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए तथा जिनके द्वारा 8 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/2002-के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 312(अ) जो 11 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए तथा जिनके द्वारा 8 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/2002-के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 20/15/09]

(5) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 109(अ) जो 23 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 52/2003-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 393(अ) जो 9 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 96/2008-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 103(अ) जो 19 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा हाई-टेक उत्पाद निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स पर कतिपय विनिर्दिष्ट वस्तुओं के आयात की अनुमति दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 102(अ) जो 19 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित पांच अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 104(अ) जो 19 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या 94/2004-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 105(अ) जो 19 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मई, 2006 की अधिसूचना संख्या 40/2006-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 111(अ) जो 24 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित 21 अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 147(अ) जो 3 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अक्तूबर, 1977 की अधिसूचना संख्या 208/1977-सी.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा जिसका एक शुद्धिपत्र 17 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 175(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) सा.का.नि. 141(अ) जो 2 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 275(अ) जो 22 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित उन वस्तुओं, जिनका म्यांमार के साथ लगी भारत की सीमा में आने वाले नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के राज्य-क्षेत्रों में अवैध रूप से निर्यात किये जाने की संभावना है और जिनके अवैध निर्यात को रोकने तथा उक्त वस्तुओं की जांच को सुकर बनाने के उद्देश्य से विशेष उपायों के विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 121(अ) जो 24 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 145(अ) जो 3 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 184(अ) जो 20 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 96/2008-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 197(अ) जो 24 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 200(अ) जो 26 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 258(अ) जो 17 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 307(अ) जो 4 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 96/2008-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 355(अ) जो 22 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 371(अ) जो 30 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भारत द्वारा भारत-मरकोसर अधिमानी व्यापार करार जिस पर 25 जनवरी, 2004 को हस्ताक्षर किए गए, के अंतर्गत सहमत मदों पर सीमा-शुल्क रियायतों को कार्यान्वित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) का.आ. 496(अ) जो 16 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) का.आ. 549(अ) जो 25 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) का.आ. 564(अ) जो 27 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा

जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) का.आ. 731(अ) जो 13 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) का.आ. 823(अ) जो 24 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 फरवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या 21/2009-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) का.आ. 867(अ) जो 27 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) का.आ. 889(अ) जो 31 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) का.आ. 1059(अ) जो 28 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) भारत-सिंगापुर व्यापार करार (सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 जो 12 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 315(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) का.आ. 1223(अ) जो 15 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) का.आ. 1358(अ) जो 27 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) का.आ. 1381(अ) जो 29 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) का.आ. 1455(अ) जो 15 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) उपर्युक्त (5) की मद संख्या (तीन) से (नौ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले सात विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 21/15/09]

(7) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 132(अ) जो 27 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड और श्रीलंका में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित प्लेन मीडियम डेन्सिटी फाइबर बोर्ड पर विनिर्दिष्ट दरों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 186(अ) जो 23 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत में आयातित डाईमेथोएट टैक्निकल के आयातों पर, 28 प्रतिशत मूल्यानुसार शुल्क की दर से अनंतिम सुरक्षा शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 187(अ) जो 23 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से भारत में आयातित सभी अल्यूमिनीयम फ्लैट रॉल्ड उत्पादों तथा अल्यूमिनीयम फॉयल पर क्रमश: मूल्यानुसार 21 प्रतिशत और 35 प्रतिशत मूल्यानुसार शुल्क की दर से अनंतिम सुरक्षा शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 201(अ) जो 26 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, थाईलैंड और वियतनाम में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित सभी पूर्णत: ड्रॉन अथवा पूर्णत: ओरिऐंटेड यार्न/स्पिन ड्रॉन यार्न/फ्लैट पोलिएस्टर यार्न के आयातों पर, अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 202(अ) जो 26 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और हांगकांग में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित फ्लैक्स फैब्रिक के आयातों पर, अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 215(अ) जो 27 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इंडोनेशिया में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कैथोड रे कलर टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 216(अ) जो 27 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईरान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित हेक्सामाईन के आयातों पर निर्णायक समीक्षा जांच के निष्कर्षों में अभिहित प्राधिकारी की सिफारिश के आधार पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 217(अ) जो 27 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित प्राकृतिक रूपों को छोड़कर सभी प्रकार के विटामिन ई के आयातों पर निर्णायक समीक्षा जांच के निष्कर्षों में अभिहित प्राधिकारी की सिफारिश के आधार पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।



(नौ) सा.का.नि. 223(अ) जो 31 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 मई, 2006 की अधिसूचना संख्या 45/2006-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 248(अ) जो 13 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जर्मनी और कोरिया जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित सोडियम हाइड्रोसल्फाइट के आयातों पर निर्णायक समीक्षा जांच के निष्कर्षों में अभिहित प्राधिकारी की सिफारिश के आधार पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 264(अ) जो 20 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से भारत में सोडा भस्म के आयातों पर मूल्यानुसार 20 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर से अनंतिम सुरक्षा शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 276(अ) जो 22 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, जापान, कोरिया यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, ताईवान (चीनी ताइपे), थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कोल्ड रॉल्ड फ्लैट स्टेनलैस स्टील उत्पादों के सभी आयातों पर, विनिर्दिष्ट दरों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 289(अ) जो 29 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बेलारूस में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित नायलॉन टायर कोर्ड फैब्रिक के आयातों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 290(अ) जो 29 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय संघ में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित थायोनाइल क्लोराइड के आयातों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 291(अ) जो 29 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित नायलॉन टायर कोर्ड फैब्रिक्स के आयातों पर निर्णायक समीक्षा जांच के निष्कर्षों में अभिहित प्राधिकारी की सिफारिशों के आधार पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 292(अ) जो 29 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 अप्रैल, 2005 की अधिसूचना संख्या 36/2005-सी.शु. को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 293(अ) जो 29 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जून, 2008 की अधिसूचना संख्या 72/2008-सी.शु. को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 296(अ) जो 30 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और ताईवान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित केबल टाइयों के आयातों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 313(अ) जो 11 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 अप्रैल, 2004 की अधिसूचना संख्या 55/2004-सी.शु. को निरस्त किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 316(अ) जो 12 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सभी प्रकार की प्लास्टिक प्रोसेसिंग अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों, जिनका क्लैपिंग बल 40 टन से अन्यून हो, पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 320(अ) जो 13 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर) में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित कॉस्टिक सोडा के आयातों पर निर्णायक समीक्षा जांच के निष्कर्षों में अभिहित प्राधिकारी की सिफारिशों के आधार पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 336(अ) जो 15 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित मेजरिंग टेपों पर प्रतिपाटन शुल्क जारी रखना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि. 337(अ) जो 15 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मलेशिया, थाईलैंड, चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कैथोड रे कलर टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों पर अभिनिश्चायक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि. 352(अ) जो 22 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या 4/2009-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.नि. 353(अ) जो 22 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें यह उपबंध है कि चीन जनवादी गणराज्य और हांगकांग से विनिर्दिष्ट उत्पादकों तथा निर्यातकों से कतिपय टाइलों के भारत में आयातों पर कोई प्रतिपाटन शुल्क नहीं लगाया जाएगा, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.नि. 354(अ) जो 22 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या 38/2007-सी.शु. को निरस्त किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा.का.नि. 360(अ) जो 26 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, श्रीलंका और वियतनाम में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्पों के आयातों पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा.का.नि. 370(अ) जो 30 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना संख्या 38/2009-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सा.का.नि. 391(अ) जो 5 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईरान, मलेशिया, कोरिया जनवादी गणराज्य, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और वियतनाम में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कॉम्पैक्ट डिस्ट रिकार्डेबल के आयात पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा.का.नि. 398(अ) जो 10 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या 33/2008-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) सा.का.नि. 399(अ) जो 10 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय संघ, चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया जनवादी गणराज्य और ताईवान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित पोटैशियम कार्बोनेट के आयातों पर निर्णायक समीक्षा जांच के निष्कर्षों में अभिहित प्राधिकारी की सिफारिशों के आधार पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) सा.का.नि. 418(अ) जो 15 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विभिन्न प्रकार की सेरामिक ग्लेज्ड टाइलों, विट्रीफाईड टाइलों को छोड़कर भारत में आयातों पर अंतिम अवधारण होने तक अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) सा.का.नि. 419(अ) जो 15 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें यह उपबंध है कि चीन जनवादी गणराज्य और सिंगापुर से विनिर्दिष्ट उत्पादकों तथा निर्यातकों से विट्रीफाईड और पोर्सीलिन टाइलों के आयातों पर कोई प्रतिपाटन शुल्क नहीं लगाया जाएगा, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौंतीस) सा.का.नि. 420(अ) जो 15 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या 134/2008-सी.शु. को निरस्त किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतीस) सा.का.नि. 421(अ) जो 15 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित भारी और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के लिए बने फ्रंट एक्सल बीम और स्टीयरिंग नकल्स पर विनर्दिष्ट दरों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छत्तीस) सा.का.नि. 424(अ) जो 16 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जापान, यूरोपीय संघ, नाइजीरिया और थाईलैंड में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 6-हेक्सानेलेक्टम के आयातों पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को, प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही निर्णायक समीक्षा जांचों को अंतिम रूप दिये जाने तक, 20 अप्रैल, 2010 तक तथा उसके समेत, बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सैंतीस) सा.का.नि. 425(अ) जो 16 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका

आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विटामिन सी के आयातों पर निर्णायक समीक्षा जांच के निष्कर्षों में अभिहित प्राधिकारी की सिफारिशों के आधार पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अड़तीस) सा.का.नि. 426(अ) जो 16 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना संख्या 159/2003-सी.शु. को निरस्त किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतालीस) सीमा शुल्क टैरिफ (अर्जेन्टीना गणराज्य, ब्राजील संघीय गणराज्य, पेराग्वे रिपब्लिक और ओरिएंटल डेल उरुग्वे गणराज्य तथा भारत गणराज्य समेत मर्कोसूर सदस्य राज्यों की सरकारों के बीच अधिमान व्यापार करार के अंतर्गत वस्तुओं के उद्भाव का अवधारण) नियम, 2009 जो 30 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1385(अ) में प्रकाशत हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 22/15/09]

(8) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 2009, जो भारत के राजपत्र में 12 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 655(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2009, जो भारत के राजपत्र में 16 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 740(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2009, जो भारत के राजपत्र में 25 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 857(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2009, जो भारत के राजपत्र में 25 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 858(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2009, जो भारत के राजपत्र में 13 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 961(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2009, जो भारत के राजपत्र में 21 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 989(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2009, जो भारत के राजपत्र में 27 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 866(अ) में प्रकाशित हुए थे, और जिसका शुद्धिपत्र 13 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 960(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 23/15/09]

(9) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1327(अ) जो 22 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को उक्त अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (5) के परंतुक के खंड (घ) के स्पष्टीकरण में खंड (दो) के प्रयोजनार्थ एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के रूप में अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 24/15/09]

(10) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) धन शोधन निवारण (न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2009, जो 1 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 374(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) धन शोधन निवारण (अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2009, जो 1 जून, 2009 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 375(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 25/15/09]

(11) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 308(अ), जो 5 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 31 जनवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 62(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 26/15/09]

(12) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 120(अ) जो 24 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कर योग्य सेवाओं पर सेवा-कर की दर को 12 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 146(अ) जो 3 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें विशेष आर्थिक जोनों के प्राधिकृत प्रचालनों के लिए प्रदान की गई सेवाओं हेतु सेवा-कर के संदाय से छूट प्रदान की गई है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 347(अ) जो 20 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या 9/2009-सेवा कर में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 27/15/09]

(13) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत ''पेरारिग्निार अन्ना की जन्म शताब्दी'' के अवसर की स्मृति में ढाले गए एक सौ रुपये और पांच रुपये के सिक्कों का निर्माण नियम, 2009 जो 23 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 279(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 28/15/09]

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री भरतसिंह सोलंकी ):** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-10 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 29/15/09]

(दो) एन.टी.पी.सी. लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-10 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 30/15/09]

(तीन) पावर ग्रेड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-10 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 31/15/09]

(2) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण (जांच करने की रीति) नियम, 2009, जो 21 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 25 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 32/15/09]

---

**अपराह्न 12.04 बजे**

## सभा का कार्य

*[अनुवाद]*

**संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री ( श्री पवन कुमार बंसल ):** महोदया, आपकी अनुमति से मैं यह घोषणा करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि सोमवार 6 जुलाई, 2009 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य किये जाएंगे:

1. सोमवार, 6 जुलाई, 2009 को पूर्वाह्न 11.00 बजे बजट (सामान्य) 2009-10 का प्रस्तुतीकरण।

2. वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 का पुर:स्थापन।
3. बजट (रेल), 2009-10 पर सामान्य चर्चा।
4. बजट (सामान्य) 2009-10 पर सामान्य चर्चा
5. अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2006-07 पर चर्चा और मतदान।
6. अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2006-07 से संबंधित विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, उस पर विचार करना तथा पारित करना।

*[हिन्दी]*

**श्री हंसराज गं. अहीर** (चन्द्रपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित लोकमहत्व के मामलों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करने का अनुरोध करता हूं-

1. महाराष्ट्र विशेषकर विदर्भ में मानसून की देरी से किसानों की बुआई के अभाव में बदहाल स्थिति, क्षेत्र में सिंचाई का अभाव, जलाशयों के सूखने से अकाल की स्थिति को देखते हुए किसानों को इस स्थिति से उबारने तथा इसकी भरपाई के लिए मुफ्त बीज, उर्वरक, बिजली तथा मत्स्य उत्पादन के लिए मत्स्य बीजों को तत्काल उपलब्ध कराने में केन्द्र सरकार धनराशि आवंटन के साथ तत्काल कार्रवाई करे।
2. महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर में स्थित 600 वर्ष पुराने गोंडकालीन प्राचीन किला (परकोट) मरम्मत और देखभाल के अभाव में क्षतिग्रस्त हो रहा है। इस प्राचीन ऐतिहासिक विरासत को बचाने तथा संरक्षित रखने के लिए केन्द्र सरकार पहल करे और इसकी मरम्मत तथा देखभाल हेतु तत्काल कार्रवाई करे।

**श्री गणेश सिंह** (सतना): अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित लोकमहत्व के मामलों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करने का अनुरोध करता हूं-

1. देश में देरी से आते हुए मानसून एवं खंड वर्षा के संबंध में चर्चा।
2. देश में बजट के पूर्व चीजों के बढ़ते हुए दामों के कारणों पर चर्चा।

**श्री वीरेन्द्र कुमार** (टीकमगढ़): अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित लोकमहत्व के मामलों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में समावेश करने का अनुरोध करता हूं-

1. मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर सहित सभी जिलों के ऐतिहासिक किलों का संरक्षण कर उन्हें पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जाए।
2. बुंदेलखंड में बारिश न हो पाने से किसानों के समक्ष जो गंभीर संकट पुन: पैदा हो गया है, एक अध्ययन दल भेजकर क्षेत्र की स्थिति का जायजा एवं किसानों की मदद के लिए कदम उठाए जाएं।

**श्री अनुराग सिंह ठाकुर** (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित चार बड़ी रेल लाइनों के निर्माण हेतु समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर बजट में पर्याप्त धनराशि आबंटित करने पर विचार हेतु शामिल करने का अनुरोध करता हूं-

1. भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेलवे लाइन
2. घनौली-बद्दी रेलवे लाइन
3. नंगल-तलवाड़ा रेलवे लाइन
4. बिलासपुर-मंडी-मनाली-लेह/लद्दाख रेलवे लाइन।

**श्री घनश्याम अनुरागी** (जालौन): अध्यक्ष महोदया, मैं बुंदेलखंड क्षेत्र का निवासी हूं। मैं आपका ध्यान बुंदेलखंड की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जहां लगातार पांच वर्षों से सूखा पड़ रहा है।

**अध्यक्ष महोदया:** आप संक्षेप में अपनी बात कहिए।

**श्री घनश्याम अनुरागी:** माननीय अध्यक्ष महोदया, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित करने का कष्ट करें-

1. बुन्देलखंड क्षेत्र को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए तथा विशेष पैकेज दिया जाए।
2. जालौन जिले में पचनदा पर बांध का निर्माण तुरंत कराया जाए।

**श्री शैलेन्द्र कुमार** (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, ग्रीष्म कालीन सेवा के नाम पर नई ट्रेनें चलाई जाएं। सियालदह एक्सप्रैस, तूफान एक्सप्रैस, कटिहार एक्सप्रैस तथा मथुरा एक्सप्रैस का ठहराव भरवारी स्टेशन जनपद (कौशाम्बी) में अप-डाउन ट्रेनों का ठहराव किया जाए।

भरवारी व सिराथू रेलवे स्टेशन जनपद कौशाम्बी को जनपद का जंक्शन स्टेशन बनाया जाए। महानन्दा एक्सप्रैस-मूरी एक्सप्रैस, प्रयागराज एक्सप्रैस, रीवा एक्सप्रैस, दिल्ली हावड़ा एक्सप्रैस ट्रेन्स को अप-डाउन में ठहराव उपरोक्त स्टेशनों पर किया जाए।

**अपराह्न 12.06 बजे**

## समितियों के लिए निर्वाचन

### (एक) प्राक्कलन समिति

*[अनुवाद]*

**संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से तीस सदस्यों को 30 अप्रैल, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।''

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है कि:

''कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से तीस सदस्यों को 30 अप्रैल, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।''

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

**अपराह्न 12.07 बजे**

### (दो) लोक लेखा समिति

*[अनुवाद]*

**संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से पन्द्रह सदस्यों को 30 अप्रैल, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।''

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है कि:

''कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से पन्द्रह सदस्यों को 30 अप्रैल, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।''

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**श्री पवन कुमार बंसल:** मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि यह सभा राज्य सभा से यह सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है कि:

''कि यह सभा राज्य सभा से यह सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

**अपराह्न 12.08 बजे**

### (तीन) सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति

*[अनुवाद]*

**संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 312ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से पन्द्रह सदस्यों को 30 अप्रैल, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।''

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है कि:

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 312ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से पन्द्रह सदस्यों को 30 अप्रैल, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।''

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**श्री पवन कुमार बंसल:** मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि यह सभा राज्य सभा से यह सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है कि:

''कि यह सभा राज्य सभा से यह सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

**अपराह्न 12.09 बजे**

## (चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

*[अनुवाद]*

**संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 331ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से बीस सदस्यों को 30 अप्रैल, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।''

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है कि:

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 331ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से बीस सदस्यों को 30 अप्रैल, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।''

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**श्री पवन कुमार बंसल:** अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि यह सभा राज्य सभा से यह सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के दस सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है कि:

''कि यह सभा राज्य सभा से यह सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के दस सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

**अपराह्न 12.11 बजे**

## (पांच) राजघाट समाधि समिति

*[अनुवाद]*

**शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अनुसरण में इस सभा के

सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना की तारीख से आरंभ होने वाली अवधि के लिए राजघाट समाधि समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करे।''

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है कि:

''कि राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना की तारीख से आरंभ करने वाली अवधि के लिए राजघाट समाधि समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करे।''

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

**अपराह्न 12.12 बजे**

## (छह) केन्द्रीय भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार सलाहकार समिति

*[अनुवाद]*

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खार्गे):** अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1998 के नियम 11 के उपनियम (2) के साथ पठित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है कि:

''कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1998 के नियम 11 के उपनियम (2) के साथ पठित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

**अपराह्न 12.13 बजे**

## (सात) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत गठित केन्द्रीय समन्वय समिति

*[अनुवाद]*

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री मुकुल वासनिक):** अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उनके सभा के सदस्य बने रहने की अवधि तक के लिए उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम के अध्यधीन केन्द्रीय समन्वय समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है कि:

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

**अपराह्न 12.14 बजे**

## (आठ) राजभाषा समिति

*[हिन्दी]*

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):** महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार संघ के

सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में की गयी प्रगति की समीक्षा करने हेतु इस समिति के सदस्य बनने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4(3) अनुसरण में, इसके बारे में सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।''

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है कि:

''कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में की गयी प्रगति की समीक्षा करने हेतु इस समिति के सदस्य बनने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4(3) अनुसरण में, इसके बारे में सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।''

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

**अपराह्न 12.15 बजे**

## बजट (रेल), 2009-2010

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** अब रेल बजट पेश होगा।

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा): महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** जी, नहीं। कृपया बैठ जाइए। कृपया व्यवधान उत्पन्न मत कीजिए।

*...(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य:** महोदया, मैंने आपको एक पत्र लिखा है जिसमें *...(व्यवधान)*

**रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी):** महोदया, यह ठीक नहीं है। यह बिलकुल गलत है *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** कृपया व्यवधान उत्पन्न मत कीजिए।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** माननीय रेल मंत्री के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदया:** अब कुमारी ममता बनर्जी रेल बजट प्रस्तुत करेंगी।

**रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी):** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं भारतीय रेल के वर्ष 2009-10 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत कर रही हूं। मैं इस सम्मानित सदन में देश की पहली महिला लोक सभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपना पहला रेलवे बजट प्रस्तुत करते हुए अत्यधिक गौरवान्वित महसूस कर रही हूं।

यह पहला रेल बजट है जो मैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में एक मंत्री के रूप में प्रस्तुत कर रही हूं। मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी की उनके अमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिए अत्यन्त आभारी हूं और मैं हमारे माननीय वित्त मंत्री जी की भी उनके द्वारा दिये गये समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं। मैंने पहले भी दो रेल बजट प्रस्तुत किये हैं और यह मेरा तीसरा रेल बजट होगा।

महोदया, मैं जानती हूं कि देश के सभी भागों से चुनकर आये हमारे माननीय संसद सदस्यों की भारतीय रेलवे से बहुत उम्मीदें हैं। वे अपने राज्यों और अपने चुनाव क्षेत्रों में नई परियोजनाएं लगवाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके यहां और अधिक नई लाइनें हों, अधिक बजट की व्यवस्था हो और वर्तमान परियोजनाएं भी शीघ्रता से पूरी की जाएं। वे नई गाड़ियां और बेहतर रेल सेवाएं चाहते हैं।

रेलवे सरकार का वह चेहरा है जो सबको दिखाई देता है और हमें इस पर गर्व है। महोदया, इस सम्मानित सदन के समक्ष खड़ी होकर मैं एक प्रश्न पूछने की अनुमति चाहती हूं कि क्या रेलवे की परियोजनाओं को केवल 'आर्थिक व्यावहारिकता' के पैमाने पर ही तोला जाए या फिर इन्हें 'सामाजिक दृष्टिकोण' के पैमाने से भी देखा जाए? क्या विकास के लाभ केवल कुछ सुविधा संपन्न लोगों तक ही सीमित रखे जाएं और हमारे देश की दूर-दराज और पिछड़े इलाकों में रहने वाली अधिकांश जनसंख्या को इससे वंचित रखा जाए? हो सकता है कि ये परियोजनाएं आर्थिक पैमाने पर खरी न उतरती हों, परन्तु फिर भी वे पिछड़ेपन और गरीबी की मार झेलते क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आवश्यक हैं। उनको तो इन परियोजनाओं की और भी अधिक जरूरत है। मेरा पूरा विश्वास है और मैं इस संबंध में दृढ़प्रतिज्ञ हूं कि पददलित और सुविधाओं से वंचित लोगों का उत्थान किया जाना

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

चाहिए ताकि हमारे देश का समग्र रूप से सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो सके। हो सकता है कि ये परियोजनाएं जो वंचित एवं सुविधाहीन लोगों के उन्नयन के लिए आवश्यक हैं, तथाकथित आर्थिक मानदंडों के अनुरूप न हों लेकिन इनसे वास्तविक आर्थिक परिसंपत्तियों का सृजन होगा जो भावी विकास के लिए बहुत लाभदायक होगा।

*[हिन्दी]*

हमें आजादी मिले बहुत साल हो गये हैं। जिस प्रकार लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार सबको है, उसी तरह विकास का अधिकार भी हर आम इंसान को प्राप्त होना चाहिए। लाखों लोग प्रगति के इंतजार में बैठे हैं। अब वक्त आ गया है कि उनको विकास में अपना हिस्सा मिलना चाहिए।

*[अनुवाद]*

मैं समझती हूं कि अब वह समय आ गया है जब हमारे अर्थशास्त्रियों और सामाजिक चिंतकों को यह सोचना होगा कि गरीबों और पददलितों का उत्थान किसी भी समाज और सरकार का एक प्रमुख कल्याणकारी कार्य होना चाहिए और आर्थिक व्यावहारिकता की पुरानी सोच के बदले सामाजिक व्यावहारिकता की बात पर विचार किया जाना चाहिए। जैसाकि हमारी पूर्ववर्ती प्रधान मंत्री इंदिरा जी ने भी एक बार कहा था कि ''गरीबी हटाने के लिए हमें निहित स्वार्थी तत्वों और गरीबी के कारणों पर सीधा प्रहार करना होगा''।

मेरा विश्वास है कि भारतीय रेलवे जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचे वाली सुविधाओं का निर्माण करने से बड़ी संख्या में देश की आम गरीब जनता के विकास में मदद मिलेगी। ये रेलवे के लिए विकास की मेरी अवधारणा के केन्द्रबिन्दु होंगी।

अध्यक्ष महोदया, हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी हमेशा 'समावेशी विकास' पर बल देते हैं। रेलवे को अपने कार्यकलापों में इसी ''समग्रता'' को बढ़ाने के लिए एक आदर्श स्थापित करना होगा ताकि हमारी सोच, निर्णयों और कार्यों में हमारे देश के सभी वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखा जा सके। इसलिए मैंने यह निश्चय किया है कि एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की जाए जो मुझे यह सलाह देगी कि तथाकथित ''आर्थिक रूप से गैर-व्यावहारिक'' परन्तु सामाजिक दृष्टि से आवश्यक ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण और उनके कार्यान्वयन के लिए कौन से नए उपाय हो सकते हैं। हम ऐसे क्षेत्रों का पता लगाएंगे जो किसी भी प्रकार के बुनियादी ढांचे के विकास और सुविधाओं से वंचित हैं, और थोड़े समय के भीतर ही मैं यह पता लगाने के लिए एक ऐसा खाका तैयार करूंगी कि आने वाले पांच वर्षों में ऐसी कितनी योजनाओं को कार्यान्वित किया जा सकता है।

महोदया, हमें इस मामले में एक सही संतुलन बनाना होगा। सभी जानते हैं कि भारत में बदलाव आ रहा है और वह भी बड़ी तेजी से। भारतीय रेलवे इस बदलाव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करती रही है। वास्तव में रेलवे इस बदलाव में अपनी ओर से महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आज भारत के लोग तेज गति से समावेशी आर्थिक प्रगति के लिए बेताब हैं। वे बेहतर संपर्क सुविधाएं और रोजगार के बेहतर अवसर चाहते हैं। प्रत्येक राज्य के सभी क्षेत्रों के लोग कृषि, उद्योग, व्यापार एवं व्यवसाय में प्रगति चाहते हैं ताकि वे और उनके बच्चे एक बेहतर जिंदगी जी सकें। भारतीय रेल विकास हेतु बुनियादी ढांचे के सृजन के लिए एक अद्वितीय तंत्र है और यह हमारा मिशन और हमारी सोच है कि देश के प्रत्येक कोने तक विकास लाने के लिए इस तंत्र का विस्तार किया जाए।

महोदया, यहां मैं गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की निम्नलिखित पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगी:

''निज हस्ते निर्दय आघात करि पित:
भारतेरे सेइ स्वर्गे करो जागरित''

''मेरे रचयिता, मेरे देश को अपने पथ प्रदर्शन में स्वतंत्रता के नभ में निरन्तर, विस्तार की कल्पना और कृत्य की ओर ले चल।''

अध्यक्ष महोदया, रेल मंत्री के रूप में अभी कुछ दिन पहले अपना कार्यभार संभालने के बाद मुझे समग्र यात्री सुविधाओं की बिगड़ती हुई स्थिति के संबंध में अनेक शिकायतें मिली हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में दृष्टिगोचर सुधार करना मेरी प्राथमिकता होगी:

* यात्री सुविधाएं
* साफ-सफाई
* रेलवे खानपान की गुणवत्ता
* संरक्षा एवं सुरक्षा और
* समय-पालन

सभी रलवे जोनों को यह निदेश दिये गये हैं कि वे उत्तम क्वालिटी के भोजन, पीने के पानी एवं शौचालय सुविधाओं की व्यवस्था को प्राथमिकता दें और यह सुनिश्चित करें कि गाड़ियों और स्टेशनों में साफ-सफाई हो। मैंने यह भी निदेश दिये हैं कि जनता खाना की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और हम अपने खानपान में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय व्यंजनों को शामिल करेंगे। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शीघ्र ही एक व्यापक नीति बनाई जाएगी और कड़ा निगरानी तंत्र विकसित किया जाएगा।

**विश्वस्तरीय स्टेशन**

हमने 50 स्टेशनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से युक्त विश्वस्तरीय स्टेशनों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इन स्टेशनों को अभिनव वित्तपोषण तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिये विकसित किया जाएगा।

*[हिन्दी]*

लालू जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप भी हमें इज्जत दीजिये। मैंने आपके बारे में कभी कोट नहीं किया है। *...(व्यवधान)* यह कंटीन्यूइंग प्रोसैस है। आपने कुछ किया, हम उसकी रिस्पैक्ट करते हैं, हम कुछ करेंगे, इस पर हम आपकी मदद चाहते हैं।

*[अनुवाद]*

इनमें से कुछ स्टेशन हैं: छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई, पुणे, नागपुर, हावड़ा, सियालदाह, भुवनेश्वर, नई दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, अमृतसर, कानपुर, गुवाहाटी, जयपुर, चेन्नई सेन्ट्रल, तिरुवनंतपुरम सेन्ट्रल, सिकंदराबाद, तिरूपति, बेंगलूरू सिटी, बैय्यापन्नाहल्ली (बेंगलूरू), अहमदाबाद, भोपाल, हबीबगंज, गया जंक्शन, आगरा कैंट, मथुरा जंक्शन, चंडीगढ़, कोलकाता, न्यू-जलपाईगुड़ी, माजेरहाट, मंगलौर, पोरबंदर, आनंद बिहार, बिजवासन, अजमेर जंक्शन और पुरी।

**आदर्श स्टेशन**

महोदया, हम आदर्श स्टेशनों को इस तरह से विकसित करेंगे जिससे कि मूलभूत सुविधाएं जैसे पीने का पानी, पर्याप्त संख्या में शौचालय, खानपान सेवाएं, प्रतीक्षालय एवं डॉर्मिटरी विशेषकर महिला यात्रियों के लिए, बेहतर साइनेज तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध हों। इस वर्ष हम 375 स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों में शामिल करेंगे। स्टशनों की सूची इस प्रकार है: अबोहर, आदि सप्तग्राम, आद्रा, अगरपाड़ा, अहमदपुर जं, अकरा, अलीपुरद्वार जं, अम्बिका कलना, अमेठी, आम्टा, अंधेरी, अंदुल जं., अरनघटा, आसनसोल, अशोकनगर रोड, अवडी, आजिमगंज सिटी, बडकूला, बागबाजार, बगहाजतिन, बगनान, वैद्यवटी, बालीचक, बालीगंज, बालूरघाट, बंडेल, बांद्रा, बांकुड़ा, बनपुर, बांसबेरिया, बांसपानी, बराकर, बारानगर रोड, बरगछिया, बैरकपुर, बरूईपाड़ा, बरूईपुर, बशीरहाट, बउरिया जं., बीबीडी बाग, बेगमपुर*, बेलानगर, बेलापुर, बेलारहाट, बेलगढ़िया, बेलूर, बेलूर मठ, बेरहामपुर कोर्ट, भद्रेश्वर, भांडुप, भासिला, भायंदर, बीदर, बिधाननगर रोड, बिहार शरीफ, विमान बंदर, बीरा, बीराटी, बीरनगर, बोलंगिर, बोलपुर, बोंगांव जं., बोरीवली, ब्रेस ब्रिज, बज-बज, बर्धमान, बुराबाजार, केनिंग, चकदा, चक्रधरपुर, चंपाहाटी, चंपापुकुर, चंदननगर, चंदौसी जं., चांदपारा, चर्नी रोड, चेम्बूर, चेंगल, चेन्नै बीज जं., चेन्नै चेटपट, चेन्नै पार्क, छिंदवाड़ा जं., चिंचवाड़, चितरंजन, चित्तूरगढ़ जं., चित्तूर, क्रोम्पेट, चुचुरा, चर्चगेट, कूच बिहार, करी रोड, दादर, धानु रोड, दक्षिणेश्वर, दलकोल्हा, डांकुनी जं., दौसा, दिल्ली किशनगंज, देउला, देवलाली, धकुरिया, धनियाखली, धापधपी, धूपगुरी, डायमंड हार्बर, डॉकयार्ड रोड, डोंबीवली, डोमजुर, दमदम कैंट, दमदम जं., दुर्गानगर, दुर्गापुर, दत्तापुकुर, ईडन गार्डेंस, फरक्का, फरीदकोट, गंगनापुर, गरबेटा, गरिया, गेदे, घाटकोपर, घुटियारी शरीफ, गोबरडंगा, गोमो जं., गोपालनगर, गोरेगांव, गुमा, गुप्तीपाड़ा, गुरुदासपुर, गुड़गांव, गुसकारा, हबीबपुर, हाबरा, हलीशहर, हरिपाल, हरूआ रोड, हसनबाद, हउर, हुगली, इचापुर, जादबपुर, जगदल, जाजपुर क्योंझर रोड, जलपाई गुड़ी, जमशेदपुर, जांगिरपुर रोड, जयनगर, माजिलपुर, झारग्राम, जियागंज, जिराट, काकद्वीप, कलिकापुर, कलिनारायणपुर जं., कल्याणी, कल्याणी घोषपाड़ा, कल्याणी शीलपंचाल, कल्याणपुर, कमरकुंडु जं., कंचनपारा, काकीनारा, करजत, कसारा, काशीनगर, कटवा जं., खदकी, खाना, खरदाहा, खोपोली, खुर्दा रोड, किंग्स सर्कल, किरनहर, कोलाघाट, कोननगर, कोरापुट जं., कोरूकुपेट, कृष्णानगर सिटी जं., कुल्टी, कुर्ला, लेक गार्डन्स, लक्ष्मीकांतपुर, लालगढ़ जं., लालगोला, लातूर, लिलुआ, लोंडा जं., मदनपुर, मधुबनी, मधुपुर, मध्यमग्राम, मागरा हाट, माझेरग्राम, मलाड़, मालदा टाउन, मल्लिकपुर, मनावूर, मनकुंडू, मैरिन लाईंस, मशाग्राम, मसलंदपुर, माटुंगा, मछेदा, मेमरी, मिदनापुर, मीरा रोड, मउरीग्राम, मुलुंड, मुंबई सेन्ट्रल (लोकल), मुर्शिदाबाद, नबद्वीपधाम, नहूर, नयागांव, नेहाटी जं., नालगोंडा, नलहाटी जं., नलीकुल, नामखाना, नानूर, नारायण पकुरिया मुरेल, नसीबपुर, नेतरा, न्यू अलीपुर, न्यू बैरकपुर, निश्चिंदापुर, ओखा, पलपारा, पल्टा, पांसुकुरा जं., पनवेल, पारसनाथ, पार्क सर्कस, पर्ली वैजनाथ, पाटीपुकूर, पटना साहिब, पेराम्बूर कैरिज वर्क्स, फुलिया, पीलीभीत जं., पलासी, प्रयाग, प्रिंसेपघाट, पुंडूह, पूर्वस्थली, पुरुलिया जं., रायगंज, रामपुर हाट, राणाघाट जं., रंगपाड़ा उत्तरी, रानीगंज, रसूलपुर, रायगढ़, ऋषिकेश, रिशरा, सागर, साहिबगंज, सैंथिया जं., सलेमपुर जं., समुद्रगढ़, सांगली, संग्रामपुर, सानपाड़ा, सांताक्रुज, संतोषपुर, सैफाले, सेनजी पनमबक्कम, सेवरी, शक्तिगढ़, शांतिपुर जं., शिओड़ाफुली, शिकोहाबाद जं., शिवाजीनगर, श्रीरामपुर, श्यामनगर, सिलचर, सिलीगुड़ी जं., सिमुराली, सिंगुर, सिरसा, सीतामढ़ी, सीतापुर जं., सीतारामपुर जं., सोदेपुर, सोनारपुर जं., सोंदलिया, सेंट थॉमस माऊंट, सुभाषग्राम, सब्जीमंडी, सुल्तानगंज, सूरी, सूर्यपुर, टकी रोड, तला, तांबरम, तारकेश्र, तारापीठ रोड, ठाकुरनगर, तिलकनगर, तिरूनिनरावुर, तिरूवलंगडु, तिरूवलूर, टीटागढ़, टीटलागढ़ जं., टॉलीगंज, त्रिवेणी, तुर्भी, उल्लासनगर, उलुबरिया, उत्तरपाड़ा, वनगांव, वाशी और विरार।
*

**बहु-उद्देशीय परिसर**

मुझे स्टेशन परिसरों में बहु-उद्देशीय परिसरों के निर्माण की घोषणा करते हुए अति प्रसन्नता हो रही है जहां पर रेल

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

उपयोगकर्त्ताओं को खरीदारी, भोजन के स्टॉल व रेस्तरां, बुक स्टॉल, पीसीओ/एसटीडी/आईएसडी/फैक्स बूथ, दवाइयां व वैरायटी स्टोर, बजट होटल, भूमिगत पार्किंग आदि की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इन बहुउद्देशीय परिसरों को देश के विभिन्न भागों में इस वर्ष ऐसे 50 रेलवे स्टेशनों पर विकसित करने का प्रस्ताव है जो तीर्थ, उद्योग और परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन सुविधाओं के विकास की जिम्मेदारी इरकॉन और रेल भूमि विकास प्राधिकरण को सौंपी जाएगी।

49 चिन्हित स्टेशनों की सूची नीचे दी गई है:

अलीपुरद्वार, इलाहाबाद, आनन्दपुर साहिब, बांसपानी, बीकानेर, बिलासपुर, कटक, दार्जिलिंग, देहरादून, दिग्घा, दुर्ग, एर्णाकुलम, गांधीधाम, गंगासागर, घाटशीला, ग्वालियर, हजूर साहिब, हुबली, हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, जम्मूतवी, जसीडीह, झांसी, जोधपुर, कन्याकुमारी, काठगोदाम, कटरा, खजुराहो, मदुरई, मनमाड, मैसूर, नांदेड़, नासिक, पलक्कड, पारसनाथ, रायबरेली, रायपुर, राजगीर, रामेश्वरम, रांची, शिरडी, सिलचर, तारापीठ, तिरुचिरापल्ली, उदयपुर, उज्जैन, बड़ोदरा और विशाखापट्टनम।

**साफ-सुथरी गाड़ियां और स्टेशन**

चालू वर्ष के दौरान हम 200 अतिरिक्त गाड़ियों पर ''ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग स्कीम'' (ओबीएचएस) का विस्तार करेंगे तथा धुलाई की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हेतु आधुनिक मशीनी स्वचालित लॉन्ड्रीज द्वारा बेहतर लिनेन प्रबंधन भी करेंगे। शुरूआत में एक पायलट परियोजना मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नै तथा तिरुवनंतपुरम जैसे महानगरों में प्रारंभ की जाएगी। इसके सफल होने पर इसे अन्य शहरों में शुरू किया जाएगा।

रेलवे मानक रैम्प, निर्धारित पार्किंग लॉट, मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में विशेष रूप से डिजाइन किये गये डिब्बों, लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियों को चरणबद्ध रूप में उपलब्ध कराकर शारीरिक रूप से विकलांग और वृद्ध व्यक्तियों की सहायता करेगी।

हम स्वचालित उद्घोषणा सहित गाड़ी सूचना प्रणाली, जोकि मुंबई में पहले ही स्थापित की जाने की प्रक्रिया में है, को कोलकाता, चैन्नै और दिल्ली में भी आरंभ करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा।

**डॉक्टर ऑन ट्रेन**

हम लंबी दूरी की गाड़ियों में कम-से-कम एक डॉक्टर की तैनाती करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। प्रारम्भ में चेन्नै, बेंगलूरू, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता और भुवनेश्वर में एम्बुलैंस सेवाएं प्रदान कराने की व्यवस्था की जाएगी।

महोदया, मुझे यह जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है कि रेलवे लंबी दूरी के यात्रियों की सुखद यात्रा अनुभव हेतु राजधानी, शताब्दी और अन्य महत्वपूर्ण लंबी दूरी की इंटरसिटी गाड़ियों में 'ऑन-बोर्ड सूचना एवं मनोरंजन सेवाएं'' प्रदान करेगी:

पर्यावरणोनुकूल ग्रीन शौचालयों की शुरुआत करने के लिए फील्ड परीक्षण किये जा रहे हैं। हवाई जहाजों में इस्तेमाल किये जाने वाले वैक्यूम शौचालयों का भी कुछ सवारी डिब्बों में परीक्षण करने की योजना है।

डीईएमयू और एमईएमयू गाड़ियों में, जिनका यात्रा समय 4 घंटे से कम होता है, शौचालय की सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही है। इससे महिलाओं, बच्चों और वृद्धों को परेशानी होती है। अब हमारी योजना, जहां दो घंटों से अधिक की यात्रा है वहां शौचालय सुविधाएं प्रदान करने की है। इसमें थोड़ा समय लगेगा पर हम इसे जल्द से जल्द पूरा करेंगे।

**टिकटिंग और आरक्षण**

भारतीय रेल यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) अब 6872 टर्मिनलों के साथ 800 स्थानों पर कार्य कर रही है। हम 200 नए नगरों और शहरों में इस प्रणाली को लगाएंगे और 800 शहरों में, जहां पीआरएस की सुविधाएं पहले से मौजूद है, नए स्थानों पर इसे लगाया जाएगा। महोदया, मैं संसद के दोनों सदनों के माननीय संसद सदस्यों को आमंत्रित करती हूं कि वे अपनी पसंद के एक पीआरएस स्थल की पहचान करके नए स्थानों को सूची में शामिल करने के लिए रेलवे को सूचित करें।

अनारक्षित टिकटों हेतु अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली (यूटीएस) टर्मिनलों की संख्या को 5000 से बढ़ाकर 8000 किया जा रहा है। बड़े और मध्यम आकार के 200 स्टेशनों पर स्वचालित वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। यात्रियों की सहूलियत के लिए हम ई-टिकटिंग का विस्तार कर रहे हैं। चार्ट बन जाने के बाद कन्फर्म्ड ई-टिकटों को रद्द करने की प्रक्रिया को और सरल बनाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष के अंत तक वेट-लिस्ट वाले टिकटों की अद्यतन सूचना और कन्फर्म्ड टिकटों को शायिका संख्या की सूचना एसएमएस अपडेट द्वारा भेजने के संबंध में प्रयास जारी हैं।

**''मुश्किल आसान''**

महोदया, ''सदस्य'' यह जानकर अति प्रसन्न होंगे कि कैसे यूटीएस की सुविधा ''मा माटी मानुष'' तक पहुंच सकती है। रेलवे और डाक विभाग के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत यात्री अब शहरों और नगरों में स्थित लगभग 5000 डाक घरों से कम्प्यूटरीकृत टिकटें खरीद सकते हैं। महोदया, सम्मानित सदन को

यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने शहरों और ग्रामीण इलाकों में आरक्षित और अनारक्षित-टिकटें जारी करने के लिए ''मुश्किल आसान'' नाम की मोबाइल टिकट वैन चलाने का निश्चय किया है। गरीब लोग जो टिकटें खरीदने के लिए स्टेशन तक नहीं जा सकते वे बाजारों, मोहल्लों और अन्य व्यस्त स्थलों से टिकटें खरीद सकते हैं। इस वर्ष हम देश में 50 ऐसी मोबाइल, वैन चलाएंगे।

**इंटरसिटी यात्रा के लिए वातानुकूलित दो मंजिले डिब्बे**

महोदया, सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हम इंटरसिटी यात्रा के लिए उच्च क्षमता वाले वातानुकूलित दो मंजिले सवारी डिब्बे शुरू करने पर विचार कर रहे हैं, ये बहुत अधिक सुविधाजनक और आरामदायक होंगे।

**यात्री सुविधाओं की निगरानी**

इन विभिन्न पहलों की निगरानी के लिए आवधिक पर्यवेक्षण और आकस्मिक निरीक्षण और इस संबंध में जनता की शिकायतें दूर करने के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे के अपर महाप्रबंधक उत्तरदायी होंगे। इसके लिए प्रत्येक मंडल में क्षेत्रीय स्तर पर एक अधिकारी को पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा जाएगा।

**संरक्षा**

संरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। इसमें समयबद्ध रेलपथ नवीकरण, सिगनलों का आधुनिकीकरण, विभिन्न संरक्षा उपकरण जैसे डिजिटल अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्टिंग मशीनें तथा व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर (डब्ल्यूआईएलडी) शामिल है। योजना अवधि के प्रथम दो वर्षों में 7843 कि.मी. रेलपथ नवीकरण का कार्य पूरा किया गया है और 2009-10 के लिए 3500 कि.मी. का लक्ष्य रखा गया है। 66,565 कि.मी. बड़ी लाइन में से 57,345 कि.मी. को यंत्रीकृत अनुरक्षण के अंतर्गत लाया गया है।

रोड ओवर ब्रिज तथा रोड अंडर ब्रिज संरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। रेलवे तथा राज्य सरकारों के बीच लागत में भागीदारी की मौजूदा प्रक्रिया की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है। नई धारणा विकसित करने का समय आ गया है जहां आश्वस्त वित्त पोषण से इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निष्पादन किया जा सकता है। हम इस मामले को योजना आयोग के साथ उठायेंगे।

टक्कररोधी उपकरण (एंटी कोलिजन डिवाइस) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के 1736 मार्ग कि.मी. पर गाड़ी टक्कर की घटनाओं को रोकने के लिए टक्कररोधी उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके अलावा तीन रेलों तथा दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे तथा दक्षिण पश्चिम रेलवे में 1700 मार्ग कि.मी. पर इस प्रणाली के विस्तार का कार्य दो वर्षों में पूरा किये जाने की योजना है। अन्य रेलवे में इसके विस्तार से पूर्व मैं इस परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करूंगी।

रेलवे बोर्ड द्वारा संरक्षा संबंधी सभी मामलों पर ध्यान दिया जाएगा जो संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार होगा तथा इस संबंध में प्रभावी उपाय करेगा।

**सुरक्षा**

सुरक्षा रेलवे का अन्य प्राथमिकता क्षेत्र है। रेलवे स्टेशनों तथा गाड़ियों दोनों में यात्रियों को सुरक्षा प्रदान के अपने प्रयासों को सुदृढ़ कर रही है। सुरक्षा प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए 140 भेद्य और संवेदनशील रेलवे स्टेशनों के लिए एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली तैयार की गई है। हम कमांडों बटालियनें तैनात करने की योजना बना रहे और महिला कमांडों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए महिला रेल सुरक्षा बल दस्ते तैनात किये जा रहे हैं, खासकर ऐसे सेक्शनों में जहां बड़ी संख्या में महिलाएं नियमित रूप से अकेली यात्रा करती है, महिला आरपीएफ स्क्वैड तैनात किये जा रहे हैं। महोदया, कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना हालांकि राज्य सरकार का विषय है, तथापि यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए हम सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करेंगे।

**कर्मचारी कल्याण**

हमें अपने 14 लाख कर्मचारियों पर गर्व हैं। वे हमारे विकास के लीडर हैं:

* कर्मचारी क्वार्टरों तथा कालोनियों के सुधार के लिए समवेत कल्याण योजना के अंतर्गत बल दिया जाएगा। 2009-10 के दौरान, 6560 कर्मचारी क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव है।

* बड़े रेलवे मंडलों तथा जोनों, जिसमें भारत-बंगलादेश सीमा पर बोनगांव भी शामिल है, पर खेल-कूद, सांस्कृतिक तथा शिक्षणोत्तर गतिविधियां बढ़ाने के लिए इनडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा।

* मेरा कर्मचारी लाभ निधि में अंशदान को इस उपबंध के साथ एक वर्ष के लिए बढ़ाकर 350 रुपये प्रति कर्मचारी करने का प्रस्ताव है कि इस अंशदान में से, 100 रुपये प्रति कर्मचारी की राशि महिला सशक्तिकरण तथा रेलवे कर्मचारियों के शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग आश्रितों, विशेषकर बालिकाओं के वोकेशनल

तथा आक्यूपेशनल कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों और उन की उच्च शिक्षा के लिए ही होगी।

* ग्रुप ''डी'' कर्मचारियों की कन्याओं की उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करने का मेरा प्रस्ताव है ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।

* दिल्ली, कोलकाता, मुंबई (कल्याण), चेन्नै, सिकंदराबाद, लखनऊ और जबलपुर में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर रेलवे भूमि पर सात नर्सिंग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है ताकि रेलवे कर्मचारियों के आश्रितों को बेहतर व्यावसायिक अवसर प्राप्त हो सकें।

* रेल कर्मचारियों की नई पीढ़ी के बच्चों को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर मेडीकल कॉलेज स्थापित करने की योजना बनाई गई है। जो मौजूदा रेलवे अस्पतालों से सम्बद्द होंगे। ये चेन्नै, हैदराबाद, बिलासपुर, लखनऊ, बारासात, भुवनेश्वर, मैसूर, खड़गपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, जोधपुर, गार्डनरीच, नागपुर, अहमदाबाद, बी आर सिंह अस्पताल, भोपाल, जम्मू एवं त्रिवेन्द्रम में होंगे।

* 150 से अधिक बिस्तरों वाले 16 अस्पतालों में मरीजों के साथ आने वाली महिलाओं और पुरुषों के लिए डॉर्मिटरी बनाई जाएंगी।

* रेल कर्मियों के विशेष चिकित्सा उपचार के लिए महाप्रबंधकों को 4 लाख रुपये तक के मामले स्वीकृत करने का अधिकार होगा।

* टॉलीगंज के मेट्रो रेलवे अस्पताल को 75 बिस्तर वाले अस्पताल के रूप में अपग्रेड करने का प्रस्ताव है।

* दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै, सिकंदराबाद, बेंगलूरू और बी आर सिंह अस्पताल के प्रमुख अस्पतालों में बर्न यूनिट की व्यवस्था कराई जाएगी।

* रेल भर्ती बोर्डों के कार्यकरण के बारे में मुझे कई लोगों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। अत: भर्ती नीति और रेल भर्ती बोर्डों की शीघ्र ही समीक्षा की जाएगी।

* अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के बैक लॉग को पूरा करने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा।

* रेलवे की भर्तियों में अल्पसंख्यकों, महिलाओं और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को बेहतर प्रतिनिधित्व देने के लिए एक योजना बनाने का प्रस्ताव है।

* शारीरिक रूप से विकलांगों के कोटे की रिक्तियों को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा।

* हम रेल कर्मियों के लिए खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। मैं रेलवे के उन सभी खिलाड़ियों की सराहना करती हूं, जिन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया। खिलाड़ियों को भर्तियों में उनका वाजिब हिस्सा मिलेगा।

**ऑप्टिक फाइबर केबल**

महोदया, मैंने वर्ष 2001-2002 के रेल बजट में रेलवे लाइन के साथ वाणिज्यिक उपयोग के लिए ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क बिछाने की घोषणा की थी। 8 वर्ष के बाद मुझे इसमें बहुत कम प्रगति दिखाई दी है। अत: महोदया, मैं देश में दूरसंचार के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति के गठन का प्रस्ताव करती हूं: महोदया, श्री राजीव गांधी देश में दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति लाए थे। उस समय डॉ. सैम पित्रोदा भी उस क्रांति को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। मुझे उम्मीद है कि यह समिति रेलवे के ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क का इस्तेमाल करने और सूचना प्रौद्योगिकी को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए नए उपाय सुझाएगी।

**माल डिब्बे**

वर्ष 2009-10 के दौरान रेलवे ने चल-स्टॉक कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के 11,000 माल डिब्बों की तुलना में 18,000 माल डिब्बों की खरीद करने की योजना बनाई है। इसमें 7000 वैगनों की वृद्धि हुई है। रेलवे में माल डिब्बों की मांग बढ़ती जा रही है। हमारा बर्न स्टैंडर्ड और ब्रेथवेट से माल डिब्बा इकाइयों को टेकओवर करने की प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव है। बकाया देयताओं को समाप्त करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ बातचीत पहले ही शुरू कर दी है। यह सभी कार्रवाईयां शीघ्र पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि ये इकाइयां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन हैं।

महोदय, क्या मैं पूरा भाषण पढ़ूं अथवा क्या मैं इसे संक्षिप्त कर सकती हूं?

**अध्यक्ष महोदया:** ठीक है। आप इसे संक्षिप्त कर सकती हैं।

**कुमारी ममता बनर्जी:** महोदया, आपकी अनुमति से मैं यहां यह उल्लेख करना चाहती हूं कि मेरा भाषण जन आकांक्षाओं के मद्देनजर काफी लम्बा है। चूंकि रेलवे का नेटवर्क व्यापक है और यह सभी लोगों से जुड़ा है, मैं कुछ जगहों पर अपना भाषण संक्षिप्त करूंगी। *...(व्यवधान)* लेकिन पूर्ण मुद्रित भाषण को पढ़ा हुआ माना जाए।

**उत्पादन इकाइयां**

भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाइयों ने 2008-09 में बहुत अच्छा कार्यनिष्पादन किया है और कई इकाइयों ने उत्पादन तथा उत्पादकता के नए रिकार्ड बनाएं हैं:

* *__रेल कोच फैक्टरी/कपूरथला__ में नए एलएचबी डिजाइन के 121 स्टेनलैस स्टील के सवारी डिब्बों सहित 1558 सवारी डिब्बों का निर्माण किया। वर्ष 2009-10 के लिए 1562 सवारी डिब्बों का लक्ष्य है।

* **इंटीग्रल कोच फैक्टरी, चेन्नै** में 1337 सवारीडिब्बों का उत्पादन किया गया। वर्ष 2009-10 के लिए 1433 सवारी डिब्बों का लक्ष्य है।

* **डीजल इंजन कारखाना/वाराणसी** में वर्ष 2008-09 में 257 रेल इंजनों का निर्माण किया गया। वर्ष 2009-10 के लिए निर्धारित 250 रेल इंजन के लक्ष्य में अत्यधिक वृद्धि कर उच्च हॉर्स पावर क्षमता के रेल इंजनों की संख्या 150 रखी गयी है।

* **चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने** में अब तक सर्वाधिक 220 रेल इंजनों का निर्माण किया गया जिसमें 54 3-फेज उच्च हॉर्स पावर रेल इंजन शामिल हैं। वर्ष 2009-110 के लिए 250 रेल इंजन का लक्ष्य है।

* **रेल पहिया कारखाना/बेंगलूरू** ने पहिया उत्पादन में वर्ष 2008-09 में 1,96,261 पहियों का निर्माण करके वर्ष 2007-08 के पहिया उत्पादन की तुलना में 35% अधिक उत्पादन किया है। वर्ष 2009-10 में 2,00,000 पहियों के उत्पादन का लक्ष्य है।

* **डीजल आधुनिकीकरण कारखाना** डीजल रेल इंजनों के मौजूदा बेड़े को अपग्रेड करके 2600 एचपी से 3100 एचपी और 3300 एचपी डीजल रेल इंजन कर रहा है।*

**व्यावसायिक आधार पर रेलवे कारखानों को पुनर्गठित करना**

**हमारे रेल कारखानों की संपूर्ण दक्षता में सुधार करने और इकाई लागत में कमी लाने के लिए** एक व्यावसायिक योजना बनाई जाएगी। इसे गोल्डन रॉक, परेल, अजमेर और खड़गपुर कारखानों में कार्यान्वित किया जायेगा।

**रेलवे प्रिंटिंग प्रेस**

**महोदया, रेलवे की प्रिंटिंग प्रेसों की हमेशा से उपेक्षा की जाती रही है** और उन्हें एक गैर उत्पादक परिसंपत्ति मान लिया गया है। मेरा विश्वास है कि यदि हम कुछ प्रमुख प्रिंटिंग प्रेसों जैसे मुंबई (भायखला), दिल्ली, (शकूरबस्ती), कोलकाता (हावड़ा), चेन्नै को अपग्रेड करने और उनका आधुनिकीकरण करने का प्रयास करें तो यह न केवल किफायती ही होगा, बल्कि इससे आनुषंगिक विकास और वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त स्थान भी उपलब्ध हो सकेगा। मैंने इस संबंध में नीति की समीक्षा करने के लिए कहा है। मैं यह भी जानती हूं कि **बसुमति साहित्य मंदिर** जैसी पुरानी संस्थाएं हैं, जो दुर्भाग्यवश पिछले दो सालों से बेकार पड़ी हैं। यदि राज्य सरकार चाहे, तो वे यह इकाई हमें दे सकती हैं और यदि ऐसा होता है, तो हमें खुशी होगी। इस महान संस्था ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऋषि अरविन्द, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, श्री श्रीरामकृष्ण और विवेकानन्द जैसी प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक हस्तियों से जुड़ी हुई है। यदि राज्य सरकार इस संस्था को रेलवे को सौंपने के लिए तैयार हो तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।

**सरकारी क्षेत्र के उपक्रम–हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अच्छा कार्य कर रहे हैं**

वर्ष 2007-08 के दौरान, रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी क्षेत्र के सभी 10 उपक्रमों ने अच्छा कार्यनिष्पादन किया है और 11,880 करोड़ रुपये का कम्बाइंड टर्नओवर हासिल किया है और 1,950 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। रेलवे को 261 करोड़ रुपये के कुल लाभांश का भुगतान किया गया है।

**मालभाड़ा व्यवसाय**

रेलवे द्वारा ढोए जाने वाले माल यातायात के अनुपात में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किये जा रहे हैं:

* कोयले, लौह अयस्क, सीमेंट, उर्वरक एवं खाद्यान्न के लदान में सुधार लाने के अलावा रेलवे ऑटोमोबाइल, फ्लाई ऐश एवं अन्य **नए यातायात क्षेत्रों में अपनी भागीदारी बढ़ाने के** लिए सतत् प्रयासरत हैं।

* कंटेनरों को **निजी साइडिंगों** तक जाने की अनुमति दी जाएगी जिससे फुटकर यातायात प्राप्त करने में मदद मिलेगी जिसे इस समय रेलवे द्वारा नहीं ढोया जा रहा है।

* संवेदनशील कार्गो के लिए निश्चित पारागमन समय के साथ कंटेनर संचालन के लिए एक प्रीमियम सेवा शुरू करने पर विचार किया जा रहा है।

* विशेष कामोडिटीज के लिए चल स्टॉक के निजी स्वामित्व तथा माल टर्मिनलों के निजी संचालन को बढ़ावा दिया जाएगा।

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

* **निजी माल टर्मिनलों** और **मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्कों** के निर्माण और उनके परिचालन के लिए एक नई नीति की घोषणा की जाएगी।

* रेलवे, भागीदारी वित्तपोषण के जरिये विभिन्न व्यवसायों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले **लॉजिस्टिक पार्कों** की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों और प्रमुख लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं को एक साथ लाने की प्रक्रिया में लगी हुई है।

* प्रस्तावित **पूर्वी एवं पश्चिमी समर्पित माल गलियारों** के साथ **मेगा लॉजिस्टिक हब्स** स्थापित किये जाने की योजना है।

**किसानोन्मुखी परियोजना**

महोदया, आपको मालूम ही है कि हमारे देश में **फल और सब्जियों के बेकार** हो जाने के कारण हर वर्ष **35 से 40 हजार करोड़ रुपये का अनावश्यक नुकसान** होता है। हमारे देश के किसान प्रसन्न होंगे। मुझे **सदन को** यह **सूचित करते हुए** बहुत प्रसन्नता है कि रेलवे का फलों एवं सब्जियों, मछलियों इत्यादि जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों को उनके चिन्हित उत्पादन स्थलों से उपभोक्ता केन्द्रों तक पहुंचाने के लिए विशेष गाड़ियां चलाकर दूसरी हरित क्रांति में अपना योगदान देने का प्रस्ताव है, इससे खराब होने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और ताजगी बरकरार रखी जा सकेगी। रेलवे सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के जरिये **कोल्ड स्टोरेज और ताप नियंत्रित पैरीगैबल कार्गो केन्द्रों की स्थापना** एवं उनके परिवहन के लिए सुविधाओं के सृजन को भी बढ़ावा देगी। इस प्रयोजन के लिए रेलवे स्थलों का पता लगाने और समुचित सेवाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए व्यावसायिक एजेंसी की मदद भी लेगी।

समान आधार पर, लघु उद्योग क्षेत्र के प्रोत्साहन के लिए तिरुपुर, धानेखाली, शांतिपुर इत्यादि **उत्पादन स्थलों से ग्रामीण हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग एवं वस्त्र उत्पाद को उपभोक्ता केन्द्रों** तक पहुंचाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराएंगे। ये नये बाजारों में उनकी पहुंच एवं ग्राह्यता में अधिकतम वृद्धि करेगी। इससे उन्हें बेहतर बाजार मिल सकता है।

**सुपरफास्ट पार्सल एक्सप्रेस गाड़ियां**

**मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि** निम्नलिखित तीन मार्गों के बीच प्रायोगिक आधार पर **''तीव्रतर पार्सल सेवा'' के नाम से एक प्रीमियम पार्सल सेवा शुरू की जा रही है:**

तुगलकाबाद (दिल्ली) और रोयापुरम (चेन्नई)
तुगलकाबाद (दिल्ली) और वापी (मुम्बई के निकट)
तुगलकाबाद (दिल्ली) और हावड़ा

यह एक समय सारणीबद्ध सेवा होगी जो समर्पित टर्मिनलों से शुरू होगी और जिसके लिए गारंटी पारागमन समय होगा और इसका बुकिंग वैब आधारित होगी।

**समर्पित माल यातायात गलियारा**

पश्चिमी तथा पूर्वी मार्गों पर समर्पित माल यातायात गलियारा परियोजना एक **महत्वपूर्ण परियोजना** है **जो देश के एक हार की तरह जोड़ देगी।** महोदया मैं हार की बात कर रही हूं जो सामान्यत: महिलाएं विशेष अवसरों पर पहनती हैं।

**डॉ. मुरली मनोहर जोशी** (वाराणसी): क्या लालू जी इसे स्वीकार करेंगे? *...(व्यवधान)*

**कुमारी ममता बनर्जी:** लेकिन यदि आप चाहें, तो हम इसे हीरे की तरह भी बना सकते हैं *...(व्यवधान)*

देश में अवसंरचना के सृजन और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस परियोजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे भारतीय रेल की **'डायमंड रेल गलियारा'** परियोजना के रूप में घोषित करना चाहूंगी। **पश्चिमी गलियारा** उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। रेलवे में विश्वास व्यक्त करने के लिए धन्यवाद। *...(व्यवधान)* यह वेस्टर्न कॉरिडोर बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बहुत स्टेटों को फायदा होगा। **पूर्वी गलियारा** दानकुनी के रास्ते लुधियाना से कोलकाता तक जाएगा जो पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के रास्ते से गुजरेगा। अन्य ट्रैक मार्गों यथा **उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम, पूर्व-दक्षिण** और **दक्षिणी (चेन्नै और गोवा) गलियारों** के लिए अर्थक्षमता पूर्व अध्ययन किये गये हैं और रेल मंत्रालय इस संबंध में आगे कार्रवाई करने के लिए कदम उठायेगा।

सरकार ने **पूर्वी गलियारे** का दानकुनी तक विस्तार करने के कार्य को अनुमोदित कर दिया है। इस परियोजना को समयबद्ध आधार पर और किफायती रूप में कार्यान्वित करने के लिए मैं एक विशेषज्ञ समिति का गठन करूंगी जो सभी पहलुओं की जांच करेगी और एक **सुदृढ़ कार्य योजना** का विकास करेगी।

पश्चिमी समर्पित माल गलियारे के प्रभाव में **दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारे** का विकास किया जा रहा है जिसमें औद्योगिक हब, रेल पोर्ट संपर्क, लॉजिस्टिक पार्क तथा मेगा पावर प्लांट शामिल हैं जिनका कार्यान्वयन **सार्वजनिक निजी भागीदारी** के रूप में किया जाएगा।

**मैं दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारे** के समान ही पूर्वी डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर के साथ पूर्वी औद्योगिक गलियारे के विकास की परिकल्पना करती हूं। मैं **रेलवे भूमि का रचनात्मक उपयोग** करने का प्रस्ताव करती हूं।

माननीय प्रधान मंत्री, श्रीमती सोनिया गांधी और इस सम्मानित सभा के सभी नेतागण तथा सभी माननीय सदस्य इससे प्रसन्न होंगे। हम रेलवे भूमि का उपयोग औद्योगिक और राष्ट्रीय उद्देश्यों हेतु करने जा रहे हैं ...*(व्यवधान)* ऐसा जबरजस्ती से नहीं किया जाएगा। हम उनकी पहचान करेंगे ...*(व्यवधान)*। इससे लागत में वृद्धि से भी बचा जा सकेगा और औद्योगिक परियोजनाओं को भी शीघ्र शुरू करने में मदद मिलेगी। इस गलियारे में औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए, मैंने दानकुनी, माझेरहाट और नवपारा क्षेत्र में चल स्टॉक उत्पादन और असेम्बली सुविधाओं और सवारी डिब्बों की पुनर्स्थापना के लिए निवेश शामिल किया है। इससे पूर्वी औद्योगिक गलियारे के आसपास **रेल आधारित औद्योगिक समूह** की स्थापना के लिए नींव रखी जाएगी जिससे कोयला तथा अयस्क खानों के निकट होने का, श्रमशक्ति की उपलब्धता तथा भारत के सर्वाधिक बड़े धातु बाजार के आंतरिक लाभ प्राप्त किए जा सकेंगे।

महोदया, देश में **मैट्रो सवारी डिब्बों** तथा **ईएमयू/एमईएमयू सवारी डिब्बों की बड़े पैमाने पर भारी मांग** है और क्षमता संवर्धन एक तत्काल अनिवार्यता है हम रायबरेली और अन्य स्थानों पर इस कार्य में तेजी लाएंगे। **कांचरापाड़ा हालिशहर रेलवे परिसर में** प्रतिवर्ष 500 ऐसे सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं सहित एक **नए सवारी डिब्बा कारखाने की स्थापना** के बारे में घोषणा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह कारखाना **संयुक्त उद्यम/सार्वजनिक निजी भागीदारी** के आधार पर स्थापित किया जाएगा।

रेलवे ने पहले ही नबीनगर में नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन के सहयोग से एक पावर प्लांट की स्थापना के लिए पहल की है, जिससे रेलवे को बिजली की लागत में भारी बचत होने की संभावना है। **ऊर्जा मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के बाद हमने आद्रा में** कर्षण बिजली वितरण में सस्ती दरों पर उपलब्धता हेतु **1000 मेगावाट के पावर प्लांट** की स्थापना का प्रस्ताव किया है। महोदया, जैसाकि मैंने आरंभ में ही अपने भाषण में उल्लेख किया था यह परियोजना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अल्पविकसित आदिवासी क्षेत्र में स्थित होगी और इससे **आदिवासी क्षेत्र की जनता** के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराने और उन्हें **मुख्य धारा में** शामिल करने में मदद मिलेगी। जैसाकि आप जानते हैं कि लालगढ़, झारखंड और बंगाल की सीमा पर स्थित है। यह लालगढ़, पुरुलिया और बांकुरा को शामिल करेगा, जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं।

**रोजगार के लिए प्रशिक्षण**

*[हिन्दी]*

हमें एक-दो करना है। आपने कितना किया है?

**श्री लालू प्रसाद** (सारण): मैडम मैं कोई टोका-टाकी नहीं कर रहा हूं। आप मुझ पर क्यों नाराज हो रही हैं?

**अध्यक्ष महोदया:** मैडम आप पढ़िये। आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिए। श्री लालू प्रसाद जी कृपया बैठ जाइए।

*[अनुवाद]*

**कुमारी ममता बनर्जी: भारत में युवा लोगों की बहुत बड़ी जनसंख्या** है उनके **आर्थिक सशक्तीकरण और बेहतर भविष्य** के लिए उनके कौशल का विकास और उन्नयन का अत्यधिक महत्व है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन में योगदान के रूप में हम अपनी प्रशिक्षु प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ करेंगे तथा दानकुनी में प्रस्तावित नई सुविधाएं युवा कारीगरों और पर्यवेक्षकों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करेंगी। यह **राष्ट्रीय प्रतिभा कोष में एक उल्लेखनीय योगदान** के रूप में होगा और पूर्वी औद्योगिक गलियारे को राष्ट्र के भावी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करेगा। इसीलिए दानकुनी से होकर पूर्वी गलियारा बनाया जाएगा। मेरे भाषण में सबका उल्लेख है।

**2008-09 में कार्य-निष्पादन**

महोदया, विश्व भर में आर्थिक मंदी के बावजूद पिछले वित्त वर्ष में रेलवे ने 833 मिलियन टन **माल का लदान** किया जो **पिछले वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत अधिक** है। यातायात प्राप्तियों में 11.4% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 79,862 करोड़ तक जा पहुंचा। कड़े किफायती उपायों के जरिये व्यय में **676 करोड़ रु. की बचत** की गई। **छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए 13,600 करोड़ रुपये के वितरण** के बावजूद रेलवे ने **17,400 करोड़ रुपये के लाभांश से पूर्व नकद** अधिशेष सफलतापूर्वक सृजित किया और **4,717 करोड़ रुपये की लाभांश दायिता पूरी** करने के बाद **12,681 करोड़ रुपये** के निवेश के लिए **आंतरिक संसाधन** बरकरार रखने में समर्थ रही। वर्ष 2008-09 के लिए **योजना व्यय** 36,733 करोड़ रुपये के संशोधित लक्ष्य की तुलना में 36,336 करोड़ रुपये रहा।

महोदया, अब मैं वर्ष 2009-10 बजट अनुमानों के बारे में उल्लेख करना चाहूंगी।

महोदया, मैं रेलवे के 2008-09 कार्य-निष्पादन में गिरावट के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2009-10 के लिए बजट अनुमान पेश कर रही हूं। माल यातायात लदान **850 मिलियन टन** के लक्ष्य की तुलना में 17 मिलियन टन कम रहा। इसी प्रकार रेलवे की अनुप्रयुक्त भूमि के वाणिज्यिक उपयोग से होने वाला प्रत्याशित राजस्व भी संतोषजनक नहीं रहा। इन कमियों का मुख्य कारण **अर्थव्यवस्था में मंदी** प्रतीत होती है।

मैं अंतरिम बजट में वर्ष 2009-10 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की समीक्षा करने के लिए बाध्य हूं इस समीक्षा के आधार पर यह बहुत ही स्पष्ट है कि **अंतरिम बजट में निर्धारित किये गये अवास्तविक लक्ष्य** हासिल नहीं किये जा सकते और इनमें मध्य में ही सुधार करने की आवश्यकता हुई। अब मैंने विनिर्माण क्षेत्र और निर्यात में मंदी के रूख को ध्यान में रखते हुए मुख्य बजट में वर्ष 2009-10 के लिए अपेक्षाकृत अधिक वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। बहरहाल, मुझे विश्वास है कि दृढ़ निश्चयी 14 लाख रेल परिवारों के प्रयासों से हम बेहतर निष्पादन स्तर को हासिल करके सदन के समक्ष उपस्थित होंगे।

वर्ष 2009-10 के लिए माल यातायात का लक्ष्य **882 मिलियन टन** निर्धारित किया गया है। यह 2008-09 की तुलना में 49 मिलियन टन का वृद्धिपरक लदान देगा, जबकि 2008-09 में वृद्धिपरक लदान केवल 39 मिलियन टन था। यह **महत्वाकांक्षी लक्ष्य** मंदी विरोधी उपाय के रूप में आर्थिक प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे विशेष उपायों तथा अधिक तथा नये यातायात को आकर्षित करने के लिए रेलवे द्वारा किये जाने वाले विशेष प्रयासों को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। **लम्बी दूरी के यातायात को हासिल करने** के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं।

महोदया, जैसाकि मैंने पहले कहा कि मैं अपने भाषण को संक्षिप्त करूंगी।

इन सभी उपायों से माल यातायात से 58,525 करोड़ रुपये की आमदनी होने की संभावना है, जो 2008-09 के निष्पादन से **5,092 करोड़ रुपये** अधिक है।* **यात्री यातायात से होने वाली आय 24,309 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।** दीर्घकालिक रूख को ध्यान में रखते हुए 10.8% की वृद्धि का प्रावधान किया गया।

**अन्य कोचिंग आमदनी** के लिए **2,750 करोड़ रुपये** का लक्ष्य रखा गया है जो 2008-09 में किये गये निष्पादन की तुलना में **40% अधिक** होगा। यह मेरा निश्चित मत है कि सामान यानों की उचित मार्केटिंग तथा प्रमुख पार्सल सेवाएं चलाने से हमें इस कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।*

महोदया, रेलवे को गैर-पारंपरिक स्रोतों से राजस्व प्राप्त होने की काफी संभावना है। मैंने **रेल मंत्री के अपने पिछले कार्यकाल** के दौरान इस संबंध में अनेक उपायों की पहल की थी। इस क्षमता को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किये गये। **अब मैं सार्वजनिक-निजी-भागीदारी के जरिये भूमि तथा हवाई क्षेत्र के उपयोग के लिए नए अभिनव** विचार विकसित करूंगी। इन कार्य योजनाओं की गहन निगरानी की जाएगी ताकि अगले तीन वर्ष में काफी राजस्व हासिल किया जा सके। फुटकर आय के लिए 2,760 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन एक बार ये उपाय शुरू हो जाएं तो मुझे विश्वास है कि हम न केवल इसमें और सुधार ला सकेंगे, अपितु आश्चर्यजनक रूप से अधिक आय सृजन करने में सफल होंगे।

यातायात उचंत से होने वाली प्राप्ति 75 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है, जबकि 2008-09 में निष्पादन 25 करोड़ रुपये का था। पुराने अनुमानों के आधार पर **सकल संचालन प्राप्तियां 88,419 करोड़ रुपये** होने की संभावना है जो कि 2008-09 के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 8,557 करोड़ रुपये की वृद्धि का परिचायक है।

मेरा प्रस्ताव **साधारण संचालन व्यय को 62,900 करोड़ रुपये** तक रखने का है ताकि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के अनुसरण में 2009-10 में देय वेतन के 60% बकाया के वितरण और अनुरक्षण खर्चों के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। बहरहाल, मैं साथ ही यह प्रयास भी कर रही हूं कि **कड़े किफायती उपाय** अपनाए जाएं ताकि संचालन व्यय में पर्याप्त रूप से बचत हो सके। **कुल संचालन व्यय 81,665 करोड़ रुपये** होने की संभावना है जिसमें **मूल्यह्रास आरक्षित निधि** में विनियोग के लिए **5,325 करोड़ रुपये** और **पेंशन निधि** में विनियोग के लिए **13,440 करोड़ रुपये** शामिल हैं।

2009-10 में **14,600 करोड़ रुपये** की सीमा तक **छठे वेतन आयोग के प्रभाव को आत्मसात करने** के बाद लाभांश से पहले रेलवे का नकद अधिशेष **14,201 करोड़ रुपये, निवल** राजस्व 8,121 करोड़ रुपये और **संचालन अनुपात 92.5%** बनता है।

महोदया, मुझे गर्व है कि छठे वेतन आयोग के कारण कार्य संचालन व्ययों में वृद्धि तथा अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी के मिश्रित प्रभाव के बावजूद रेलवे ने 2008-09 में 4,717 करोड़ रुपये की पूरी लाभांश देयता का भुगतान किया है तथा **2009-10 में 5,479 करोड़ रुपये के अपेक्षाकृत अधिक लाभांश का भी भुगतान** करेगा।

उपर्युक्त संभावनाओं के आधार पर 2009-10 के लिए रेलवे का **आधिक्य 2,642 करोड़ रुपये** होगा जो कि रेलवे निधि में विनियोजित किया जाएगा।

**रियायत**

*[हिन्दी]*

**इज्जत**

महोदया, **हर आदमी इज्जत से जीना चाहता** है। जिन्दगी का सफर तो इज्जत से ही शुरू होता है। रेल का सफर भी एक

*.....*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

जिन्दगी का सफर है। मैं चाहती हूं हर आदमी हमारी रेल पर इज्जत से सफर करे। इसलिए **गरीब-से-गरीब को भी इज्जत से सफर करने के लिए एक तोहफा देना चाहती हूं।**

*[अनुवाद]*

इसलिए मैं एक **नई योजना** 'इज्जत' की घोषणा करना चाहती हूं। इसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के सदस्यों, जिनकी मासिक आय 1,500 रुपये प्रतिमाह से कम है। केवल **25 रुपए** में 100 कि.मी. दूरी के लिए **एम एस टी** भी दिया जाएगा, जिस पर कोई अधिभार नहीं लगेगा। इससे देश के लाखों लोगों को रेल में सम्मान से सफर करने का मौका मिलेगा। यह योजना संसद सदस्यों के सहयोग से कार्यान्वित होगी। अब मैं एक शेर पढ़ती हूं:

**''भंवर से लड़ो,**
**तुम लहरों से उलझो,**
**कहां तक चलोगे,**
**किनारे-किनारे''**

**प्रेस संवाददाताओं को रियायतें**

अब मैं प्रेस पर आती हूं। इन्हें कूपन देने की बजाए अब यह प्रस्ताव है कि प्रेस सूचना ब्यूरो और अन्य सक्षम राज्य और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा दिये गये प्रमाणन के आधार पर उन्हें फोटो प्रमाण-पत्र-सह-क्रेडिट कार्ड जारी किये जाएं। इस कार्ड को दिखाने पर प्रेस संवाददाताओं को आरक्षण प्राप्त करने तथा यात्री आरक्षण प्रणाली/अनारक्षण टिकट प्रणाली के काउंटरों से टिकट प्राप्त करने में सुविधा होगी। इसमें ऐसी सुविधा होगी कि प्रेस संवाददाता अपने परिवार के ऐसे सदस्यों को अपने साथ बैठा सकेंगे, जो इस सुविधा को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा, प्रेस अभी कंसेशन है।

*[हिन्दी]*

देखिए आप लोग काम करते हैं लेकिन बीवी को लेकर तो नहीं घूमते हैं। इसलिए पति/पत्नी के साथ यात्रा के लिए वर्ष में एक बार 50% रियायत दी जाएगी।

महोदया, रेलवे में विद्यार्थियों के लिए रियायतें जनरल श्रेणी में पहले ही हैं। अब केवल **मदरसा, उच्च मदरसा तथा सीनियर मदरसा** में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी विद्यार्थी के लिए केवल निर्धारित रियायतें दी जाएंगी क्योंकि छात्र ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं हो सकता है कि कुछ क्षेत्रीय संस्थाएं और कुछ मदरसों को शामिल किया गया है। अत: सभी को शामिल किया जाए। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए रियायत है। मदरसा, उच्च मदरसा तथा सीनियर मदरसा तक स्कूल में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध रियायती मासिक सीजन टिकटें अब मेट्रो रेल कोलकाता में भी यात्रा के लिए अनुमेय होंगी। इसमें विद्यार्थियों के लिए मेट्रो किराये में **60% की रियायत** लागू होंगी। **मान्यताप्राप्त वोकेशनल संस्थान** में जाने वाले विद्यार्थियों को भी मेट्रो किराये में रियायत दी जाएगी। आशा है कि अन्य मेट्रो प्रणालियों पर ऐसी ही रियायतें दी जाने को प्रेरणा मिलेगी।

**केवल महिला स्पेशल**

*[हिन्दी]*

**श्री लालू प्रसाद:** लेडीज स्पेशल ट्रेन मुम्बई में है।

**कुमारी ममता बनर्जी:** मैडम, किसने चलायी हैं, क्या हमने चलायी हैं? मैडम पीक आवर्स में लेडीज को बहुत दिक्कत होती है। इसी तरह अभी मुम्बई में जो ट्रेनें चल रही हैं उन्हें हम कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में भी चलाएंगे।

*[अनुवाद]*

ये ट्रेन केवल व्यस्त समय में ही महिला स्पेशल होंगी।

महोदया, हमारे देश में कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ी है। कार्य के लिए उन्हें यात्रा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अत: मैं मुंबई उपनगरीय पैटर्न पर दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता उपनगर में 'केवल महिलाओं' के लिए ईएमयू गाड़ियां चलाने की घोषणा करती हूं। ये गाड़ियां कार्य समय के दौरान महिला यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जाएगी।

**गाड़ी सेवाएं**

**युवा गाड़ियां:** महोदया, युवा पीढ़ी हमारी संपत्ति है और हमें उन पर गर्व है। आर्थिक कठिनाइयों के कारण गरीब युवा हमारी गाड़ियों में यात्रा नहीं कर पाते हैं। मैं विशेष रूप से **युवा पीढ़ी के लिए समर्पित ''युवा गाड़ियां''** चलाऊंगी। ऐसी गाड़ियां प्रमुख नगरों के बीच चलाई जाएंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि युवा और कम आय समूह वाले व्यक्ति इन शहरों के बीच कम किराये पर यात्रा कर सके। इन कम किराये वाली तेज रफ्तार गाड़ी सेवाओं को ग्रामीण इलाकों से प्रमुख मेट्रो/नगरों को जोड़ने के लिए चलाया जाएगा। ऐसी गाड़ियां **वातानुकूलित** होंगी और इनमें बैठने का स्थान होगा तथा ये गाड़ियां 1000 कि.मी. से 2500 कि.मी. के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच चलेगी। इनका किराया 1500 कि.मी. तक 299 रुपये और 2500 कि.मी. तक की दूरी के लिए 399 रुपए होगा।

निम्नलिखित सेक्शनों पर आगामी तीन महीनों के भीतर पायलट सेवा के रूप में एक साप्ताहिक गाड़ी चलाई जाएगी।

(क) मुंबई से दिल्ली

(ख) दिल्ली से कोलकाता

यदि यह प्रयोग सफल रहा तो देश के अन्य भागों में भी इस प्रकार की गाड़ियां चलाई जाएगी।

**इज्जत, विद्यार्थी एवं प्रेस रियायतों, महिला स्पेशल और युवा गाड़ियों** के बाद अब मैं ''**ड्यूरोन्टो**'' नाम से एक नई गाड़ी सेवा की ओर आती हूं। ''ड्यूरोन्टो'' के नाम से एक नई गाड़ी सेवा चलाई जाएगी जिसमें **वातानुकूल और गैर-वातानुकूल शायिकाएं** होंगी और यह देश भर में चुनिंदा नगरों के बीच **एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना रुके** चलाई जाएगी। यह बिना रुके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाली सेवा होगी। जल्दी पहुंचो कहीं रुकेगी नहीं। रुकावट के लिए खेद है। हमारे इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब हम बिना रुके चलने वाली गाड़ियां चलाएंगी। कुछ चुनिंदा शहरों के बीच चलने वाली इन ट्रेनों में वातानुकूल और गैर-वातानुकूल शायिकाएं होंगी और ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना रुके चलेंगी। मैं हमारे इतिहास में पहली बार यह करने जा रही हूं ...*(व्यवधान)*

**डॉ. मुरली मनोहर जोशी:** क्या यह 'ड्यूरोन्टो' गाड़ी है?

*[हिन्दी]*

**कुमारी ममता बनर्जी:** बंग्ला में ड्यूरोन्टो और हिन्दी में तुरंत। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**ड्यूरोन्टो गाड़ी सेवाएं**

यहां बंगाली और हिन्दी के कुछ शब्द मिल गए हैं।

*[हिन्दी]*

जैसे इज्जत शब्द है। औधिकार हम बंग्ला में बोलते हैं और हिन्दी-उर्दू में उसको इज्जत बोलते हैं। तो ऐसा हो जाता है। इतिहास में पहली बार हमने एक दर्जन दिया है। बाद में फिर रैक मिलेगा तो फिर देंगे। एक दर्जन नॉन स्टॉप गाड़ियां होंगी जो रुकेंगी नहीं। स्टार्ट होंगी और पहुंचेगी।

*[अनुवाद]*

1. नई दिल्ली-जम्मूतवी बिना रुके (सप्ताह में तीन दिन)
2. हावड़ा-मुंबई (वातानुकूलित) बिना रुके (सप्ताह में दो दिन)
3. मुंबई-अहमदाबाद (वातानुकूलित) बिना रुके (सप्ताह में तीन दिन)
4. चेन्नै-दिल्ली बिना रुके (सप्ताह में दो दिन)
5. नई दिल्ली-लखनऊ बिना रुके (सप्ताह में तीन दिन)
6. दिल्ली-पुणे (वातानुकूलित) बिना रुके (सप्ताह में दो दिन)
7. हावड़ा-दिल्ली बिना रुके (सप्ताह में दो दिन)
8. नई दिल्ली-इलाहाबाद बिना रुके (सप्ताह में तीन दिन)
9. सियालदह-नई दिल्ली बिना रुके (सप्ताह में दो दिन)
10. कोलकाता-अमृतसर बिना रुके (सप्ताह में दो दिन)
11. भुवनेश्वर-दिल्ली बिना रुके (साप्ताहिक)
12. एर्णाकुलम-दिल्ली बिना रुके (साप्ताहिक)

मैं नई रेलों के नाम बता रही हूं क्योंकि समय बहुत कम है। केवल एक महीने में, यह सब तैयार करके सामने रखना बहुत कठिन है ...*(व्यवधान)* अरे दिया है। आप देखिए तो पहले। मैं केवल कुछ रेलों के नाम बता रही हूं। बजट तैयार करने हेतु दिये गये केवल एक माह के समय में बहुत कुछ करना संभव नहीं है। मैं, अब इसे पढ़ूंगी। सुनिये अच्छे से। ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

अरे भाई सुनिये नहीं तो भूल जाएंगे तो कोई पॉइंट छूट जाएगा। ...*(व्यवधान)* गोहाटी है। आप देखिए।

*[अनुवाद]*

**अन्य नई गाड़ी सेवाएं**

यात्रियों की बढ़ती हुई मांग के चलते मेरा निम्नलिखित गाड़ी सेवाओं को प्रारंभ करने का भी प्रस्ताव है। मैं केवल थोड़ी सी ही गाड़ियां दे रही हूं जैसाकि एक महीने की बजट तैयारी के भीतर संभव था।

**(क) नई गाड़ियां**

1. विशाखापट्टनम-सिकंदराबाद-मुंबई सुपरफास्ट (सप्ताह में दो दिन)
2. श्रीगंगानगर-दिल्ली-नांदेड़ सुपरफास्ट (साप्ताहिक)

**श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी** (कोकराझार): बोडोलैंड से होते हुए मुरकॉन्स्लेक से नई दिल्ली तक नई रेलें चलाने के बारे में क्या हुआ? *...(व्यवधान)*

**कुमारी ममता बनर्जी:** ठीक है, मैं वादा करती हूं कि आपको एक नई रेल दूंगी।

3. न्यू जलपाईगुड़ी-सियालदह सुपरफास्ट (सप्ताह में तीन दिन)
4. बंगलौर-हुबली-शोलापुर सुपरफास्ट (सप्ताह में तीन दिन)
5. हावड़ा-बंगलौर सुपरफास्ट (साप्ताहिक)
6. पुणे-दौंड-शोलापुर सुपरफास्ट (प्रतिदिन)
7. रांची-हावड़ा (3 दिन वरास्ता घाटशिला-खड़गपुर और 3 दिन वरास्ता आसनसोल) इंटरसिटी (सप्ताह में छह दिन)
8. कामाख्या-पुरी एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
9. जबलपुर-अम्बिकापुर एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन)
10. गांधीधाम-हावड़ा सुपरफास्ट (साप्ताहिक)
11. दिल्ली-सादुलपुर एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन)
12. अजमेर-भोपाल एक्सप्रेस (9655/56 अजमेर-रतलाम और 9303/04 रतलाम-भोपाल एक्सप्रेसों के एकीकरण पर) (प्रतिदिन)
13. बिलासपुर-तिरून्नवेल्ली (तिरुवनन्तपुरम) सुपरफास्ट (साप्ताहिक)
14. मुंबई-कारवार सुपरफास्ट (सप्ताह में तीन दिन)
15. दुर्ग-जयपुर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
16. डिब्रूगढ़ टाउन-चंडीगढ़ एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
17. दिल्ली-फरक्का एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)
18. निजामुद्दीन-बंगलौर राजधानी एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन) वरास्ता कांचेगुड़ा
19. न्यू जलपाईगुड़ी-दिल्ली एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन) वरास्ता बरौनी
20. मुंबई-वाराणसी सुपरफास्ट (प्रतिदिन)
21. मैसूर-यशवंतपुर एक्सप्रेस (प्रतिदिन)
22. कोरापुट-राऊरकेला एक्सप्रेस (प्रतिदिन) वरास्ता रायगढ़
23. आगरा-अजमेर इंटरसिटी सुपरफास्ट (प्रतिदिन)
24. मुंबई-जोधपुर-बीकानेर सुपरफास्ट (सप्ताह में दो दिन)
25. आगरा-लखनऊ जं. इंटरसिटी (प्रतिदिन)
26. हापा-तिरुन्नवेल्ली सुपरफास्ट (सप्ताह में दो दिन) वरास्ता तिरूवनन्तपुरम
27. ग्वालियर-भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस (सप्ताह में 5 दिन दिन) वरास्ता गुणा
28. कन्याकुमारी-रामेश्वरम एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन) वरास्ता मदुरै
29. हावड़ा-हरिद्वार सुपरफास्ट (सप्ताह में 5 दिन)
30. वाराणसी-जम्मूतवी सुपरफास्ट (प्रतिदिन)
31. गोरखपुर-मुंबई सुपरफास्ट (प्रतिदिन)
32. नई दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस (साप्ताहिक) बरास्ता मुजफ्फरपुर

तीन हो गया *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री उमाशंकर सिंह:** बिहार का नाम नहीं है। *...(व्यवधान)*

**कुमारी ममता बनर्जी:** अरे भई क्या है?

*[अनुवाद]*

33. बीरावाल-मुंबई लिंक सर्विस (प्रतिदिन)
34. रांची-पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस (प्रतिदिन)
35. झांसी-छिंदवाड़ा एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन) वरास्ता बीना-भोपाल
36. मुंबई-जोधपुर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
37. जमालपुर-गया पैसेंजर (प्रतिदिन)
38. झाझा-पटना एमईएमयू (प्रतिदिन)
39. कानपुर-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस (सप्ताह में 6 दिन)
40. भोपाल-लखनऊ-प्रतापगढ़ सुपरफास्ट (साप्ताहिक)

41. लखनऊ-रायबरेली-बंगलौर सुपरफास्ट (साप्ताहिक)
42. शिमोगा-बंगलौर इंटरसिटी एक्सप्रेस (प्रतिदिन)
43. मदुरै-चेन्नै (सप्ताह में दो दिन)
44. गुवाहाटी-न्यू कूचविहार एक्सप्रेस इंटरसिटी (प्रतिदिन)
45. बल्लूरघाट-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस (प्रतिदिन) वरास्ता किशनगंज
46. अलीपुरद्वार-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस इंटरसिटी (प्रतिदिन) वरास्ता सिलीगुड़ी
47. धरमनगर-अगरतल्ला फास्ट पैसेंजर (प्रतिदिन)
48. रेवाड़ी-फुलेरा पैसेंजर (प्रतिदिन) वरास्ता रिंगस
49. शोरानूर-नीलामबूर रोड पैसेंजर (प्रतिदिन)
50. कोयम्बटूर-शोरनूर पैसेंजर (प्रतिदिन)
51. मथुरा-कासगंज पैसेंजर (प्रतिदिन)
52. फरक्का-कटवा-अजीमगंज-नवद्वीपधाम एक्सप्रेस (प्रतिदिन)
53. बंगलौर-कूचुवेली सुपरफास्ट (साप्ताहिक)
54. कोलकाता-रामपुरहाट एक्सप्रेस (प्रतिदिन)
55. न्यू जलपाईगुड़ी-दीघा एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
56. पुरूलिया-हावड़ा एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)
57. कोलकाता-बीकानेर एक्सप्रेस (साप्ताहिक) वरास्ता नागौर

महोदया, इसके अतिरिक्त, मैं निम्नलिखित रेलों की घोषणा करती हूं: (क) मंगलौर-तिरुवनंतपुरम (ख) इरणाकुलम-गोवा (ग) पुरी भुवनेश्वर-लोकमान्य तिलक (घ) पुरी से सूरत बरास्ता सम्बलपुर (ङ) भुवनेश्वर-राउरकेला

**(क) गाड़ियों का विस्तार**

1. 6517/6518 बंगलौर-मंगलौर का कन्नूर तक विस्तार (प्रतिदिन)
2. 329/330 अंडाल-सैंथिया का रामपुरहाट तक विस्तार (प्रतिदिन)
3. 1105/1106 झांसी-बैरकपुर का कोलकाता तक विस्तार (साप्ताहिक)
4. 6787/6788 मदुरै-जम्मूतवी का तिरून्नलवेल्ली तक विस्तार (साप्ताहिक)
5. 7013/7014 हैदराबाद-उस्मानाबाद का पुणे तक विस्तार (सप्ताह में तीन दिन)
6. 2075/2076 तिरूवनन्तपुरम-एर्णाकुलम का कोजीकोडे तक विस्तार (प्रतिदिन)
7. 213/214 मैसूर-तिरूपति का चामराजनगर तक विस्तार (प्रतिदिन)
8. 2329/2330 सिलयालदह-नई दिल्ली का अमृतसर तक विस्तार(साप्ताहिक)
9. 5761/5762 रांची-अलीपुरद्वार का गुवाहाटी तक विस्तार (सप्ताह में दो दिन)
10. 9269/9270 पोरबन्दर-बापूधाम-मोतीहारी का मुजफ्फरपुर तक विस्तार (सप्ताह में दो दिन)
11. 1471/1472 जबलपुर-भोपाल एक्सप्रेस का इंदौर तक विस्तार (प्रतिदिन)
12. 6885/6886 एर्णाकुलम-तिरूचिरापल्ली का नागौर तक विस्तार (प्रतिदिन)
13. 2177/2178 हावड़ा-आगरा कैंट चम्बल एक्सप्रेस मथुरा (साप्ताहिक)
14. 3113/3114 कोलकाता-मुर्शीदाबाद हजार द्वारी एक्सप्रेस का लालगोला तक विस्तार (प्रतिदिन)
15. 2993/2994 मुंबई-जयपुर एक्सप्रेस का दिल्ली तक विस्तार (सप्ताह में तीन दिन)
16. 2555/2556 गोरखपुर-भिवानी का हिसार तक विस्तार (प्रतिदिन)
17. 2685/2686 मंगलौर-चेन्नै का पुडुचेरी तक विस्तार (सप्ताह में एक दिन)
18. 2143/2144 नागपुर-गया दीक्षाभूमि एक्सप्रेस का विस्तार छत्रपति साहूजी महाराज टर्मिनल कोल्हापुर तक एक तरफ तथा धनबाद तक दूसरी तरफ (साप्ताहिक)
19. 2725/2726 बंगलौर-हुबली इंटरसिटी का धारवाड़ तक विस्तार (प्रतिदिन)
20. 8425/8426 रायपुर-भुवनेश्वर का पुरी तक विस्तार (प्रतिदिन)
21. 8413/8414 पाराद्वीप-भुवनेश्वर का पुरी तक विस्तार (प्रतिदिन)

22. 8415/8416 पुरी-किंडूझारगढ़ का बारबिल तक विस्तार (प्रतिदिन)

23. 2173/2174 मुंबई-कानपुर उद्योगनगरी एक्सप्रेस का प्रतापगढ़ तक विस्तार (सप्ताह में दो दिन)

24. 1पीआर/2पीआर प्रतापगढ़-रायबरेली पैसेंजर का लखनऊ तक विस्तार (प्रतिदिन)

25. 2821/2822 हावड़ा-भुवनेश्वर धौली एक्सप्रेस का पुरी तक विस्तार (प्रतिदिन)

26. 4227/4228 वाराणसी-लखनऊ का कानपुर तक विस्तार (प्रतिदिन)

27. 2985/2986 सियालदह-जयपुर का अजमेर तक विस्तार (प्रतिदिन)

महोदया, विस्तार के अलावा, मैंने झारसुगुड़ा-गोहाटी-डिब्रुगढ़ क्षेत्र के लिए एक नई रेल ही है। कितना हुआ ...*(व्यवधान)*

**(ग) फेरों में वृद्धि**

1. 2685/2686 चेन्नै-मंगलोर (सप्ताह में 3 दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन)

2. 2423/2424 नई दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस (सप्ताह में 5 दिन से बढ़ाकर 6 दिन)

3. 2443/2444 नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस (सप्ताह में 2 दिन से बढ़ाकर 4 दिन)

4. 7091/7092 सिकंदराबाद-पटना (सप्ताह में 2 दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन)

5. 2739/2740 सिकंदराबाद-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस (सप्ताह में 4 दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन)

6. 2111/2112 अमरावती-मुंबई एक्सप्रेस (सप्ताह में 3 दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन)

7. 2957/2958 अहमदाबाद-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (सप्ताह में 6 दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन)

8. 2149/2150 पुणे-पटना एक्सप्रेस (सप्ताह में 4 दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन)

9. 2487/2488 जोगबनी-दिल्ली एक्सप्रेस (सप्ताह में 5 दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन)

10. 2823/2824 निजामुद्दीन-दुर्ग छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति (सप्ताह में 2 दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन)

11. 2985/2986 सियालदह-जयपुर एक्सप्रेस (सप्ताह में 2 दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन)

12. 2905/2906 पोरबंदर-हावड़ा (वरास्ता हापा) (सप्ताह में 2 दिन से बढ़ाकर 3 दिन)

13. 4207/4208 दिल्ली-प्रतापगढ़ पद्मावत एक्सप्रेस (सप्ताह में 3 दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन)

**अंतर्राष्ट्रीय सहयोग**

भारत और बांग्लादेश दोनों अपने अपनी साझी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण बहुत व्यापक और सामरिक रूप से रेल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। मालगाड़ियों के बदलाव के अलावा, कोलकाता और ढाका के बीच अप्रैल, 2008 से एक यात्री गाड़ी चल रही है जिसका नाम मैत्री एक्सप्रेस है, यात्रियों की मांग को देखते हुए दोनों देशों ने यात्रा में लगने वाले समय को घटाने और उनके चलने के दिनों में परिवर्तन करने की सहमति जताई है। भारत और बांग्लादेश रेलवे क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भी कार्रवाई कर रहे हैं जिसमें बांग्लादेश में रेलवे संबंधी बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना शामिल है।

**वार्षिक योजना 2009-10**

महोदया, मैंने वित्त मंत्री के साथ यह मामला उठाया है। अपना कार्यभार संभालने के पश्चात मैंने वित्त मंत्री जी के साथ यह मामला उठाया है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है। मैं माननीय प्रधान मंत्री, संप्रग सरकार और हमारे वित्त मंत्री की वास्तव में आभारी हूं कि हमारी बजटीय सहायता में 5000 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई। अंतरिम बजट में सब बातों के अलावा 10,800 करोड़ रुपये देने का वायदा किया गया है।

महोदया, रेलवे की वार्षिक योजना देश की आर्थिक प्रगति का अग्रदूत है जो कि इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मेरे द्वारा रेलवे का कामकाज सम्हाले जाने से थोड़े दिनों के भीतर ही वार्षिक योजना 2009-10 के लिए 37,905 करोड़ रुपये के अंतरिम बजट प्रक्षेपण की समीक्षा करते हुए **मैं यह जानकर आश्चर्य चकित रह गई कि 3,400 करोड़ रुपये के संसाधन सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिये जुटाए जाने की व्यवस्था की गई थी** जिनमें से 3,300 करोड़ रुपये तो कभी भी **नहीं जुटाए जा सकते** थे। इसका अर्थ यह हुआ कि 2008-09 में वास्तविक खर्च के स्तर से वार्षिक योजना में सीधी कटौती थी। मैंने यह भी देखा कि रेलवे को सकल बजटीय समर्थन से अपने आनुपातिक हिस्से से कम प्राप्ति हुई जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की व्यवस्थाओं के अनुसार उन्हें दी जानी थी। मैंने तत्काल इस मामले पर **वित्त मंत्री जी से बात की और मुझे सदन को यह बताते हुए हर्ष**

**हो रहा है कि हमें अंतरिम बजट में घोषित 10,800 करोड़ रुपये के अलावा सकल बजटीय के रूप में 5,000 करोड़ रुपये मिले हैं।** इससे रेलवे को स्टेशन आधुनिकीकरण, संयुक्त उपक्रम आदि के रूप में नए रेल इंजन कारखानों जैसी परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए 3,300 करोड़ रुपये की व्यवस्था को हटाने के बाद भी 40,745 करोड़ रुपये का योजना आबंटन बढ़ाने में कामयाबी मिली हैं।

मुझे सदन को यह **सूचित करते हुए प्रसन्नता** है कि कई बाधाओं के बावजूद अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुरूप रेलवे **15,675 करोड़ रुपये के आंतरिक संसाधन** लगाने में कामयाब रहेगी। चल स्टॉक की बढ़ी हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार से लिये जाने वाले ऋण को बढ़ाकर 9,170 करोड़ रुपये कर दिया गया। सदन को यह जानकर भी प्रसन्नता होगी कि **वित्त मंत्रालय इस बात के लिए राजी हो गया है कि भारतीय रेल वित्त निगम कई वर्षों पश्चात, एक बार फिर से कर मुक्त बांड जारी कर सकता है।**

मैं सदन को योजना आबंटन की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना चाहूंगी। संसद में मेरे साथियों और राज्यों से प्राप्त अनेक मांगों के समर्थन में मैंने अंतरिम बजट में **नई लाइनों** के लिए 1,100 करोड़ रुपये के **आवंटन को बढ़ाकर 2,921 करोड़ रुपये** कर दिया गया है **आमान परिवर्तन के लिए 1,750 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जो कि अंतरिम बजट में की गई व्यवस्था से 24% अधिक** है। आंतरिक संसाधनों पर बढ़ते हुए दबाव के मद्देनजर सभी आमान परिवर्तन, दोहरीकरण और रेल विद्युतीकरण के निर्माण कार्यों को पूंजी को अंतरित कर दिया गया है।

सार्वजनिक निजी भागीदारी की व्यवस्था को छोड़कर **यात्री सुविधाओं के लिए अंतरिम बजट की व्यवस्था केवल 502 करोड़ रुपये** थी। मुझे यह सूचित करते हुए बहुत प्रसन्न हो रही है कि इस परिव्यय को **अब बढ़ाकर 1,102 करोड़ रुपये कर दिया गया है जो 119% वृद्धि** का सूचक है इसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत की गई व्यवस्था शामिल नहीं है। यह दोगुना हो गया है।

महोदया, रेल कर्मचारी रात दिन कई कठिनाइयों के बावजूद देश की सेवा में जुटे रहते हैं और हर रोज लगभग 17,800 गाड़ियां चलाते हैं। हमें उनकी बुनियादी जरूरतों का ख्याल रखना है। मैं **कर्मचारी क्वार्टरों के लिए आबंटन बढ़ाकर 335 करोड़ रुपये कर रही हूं जो अंतरिम बजट की तुलना में 49% अधिक** है। कर्मचारी सुविधाओं के लिए आबंटन **बढ़ाकर 424 करोड़ रुपये** कर दिया गया है जो कि अंतरिम बजट की तुलना में **79% अधिक है।**

उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला, जीरीबाम-इम्फाल रोड, दीमापुर-कोहिमा, अजरा-बीरनीहाट, कुमारघाट-अगरतला, अगरतला-सबरूम, बैराबी-सायरंग और सिवोक-रांगपो नई लाइन, बोगीबील रेल एवं सड़क पुल, लमडिंग-सिलचर जीरीबाम, रंगिया-मुरकोंगसेलेके आमान परिवर्तन राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए वित्त मंत्रालय से **1,949 करोड़ रुपये** की **अतिरिक्त धनराशि** मांगी गई है।

**शहरी यातायात सेवाएं**

थाणे-तुर्भे-नेरूल-वाशी: तुर्भे-नेरूल खंड (4.80 कि.मी.) के पूरा हो जाने से थाणे-तुर्भे-नेरूल-वाशी परियोजना पूरी हो गई है जिससे थाणे और नेरूल के बीच सीधी गाड़ियां चलाना सुसाध्य होगा।

**मुंबई शहरी परिवहन परियोजना ( एमयूटीपी ) चरण-2**–5300 करोड़ रुपये की लागत पर बजट 2008-09 में स्वीकृत मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी) चरण-2 को क्रियान्वित किया जा रहा है। अत्यधिक लदी हुई और अत्यधिक उपयोग में आने वाली मुंबई की मौजूदा उपनगरीय प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए मुंबई एलीवेटिड कॉरिडोर (चर्च गेट-विरार) के लिए व्यावहारिक अध्ययन प्रगति में है।

**रेल आधारित उपनगरीय सेवाएं** अर्थात मैट्रो रेलवे, सर्कुलर रेलवे और ईएमयू सेवाएं मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई नगरों की जीवनरेखा है। मौजूदा ईएमयू गाड़ियों में अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाकर और अतिरिक्त सेवाएं चलाकर क्षमता बढ़ाने के बावजूद रेल आधारित उपनगरीय प्रणाली बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा नहीं कर सकेगी और ये अपने प्रारंभिक स्थान से गंतव्य तक दैनिक यात्रियों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही है। इन शहरों में मौजूदा मैट्रो/सर्कुलर रेलवे/ईएमयू उपनगरीय प्रणाली को एक फीडर मार्ग की कनेक्टिविटी देकर ऊर्जा कुशल रेल आधारित प्रणाली की व्यवस्था करने की अत्यधिक आवश्यकता है। इसलिए यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि **कोलकाता, मुम्बई और चेन्नई में अत्यधिक किफायती तरीके से मौजूदा उपनगरीय प्रणाली को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए रेल आधारित ऊर्जा कुशल प्रणाली शुरू करने के लिए एक व्यावहारिक अध्ययन किया जायेगा।**

अब, मैं कोलकाता मैट्रो पर आती हूं। हमारे पास यही मैट्रो है। इसलिए हमने इस परियोजना का विस्तार करने हेतु निम्नलिखित कार्य करने का निर्णय लिया है:

कोलकाता को **भारतीय रेल के अंतर्गत सर्कुलर और मैट्रो रेलवे होने के कारण एक अद्वितीय स्थान हासिल है।** हावड़ा को विश्व श्रेणी का स्टेशन घोषित किये जाने के नाते उपनगरीय

सेवाओं को विभाजित किए जाने की आवश्यकता है ताकि अपग्रेडेड सुविधाओं का लाभ उठाया जा सके। इस संदर्भ में हावड़ा में भीड़-भाड़ को कम करने हेतु उपनगरीय सेवाओं को साल्ट गोला ले जाने का कार्य किया जायेगा। बेहतर एकीकरण के लिए हमारी योजना निम्नलिखित कार्यों को शुरू करने की है:

(क) दक्षिणेश्वर-दमदम-बैरकपुर मैट्रो विस्तार

(ख) माजेरहाट में टर्मिनल का विकास

(ग) माजेरहाट-जोका के रास्ते डायमंड हारबर

(घ) डायमंड हारबर से माजेरहाट खिदिरपुर-गार्डररीच-बजबज सहित। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बारे में है। यह बहुत छोटा सा कार्य है।

(ङ) गरिया से दमदम बरास्ता राजारहाट

(च) बारासाट मेट्रो विस्तार दमदम तक

(छ) बंताला से पार्क सर्कस

महोदया, कश्मीर घाटी में अनंतनाग से बारामूला तक एक नई रेल लाइन पहले ही पूरी की जा चुकी है। इसके बाद **काजीगुंड से अनंतनाग तक रेल लाइन को अगस्त 09 तक पूरा कर लिया जाएगा और शीघ्र ही उसका उद्घाटन किया जाएगा।** जम्मू एवं कश्मीर में इस परियोजना का कार्य उधमपुरा से कटरा और कटरा से काजीगुंड तक की लाइन पर कुछ कठिनाइयों की वजह से पिछड़ गया है।

कटरा-काजीगुंड खंड पर संरेखण की समीक्षा की गई है और इसमें अंतर्ग्रस्त मुद्दों का अध्ययन करने के लिए गठित की गई विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। **महोदया, मेरी सर्वोपरि चिन्ता यात्रियों की संरक्षा है।** अत: **इस परियोजना के संबंध में निर्णय बहुत सावधानी से लेना होगा।** मैं इस मामले की शीघ्र ही समीक्षा करूंगी और देखूंगी कि राष्ट्रीय परियोजना के इस खण्ड के कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है।

महोदया, पूर्वोत्तर क्षेत्र बहुत संवेदनशील है और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम की राजधानियों से संपर्क मुहैया कराने के लिए परियोजनाएं प्रगति पर हैं। इस संबंध में, इस क्षेत्र में दस रेल परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित किया गया है जिनमें बोगीवील रेल कम सड़क पुल तथा लमडिंग-सिलचर-जिरीबाम, रंगिया मुरकोंग सेलक का आमान परिवर्तन शामिल है। सिक्किम में सिवोक से रांगपो की राष्ट्रीय परियोजना के कार्य को समयबद्ध आधार पर पूरा करने के लिए इरकॉन को सौंपे जाने का प्रस्ताव है। गंगटोक और शिलोंग को जोड़ने वाली रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण पूरे कर लिये गये हैं और इन प्रस्तावों पर आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से **पूर्वोत्तर क्षेत्र रेल विकास निधि** के सृजन के लिए प्रस्ताव पेश किया गया है।

**लमडिंग-सिलचर आमान परिवर्तन** का कार्य इस क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की प्रतिकूल स्थितियों के कारण बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। आवश्यक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ इस मामले में बातचीत की गई है ताकि कार्य की प्रगति निर्बाध रूप से हो सके।

**मैं सभी राष्ट्रीय परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए इनकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी एक वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप रही हूं।** वे इसके लिए जिम्मेदार होंगे।

**नई लाइनें**

महोदया, वर्ष 2009-10 में नई लाइनों के निर्माण के लिए 250 कि.मी. का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कुछ प्रमुख खंड निम्नलिखित है:

1. देवघर-दुमका का घोरामारा-दुमका
2. तारकेश्वर-बिशनुपुर का बिशनुपुर गोकुलनगर
3. लांजीगढ़-जूनागढ़ का लांजीगढ़-भवानीपटना
4. ऊधमपुर-बारामूला का काजीगुंड-अनंतनाग
5. रेवाड़ी-रोहतक का रेवाड़ी-झज्जर
6. कोट्टूर-हरिहर
7. नांगल जैम-तलवाड़ा का चुरारू टकराला-अम्ब अंदौरा

**आमान परिवर्तन**

2009-10 के दौरान निम्नांकित खंडों सहित लगभग 1300 कि.मी. के आमान परिवर्तन के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है:

1. मिरज-लातुर का पंढरपुर-मिरज
2. मानसी-सहरसा-पूर्णिया का सहरसा दौरम मधेपुरा
3. जयनगर-नरकटियागंज का सीतामढ़ी-बैरगनिया
4. नवपाड़ा-गुनुपुर का परलाकीमीडी-गुनुपुर
5. मथुरा-अनेरा

6. औड़िहार-जौनपुर

7. फकीराग्राम-धुबरी

8. सादुलपुर-बीकानेर-डिगाना का रतनगढ़-डिगाना

इस समय, थोड़े से समय में हम यह लेकर आए हैं। इतने थोड़े से समय में सभी परियोजनाओं को योजना आयोग से स्वीकृत करा लेना संभव नहीं है। इस बजट के पारित होने के पश्चात हम इसका अध्ययन करेंगे और फिर इस पर ध्यान देंगे।

9. धर्मावरम-पकाला का मदनापल्लि रोड-धर्मावरम

10. कोलम-पुनालुर

11. रूपसा-बांगरीपोसी का बारीपाड़ा-बांगरीपोसी

12. प्रतापनगर-छोटा उदयपुर का डबोई-छोटा उदयपुर

13. वंशजलिया-जेतलसर

14. अजमेर-फुलेरा

15. भिलड़ी-समदड़ी

16. हैबरगांव-मैरावड़ी

17. वैल्लौर-वेलुपुरम

*[हिन्दी]*

देखा ना, हम लोगों का एक भी नहीं है।

**अपराह्न 1.00 बजे**

*[अनुवाद]*

**दोहरीकरण**

2008-09 के दौरान 363 कि.मी. का दोहरीकरण किया गया जबकि 2009-10 के लिए 700 कि.मी. के दोहरीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें होगा। बजट में फाफामऊ-इलाहाबाद, मानसा-भटिंडा, घुटियारीशरीफ-केनिंग, दक्षिण बारासात-लक्ष्मीकांतपुर, लोहटा-भदोई, जिरत-अम्बिका कलना, मगराहाट-डायमंड हार्बर, यशवंतपुर-येलहंका-चेन्नासंद्रा, ब्रंदुामल-झासुगुडा, फ्लाईओवर गांधीधाम-आदिपुर, गांधीधाम-कोंडलापोर्ट और नालिकुल-तारकेश्वर के दोहरीकरण का प्रस्ताव किया गया है।

तथापि, सभा उस बात की प्रशंसा करेगी कि छोटा ही सुंदर है, मैं हर जगह यह नहीं कर सकती। जब रेलवे यहां है तो मैं छोटी परियोजनाएं ले सकती हूं।

महोदया, इस बजट में तैयारी का समय बहुत ही कम है। **चुनाव का वर्ष होने के कारण आकांक्षाएं बहुत अधिक रहीं।** योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मामलों में कार्रवाई करने का पर्याप्त समय नहीं है। बहरहाल, हम प्रमुख परियोजनाओं को शीघ्र ही आवश्यक अनुमोदन के लिए भेज देंगे। बहरहाल, सदन इस बात से सहमत होगा कि ''छोटा सुंदर होता है''। अत: अवसंरचना के सृजन की गति को जारी रखने के लिए, मैं निम्न रेल संपर्क प्रस्तावों में कार्रवाई करने का प्रस्ताव करती हूं।

**(क) नई लाइनें**

1. शाहगंज-ऊंचाहार बरास्ता सुलतानपुर, अमेठी, सालोन

2. बोंगाम-बगदाहा

3. बासपानी-बिमलगढ़-बरसुआ

4. दानकुनी-जोरगलपाड़ा-फुरफुरा शरीफ-जंगीपाडा-बरगछिया

5. चिकबल्लापुर-श्रीसत्यसाईं प्रशान्ति निलयम

6. बालुरघाट-हिल्ली

7. अलमाट्टी-कोप्पल

8. सालबोनी-झारग्राम वाया लालगढ़, बेलपहाड़ी। यदि इस क्षेत्र को जोड़ा जाता है तो मुझे लगता है कि जनजातीय लोगों का विकास होगा।

9. बोलनगीर-नवपाडा रोड

10. दीघा-जलेश्वर-पुरी

11. यादगीर-शाहपुर-शोरापुर-मुद्देबिहल-अलमाट्टी

12. विष्णुपुर-मुकुटमोनिपुर

13. गदग-हवेरी

14. समसी-दलखोला

15. कृष्णानगर-बेहरामपुर बरास्ता छपरा, करीमपुर

16. गदग-वाडी

17. तारकेश्वर-मगरा पुनर्स्थापन

18. शिमोगा-हरिहर

19. कलियागंज-बुनियादपुर

20. मधुबन-गिरिडीह

21. पंसकुरा-घटल-चद्राकोना और घटल-आरामबाग
22. अनेकल रोड-बिदादी
23. नामखाना-बक्काली
24. पुणे-नासिक
25. जॉयनगर-रायडिगी
26. राजखरस्वा-रांची
27. हसनाबाद-समशेरनगर
28. मेडक-अक्कानापेट
29. आरामबाग-खाना
30. दातेवाड़ा-मलकानगिरी
31. केनिंग-गोसाबा बरास्ता बसंती
32. विशनुपुरम-वेनुकोंडा
33. काकद्वीप-सागर-कपिलमुनि
34. दुल्लाबछेरा-चिराजी
35. मंदिर बाजार-रामगंगा
36. सम्बलपुर-बेहरामपुर
37. चालसा-झालडाका
38. मदुरै-एर्णाकुलम (कोचीन)
39. घटकपुकुर-मिनाखान
40. बिलारा-बर
41. बरूईपाडा-फुरफुरा शरीफ-आरामबाग
42. रतलाम-बांसवाड़ा-डुंगरपुर
43. कृष्णानगर-नबाद्वीपघाट बीबी लूप तक विस्तार
44. रामनगर-चौखुटिया
45. मचलंदपुर-स्वरूपनगर
46. इरूमली-पथनमथिता-पुनलूर-तिरूवनन्तपुरम
47. अजमेर-सवाईमाधोपुर बरास्त टोंक
48. सैंथिया-चौरीगाछा बरास्ता कांदी
49. यमुनानगर-चंडीगढ़ वाया सधऊरा-नारायणगढ़
50. नांदेड़-विदर
51. सिंगुर-नंदीग्राम
52. डववाली-कलांवाली बरास्ता सिरसा
53. मिरक-गंगटोक

**(ख) आमान परिवर्तन**

1. छिंदवाडा-नैनपुर-मंडला फोर्ट
2. अहमदपुर-कटवा
3. नागबिड-नागपुर

**(ग) दोहरीकरण**

1. ताला-प्रिंसीपघाट-माजेरघाट
2. सिकंदराबाद-महबूबनगर
3. साहिबगंज-भागलपुर
4. मोकामा-आरा
5. रामपुरहाट-घुमानी तीसरी लाइन
6. रेवाड़ी-हिसार
7. दानकुनी-बल्लि तीसरी लाइन
8. बिबिनगर-नल्लापडु
9. कृष्णानगर-लालगोला
10. राजकोट-विरमगाम
11. बंडेल-शक्तिगढ़ तीसरी लाइन
12. झंसी-कानपुर

**रेलवे विद्युतीकरण**

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3500 मार्ग कि.मी. के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए 3500 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में 1299 मार्ग कि.मी. का विद्युतीकरण किया गया है। निम्नलिखित के विद्युतीकरण के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा:

1. जयपुर-सवाईमाधोपुर
2. खाना-फरक्का फेज 1 रामपुर हाट तक
3. गुंतकल-गुटी-बेंगलूरू

*[हिन्दी]*

थोड़ा पानी पी सकती हूं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** कृपया, पीजिए।

*[हिन्दी]*

**कुमारी ममता बनर्जी:** इतना बोला ना इसलिए।

*[अनुवाद]*

**श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार** (बलूरघाट): हमें बलूरघाट से कोलकाता के बीच एक गाड़ी की आवश्यकता है। यहां कोई यात्री गाड़ी नहीं है ...*(व्यवधान)* इसी प्रकार बलूरघाट से माल्दा के लिए भी कोई यात्री गाड़ी नहीं हैं; बलूरघाट से नई जलपाईगुड़ी के बीच भी कोई यात्री या एक्सप्रेस गाड़ी नहीं है। यह एक अल्पविकसित क्षेत्र है ...*(व्यवधान)*

**कुमारी ममता बनर्जी:** आप मुझे पाठ मत पढ़ाइए। मुझे पता है 33 वर्ष तक आपने क्या किया है। अभी मुझसे यह प्रश्न मत पूछिए। बजट को पूरा होने दीजिए। इसमें बलूरघाट परियोजना है। आपको यह नहीं पता।

**तत्काल योजना** को उपयोगकर्त्ताओं के लिए और अधिक अनुकूल बनाने हेतु विभिन्न वर्गों से मांगें प्राप्त हुई हैं। मैंने वैसा करने का विनिश्चय किया है। तत्काल योजना के अंतर्गत अग्रिम बुकिंग की अवधि 5 दिन से घटाकर 2 दिन कर दी जाएगी, तत्काल टिकट एक सिरे से दूसरे सिरे तक की बजाय गंतव्य-वार उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे यात्रियों पर वित्तीय भार कम होगा। महोदया, इसमें कुछ शिकायतें हैं। तत्काल प्रभार अब किराए के प्रतिशत के रूप में लगाए जाएंगे जो वर्तमान में 150 रुपये न्यूनतम की बजाय 100 रुपये न्यूनतम के अध्यधीन होंगे। जो पहले ज्यादा लेते थे उसको कम कर दिया है?

महोदया, रेलवे द्वारा **परियोजना के निष्पादन और कार्यान्वयन में काफी विलंब** होता है। बजट में दर्शाए गए सभी उपायों तथा शुरू की गई परियोजनाओं को निर्धारित लक्ष्य तिथि में पूरा करने के लिए निगरानी की जाएगी। मेरी परियोजना मोनिटरिंग कमेटी का गठन करके **परियोजना मोनिटरिंग तंत्र** का विकास करने का प्रस्ताव है। ताकि समय सीमा का ध्यान रखा जाए तथा परियोजना को पूरा करने में कमी न रहे। इन परिस्थितियों में, मैं दोषपूर्ण नियोजन और अधिक समयावधि की वजह से लागत से जुड़ी भारी बचत हासिल करने की आशा रखती हूं।

महोदया, मैं हमारे यात्रियों के यात्रा अनुभवों में दृष्टिगोचर सुधार लाने की आवश्यकता के प्रति अत्यधिक सचेत हूं। मैं ऐसे अनेक उपायों के प्रति वचनबद्ध हूं जिनसे मुझे आशा है कि ये यात्रियों के लिए काफी संतोषजनक होंगे। मुझे इसका भी ज्ञान है कि अर्थव्यवस्था में मंदी से हमारे समाज के गरीब वर्ग पर काफी आर्थिक भार पड़ा है। अत:, **मैं गाड़ियों के किसी भी दर्जे अथवा कोटि के यात्री किरायों में वृद्धि का प्रस्ताव नहीं करती हूं। इसी तरह मैं मालभाड़ों में भी कोई वृद्धि नहीं करना चाहती हूं।**

अपनी बात खत्म करने से पहले मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक सदन के सामने यह कहना चाहूंगी कि चुनाव का साल होने के कारण इस बार बजट बनाने और उसे पेश करने के लिए बहुत ही कम समय मिला है फिर भी मैंने इस थोड़े समय में रेलवे के महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करने की पूरी कोशिश की है। बहरहाल, मैं सदन को यह बताना चाहूंगी कि आने वाले वर्षों में मैं एक उचित नीति और योजना बनाऊंगी। मेर इरादा **भारतीय रेल को एक मजबूत जवाबदेह और गतिशील संगठन बनाने का है जिसमें ऊंचे दर्जे की क्षमता और प्रभावशीलता हो।** मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहूंगी कि पिछले पांच वर्षों के रेलों के कामकाज के आधार पर एक **श्वेत पत्र** तैयार करूंगी, जिसमें इसकी मौजूदा संगठनात्मक, परिचालनिक और वित्तीय हालत बताई जाएगी तथा इसको प्राप्त करने के लिए **लघु एवं दीर्घकालिक नीति और कार्य योजना** सहित एक '**विजन 2020**' विकसित करूंगी।

मैं गुरुदेव के इन शब्दों से शक्ति प्राप्त करती हूं:

''एंड इट शेल भी माई एंडीवर टू रिवील दी इन माई एक्शन्स,
नोइंग इट गज दाई पावर गिव्ज़ मी स्ट्रेन्थ टु एक्ट''

महोदया, हरेक व्यक्ति अपना जीवन भली प्रकार गुजारना चाहता है। रेलवे एक ऐसा संगठन है जिसकी दोहरी जिम्मेदारी है-वाणिज्यिक और सामाजिक। हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम सभी वाणिज्यिक सेवाएं मानवीयता को बरकरार रखते हुए अर्पित करें। यहां मैं दो लाइनें उद्धृत करना चाहूंगी:

''रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं,
कामयाबी मानवीयता से होती है, जुल्म से नहीं''

महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन में रेलवे बजट 2009-10 प्रस्तुत करती हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** सं. एल.टी. 33/15/09]

**अध्यक्ष महोदया:** सभा अपराह्न 2.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**अपराह्न 1.21 बजे**

*(तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई)*

---

**अपराह्न 2.32 बजे**

*लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.32 बजे पुन: समवेत हुई।*

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

## कार्य मंत्रणा समिति

### पहला प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

**अपराह्न 2.33 बजे**

## नियम 193 के अधीन चर्चा

### देश में स्वाइन फ्लू के तेजी से फैलने के कारण उत्पन्न स्थिति

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** अब सभा नियम 193 के अधीन चर्चा के तहत मद सं. 18 पर चर्चा करेगी।

*[हिन्दी]*

**श्री सन्दीप दीक्षित** (पूर्वी दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, आपने हमें जो आज नियम 193 के अंतर्गत स्वाइन फ्लू पर चर्चा करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज 15वीं लोक सभा में पहली बार हमें बोलने का मौका मिला है, इसके लिए मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो स्वाइन फ्लू है, जिसे आज हम लोग आम चर्चा में स्वाइन फ्लू कहते हैं और तकनीकी भाषा में इन्फ्लूएंजा ए, एच-वन, एन-वन वायरस के नाम से भी जाना जाता है। पिछले दो-तीन महीने से इसने भारत देश को ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण विश्व को अपनी चपेट में लिया है। कई तरह के आंकड़े आए हैं - कोई कहता है कि शायद लाख-डेढ़ लाख लोग पूरे विश्व में इससे प्रभावित हुए हैं और कुछ आंकड़े बताते हैं कि उससे ज्यादा भी शायद इसकी संभावित स्थिति हो सकती है। जब तीन-चार महीने पहले मैक्सिको में पहली बार इन्फ्लूएंजा के एक म्युटेटिड वायरस का पता चला, तब से अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन इस पर अपनी पैनी नजर रखे हुए हैं और तमाम देशों के तमाम स्वास्थ्य संगठन भी इस पर नजर रखे हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें निरंतर खबरें मिल रही हैं कि किस तरीके से कुछ प्रदेशों से, राष्ट्रों से शुरू होकर, जिनमें मैक्सिको और अमेरिका शायद प्रमुख थे। जैसे-जैसे धीरे-धीरे यात्री, चाहे पर्यटन के रूप से अन्य देशों में गए हों या व्यावसायिक रूप से अन्य देशों में गए हों। जब वे एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं तो इसके जर्म्स उनमें से कुछ लोगों के अंदर से अलग-अलग देशों को प्रभावित करते चले जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जो जानकारी मुझे मिली है, उसके अनुसार 76 देशों में इसका असर पाया गया है और हिन्दुस्तान में भी अगर आज की संख्या ली जाए, तो शायद 118 या 120 के करीब लोग इससे प्रभावित हुए हैं। आज सबेरे के अखबार में मैंने यह भी पढ़ा कि दुर्भाग्य से इस एच-1, एन-1 वायरस के असर से एक व्यक्ति की मृत्यु भी केरल प्रदेश में हो गई है। इन्फ्लूएंजा वायरस के बारे में जहां तक तकनीकी जानकारी मिली है, उसके अनुसार इन्फ्लूएंजा के जो चार नोन वायरस थे, उनमें से एक सूअरों या स्वाइन्स में पाए जाते थे, जिससे इसका एक कामन नाम स्वाइन फ्लू रखा गया है, उसमें से और दो और तरीके के वायरस के मिल कर, दो और वायरस को आपस में म्यूटेट करके एक नया वायरस बना है। इन्फ्लूएंजा हर साल होता है। विशेषकर जब सर्दियों का मौसम आता है, तो बहुत लोग इसकी चपेट में आते हैं। शायद आधे प्रतिशत से लेकर एक प्रतिशत के बीच में इसका फर्टीलिटी रेश्यो भी माना जाता है। यह जो म्यूटेटेड वर्जन इसका आया है और जिन कारणों से इसके लिए चिन्ता, न केवल हिन्दुस्तान में, बल्कि पूरे विश्व के लोगों में हो रही है, उसमें कुछ प्रमुख बिन्दु हैं, जिनका मैं पहले उल्लेख करना चाहूंगा।

महोदय, पहले तो यह कि पुराने आंकड़ों की बनिस्बत, जिस दर से यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा रहा है, शायद इसका जो इन्फैक्शन रेट है, पुराने इन्फ्लूएंजा वायरस से ज्यादा तेज माना जा रहा है। दूसरे ज्यादातर यह देखा जाता था कि जो ज्यादा उम्र के लोग हैं या शारीरिक रूप से कमजोर हैं या वे और

[श्री सन्दीप दीक्षित]

बीमारियों से ग्रस्त हैं, उन 60-65 साल के व्यक्तियों पर पुराने इन्फ्लूएंजा वायरस का ज्यादा असर होता था, जबकि इस स्वाइन फ्लू के वायरस का असर कम उम्र के लोगों, जवानों और नौजवानों को ज्यादा हो रहा है। मैंने एक जगह यह भी पढ़ा कि 17-18 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र के लोगों में इस वायरस का असर ज्यादा हो रहा है। यह भी देखा गया है कि पूरे विश्व में एक वर्ष में अमूमन पहले 30 से 35 हजार व्यक्तियों की मृत्यु हो जाया करती थी, लेकिन अब यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर पुराने इन्फैक्शन के रेट माने जाएं, तो यह मृत्यु दर 45 से 60 हजार तक भी पहुंच सकती है। इन दो-तीन विषयों के कारण हम इसे चिन्ता के रूप में देख रहे हैं।

महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, डब्ल्यू.एच.ओ. ने यह भी एक वार्निंग दी है कि इसका कुछ संबंध या इसके कुछ लक्षण, शायद 1968 में जो इन्फ्लूएंजा का एक वायरस पूरे विश्व में आया था, जिसमें अनुमानित रूप से पूरे विश्व में लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, उससे इसका संबंध दिखाया जा रहा है। इन कारणों से वे देश, विशेषकर हमारे जैसे देश, जहां जनसंख्या ज्यादा है, जहां साफ-सफाई के तौर-तरीके इतने अच्छे नहीं हैं, जहां हमारी स्वास्थ्य सेवाएं उतनी सुदृढ़ नहीं हैं, इसलिए हमारे लिए यह विशेष चिन्ता का विषय बन जाता है।

महोदय, मैं एक बात के लिए जरूर भारत सरकार का स्वागत करूंगा और इनका अभिनन्दन करूंगा कि जैसे ही इसकी वार्निंग, जैसे ही इसकी खतरे के संकेत हमें मिले, टूरिज्म विभाग से मिलकर, एयरलाइन से मिलकर, एयरपोर्ट से मिलकर, हमारे स्वास्थ्य विभाग ने जो लीडरशिप दिखाई, उससे लोगों के बीच में बहुत आशा बंधी है और आश्वासन आया है कि इस बारे में हमारी सरकार सजग है। आज जितने लोग बाहर से आ रहे हैं, उनमें आंकड़े के हिसाब से ढाई से तीन लाख लोग हैं, फिर चाहे वे अमरीका से आ रहे हैं, साउथ अमरीका से आ रहे हैं या आस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, उन्हें जांचा जाता है। सात या आठ जगहों पर ऐसी मशीनों भी लगाई गई हैं जिनसे होकर जो भी यात्री गुजरे उनका बाडी टैम्परेचर सामान्य टैम्परेचर से ज्यादा होता है, तो वहां घंटी बज जाती है। उस व्यक्ति को जांचने के लिए तुरन्त डाक्टर आते हैं और अगर उनमें इस वायरस के लक्षण मिलते हैं, तो उन्हें कुछ दिन के लिए अस्पताल में अलग भर्ती कर लिया जाता है या एक वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है कि अगर ये सिस्टम्स आगे बढ़ते हैं, तो वे स्वास्थ्य सेवाओं को इस बारे में बता दें या इसकी जानकारी दे दें। इस तरह की सुविधाएं बनाई गई हैं।

महोदय, 117-118 केस हिन्दुस्तान में पाए गए हैं। मुझे लगता है कि अगर इस तरह के कारगर कदम भारत सरकार द्वारा न उठाए गए होते, तो शायद यह जो नम्बर अभी हमें छोटा लग रहा है, अभी हमें कंट्रोल में लग रहा है, यह शायद और ज्यादा होता, लेकिन इस बात से हम अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकते कि इस समय इसकी फिडेलिटी, इस केस का जो रेट है, वह हमारे यहां कम है।

महोदय, आज सबेरे ही मैंने देखा कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की जो अध्यक्षा हैं, उन्होंने कहा है कि इसकी गति और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। अब बरसात का मौसम आ रहा है। हिन्दुस्तान में वैसे भी बरसात के मौसम में इस प्रकार के इन्फैक्शन और विकराल रूप धारण कर लेते हैं। उसके बाद सर्दी का मौसम आएगा। उसमें इन्फ्लूएंजा या इससे जुड़ी हुई बीमारियां और तेज होंगी। यहां स्वास्थ्य मंत्री जी उपस्थित हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उनके एम.ओ.एस. साहब भी बैठे हुए हैं। इस समस्या को अभी तक तो उन्होंने बहुत कारगर रूप से संभालकर रखा है, लेकिन इसी कारगर तरीके से, इसी मुस्तैदी से वे इस बीमारी पर अपनी पैनी नजर रखें और एयरपोर्ट्स के द्वारा और स्वास्थ्य संगठनों के डाक्टरों के द्वारा इस पर जितने सख्त तरीके से हो सके, इस पर ये कंट्रोल रखें।

एक और चीज है, मैंने यह भी देखा है कि हिन्दुस्तान में इसके प्रिवेंशन और बीमारी लगने के बाद जो दवाइयों की आवश्यकता होती है, उसका भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जोड़-तोड़ कर लिया है। कहीं लिखा गया है कि शायद 15 लाख दवाइयां मंगा ली गई हैं, कहीं लिखा है कि नहीं, एक बिलियन के करीब दवाइयां मंगा ली गई हैं। अगर सही में यह एक एपीडेमिक का रूप लेती है तो हमारे पास सक्षम रूप से इतनी दवाइयों की संख्या हो जाएगी कि हम अपने नागरिकों को इस बीमारी से बचा पाएंगे।

कुछ यह बात भी चल रही है कि इसके वैक्सीनेशन पर अमेरिका में भी काम चल रहा है और मैंने बीच में देखा कि हिन्दुस्तान में इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च के डाक्टरों ने भी इस बात को कहा है कि वे कोशिश कर रहे हैं कि इसके वैक्सीन को वे बना सकें और सितम्बर या अक्तूबर के महीने तक शायद यह वैक्सीन बन जाये। वह बने या न बने, यह तो वैज्ञानिक चीज है। मुझे मालूम नहीं है कि कितना आई.सी.एम.आर. के डाक्टर्स हमें सही रूप में इस बात का आश्वासन दे पाएंगे या नहीं, वैक्सीन बने या न बने, लेकिन उन दवाइयों को तैयार रखने की जो तैयारियां की जा रही हैं, इस चीज को सरकार अपनी तरफ से देखे कि तमाम अस्पतालों में ये दवाइयां पहुंचें, खासकर वहां, जहां हमारे हवाई अड्डे हैं, जहां बाहर से ज्यादा लोग विमान से हिन्दुस्तान में आते हैं। वहां इन दवाइओं की और उपचार की व्यवस्था की जाए।

एक और चीज, जो कभी-कभी चिन्ता पैदा करती है, कई बार अखबारों के माध्यम से हमें पता चलता है कि कई ऐसे नागरिक, जिनमें इस बीमारी के लक्षण पाये जाते हैं, जब वे एयरपोर्ट पर आते हैं और उनमें लक्षण देखे जाते हैं या उनसे कहा जाता है कि या तो आप कोरण्टीन में कुछ समय के लिए रहिये या अस्पताल में रहिये या डाक्टरों के बराबर सम्पर्क में रहिये तो या तो किसी डर से या अन्य किसी कारण से कई मरीज ऐसे हैं, जो सुरक्षा चक्र से बाहर निकल गये हैं। वहां थोड़े बहुत सरकार को जरूर अपनी तरफ से कठोर कदम लेने पड़ेंगे, ताकि नागरिकों को यह पता रहे कि सरकार की तरफ से जो स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध की गई हैं, यह न केवल उनके लिए, बल्कि बाकी व्यक्तियों के लिए भी आवश्यक हैं और ऐसे घर से बाहर जो मरीज निकलते हैं, उनको संवेदनशीलता से क्रिमिनल नहीं माना जाये। मैं यह नहीं कह रहा कि उनके ऊपर किसी रूप में कठोर कार्रवाई की जाये, लेकिन फिर भी कठोर रूप में उन पर एक अंकुश रखा जाये कि उनके द्वारा सामान्य जनता में यह बीमारी न फैल पाये।

इसको जिस तरह से डब्ल्यू.एच.ओ. ने और हिन्दुस्तानी संगठनों ने कहा है कि इसमें एक पोटेंशियल है कि यह एक एपीडेमिक बन सकती है। उससे हम इस चीज को रोक पायें। स्वाइन फ्लू की जहां तक यह बात है, तो कुछ और सवाल भी इस पर उठाये जा रहे हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि इसके पीछे बहुत तथ्य है या नहीं हैं। मैं यह भी नहीं कहूंगा कि इसके पीछे कोई ठोस सबूत हैं या नहीं हैं, लेकिन कम से कम जो कुछ ऐसे सवाल उठाये जा रहे हैं, उन पर सरकार को ध्यान जरूर देना चाहिए।

एक बात हमने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में देखी है कि स्वास्थ्य से ज्यादा आज दवाइयों पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि हमारे डाक्टर्स स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं या दवाइयां बेचते हैं। मैं सम्पूर्ण मेडिकल फ्रैटर्निटी की तरफ इज्जत से देखता हूं। मैं किसी एक पर आक्षेप नहीं लगाता, लेकिन कभी-कभी मन में एक संदेह जरूर पैदा होता है और कुछ लोगों ने न केवल हिन्दुस्तान में, बल्कि बाहर भी इस स्वाइन फ्लू का उदाहरण देकर, मैं फिर से यह नहीं कह रहा कि इस स्वाइन फ्लू के पीछे यह बात है या नहीं है, लेकिन इस बात को भी मन में रखना पड़ेगा कि कभी-कभी ऐसी बीमारियों को, जब अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ये आती हैं तो इसके पीछे फार्मास्यूटिकल कम्पनीज जिस मुस्तैदी से दवाइयां सामने ले आती हैं, एक वैक्सीन दो या तीन महीने के अन्दर उत्पादित हो जाती है और उस बात से कभी ऐसा लगता है कि जितने आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उन आंकड़ों से जिस तरह का उसके पीछे खौफ फैलाया जाता है, उससे उनका संबंध नहीं बनता है। उसके ऊपर एक नजर जरूर सरकार को रखनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ बीमारियों में, कुछ केसों में हम लोग देखते हैं, विशेषकर फार्मास्यूटिकल कम्पनीज का जो रूप रहता है, वह बहुत ज्यादा जनहित में नहीं रहता है।

हमारी आज जो सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली है, जिसको हम पब्लिक हैल्थ सिस्टम कहते हैं, वह तो जरूर चरमरा गई है। आज हमारे सब हैल्थ सेंटर्स हों या प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स हों या कम्युनिटी हैल्थ सेंटर्स हों, मुझे मालूम है कि पिछले 5-7 सालों में जो हमारे हैल्थ मिशन के अन्दर हमने अपने सी.एच.सीज. को, सी.एच.सीज. को, एच.एस.ईज. को सुदृढ़ किया है, उससे कुछ सकारात्मक असर कुछ प्रदेशों में पड़ा है। कुछ जगहों में राज्य सरकारों ने भी अपनी तरफ से हमारी स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता समझी है और उस पर कारगर कदम उठाये हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो चरमराता हुआ पब्लिक हैल्थ सिस्टम है, जिस कारण से भी हो, लेकिन क्योंकि यहां इनको संतोषजनक सुविधाएं नहीं मिलती हैं या इस कारण से कि एक प्रणाली ऐसी बन गई है कि जब तक आप प्राइवेट हैल्थ सिस्टम में नहीं जाएंगे, आपको वही स्वास्थ्य सेवाएं, जो मिल सकती थीं, नहीं मिलेंगी।

मुझे लगता है कि थोड़ी-बहुत साजिश के रूप में हमारी आज स्वास्थ्य प्रणाली भी इस देश में चल रही है। एक तरफ आप नियमित सुनियोजित तरीके से पब्लिक हैल्थ सिस्टम को बदनाम करते चले जाएं और बार-बार कोशिश करें कि इसमें वांछित लोगों को सेवायें न मिलें। जब व्यक्ति बीमार होता है, खासकर जब बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाता है, तो वह सरकार की डिलिवरी के लिए इंतजार नहीं करेगा। उसको अगर सरकारी अस्पताल में संतोषजनक उपचार नहीं मिलेगा, तो वह अपने आप किसी अस्पताल में चला जाएगा, जो संभवत: प्राइवेट अस्पताल होगा। उस चक्र के अंदर हमने देखा है कि प्राइवेट सैक्टर धीरे-धीरे अपने पंजे हर जगह बढ़ा रहा है, उससे भी हमें थोड़ा-बहुत खतरा दिखता है। उससे हम सब को सजग होने की आवश्यकता है।

यहां बहुत से संसद सदस्य बैठे हुए हैं, सब जानते होंगे कि अगर हमारे पास दिन में 10, 25 या 50 व्यक्ति मिलने आते हैं, हमसे मदद लेने आते हैं, जो चाहते हैं कि सरकार से किसी तरह से उनको मदद मिले, तो शायद 25-30 प्रतिशत लोग ऐसे होंगे, जो स्वास्थ्य से संबंधित किसी न किसी दिक्कत के कारण हमारे पास आते हैं। उनको या तो सुविधायें नहीं मिल रही हैं या खासकर जो हमारे शहर के सांसद होंगे, वे इस बात से मुझसे इत्तेफाक रखेंगे कि इस चीज से वे बेचारे डर जाते हैं कि उनके पिता जी को कोई छोटी सी बीमारी थी, उसको लेकर वे किसी अस्पताल में गए। उन्हें पता भी नहीं चला और तीन-चार दिन के अंदर उनके हाथ में पांच लाख का बिल थमा दिया गया। एक तरफ बीमार बाप है, दूसरी तरफ पांच लाख का बिल है। पांच लाख का बिल दें, तो बर्बाद हो जाए और अगर पिता जी का

[श्री सन्दीप दीक्षित]

उपचार करायें, तो परिवार पर कोई न कोई संकट आ जाए। कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा परिवार नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि सबके सामने आज सबसे बड़ा कोई संकट है, तो वह हेल्थ के बिल का संकट है।

उपाध्यक्ष जी, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। आज से 7-8 दिन पहले की बात है, मैं एक जगह बैठा हुआ था। कुछ मित्र लोग भी हमारे साथ बैठे थे। जितने मित्र लोग वहां थे, वे संभवत: हिन्दुस्तान के अच्छे समृद्ध परिवारों से आते हैं, अच्छी-अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। उनमें से कुछ इतनी तनख्वाह पा रहे हैं कि शायद हम सब अपनी तनख्वाह मिला लें, तो भी उतनी तनख्वाह न पाएं। वे लोग जब मुझसे बात कर रहे थे, तो कह रहे थे कि उनके मन में सबसे बड़ा डर यही रहता है कि कोई ऐसी बीमारी न हो जाए कि किसी बड़े अस्पताल में जाकर वे फंस जाएं। जब हिन्दुस्तान के समृद्ध और संभ्रांत परिवारों के लोग भी हेल्थ बिल से डरते हैं, तो बाकी हिन्दुस्तान का क्या हाल होगा, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा।

महोदय, स्वाइन फ्लू से मैं इसे सिर्फ इसलिए कनेक्शन देना चाहता हूं क्योंकि मुझे कभी-कभी संदेह होता है कि इन कई बीमारियों के पीछे या इन कई प्रणालियों के पीछे कहीं कोई और बड़ी ऐसी साजिश तो नहीं है, साजिश हमें मारने या बीमार करने की नहीं, बल्कि साजिश अपनी व्यावसायिक जरूरतों को आगे बढ़ाने की है, इसमें मुझे जरूर संदेह दिखता है। आज हम अपनी प्रणालियों को भी देखें।

महोदय, यहां स्वास्थ्य मंत्री जी उपस्थित हैं, मैं उनसे दो-तीन बातें कहना चाहूंगा। मैंने भी देखा है कि सरकारी प्रणालियों में हम एक आसान रास्ता लेने लगे हैं। जो नयी-नयी स्कीम्स आती हैं, उन सब में हेल्थ इंश्योरेंस मुझे दिखता है। हेल्थ इंश्योरेंस का बड़े-बड़े देशों में क्या असर रहता है, अमेरिका जैसे देश में भी हेल्थ इंश्योरेंस पर लोगों की क्या टिप्पणी है, यह सबको मालूम है। आज बार-बार यह कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा उन अस्पतालों के नंबर इसमें हों। हम सांसद लोग भी कई बार डर जाते हैं और हम भी चाहते हैं कि अपने यहां के जो प्राइवेट अस्पताल हैं, सीजीएचएस स्कीम में उनके ज्यादा से ज्यादा नंबर आ जाएं या वहां सेवाओं में उसके नंबर आ जाएं, जहां हमारे गरीब जाकर किसी न किसी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर उसमें अपना उपचार करा सकें।

हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सभी को मालूम है। कुछ लोग यहां जरूर होंगे, जिनके परिवारों एवं मित्रों ने, सहयोगियों ने हेल्थ इंश्योरेंस से पैसा निकालने की कोशिश की होगी। मेरे ख्याल से एलआईसी से पैसा निकालना ज्यादा आसान है, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस से पैसा निकालना दूसरी बीमारी की जड़ हो जाता है। अगर आप एक बीमारी से निकलेंगे, तो जब तक हेल्थ इंश्योरेंस से पैसा मिलता है, तब तक शायद आदमी टेंशन से अलग परेशान हो जाए। यह छोटी बात नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बात है।

महोदय, वर्ष 1945 में जब कांग्रेस के अंदर नए आने वाले हिन्दुस्तान के संविधान के बारे में टिप्पणियां की जा रही थीं, तो हिन्दुस्तान की स्वास्थ्य प्रणाली को इतने सच्चे और सुदृढ़ रूप से लिखा गया था, जो दुनिया में अपने लिए मिसाल है। उसके बाद वोहरा कमेटी रिपोर्ट के अंदर जिस तरह से हमने अपनी स्वास्थ्य प्रणाली को बनाया था, जिसे दुनिया में हर किसी ने सराहा कि हिंदुस्तान सही में असली कदम पर चल रहा है। उसका जब क्रियान्वयन किया गया, जब जगह-जगह ये सेंटर्स बने, तब देखा गया कि इस देश के गांव में जहां शायद कुछ भी नहीं था, हमारे दो-तीन सौ साल की गुलामी के अंदर हमारी स्वास्थ्य प्रणाली कहीं नहीं फैली थी। हमें एक विश्वास हुआ कि हमारे डाक्टर्स, हमारी सरकारें जगह-जगह हमें स्वास्थ्य की सुविधायें देंगी। लेकिन 15-20 सालों में इसमें बिल्कुल एक विपरीत प्रभाव दिख रहा है। हम सब उसमें एक जगह शामिल हो जाते हैं। उन सब में हम सब कहीं न कहीं अपने आपको कमजोर पाते हैं। आज हम लोगों ने भी आसान रास्ता इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अगर सरकारी अस्पताल में जगह नहीं मिलती है, तो प्राइवेट में चले जाते हैं। मैंने खुद एक स्कीम को देखा, जिसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा। एक सरकार इसी प्रदेश में है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। उसके यहां अपने इम्प्लाइज का पहले से एक सिस्टम चल रहा था जहां सरकारी अस्पतालों में लोगों का उपचार होता था। किसी कारणवश उसने तय किया कि इसी चीज को हम प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे और उनके बिल्स को रीएम्बर्स कर देंगे। छ: महीने के अंदर-अंदर उसी राज्य सरकार को उस प्रोवीजन को वापिस लेना पड़ा क्योंकि केवल छ: महीने के अंदर-अंदर उसका हैल्थ एक्सपैंडीचर चौदह गुना हो गया था। अगर साल में एक लाख रुपये खर्च होते थे तो चौदह लाख रुपये का बिल आने लगा, अगर एक करोड़ रुपये खर्च होता था तो चौदह करोड़ रुपये हो गए और अगर सौ करोड़ रुपये होते थे तो चौदह सौ करोड़ रुपये हो गए। यह बात हमें देखनी पड़ेगी। अगर हम बार-बार कहते हैं कि हमें अपने लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देनी हैं, तो क्यों न हम एक दूसरे हैल्थ सिस्टम की तरफ फिर से सोचना शुरू करें। आज हमारे सामने एक उदाहरण है जब हमने आज से करीब चालीस साल पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। आज बहुत से लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वे सेवाएं नहीं दीं जो शायद प्राइवेट सैक्टर बैंक दे सकते थे। लेकिन वे भूलते हैं कि आज के राष्ट्रीयकृत बैंक और प्राइवेट बैंकों में वे भले ही आपस में कम्परिजन कर सकते हैं। अगर हमें चालीस

साल पहले नेशनलाइज्ड बैंक प्रणाली नहीं मिली होती तो शायद उन तमाम कारीगरों या छोटे-छोटे व्यवसायों को, जो बैंक के लोन से चलते थे, पिछले चालीस साल में लोन न मिलते। आज हम जो आर्थिक रूप से सशक्त हिन्दुस्तान देख रहे हैं, उमसें नेशनलाइज्ड बैंक प्रणाली का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। क्या हम सोच सकते हैं कि हम अपनी हैल्थ प्रणाली को नेशनलाइज कर सकें? मुझे मालूम नहीं है, यह एक बहुत ऊंची पालिसी का डिसीजन है, लेकिन इसे देखना पड़ेगा। हमें हर बार विदेशों की सफल प्रक्रियाओं के बारे में बताया जाता है। इंग्लैंड भी एक सफल देश है, कनाडा भी एक सफल देश है, उनकी स्वास्थ्य प्रणालियां हमसे अलग हैं। वहां टोटली नेशनलाइज्ड स्वास्थ्य सिस्टम है। क्या हम उसकी तरफ देख सकते हैं?

मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से एक छोटा सा आग्रह और करूंगा। अगर आपको आज की वित्तीय स्थिति की व्यवस्था से लगता है कि हम सम्पूर्ण रूप से नेशनलाइज्ड सिस्टम नहीं कर सकते, तो उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए हम फ्री हैल्थ सिस्टम की बात करें। जब मैं फ्री की बात करता हूं तो पूरे रूप से फ्री की बात करता हूं, उसमें आप्शनल नहीं रखना चाहता। मैं यह नहीं कहना चाहता कि सरकार यह कहे कि हमने हैल्थ सिस्टम दे दिया, फिर किसी का मन हो तो वह प्राइवेट अस्पताल में चला जाए क्योंकि उपाध्यक्ष जी, आप भी जानते हैं कि अगर मेरी बाहों में मेरा बच्चा बीमार होगा तो मैं उस समय उसे अपने हिसाब से उस अस्पताल में लेकर जाऊंगा, मैं यह नहीं देखूंगा कि कोई सरकारी अस्पताल है या प्राइवेट अस्पताल है। अगर मेरा बच्चा मेरी बाहों में बीमार होगा तो मुझे शहर में जो सबसे अच्छा अस्पताल होगा, मैं उसे वहां लेकर जाऊंगा। इसलिए मेरे सामने वह विकल्प नहीं होना चाहिए क्योंकि सबसे अच्छे डाक्टर उसी अस्पताल में मिलने चाहिए जिस अस्पताल की सेवाओं के लिए सरकार कहती है कि मिलेंगी। अगर आप सब उम्र के लोगों के लिए नहीं कर सकते तो कम से कम बच्चों के लिए करें। लेकिन मैं बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा कि इस सरकार को आने वाले समय में पांच साल हैं। पिछली बार भी इस सरकार ने कई क्रान्तिकारी कदम उठाए। जब नरेगा की बात आई थी तब बहुत से विशेषज्ञों ने कहा था कि आप एक ऐसे कार्यक्रम की बात कर रहे हैं जो कभी क्रियान्वित नहीं होगा। कुछ आर्थिक लोगों ने यह भी बताया था कि आप ऐसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिससे सरकार की पूरी आर्थिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी, नरेगा में ही सारा पैसा लुट जाएगा। हमें जितनी वार्निंग्स मिली थीं, वे कोई भी सही साबित नहीं हुईं, क्योंकि सरकार ने हिम्मत की, जनहित में एक ऐसा कदम रखा जो जनहित के लिए आवश्यक था और आज हमें उसके नतीजे मिले। आज दिखता है, आज हमारी लेबर भी कम माइग्रेट कर रही है, जगह-जगह रेट्स भी बढ़े हैं। खैर वह अलग बात है। मैं कहना चाहता हूं कि मौका है और हम ऐसे कदम लें जिससे जनता को लगे कि सरकार ने उनके हित में कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए हैं, कठोर कदम उठाए हैं। अगर हमें अपना स्वास्थ्य सिस्टम बदलना है तो बदलें और स्वास्थ्य सरविलैंस प्रणाली बदलनी है तो बदलें। मैंने स्वाइन फ्लू से बोलने का मौका इसलिए लिया है कि क्योंकि आने वाले समय में बजट आएगा, उसके बाद हमें तीन-चार महीने के लिए संसद में बात करने का समय नहीं मिलेगा, फिर विंटर सैशन हो जाएगा तो और प्रणालियां चलेंगी। इस समय सरकार कई चीजों को सौ दिन में देखना चाहती है। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी को अपना मत रखने का यहां एक मौका भी था।

मैं आज फिर से संसद के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी, उनके डिप्टी साहब को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक कोशिश की है और एयरपोर्ट्स में न केवल कोशिश दिखती है, बहुगुणा जी हमारे बहुत सम्मानित कुलीग हैं, वे अभी बता रहे थे कि वे कुछ दिन पहले विदेश यात्रा से आए। वे आए तो उन्हें पहला दृश्य जरूर डरावना दिखा जब उन्हें यह दिखा कि कस्टम के सारे अधिकारी अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए बैठे हैं। लेकिन वे बताते हैं कि उन्हें उससे एक संतोष भी हुआ, उन्हें दिल में दिलासा मिली कि इसका मतलब है कि यह प्रणाली मेरी सेवा करने के लिए, मुझे ठीक रखने के लिए, मेरे हिन्दुस्तान को इस वायरस से बचाने के लिए आज सजग है। मेरी बेटी कुछ दिनों पहले बाहर से आयी थी। जब उसे हम एयरपोर्ट से लेने गये तब हमें संतोष हुआ कि एयरपोर्ट पर हमारे अधिकारी मुस्तैदी से लगे हुए हैं कि कोई भी स्वाइन फ्लू से पीड़ित व्यक्ति वहां से न निकल सके। इसके लिए मैं इनका स्वागत करता हूं और इन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन अगर डब्ल्यूएचओ ने ये वार्निंग्स दी हैं और उन वार्निंग के पीछे तथ्य हैं, तो उस पर हमें कन्टीन्युअसली पैनी नजर रखनी पड़ेगी।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि मैंने जो दो छोटी-छोटी बातें कहीं-एक यह कि इसके पीछे स्वाइन फ्लू में वह डर है, जो डब्ल्यूएचओ कहता है, तो उस पर हमारा स्वास्थ्य विभाग एक नजर जरूर रखे। दूसरा, हमारा चरमराता हुआ जो पब्लिक हैल्थ सर्विस सिस्टम है, उसे सुदृढ़ करना। आज हमें प्राइवेटाइज हैल्थ से जो चैलेंज मिल रहा है, मैं उसे केवल स्वास्थ्य बांटना नहीं कहूंगा, जो अपने आप में स्वास्थ्य द्वारा मुनाफा कमाने की बात करता है, उस पर अंकुश लगाना है। हमें ये विकल्प भी मिलें कि अच्छे डाक्टर्स, अच्छी दवाइयां हमें अपने अस्पतालों में मिले, अपने प्राइवेट हैल्थ सैंटर्स में मिले, अपने सीजीएचएस में मिले, अपने सब हैल्थ सैंटर्स में मिले। इन तीन बातों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

[श्री सन्दीप दीक्षित]

आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी और एमओएस साहब को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी बात सुनी।

*[अनुवाद]*

**श्रीमती मेनका गांधी** (आंवला): उपाध्यक्ष महोदय, अपना भाषण आरंभ करने से पहले, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की प्रशंसा ही नहीं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि स्वास्थ्य मंत्रालय में पांच वर्ष के 'सूखे' के पश्चात अब उन्होंने हमसे वर्षा का वादा किया है। मैं जानती हूं कि माननीय मंत्री और माननीय राज्य मंत्री अच्छे प्रशासक और समझदार व्यक्ति है। मुझे पहली बार इस विभाग से काफी उम्मीदें हैं।

महोदय, मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं हैं कि मेरी पार्टी ने मुझे स्वाइन फ्लू पर बोलने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि इसमें 'स्वाइन' शब्द है। सूअर एक दुर्दम्य जानवर हैं। यह हमारे विश्व का एक अत्यन्त उपयोगी सदस्य हैं। यह ऐसे क्षेत्रों की सफाई करता है जहां मानव द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ करने के लिए कोई नहीं होता। तथापि, यह भाषण सूअर का गुणगान करने के लिए नहीं है क्योंकि हम यह जानते हैं। यह हाल ही में फैली स्वाइन फ्लू महामारी के बारे में है।

हमें स्वाइन फ्लू क्यों कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम वायरस की उत्पत्ति एक सूअर मेले में 1918 में हुई थी, जहां मानव और सूअर एक साथ बीमार पड़ गए थे। बाद में पता चला कि इस बीमारी का फ्लू मानव से सूअरों में फैलता है, सूअरों से मानव में नहीं। इसका इस जानवर से केवल उतना ही सम्बन्ध है। वास्तव में, यह सैकड़ों सक्ल इन्फ्लूयेन्जा नस्लों में से एक है। एच एव प्रकार का फ्लू वर्ष 1918 में मानकों में फ्लू विश्वव्यापी रोग फैलाने वाले नस्ल के वंशजों में से एक है। यह उस समय विश्वव्यापी क्षेत्र नहीं था। परंतु इसे उस समय भी विश्वव्यापी रोग का नाम दिया गया। खबरों में बने रहने के साथ ही, 1918 के वायरस विश्वव्यापी रोग से कहीं कम किसी महामारी को फैलाए बिना 20वीं शताब्दी के दौरान मानवों में भी बने रहे केवल मीडिया ने ही इसे अब महामारी के रूप में फैलाया है जबकि यह इन्फ्लूएन्जा के समान मौसमी महामारी के रूप में है।

मैं पुन: विषय पर आ रही हूं। स्वाइन फ्लू अथवा एचआईवी के बारे में चर्चा करने से पहले, मैं सूअरों में स्वाइन फ्लू के संबंध में बात करना चाहूंगी, जिसका कारण यह है कि हालांकि स्वाइन फ्लू का उनको कोई लेना देना नहीं है, परंतु ऐसे अनेक वायरस हैं जो मानवों में फैल सकते है और उन की उत्पत्ति सूअरों में हो सकती है। ऐसे जानवरों, जिन्हें अमानुषिक परिस्थितियों, एक ही स्थान पर ठूंस कर, फैक्टरी समान गंदे कामों में पाला जाता है और उन्हें खराब और कम भोजन दिया जाता है तथा जो प्राय: अपने साथियों को ही जाते हैं, वे कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जिनमें फ्लू की नस्लें जैसाकि एवियन फ्लू अत्यन्त सामान्य है।

यह सुनकर किसी को भी हैरानी होगी कि विश्व में बनाई जाने वाली एन्टीबायटिक में से 60 प्रतिशत उन फैक्टरियों में रहने वाले जानवरों को दी जाती हैं, जिनका पालन पोषण मांस और दूध के लिए किया जाता है। चूंकि इनके गोश्त में एन्टीबायटिक के अवशेष होते हैं इसलिए मानवों में भी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जा रही है। एच 1 एन 1, एच 1 एन 2, एच 3 एन 1, एच 3 एन 2 और एच 2 एन 3 स्वाइन इन्फ्लूएन्जा स्ट्रेन हैं जो अमरीका से लेकर एशिया तक के सभी देशो के सूअरों में आम है। तथापि, अभी यह मानवों में नहीं फैले हैं। यदि यह सूअर फार्मों में काम करने वालों के कारण होता है, तो वह उनमें प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने के मामले नहीं आए हैं परंतु सूअर हमेशा फ्लू से मरते रहते हैं।

**अपराह्न 3.00 बजे**

भारतीय फैक्ट्री-फार्म अत्यंत हानिकर होते हैं, वहां फ्लू और अन्य बीमारियों से ग्रस्त सूअर पलते हैं, फिर भी लोग उनका मांस खाते हैं। तथापि, आज के विषय पर आते हुए मैं बताना चाहूंगी कि वर्ष 2009 में मानव जाति में फैला स्वाइन फ्लू एच 1 एन 1 के सब-टाइप इन्फ्लूएन्जा 'ए' वायरस के जीन्स के कारण हैं, और जैसाकि मैंने पहले भी कहा था यह 1918 के इन्फ्लूएन्जा से संबंधित है। परंतु यह नहीं पता कि इस नए स्ट्रेन की उत्पत्ति कैसे हुई, और इसे अभी तक जानवरों में आइसोलेट नहीं किया गया है। यह व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है और इसमें इनफ्लूएन्जा के सामान्य लक्षण होते हैं।

मानव में, एच 1 एन 1 अथवा स्वाइन फ्लू के लक्षण, सामान्य इन्फ्लूएन्जा जैसी बिमारी के समान ही होते हैं जैसे कंपकंपी बुखार, गला खराब होना, मांसपेशियों में दर्द, तेज सिरदर्द, खांसी, कमजोरी और हरारत बेचैनी। परंतु अब काफी समय से फ्लू आतंक फैलाने वाला कारण बन गया है और ऐसा कई बार हुआ है इसलिए लोग कारणों के प्रति संदेह करने लगे हैं और यह मानकर चलने लगे हैं कि ऐसा औषधि विक्रेताओं द्वारा अपनी दवाइयां बेचने के लिए किया जा रहा है।

अब मैं एच 1 एन 1 के इतिहास की बात करूंगी। फरवरी 1976 में अमरीका में फोर्ट डिम्स में सेना का एक रंगरूट फ्लू के लक्षणों-थकान और कमजोरी से मर गया। दो सप्ताह बाद, अमरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह घोषणा की कि उसकी मृत्यु स्वाइन फ्लू से हुई। अमरीका ने तुरंत यह निर्णय लिया कि वह

विश्वव्यापी रोग की गिरफ्त में हैं और जैसाकि आप जानते हैं कि विश्वव्यापी रोग से तात्पर्य है कि वह पूरे विश्व में फैल रहा है अत: प्रेसीडेंट फोर्ड ने यह आदेश दिया कि प्रत्येक अमरीकी को स्वाइन फ्लू से बचाने के लिए टीका लगाया जाए। उन्होंने स्वयं यह टीका लगवाया, जिसे टेलीविजन पर दिखाया गया और 4 करोड़ लोगों अर्थात् लगभग 24 प्रतिशत जनसंख्या को टीका लगाया गया। हालांकि फरवरी से अक्तूबर, 1976 के बीच यह फ्लू किसी को नहीं हुआ, तथापि तीन लोग टीका लगने के कारण मर गए, जबकि 500 से अधिक लोगों को टीके के कारण लकवा मार गया और लकवा होने के पश्चात् 25 लोगों की मृत्यु हो गई। अंतत: दिसम्बर में, इसे रोक दिया गया। हालांकि स्वाइन फ्लू को विश्वव्यापी रोग कहा जा रहा था, परन्तु वास्तव में उससे बचाव के लिए किया गया टीकाकरण घातक सिद्ध हुआ। इसे रोक दिया गया और उसके बाद स्वाइन फ्लू एच 1 एन 1 का नाम कभी नहीं सुना गया।

अब वर्ष 2009 में, पुन: वही सब टाइप एच 1 एन 1 के सामने आया है और इसे दुबारा स्वाइन फ्लू का नाम दिया गया, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मैक्सिको के लोगों में हुई मानी गई है जो इसके लिए सूअरों में दोषी मान रहे हैं, जबकि यह उद्यमियों से संयंत्रों में फैली है। तत्पश्चात् यूनाइटेड स्टेट्स ने इसे तत्काल विश्वव्यापी रोग घोषित कर दिया। अधिकांश देशों ने गलत राह पकड़ी और मिस्र के समान सूअरों को मारने में धन और समय की बरबादी की। वास्तव में, मिस्र में अब तक स्वाइन फ्लू का एक भी मामला सामने न आने के बावजूद उन्होंने अपना सम्पूर्ण स्वास्थ्य बजट सूअरों को मारने पर खर्च कर दिया। अब भारतीय लोग, पश्चिमी देशों द्वारा जारी किये जाने वाले प्रत्येक अलर्ट पर तुरंत हड़बड़ा जाते हैं। दुर्भाग्यवश, हमारे वैज्ञानिक कथित विश्वव्यापी रोग की गहराई से जांच नहीं करते। एवियन फ्लू इसका एक उदाहरण है। हमने, मुख्यत: जनजातियों और निर्धन लोगों के करोड़ों पक्षियों को मार दिया। हमने, पुणे में करोड़ों की फार्म फैक्ट्रियों में एक भी पक्षी नहीं मारा, जो कि चूजों को ग्रामीण लोगों की अपेक्षा बहुत बदतर स्थिति में रखते हैं। यह एक घोटाला है जिसकी जांच किये जाने की आवश्यकता है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने सैकड़ों करोड़ रुपये की एवियन फ्लू की दवाइयां खरीदीं जिनका कभी इस्तेमाल नहीं किया गया और न भविष्य में किया जाएगा। यह एक अन्य घोटाला हैं जिसकी जांच होनी चाहिए। हमारे वैज्ञानिकों को पश्चिमी देशों में फैली दहशत को अपने देश के लिए खतरा मानने से पहले यह महसूस करना चाहिए कि स्वयं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घातक होने के संबंध में स्वाइन फ्लू की तुलना अन्य सभी समान प्रकार के इनफ्लूएंजा वायरस से की है। वि.स्वा.सं. का यह कहना है कि अमेरिका में फ्लू के किसी भी स्ट्रेन से संक्रमित होने वाले प्रत्येक 1000 व्यक्तियों में से केवल 40 व्यक्तियों को अस्पताल में दाखिल कराने की आवश्यकता होती है और उनमें से केवल एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। स्वाइन फ्लू संबंधी दावों की तुलना में यह अनुपात कहीं अधिक है। भारत में यह पता लगाने के लिए कि किस व्यक्ति कि किस कारण से और किस अस्पताल में मृत्यु हुई, कोई केन्द्रीयकृत रिकार्ड नहीं है और कोई केन्द्रीयकृत रिकार्ड रखने की दिशा में हम कोई कार्य भी नहीं कर रहे हैं।

अत:, हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि किसी आम फ्लू से कितने लोगों की मृत्यु होती है और हम अन्य देशों में फैली दहशत के आधार पर तुरंत बिना सोचे समझे कार्यवाही आरंभ कर देते हैं। हमने फ्लू के कथित लक्षणों वाले व्यक्तियों का पता लगाने के लिए मीडिया में जोर-शोर से अभियान चलाया और धनराशि खर्च की। हमने लोगों को अलग रखा; प्रेस सम्मेलन किए; और पृथक रूप से रखे गये व्यक्ति जो कि कथित रूप से वहां से भाग निकले की तलाश की, उन्हें पकड़ा और बाद में पता चला कि हमारे देश में स्वाइन फ्लू का एक भी मामला नहीं है। क्या हमने बार-बार सामने आने वाले पोलियों के मामलों पर इतना ध्यान दिया है? क्या हम उन लोगों को पकड़ते हैं जो अपने बच्चों को पोलियों की दवा पिलाने से मना करते हैं। नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। क्या हमने मलेरिया या लगातार घातक होती जा रही बीमारी तपेदिक पर भी इतना ध्यान दिया है?

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, पिछले सप्ताह मुझे एक व्यक्ति ने चिंताग्रस्त होकर मुझे फोन किया क्योंकि उसका पांच वर्ष का पुत्र तपेदिक से पीड़ित था. केन्द्रीय जिला अस्पताल में उसे यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा व्यवस्था के अनुसार 23 जून को उसके घर पर दवाइयां पहुंच जाएंगी। व्यवस्था यह है कि स्वास्थ्य कर्मी औषधियां लेकर आपके पास आएंगे और आप स्वयं औषधियां लेने नहीं जा सकते। औषधि पहुंचाने वाला व्यक्ति उसके पास नहीं पहुंचा तब उसने मुझे फोन किया। मैंने मु.चि.अ. से बात की और यह पता चला कि जिस व्यक्ति को औषधि पहुंचानी थी वह एक शादी में गया हुआ था। क्या हमें पहले से मौजूद रोगों को फैलने से रोकने के लिए अधिक ध्यान और मीडिया में अभियान नहीं चलाना चाहिए और नए तथा काल्पनिक और पूर्णत: बनावटी रोगों पर अधिक ध्यान देने की बजाय औषधि वितरण प्रणाली में सुधार नहीं करना चाहिए? फ्लू एक सामान्य रोग है और स्वाइन फ्लू एच 1 एन 1 सहित इसके सभी स्ट्रेन सामान्य है।

मनुष्य में 2009 एच 1 एन 1 वायरस के लक्षण सामान्य इन्फ्लूएंजा के समान हैं। यह सूअर के मांस से बने उत्पादों को खाने से नहीं फैलता क्योंकि यह वायरस खाद्य पदार्थों के माध्यम से नहीं फैलता। हमें केवल एक व्यक्ति से दूसरे तक फ्लू वायरस को फैलने से रोकने के लिए कुछ मानक परहेज अपनाने की

[श्रीमती मेनका गांधी]

आवश्यकता है जैसे कि विशेषरूप से सार्वजनिक स्थलों से आने के पश्चात साबुन से बार-बार हाथ धोना और मुख्यत: घर में सतहों को किटाणुरहित बनाना क्योंकि ऐसा करना महत्वपूर्ण है। इन्फ्लुएंजा खांसने और छींकने से फैल सकता है, परन्तु, बड़ी संख्या में प्रमाण यह दर्शाते हैं कि वायरस युक्त छोटी-छोटी बूंदे भेज टेलीफोन और अन्य सतहों पर रह सकती हैं और ऐसी स्थिति में अल्कोहल आधारित जैल या फोम या हाथ साफ करने वाले पदार्थ वायरस या बैक्टीरिया को खत्म करने में बहुत सहायक है। फ्लू जैसे लक्षण जैसे कि बुखार, खांसी या मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षणों वाले किसी भी व्यक्ति को कार्य स्थल या सार्वजनिक परिवहन से दूर रहना चाहिए। केवल यही करने की आवश्यकता है। हम जरूरत से ज्यादा कार्यवाही कर रहे हैं। जहां केवल दो बातों से काम चल सकता है वहां हम करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं।

कृपया हाल ही में विकसित वाणिज्यिक विदेशी टीकों को खरीदने के लिए पुन: सरकारी धन खर्च न करें और हमारे वैज्ञानिकों का समय फ्लू का टीका विकसित कराने के लिए बर्बाद न करें क्योंकि फ्लू हमारे देश में अगले वर्ष तक नहीं आएगा क्योंकि उस समय तक वह एच 1 एन 1या किसी और रूप में बदल चुका होगा। आम फ्लू का टीका, जो कि कई वर्षों से बाजार में है वह फ्लू के प्रत्येक प्रकारों, जिनसे रक्षा करने के लिए उसे विकसित किया गया था, उसमें अब निष्प्रभावी सिद्ध हो रहा है और एक नया टीका सहायता करने के बजाए घातक सिद्ध होगा। हमें यह बताया गया है कि अमेरिका नए स्ट्रेन के लिए टीका विकसित कर रहा है, परन्तु, टीका तैयार होने से बहुत पहले वह स्ट्रेन परिवर्तित रूप ले चुका होगा।

आप समाधान के रूप में टेमीफ्लू का चयन करेंगे, क्योंकि एवियन फ्लू के लिए आप पहले ही करोड़ों मूल्य के टेमीफ्लू के टीकेखरीद चुके हैं। अब आप नहीं जानते कि इनका क्या किया जाए क्योंकि एक ऐसी विश्वव्यापी बीमारी जो कि अरबों लोगों को मार सकती थी आपने कहा है कि अब आप एवियन फ्लू के लिए नहीं बल्कि स्वाइन फ्लू के लिए टेमीफ्लू का उपयोग करेंगे। अब गायब हो चुकी है। यह नहीं है इसका समाधान यह कभी नहीं रहा है ... इससे पहले एवियन फ्लू के दौरान भी इसका समाधान नहीं था और अब भी नहीं है। क्या स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान खरीदे गये करोड़ों की कीमत के टेमीफ्लू टीके कभी बाजार में उतारे गए हैं? 20 वर्ष पहले कथित प्लेग हेतु खरीदे गए एंटीबायोटिक्स भी पिछले वर्ष तक कस्टम के पास पड़े हुए थे।

सच्चाई यह है कि आम एंटी वायरल दवाइयां फ्लू के असर को कम कर देती है और रोगी शीघ्र बेहतर महसूस करता है। घर या अस्पताल में रोग के असर को कम करने वाली चिकित्सा में फ्लू वायरस के उपचार हेतु बुखार को नियंत्रित करने और शरीर में द्रव्य का संतुलन बनाए रखने पर ध्यान दिया जाता है। एक कहावत जो कि हर प्रकार के फ्लू पर लागू होती है वह इस फ्लू पर भी लागू होती है और वह यह है कि औषधि के साथ यह एक सप्ताह में ठीक होता है और बिना औषधि के सात दिन में ठीक होता है।

वाइरस से प्रभावित अधिकतर लोग बिना किसी चिकित्सा निगरानी या वायरस-निरोधी दवाओं के पूरी तरह से ठीक हो गए।

यह एक अन्य प्रकार का फ्लू वाइरस या विशेष रूप से मौसमी लक्षणों वाला फ्लू है। अभी तक, यदि आप स्वाइन फ्लू के नक्शे पर स्वाइन फ्लू के मामले में वृद्धि को देखें, तो विशेषज्ञों को आज तक नहीं मालूम कि क्या यह इंफ्लूएंजा ए (एच 1 एन 1) वाइरस एक विश्वव्यापी रोग हो जाएगा या परेशानी पैदा करेगा हो सकता है हम इन मामलों के समाप्त होने तक कुछ हफ्तों अथवा महीनों तक छुटपुट मामले देखते रहें।

यदि आप को याद हो, तो सार्स (एसएआरएस) को लाखों लोगों को मारने वाला बताया गया था। क्या किसी को याद है कि सार्स का अर्थ क्या है या क्या वास्तव में इसने एक भी व्यक्ति को मारा? तथापि, मैं कहना चाहती हूं कि औषधि की रेशे, जिलीड और ग्लैक्सो स्मिथक्लिन जैसी वैश्विक कम्पनियां टैमीफ्लू और रिलैक्सिक जैसे एंटीआइरल की बिक्री से भारी मुनाफा कमा रही हैं। अमरीकी प्रशासन ने पहले ही पूरे विश्व में फ्लू से प्रभावित लोगों के लिए टैमीफ्लू और रिलैक्सिन का अधिक व्यापक रूप से प्रयोग करने के लिए अपनी प्राधिकरण प्रणाली में आपातकालीन किड़की खोल दी है। बायोक्रिस्ट तथा नोवावैक्स जैसी ठीका बनाने वाली छोटी कंपनियां भी भारी लाभ कमा रही है। भारत ने टैमीफ्लू खरीदा है, परंतु इसकी खुदरा बिक्री की अनुमति नहीं दी है। यह आश्चर्य की बात है कि आपके मंत्रालय ने स्वाइन फ्लू की मौजूदगी से डराने के बावजूद जनता को टैमीफ्लू न देने का कारण यह बताया है कि लोगों द्वारा इस एक मात्र उपचार अविवेकपूर्ण प्रयोग से एच1 एन1 इंफ्लूएंजा के वायरस की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती हैं।'' यह आपकी सरकार ने अधिकारिक रूप से कहा है। आप खरीदना जारी रखें, किन्तु आप यह हमें नहीं देते। आप किसी को कभी भी इसका प्रयोग करने नहीं देते, क्योंकि यदि हम इसका प्रयोग करते हैं, तो हम इससे प्रतिरक्षित हो सकते हैं। कल्पना कीजिए कि हम किसी रोग के लिए कोई दवा खरीदते हैं तो इसका फायदा किसे होता रहेगा-कंपनियां, मंत्रालय सरकार, विक्रेता, खरीदार?

मैं कहना चाहती हूं कि संभवत: हमें अपने दुराग्रह को कम करना चाहिए और स्वाइन फ्लू पर जो राशि हम खर्च कर रहे हैं

उसे पहले से यहां फैली बीमारियों पर खर्च करना चाहिए। इसके पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं मैं पुन: 'स्वाइन' और 'सूअर' शब्द पर जाती हूं, क्योंकि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। सूअर असामान्य होते हैं, क्योंकि वे इंफ्लूएंजा नस्ल से प्रभावित हो सकते हैं, जो कि सामान्यत: तीन मुख्य प्राणियों सूअर, पक्षी और मानव को प्रभावित करता है और यह कहीं भी फैल सकता है। इससे सूअर के शरीर में इंफ्लूएंजा वायरस रहता है जो जीना में अदला-बदली कर सकता है तथा नए और खतरनाक स्ट्रेन पैदा कर सकता है। अत: मैं सुझाव देता हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय को भी सूअर पालने के हमारे तरीके पर ध्यान देना चाहिए। जीआईजी में (गंदगी खाओ, गंदगी निकालो) एक मानक सिद्धांत है। इस टी.वी., हम मलेरिया या अन्य बीमारियां फैलाने वाले कारणों की चर्चा करते हैं। पुन: यह इस बात पर निर्भर करता हूं कि जिन्हें हम खाते हैं, किस तरह पालन करते हैं। मैं संसद सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि वे अपने क्षेत्रों के पशुपालन केन्द्रों की जांच करें और देखें जानवरों को मांस के लिए कितनी गंदी स्थितियों में पाला जाता है, क्योंकि यही प्रचलन है। जिन बीमारियों पर पिछले पांच वर्षों में हमने अपना पैसा खर्च किया है, वह सभी मुर्गी, सूअर, बकरी तथा गाय-बैल पालने के तरीकों के कारण हुईं। गायों और भैसों के व्यावसायिक पालने के तरीकों के कारण टी.वी. हो रहा है। हम एच1 एन1 से यह सीख ले सकते हैं।

यदि हम चाहते हैं कि संसार में स्वास्थ्य और खुशहाली हो, हमें समझना चाहिए कि इस पर रहने वाले सभी प्राणी स्वस्थ हो अन्यथा हम लगातार खतरे में रहेंगे।

*[हिन्दी]*

**श्री शैलेन्द्र कुमार** (कौशाम्बी): माननीय उपाध्यक्ष जी, नियम 193 के अंतर्गत स्वाइन-फ्लू पर भाई सन्दीप दीक्षित जी और पवन सिंह घाटोवार जी ने जो चर्चा सदन में कराई, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। पिछली बार हम लोग शून्यकाल में स्वाइन-फ्लू पर अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन हमें इसके लिए मौका नहीं मिल सका। अभी भाई सन्दीप जी ने और आदरणीय मेनका गांधी जी ने स्वाइन-फ्लू के बारे में बड़े विस्तार से बातें बताईं। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद बहुत योग्य और वरिष्ठ मंत्री हैं। स्वाइन फ्लू के बारे में चर्चा आज से नहीं बल्कि मार्च, 2009 से बहुत जोरों से है। यह पूरे भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वर्ष 1998 में जब पहली बार उत्तरी केरोलिना में स्वाइन फ्लू फैला, उसका वायरस ट्रिप्पल हाई ब्रीड था। वह आदमियों में भी था, पक्षियों में भी था और जानवरों में भी था। इस बारे में तरह-तरह की भ्रांतियां हैं, हम लोग लेख भी पढ़ते हैं और बड़े-बड़े वैज्ञानिक भी इस खोज में लगे हैं कि यह स्वाइन फ्लू क्या है, यह कैसे जनरेट हुआ और कहां से आया, यह अभी तक वैज्ञानिक पता नहीं कर पाए हैं। दुनिया के समाचार पत्रों में आंकड़ों के बारे में समय-समय पर लिखा जाता है कि 116 देशों में स्वाइन फ्लू फैला हुआ है और 2371 लोग अभी तक मर चुके हैं।

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** दुनिया के 116 देशों में स्वाइन फ्लू फैला हुआ है।

**श्री शैलेन्द्र कुमार:** जी हां, दुनिया के 116 देशों में स्वाइन फ्लू फैला हुआ है और इससे 2371 मौतें हो चुकी हैं। जैसा सन्दीप दीक्षित जी ने कहा और हमने समाचार पत्र में भी पढ़ा कि हिंदुस्तान में भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जो चिंता का विषय है।

*[अनुवाद]*

**श्री गुलाम नबी आजाद:** महोदय, हो सकता है कि मुझे आज उत्तर देने का अवसर न मिले, क्योंकि मुश्किल से दस से पन्द्रह मिनट बचे हैं और मुझे सोमवार को ही उत्तर देना होगा। यह समाचार पत्रों में छपा है और एक टीवी चैनल पर भी दिखाया गया है कि केरल में एक रोगी की मृत्यु हुई है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि उसकी मृत्यु इंफ्लूएंजा एच1 एन1 के कारण नहीं हुई है क्योंकि राज्य सरकार ने नमूना परीक्षण के लिए दिल्ली भेजा था और रिपोर्ट नकारात्मक पाई गई।

*[हिन्दी]*

**श्री शैलेन्द्र कुमार:** जैसा मंत्री जी ने स्पष्टीकरण दिया है, यह बहुत अच्छी बात है।

*[अनुवाद]*

**श्रीमती मेनका गांधी** (आंवला): आपने विमानपत्तन आदि पर जो उपाय किये हैं, उसकी मैं अत्यंत सराहना करती हूं और शायद हम स्वयं को धन्यवाद देते हैं कि विमानपत्तन पर जो उपाय हुए हैं उससे स्वाइन फ्लू पर रोक लगी है। लेकिन वे सभी देश, जिन्होंने विमानपत्तन पर कोई उपाय नहीं किये हैं, वहां भी स्वाइन फ्लू नहीं मिला है।

**श्री गुलाम नबी आजाद:** मैं इसका सोमवार को उत्तर दूंगा। किंतु इस समय चूंकि यह प्रेस में पहले ही छापा गया है कि अभी तक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, मैं कहता हूं कि हमें आशा करनी चाहिए कि एक भी व्यक्ति की स्वाइन फ्लू से मृत्यु नहीं हुई है।

*[हिन्दी]*

**श्री शैलेन्द्र कुमार:** मंत्री जी ने स्पष्ट किया है, यह बहुत अच्छी बात है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार की

[श्रीमती मेनका गांधी]

बीमारी न फैले और किसी व्यक्ति की मृत्यु न हो। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। वैज्ञानिक इस बीमारी की दवाई की खोज करने में लगे हैं, लेकिन वे अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। लोगों का सही ढंग से टीकाकरण हो और लोगों में यह बीमारी न फैले, इस बारे में डाक्टर्स को सफलता नहीं मिली है। हमें समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि मैक्सिको के अंजान शहर लागलोरिया में यह फ्लू पैदा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ हमने लेख पढ़ा है कि यह सूअर से, पक्षियों से या जानवरों से या कचरे से या फैक्ट्रियों से या केमिकल से या खाद्य सामग्री से फैला, इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है। इस बारे में जानने के लिए दुनिया के वैज्ञानिक लगे हैं। जहां तक हमारे देश की बात है, समाचार पत्रों में हमने पढ़ा, टेलीविजन में भी हम देख रहे हैं कि विदेशों से आने वाली जितनी भी फ्लाइट्स हैं, उन पर निगरानी रखी जाए। केवल दिल्ली ही नहीं, देश के दूसरे बड़े शहर, जहां विदेशों से फ्लाइट्स आती हैं, वहां विशेष तौर पर से इस बीमारी के लिए लोगों का चैक-अप होना चाहिए। मैंने देखा कि लोग बाहर के देशों से यह बीमारी लेकर अपने देश में आ रहे हैं। ऐसी बहुत सी दवाइयां हैं जिन्हें लेकर इस बीमारी को कुछ घंटे तक दबाया जा सकता है लेकिन जैसे ही इन दवाओं का असर खत्म होता है स्वाइन फ्लू का मरीज अपने असली रूप में आ जाता है। यह भी कहा गया है कि एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से बातचीत करने और साथ उठने-बैठने से भी यह बीमारी फैल रही है। हमें इस ओर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। इस बीमारी से निपटने की जानकारी की व्यवस्था केवल एयरपोर्ट्स में ही नहीं बल्कि रेलवे स्टेशनों पर भी होनी चाहिए। लोग हवाई जहाज, रेल और पानी वाले जहाजों में भी यात्रा करते हैं इसलिए तमाम बंदरगाहों पर भी इसका इंतजाम होना चाहिए। इन सभी जगहों पर जांच के लिए एक्सपर्ट डाक्टर बैठने चाहिए जो विशेष तौर पर इसकी निगरानी करें ताकि एक जगह से दूसरी जगह यह बीमारी न फैल पाए।

जहां तक भारतीय डाक्टरों की बात है, बाहर के देशों से बहुत से मरीज हमारे देश में आए हैं। मेरे ख्याल से हिन्दुस्तान के डाक्टर स्वाइन फ्लू को डाइग्नोज नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि रोज न्यूज पेपर में पढ़ने को मिल जाता है कि इक्का-दुक्का मरीज यहां पाया गया है। इस तरह के समाचार पढ़ने को मिलते हैं। जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा है और मैं इसे दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन आज शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचसी और सीएचसी, हैल्थ सैंटरों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि हो सकता है कि बहुत से मरीज डर कर शहर में ही न रहें और कहीं पलायन कर जाएं इसलिए हमें विशेष तौर पर निगरानी करनी पड़ेगी।

महोदय, दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र के पीएचसी और सीएचसी के संबंध में चाहे सभी प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों के साथ वार्ता करने की जरूरत पड़े, वह कीजिए। इसके साथ यह भी बात की जाए कि यह बीमारी जो महामारी के रूप में फैल रही है, इस पर कैसे कंट्रोल करें। इससे पहले चेचक उन्मूलन के लिए वैक्सीन मंगाए गए और यह जड़ से खत्म हुआ। अब पोलियो को खत्म करने के लिए पोलियो ड्राप्स पिला रहे हैं। अभी हमारे निर्वाचन क्षेत्र कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में सैंकड़ों चेचक के मरीज देखने को मिले। पिछले कुछ वर्षों में चेचक खत्म हो गया था लेकिन इस क्षेत्र में छोटे दाने से लेकर बड़ी चेचक के रोगी पाए गए हैं। हमें यह देखकर बहुत ताज्जुब हुआ क्योंकि यह तो देश से खत्म हो गया था लेकिन इस जगह चेचक उभार पर है। अब जरूरत इस बात की है कि जो पुरानी बीमारियां हैं, उन्हें देखें क्योंकि यह कहा जाता है कि स्वाइन फ्लू मलेरिया का ही बिगड़ा स्वरूप हो सकता है। इससे पहले इसी सदन में तमाम बातें उठाई गई हैं, खास तौर से बांग्लादेश और सीमा से लगे देशों के जिलों में बाढ़ या सूखे के समय तमाम बीमारियां शीघ्रता से मानव के ऊपर असर करती हैं इसलिए इन पर कंट्रोल करना आवश्यक है। आप बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं, आप चाहें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का एक सम्मेलन आयोजित करें ताकि स्वाइन फ्लू का जो खतरा हमारे देश में बढ़ रहा है इसे कंट्रोल किया जा सके। मुझे उम्मीद है कि आप इसे रोकने के लिए कार्य योजना बनाएंगे और रोकने की पूरी कोशिश करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

*[अनुवाद]*

**डॉ. रामचन्द्र डोम** (बोलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं देश में तेजी से बढ़ते स्वाइन फ्लू पर इस अल्पावधि चर्चा में भाग लेने हेतु खड़ा हुआ हूं। मैं अपने माननीय साथी श्री संदीप दीक्षित तथा मेरे अच्छे मित्र श्री पवन सिंह घाटोवार को इस प्रस्ताव को चर्चा के लिए सभा में लाने हेतु धन्यवाद देता हूं।

श्री दीक्षित द्वारा विशेष रूप से उठाये गये बिन्दुओं पर हमने चर्चा नहीं की है, जिन्होंने हमारे देश में इस तरह की समस्या के कई पहलुओं पर यहां विस्तृत विचार व्यक्त किये हैं। हमारे सम्मानित साथी श्रीमती मेनका जी ने अपने भाषण में इस समस्या के पक्ष और विपक्ष में विस्तृत विचार व्यक्त किये हैं। मैं इस समस्या पर उनके दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि इस तरह की समस्या से आतंक पैदा किया जाता है। कई बार मुख्य कारण का पता नहीं लगाया जाता और इस समस्या से लोगों को आतंकित

किया जा रहा है। कई बार इस तरह की बीमारियों के कारण महामारी या विश्वव्यापी रोग उत्पन्न हो जाता है। आजकल, निहित स्वार्थों के लिए इस तरह की समस्या का आतंक पैदा किया गया है।

महोदय, इस विशेष समस्या पर, हाल ही में मैंने एक पत्रिका–द न्यू इंग्लैण्ड जर्नल ऑफ मेडिसीन में पढ़ा है, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से जानकारी मिली कि मानव जाति में इस तरह के संक्रमण के लिए एक विशेष तरह का वायरस जिम्मेदार है, जिसे स्वाईन फ्लू कहा जाता है। मैं श्रीमती गांधी से सहमत हूं कि सुअर मूल रूप से यह समस्या नहीं पैदा कर रहे हैं, बल्कि वे मानव स्रोतों से संक्रमण के शिकार होते हैं। नए अध्ययनों के अनुसार, हाल ही में विश्वव्यापी कारण तथा फ्लू वायरस के अनुवांशिकी पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसकी ज्यादा संभावना है कि वर्तमान विश्वव्यापी रोग इंफ्लूएंजा का एच 1 एन 1 स्ट्रेन जनसंख्या में पुन: कमी न आयी होती, यदि 1971 में उक्त स्ट्रेन पर एक भी प्रयोगशाला में कार्य हो रहा हो और वह दुर्घटनावश लीक हो गई है।

न्यू इंग्लैण्ड जर्नल ऑफ मैडिसन टिप्पणी करती है कि यह रोग संभवतया वाइरस के प्रयोगशाला से आकस्मिक रूप से छूटने के कारण पुन: उभरा था। इस क्षेत्र में कार्यरत दो प्रमुख वैज्ञानिक–पेन्सिलवेनिया में पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय के शांटा जिमर और डोनाल्ड बर्क ने कहा था कि वायरस के प्रशीतित नमूने प्रयोगशाला में 1950 से संरक्षित है और इन्फ्लूएंजा पर अनुसंधान कर रही अधिकांश प्रयोगशालाओं अधिकांश प्रयोगशालाओं के पास 1950 की स्ट्रेन होगी और वास्तव में कोई भी सही–सही नहीं बता सकता कि आकस्मिक रूप से इसके फैलने के लिए कौन सी प्रयोगशाला जिम्मेदार है लेकिन 1977 में एच1 एन1 के प्रादुर्भाव ने इसे मानव जनित महामारी बना दिया।

अत: यह भी याद दिलाया जाता है कि हमें प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के संदर्भ में निरन्तर सतर्क रहने की आवश्यकता है।

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्य अब इसका समय समाप्त हो गया है। साढ़े तीन बजे प्राईवेट मैम्बर्स बिजनेस शुरू होगा। नैक्स्ट टाइम जब यह आयेगा तब आप इस पर बोलेंगे।

**डॉ. रामचन्द्र डोम:** ठीक है सर।

---

**अपराह्न 3.30 बजे**

## गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयक–पुर:स्थापित

### (एक) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2009*

**(धारा 11 आदि का संशोधन)**

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** सभा अब गैर–सरकारी सदस्यों का कार्य लेगी। मद सं. 19, श्री फ्रांसिस्को सारदीना।

**श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** (दक्षिण गोवा): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

**उपाध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना:** मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

**अपराह्न 3.31 बजे**

### (दो) अल्पविकसित और पिछड़े क्षेत्र तथा अंचल (त्वरित विकास के लिए विशेष उपबंध) विधेयक 2009*

*[अनुवाद]*

**श्री वैजयंत पांडा** (केन्द्रपाड़ा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में गरीब, अल्पविकसित और पिछड़े क्षेत्रों तथा अंचलों, जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, तकनीकी अवसंरचनात्मक मामलों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं, का तीव्र, त्वरित और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए एक स्वायत्त केन्द्रीय प्राधिकरण स्थापित करने और उनके सुनियोजित ढंग से तीव्र विकास को आश्वस्त करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग–II, खण्ड 2, दिनांक 03.07.2009 में प्रकाशित।

**उपाध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

''कि देश में गरीब अल्पविकसित और पिछड़े क्षेत्रों तथा अंचलों, जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, तकनीकी अवसंरचनात्मक मामलों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं, का तीव्र, त्वरित और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए एक स्वायत्त केन्द्रीय प्राधिकरण स्थापित करने और उनके सुनियोजित ढंग से तीव्र विकास को आश्वस्त करने तथा उससे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**श्री वैजयंत पांडा** (केन्द्रपाड़ा): मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

**अपराह्न 3.32 बजे**

## (तीन) नक्सलवादी आतंकवाद से प्रभावित व्यक्ति (राहत और पुनर्वास) विधेयक, 2009*

*[अनुवाद]*

**श्री वैजयंत पांडा** (केन्द्रपाड़ा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के विभिन्न भागों में नक्सलवादी अथवा माओवादी आतंकवाद से प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार तथा अन्य साधनों के जरिये राहत, प्रतिकर और पुनर्वास उपायों तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**उपाध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

''कि देश के विभिन्न भागों में नक्सलवादी अथवा माओवादी आतंकवाद से प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार तथा अन्य साधनों के जरिये राहत, प्रतिकर और पुनर्वास उपायों तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**श्री वैजयंत पांडा:** मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

**अपराह्न 3.33 बजे**

## (चार) तटीय क्षेत्रों में चक्रवात, महाचक्रवात अथवा सुनामी से प्रभावित नागरिक (प्रतिकर, पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2009*

*[अनुवाद]*

**श्री वैजयंत पांडा** (केन्द्रपाड़ा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात अथवा महाचक्रवात अथवा सुनामी अथवा अन्य प्राकृतिक आपदा से प्रभावित नागरिकों को पर्याप्त प्रतिकर, पुनर्वास तथा कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराते हुए, उनका संरक्षण करने तथा तत्संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**उपाध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

''देश के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात अथवा महाचक्रवात अथवा सुनामी अथवा अन्य प्राकृतिक आपदा से प्रभावित नागरिकों को पर्याप्त प्रतिकर, पुनर्वास तथा कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराते हुए, उनका संरक्षण करने तथा तत्संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

**श्री वैजयंत पांडा:** मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

**अपराह्न 03.33$^{1}/_{2}$ बजे**

## (पांच) अयाचित टेलीफोन कालों का निवारण और एकांतता का संरक्षण विधेयक, 2009*

*[अनुवाद]*

**श्री वैजयंत पांडा** (केन्द्रपाड़ा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि कारोबार संप्रवर्तकों या व्यक्तियों द्वारा उन व्यक्तियों को की जाने वाली अयाचित टेलीफोन कालों जिन्हें वे सुनने के इच्छुक नहीं होते, का प्रतिषेध करने और नागरिकों की व्यक्तिगत एकांतता का संरक्षण करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

**उपाध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

''कारोबार संप्रवर्तकों या व्यक्तियों द्वारा उन व्यक्तियों को की जाने वाली अयाचित टेलीफोन कालों जिन्हें वे सुनने के इच्छुक नहीं होते, का प्रतिषेध करने और नागरिकों की व्यक्तिगत एकांतता का संरक्षण करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**श्री वैजयंत पांडा:** मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-2, दिनांक 3.7.2009 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-2, दिनांक 3.7.2009 में प्रकाशित।

**अपराह्न 3.34 बजे**

## (छह) संविधान (संशोधन), विधेयक, 2009 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)*

*[अनुवाद]*

**श्री अर्जुन राम मेघवाल** (बीकानेर): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

**उपाध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

''कि भारत के संविधान के और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**श्री अर्जुन राम मेघवाल:** मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय:** मद सं. 25, श्री योगी आदित्यनाथ-उपस्थित नहीं।

**अपराह्न 3.35 बजे**

## राष्ट्रीय हिमालयी राज्य विकास बोर्ड का गठन करने के बारे में संकल्प

**उपाध्यक्ष महोदय:** इससे पहले कि मैं श्री वीरेन्द्र कश्यप को राष्ट्रीय हिमालयी राज्य विकास बोर्ड के गठन से संबंधित उनका गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प प्रस्तुत करने के लिए बुलाऊं। सभा को इस संकल्प पर चर्चा हेतु समय निर्धारित करना है।

यदि सभा सहमत हो तो इस पर चर्चा के लिए दो घण्टे दिये जा सकते हैं।

**अनेक माननीय सदस्य:** जी हां।

*[हिन्दी]*

**श्री वीरेन्द्र कश्यप** (शिमला): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''हिमालयी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति जिसके कारण भू-स्खलन, बादल फटना, भूकंप, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिनके परिणामस्वरूप जान और माल का भारी नुकसान होता है और साथ ही उत्तुंग पहाड़ियों के कारण वहां सड़कों, भवनों और अन्य विकास कार्यों के निर्माण की उच्च लागत और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह संघ सरकार की पूरी वित्तीय सहायता से-

(1) हिमालयी क्षेत्र के राज्यों के चहुंमुखी और तीव्र विकास के लिए;

(2) इन राज्यों में विद्यमान केन्द्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों की मानीटरिंग के लिए; और

(3) उक्त क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को न्यूनतम करने के उपाय सुझाने के लिए 'राष्ट्रीय हिमालयी राज्य विकास बोर्ड नामक एक बोर्ड' का गठन किया जाए।''

**अपराह्न 3.36 बजे**

[**डॉ. एम. तम्बिदुरई** *पीठासीन हुए*]

महोदय, आपने मुझे राष्ट्रीय महत्व के इस ज्वलंत विषय पर गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत करने का जो अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला सुरक्षित संसदीय क्षेत्र से प्रथम बार इस माननीय सदन का सदस्य बनकर आया हूं।

महोदय, देश में कुल ग्यारह हिमालयी राज्य हैं जिनमें असम, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एवं सिक्किम हैं। इन राज्यों की कुल आबादी छह करोड़ पैंतीस लाख से ज्यादा है तथा कुल क्षेत्रफल लगभग पांच लाख तिरानवें हजार किलोमीटर है। मैदानी भागों में सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अन्य विकास कार्यों पर जितना व्यय होता है उसका कई गुना ज्यादा व्यय पहाड़ी राज्यों में होता है। उदाहरणस्वरूप एक किलोमीटर मैदानी भाग में सड़क बनाने में जो लागत आती है, पहाड़ी राज्यों के कई कठिन स्थानों पर यह लागत कई गुना अधिक आती है। मैं समझता हूं कि इन कठिन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए वहां की हमारी उत्तुंग श्रृंखलाओं में जो लोग फंसे हैं और हिमाचल प्रदेश के हिमालयी अंचल में बसे होने के कारण वहां कुछ भाग ऐसे हैं जहां वर्ष में केवल चार महीने ही सामान्य जीवन चलता है और शेष समय में बर्फ जमी रहती है। हिमालय प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जहां गर्मियों में ऊना एवं उसके साथ लगते क्षेत्रों में भयंकर गर्मी और लू की तपिश महसूस की जा सकती है और वहीं दूसरी ओर हिमाचल के ही जिला लाहौल-स्फीति और किनौर के कुछ भागों में भयंकर बर्फबारी के कारण सर्दी की ठिठुरन महसूस की जा सकती है। हम पहाड़ों में रहने वाले लोग बहुत कठिन परिस्थिति में अपना गुजारा करते हैं क्योंकि हम लोग जंगलों से घिरे हुए हैं। देश की 62 वर्ष की आजादी में पहाड़ी राज्यों के लिए जितनी भी योजनाएं बनीं उनका फायदा पहाड़ी राज्यों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अभी तक नहीं पहुंच पाया है। इस कारण से इन राज्यों के लोग विकास के लिए अभी भी तरस रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि केन्द्र सरकार जो भी योजनाएं बनाती है, वह वहां की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों, सोशियो-इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाती। भारतीय उपमहाद्वीप की सुरक्षा में दक्षिण से समुद्र और उत्तरी संभाग में

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-2, दिनांक 3.7.2009 में प्रकाशित।

[श्री वीरेन्द्र कश्यप]

हिमालय को देश की सुरक्षा का प्राचीर कहा जाता है। केन्द्र सरकार ने दक्षिण और तटवर्ती राज्यों में अरब सागर और हिन्द महासागर से टकराते राज्यों में एक महासागर मंत्रालय बनाने की मांग की, जिसकी देख-रेख में इन तटीय राज्यों की समस्याओं को इस मंत्रालय के माध्यम से सुलझाया जा सके। केन्द्र में महासागर मंत्रालय बन जाने के पश्चात् देश के तटवर्ती राज्य अनेक लाभ उठा रहे हैं, लेकिन लोक सभा में देश के उत्तरी संभाग के हिमालयी राज्यों के सदस्यों की कम संख्या और आपस में तालमेल न होने के कारण केन्द्र में महासागर मंत्रालय की तरह हिमालयी विकास मंत्रालय स्थापित नहीं हो सका। आज हिमालय पूरे देश के ऋतु-चक्र के लिए खतरा बना हुआ है। इसलिए केंद्र को हिमालय राज्यों की कमजोर वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए हिमालय विकास मंत्रालय या हिमालय विकास बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए। मैं आपके और सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज तक जो भी हमारे प्रधानमंत्री बने, उन्होंने हमेशा ही इस तरह की एजेन्सीज की वकालत की है और गत दिनों जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे और वे हिमाचल प्रदेश आए थे, तो उन्होंने भी इस प्रकार की एजेंसी बनाने की आवश्यकता महसूस की थी। मैं सदन के समक्ष कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के ट्रांस हिमालयन विकास प्राधिकरण के गठन की घोषणा करने के लिए बहुत सी इंटर मिनिस्ट्री टास्क फोर्स की बात भी 2004 में हुई थी परंतु उसकी कोई बैठक नहीं हो सकी, जिस कारण से हमें इस प्रकार के बोर्ड के गठन का लाभ नहीं हुआ या जो टास्क फोर्स बनाई गई थी, उसका लाभ नहीं मिल सका।

महोदय, हिमालय क्षेत्र के संरक्षण और विकास के लिए पूर्व में विभिन्न स्तरों पर केन्द्र सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है। इन राज्यों की विशिष्ट भौगोलिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री की देखरेख में महासागर विकास की तरह हिमालय विकास मंत्रालय का भी गठन किया जाए जिससे हिमालय के पर्यावरणीय संरक्षण और उसमें स्थित हिमालयी राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, असम, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के समग्र विकास के साथ-साथ क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि के द्वार खुल सकें। महोदय, इन हिमालयी राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिमोत्तर में पाकिस्तान और उत्तर पूर्व में भूटान, चीन, नेपाल, बंग्लादेश और म्यांमार से लगती है जिसके कारण भारतीय गणतंत्र की सुरक्षा और अखंडता की दृष्टि से इन हिमालयी राज्यों का विशेष सामरिक और आर्थिक महत्व हो जाता है। एक ओर जहां पाकिस्तान, बंग्लादेश और म्यांमार से घुसपैठ और आतंकवाद का सदैव खतरा बना रहता है, वहीं दूसरी ओर नेपाल से माओवादियों का खतरा रहता है और चीन की नजर सदैव सिक्किम पर रहती है। भारत के इन्हीं हिमालयी क्षेत्र से होकर चिनाब, रावी, व्यास, झेलम, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना आदि नदियां बहती हैं जो क्रमशः पश्चिम दिशा में अरब सागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। मानसून में इन नदियों में आने वाली भीषण बाढ़ से अपार वन संपदा की हानि के अलावा, भूस्खलन, बादल फटने और दैवीय आपदाओं से अपार जान-माल की हानि होती है जिससे प्रति वर्ष केन्द्र और संबंधित राज्य सरकारों को बाढ़ राहत कार्यों एवं बाढ़ नियंत्रण पर अरबों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इन सभी हिमालयी राज्यों की भौगोलिक एवं सामाजिक संरचना लगभग एक समान है और यह इतनी विकट है कि समग्र दृष्टि से इसके आर्थिक विकास और विकास प्रबंधन की ओर ध्यान दिये जाने की प्रबल आवश्यकता है। इसी के अनुरूप केन्द्रीय स्तर पर हिमालय संरक्षण और विकास विभाग का गठन आवश्यक हो गया है, जिससे केन्द्रीय स्तर पर हिमालय संरक्षण व विकास की नीति बन सके। इस नीति में हिमालय की पर्यावरण संरक्षण प्रणाली, भू-पारिस्थितिकी और मानव संसाधन विकास एवं प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग एवं विकास की नई वैज्ञानिक सोच रेखांकित की जानी चाहिए, जिसका हिमालयी क्षेत्र के उपरोक्त सभी राज्य अनुसरण करें। ये राज्य आर्थिक रूप से अक्षम, केन्द्रीय सहायता पर निर्भर होने के कारण अपना युक्तियुक्त विकास नहीं कर पा रहे हैं।

महोदय, एन.डी.ए. की सरकार के समय जो ग्राम सड़क योजना, सर्व शिक्षा अभियान व केन्द्र की ओर से अन्य योजनाएं बनीं उनके माध्यम से देश के मैदानी भागों में विकास देखने को मिला, लेकिन इन योजनाओं का यदि हम विश्लेषण करें, तो पहाड़ी राज्यों को मात्रात्मक रूप से जितना धन मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिला और उसके अनुसार पहाड़ी राज्यों का विकास भी कम हुआ। यू.पी.ए. सरकार के समय में तो इन योजनाओं की गति अत्यन्त धीमी हो गई है।

महोदय, मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय स्तर पर जो भी योजनाएं बनती हैं, वे हिमालयी राज्यों की विकट परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए बननी चाहिए। उदाहरण के तौर पर केन्द्र की इन्दिरा आवास योजना में एक मकान बनाने के लिए 28500 रुपया दिया जाता है, जो कि बहुत कम है। पहाड़ी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है, वहां सड़कें भी नहीं हैं, जिससे हेडलोड पड़ता है। इससे इस छोटी सी राशि से एक कमरे का चौथाई काम भी नहीं होता है। इसलिए मेरा कहना है कि इस प्रकार की जो भी केन्द्रीय योजनाएं बनें, वे वहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बननी चाहिए और उसी प्रकार से वहां के लिए धन आवंटित होना चाहिए।

महोदय, भारतीय उप महाद्वीप की एक अद्वितीय भौगोलिक विविधता है। एक तरफ हमारे पास अंतः ज्वालामुखी पठार सहित एक लम्बी उपजाऊ तट रेखा है और दूसरी ओर ऊंचे और

शक्तिशाली हिमालय की सीमा वाले विस्तृत कच्छ के मैदान हैं। प्रत्येक क्षेत्र अपनी स्वयं की जातीय जैव विविधता और अद्भुत जन सांख्यिकी से समृद्ध हैं। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशेषताएं, ताकत, समस्याएं, आकांक्षाएं हैं और स्वयं ही उनके समाधान की अद्भुत प्रवृत्ति है। प्रत्येक क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए कोई सीधा समाधान नहीं है। तथापि इन सभी जैव-विविधताओं में एक सामान्य डिनोमीनेटर है, जो इनमें से कुछ क्षेत्रों को एक अद्वितीय सब-सैट में बांधता है। ऐसे प्रत्येक सब-सैट की अपनी अद्वितीयता परिभाषित है और एक सामान्य सूत्र से जुड़े हुए हैं।

हालांकि सभी तटीय प्रदेश एक समान नहीं हैं, बल्कि वे स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। जैसे कच्छ के मैदान या हिमालयी प्रदेश। ऊपरी तौर पर कुछ सामान्य पहलू हो सकते हैं, लेकिन वह समानता ठीक उसी तरह से है जैसे चाक और पनीर। विस्तार से कहा जाए, तो भिन्नता गुणनात्मक हो सकती है और वह क्षेत्र विशेष के विशिष्ट मुद्दों के पूरे गैमट को सम्मिलित कर सकती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जहां यह कहा जाता है कि **''कोस-कोस पै बदले पानी, नौ कोस पै बानी''** और यह सब तब और अधिक जटिल और दुरुह हो जाता है जब न केवल योजनाएं एवं कार्यक्रम आरम्भ किए जाते हैं बल्कि वास्तव में जब उन्हें हकीकत में लागू करने की बात की जाती है। भिन्न-भिन्न प्रदेशों की अलग-अलग जरूरतें होती हैं। लोगों के विभिन्न परिप्रेक्ष्य होते हैं। समस्याएं अनन्य हैं और सभी के लिए एक जैसा समाधान नहीं है। अत: जब हम उत्थान एवं विकास के लिए प्रगतिशील उपायों की बात करते हैं तब हम वास्तव में विभिन्न आवश्यकताओं के बीच अद्वितीय तालमेल बनाने के लिए एक मुख्य (मूल) समाधान चाहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इसे लागू करने में इतनी ज्यादा बाधाएं आती हैं कि अंतिम परिणाम हमारी साधारण अपेक्षाओं से बहुत दूर होता है। तब इसका समाधान क्या है? क्या हर स्थिति का एक अलग समाधान है? क्या यह एक गोल छिद्र में चौकोर खूंटी फंसाने का प्रयास करना है अथवा क्या सब मामलों का अलग-अलग अध्ययन होना चाहिए?

महोदय, विशेषकर पहाड़ी राज्यों की अपनी कई अनोखी विशिष्टताएं होती हैं और मुद्दों को समझने के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, ताकि संतोषजनक से असाधारण अंतिम परिणाम प्राप्त हो सकें। हमें अपनी अन्य सीमाओं को भी समझना होगा। जमीनी सच्चाई को जांचने के लिए उन संसाधनों की सबसे अधिक कमी है, जिनकी प्रत्येक क्षेत्र विशेष मुद्दों की हमें गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। सभी की जरूरतों को एक साथ लेकर ही इनसे पार पाया जा सकता है। जैसे कि कहावत है–

*[अनुवाद]*

''एक समान प्रवृत्ति वाले व्यक्ति एक साथ रहते हैं।''

*[हिन्दी]*

हमें अपने सभी प्रदेशों की कुछ समान समानताओं को श्रेणीगत करने की जरूरत है- चाहे वे भौगोलिक हों या जनसांख्यिकीय। समूह में उड़ने वाले पक्षियों में विवेक होता है, क्योंकि समूह में उड़ते हुए उनकी एक मंजिल, इच्छा, आवश्यकता और यहां तक कि स्वप्न भी एक जैसे होते हैं।

सभापति महोदय, राष्ट्रीय विकास परिषद की 50वीं बैठक में हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी के शब्दों में अगर हम कहें तो पता चलता है कि आज इसकी बहुत आवश्यकता है कि पहाड़ी राज्यों के लिए इस प्रकार का बोर्ड गठित करना आवश्यक है, क्योंकि इन पहाड़ी राज्यों के विकास में मैं समझता हूं कि आज जितना धन मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल रहा है। उन्होंने 21 दिसम्बर, 2002 को दिल्ली में राष्ट्रीय विकास परिषद की 50वीं बैठक में जो कहा, उसे मैं यहां उद्धृत कर रहा हूं- ''विकेन्द्रीकरण और निष्पक्षता, विशेष रूप से विशिष्ट राज्यों की श्रेणी के संदर्भ में, सामान्यत: हमारे देश की योजना प्रक्रिया अत्यधिक गहरी है। विशिष्ट श्रेणी के राज्यों की पूरी संकल्पना वर्टीकल के साथ-साथ क्षितिज के सिद्धान्त पर आधारित है। इस परिकल्पना में विशिष्ट श्रेणी के राज्यों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता है, क्योंकि किसी राज्य को विशिष्ट श्रेणी के राज्य के आधार पर स्वीकृति मिलना उसके अपने अन्तर्निष्ठ विकासात्मक प्रतिकूल परिस्थिति और उत्पादन क्षमता के पर्याप्त संसाधनों की कमी होती है।'' यह 2002 की बात थी और आज 2009 में भी हम इस पर सोच रहे हैं, विचार-विमर्श कर रहे हैं। मैं जरूरत इस बात की समझता हूं कि पहाड़ी राज्यों के विकास के लिए हमें केन्द्र से जितना धन उपलब्ध होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता है। वहां कानून बने हैं। खास तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां फोरेस्ट्स हैं। मैं समझता हूं कि उन राज्यों में मिनरल्स भी हैं। वहां या तो पानी है या जंगल हैं।

सभापति महोदय, आज हिमाचल प्रदेश में लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपए की वन सम्पदा है। मैं सदन के समक्ष यह रखना चाहता हूं कि इन पहाड़ी राज्यों में चारों तरफ वन थे और हम उन पर डिपेंड करते थे। वे वन के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करवाते थे, परन्तु जब से फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1980 आया, उसके बाद से आज वहां पर एक भी पत्ता, एक भी लकड़ी की टहनी काटने नहीं दी जाती है। ये जो पहाड़ी इलाके हैं, जहां पर इतने सारे वन हैं, उनकी वजह से मैं समझता हूं कि आज वे हमारे देश के लंग्स की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि आज उन पेड़ों को काटने पर पूरा प्रतिबंध है। मैं हिमाचल प्रदेश की ही बात आपके सामने कहना चाहता हूं कि जब से यह कानून लागू हुआ है, वहां जितने भी विकास के कार्य हैं, वे सब रुक गए थे,

[श्री वीरेन्द्र कश्यप]

क्योंकि वहां चारों तरफ जंगल हैं और जब जंगल हैं तो उनमें से सड़कें नहीं बन सकती हैं। अगर हमें स्कूल, होस्पिटल, सीएफसी, पीएफसी बनानी है या वहां से आईपीएच की स्कीम से नाली बनानी है तो उसके लिए भी हमें परमीशन लेनी पड़ती है। कहने का मकसद यह है कि आज इन जंगलों को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी पहाड़ी इलाकों के जितने भी राज्य हैं, उन्होंने उस पर पूरा ब्लैंकेट बैन लगाया है और हिमाचल प्रदेश में टी.डी. राइट्स होते थे, वहां के जो स्थानीय लोग थे, जब उन्हें पेड़ काटने और घर बनाने की जरूरत होती थी तो उन्हें जंगलों से पेड़ मिला करते थे। उस पर भी पूरी तरह से बैन लग गया है। स्थिति यह थी कि अगर किसी के घर में कोई मौत हो जाती थी तो वह जंगल से लकड़ी काट कर अन्त्येष्टि किया करते थे। आज हमारे पहाड़ी इलाकों में यह स्थिति आ गई है कि वहां हम सूखी लकड़ी भी नहीं काट सकते हैं। सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि इसका एक जो बहुत ही उल्टा असर पड़ा है वह यह है कि अभी पिछले दिनों लगभग आठ महीनों से बरसातें नहीं हुईं। इसके कारण पहाड़ों में सूखा पड़ा हुआ है। वहां जो पत्ते गिरते हैं, खासकर जो (चीड़) के जंगल हैं, उनमें चीड़ के पेड़ के जो पत्ते गिरते हैं, वे एक प्रकार से दावानल का काम करते हैं और जब उनमें आग लगती है, तो जो वहां के स्थानीय लोग हैं, वे उस आग को बुझाने के लिए नहीं आते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जंगलों के साथ वहां के लोगों की अटैचमेंट नहीं है। पहले वे फारेस्ट को प्रोटैक्ट करते थे, परन्तु जब से उनकी इस प्रकार की दुर्दशा कर दी गई है कि उनके किसी प्रिय की मौत होने के बाद भी उसकी अन्त्येष्टि के लिए उन्हें वहां से लकड़ी नहीं लेने दी जाती है तब से उनके मन में यह भावना आ गई है कि हम इन जंगलों को बचाकर क्या करेंगे। इस प्रकार के स्टिजेंट एक्ट और ऐसे कठोर अधिनियम बनाकर वहां के लोगों को उनकी जरूरत का सामान भी जंगलों से नहीं लिए जाने दिया जा रहा है। इसलिए उनका जंगलों के साथ अटैचमेंट नहीं हो रहा है।

महोदय, यह ठीक है कि जंगलों को नष्ट होने से बचाने के लिए अधिनियम बनने चाहिएं और इस अधिनियम के बनने के बाद जंगल बच रहे हैं। मैं भी चाहता हूं कि जंगल बचने चाहिएं और देश के वातावरण का संरक्षण होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ-साथ मेरा मानना है कि केंद्र सरकार के स्तर पर, जैसा कि मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का ही अगर हम एग्जाम्पल लें, तो लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपए की संपत्ति हिमाचल प्रदेश के जंगलों में है, परन्तु उसके काटे जाने पर अब कम्पलीट और ब्लैंकेट बैन है, इसलिए वे काटे नहीं जा सकते हैं और हमारे पहाड़ी राज्यों की जो अलग-अलग सरकारें हैं, उन्होंने भी पूरी तरह से इस बात को माना है कि फारैस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1980 के अनुसार ही काम किया जाएगा। पहाड़ी राज्यों ने सबसे पहले देश को मान्यता दी है। देश के स्वास्थ्य के लिए उन्होंने ज्यादा सोच रखी है। इसलिए केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि जो हमारे वन थे, जो हमारी आय के साधन थे, उनकी एवज में, उसे कंपैनसेट करने के लिए इतनी धनराशि दी जाए, जिससे पहाड़ी राज्य अपने विकास को सुचारु रूप से कर सकें। जो अन्य राज्य हैं, वहां अनेक प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं और अनेक प्रकार के अयस्क (ओर) पाए जाते हैं, चाहे वे लोहे के हैं या तेल के, उनके एवज में कुछ प्रदेशों को रॉयल्टी दी जाती है। हम समझते हैं कि इन पहाड़ी राज्यों के जो जंगल हैं या जो पानी है, वे हमारे एक प्रकार से मिनरल ही हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि हमें उनकी एवज में केन्द्र सरकार की ओर से रॉयल्टी दी जानी चाहिए, ताकि हम अपना समग्र, संतुलित एवं ठीक प्रकार से विकास कर सकें।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम ग्लोबल वॉर्मिंग की बड़ी बात कर रहे हैं। इस ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से जो हमारा ऋतु चक्र था, वह पूरी तरह से असफल और विफल हो गया है। समय पर बारिशें नहीं होती हैं। इस वजह से मैं समझता हूं कि आज इन हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पैकेज मिलना चाहिए, ताकि फारैस्ट कवर ज्यादा से ज्यादा हो सके। उसे हम ज्यादा से ज्यादा बचा सकें।

महोदय, एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था। उसे पढ़कर मुझे हिमालयी राज्यों की बहुत भयानक तस्वीर नजर आई। वह रिपोर्ट है

*[अनुवाद]*

''हिमालयन मिसकन्सेप्शंस एंड डिस्टोर्शन्स: व्हाट आर द फैक्ट्स?''

*[हिन्दी]*

इस रिपोर्ट में ग्लोबल वॉर्मिंग के संबंध में उन्होंने जो कहा है, उसे मैं उद्धृत कर रहा हूं। यह 21 जुलाई, 2003 को लंदन से प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने कहा है कि-

*[अनुवाद]*

संबंधित विषय पर द टाइम्स ऑफ लन्दन (21 जुलाई 2003) ने बर्मिंघम विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बैठक पर रिपोर्ट करते हुए कहा कि ''वैश्विक तापन के कारण हिमालयी ग्लेशियर 40 वर्षों के भीतर लुप्त हो सकते हैं .... भारत जैसे देशों में 500 मिलियन लोगों के लिए सूखे और अकाल का खतरा बढ़ सकता है।''

सैय्यद हसमैन ने पुष्टि करते हुए उद्धृत किया कि क्षेत्र के ग्लेशियर (मध्य हिमालय) 2035 तक लुप्त हो सकते हैं।

बैरी के अनुसार (1992: 45) मुक्त वातावरण में लगभग 6 डिग्री से./कि.मी. की दर से ऊंचाई के साथ औसत तापमान घटता (पर्यावरणीय ह्रास दर) है। ड्राइ एडियाबेटिक लैप्स रेट (डीएएलआर) 9.8 डिग्री से. कि.मी. है। यदि यह माना जाता है कि मध्य हिमालय में समान्तर रेखा (बर्फ रेखा के साथ तुलनीय) लगभग 5000 एमएएसएल है और सभी ग्लेशियरों के समाप्त होने के लिए इसमें लगभग 7000 मीटर की वृद्धि की आवश्यकता होगी तब इस परिवर्तन के लिए औसत तापमान में लगभग 12-18 डिग्री से. की वृद्धि की आवश्यकता होगी।

**अपराह्न 4.00 बजे**

''वैश्विक तापन की तीव्रता के कारण कोलकाता में गर्मियां कष्टदायक होंगी।''

*[हिन्दी]*

इस प्रकार की जो ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं, मैं यह समझता हूं कि सीधे-सीधे तौर से हमें आज आवश्यकता इस बात की है कि जो हिमालयन स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के लिए केन्द्र की तरफ से इस प्रकार की योजनाएं बनें, स्पेशल पैकेजेज उनको मिलें, तभी यह सब कुछ हो सकता है। मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में यह लाना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारा वाटर लेविल बहुत नीचे चला गया है और वैज्ञानिकों की राय मैं कहना चाहता हूं कि शोध के मुताबिक जो उन्होंने कहा, दुनिया भर में उनकी जो आम राय थी, उनका कहने का मतलब यह है कि 31 प्रतिशत धरती में अगर पानी खड़ा रहे तो वह पानी रीचार्ज के लिए धरती के अन्दर जाना चाहिए, तभी हिमनद वाली नदियों और जल स्रोतों से हमें लगातार पानी मिल सकता है।

**अपराह्न 4.01 बजे**

[**डॉ. गिरिजा व्यास** *पीठासीन हुईं*]

आज हम देख रहे हैं, खासकर इन हिमालयी राज्यों में हमारे जितने जल स्रोत थे, बावड़ियां थीं और जितने दूसरे चश्मे थे, वे पूरी तरह से सूख गये हैं। एक सर्वे के अनुसार लगभग 90 प्रतिशत पहाड़ी जल स्रोत सूख गये हैं। इसका सीधा-साधा सा कारण एक है कि आज हमारे यहां बहुत सा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उससे भी हमारा स्पेस ढक गया है और उसमें पानी नहीं रिसता है। लगभग 13 प्रतिशत पानी आज धरती के अन्दर रिस रहा है, जबकि 31 प्रतिशत पानी रिसना चाहिए। इसलिए भी मैं समझता हूं कि आज जितने ज्यादा वन हम लगा सकेंगे, उनकी उतनी ज्यादा आवश्यकता है। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदया:** कश्यप साहब, समय हो गया है। आपकी बहुत बात हो गई।

**श्री वीरेन्द्र कश्यप:** मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि जो हमारी पहाड़ी राज्यों के लोग हैं, वे ईको फ्रेंडली ज्यादा होते हैं और वे जंगलों को अपने बच्चों की तरह से पालते हैं, परन्तु जब कानून इस प्रकार के बन जाते हैं, जिससे उनको उसका व्यक्तिगत लाभ नहीं हो पाता है, तब इस प्रकार की स्थिति हमारे सामने आती है। हमें याद रखना चाहिए कि कुछ वर्ष पहले हमारे उत्तराखंड के लोगों ने उस वक्त उस तरफ एक बहुत बड़ा भारी चिपको आन्दोलन चलाया था, वह सीधे-सीधे वनों की रक्षा के लिए चलाया गया था। मैं समझता हूं कि आम आदमी भी वनों की रक्षा करना चाहता है। हमारे ऋषि-मुनि और हम लोग भी जब आज जंगलों में जो वृक्ष होते हैं, उनको पूजते हैं तो जो आदमी और जंगल का रिश्ता है, पेड़ का रिश्ता है, उसे हमें ज्यादा मजबूत क्यों नहीं बनाना चाहिए। उस रिलेशन को डैवलप करने के लिए इस प्रकार की योजनाएं अगर बनेंगी तो मैं समझता हूं कि वे हमारे लिए बहुत लाभकारी होंगी।

जैसा मैंने कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि उन जंगलों को बचाया जाये, परन्तु जैसा मैंने कहा कि जब आग लगती है तो उससे हमारा फ्लोरा और फौना बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। हमारे वनों में इस प्रकार के जो अच्छे-अच्छे पशु-पक्षी थे, वे भी खत्म होते जा रहे हैं। मैं अगर एक छोटी सी आपके सामने रिपोर्ट पढ़ दूं तो आप अपने आप ही समझ जाएंगी कि किस प्रकार की हालत आज हो रही है।

वनों में बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप, अवैध शिकार, बदलते मौसम और इन दिनों जंगलों की आग ने वन्य जीवों को संकट में डाल दिया है। वन्य जन्तुओं पर हिमालय की नमी समाप्त होने का भी असर पड़ा है। उनमें हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, हिमालयी भालू, निचली हिमालयी घाटियों में रहने वाले गुलदार तथा पक्षियों में डफिया, मोनाल तथा पहाड़ी बटेर आदि मुख्य हैं। इसके साथ ही हिमालयी क्षेत्र में तस्करों की नजर वन औषधियों पर भी पड़ी है, जो 3000 मीटर से लेकर 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर उगती हैं और जिनसे परम्परागत दवाएं बनाई जाती हैं।

हिमालय के मौसम के बिगड़ने की सबसे बड़ी मार हिम तेंदुए पर पड़ी है। वन विभाग की सूचना के अनुसार 1984-85 में गढ़वाल व कुमाऊं के हिमालयी क्षेत्र में हिम बाघों की संख्या छह थी। इसके बाद हिम बाघ दिखना बन्द हो गये। 3600 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाने वाला मूल रूप से एशियाई प्रजाति का यह बाघ दो फुट लम्बा व 50 किलो वजन तक का होता है। भेड़, बकरी, भालू, थार, कस्तूरी व खरगोश

[श्री वीरेन्द्र कश्यप]

इसका भोजन हैं। यूरोपीय क्षेत्र में हिमबाघ की खाल से बनने वाले फर के कोटों की कीमत करीब 20 लाख रुपए है। वहां जो वन्य प्राणी हैं, आज जंगल कम होने या आग वगैरह लग जाने की वजह से उनकी खराब स्थिति हो रही है। हमारा वन्य प्राणी वहां समाप्त होता जा रहा है।

महोदया, आपके माध्यम से आज मुझे पहली बार यहां बोलने का अवसर मिला, क्योंकि मैं पहली बार इस संसद का ही नहीं, बल्कि लोक सभा का सदस्य बनकर आपके बीच आया हूं। आपने मुझे बोलने के लिए बहुत समय दिया और सभी सीनियर सांसदों ने मेरी बात को सुना। मैं समझता हूं कि इसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, पर जो मेरा इंटरनल मकसद है, वह शायद आप तक पहुंच गया होगा। मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि मैंने जो प्रस्ताव आज मूव किया है, यह सब कुछ करने के लिए एक राष्ट्रीय हिमालयी राज्य विकास बोर्ड गठित होना चाहिए। मैं श्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी का, जिनको हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता था, उसके बाद डा. वाई.एस. परमार, जो हिमाचल प्रदेश के कई वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी इस प्रकार की बात कही थी। हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, प्रेम कुमार धूमल जी, वह भी काफी चिंता कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में भी उनके संदर्भ में कहा है। आज वे चाहे कार्बन क्रेडिट की बात कर रहे हों, पर्यावरण संरक्षण की बात कह रहे हों, हर जगह उन बातों को उठा रहे हैं।

महोदया, जितने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री आज तक हिमाचल प्रदेश में गए या पहाड़ी राज्यों में गए और जब-जब वहां पर मांग उठी, तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से यह होना। परंतु वह क्यों नहीं हुआ? यह आज हाउस को जानना है कि जो इस प्रकार के पहाड़ी राज्य हैं, उनके लिए कौन सी योजनाएं हैं। वैसे पहाड़ी राज्यों के लिए जो नार्थ-ईस्ट का हमारा एरिया है, उसके लिए योजनाएं बनी हैं, परन्तु हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के लिए नहीं। आज रेलवे बजट पेश हुआ। रेल बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ खास नहीं है। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदया:** कश्यप जी, हम चाहते हैं कि सुषमा जी का भी संकल्प आ जाए। अब आप अपनी बात समाप्त करिए।

**श्री वीरेन्द्र कश्यप:** अंत में पुन: आपका आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदया:** संकल्प प्रस्तुत हुआ:

''हिमालयी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जिसके कारण भू-स्खलन, बादल फटना, भूकंप, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिनके परिणामस्वरूप जान और माल का भारी नुकसान होता है और साथ ही उत्तुंग पहाड़ियों के कारण वहां सड़कों, भवनों और अन्य विकास कार्यों के निर्माण की उच्च लागत और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि संघ सरकार की पूरी वित्तीय सहायता से-

(एक) हिमालयी क्षेत्र के राज्यों के चहुंमुखी और तीव्र विकास के लिए;

(दो) इन राज्यों में विद्यमान केन्द्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए; और

(तीन) उक्त क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करने के उपाय सुझाने के लिए

राष्ट्रीय हिमालयी राज्य विकास बोर्ड नामक एक बोर्ड का गठन किया जाए।''

*[हिन्दी]*

**श्री सतपाल महाराज** (गढ़वाल): महोदया, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का सुअवसर दिया। प्राइवेट मेंबर बिल, जिसे श्री वीरेन्द्र कश्यप जी लाए, उसका मैं समर्थन करता हूं। हमारे तीन उत्तरी हिमालयन राज्य जिनमें जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हैं, उनके द्रुत विकास के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड का गठन होना आवश्यक है, इसका मैं समर्थन करता हूं। जिस प्रकार से हमारे नार्थ-ईस्ट स्टेट्स हैं, उनके लिए जो डेवलपमेंट बोर्ड है, उसकी तर्ज पर इस बोर्ड का गठन हो। इस राष्ट्रीय बोर्ड में, संसद सदस्य इसके मेंबर हों। इसके जो सभापति हों, वह राज्य के मुख्यमंत्री क्रमवार हों। इसके साथ-साथ बोर्ड का जो संविधान है, वह क्या करेगा और किस प्रकार से कार्य करेगा, रिकमंडेशन करेगा, उन रिकमंडेशंस को केंद्र सरकार लागू करेगी। इस बोर्ड के लिए केंद्र सरकार पैसा देगी। मैं यह चाहूंगा कि हमारे हिमालयन राज्यों में विकास की गति धीमी हो गयी है क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम हमारे विकास में बाधक बन गया है। इसका सरलीकरण होना चाहिए, जिससे हमारी सड़कें बन सकें, हिमालयन राज्यों के अंदर हैलीपैड बन सकें ताकि पर्यटक वहां पर पहुंच सकें। जो सुदूर के क्षेत्र हैं, जो चिकित्सा सुविधाओं से अछूते रह जाते हैं, वहां हैलीपैड की सर्विस होने से लोग चिकित्सा की सुविधा ले पाएंगे, ऐसा तब संभव हो सकेगा। ये सभी चीजें तभी संभव होंगी, जब वन संरक्षण अधिनियम का सरलीकरण होगा और हमारे यहां तेजी से सड़कें बनेंगी।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यहां भूकंप आते रहते हैं। महाकवि कालिदास जी ने कहा था कि हिमालय पृथ्वी का मेरूदण्ड

है। आज हम देखते हैं कि यहां पर जो टेक्टॉनिक प्लेट्स हैं, वे आपस में टकरा रही हैं और जो एशियन कांटीनेंटल शिफ्ट हो रहा है, उससे इस पूरे क्षेत्र के अंदर, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्र के अंदर समय-समय पर भूकंप आते रहते हैं। यह बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, सीस्मिक जोन है। अत: हमें यहां देखना होगा कि यहां का जो भावी कंस्ट्रक्शन हो, भविष्य में जो लोग यहां मकान का निर्माण करें, उसमें स्टील का उपयोग करें। वहां आरसीसी कंस्ट्रक्शन होना चाहिए ताकि भूकम्प आने पर लोगों के जान-माल की रक्षा हो सके। अगर वहां रेल का विस्तार होगा, जैसे हम चाह रहे थे यदि ऋषिकेश से कर्ण प्रयाग और टनकपुर से बागेश्वर तक रेलवे लाइन का विस्तार होता है तो उससे सरिया, सीमेंट, लोहा और ईंटें बड़ी सस्ती मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगी जिससे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत कम हो जाएगी। मेरा मानना है कि अगर हम चाहते हैं कि इन क्षेत्रों का तेजी से विकास हो, तो उसके लिए रेल का विस्तार होना बहुत आवश्यक है। रेल के विस्तार के लिए उसे नेशनल प्रोजैक्ट के रूप में ट्रीट किया जाए जैसे पहले जम्मू कश्मीर में रेल लाइन नहीं थी तो रेल का विस्तार किया गया, बारामूला तक रेल लाइन बनाई गई और उसका सर्वे सैटेलाइट द्वारा किया गया। जम्मू से रेल का विस्तार किया गया और बारामूला से भी रेल का विस्तार किया गया और दोनों क्षेत्रों को जोड़ दिया गया। हिमालयन क्षेत्रों का विकास तभी होगा जब वहां रेल का विस्तार होगा। उसके लिए अगर हम रेल के प्रोजैक्ट्स को नेशनल प्रोजैक्ट्स के रूप में लेकर काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र का बहुत लाभ होगा और बड़ी तेजी से विकास होगा।

मैं यह भी बताना चाहूंगा क्योंकि वहां टैक्टानिक प्लेट्स आपस में टकराती रहती हैं, हमारे पहाड़ों में पानी के स्रोत सूख गए हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में सारे स्रोत सूख गए हैं और वहां पेयजल की बड़ी विकट समस्या पैदा हो गई है। आज लोग अपना जो जीवन-यापन कर रहे हैं, ऐसे भी गांव हैं जहां एक व्यक्ति केवल पानी लाने में ही लगा रहता है, उसका काम अपने परिवार के लिए पानी लाने का होता है। ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि यदि वहां की पेयजल की समस्या को सुधारा नहीं जाएगा तो लोगों को गांवों से पलायन करना पड़ेगा, गांव छोड़ने पड़ेंगे। ऐसी स्थिति से निपटारे के लिए हमें वृहद योजना बनानी पड़ेगी ताकि हम सुदूर गांवों में लोगों को पानी उपलब्ध करवा सकें। वैसे गंगोत्री है और वहां से सारी नदियां निकल रही हैं, लेकिन आज पहाड़ों की स्थिति ऐसी बन गई है जैसे कबीर दास जी ने कहा था-पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन-सुन आवे हासी। जो दुनिया को पानी पिलाता है, आज स्वयं पानी के लिए तरस रहा है। यही स्थिति आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की बन गई है। इसलिए वहां पर्वतीय विकास बोर्ड का गठन होना बहुत आवश्यक है। मैं बताना चाहूंगा कि आज उत्तराखंड में पानी की बड़ी विकट स्थिति बन गई है और वहां त्राहिमाम्-त्राहिमाम् मचा हुआ है।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि चौबट्टाखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण होना बहुत आवश्यक है, बीरोंखाल ग्राम समूह पुनर्गठन पम्पिंग पेयजल योजना तृतीय चरण का निर्माण होना आवश्यक है। उसमें बहुत सी पम्पिंग पेयजल योजनाएं हैं। भैरवगढ़ी ग्राम समूह पम्पिंग योजना, महादेव से बरसुण्ड देवता तक पूर्वी नयार नदी पम्पिंग पेयजल योजना, देवकुण्डई तल्ली पेयजल योजना, बवासा-गुड़ियाना-सिन्दुड़ी, पेयजल योजना, बडेरो ढैय्या (नागणी) पेयजल योजना, केदारगली पेयजल योजना, को बीरोंखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना से जोड़ना बड़ेथ पेयजल योजना का क्रियान्वयन एवं गुराडमल्ला के लिए नई योजना तथा नानघाट पेयजल योजना आदि। इसी प्रकार चमोली जिले के अंदर गोपेश्वर नगर से अमृत गंगा पेयजल योजना, विकास खण्ड गैरसैण में बड़ागांव पेयजल योजना है। रूद्रप्रयाग जिले के अंदर पानी की बड़ी भयंकर समस्या बनी हुई है और वहां कुछ पेयजल योजनाओं का बनना बहुत आवश्यक है जो लम्बित पड़ी हुई हैं, जैसे तल्लानागपुर पेयजल योजना, तिलवाड़ा सुमाड़ी पेयजल योजना, रौठिया-जवाड़ी (पश्चिमी भरदार) पेयजल योजना, तैला पेयजल योजना, पिल्लू-जंगही पेयजल योजना अगस्त्यमुनि पेयजल योजना, बसुकेदार-डांगी-सोगना पेयजल योजना। इसी प्रकार टिहरी जिले के अंदर भी पानी की विकट समस्या है। लक्षमोली-हडीम की धार पम्पिंग पेयजल योजना, मलेथा-कपरोली-अकरी-बारजुला पम्पिंग पेयजल योजना, पट्टी कड़ाकोट पश्चिम भाग एवं पट्टी मकरी बाराजुला हेतु कोटेश्वर-सिल्काखाल पेयजल पम्पिंग योजना द्वितीय चरण पट्टी चौरस एवं कड़ाकोट पूर्वी भाग मेनेठ-सजवान कांडा पेयजल पम्पिंग योजना, देवप्रयाग नगर हेतु पेयजल पम्पिंग योजना, कोटेश्वर झण्डीधार तथा कोटेश्वर-पालकोट पेयजल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजनाएं क्वीली-पालकोट पेयजल पम्पिंग योजना, सूरजकुण्ड-रानीताल पेयजल पम्पिंग योजना। नैनीताल के अंदर भी जो क्षेत्र पड़ता है वहां ढिकुली में क्रोबर हैंड टैंक का निर्माण एवं वितरण प्रणाली का पुनर्गठन, भवानी खुल्म, भवानीपुर, तड़ियाल मड़ियाल में 1 कि.मी. लाइन कार्य बांगाझाला पेयजल योजना। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी 19 अक्तूबर, 2006 में हरिद्वार पधारे थे, तो उन्होंने उत्तराखंड प्रदेश के लिए पांच पम्पिंग योजनाओं के निर्माण की घोषणा की थी। परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक धन अवमुक्त नहीं हुआ है, जिसके कारण ये योजनाएं बन नहीं पाई हैं। इसमें जनपद पौड़ी गढ़वाल में डांडा नागराजा ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना, मुण्डेश्वर ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना है। जनपद टिहरी में घंटाकरण ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना और जनपद अल्मोड़ा

[श्री सतपाल महाराज]

में दोडम ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना तथा सरयू वेलम ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना है। आप देख रहे होंगे कि ये सारी पेयजल योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं और पूरा उत्तराखंड का पहाड़ आज पानी से प्यासा है।

मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर हमारे हिमालयन विकास के लिए इस विकास बोर्ड का गठन हो जिससे तेजी से विकास हो सके और लोगों को पानी उपलब्ध हो सके ताकि वे अपने जीवन में यह विश्वास रखें कि भारत की भूमि के वे भी लाल हैं और इस देश के वे भी नागरिक हैं। उनको पानी उपलब्ध है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

**श्री अनुराग सिंह ठाकुर** (हमीरपुर): सभापति महोदया, बहुत लम्बे अर्से से राष्ट्रीय हिमालयी राज्य विकास बोर्ड बनाने की मांग चल रही है। मेरे सहयोगी वीरेन्द्र कश्यप जी ने बड़े विस्तार से अपनी बात रखी। आखिर आज राष्ट्रीय हिमालयी राज्य विकास बोर्ड बनाने की बात क्यों की जा रही है? बहुत लम्बे समय से पहाड़ी राज्यों की मांगों की अनदेखी की जा रही है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो पर्वतीय राज्य होने के साथ-साथ हमारी दुविधाएं भी उतनी ही ज्यादा हैं। अगर सड़क बनाने की बात की जाये, तो फारेस्ट एक्ट के कारण कोई भी छोटी सी सड़क बनाने के लिए हमें परमीशन लेने के लिए भी कई महीनों तक इंतजार करना पड़ता है और जब सड़क निर्माण की बात आती है, तो जितना धन मैदानी इलाके में खर्च होता है, उससे कई गुना ज्यादा धन पहाड़ी राज्य की सड़कों पर खर्च होता है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि केन्द्र सरकारों का रवैया भी हिमालय क्षेत्रों के प्रति बहुत अच्छा नहीं रहा। जितना धन सड़कों, रेलमार्गों, हवाई पट्टियों के लिए मिलना चाहिए था, उतना कभी नहीं मिला। अगर सड़कों की बात की जाये, तो हिमाचल प्रदेश में बार-बार नेशनल हाईवेज मंजूर करवाने के बावजूद भी केन्द्र सरकार से पर्याप्त धन नहीं मिला। वहीं आजादी के 62 वर्षों के बाद भी केवल 17 किलोमीटर की रेलवे लाइन हिमाचल प्रदेश में है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जब रेलवे बजट प्रस्तुत किया गया, तो उसमें भी इन पर्वतीय राज्यों जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या नार्थ-ईस्ट के इलाकों की हम बात करें, तो आज के रेल बजट में भी उनके हिस्से कुछ नहीं आया। इतने वर्षों से इन राज्यों की जो अनदेखी की जा रही है, तो क्या आज यह मांग बिल्कुल जायज नहीं है कि ऐसे बोर्ड का गठन किया जाये? क्या ये हमारे अधिकार नहीं हैं? क्या ये अधिकार हमें तभी मिलेंगे जब हम जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों की तरह हथियार उठायेंगे। नार्थ-ईस्ट में नेक्सलाइट की मूवमैंट बढ़ी, टेरोरिज्म बढ़ा। अगर अपने अधिकारों को लेने के लिए हमारे नौजवानों को उस हद तक जाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि आज समय आ गया है कि ऐसे बोर्ड का गठन किया जाये, जिससे पर्वतीय राज्यों को उनके अधिकार मिले। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, तो वहां डेढ़ लाख करोड़ रुपये की सम्पदा केवल वनों की है। हमने पेड़ काटने पर बैन लगा रखा है, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। हम पानी के माध्यम से पनबिजली परियोजनाएं बनाते हैं ताकि बाकी राज्यों को बिजली दी जा सके। लेकिन बदले में हिमाचल प्रदेश को क्या मिलता है? बजट का गिना-चुना धन मुश्किल से हिमाचल प्रदेश जैसे बाकी पर्वतीय राज्यों को मिलता है।

अभी सतपाल महाराज जी ने कहा कि उनकी कई पानी की परियोजनाएं अधर में लटकी हुई हैं। पानी की परियोजनाओं के अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं जैसे रेलवे लाइन केवल 17 किलोमीटर है और वह भी 62 वर्षों में है। क्या हमारा अधिकार नहीं कि हिमाचल प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी रेलवे लाइन पहुंचे?

क्या यह हमारा अधिकार नहीं है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़िया सड़कें बनें, क्या हमारा यह अधिकार नहीं है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहां पर इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट बनें, वहां अच्छी फैसिलिटीज दी जाएं? वहां पर जो आधारभूत सुविधाएं हैं, जैसे हम पीने के पानी की बात करें, अगर हमें पीने के पानी के लिए लाइन किसी गांव तक ले जानी हो तो उसे खड्डे में से ले जाना पड़ता है, किसी फारेस्ट के बीच से ले जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी परमीशन चाहिए। हमें हर काम के लिए, अगर फॉरेस्ट काटना है, वहां से कोई लाइन ले जानी हो तो उसके लिए परमीशन लेनी होती है। हमारी एक लाख करोड़ रुपए की वन सम्पदा हमारे किसी काम की नहीं है। आज ममता जी बार-बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कह रही थीं। हिमाचल प्रदेश भी अपनी वन सम्पदा में थोड़ी सी कम करके कई हजार करोड़ रुपए कमाकर अपने आधारभूत ढांचे को सुधार सकता है, लेकिन बाकी राज्यों को, मैदानी इलाकों को जो अच्छा पर्यावरण मिलता है, जो पानी की सुविधा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तक हिमाचल प्रदेश से जाती है, जो बिजली हमारे राज्य से देश के विभिन्न हिस्सों में जाती है, उसके बदले में हमें क्या मिलता है?

यदि हम इंडस्ट्रियल रिवोल्युशन की बात करें, बाकी प्रदेश हजारों करोड़ रुपए इंडस्ट्रीज के माध्यम से कमाते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश को अपने विकास के लिए भी केन्द्र सरकार के समक्ष हाथ फैलाना पड़ता है। आज हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। जब हम इंटरनेशनल कांफ्रेंसेज में जाते हैं, तो हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि वहां जाकर बात करते हैं कि अमरीका ने आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व कहा था कि वह अपनी कार्बन एमिशन्स को लगभग 20 प्रतिशत तक कम करेंगे, लेकिन इसके बजाय अमरीका ने पिछले इतने वर्षों में इसको 17 प्रतिशत और बढ़ाया है। अगर

हम अपने देश में देखें तो क्या बड़े राज्य कार्बन एमिशन को नहीं बढ़ा रहे हैं? क्या हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य उसको कम करने में नहीं लगे हैं? हमारी सरकार ने, मैं बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, श्री प्रेम कुमार धूमल जी को, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के 16.5 लाख परिवारों को चार-चार सीएफएल बल्ब मुफ्त दिए हैं ताकि बिजली की खपत कम हो, कार्बन एमिशन कम हो, एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। एक छोटा सा प्रदेश 90 करोड़ रुपए खर्च करके पर्यावरण को बचाने में लगा है, हमारे लोग वन को काटकर अपने परिवार का पेट भरने की बजाय, प्रयास करते हैं कि पर्यावरण को बचाया जाए। हिमाचल प्रदेश के साथ ही अन्य पहाड़ी राज्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। मैं सभी की ओर से यहां पर मांग करना चाहूंगा कि हमारे हितों की अनदेखी न की जाए वरना वह दिन दूर नहीं है जब वहां भी जम्मू-कश्मीर और नार्थ-ईस्ट के राज्यों जैसी बहुत बुरी स्थिति देखनी पड़े। उन राज्यों को आज हजारों करोड़ शायद इसलिए ज्यादा मिलते हैं कि वहां पर टेररिज्म है। हमारे युवाओं को लगता है कि शायद हमारे प्रदेश में विकास तभी होगा अगर वहां पर हालात उन राज्यों जैसे होंगे। अगर जम्मू-कश्मीर में रेलवे लाइन बिछाने के लिए खास तौर पर परियोजनाएं लाई गयीं, तो हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसी परियोजनाएं क्यों नहीं लाई गयीं? बाकी जो राज्य हैं, उनको भी एक साथ विकास मिलना चाहिए, इसलिए जब हम ट्रांस हिमालयन डेवलपमेंट अथारिटी की बात करते हैं, मैं उन सभी ग्यारह राज्यों की ओर से, हिमाचल प्रदेश की ओर से, मेरे सहयोगी श्री वीरेन्द्र कश्यप जी द्वारा लाए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सदन में उपस्थित मेरे सभी साथीगण इस प्रस्ताव को एकमत से पारित करेंगे और हम अपने जिन अधिकारों से लम्बे समय से वंचित हैं, हमें मिले। जिन पर्वतीय राज्यों से आपको अच्छी वायु, अच्छा पर्यावरण, पानी सब कुछ मिलता है, आप भी चाहेंगे कि आने वाले समय में अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को हम अच्छा पर्यावरण दे सकें, तो इसमें हमें सभी राज्यों का सहयोग चाहिए। केवल एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है। मुझे पूरी आशा है कि आप सभी का इसमें सहयोग मिलेगा, पूरे सदन का सहयोग मिलेगा और आने वाले वर्षों में हिमाचल प्रदेश और बाकी राज्य अपनी ओर से पूरा सहयोग सभी क्षेत्रों में देते रहेंगे।

आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**श्री विजय बहुगुणा** (टिहरी गढ़वाल): माननीय सभापति महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे श्री कश्यप जी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। राष्ट्रहित में कई ऐसे अवसर आते हैं, जब इस सदन में माननीय सदस्य दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक आम राय बनाते हैं और हमने देखा है कि उस राय का केन्द्र सरकार ने भी सम्मान किया है। हमारी सम्मानित राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया था कि नई सरकार का लक्ष्य और दृढ़ संकल्प है कि हम भारत के समस्त क्षेत्रों का समान रूप से विकास करेंगे, ताकि कहीं कोई असमानता न बढ़े। आज सदन में राष्ट्रीय हिमालयी विकास बोर्ड बनाने का जो प्रस्ताव पेश किया गया है, उसकी बहुत आवश्यकता है। हम इस बात को गर्व से कहते हैं कि डॉ. मनमोहन सिंह जी की सरकार ने राज्यों को काफी धन आबंटित किया और कई विशेष योजनाएं भी लागू कीं। इतना धन और इतनी योजनाएं पूर्व की सरकारों ने कभी आबंटित और लागू नहीं कीं। हिमालयी राज्यों की परिस्थितियां भिन्न हैं और वहां की योजनाएं भी भिन्न हैं। जैसे पेयजल को ही ले लीजिए या प्राकृतिक आपदा को ले लीजिए। अगर मैदानी इलाके में बाढ़ आती है तो बाद में वहां की जमीन उपजाऊ हो जाती है, पानी रिसीट कर जाता है, लेकिन पहाड़ों में ऐसा नहीं है। पहाड़ों में अगर बाढ़ आती है तो जमीन कट जाती है। इसके अलावा जो मुआवजा दिया जाता है वह बहुत ही नोशनल होता है, नाममात्र का होता है। इसी तरह पेयजल का मामला है। सारी नदियां हिमालय से निकल रही हैं, लेकिन वहां के गांव के गांव पानी के अभाव से ग्रसित हैं। वहां लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए पम्पिंग योजनाएं चाहिए, लेकिन राज्य सरकारों के पास इतना धन नहीं है कि वह लिफ्ट करके पेयजल की समस्या का समाधान कर सकें।

14वीं लोक सभा में वर्ष 2008-2009 के आम बजट पर हो रही चर्चा के समय मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था कि हिमालय विकास प्राधिकरण का गठन करें। आज हमारे कई सदस्यों ने उस क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थिति पर चर्चा की है, ये सब बातें उस समय भी उठाई गई थीं। हमारे कई साथी आज भी यहां सदन में बैठे हैं, जो उस समय प्रधानमंत्री जी से मिले और यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से भी मिले थे। मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि गम्भीरता से सरकार इस विषय पर निर्णय लेगी।

जो हमारे हिमालयी राज्य हैं, इनकी सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिली हैं। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और चीन आदि से हमारे इन राज्यों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। अगर आप अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि जहां भी असंतोष या आक्रोश होता है, वहां आतंकवाद के बीज पनपते हैं। हमारा हिमालयी क्षेत्र एक बार्डर क्षेत्र है, अगर वहां पर आर्थिक पिछड़ापन बढ़ेगा तो लोगों में उदासीनता होगी। इसका फायदा हमारे पड़ोसी राज्य उठा सकते हैं, क्योंकि वे हमारे देश की एकता और अखण्डता को चुनौती देना चाहते हैं, उन्हें इस बात का बल मिलेगा।

[श्री सतपाल महाराज]

केन्द्र सरकार ने बार्डर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड बनाया है। जो अभी डेटा आया है, उसके अनुसार बार्डर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का जो पैसा इन राज्यों को जा रहा है। वह आधा भी खर्च नहीं हो रहा है। राज्यों को भी देखना है कि केन्द्र द्वारा सीमांत जनपदों के विकास के लिए दिए गए धन का उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा है। मैं उत्तराखंड का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां 12 करोड़ रुपए उत्तराखंड को आबंटित किए गए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 40 लाख रुपए खर्च किए गए। इसलिए इसकी समीक्षा राज्य सरकारों के साथ करनी चाहिए। हिमालय क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्र सरकार पीसमील में एफर्ट्स कर रही है।

नार्थ-ईस्ट के विकास के लिए अलग से एक विभाग बनाया गया है। हम सब चाहते हैं कि नार्थ-ईस्ट का विकास हो। कश्मीर के लिए अलग से योजना है। मगर पूरे हिमालयी राज्यों की पालिसी मेकिंग में कोआर्डिनेशन आना जरूरी है। पेयजल, पर्यटन के क्षेत्र में काफी विकास हो सकता है। आज हमारे देश की जीडीपी में आवश्यक है कि विदेशी मुद्रा आए। विदेशी मुद्रा लाने का एक बड़ा स्रोत पर्यटन बन सकता है। पर्यटन को पोटेंशियलिटी जितनी हिमालयी क्षेत्र में है, उतनी शायद दुनिया में और कहीं नहीं है। हमारे यहां कई झीलें हैं, कई भोगियाल हैं, लेकिन इनके विकास के लिए राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है। इसलिए पर्यटन की वहां जो अपार सम्भावना है, वह हम टैप नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हिमालयी विकास प्राधिकरण बोर्ड जरूर बनना चाहिए, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करें, क्योंकि कई राज्य इसमें आएंगे। योजना आयोग ने भी कई वर्ष पहले इस तरह का एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा था कि हिमालयी विकास प्राधिकरण का गठन करें। आने वाले समय में अगर यह प्राधिकरण बनता है तो निश्चित रूप से गांधी जी का जो सपना था घर-घर स्वराज पहुंचे, आजादी का, स्वतंत्रता का लाभ विकास के रूप में हर क्षेत्र में पहुंचे वह पर्वतीय राज्य में पहुंचेगा।

सम्माननीय सभापति जी, आज पर्वतीय राज्यों की औसत आय देश की औसत आय से बहुत कम है। इसे हमें होर्टिकल्चर, टूरिज्म, हाइड्रो-एनर्जी के जरिये से बढ़ाना चाहिए और इन क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। हमारी केन्द्र सरकार ने विशेषकर उत्तराखंड और हिमालय-रीजन के विकास के लिए विशेष इंडस्ट्रीयल पैकेज दिया है और विशेष इंडस्ट्रीयल पैकेज आने की वजह से आज उत्तराखंड में 30 हजार करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ है। केन्द्र सरकार इस ओर ध्यान दे रही है और हिमाचल को भी विशेष औद्योगिक पैकेज मिला, लेकिन उस पैकेज की सीमा वर्ष 2010 में समाप्त होने वाली है। राज्य सरकारों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह और अनुरोध किया है कि यह जो विशेष औद्योगिक पैकेज है इसकी सीमा वर्ष 2013 तक बढ़ाई जाए, जैसा कि पहले से तय था। केन्द्र सरकार एक-दो राज्यों का ध्यान दे रही है लेकिन समान रूप से सारे राज्यों का ध्यान हो ताकि असमानता न रहे। सब मिलकर जब निर्णय लेंगे तभी विकास होगा। हिमालय का जो महत्व है वह पर्यावरण की वजह से भी है और हमारा सारा विकास वहां से जुड़ा हुआ है, सारी नदियां वहां से आ रही हैं।

फ्लड कंट्रोल के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। आपने माइनिंग पर फारेस्ट कंजरवेशन एक्ट के तहत रिस्ट्रक्शन लगाई हुई है। पर्वतीय क्षेत्रों से जब बड़े-बड़े पत्थर टूटकर आते हैं तो उससे रिवर का बैड बढ़ रहा है। जब रिवर का बैड बढ़ रहा है तो उसका पानी फ्लड के रूप में आस-पास के गांव और मैदानी क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए आपको सिलेक्टिव माइनिंग को नदियों में एलाऊ करना पड़ेगा। कई ऐसे नियम हैं जिन्हें पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए आपको बदलना पड़ेगा। मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र की प्लानिंग बिल्कुल भिन्न है।

हमारी जो कनैक्टिविटी है, वह बहुत खराब है। चाहे एयर-फील्ड्स हों, रोड्स हों, इन सब के लिए धन चाहिए और राज्य सरकारों के पास इतना धन उपलब्ध नहीं है। अगर आप प्राइवेट-पब्लिक पार्टनरशिप में रास्ते खोलेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं और विकास का रास्ता साफ हो सकता है। इस क्षेत्र का को-आर्डिनेटिव डैवलपमेंट इसी बोर्ड के जरिये संभव हो पाएगा। मुझे आशा है कि इस सदन में जो चर्चा हो रही है सरकार इसे गंभीरता से लेगी और इस राष्ट्रीय हिमालयी राज्य विकास बोर्ड का अवश्य गठन करेगी।

हमारे पर्वतीय क्षेत्रों से जो राष्ट्रीय-स्तर के नेता हुए हैं इनकी चर्चा माननीय कश्यप जी ने भी की है। हमारे माननीय नारायण दत्त तिवारी जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। वे भारत सरकार के प्लानिंग और वित्त विभाग में मंत्री रहे हैं, उनका भी ऐसा मत है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय परमार जी, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा जी, असम के मुख्यमंत्री सबका ऐसा ही मत बना है, इसलिए इस पर कोई विवाद भी नहीं होगा। सब मिलकर इस बोर्ड का गठन करें और विशेष योजनाएं दें। डॉ. मनमोहन सिंह जी तथा माननीया सोनिया जी का जो एक सपना है कि भारत का हर क्षेत्र में विकास हो, वह सपना पूरा होगा। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**डॉ. राजन सुशान्त** (कांगड़ा): आदरणीय सभापति महोदया, मैं इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आप जानते हैं कि चुनाव का पर्व समाप्त हो चुका है और अब विकास का पर्व शुरू हो रहा है। ऐसे समय में आदरणीय श्री वीरेन्द्र कश्यप जी जो प्रस्ताव लाए हैं निश्चित तौर पर यह पूरे राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। आज इस प्रस्ताव के

द्वारा हम राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा आपके ध्यान में लाना चाहते हैं। साथ-ही-साथ पहाड़ी राज्यों के साथ जो निरंतर अन्याय हो रहे हैं और अंदर ही अंदर एक आग सी सुलग रही है। जैसे हमारे भाई अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि यह वक्त सभी के संभलने का है। कहीं ऐसा न हो कि अंदर ही अंदर जो एक ज्वाला धधक रही है, कल एक बड़े विस्फोट का रूप धारण न कर ले।

महोदया, इंसान के जीवनयापन के लिए सबसे जरूरी प्राण वायु है, उसके बाद जल जरूरी है और उसके बाद भोजन जरूरी है। जब जीवन में व्यक्ति बीमार होता है, तो उसके लिए औषधि भी जरूरी है। मैं समझता हूं कि हिमालय सारी सृष्टि को ये सभी चीजें देता है। हिमालय न हो, तो शुद्ध प्राण वायु प्राप्त नहीं हो सकती है। शुद्ध प्राण वायु का आधार ही हिमालय के जंगल हैं, हिमालय के पहाड़ हैं। अगर हिमालय नहीं होगा, तो वहां बर्फ नहीं होगी, बर्फ नहीं होगी, तो वहां जल भी नहीं होगा। हम जानते हैं कि भोजन प्राप्त करने के लिए सिंचाई की बहुत आवश्यकता है। जैसा हमारे अन्य साथियों ने कहा कि जल का उदगम स्थल ही हिमालय है चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सतलुज हो या अन्य बड़ी-बड़ी नदियां हों, सारी हिमालय से पैदा हो रही हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हिमालय सारे राष्ट्र को, सारे विश्व को कुछ दे रहा है, उस हिमालय की अनदेखी कई वर्षों से निरंतर हो रही है।

सतलुज नदी के पानी के लिए पंजाब और हरियाणा राज्य में लड़ाई होती है, दूसरे राज्यों में भी नदियों के जल के लिए लड़ाई होती है। मैं सोचता हूं कि जो हिमालय इन सारी नदियों का असली मालिक है, वह शांत होकर सारी स्थिति को देख रहा है, लेकिन वह कब तक देखेगा? हमारे भाई अनुराग ठाकुर, वीरेन्द्र कश्यप, सतपाल महाराज और बहुगुणा जी ने निश्चित तौर पर कहा है कि हम हिमालय के लोग, हम पहाड़ के लोग आबादी की दृष्टि से पूरे राष्ट्र का लगभग पांच प्रतिशत हैं। हमारे 11 राज्य हैं। आबादी के आंकड़ों के गणित के अनुसार हमारा दबाव किसी भी केंद्र की सरकार पर इतना न बनता हो, लेकिन मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा कि जहां हिमालय आज पूरी दुनिया को बहुत कुछ दे रहा है, वहीं मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि हिमालय शूरवीरों को भी पैदा करता है। पिछले युद्ध के दौरान हिमाचल प्रदेश को सेना के अंदर चार परमवीर चक्र में से दो परमवीर चक्र प्राप्त हुए थे। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर हम शांति से अपने साथ हो रहे अन्याय को वर्षों से झेल रहे हैं, तो कदापि यह न समझा जाए कि हमारी सहनशीलता हमारी कमजोरी है। कदापि यह समझा जाए कि हम बोलते नहीं हैं, तो हमारे अंदर अंगार नहीं है। हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे अंदर कोई भावना नहीं है। हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो हमारे अंदर समझाने की ताकत नहीं है। अगर हिमाचल जैसा छोटा सा राज्य दो परमवीर चक्र विजेताओं को पैदा कर सकता है, तो कल ऐसी स्थितियां पैदा न हो जाएं, जिस कारण वहां के नौजवान को इससे आगे बढ़कर सोचना पड़ जाए। आज हम डेढ़ लाख करोड़ रुपयों की वन सम्पदा के मालिक होते हुए भी बहुत कठिन परिस्थिति में महसूस करते हैं, जब विकास के लिए हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी योजनाओं के लिए बोलते हैं और उनकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है।

सभापति महोदया, आप बहुत विदुषी हैं, आपने देखा है कि जब-जब भी अन्याय और अत्याचार की सीमा लांघ जाती है, तो उसके बाद कुछ न कुछ जरूर होता है। मैं हिमाचल प्रदेश का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं और वहां की परिस्थितियों से वाकिफ हूं। वर्ष 1982 में सीधे यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद केवल 26 साल की उम्र में वहां की जनता ने मुझे सबसे छोटी उम्र का एमएलए बनने का गौरव प्रदान किया था। कई वर्षों से मैं निरंतर हिमाचल की राजनीति का हिस्सा रहा हूं, लेकिन आज यह भावना हमारे अंदर पनपती जा रही है कि क्या हमने ही सारे राष्ट्र को, सारी दुनिया को अच्छा पर्यावरण, शुद्ध वायु, शुद्ध जल देने की जिम्मेदारी उठा रखी है। क्या इसके बदले दूसरे राज्यों की, केंद्र की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? आज हम डेढ़ लाख करोड़ रुपए की अगर चाहें तो वन सम्पदा को काट सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यह नहीं करना चाहते। इसके बदले में हमें क्या मिलता है? पिछली सरकार में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री ने इस पहाड़ी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीयल पैकेज दिया था जो वर्ष 2013 तक चलना था। लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वह राजनीति की आग में भेंट हो गया। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि वर्तमान केंद्र सरकार ने हमें बदले में कुछ देना तो क्या था बल्कि इंडस्ट्रीयल पैकेज को वर्ष 2007 तक कर दिया था। इसके छः साल कम कर दिए गए, महज इसलिए कि वहां अन्य दल की सरकार है, महज इसलिए कि छोटा राज्य है। मैं मुख्यमंत्री श्री धूमल जी को बधाई देना चाहूंगा कि वे भारत सरकार के पास आए, उन्होंने सारा मामला रखा और उनके अथक प्रयासों से इंडस्ट्रीयल पैकेज की सीमा वर्ष 2010 हुई। लेकिन वर्ष 2013 तक क्यों नहीं किया गया? हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर यह है कि हमारी आबादी छोटी है, एमपीज संख्या में कम हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पहाड़ी राज्यों के विकास की दृष्टि से आगे ले जाने के लिए निश्चित तौर पर अलग मापदंड बनाने ही पड़ेंगे। इन्हें जितनी जल्दी बना लिया जाएगा वह देश की सुरक्षा के लिए अच्छा होगा।

सभापति महोदया, भारत के नक्शे पर नजर दौड़ाएं तो भारत के मुकुट के रूप में हिमालय खड़ा है। आज राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो चीन से हमारे पहाड़ी राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा कर

[श्री सतपाल महाराज]

रहे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी हमारी आजादी बहुत लंबी नहीं हो गई है, बहुत मेच्योर नहीं हो गई है, अभी हम बचपन में जी रहे हैं। चाहे वर्ष 1948 का युद्ध हो, कबाइली युद्ध हो या वर्ष 1962 का युद्ध हो, उस समय हिमालय को ही जख्मी होना पड़ा था। मैं समझता हूं और जहां तक मेरा व्यक्तिगत मत है, आज भी अगर भारत को खतरा होगा या कोई ललकार आएगी तो वह चीन की ओर से आएगी, केवल हिमालय का राज्य ही चट्टान बनकर खड़ा होगा और चीन से खतरे का लोहा लेगा। लेकिन अब हिमालय के राज्य में यह भावना पनप रही है कि हमारी आबादी कम है, संसद में सदस्यों की संख्या कम है इसलिए हमसे भेदभाव होता है। आप भेदभाव करते जाइए, नतीजा आपके सामने आ जाएगा। जैसा अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि क्या हम यह भावना नहीं जगा रहे हैं, जैसा कि हमने पढ़ा और सुना कि हिमाचल प्रदेश को इसलिए रेलवे लाइन नहीं दी जाएगी क्योंकि हमारी संख्या कम है। क्या इस तरह से भेदभाव किया जाएगा? हम कई सालों से देख रहे हैं कि जिस भी राज्य से कोई केंद्रीय मंत्री आता है केवल अपने राज्य की ओर ही दृष्टि दौड़ाता है, केवल अपने राज्य को ही पैकेज देता है। यह भावना बलवती हो रही है। हिमालय के लोगों में और विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसी को लेकर गलत भावना पैदा हो रही है। मैं बहुत आदर के साथ कहना चाहता हूं कि आप इसे गंभीरता से लीजिए। आखिर केंद्र सरकार चाहती क्या है? यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हिमाचल चुपचाप बैठा है, हिमालय शांति से बैठा है। आप क्या समझते हैं कि हम नहीं समझ रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर को इसलिए विशेष पैकेज दिया जाता है कि वहां चंद लोग कश्मीर घाटी में खड़े हो जाते हैं, सनसनी फैलाते हैं, आतंक फैलाते हैं। क्या यह सरकार आतंक की भाषा ही समझती है? हम राष्ट्रवादी लोग हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें मजबूर न किया जाए क्योंकि इस तरह आतंकवादियों की शह से दिन प्रतिदिन यह भावना बनती जा रही है कि वही राज्य विशेष पैकेज लेकर जाता है जो राज्य सारे राष्ट्र को संकट में डालता है।

सभापति महोदया, अगर कारगिल युद्ध के दौरान हिमाचल प्रदेश वीर जवान पैदा कर सकता है, दो परमवीर चक्र विजेता पैदा कर सकता है और कल यदि जरूरत पड़ती है तो वह कुछ भी कर सकता है इसलिए हमारी मौन भाषा को गंभीरता से लिया जाए। आज हिन्दुस्तान को बायोटेक्नोलाजी के क्षेत्र में आगे लेकर जाना है तो मैं कहना चाहता हूं कि बायोटेक्नोलाजी भी हिमालय के कारण है क्योंकि जड़ी-बूटियां हिमालय के अंदर हैं। जब लोगों को गरमी से तकलीफ होती है तब सारा देश हिमालय की पहाड़ों की तरफ दौड़ता है और जब आध्यात्मिक शांति की जरूरत होगी तब भी हिमालय की ओर ही दौड़ना पड़ेगा। हिमालय ऋषि-मुनियों की पावन स्थली है। मैं समझता हूं कि हिमालय को बचाना और विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। यह प्रस्ताव जो माननीय सदस्य, श्री वीरेन्द्र कश्यप जी लाये हैं, यह बहुत समय के अनुसार आया है। इसका समर्थन सदस्य, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी और अन्य साथियों ने किया है। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल समयोचित प्रस्ताव आया है और मैं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर इन पहाड़ी राज्यों के लिए जल्दी से जल्दी इस बोर्ड का गठन कर लिया जाए। माननीय श्री बहुगुणा जी ने ठीक ही कहा है कि इसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री जी ही करें। हिमाचल प्रदेश की ओर से हमारा यह भी सुझाव रहेगा कि हिमालय के जो 11 राज्य हैं और जो उनके चुने हुए एम.पीज. हैं, उन सबको उस बोर्ड में मैम्बर बनाया जाए, ताकि उनकी सारी भावनाओं को समझा जाए। मैं इस प्रस्ताव के जरिये हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष आर्थिक प्रस्ताव की मांग करता हूं।

सभापति महोदया, अंत में मैं कहना चाहता हूं चूंकि आप कविताएं और शेर-ओ-शायरी भी करते हैं, इसलिए चंद लाइने मैं इस प्रस्ताव में जोड़ना चाहता हूं। हिमालय को समझने की दृष्टि से देखें कि हिमालय शान्त है, पर उसे कमजोर मत समझियेगा। हिमालय चुप है, लेकिन इसे भीरू मत समझियेगा, डरपोक मत समझियेगा। हिमालय विशाल है, हिमालय के पास ताकत है, हिमालय के पास खजाना है, हिमालय तब प्रकट होता है, जब प्रलय हो जाती है, तब भी हिमालय के अंदर ही सृष्टि के द्वारा रचना होती है। इसलिए हिमालय की गंभीरता को समझते हुए मैं चंद लाइनें कहना चाहूंगा। आजकल जो लहरें राजनीति में चल रही हैं, मैं उनकी ओर इशारा कर रहा हूं-

"लहरों के रूप पर कभी कलंदर नहीं गिरता,
टूट भी जाए तारा तो जमीं पर नहीं गिरता,
यूं तो गिरते हैं बड़े शौक से दरिया समन्दर में,
पर कभी कोई समन्दर दरिया में नहीं गिरता।"

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री अधीर चौधरी** (बहरामपुर): महोदया, मैं राष्ट्रीय हिमालयी राज्य विकास बोर्ड के गठन संबंधी संकल्प की अगुवाई करने के लिए श्री वीरेन्द्र कश्यप की सराहना करता हूं। इस संकल्प में निम्नलिखित बातों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है: (एक) हिमालयी क्षेत्रों के राज्यों का सर्वांगीण और शीघ्र विकास (दो) उन राज्यों में विद्यमान केन्द्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी और (तीन) इस क्षेत्र में प्राकृतिक प्रावधानों के अभाव को कम करने हेतु उपायों का सुझाव देना।

जैसाकि आप जानते हैं कि हिमालय हमारी सभ्यता की पहचान है। यह भारतीय उप महाद्वीप को मध्य एशिया से विभाजित करता है। हिमालय प्रकृति के विस्मयकारी सौन्दर्य और भव्यता का प्रतीक है। हिमालय के संबंध में स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि, ''यह प्रकृतिक द्वारा बनाई गई प्राचीर मात्र नहीं हैं, इसमें दैवीय आत्माओं का निवास है और यह हमारे देश तथा सभ्यता का रक्षक है।'' निस्संदेह हिमालय हमारी संस्कृति और सभ्यता की पहचान है।

आज, इस चर्चा में प्रतिष्ठित माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। हिमालय क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। जैसाकि आप जानते हैं हमारे देश में ग्यारह राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इन ग्यारह राज्यों में उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र के सात राज्य तथा सिक्किम शामिल है। इन ग्यारह राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है ताकि हिमालयी क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा सके।

अत: हम यह नहीं कह सकते कि इस सरकार या भारत की किसी अन्य सरकार ने हिमालय क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया है। तथापि, हमें यह मानना होगा कि जहां तक हिमालय क्षेत्र का संबंध है हमें अभी तक वांछित परिणाम नहीं प्राप्त हुए हैं। परंतु यह सत्य है कि हिमालय क्षेत्र की पर्यटन क्षमताओं के अलावा इसकी वन्य परिसम्पत्ति, खनिज परिसम्पत्ति और औषधीय परिसम्पत्ति को देखते हुए इस पर विशेष ध्यान देने के लिए सभी सरकारों ने सतत् प्रयास किए हैं।

इसके अलावा हमारे देश की सभी महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम इस क्षेत्र से होता है। अत: हम सभी का यही मानना है कि चाहे हम हिमालय क्षेत्र के हां या नहीं परंतु हिमालय क्षेत्र का अत्यंत महत्व है। सतलुज, गंगा, यमुना, सत्तध्रुव, सिन्धु सभी नदियों का उद्गम इसी विशेष क्षेत्र से होता है। आजकल हमारे देश सहित पूरे विश्व के लोग जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय क्षेत्र के रहते हुए ग्लेशियरों को लेकर चिंतित है।

हिमालय के ग्लेशियरों से विश्व की चालीस प्रतिशत जनसंख्या को जलापूर्ति होती है। यह चिंता की बात है कि प्रत्येक शताब्दी के बीतने के साथ-साथ हिमालय क्षेत्र के तापमान में 0.3 डिग्री सैलशियस की कमी आ रही है जो अनर्थकारी सिद्ध हो सकती है और जो सम्पूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी तबाही का कारण बन सकती है।

महोदया, हिमालय क्षेत्र में तिब्बतीय पठार, भूटान, नेपाल और भारत में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र आते हैं। संघ सरकार प्रत्येक वर्ष हिमालय क्षेत्र के विकास हेतु पर्याप्त धनराशि दे रही है। जहां तक मुझे जानकारी हैं इन निधियों का 90 प्रतिशत हिमालय क्षेत्र में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को अनुदान के रूप में और दस प्रतिशत ऋण के रूप में दिया जा रहा है। अत: हमें यह देखना होगा कि क्या हिमालय क्षेत्र की संबंधित राज्य सरकारें केन्द्रीय निधि का इष्टतम उपयोग कर रही हैं या नहीं। यह भी चिंता का विषय है कि राज्य संघ सरकार द्वारा दी गई निधियों का उचित उपयोग नहीं कर रहे हैं।

महोदया, हिमालय का अतिविशाल क्षेत्र लगभग 13000 वर्ग किलोमीटर का एक पृथक भौगोलीय विभाजक लगते हुए पश्चिम से पूर्व तक लगभग 2,500 किलोमीटर के व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ है। यह ऐसा क्षेत्र है जहां जल विद्युत संसाधनों की व्यापक क्षमता है। यहां 9,500 मेगावाट तक दोहन योग्य जलविद्युत संसाधन होने का अनुमान है।

यह एक अत्यंत व्यापक क्षेत्र के लिए उर्जा का उत्पादन कर सकता है। इतना ही नहीं, ऊर्जा उत्पादन के लिए हम इस क्षेत्र में अनिश्चितता का जीवन व्यतीत कर रहे बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं। इस क्षेत्र में अनेक योद्धा दिये हैं हम उन वीर लोगों और वीर सिपाहियों को प्रणाम करते हैं जो इस क्षेत्र से आते हैं चाहे वह उत्तराखण्ड हो या हिमालय प्रदेश या फिर दार्जिलिंग सहित सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र। ऐसे वीर सिपाहियों की कोई कमी नहीं है जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा करते हुए सीमा पर अपनी जान गंवा दी। उन सभी पर हमें गर्व है। मैं व्यक्तिगत तौर पर उन सभी को प्रणाम करता हूं।

यह देखा गया है कि हिमालयी राज्यों में 79 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या रहती है और यह प्रतिवर्ष 2.4 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की जनसंख्या का उच्च प्रतिशत 31 प्रतिशत है जबकि उत्तरी राज्यों जैसे उत्तराखण्ड; हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू व कश्मीर में स्थिति बेहतर हैं। यहां उच्च साक्षरता दर 69 प्रतिशत है। यहां रहने वाले बेरोजगारों की संख्या लगभग 18.08 लाख है जिसमें प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र में ऊर्जा की प्रतिव्यक्ति खपत बहुत कम अर्थात् 100 किलोवाट है। प्रति व्यक्ति आय 23,000 रु. है। यहां के अधिकांश मजदूर प्राथमिक क्षेत्रों विशेषकर कृषि, बागवानी, पशुपालन में कार्य कर रहे हैं।

चिन्ता का मुख्य विषय यह है कि इस विशेष क्षेत्र में भूमि मनुष्य का अनुपात बिगड़ रहा है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ भूमि का विस्तार नहीं हो रहा है। अत:, भूमि मनुष्य का अनुपात बिगड़ रहा है। पूरे क्षेत्र में भूमि का उपयोग दो रूपों में किया जा रहा है। एक है आरक्षित वन क्षेत्र और दूसरा सामुदायिक वन क्षेत्र

[श्री अधीर चौधरी]

अत:, हमें भूमि की क्षमताओं का उपयोग इस प्रकार से करने के लिए ताकि एक और स्थानीय जनसंख्या उससे अनपी आजीविका कमा सके और साथ ही वनों के प्राचीन स्वरूप का संरक्षण भी किया जा सके, हमें अत:, इस प्रकार की रणनीति अपनाई जा सकती है और मेरे विचार से रोजगार का सृजन करने के लिए कि वहां लघु स्तर की जल विद्युत योजनाएं आरंभ की जा सकती हैं, जिनसे बड़े पैमाने पर रोजगार और आजीविका के अवसर पैदा हो सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, मैं सरकार से उस क्षेत्र में वनरोपण करने का प्रस्ताव करता हूं। स्विटजरलैंड और यूरोप के अन्य देशों में वनरोपण किया गया। क्षेत्र की भूमि और वन संपदा का उपयोग अर्थव्यवस्था के विकास और वनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भी किया जा सकता है। महोदया, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यद्यपि, इस क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत 2,44,910 मिलियन रुपये का पर्याप्त निवेश हुआ है। आपको इस बात से भली-भांति परिचित हैं कि केन्द्र सरकार उस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु करों में छूट और अन्य प्रोत्साहन देती है। तथापि, यह पाया गया है कि उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्य 7 जनवरी, 2003 और 30 जून, 2006 के बीच 0.2 मिलियन नए रोजगारों का सृजन कर सकते हैं।

**अपराह्न 5.00 बजे**

[**श्री अर्जुन चरण सेठी** *पीठासीन हुए*]

किसी पारंपरिक उद्योग क्षेत्र में रोजगार का एक अवसर सृजित करने के लिए 1.22 मिलियन रुपये का निवेश बहुत अधिक है। इन आंकड़ों के अनुसार, यह बात सामने आती है कि 15,08,000 बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए बहुत भारी धनराशि के निवेश की आवश्यकता होगी और पारंपरिक तरीके से नए रोजगार के अवसर पैदा करने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा।

अत:, नए तरीकों की तलाश किये जाने की आवश्यकता है। केवल किसी बोर्ड का गठन कर दिये जाने से सभी समस्याओं का समाधान नही होगा, और यह उस क्षेत्र की सभी आर्थिक बाधाओं अथवा अल्प विकास हेतु कोई रामवाण सिद्ध नहीं होगा। तथापि, मेरा यह मानना है कि एक बोर्ड का गठन किया जा सकता है; विकास कार्यों की देखभाल करने, विकास की निगरानी रखने, रोजगार के अवसरों पर ध्यान देने और उस क्षेत्र की दोहन योग्य अन्य संभावनाओं पर ध्यान देने के लिए एक बोर्ड का गठन किया जा सकता है। परन्तु, यह उस क्षेत्र की सभी आर्थिक समस्याओं और अल्पविकास या बेरोजगारी को दूर करने हेतु कोई समाधान नहीं है।

पश्चिम बंगाल का हिमालयी क्षेत्र दार्जिलिंग के नाम से जाना जाता है, इस क्षेत्र में आजकल काफी अशांति है। इसका कारण यह है कि राज्य सरकार यहां रोजगार तथा अन्य औद्योगिक सुविधाओं आदि का सृजन करने में विफल रही है। ब्रिटिश काल से इस पहाड़ी क्षेत्र दार्जिलिंग को यूरोपीय लोग एक आरोग्य धाम, तथा छुट्टी मनाने के एक स्थान के रूप में देखते रहे हैं। परन्तु इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन और खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में हैं, हम दार्जिलिंग के उस क्षेत्र से कोयले का खनन कर सकते हैं, जो कि संतरे, सिनकोना और चाय के लिए भी प्रसिद्ध है, यदि पर्यटन को छोड़ दें, तो राज्य सरकार स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने में विफल रही है। इसीलिए, दार्जिलिंग के लोगों को यह कहकर गुमराह किया जा रहा है कि गोरखालैंड राज्य बनने से ही उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हमें वहां आर्थिक विकास करने, रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने और पूरे हिमालयी क्षेत्र में एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है ताकि हमारे खनिज और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध उस क्षेत्र का विकास किया जा सके।

महोदय, आपको इसकी जानकारी है कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया था। उसके लिए उदारतापूर्वक बजटीय आवंटन किया गया था। परन्तु, संबंधित राज्य सरकारें, केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशिश का पूर्णत: उपयोग नहीं कर पाई थी और इसलिए, सरकार को एक अव्यपगतनीय निधि कोष का गठन करना पड़ा ताकि भविष्य में इस अव्यपगतनीय कोष का उपयोग पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए किया जा सके।

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, परन्तु, सच्चाई यह है कि हम सभी हिमालय का सम्मान करते हैं और हम सभी हिमालय, उसकी सभ्यता उसकी जनसंख्या और अन्य संसाधनों की सुरक्षा करना चाहते हैं।

हमारे देश के लोग प्राचीन काल से ही हिमालय का सम्मान करते आ रहे हैं। मैं, पुन: यह कहना चाहता हूं कि यह हमारी संस्कृति और सभ्यता की पहचान है और इसलिए हम सभी को न केवल इस क्षेत्र, अपितु, वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिएं। इसलिए, इस संबंध में एक राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। मैं, हिमालयी क्षेत्र के विकास हेतु एक राष्ट्रीय बोर्ड के गठन का समर्थन करता हूं।

**श्री रमेन डेका** (मंगलदोई) माननीय महोदय, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। आप हिमालय की तराई में स्थित असम तथा

पूर्वोत्तर क्षेत्र मुख्यत: भूटान की तराई में स्थित असम के बड़े भू-भाग के बारे में भलीभांति जानते हैं। असम के भौगोलिक क्षेत्र में पर्वत और नदियां हैं। हम पहाड़ी मार्गों से तेज बाढ़ का सामना कर रहे हैं। हमारे दो जिले पहाड़ी मार्गों से तेज बाढ़ से जलमग्न हो चुके हैं। देश के अन्य भागों में जल के स्रोत सूख चुके हैं लेकिन हम पानी से घिरे हैं। जल के कुप्रबंधन के कारण हमारे पास पेय जल नहीं है। इस संदर्भ में मैं एक कविता का उद्धरण देता हूं-''हर जगह जल ही जल है पर पीने के लिए एक बूंद नहीं'' असम में हमारे पास उपयुक्त जल स्रोत प्रबंधन नहीं हैं और इसलिए लोग बाढ़ का निरंतर सामना करते हैं। स्वतंत्रता के बाद हमने हमेशा अनुरोध किया है कि यह समस्या राष्ट्रीय आपदा की सूची में शामिल की जाए। यह गंभीर समस्या है और इस समस्या के समाधान के लिए गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदय, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण अन्य राज्यों की तुलना में सड़क और रेल सम्पर्क का अभी भी विकास नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे किसी भी क्षेत्र को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 1962 में चीनी आक्रमण के दौरान भारतीय सेना द्वारा झेली गई परेशानियां हमें आज भी याद हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. नेहरू ने आशा छोड़ दी थी कि हमारा राज्य देश के भाग रह पाएंगे। चूंकि सड़क का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए भारतीय सेना आगे नहीं बढ़ पाई। सड़क, रेल और अन्य संचार प्रणाली के विकास के लिए विभिन्न हिमालयी राज्यों के बीच समन्वय आवश्यक है।

इस संदर्भ में मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। हिमालयी राज्यों के विकास के लिए राष्ट्रीय बोर्ड का गठन बेहतर समन्वय, विकास और रक्षा की दृष्टि से किया जाए।

*[हिन्दी]*

**श्री के.सी. सिंह 'बाबा'** (नैनीताल-उधमसिंह नगर): सभापति महोदय, हमारी भौगोलिक स्थिति को देखकर गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प में श्री वीरेन्द्र कश्यप जी ने जो रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और उन्हें इसे प्रस्तुत करने के लिए आभार प्रकट करता हूं। हिमालयन राज्यों के लिए नेशनल बोर्ड फोर डेवलपमेंट आफ हिमालयन स्टेट्स अथवा ट्रांस हिमालयन फोरम बने। हम लोग काफी पहले से इसकी मांग करते आ रहे हैं।

महोदय, हमारी भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि उसमें पर्वतीय एरिया आता है, भांवर और तराई का एरिया आता है। वहां जो दैवीय आपदाएं आती हैं, उनसे निपटने के लिए धन की आवश्यकता होती है जिसकी उपलब्धता ट्रान्स हिमालयन फोरम अथवा नेशनल बोर्ड फोरम फार डेवलपमेंट आफ हिमालयन स्टेट्स करवा सकता है।

माननीय वीरेन्द्र कश्यप जी मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने एक ऐसा टोपिक यहां उठाया। हमारे यहां जब बादल फटता है तो वहां आप देखेंगे कि पूरा पहाड़ नीचे आ जाता है और गांव के गांव दब जाते हैं। उस समय वहां बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। हमारे यहां इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं हैं-जैसे अर्थक्वेक, बादल का फटना और भू-स्खलन इन चीजों को देख हमारे वहां डेवलपमेंट के लिए जरूरत पड़ती है। हमारे पहाड़ों के लिए मेन इंडस्ट्री टूरिज्म है।

*[अनुवाद]*

पर्यटन के लिए हमें हल्के ढांचे की आवश्यकता है न कि भारी ढांचे की। उदाहरण के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन स्थल बनाए जा रहे हैं। हमें हल्के ढांचे की आवश्यकता है। हमें हिमाचल प्रदेश से सीख लेनी चाहिए। मैं उत्तराखण्ड के नैनीताल निर्वाचन क्षेत्र से हूं। पर्यटन के लिए न टूटने वाली हल्की संरचना जैसे लॉग केबिन, रेन्ट, पूर्व तैयार संरचना के निर्माण के बारे में हिमाचल प्रदेश से सीखना चाहिए। यहां ज्यादा सुरक्षित है। हमारी पहाड़ियों पर हल्की संरचना का निर्माण किया जा सकता न कि बड़े कंक्रीट के जंगल का जिसका निर्माण हो रहा है। हमें किसी भी तरह इसे रोकना होगा। यह मुख्य बात है और प्राकृतिक आपदाओं के कारण हमें इस मुद्दे पर सावधानी बरतनी होगी। विकास होना चाहिए, और विकास, जैसाकि मैंने पहले कहा पर्यटन में है। पर्यटन के लिए रोपवे का निर्माण करना होगा। हिमालय क्षेत्र में बड़ी सड़कों के निर्माण के बदले पर्वत रोपवे और हेलीपैड का भार सह सकते हैं। अत: हम विकास कैसे करें इसके बारे में हमें बहुत सावधान रहना होगा। हमारे वन हमारी सम्पत्ति हैं और पहाड़ों पर आजीविका का साधन है। अत: विकास के साथ-साथ हमें जंगलों को अनुरक्षित करना चाहिए। इस प्रकार सड़क को निर्माण के तथा पेड़ काटे जाने के बीच में संतुलन होना चाहिए।

*[हिन्दी]*

हमारे वहां जब भी सड़कें बनती हैं, आप यह समझिए कि प्लेन में जो सड़कें बनती हैं, उसमें और हमारे पहाड़ों में जो सड़कें बनती हैं, उनमें बहुत अंतर है। पहाड़ में जब भी हम सड़क बनाते हैं तो उसमें रिटेनिंग वाल देनी पड़ती है, जिससे कि

[श्री के.सी. सिंह 'बाबा']

पहाड़ नीचे न खिसके। जहां कोई गांव आता है, वहां जो सड़क बन कर जाती है तो फिर हमें ब्रेस्ट वाल देनी पड़ती है, जिससे कि वहां जो ऊपर के हिस्से में घर हैं, वे डैमेज न हों, उनमें क्रेक्स न आएं। हमारे पहाड़ों में जो कास्ट आफ डेवलपमेंट होती है, वह प्लेन के मुकाबले डेढ़ गुना से पांच गुना ज्यादा होती है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उसके लिए हमारे हिमालयन स्टेट्स को स्पेशल पैकेज दिया जाए। चाहे इंडस्ट्रीज हो या डेवलपमेंट हो, बिना स्पेशल पैकेज के पहाड़ में काम नहीं चल सकता। हमें इंडस्ट्रियल पैकेज मिला था, हमारे माननीय सांसद बहुगुणा जी ने भी कहा था कि सन् 2013 तक का पैकेज मिला था जो कि कम कर दिया गया, उसके लिए भी मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सन् 2013 तक का इंडस्ट्रियल पैकेज हमें दिलवाया जाए। हमारे यहां की भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहां मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले बहुत अंतर है, जो प्लेंस में होता है। हमारा जो फोरम बनता है, जो एडवाइजरी कमेटी का काम करेगी, वह यह बताए कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, स्टेट्स में क्या-क्या समस्याएं हैं, यह अतिआवश्यक है।

मैं इसका एक उदाहरण दे सकता हूं, इससे पूर्व भी मैंने आपसे कहा कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी नैनीताल संसदीय क्षेत्र जो है, वहां पहाड़, भांवर और तराई भी है। वहां जब पहाड़ में बादल फटें या पहाड़ों में बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है तो हमारे पर्वतीय स्टेट की स्थिति और प्लेंस में बहुत अंतर होता है।

सभापति महोदय, वहां से जब पानी का बहाव नीचे की ओर होता है, जब वह पानी नीचे आता है, भांवर और तराई में, तो इतनी स्पीड से आता है कि वहां से भूमि का कटाव होना शुरू हो जाता है। भूमि कटाव से होने से बहुत सारे लोगों के घर बह जाते हैं और जान-माल का बहुत नुकसान होता है। लोग मरते भी हैं, भूमि भी कटती है, लोग भूमिहीन हो जाते हैं और गांव भी बह जाते हैं। इसमें बहुत अन्तर है। प्लेन्स में जब बाढ़ आती है, तो वहां पानी भर जाता है और उससे बेहद नुकसान होता है, यह मैं जानता हूं, लेकिन वहां जमीन सुरक्षित रहती है। जब बाढ़ का पानी चला जाता है या सूख जाता है, तो जमीन वहीं मौजूद रहती है। उस पर जमीन का मालिक किसान काम कर सकता है। उसे जोत और बो सकता है। हमारे यहां यह अन्तर है कि जब बाढ़ आती है, तो वहां पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वहां की कृषि भूमि कट कर बह जाती है और लोग भूमिहीन हो जाते हैं। छोटा स्टेट है और वन अधिनियम लागू है। इसलिए हम उन्हें दूसरी जगह एडजैस्ट भी नहीं कर पाते हैं। हमारे यहां दैवी आपदाओं से लोगों को बचाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जितने हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं, उन्हें एक स्पैशल पैकेज दिया जाए, विशेषरूप से दैवी आपदाओं से लोगों को बचाने के लिए।

महोदय, दैवी-आपदा से बचाने के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि सिल्टेशन से जब नदी भर जाती है और बाढ़ आती है, तो पानी साइडों को काटकर निकल जाता है। इसलिए रिवर ड्रैजिंग की जाए और जे.बी.सी. मशीन द्वारा उस सिल्टेशन को हटा दिया जाए या नदियों को गहरा कर दिया जाए, तो उससे बहुत फायदा हो सकता है। यदि सरकार शुरू में पैसा लगा दे और नदी का कोर्स जिस तरह से पहले था, उस तरह से कर दे और इस प्रकार हर साल हम माइनर ड्रेजिंग करते रहें, तो हमारी सरकार का पैसा भी बच सकता है, हमारे किसानों की भूमि का कटाव भी रुक सकता है और इस प्रकार की रैगुलर रिवर ड्रेजिंग और कंट्रोल्ड खनन से सरकार का करोड़ों-अरबों रुपया बचेगा और भूमि भी बचेगी। किसानों की जब भूमि नहीं कटेगी, उनके घर नहीं बहेंगे, तो उन्हें भी फायदा होगा। इसलिए मैं सरकार से यही निवेदन करता हूं कि हमारी इस तरह की जो प्राब्लम्स हैं, जो हमारी इस तरह की समस्याएं हैं, उन्हें देखकर हमें स्पैशल पैकेज दिया जाए। जब हमें स्पैशल पैकेज मिलेगा, तो यह समझिए कि हम अपनी स्टेट की रक्षा भी कर सकते हैं, हम अपनी स्टेट के लोगों का बचाव के साथ-साथ विकास कार्य में गति मिल सकती है। इस प्रकार से हम फारैस्ट और एनवायरनमेंट का बचाव भी कर सकते हैं। जब वहां भूमि नहीं कटेगी, तो हमारे फारैस्ट भी सुरक्षित रहेंगे और हमारी कृषि भूमि भी सुरक्षित रहेगी।

**श्री जोसेफ टोप्पो** (तेजपुर): चेयरमैन सर, मैं आपको और विशेष रूप से वीरेन्द्र कश्यप जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस सदन में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। यह प्रस्ताव समयोपयोगी है। मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को पूरे सदन को मिलकर पारित करना बहुत जरूरी है। बादल फटने के कारण वर्षा होने से बहुत सी जगह में एकदम इतनी जोर से पानी आता है कि जो भी हमारे घर, रास्ते, खेती की जमीन थी, उसे बहाकर ले जाता है। सिर्फ आधे घंटे में सारा सब कुछ समाप्त हो जाता है। हिमालय क्षेत्र में ऐसा होता ही रहता है। हम लोगों के पहाड़ी एरिया में प्राय: ऐसा होता है। हमारे पहाड़ी इलाके में बादल फटने के कारण जो बाढ़ आती है, उसका असर प्लेन एरिया में भी बढ़ जाता है। महोदय, सी-इरोजन होने पर वहां के राज्यों की क्षतिपूर्ति की जाती है, लेकिन पहाड़ी राज्यों में रिवर इरोजन के लिए कुछ नहीं मिलता है। इसलिए मेरी मांग है कि रिवर-इरोजन होने पर राज्य की क्षतिपूर्ति हेतु धन मिलना चाहिए। हर नदी की उत्पत्ति पहाड़ों और जंगलों से होती है। जंगल देश के सभी लोगों को वायु और पेयजल उपलब्ध कराते हैं। अगर इनको ठीक प्रकार से नियंत्रित नहीं किया जाए और वहां से पहाड़ या पेड़ कट जाए, तो इरेजन से जो डैबरीज होती हैं, वे प्लेन एरिया में पानी के बहाव के साथ आ जाती हैं। वहां का जैसा उदाहरण दिया, मैं कहना चाहता हूं

कि हमारी ब्रह्मपुत्र में इतनी डिबरी हो गई, रीवर बैड इतना ऊंचा आ गया है, जिसमें वहां अब बड़े-बड़े जहाज नहीं जा सकते हैं। विदेशियों के टाइम में इन्हीं जहाजों से ब्रिटिश लोग वहां चाय बागान लगाने और चाय की खेती करने के लिए आये थे। अब हमारी ब्रह्मपुत्र रीवर में कोई बड़ा जहाज नहीं आ सकता है, क्योंकि उसका रीवर बैड ऊंचा आ गया है। जितनी ऊंचाई में वर्षा होगी, उससे वर्षा के समय में डिबरी ब्रह्मपुत्र में आ जाती है और उसके आ जाने से इसका रीवर बैड ऊंचा हो गया है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि किसी-किसी जगह में ब्रह्मपुत्र की 20-25 फुट दूरी तक लेंथ बढ़ी हुई है, उसका इतना डेल्टा हो गया है, इतनी डीप हो गई है कि नदी इधर-उधर घूमकर जा रही है और उससे सब लोग इधर-उधर जा रहे हैं। अगर इसको एक ही रास्ते में सीधा किया जाये तो खेती के लिए बहुत मिट्टी इससे निकलेगी और लोगों की परेशानी दूर होगी।

हर वर्ष ब्रह्मपुत्र से इतनी ज्यादा क्षति होती है, इतना ज्यादा जान-माल का नुकसान होता है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं यह सोचता हूं कि यह सब करने से निश्चय ही हिमालय में हम लोगों का जो राष्ट्रीय हिमालय राज्य विकास बोर्ड बनने वाला है, यह बोर्ड बनने से हम लोगों का ऐसा बहुत कुछ है, जिसमें हम लोगों को बोलना है, मैं सोचता हूं कि यदि आप लोग इसमें हम लोगों को, पार्लियामेंट के मैम्बर्स को रखेंगे तो यह सब करने के लिए हम सब लोग साथ में रहकर सुझाव दे सकते हैं, इससे इसका उपाय निकाला जा सकता है।

अरुणाचल प्रदेश में इतने भारी हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट्स बन रहे हैं, यह हम लोगों के लिए बहुत लाभकारी व्यवसाय है, लेकिन हम लोगों के लिए सबसे बड़ा वाटर बम भी है। अभी वहां इतने भारी हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट सैंक्शन हुए हैं, जो कभी एक इरोजन में टूटने से हम लोगों के असम के आधे भाग को बहाकर ले जाएंगे। आप वहां उसे हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट बोलते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए वे वाटर बम हो रहे हैं। जहां पानी डीपर हो गया है, वहां कभी ऐसा होगा कि असम के आधे भाग को बहाकर ले जायेगा। वहां पानी की इतनी हाइट होगी कि 20-30 फुट तक पानी आयेगा, जिसमें हमारे असम में ब्रह्मपुत्र में दोनों साइड में जितनी जगह है, उसको वाश आउट करके एक ही बार में ले जाने का भयानक डर है।

मैं इसका उदाहरण भी दे सकता हूं। रंगनदी रीवर में जो हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट लगाया गया, इसमें जितना इरोजन, जितनी क्षति हुई, इसका हमारी स्टेट गवर्नमेंट को और जिसकी प्राइवेट प्रोपर्टी गई है, इसके लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से या दूसरी तरफ से उनको क्षतिपूर्ति नहीं मिली है। यह सब हिमालयी स्टेट की, हम लोगों की पहाड़ी स्टेट्स की जो समस्या है, यह हम सब लोग वहां रहने से बोल सकते हैं और हम लोग बड़ी विपत्ति से बच सकते हैं।

कश्यप जी जो प्रस्ताव लाये हैं, उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि पूरा सदन मिलकर इसे पारित करेगा, ताकि इस पर अमल हो सके। हमारे सभी सदस्य मित्रों ने बोला है कि यह समयोपयोगी और बड़ा अच्छा प्रस्ताव है, इसलिए इस पर अमल किया जाये और इसमें जो कुछ भी करना है, इसका टाइम बाउंड प्रोग्राम हो, ताकि देश का लाभ हो सके।

मैं यही बोलकर, आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

**श्री प्रदीप टम्टा** (अल्मोड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं पहली बार इस सदन में चुनकर आया हूं और मुझे सौभाग्य है कि मुझे उसी विषय पर बोलने के लिए भी मौका मिला, जिसकी वजह से मैं आज यहां पर हूं। मैं अल्मोड़ा से सांसद हूं और मैं सम्माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र कश्यप जी के इस प्रस्ताव का समर्थन भी करता हूं कि हिमालयी राज्यों के विकास के लिए एक अलग विकास बोर्ड बनना चाहिए।

मैंने बहुत से सदस्यों की सारी बातें सुनीं। दो-तीन बातें मैं भी कहना चाहता हूं। आज पूरे हिमालय को लेकर एक अलग हिमालय नीति बनाने की जरूरत है। हिमालय देश का मस्तक है। हिमालय इस देश की सभ्यता, संस्कृति का द्योतक है, लेकिन आज उस पर संकट है। यहां वन संरक्षण की बात कही गयी। बहुत से सदस्यों ने कहा कि आज फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के कारण हिमालय के विकास कार्य रूक गए हैं। मैं पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी का बहुत-बहुत आभारी हूं। मैंने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत वहीं से की। जब हिमालय के अंदर एक आंदोलन चला था, जंगलों को बचाने का आंदोलन, जिसको दुनिया में लोग चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं या वन आंदोलन के नाम से जानते हैं। आज यूरोप, अमेरिका सहित पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की बात कह रही है, उस समय पूरी दुनिया अपनी जीवनशैली के कारण इन जंगलों को बर्बाद करने में लगी हुयी थी। सिर्फ उसी हिमालय क्षेत्र की हमारी मां-बहनों ने, विद्यार्थियों ने एक आंदोलन चलाया था कि हिमालय को बचाना है, तो जंगलों को बचाना चाहिए। उस आंदोलन के दौरान सत्तापक्ष के दमन चक्र हमने सहे और एक मांग की कि हिमालय के जंगलों को बचाना चाहिए। तत्कालीन देश की प्रधानमंत्री ने इस बात को सुना और फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना, जिससे जंगलों को बचाया जा सका। आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि चोरियां होती हैं, डकैतियां होती हैं, लेकिन कोई मांग नहीं करता कि थानों को बंद कर दिया जाए, बल्कि लोग मांग करते हैं कि कानून का और कड़ाई से अनुपालन

[श्री के.सी. सिंह 'बाबा']

किया जाए। लेकिन यहां जब-जब पर्वतीय क्षेत्र के विकास की बात होती है, तो फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को एक विलेन के रूप में चित्रित किया जाता है। राज्य सरकारों के जो विभिन्न विभाग हैं, डेवलपमेंट के विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग है, फारेस्ट विभाग है, जिले से लेकर राज्य तक और राज्य से लेकर केंद्र तक कोई को-आर्डिनेशन नहीं है। मैं जब विद्यार्थी था, तब हजारों ट्रक उस हिमालय से, नदियों से निकलते हुए मैंने देखे थे, सड़कों से निकलते हुए देखे थे। हिमालय में आज जो जंगल बचे हैं, हिमालय बचा है, हिमालय का पानी बचा है, तो वह उस जंगल आंदोलन की वजह से बचा है, फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की वजह से बचा है और इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन मैं समझता हूं कि इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अगर हिमालय का फारेस्ट नहीं बचेगा, तो सिर्फ संकट हिमालय के ऊपर नहीं आएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जो इस देश की सभ्यता-संस्कृति की मुख्य कड़ियां हैं, उन पर भी संकट आएगा।

मित्रों, आज हिमालय में तीन चीजें हैं- जल, जंगल और जमीन। ये तीन हिमालय की मूल आत्मायें हैं। जंगल को किसी तरह से हिमालय की बहनों और नौजवानों ने, जब पूरा देश और न कोई वैज्ञानिक और न ही दुनिया इस सवाल को उठा रही थी, तब अल्मोड़ा, पौड़ी, चमोली की महिलाओं ने, नौजवानों ने उन जंगलों के लिए सवाल उठाया। आज भी जंगलों को बचाने के लिए आंदोलन जारी है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि जंगलों को लोग नहीं बचा पा रहे हैं। यह अलग बात है कि जंगलों पर लोगों के जो ट्रेडिशनल राइट हैं, उनको सरकारें और विभाग रिकगनाइज नहीं कर रहा है। उनको वह राइट नहीं दे रहा है। फारेस्ट आंदोलन की एक बहुत बड़ी मांग थी, जिसको हम हकोकू कहते हैं कि जंगल के लोगों के जो ट्रेडिशनल राइट थे, वे उनको दिए जाएं। वे राइट उस अनुपात में नहीं दिए जा रहे हैं। वन विभाग अपने डिपार्टमेंट का शिकंजा बनाए रख रहा है। जब पूरा उत्तराखंड जंगलों की आग से सुलग रहा था, उसी पौड़ी जिले के 8 ग्रामीण किसान जंगलों को बचाने के लिए गए और शहीद हो गए। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह से देश की रक्षा के लिए सीमा पर जो जवान लड़ते हैं, उसी तरह से जंगलों को बचाने के लिए जो पौड़ी जिले के 8 किसान शहीद हुए, उनको भी उसी तरह राष्ट्रीय पुरस्कार और शहीद का दर्जा दिया जाए और उनकी शहादत को रिकगनाइज किया जाए। जब किसान, जंगल के लोग जंगलों को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उनकी शहादत को हम रिकगनाइज नहीं करेंगे, तो जंगल कैसे बचेंगे? आज फारेस्ट विभाग पाइन्स के जंगल लगा रहा है। जंगलों को बचाने के लिए वहां के लोगों की जो ग्राम पंचायतें हैं, जो नियोजन कर सकती हैं। उन दोनों का समन्वय किया जाए कि किस तरह के जंगल हमें लगाने चाहिए, चारे के हों या किसी और तरह के फारेस्ट हों, जो वहां के लोगों से जुड़े हुए हों। अगर उस तरह की एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा, जिसमें वहां की ग्राम पंचायत, स्थानीय लोग और जंगल विज्ञान, जंगल बचाने के लिए एक-दूसरे की नालेज को शेयर करेंगे, उससे जंगल बढ़ेंगे।

दूसरा सवाल नदियों का है, पानी का है। मेरे संसदीय क्षेत्र से एक आंदोलन शुरू हुआ जो कोसी बचाओ आंदोलन की तरह आज पूरे उत्तराखंड के अंदर नदी बचाओ आंदोलन बन गया है। आज इस सदन में यह बात आई कि पूरा हिमालय पानी से प्यासा है, गांवों के गांव प्यासे हैं। सामने से नदी निकल रही है और ऊपर खेत प्यासे हैं। हिमालय के खेत प्यासे हैं, हिमालय के लोग प्यासे हैं। लेकिन हमारी नजर हिमालय के लोगों के पीने के पानी की समस्या को दूर करने पर नहीं है, हमारी नजर हिमालय के खेतों के सिंचाई के संकट को दूर करने पर नहीं है, हमारी नजर उस पानी का उपयोग गैर खेती या दूसरे इरादों पर करने की है। मैं इस सदन के माध्यम से एक सवाल रखना चाहता हूं। हमारे मित्र ने कहा कि हिमालय में तमाम हाइड्रो-पावर प्रोजैक्ट बन सकते हैं। हिमालय में चलने वाले इस तरह के तमाम प्रोजैक्ट्स चाहे टनलों के माध्यम से हों, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गांव के लोगों के साथ एक कम्पनी ने समझौता किया। 20 किलोमीटर टनल निकाल दी। उन्होंने कहा कि हम आपके लोगों को रोजगार देंगे, हम आपको पांच-पांच लाख रुपये मुआवजा देंगे। जिला प्रशासन के जरिए समझौता हुआ। आज जब उस गांव के लोगों ने उस समझौते को लागू करने की मांग की, तो जिला प्रशासन और उस कम्पनी ने उस गांव के लोगों के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज कर दिए कि ये हमें अपना काम नहीं करने दे रहे हैं। बीस-बीस किलोमीटर टनल में नदियां चली गईं। यदि बीस किलोमीटर टनल में नदी जाएगी तो उस बीस किलोमीटर के अंदर आने वाले गांवों का क्या होगा, खेतों का क्या होगा, पेयजल का क्या होगा, इस बारे में सोचने की जरूरत है। आखिर हम उनके लिए क्यों नहीं सोचते। ऊर्जा राष्ट्र की जरूरत है। इस देश में बहुत वैज्ञानिक हैं। ऊर्जा के लिए दूसरे रिसोर्स का प्रयोग किया जा सकता है। सौर ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी या दूसरे साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। मेरे हिसाब से पानी का पहला उपयोग लोगों के पेयजल के लिए है। दूसरा हिमालय के खेतों का है। अगर हिमालय के खेतों को नहीं बचाया गया, वहां माइग्रेशन हो रहा है, इससे हिमालय में संकट हो जाएगा। तीसरा, हम सब कह रहे हैं कि हिमालय में पर्यटन उद्योग होगा। शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, पर्यटन इंडस्ट्री पानी पर निर्भर है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त पानी नहीं है।

जल, जंगल के अलावा हिमालय में एक संकट जमीन का है। पूरे क्षेत्र में विशेषकर जो खेती की जमीन है, वहां पर खड़िया और साफ्ट स्टोन की अनेक माइन्स लगा दी गयी हैं। मैं सरकार से मांग

करना चाहता हूं कि राज्य का धर्म कमजोर की रक्षा करना है, राज्य का काम किसान की जमीन की रक्षा करने का है। मेरे संसदीय क्षेत्र विशेषकर बागेश्वर के अंदर राज्य सरकार द्वारा खड़िया खनन के लिए जो लाइसेंस दिया जा रहा है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। आज पूरी साफ्ट स्टोन इंडस्ट्री भू-माफियाओं द्वारा चल रही है। हमारे वहां लैंड का मेजरमैंट नाली के रूप में होता है। एक एकड़ में 20 नाली होती है। किसी के पास पांच नाली है तो किसी के पास दस नाली है। सब खड़िया माफियाओं के कब्जे में है। मैं उन क्षेत्रों में गया हूं। सरकारों ने मेमोरेंडम दे दिया है, प्रशासन कहता है कि दस मीटर से ज्यादा नहीं खोदा जायेगा, लेकिन 20-20 मीटर खुद रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है कि माइन्स एक्ट का क्या हाल है? मेरा कहना है कि जिस तरह इंदिरा गांधी जी ने साफ्ट स्टोन, लाइम स्टोन से देहरादून को बचाया था, आज हिमालय के उत्तराखंड के लोगों को, विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र बागेश्वर और पिथौड़ागढ़ में साफ्ट स्टोन की इंडस्ट्री है, गरीब किसान लालच में आ जाते हैं कि इस जमीन में क्या होगा, जब उन्हें दो हजार रुपये नहीं मिलते, लेकिन अचानक 20 हजार रुपये दिखते हैं, 50 हजार रुपये कैश दिखते हैं, ठेकेदार के लोग जाते हैं, प्रशासन के लोग जाते हैं, पैसे का लालच होता है और उसके बाद धमकी भी दी जाती है। मसल पावर और मनी पावर के संदर्भ में राज्य को आगे आना चाहिए।

मैं माननीय सभापति महोदय के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य का जो प्रस्ताव है कि हिमालय डेवलपमैंट अथारिटी बननी चाहिए, यह एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन उसके साथ-साथ हिमालय के लिए एक अलग दृष्टिकोण की जरूरत है, एक अलग नीति की भी जरूरत है। पूरे क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है। वहां सड़कें नहीं हैं। हमारे वहां टनकपुर से जालजुड़ी सीमांत क्षेत्र का इलाका है। वहां आज तक मोटर रोड नहीं बनी है। बिजली के टनल के लिए हमारे पास 20 किलोमीटर की टेक्नोलाजी है। लेकिन हिमालय क्षेत्र में रेलवे के टनल क्यों नहीं जा सकते? ...*(व्यवधान)* मेरा कहना है कि विज्ञान का उपयोग स्थानीय लोगों के हक में क्यों न हो? जब हम बिजली पैदा करने के लिए 20 किलोमीटर टेक्नोलाजी की टनल बना सकते हैं, तो हिमालय क्षेत्र में रेलवे के प्रौजेक्ट क्यों नहीं जा सकते। जितने भी इस तरह के प्रौजेक्ट हैं, जैसे रेल इंडस्ट्री है, टनकपुर से बागेश्वर है, रामनगर से चौखुटिया है। इन तमाम हिमालय के प्रौजेक्ट्स को नैशनल प्रौजेक्ट्स के रूप में आगे बढ़ाया जाये।

अंत में, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि हिमालय क्षेत्र में जो केन्द्रपोषित परियोजना चल रही है, उसकी मानीटरिंग की सख्त आवश्यकता है। बार्डर एरिया डेवलपमैंट फंड बनाया गया है जिसमें केन्द्र सरकार करोड़ों रुपया दे रही है, लेकिन वह पैसा बिना यूज किये हुए वापिस आ रहा है।

मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सम्मानित सदन से अनुरोध करूंगा कि यह प्रस्ताव स्वीकार योग्य है इसलिए केन्द्र सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिए। अगर इसका कांस्टीट्यूशन हो, तो उसमें प्रधानमंत्री जी को, चूंकि हिमालयन स्टेट्स का सवाल है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को चेयर करना चाहिए और लोक सभा तथा तमाम राज्यों के सम्मानित सदस्यों या देश के अन्य सदस्यों को इसमें जगह मिलनी चाहिए।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** माननीय सदस्यगण इस चर्चा के लिए आवंटित समय अब समाप्त हो गया है। यदि सभा सहमत हो तो इस संकल्प पर चर्चा को एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

**कई माननीय सदस्य:** हां।

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायण सामी):** यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

**सभापति महोदय:** धन्यवाद। अब मैं अगले माननीय सदस्य श्री तथागत सत्पथी को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

**श्री तथागत सत्पथी** (ढेंकानाल)**:** माननीय सभापति महोदय, मैं हिमालयी राज्यों के विकास हेतु राष्ट्रीय बोर्ड के लिए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प को समर्थन देता हूं। यह एक अच्छा विचार है और मैं माननीय संसद सदस्य को संकल्प लाने हेतु बधाई देता हूं। लेकिन, महोदय, हमें इसे जिला सतर्कता और निगरानी समिति की संरचना की तरह आवश्यकता से अधिक वृहत नहीं बनाना चाहिए।

जैसाकि आप जानते हैं हिमालय पूरे विश्व का बहुत महत्वपूर्ण भौगोलिक भाग है। इनकी न केवल इस उप-महाद्वीप में बल्कि विशेष रूप से पूरे एशिया में पर्यावरण संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है अत: हम यह मान सकते हैं कि यह शेष विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

इस उप-महाद्वीप में हमें मूलत: दो तरह की नदियां मिलती हैं। एक पहली सदा बहने वाली नदियां हैं जो वर्ष में बारह महीने बहती हैं चाहे बरसात हो या धूप और उनमें से अधिकतर हिमालय से हिमनदी से निकलती हैं दूसरी प्रायद्वीपीय प्रकार की हैं जो अधिकतर वर्षा पर आधारित होती हैं। हम पाते हैं कि नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना के संबंध में जिसके बारे में हम 1990 के बाद के वर्षों तथा 2000 की शुरुआत से सुन रहे हैं, केन्द्र सरकार की ओर अत्यधिक ढिलाई बरती जाती है। वास्तव

[श्री तथागत सत्पथी]

में इस संदर्भ में कुछ भी नहीं किया गया है जिससे इस उप-महाद्वीप के लोगों को हमने पेयजल और सिंचाई के जल से वंचित किया है। अत: आज विशेषकर 2009 में देश का बड़ा भूभाग पेयजल की अत्यधिक कमी से जूझ रहा है। ऐसा इसलिए है कि अभी तक मानसून का कोई अता-पता नहीं है और हमारे किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अत: हमें हिमालय की सुरक्षा की समस्या को कुछ राज्यों तक सीमित नहीं रखना चाहिए या इस पर संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए जैसाकि यह ग्रामीण विकास या वैसा ही कोई मामला हो।

हिमालय के पर्यावरणीय महत्व को देखते हुए इसकी रक्षा की जानी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं, और ये इतनी तेजी से पिघल रहे हैं कि यह कहा जा रहा है कि 2025 तक हिमालय की सदा बहने वाली नदियां, सूखना शुरू हो जाएंगी और इससे पूरा भारत, पाकिस्तान और बंग्लादेश प्रभावित होंगे। बहुत लंबे समय तक अकाल जैसी स्थिति रह सकती है।

अत: मैं सुझाव देता हूं कि इस क्षेत्र में संतुलित मानवीय और पर्यावरणीय दृष्टिकोण अति आवश्यक है। यह केवल उत्तर-पूर्व या हिमाचल प्रदेश या जम्मू और कश्मीर की समस्या नहीं है, बल्कि हिमालय को समग्र दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। इस क्षेत्र में, हम काफी अधिक जल विद्युत पैदा कर सकते हैं और इससे देश के मुख्य क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति की जा सकती है। संतुलित तरीके से ऐसा करने के बजाय, जहां हर समय सख्त पर्यावरणीय निगरानी की जाती है, हम इस क्षेत्र को परिलुष्ठित करने तथा लूटने की अनुमति दे रहे हैं। यदि हम शिमला, मनाली और नैनीताल जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जाएं, तो देखेंगे कि अब ये कस्बे गंदी बस्तियां बन गए हैं। मुझे याद है, बचपन में मैं शिमला और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में जाया करता था, वहां काफी पेड़ और हरियाली थी और वे काफी ठंडे रहते थे। अब जब हम गर्मियों में वहां जाते हैं। पहाड़ भी गर्म होने शुरू हो गए हैं। इसका तात्पर्य है कि कहीं न कहीं हमने बड़ी गलती की है जिससे हमने इन क्षेत्रों के पर्यावरण से छेड़छाड़ की है और इन क्षेत्रों को काफी क्षति पहुंचाई है। अत: इस क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हिमालय की सुरक्षा की जानी चाहिए।

महोदय, मुझे खुशी है, पिछली लोक सभा में तजाकिस्तान बुलाया जाना था और जिस तरह चीनियों ने किर्गीस्तान, तजाकिस्तान और उन मध्य एशियाई देशों में प्रवेश किया है वह आश्चर्यजनक है। वे भली भांति पर्यावरण की देखभाल कर रहे हैं और आधारभूत ढांचा बना रहे हैं। भारत में, हम देखते हैं कि यदि हम एक सड़क बनाना चाहते हैं, तो पहले पेड़ और प्राकृतिक जल स्रोत नष्ट होते हैं। हम अपने पर्यावरण को नष्ट करते हैं, जबकि दूसरी ओर, उन क्षेत्रों में, विशेष रूप से तजाकिस्तान और चीन ने पर्यावरण संरक्षण का अत्यधिक ध्यान रखा है।

अत: मैं अपने भाषण के अंत में कहता हूं कि हिमालय के बारे में बात करते हुए हमें मामले पर संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। हमें सम्पूर्ण उपमहाद्वीप और संपूर्ण क्षेत्र, कश्मीर से असम में ब्रह्मपुत्र और अरुणाचल प्रदेश तक के व्यापक हित के बारे में सोचना चाहिए। हमें इसे समग्रता से देखना चाहिए। पिछली लोक सभा में हम चर्चा कर रहे थे कि यदि संसाधनों का बेहतर प्रयोग हो तो केवल अरुणाचल प्रदेश में 65,000 मेगावाट जल विद्युत पैदा करने की क्षमता है। इसका तात्पर्य है, हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं लेकिन हमें संपोषणीय दृष्टिकोण के साथ इन संसाधनों को बनाए रखना है और मानवीयता के साथ पर्यावरण की देखभाल करनी है।

अत: मैं हृदय से इस संकल्प में सुझाए जा रहे बोर्ड की स्थापना का समर्थन करता हूं। लेकिन बोर्ड का अधिकार क्षेत्र अधिक व्यापक होना चाहिए। यह केवल ग्रामीण विकास निगरानी बोर्ड बनने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए; इसे पर्यावरण, उस क्षेत्र के लोगों के हितों को देखना चाहिए और प्रकृति को नष्ट किए बिना उन्हें आधारभूत ढांचा उपलब्ध करना चाहिए, जो कि हिमालय में इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।

*[हिन्दी]*

**श्री ओम प्रकाश यादव** (सीवान): सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस सदन में अपनी बात रखने का अवसर दिया।

महोदय, जहां तक राष्ट्रीय पर्वतीय विकास बोर्ड के गठन की बात है, मैं उसका समर्थन करते हुए आग्रह करना चाहूंगा कि कुछ ऐसे भी प्रांत हैं, जो समतल होने के बाद भी अपनी दयनीय स्थिति पर विवश हैं। जहां से मैं आता हूं, बिहार राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के कारण, भीषण बाढ़ और भीषण सुखाड़ के कारण विकास की दर बहुत पीछे है। लाख प्रयास के बाद भी वहां के आम लोग बहुत दयनीय स्थिति में हैं, जिससे हम सभी लोग वाकिफ हैं। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि वहां की आम जनता जिन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, वह उसे उपलब्ध कराई जाएं। जो पिछड़े राज्य हैं, उनमें हमारे बिहार राज्य को भी समाहित करते हुए राष्ट्रीय विकास बोर्ड का गठन किया जाए, ताकि पूरे राष्ट्र का समुचित विकास हो सके।

बिहार राज्य का एक समतल राज्य होने के बाद भी वहां केन्द्रीय विद्यालय तो हैं, लेकिन उनका अपना भवन नहीं है। वे दूसरों के भवनों में चल रहे हैं। उनका अपना कोई छात्रावास नहीं है। इसी तरह वहां थाने तो हैं, लेकिन उनका अपना भवन नहीं

है। वहां के अस्पतालों की हालत बहुत जर्जर है। हमारी मांग है कि एक राष्ट्रीय विकास बोर्ड का गठन हो और उसमें जितने भी पिछड़े राज्य हैं, सभी को शामिल किया जाए।

इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री प्रेम दास राय** (सिक्किम): माननीय सभापति महोदय, श्री वीरेन्द्र कश्यप द्वारा लाए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प पर चर्चा में कुछ बिन्दु रखने के लिए मुझे अवसर देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं इस संकल्प का पूरी तरह समर्थन करता हूं और जहां तक पहाड़ों का संबंध है, कुछ कहना चाहता हूं। यह हिमालय से संबंधित है, और इसलिए हमें इस पर पर्वतों के प्रतिमान के संदर्भ में विचार करना है। मैं समझता हूं, पूरा मुद्दा हमने जो विकसित किया है या जिस तरह हमें पर्वतों में विकास करना चाहिए, की समझ है और पहले इसे समझा जाना चाहिए। आप जो मैदानों में या देश के किसी अन्य भाग में करते हैं यह उससे पूरी तरह भिन्न है क्योंकि पर्वतों का आकार, पर्वतों में जिस तरह समाजों का विकास हुआ है, जिस तरह पर्वतीय क्षेत्रों में लोग रहते हैं, इसकी वजह से विकास के अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

मैं समझता हूं, यह केन्द्रीय मुद्दा है और यदि हम इस मुद्दे को लेते हैं तो मुझे विश्वास है कि हम न केवल आवश्यक संसाधनों का प्रयोग करने की स्थिति में होंगे, बल्कि मन में निहित उस दृष्टिकोण के साथ संपूर्ण विकास परिदृश्य पर भी नजर रखेंगे। अब मुझसे पूर्व वक्ताओं ने पहले ही अनेक दृष्टिकोण और समस्याएं निभाई हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों या पर्वतीय लोगों के कारण सामने आई है। पर्यावरणीय कारक, जल और जल संसाधन संबंधी दृष्टिकोण भी बताए गए हैं।

मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं चहता हूं, क्योंकि मैं सिक्किम से हूं, मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं कि सिक्किम ग्लेशियर पिघलने और संभावित समाधानों पर विचार करने के लिए आयोग गठित करने वाला पहला राज्य है। वास्तव में एक बड़ा ग्लेशियर, जो आकार में 750 वर्ग किमी. से अधिक है जिसे जेमू ग्लेशियर के नाम से से जाना जाता है, पहले ही चिंताजनक दर से पिघल रहा है। यह वैश्विक तापन के पर्वतों को प्रभावित करने का एक संकेत मात्र है।

दूसरी बात जो मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं, वह यह है कि संपूर्ण हिमालय इसी तरह की स्थिति का सामना कर रहा है। अत: इसके लिए राष्ट्रीय मतैक्य की आवश्यकता है कि हम कैसे ग्लेशियर और ग्लेशियरों के पिघलने और जल संसाधनों पर इसके परिणाम के मुद्दे को हल करेंगे, जोकि संपूर्ण हिमालय क्षेत्र को उपलब्ध होंगे।

आप पहले से ही जानते है कि हमारे कुछ बांधों में पानी की मात्रा चिंताजनक रूप से कमी आई है और यह इसलिए हुआ है क्योंकि इस वर्ष बर्फ बहुत कम पिघली है। ये अनिष्ट के लक्षण हैं और मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दे। सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतों संबंधी पहली कार्यशाला आरंभ की थी और यह एक अच्छा संकेत है क्योंकि सरकार की ओर से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि पर्वतों का बहुत महत्व है।

अत:, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह उचित समय है कि हम पूरे हिमालयी क्षेत्र को एक पूर्ण सामरिक संसाधन के रूप में देखें। न केवल हमारी सुरक्षा के संबंध में इसका सामरिक महत्व है, बल्कि हमारे विकास और संपूर्ण पर्यावरण की दृष्टि से भी इसका सामरिक महत्व है।

इसका एक और पहलू भी है। यह पूरा सीमावर्ती क्षेत्र बंद है। 4000 किलोमीटर का यह पूरा क्षेत्र सीमावर्ती व्यापार की दृष्टि से बंद है। वर्ष 2006 में तिब्बत और चीन के साथ व्यापार के लिए नाथूला मार्ग को खोला गया था। आज, हम इस बात को जानते है कि जो कुछ भी व्यापार हो रहा है वह अधिक नहीं है। सीमा के आर-पार व्यापार और इस प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियों से पर्वतीय क्षेत्रों के लोग अपनी आजीविका चला सकते हैं। आपको स्मरण होगा कि 1962 में सीमाओं को बंद कर दिए जाने के पश्चात् सीमा के दोनों तरफ, लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके कुछ संबंधी सीमापार रहते हैं। अत:, सीमाओं के बंद होने से बहुत से सामाजिक प्रभाव भी पड़े हैं। महान सभ्यताओं के बीच संबंध स्थापित करने के लिए हमें इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए।

एक अन्य बात जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि यांग्जे नदी किसी समय चीन की सीमाओं में ही सिमट जाएगी। ब्रह्मपुत्र और विशेष रूप से असम के लोगों के लिए यह बहुत चिंता की बात होगी।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों में आजीविका के परिदृश्य को पर्वतीय क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाना चाहिए और पर्वतीय क्षेत्रों में ही देखा जाना चाहिए और पर्वतीय क्षेत्रों में, विकास के सामान्य मानदंड अपनाए जाने की बजाए विकास के एक अलग मानदंड पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कें बनाना बहुत कठिन कार्य है। हमें स्थानीय संसाधनों पर ध्यान देना होगा। हमें कार्बन उत्सर्जन की समस्या पर

[श्री प्रेम दास राय]

ध्यान देना होगा। जब भी हम खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुओं को पर्वतीय क्षेत्रों में ले जाते हैं तो इससे कार्बन का अत्यधिक उत्सर्जन होता है। मेरा मानना है कि हमें विकसित किए जाने वाले सभी मार्गों तथा परिवहन व्यवस्था सहित इन सभी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

अत:, मेरा यह अनुरोध है कि इस संकल्प का दायरा बढ़ाया जाए। मैं भूतपूर्व अध्यक्ष से पूर्णत: सहमत हूं कि बोर्ड के दायरे को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और हमें पर्वतीय क्षेत्रों में विकास कार्यों पर बहुत व्यापक तरीके से ध्यान देना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा है यदि यह बात स्वीकार कर ली जाती है तो अन्य संसाधन स्वयं उपलब्ध हो जाएंगे।

**श्री थांगसे बाइते** (बाह्य मणिपुर): मुझे गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प पर बोलने का अवसर प्राप्त होने पर बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं मणिपुर राज्य से बाहरी मणिपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। उस क्षेत्र का अधिकांश भाग पहाड़ी है। इस संबंध में मैं हिमालयी क्षेत्र के राज्यों के सम्मुख आ रही समस्याओं का उल्लेख करना चाहता हूं। उस क्षेत्र में हमारे सामने विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाएं; आर्थिक समस्याएं; और दूरसंचार संबंधी समस्याएं आती हैं। मैं विशेष रूप से मणिपुर का उल्लेख करना चाहता हूं। पूर्वोत्तर के अन्य राज्य भी इन समस्याओं का सामना करते रहे हैं। मणिपुर में, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में हमारे सामने बहुत सी समस्याएं हैं। भौगोलिक कारणों के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र का विकास करना बहुत मुश्किल है। घाटी क्षेत्र में एक किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करने के लिए 1 करोड़ रुपये या 10 लाख रुपये लागत आ सकती है। परन्तु पर्वतीय क्षेत्रों में लागत इसके तीन से दस गुणा तक आ सकती है। अत:, मैं सरकार का ध्यान विशेषरूप से पर्वतीय क्षेत्रों से जुड़े मामलों की और आकृष्ट कना चाहता हूं।

हिमालयी क्षेत्र के राज्यों, विशेषकर पहाड़ी राज्यों के पास कोई संशाधन नहीं है और वे विकास गतिविधियों एवं अन्य कार्यों के लिए केवल केन्द्र सरकार पर निर्भर रहते हैं। यदि केन्द्र सरकार कोई साहसी कदम नहीं उठाती है तो इससे हिमालयी क्षेत्र के लोगों को परेशानी होगी।

जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक है। विशेषकर पहाड़ी क्षेत्र के सीमावर्ती राज्यों सभी प्रकार से अन्य राज्यों से पीछे हैं। मैं एक बार पुन: इस सम्मानित सदन और भारत सरकार का ध्यान सीमावर्ती राज्यों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाये जाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राष्ट्रीय हिमालयी राज्य विकास बोर्ड का गठन एक सुधारात्मक उपाय है जो सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में न केवल आर्थिक और भौगोलिक समस्याएं हैं बल्कि कुछ अन्य सामाजिक समस्याएं भी हैं। सामाजिक समस्याओं के कारण विकास कार्यों को उचित ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। वहां असामाजिक तत्व हैं। आतंकवादी गतिविधियों के कारण, हम विकास कार्यकलाप बेहतर ढंग से नहीं कर सकते। इस संबंध में, मैं ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए गृह मंत्रालय का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ताकि विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**डॉ. थोकचोम मैन्या** (आंतरिक मणिपुर): सभापति महोदय आपको धन्यवाद। मैं माननीय मित्र श्री वीरेन्द्र कश्यप द्वारा पेश किए गए संकल्प पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

वास्तव में, इस प्रकार का बोर्ड उन क्षेत्रों की आवश्यकता है जिन्हें हम 'कठिन क्षेत्र' के रूप में वर्गीकृत करते हैं। जैसाकि हम जानते हैं, हिमालयी क्षेत्र की अपनी अनेक समस्याएं हैं। उदाहरण के लिए, जब हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करते हैं तो दिल्ली में हम भूकंप के बारे में अधिक नहीं सोचते क्योंकि यहां भूकंप कभी-कभी आते हैं लेकिन हिमालयी क्षेत्र में भूकंप अक्सर आते रहते हैं।

मेरे मित्र ने अभी मणिपुर राज्य की कुछ समस्याओं के बारे में उल्लेख किया। मणिपुर हिमालयी श्रेणी के अन्तिम सिरे पर है। वस्तुत: हम जम्मू और कश्मीर तथा अन्य क्षेत्रों से काफी दूर हैं। फिर भी, हम भूकंप और अन्य समस्याएं जो जम्मू और कश्मीर तथा देश के अन्य सीमावर्ती राज्यों में है, महसूस करते हैं।

इस विशेष बोर्ड के गठन की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि हमारे पास भारत सरकार के अंतर्गत एक विशेष मंत्रालय अर्थात् उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) है, यह संपूर्ण उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। इस विशेष बोर्ड का गठन करने से इस मंत्रालय की शक्तियों और कार्यों पर अतिव्याप्ति नहीं होगी। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि जब हमारे पास संपूर्ण उत्तर-पूर्व क्षेत्र की देखभाल के लिए निकाय होगा और यह उत्तर-पूर्व क्षेत्र हिमालयी श्रेणी में अभी आता है इसलिए इस पर विचार करते हुए हमें उस सीमांकन का ध्यान रखना होगा।

**सायं 06.00 बजे**

**सभापति महोदय:** माननीय सदस्य, आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं।

**डॉ. थोकचोम मैन्या:** आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस बार, मैं बिना तैयारी के भी आया था। अत: अगली बार, मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा और अपना भाषण जारी रखूंगा।

---

**सभापति महोदय:** अब सभा विशेष उल्लेख तथा अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर विचार करेगी।

**डॉ. एम. तम्बिदुरई** (करूर): आदरणीय सभापति महोदय, संसदीय लोकतंत्र के तीन अंग हैं- विधायिका, कार्यपालिका और न्याय पालिका जो स्वतंत्र निकाय हैं। एक अंग दूसरे अंग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि हमें लोकतंत्र को बनाए रखना है। लेकिन विगत सप्ताह, मद्रास उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायाधीश ने न्यायालय में सार्वजनिक रूप से कहा कि एक केन्द्रीय मंत्री ने एक अपराधिक मामले में संलिप्त पिता और पुत्र को अग्रिम जमानत देने के लिए उन्हें प्रभावित करने का प्रयास किया। राष्ट्रीय मीडिया में भी इसे बड़ी खबर माना गया है।

महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है क्योंकि यह न्यायपालिका की अवमानना का स्पष्ट मामला है। न्याय पालिका के कार्य में एक मंत्री का यह हस्तक्षेप अनुचित है और ऐसा पहले नहीं सुना गया।

अत: मैं अपनी पार्टी एआईएडीएमके तथा स्वयं की ओर से मंत्री को इस प्रयास की तीव्र भर्त्सना करता हूं। मेरा विचार है कि पूरी सभा मिलकर इसकी भर्त्सना करे और इस सभा से एक स्पष्ट संदेश जाए। एक केन्द्रीय मंत्री के इस कृत्य पर सरकार को कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि माननीय प्रधान मंत्री को मंत्रिपरिषद से निकाल कर उन्हें कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। मैं माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर विस्तृत रिपोर्ट के लिए और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अंतर्गत संबंधित मंत्री के विरुद्ध मामले के पुनरावलोकन मान. कानून मंत्री को निदेश दें।

**श्री खगेन दास** (त्रिपुरा पश्चिम): महोदय, मैं इस सभा तथा संघ सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के बाद केन्द्र में सत्ता में आई सभी सरकारों ने क्षेत्रीय असमानताओं को सिद्धांतत: कम करने की वकालत की परंतु वास्तविकता में प्रति व्यक्ति आपसी क्षेत्रीय असमानता बढ़ी है। एक तथ्य यह भी है कि विशेष श्रेणी के राज्यों के पास कम से कम साधन हैं और वे अपने विकास के कार्यों के लिए संसाधन नहीं जुटा पाते। अत: विशेष श्रेणी के राज्यों के लिये विशेष प्रावधान किया जाए। ताकि ऐसे राज्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में सक्षम हो सकें। देश के शेष भागों के समान विकास का स्तर बनाए रख सकें।

*[हिन्दी]*

**श्री विष्णु पद राय** (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): महोदय, मैंने दिनांक 8 जून को एयर इंडिया के बारे में अपना वक्तव्य रखा था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिनांक 2 जुलाई को मैंने स्वयं सिविल एविएशन मंत्री जी से मुलाकात की और रिक्वेस्ट की और आज दोबारा यह मामला उठा रहा हूं। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में एयर इंडिया का व्यवहार ठीक नहीं है। चेन्नई से पोर्टब्लेयर और कोलकाता से पोर्टब्लेयर तक एयर फेयर की रेंज 17,000 से 24,000 रुपए है, यह हाइएस्ट इंडियन रूट्स में है। अगर कम्पेयर किया जाए तो दिल्ली-गुवाहाटी, 3 घंटे 15 मिनट की एयर एनर्जी का एयर फेयर 6500 है जबकि चेन्नई से पोर्टब्लेयर और कोलकाता से पोर्टब्लेयर दो घंटे की एयर एनर्जी का एयर फेयर 17,000 से 24,000 रुपए है। इससे मुश्किल हो रही है। द्वीप के जो लोग हैं उन्हें टिकट खरीदने में मुश्किल आ रही है, खास तौर से जो टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप की थी वह इससे सफर हो रही है। खासकर सिंगापुर, कोलम्बो रिटर्न जर्नी टिकट 13 हजार से 17 हजार रुपये का है। इस कारण से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में एयर इंडिया के माध्यम से टूरिस्ट्स नहीं आ रहे हैं। टिकट्स होते हुए भी टिकट्स ब्लैक हो रहे हैं। वहां दो सैक्टर्स में ऐसा हो रहा है-कोलकाता-पोर्टब्लेयर, चेन्नई-पोर्टब्लेयर। मैं एग्जाम्पल कोट करना चाहता हूं, 21 जून को मैं सफदरजंग में गया, वहां *...(व्यवधान)**

**सभापति महोदय:** आप उनका नाम मत लीजिए।

**श्री विष्णु पद राय:** मैंने उनसे रिक्वैस्ट की थी कि हमारे कम्पेनियन चेन्नई से पोर्टब्लेयर आये, उन्होंने एस.एम.एस. किया, बात की, लेकिन कहा गया कि टिकट नहीं है। 21 जून और 22 जून दो दिन में चार-चार टिकट चेन्नई एयरपोर्ट से बेचे गये।

**सभापति महोदय:** इसमें से नाम निकाल दीजिए।

**श्री विष्णु पद राय:** अजीब बात है कि 22 तारीख की फ्लाइट में चार-चार सीटें 1सी, 1डी, 2एफ और 10ई आईं, वहां टिकट होते हुए ब्लैक चल रहा है। इसमें सबसे बुरी बात यह है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार के समय वहां वीकली दो-तीन स्ट्रेचर पेशेन्ट होते हैं, जो कोई कोमा में चला गया, किसी का सिर फट गया, उसे ट्रीटमैन्ट के लिए साउथ ग्रुप में जाना पड़ेगा। मैं 1999 में एम.पी. था, तब स्ट्रेचर पेशेन्ट्स के लिए 6 टिकट थे, जो एक टिकट कर दिया। उसकी कीमत 6 से 8 हजार रुपये कर दी। यूपीए सरकार आई, उसने दोबारा 6 टिकट कर दिए। लेकिन आज उसकी कीमत 90 हजार रुपये है। पेशेन्ट

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

स्ट्रेचर में हैं, वह 90 हजार रुपये टिकट का देगा तो इलाज कहां से करेगा। उसे देखते हुए किंगफिशर ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में अपना लूटने का तरीका शुरू कर दिया। उन्होंने नौ टिकट कर दिये, जिसकी कीमत 1 लाख 82 हजार रुपये है।

**सभापति महोदयः** आप अपनी डिमांड बताइये।

**श्री विष्णु पद रायः** मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर से मांग करता हूं कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का जो कोटा चेन्नई से पोर्टब्लेयर, कोलकाता-पोर्टब्लेयर उसे रिस्टोर करे और सस्ते दामों पर टिकट दे, जो दिल्ली, कोलकाता में चल रहा है, उसे देखते हुए हमारे यहां के टूरिज्म को बचाये और स्ट्रेचर पेशेन्ट के लिए सिंगल टिकट जो वाजपेयी सरकार ने किया था, वह अंडमान और निकोबार के लिए करे।

**श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर** (परभणी): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले एक विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अमरीका की एक बीयर कंपनी ने बीयर की एक ब्रांड की बोतल के ऊपर गणेश जी का चित्र छापा है, जिसकी वजह से भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इसलिए अमरीकन कंपनी की बीयर की बोतल के ऊपर हिंदुओं के आराध्य देव गणेश जी की जो तस्वीर छापी गई है, वह दुनिया भर में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है।

इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि हिंदुओं के आराध्य गणपति बाबा का चित्र बीयर की बोतल पर छापने वाली कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके, इस ढंग से सरकार को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री भर्तृहरि महताब** (कटक): यह बहुत गंभीर मामला है जिसे मैं इस सभा में आज विलंब से उठा रहा हूं। मामला मद्रास उच्च न्यायालय से संबंधित है जहां एक माननीय न्यायाधीश से उजागर किया है कि एक केन्द्रीय मंत्री वे दो लोगों को अग्रिम जमानत देने के लिए उन्हें प्रभावित करने का प्रयास किया। यह एक घोर अपराध है और सत्य का पता लगाने के लिए सघन जांच की आवश्यकता है। चूंकि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मामले की जांच सरकार पर छोड़ी है इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह बताए कि मामले में क्या कदम उठाये जा रहे हैं। प्रधान मंत्री जी की छवि बेदाग है। लेकिन क्या वे इस तथ्य को नजर अंदाज कर सकते है कि मंत्री पर लगे दाग सरकार पर लगे दाग के रूप में देखा जा सकता है।

**सभापति महोदयः** अब माननीय सदस्य श्री आर. ध्रुवनारायण-अनुपस्थित।

**श्री प्रबोध पांडा** (मिदनापुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं न्यायमूर्ति लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। यह सर्वविदित है कि बाबरी मस्जिद जैसे कई शताब्दी पुराने सम्यक का जानबूझकर विध्वंस किया गया था। यह भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर सीधा प्रहार था। विध्वंस और तोड़-फोड़ की यह घटना 6 दिसंबर 1992 की है। इस उपद्रवी हमले में शामिल लोगों तथा सरकार षडयंत्र करने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये।

लेकिन यह चौंकाने वाला तथ्य है सरकार को यह रिपोर्ट 16 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई जिसके दौरान 399 बैठकें की गर्म और 48 बाद समय का विस्तार दिया गया। केवल इतना ही नहीं, मैं इस संदर्भ में अन्य मामलों का उल्लेख भी कर रहा हूं। 1987 में मालियन और हाशिमपुरा में निर्दोष मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। रिपोर्ट 20 वर्ष बाद आई।

मेरा मुद्दा यह है कि सरकार का दायित्व केवल आयोग गठित करना नहीं है बल्कि....

**सभापति महोदयः** आप की मांग रिपोर्ट प्रस्तुत करने की है। ऐसा ही है न?

**श्री प्रबोध पांडाः** यही एक मात्र कर्त्तव्य नहीं है। एक के बाद एक आयोग गठित किए जा रहे हैं। लेकिन यह वांछनीय नहीं है कि सभी रिपोर्टें माननीय न्यायाधीशों की इच्छा पर प्रस्तुत की जायेगी।

**सभापति महोदयः** आपकी मांग क्या है?

**श्री प्रबोध पांडाः** मेरे विचार में सरकार इस संदर्भ में कानून बनाने पर विचार करे ताकि आने वाले समय में ऐसी घटना न हो और सरकार इस तरह की तोड़-फोड़ किये जाने और सांप्रदायिक वैमनष्य की स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल आवश्यक कदम उठाए।

**सभापति महोदयः** धन्यवाद। अब मैं डा. जी. विवेकानंदन को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं-उपस्थित नहीं।

अब सभा सोमवार, 6 जुलाई 2009 को पूर्वाह्न 11 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**सायं 06.12 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 6 जुलाई, 2009/15 आषाढ़, 1931 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

## अनुबंध I

*तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका*

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | तारांकित प्रश्न संख्या |
|---|---|---|
| 1. | डॉ. विनय कुमार पाण्डेय | 21 |
| 2. | श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी<br>श्री अनंत कुमार हेगड़े | 22 |
| 3. | श्री गणेश सिंह<br>श्रीमती सुप्रिया सुले | 23 |
| 4. | श्री निशिकांत दुबे<br>श्री कालीकेश नारायण सिंह देव | 24 |
| 5. | डॉ. राजन सुशान्त | 25 |
| 6. | श्री असादूद्दीन ओवेसी | 26 |
| 7. | श्री जय प्रकाश अग्रवाल<br>श्री प्रेमचन्द गुड्डू | 27 |
| 8. | श्री अर्जुन चरण सेठी<br>श्री प्रहलाद जोशी | 28 |
| 9. | श्री वैजयंत पांडा | 29 |
| 10. | डॉ. मुरली मनोहर जोशी<br>श्री अधलराव पाटील शिवाजी | 30 |
| 11. | श्री हंसराज गं. अहीर | 31 |
| 12. | श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह | 32 |
| 13. | योगी आदित्यनाथ<br>श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम | 33 |
| 14. | डॉ. थोकचोम मैन्या | 34 |
| 15. | श्री तथागत सत्पथी<br>श्री एकनाथ महादेव गायकवाड | 35 |
| 16. | डॉ. के.एस. राव | 36 |
| 17. | श्री पी. लिंगम<br>श्री अशोक कुमार रावत | 37 |
| 18. | श्री मनसुखभाई डी. वसावा<br>श्री अधीर चौधरी | 38 |
| 19. | डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह<br>श्री कोडिकुन्नील सुरेश | 39 |
| 20. | श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी<br>श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे | 40 |

*अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका*

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | प्रश्न संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आचार्य, श्री बसुदेव | 307 |
| 2. | आदित्यनाथ, योगी | 233 |
| 3. | अडसूल, श्री आनंदराव | 238, 289, 301, 310, 311 |
| 4. | अग्रवाल, श्री जय प्रकाश | 227, 261, 284, 297 |
| 5. | अग्रवाल, श्री राजेन्द्र | 182 |
| 6. | अहीर, श्री हंसराज गं. | 231, 264, 286 |
| 7. | आजाद, श्री कीर्ति | 191 |
| 8. | बालू, श्री टी.आर. | 306, 308 |
| 9. | चौहान, श्री संजय सिंह | 202, 240 |
| 10. | चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र | 286 |
| 11. | चित्तन, श्री एन.एस.वी. | 192, 242, 267 |
| 12. | चौधरी, श्री अधीर | 306 |
| 13. | दासगुप्त, श्री गुरुदास | 311 |
| 14. | दुबे, श्री निशिकांत | 224, 259, 282, 295 |
| 15. | गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी | 211, 254, 280 |
| 16. | गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव | 239, 271, 291, 302 |
| 17. | हक, शेख सैदुल | 210 |
| 18. | हेगड़े, श्री अनंत कुमार | 265 |
| 19. | जाधव, श्री बलीराम | 197 |
| 20. | जगन्नाथ, डॉ. मन्दा | 187, 190 |
| 21. | जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद | 235, 266 |
| 22. | श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी | 223, 258, 281 |
| 23. | जोशी, डॉ. मुरली मनोहर | 230, 311 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 24. | जोशी, श्री महेश | 201 |
| 25. | जोशी, श्री प्रहलाद | 188, 243 |
| 26. | कलमाडी, श्री सुरेश | 195 |
| 27. | करुणाकरन, श्री पी. | 208 |
| 28. | कश्यप, श्री वीरेन्द्र | 225 |
| 29. | खैरे, श्री चंद्रकांत | 204, 249, 277, 311, 312 |
| 30. | लागुरी, श्री यशवंत | 180 |
| 31. | मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई | 215, 275, 293, 306 |
| 32. | महाजन, श्रीमती सुमित्रा | 198, 225, 247, 271 |
| 33. | महतो, श्री नरहरि | 244 |
| 34. | माझी, श्री प्रदीप | 186, 235, 240, 272, 309 |
| 35. | मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार | 183, 244 |
| 36. | मैन्या, डॉ. थोकचोम | 225 |
| 37. | मुत्तेमवार, श्री विलास | 206, 311 |
| 38. | निरूपम, श्री संजय | 267 |
| 39. | ओवेसी, श्री असादूद्दीन | 214, 226, 283, 296 |
| 40. | पांडा, श्री वैजयंत | 229, 263, 285, 298 |
| 41. | पांडा, श्री प्रबोध | 200, 248, 311 |
| 42. | पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार | 203, 256 |
| 43. | पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार | 285 |
| 44. | पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार | 259 |
| 45. | पटेल, श्री बाल कुमार | 274, 304 |
| 46. | पाठक, श्री हरिन | 194, 229, 246, 276 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 47. | राजगोपाल, श्री एल. | 176, 252, 267 |
| 48. | राम, श्री पूर्णमासी | 199, 228 |
| 49. | रामासुब्बू, श्री एस.एस. | 182, 221, 224 |
| 50. | रामशंकर, प्रो. | 213, 255 |
| 51. | राव, डॉ. के.एस. | 234 |
| 52. | राव, श्री नामा नागेश्वर | 187, 242, 274, 304 |
| 53. | राव, श्री रायापति सांबासिवा | 185, 237, 269, 290, 304 |
| 54. | रावत, श्री अशोक कुमार | 241, 273, 292, 303 |
| 55. | राय, श्री रूद्रमाधव | 205, 259, 289 |
| 56. | रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी | 193, 240, 308 |
| 57. | रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन | 174, 201, 245 |
| 58. | रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी. | 184, 236, 249 |
| 59. | रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु | 243, 253, 279, 283 |
| 60. | राय, श्री नृपेन्द्र नाथ | 243, 244 |
| 61. | सम्पत, श्री ए. | 208, 260 |
| 62. | सत्पथी, श्री तथागत | 223 |
| 63. | सेठी, श्री अर्जुन चरण | 259, 262 |
| 64. | शर्मा, डॉ. अरविन्द कुमार | 179, 217, 254, 275 |
| 65. | शर्मा, श्री जगदीश | 232, 311 |
| 66. | शिवाजी, श्री अधलराव पाटील | 238, 270, 289, 301 |
| 67. | सिद्देश्वर, श्री जी.एम. | 178, 199, 278, 300 |
| 68. | सिंह, श्री दुष्यंत | 207, 248, 250, 286 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 69. | सिंह, श्री गणेश | 223 |
| 70. | सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद | 222, 285 |
| 71. | सिंह, श्री सुशील कुमार | 212, 311 |
| 72. | सिंह, श्री बृजभूषण शरण | 189 |
| 73. | सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह | 230, 232, 265 |
| 74. | सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण | 218, 257, 287, 299 |
| 75. | सुगावनम, श्री ई.जी. | 177, 239 |
| 76. | सुले, श्रीमती सुप्रिया | 215, 219, 249, 267 |
| 77. | सुरेश, श्री कोडिकुन्नील | 275 |
| 78. | सुशान्त, डॉ. राजन | 225 |
| 79. | स्वामी, श्री एन. चेलुवरया | 181, 220, 268, 288, 300 |
| 80. | ठाकुर, श्री अनुराग सिंह | 188, 209, 286 |
| 81. | तम्बिदुरई, डॉ. एम. | 188 |
| 82. | थॉमस, श्री पी.टी. | 311 |
| 83. | वसावा, श्री मनसुखभाई डी. | 235, 266 |
| 84. | वेणुगोपाल, श्री के.सी. | 196 |
| 85. | वर्मा, श्री सज्जन | 192 |
| 86. | वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम | 251, 278, 294, 305 |
| 87. | यादव, श्री अंजनकुमार एम. | 175, 216 |
| 88. | यास्खी, श्री मधु गौड | 239, 271, 291 |

# अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

| | | |
|---|---|---|
| वित्त | : | 22, 31, 32, 35, 39 |
| आवास और शहरी गरीबी उपशमन | : | 30 |
| नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा | : | |
| पंचायती राज | : | 34 |
| विद्युत | : | 24, 26, 28, 36 |
| ग्रामीण विकास | : | 25, 33, 37, 38, 40 |
| पर्यटन | : | 23 |
| जनजातीय कार्य | : | |
| शहरी विकास | : | 27, 29 |
| महिला और बाल विकास | : | 21. |

---

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

| | | |
|---|---|---|
| वित्त | : | 174, 187, 188, 190, 191, 194, 195, 197, 202, 203, 205, 206, 209, 210, 211, 214, 223, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 236, 241, 242, 245, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 256, 265, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 283, 284, 290, 291, 293, 295, 297, 304, 311, 312 |
| आवास और शहरी गरीबी उपशमन | : | 177, 184, 185, 204, 220, 226, 238, 269, 309 |
| नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा | : | 254, 287, 292, 298, 300, 305, 307 |
| पंचायती राज | : | 217, 282 |
| विद्युत | : | 176, 179, 196, 215, 218, 219, 243, 246, 249, 257, 258, 262, 268, 278, 289, 302, 308, 310 |
| ग्रामीण विकास | : | 178, 180, 181, 189, 193, 199, 200, 201, 207, 212, 222, 235, 240, 266, 267, 281, 294, 306 |
| पर्यटन | : | 192, 221, 224, 225, 255, 264, 285, 286, 299 |
| जनजातीय कार्य | : | 183, 216, 259, 261 |
| शहरी विकास | : | 182, 186, 213, 233, 237, 239, 244, 263 |
| महिला और बाल विकास | : | 175, 198, 208, 227, 260, 271, 288, 296, 301, 303. |

---